VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

समसामयिकी त्रैमासिक रिवीजन

मार्च 2024 - मई 2024

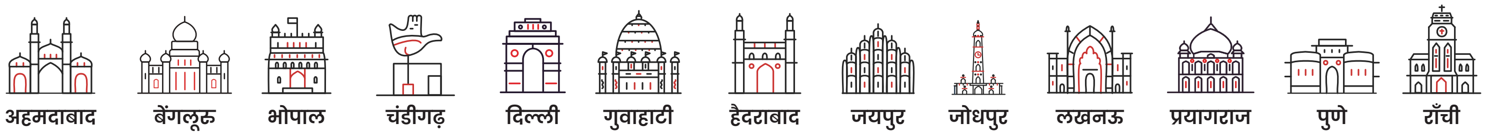

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

OUR ACHIEVEMENTS

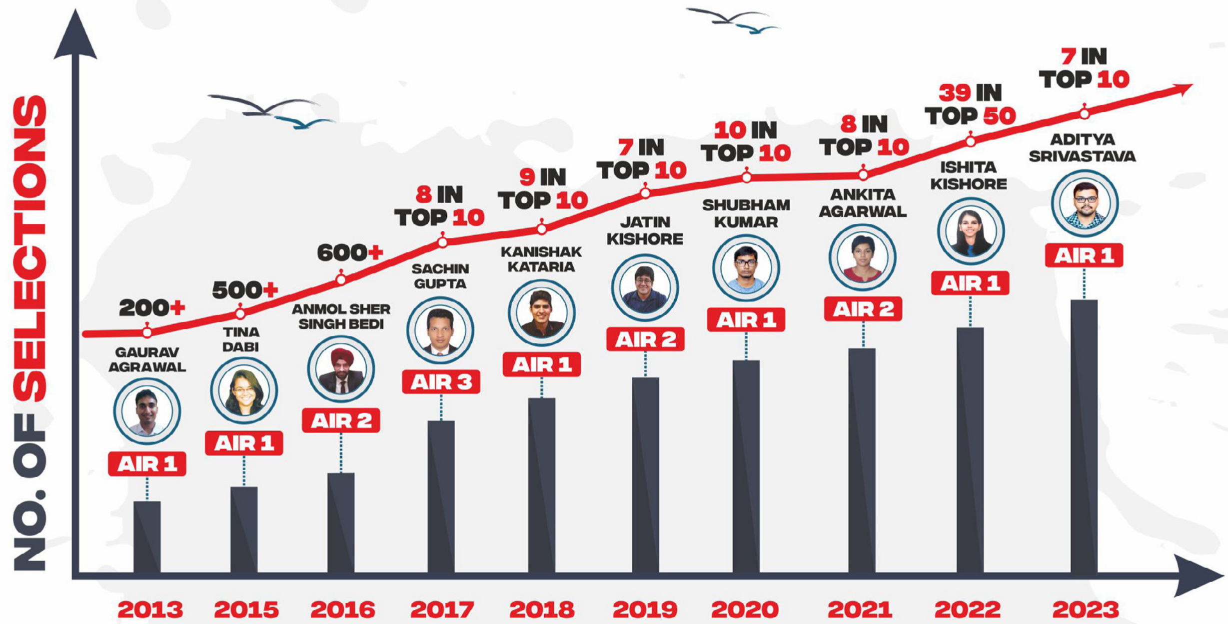

LIVE/ONLINE Classes Available
www.visionias.in

Foundation Course
GENERAL STUDIES
PRELIMS cum MAINS 2026, 2027 & 2028

DELHI: 18 OCT, 5 PM | 19 NOV, 9 AM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 12 NOV, 6 PM

BENGALURU: 5 DEC | JAIPUR: 16 DEC | HYDERABAD: 11 NOV | JODHPUR: 3 OCT

LUCKNOW: 5 DEC | BHOPAL: 5 DEC | ADMISSION OPEN AHMEDABAD | CHANDIGARH | PUNE

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2026
- प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI: 20 नवंबर, 8 AM | JAIPUR: 16 दिसंबर | JODHPUR: 3 अक्टूबर | प्रवेश प्रारम्भ BHOPAL | LUCKNOW

Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

/visionias.upsc /c/VisionIASdelhi /c/VisionIASdelhi /t.me/s/VisionIAS_UPSC

DELHI: HEAD OFFICE: 1st floor, Apsara Arcade, Near Gate-7 Karol Bagh Metro Station, 1/8 b, Pusa Road, Karol Bagh, Delhi – 110005 | CONTACT: 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

त्रैमासिक रिवीजन

अभ्यर्थियों के लिए संदेश

प्रिय अभ्यर्थी,

हमें अपनी नई पहल, **"त्रैमासिक रिवीजन"** डॉक्यूमेंट जारी करते हुए अत्यंत खुशी हो रही है। इस डॉक्यूमेंट को आपकी तैयारी एवं रिवीजन को और बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।

त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट के बारे में

त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट को काफी सावधानीपूर्वक और बारीकी से तैयार किया गया है। इससे आपको सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक लर्निंग एवं रिवीजन के लिए मजबूत आधार मिलेगा।

इस डॉक्यूमेंट में हमने विगत तीन माह के मासिक समसामयिकी मैगजीन से सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को कवर किया है। इससे महत्वपूर्ण टॉपिक्स का रिवीजन करने के लिए आपको एक समग्र और सटीक रिसोर्स मिलेगा।

यह डॉक्यूमेंट किसके लिए उपयोगी होगा?

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की पृष्ठभूमि, आयु, वर्किंग शेड्यूल और पारिवारिक जिम्मेदारियां अलग-अलग होती हैं।

इसे ध्यान में रखते हुए हमने त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट को तैयार किया है। इससे उन अभ्यर्थियों को तैयारी में काफी सहायता मिलेगी, जिनका शेड्यूल अधिक व्यस्त होता है, जिन्हें मासिक समसामयिकी मैगजीन को पढ़ने व रिवीजन करने के लिए कम समय मिलता है और सिलेबस के बारे में बुनियादी एवं थोड़ी बहुत समझ होती है।

त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट की कुछ मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

- और अधिक जानकारी के लिए अवश्य पढ़ें: इससे आपको करेंट अफेयर्स को स्टैटिक मटेरियल से जोड़कर समझने तथा टॉपिक के बारे में अपनी समझ को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसमें NCERTs सहित बेसिक रीडिंग मटेरियल से संबंधित अध्याय के बारे में बताया गया है।
- संक्षिप्त पृष्ठभूमि: प्रत्येक आर्टिकल से संबंधित एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि दी गई है, जिससे आपको संबंधित आर्टिकल को समझने और उसका विश्लेषण के लिए एक मजबूत आधार मिलेगा।
- विश्लेषण और महत्वपूर्ण तथ्य: इससे आपको महत्वपूर्ण नज़रिया और अलग-अलग पहलुओं से जुड़ी जानकारी तथा तथ्यों के बारे में पता चलेगा।
- प्रश्नोत्तरी: हर भाग के अंत में 5 MCQs और मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस हेतु 2 प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न आपको अपनी समझ का आकलन करने और प्रमुख अवधारणाओं/ तथ्यों को प्रभावी ढंग से याद रखने में मदद करेंगे।

हमें पूरी उम्मीद है कि यह त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट समसामयिकी घटनाक्रमों के लिए काफी फायदेमंद होगा। PT 365 और Mains 365 डाक्यूमेंट्स के साथ-साथ इसे पढ़कर UPSC CSE की तैयारी की राह में आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ जाएगा।

"हम बार-बार जो करते हैं, वही बन जाते हैं। इसलिए, एक बार प्रयास करने से नहीं बल्कि बार-बार और लगातार प्रयास करने से ही उत्कृष्टता हासिल होती है।"

- अरस्तु

हार्दिक शुभकामनाएं!
करेंट अफेयर्स टीम
VisionIAS

विषय-सूची

राजव्यवस्था

1.1. भारतीय संविधान, प्रावधान एवं मूल संरचना 9
1.1.1. समान नागरिक संहिता 9
1.1.2. नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 10
1.1.3. अन्य पिछड़ा वर्गों (OBCs) की सूची 11

1.2. संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां 13
1.2.1. राजकोषीय संघवाद 13
1.2.2. छठी अनुसूची 14

1.3. भारत में चुनाव 16
1.3.1. एक राष्ट्र, एक चुनाव 16
1.3.2. नगरपालिका चुनाव 17
1.3.3. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन-वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (EVM-VVPAT) 18
1.3.4. मास मीडिया और चुनाव 19

1.4. शासन (GOVERNANCE) 21
1.4.1. शासन में सिविल सेवकों की भूमिका 21
1.4.2. भारत में मंदिरों का विनियमन 22
1.4.3. सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 23
1.4.4. इंटरनेट शटडाउन 24

1.5. विविध 26
1.5.1. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 26
1.5.2. स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 27

1.6. प्रश्नोत्तरी 29

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

2.1. द्विपक्षीय संबंध 32
2.1.1. भारत-भूटान संबंध 32
2.1.2. भारत-भूटान-चीन ट्रायंगल 33
2.1.3. भारत और इंडोनेशिया संबंध 34
2.1.4. भारत ऑस्ट्रेलिया सुरक्षा साझेदारी 36
2.1.5. अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा और कच्चातिवू का मुद्दा . . . 37
2.1.6. सिंधु जल संधि 38
2.1.7. भारत का द्विपक्षीय संबंधों को संतुलित करने का प्रयास . . 39

2.2. क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंच 41
2.2.1. क्वाड 41
2.2.2. ऑकस 42
2.2.3. उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन 44
2.2.4. राष्ट्रमंडल 45
2.2.5. बदलते समय में वैश्विक संस्थाएं 46

2.3. विविध 48
2.3.1. बंदरगाहों का भू-राजनीतिक महत्त्व 48
2.3.2. आपदा राहत कूटनीति 50
2.3.3. भारत की दूरसंचार कूटनीति 52
2.3.4. पश्चिम एशिया में अस्थिरता 53
2.3.5. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय 54
2.3.6. गैस निर्यातक देशों का मंच 55

2.4. सुर्ख़ियों में रहे स्थल 56

2.5. प्रश्नोत्तरी 59

अर्थव्यवस्था

3.1. वित्त एवं कराधान 63
3.1.1. सकल स्थायी पूंजी निर्माण 63
3.1.2. धन के पुनर्वितरण के एक साधन के रूप में विरासत कर . 64
3.1.3. अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते 65
3.1.4. दोहरा कराधान बचाव समझौता 66

3.2. बैंकिंग और भुगतान इकोसिस्टम 68
3.2.1. RBI द्वारा अधिशेष अंतरण 68
3.2.2. शहरी सहकारी बैंकों के लिए अम्ब्रेला संगठन (UCBS) . 69
3.2.3. परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां 70
3.2.4. रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण 72
3.2.5. सीमा-पार विप्रेषण/ रेमिटेंस 73
3.2.6 रिजर्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना 74
3.2.7. बेसल III एंडगेम 75

3.3. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रक 77
3.3.1. भारत की कृषि निर्यात नीति 77
3.3.2. प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) 78
3.3.3. कृषि एवं खाद्य सुरक्षा 79
3.3.4. भारत की अनाज भंडारण प्रणाली 81
3.3.5. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना 82
3.3.6. कृषि विज्ञान केंद्र 83

3.4. समावेशी विकास 85
3.4.1. भारत में आय और संपत्ति में उच्च असमानता 85
3.4.2. मानव विकास रिपोर्ट (HDR) 2023-2024 86
3.4.3. घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) 2022-23 88
3.4.4. ग्रामीण भारत में स्टार्ट-अप्स 89

3.5. बुनियादी ढांचा और लोजिस्टिक्स 90

3.5.1. परिसंपत्ति मुद्रीकरण . . . 90

3.6. विविध . . . 92

3.6.1. भारत-EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता . . . 92

3.6.2. सतत विकास के लिए वित्त-पोषण रिपोर्ट 2024 . . . 93

3.6.3. भारत और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं . . . 95

3.6.4. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण . . . 97

3.6.5. डिजिटल एकाधिकार और डिजिटल इकोसिस्टम का विनियमन . . . 98

3.6.6. पेटेंट . . . 99

3.6.7. उत्तर-पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण योजना, 2024 (उन्नति 2024) . . . 101

3.6.8. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम- 2024 . . . 103

3.7. प्रश्नोत्तरी . . . 104

सुरक्षा

4.1. भारत का रक्षा निर्यात . . . 107

4.2. रक्षा क्षेत्रक में प्रौद्योगिकी अंगीकरण . . . 109

4.3. पनडुब्बियां और पनडुब्बी-रोधी युद्ध . . . 111

4.4. अंतरिक्ष का सशस्त्रीकरण . . . 113

4.5. वामपंथी उग्रवाद . . . 115

4.6. सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम . . . 117

4.7. ऑनलाइन कट्टरतावाद से जुड़ी चिंताएं . . . 119

4.8. साइबर खतरे और वित्तीय क्षेत्रक . . . 121

4.9. वर्चुअल परिसंपत्तियां और आतंकवाद का वित्त-पोषण . . . 123

4.10. सुर्ख़ियों में रहे युद्ध-अभ्यास . . . 124

4.11. प्रश्नोत्तरी . . . 125

पर्यावरण

5.1. जैव विविधता . . . 129

5.1.1. इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस . . . 129

5.1.2. गंगा नदी डॉल्फिन . . . 130

5.1.3. जीवित प्राणी प्रजातियां (रिपोर्टिंग और रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2024 . . . 131

5.1.4. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण . . . 132

5.1.5. मैंग्रोव संरक्षण . . . 133

5.1.6. इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट . . . 134

5.1.7. सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप्स कांफ्रेंस . . . 135

5.1.8. प्रवाल विरंजन . . . 136

5.1.9. सुर्ख़ियों में रही प्रजातियां . . . 137

5.2. जलवायु परिवर्तन . . . 140

5.2.1. ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम . . . 140

5.2.2. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा . . . 141

5.2.3. पर्यावरणीय मुद्दों का संवैधानिकीकरण . . . 142

5.2.4. जलवायु परिवर्तन और मौद्रिक नीति प्रसारण . . . 143

5.2.5. न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस . . . 143

5.3. प्रदूषण . . . 145

5.3.1. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन . . . 145

5.3.2. बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024 . . . 146

5.3.3. ई-अपशिष्ट . . . 147

5.3.4. डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज (DAC+S) प्लांट . . . 148

5.3.5. शहरी जल संकट . . . 149

5.4. संधारणीय विकास . . . 150

5.4.1. भारत में पारंपरिक ज्ञान . . . 150

5.4.2. स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना/ क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन . . . 151

5.4.3. भारत में पर्यावरणीय आंदोलन . . . 152

5.4.4. "फाइनेंसिंग एग्रो-केमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट (FARM)" कार्यक्रम . . . 153

5.4.5. शून्य बजट प्राकृतिक कृषि . . . 154

5.4.6. मिलेट्स . . . 155

5.4.7. कार्बन रिमूवल्स एंड कार्बन फार्मिंग (CRCF) . . . 156

5.5. आपदा प्रबंधन . . . 157

5.5.1. बांध सुरक्षा . . . 157

5.5.2. हीटवेव . . . 158

5.5.3. भारत में अग्नि सुरक्षा विनियम . . . 159

5.6. भूगोल . . . 160

5.6.1. क्षेपण मंडल . . . 160

5.6.2. बेसफ्लो . . . 161

5.6.3. दक्षिणी महासागर क्षेत्र में सबसे स्वच्छ वायु . . . 162

5.6.4. नॉर्वेस्टर्स . . . 162

5.7. सुर्ख़ियों में रही अवधारणाएं . . . 164

5.7.1. प्लैनेटरी बाउंड्रीज़ (ग्रहीय सीमाएं) फ्रेमवर्क . . . 164

5.7.2. इकोसाइड . . . 164

5.7.3. स्टार ड्यून्स . . . 164

5.7.4. गैप लिमिटेशन . . . 164

5.7.5. नेगेटिव लीप सेकंड . . . 165

5.7.6. ब्लू होल . . . 165

5.7.7. कैटाटुम्बो लाइटनिंग . . . 165

5.7.8. किलिंग कर्व . . . 165

5.8. सुर्ख़ियों में रहे स्थल . . . 166

5.9. सुर्ख़ियों में रही रिपोर्ट्स . . . 167

5.10. प्रश्नोत्तरी . . . 169

सामाजिक मुद्दे

6.1 महिलाएं. . . . 172
6.1.1. भारत में महिला उद्यमी 172
6.1.2. सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) का स्थानीयकरण: भारत में स्थानीय शासन में महिलाएं. . . . 173
6.1.3. "लैंगिक असमानता सूचकांक (GII) 2022" जारी किया गया 174
6.1.4. यूनेस्को की "टेक्नोलॉजी ऑन हर टर्म्स" रिपोर्ट 175
6.2. बच्चे 176
6.2.1. ऑनलाइन बाल लैंगिक शोषण और दुर्व्यवहार. . . . 176
6.2.2. बच्चों में स्क्रीन टाइम में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज 177
6.3. अन्य सुभेद्य वर्ग. . . . 178
6.3.1. दिव्यांगजन अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 178
6.3.2. UNHRC ने इंटरसेक्स अधिकारों के लिए अपनी तरह का पहला संकल्प अपनाया. . . . 180
6.4. शिक्षा. . . . 181
6.4.1. अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 181
6.5. स्वास्थ्य 183
6.5.1. भारत में कुल प्रजनन दर में गिरावट 183
6.6. गरीबी और विकास संबंधी मुद्दे. . . . 185
6.6.1. सामाजिक अवसंरचना 185
6.6.2. भारत में शहरी निर्धनता 186
6.6.3. विश्व प्रवासन रिपोर्ट, 2024 187
6.6.4. IOM ने "ए डिकेड ऑफ डोक्युमेंटिंग माइग्रेंट डेथ्स" रिपोर्ट जारी की 188
6.6.5. विश्व जनसंख्या स्थिति, 2024 रिपोर्ट. . . . 189
6.7. विविध 190
6.7.1. लिव-इन रिलेशनशिप. . . . 190
6.7.2. खेलों में डोपिंग. . . . 191
6.8. प्रश्नोत्तरी 193

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

7.1. जैव-प्रौद्योगिकी 196
7.1.1. मानव जीनोम अनुक्रमण 196
7.1.2. जीन थेरेपी 197
7.2. IT और कंप्यूटर 199
7.2.1. इंडिया AI मिशन 199
7.2.1.1. स्वास्थ्य देखभाल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता 200
7.2.2. 3D प्रिंटिंग 201
7.2.3. सबमरीन केबल सिस्टम 202
7.3. अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी. . . . 203
7.3.1. हिग्स बोसॉन 203
7.3.2. घोस्ट पार्टिकल्स. . . . 204
7.3.3. अंतरिक्ष मलबे 205
7.3.4. सौर तूफान (भू-चुंबकीय तूफान) 206
7.3.5. अंतरिक्ष पर्यटन 208
7.4. स्वास्थ्य 209
7.4.1. ट्यूबरक्लोसिस (TB) 209
7.4.2. सर्वाइकल कैंसर 210
7.4.3. ग्लाइसेमिक इंडेक्स. . . . 211
7.4.4. मैग्नेटिक रेज़ोनेंस इमेजिंग (MRI) प्रौद्योगिकी. . . . 212
7.5. विविध 213
7.5.1. फास्ट ब्रीडर रिएक्टर. . . . 213
7.5.2. एग्रीटेक 214
7.5.2.1. कृषि क्षेत्रक में नैनोटेक्नोलॉजी 215
7.5.3. मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल (MIRV) तकनीक. . . . 216
7.5.4. सेटेलाइट-आधारित टोल संग्रहण प्रणाली 217
7.6. प्रश्नोत्तरी 219

संस्कृति

8.1. स्थापत्य कला 222
8.1.1. स्मारकों को संरक्षित सूची से हटाना. . . . 222
8.2. व्यक्तित्व 224
8.2.1. भगवान महावीर जैन 224
8.2.2. लचित बोरफुकन 225
8.2.3. नाना जगन्नाथ शंकरसेठ 227
8.2.4. अय्या वैकुंड स्वामीकल. . . . 228
8.3. भारत में जनजातियां. . . . 229
8.3.1. सोलिगा जनजाति 229
8.3.2. शोम्पेन जनजाति 229
8.3.3. लुशाई जनजाति. . . . 229
8.3.4. डेडा विधि. . . . 230
8.4. ऐतिहासिक घटनाएं 231
8.4.1. वायकोम सत्याग्रह. . . . 231
8.4.2. रंगभेद व्यवस्था 232
8.5. विविध 234
8.5.1. जियो-हेरिटेज साइट्स. . . . 234
8.5.2. मध्य प्रदेश के छह सांस्कृतिक धरोहर स्थल यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किए गए 236
8.5.3. यूनेस्को के "मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड (MOW)-एशिया-पैसिफिक रीजनल रजिस्टर" 236
8.5.4. 10 नए उत्पादों को GI टैग मिला 237
8.5.5. भारत में बुनाई की शैलियां. . . . 238
8.5.6. वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी. . . . 240

8.5.7. पड़ता बेट 240
8.5.8. तेलंगाना में नए पुरातत्व स्थल 240
8.5.9. कला के विभिन्न रूप और डिजिटल प्रौद्योगिकियां . . . 240
8.5.10. अवार 241

8.6. प्रश्नोत्तरी 242

नीतिशास्त्र

9.1. खुशहाली 245

9.2. बुनियादी जरूरतें और दुर्लभ संसाधन 247

9.3. धार्मिक विश्वास और वैज्ञानिक प्रगति 248

9.4. खाद्य सेवा और सुरक्षा की नैतिकता 249

9.5. राजनीतिक नैतिकता और हितों का टकराव 250

9.6. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नैतिक उपयोग 252

9.7. नैतिकता और उद्यमिता 254

9.8. कम्पैशनेट कैपिटलिज्म या परोपकारी पूंजीवाद 255

9.9. दंड की नैतिकता 256

9.10. प्रश्नोत्तरी 257

राजव्यवस्था (POLITY)

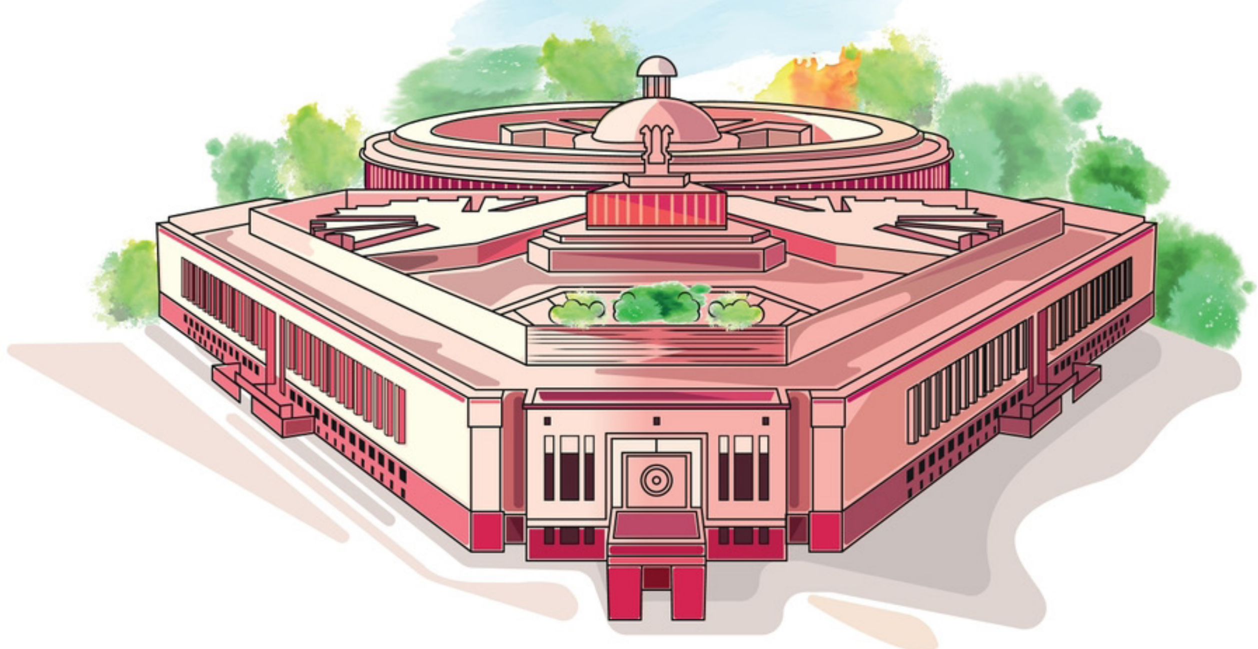

विषय-सूची

1.1. भारतीय संविधान, प्रावधान एवं मूल संरचना . . . 9
- 1.1.1. समान नागरिक संहिता . . . 9
- 1.1.2. नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 . . . 10
- 1.1.3. अन्य पिछड़ा वर्गों (OBCs) की सूची . . . 11

1.2. संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां . . . 13
- 1.2.1. राजकोषीय संघवाद . . . 13
- 1.2.2. छठी अनुसूची . . . 14

1.3. भारत में चुनाव . . . 16
- 1.3.1. एक राष्ट्र, एक चुनाव . . . 16
- 1.3.2. नगरपालिका चुनाव . . . 17
- 1.3.3. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन-वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (EVM-VVPAT) . . . 18
- 1.3.4. मास मीडिया और चुनाव . . . 19

1.4. शासन (GOVERNANCE) . . . 21
- 1.4.1. शासन में सिविल सेवकों की भूमिका . . . 21
- 1.4.2. भारत में मंदिरों का विनियमन . . . 22
- 1.4.3. सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 . . . 23
- 1.4.4. इंटरनेट शटडाउन . . . 24

1.5. विविध . . . 26
- 1.5.1. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग . . . 26
- 1.5.2. स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 . . . 27

1.6. प्रश्नोत्तरी . . . 29

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

1.1. भारतीय संविधान, प्रावधान एवं मूल संरचना (INDIAN CONSTITUTION, PROVISIONS AND BASIC STRUCTURE)

1.1.1. समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code: UCC)

संदर्भ

हाल ही में, उत्तराखंड राज्य विधान सभा ने समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड, 2024 विधेयक पारित किया। विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने से यह अब कानून बन चुका है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

समान नागरिक संहिता (UCC) के बारे में

- UCC का आशय पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए **एक समान कानून** लागू करने से है। यह समान कानून **सभी धार्मिक समुदायों** के विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने, उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान रूप से लागू होगा।
  - **गोवा** भारत का एकमात्र राज्य है जहां पहले से ही सामान्य नागरिक संहिता लागू है। यह UCC से अलग है और **पुर्तगाली नागरिक संहिता (Portuguese Civil Code), 1867** के रूप में मजूद है।
- **भारत में लागू व्यक्तिगत कानून:**
  - **हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (Hindu Succession Act), 1956:** यह कानून हिन्दू, सिख, जैन एवं बौद्ध समुदाय पर लागू होता है।
  - **मुस्लिम पर्सनल लॉ**: यह मुस्लिम समुदाय पर लागू होता है। और
  - **भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम (Indian Succession Act), 1925:** यह ईसाई, पारसी और यहूदी समुदाय पर लागू होता है।
  - **विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act: SMA):** इसके तहत अंतरधार्मिक विवाह (Interfaith marriage) को मान्यता दी गई है। इसके अलावा, इसमें मैरिज ऑफिसर द्वारा विवाह के पंजीकरण का भी प्रावधान है।

समान नागरिक संहिता पर महत्वपूर्ण निर्णय और समितियों की सिफारिशें

- **शाह बानो वाद (1985):** सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से गुजारा भत्ता के मामले में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर जोर दिया।
- **सरला मुद्गल वाद (1995):** सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग धर्मों के बीच लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए समान नागरिक की वकालत की।
- **पाउलो कोटिन्हो बनाम मारिया लुइज़ा वैलेंटिना परेरा वाद (2019):** सुप्रीम कोर्ट ने एकरूपता के लिए समान कानूनों की आवश्यकता पर जोर दिया।
- **विधि आयोग (2018):** अब समान नागरिक संहिता की आवश्यकता नहीं है, मौजूदा कानूनों में संशोधन किया जाए।

विश्लेषण

UCC के पक्ष में तर्क

- **इससे संबंधित प्रावधान भारत के संविधान में दिए गए हैं।** राज्य की नीति के निदेशक तत्वों (DPSPs) के तहत **अनुच्छेद 44** में UCC का प्रावधान किया गया है।
- **इससे पंथनिरपेक्षता को बढ़ावा मिलता है।** UCC के लागू होने से **पंथनिरपेक्ष राष्ट्र के सिद्धांतों को बनाए रखा** जा सकेगा।
- **UCC से राष्ट्रीय एकता और एकीकरण को बढ़ावा मिलता है।** UCC धार्मिक और सामुदायिक विभाजनों को समाप्त करके **राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है।**
- **इसके लागू होने से लैंगिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा।** UCC को लागू करके कुछ धार्मिक वैयक्तिक (पर्सनल) कानूनों में व्याप्त लैंगिक रूप से **भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त** किया जा सकेगा।
- **UCC से कानूनों का सरलीकरण संभव हो पाएगा।** UCC विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार आदि से संबंधित **जटिल कानूनों को सरल** बनाएगा।
- **यह व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध करता है।** ऐसे कानूनों को संहिताबद्ध करके निष्पक्षता जैसे सार्वभौमिक सिद्धांत स्थापित किए जा सकते हैं। साथ ही, इससे कानूनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा; न्याय तक पहुंच को बढ़ावा मिलेगा और विवादों को प्रभावी ढंग से हल किया जा सकेगा।

UCC के खिलाफ तर्क

- UCC को लागू करने से देश के **विविध समुदायों की सांस्कृतिक एवं धार्मिक पहचान कमजोर** हो सकती है। इससे **अनुच्छेद 25** में उल्लिखित **धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन** हो सकता है।
- सभी समुदायों की **सहमति व समझौते के बिना UCC लागू करने से सामाजिक अशांति पैदा** हो सकती है।
- कई विशेषज्ञों के अनुसार UCC, राज्यों की विधायी क्षमता का अतिक्रमण कर सकता है। इससे **सहकारी संघवाद के सिद्धांतों का उल्लंघन** हो सकता है।

आगे की राह

- सरकार को लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए UCC के संदर्भ में धार्मिक नेताओं एवं सामुदायिक प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारकों के साथ तर्कपूर्ण वार्ता करनी चाहिए।
- सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि **UCC को राजनीतिक लाभ के एक साधन के रूप में लागू** नहीं किया जाए और इसका कार्यान्वयन गैर-पक्षपातपूर्ण और समावेशी तरीके से किया जाए।
- विवाह की न्यूनतम आयु में संशोधन जैसे **क्रमिक उपायों** के आधार पर धार्मिक प्रथाओं के भीतर आंतरिक सुधार को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- **मौजूदा पर्सनल लॉ की समीक्षा करके उन्हें** समान नागरिक संहिता के अनुरूप किया जाना चाहिए ताकि न्याय, समानता और भेदभाव-रहित सिद्धांतों के आधार पर सभी के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए।

1.1.2. नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 {CITIZENSHIP (AMENDMENT) RULES, 2024}

संदर्भ

गृह मंत्रालय ने **नागरिकता नियम, 2009 में संशोधन** किया है और **नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024** को अधिसूचित किया है। ऐसा **नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 को लागू** करने के उद्देश्य से किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य के लिए अवश्य पढ़िए:

कक्षा XI की एनसीईआरटी पुस्तक "राजनीतिक सिद्धांत" का अध्याय 6

विश्लेषण

नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

पात्रता	पंजीकरण/ देशीयकरण के तहत भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है: › **भारतीय मूल** का व्यक्ति, › किसी भारतीय नागरिक से **शादी करने वाली महिला या पुरुष,** › भारतीय नागरिक की **नाबालिग संतान,** › वह व्यक्ति जिसके **माता-पिता भारतीय नागरिक** के रूप में पंजीकृत हैं, › वह व्यक्ति जिसके माता या पिता में से कोई एक **स्वतंत्र भारत की/ का नागरिक** रही/ रहा है, › **OCI कार्डधारक** के रूप में पंजीकृत व्यक्ति।
देशीयकरण द्वारा नागरिकता के लिए अन्य पात्रताएं	नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को आवेदन में दिए गए **विवरण की सत्यता को प्रमाणित करने वाला एक शपथ-पत्र** दाखिल करना होगा। साथ ही, उस आवेदक के चरित्र की गवाही देने के लिए **किसी भारतीय नागरिक द्वारा एक शपथ-पत्र प्रस्तुत** करना होगा। आवेदक को भारतीय संविधान की **आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं में से किसी एक भाषा का पर्याप्त ज्ञान** होना चाहिए।
राष्ट्रीयता का प्रमाण	नियमों में मूल देश को साबित करने के लिए **दस्तावेजों की आवश्यकता में छूट** दी गई है। आवेदक अब भारत में प्रवेश के प्रमाण के रूप में **20 अलग-अलग दस्तावेज** प्रस्तुत कर सकते हैं। इन दस्तावेजों में **वीजा, आवासीय परमिट, जनगणना पर्ची, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड** आदि शामिल हैं।
दूसरे देश की नागरिकता का त्याग करना	आवेदक को एक घोषणा-पत्र भी सौंपना होगा। इसमें इस बात का उल्लेख होगा कि यदि आवेदक का भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मंजूर हो जाता है, तो उसके **अपने देश की नागरिकता समाप्त** मानी जाएगी।
प्राधिकारी जिसके पास नागरिकता के लिए आवेदन करना है	**नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6B के तहत,** नागरिकता के लिए आवेदन **जिला स्तरीय समिति** के माध्यम से **अधिकार प्राप्त समिति (Empowered Committee)** को इलेक्ट्रॉनिक रूप में करना होगा। **जिला स्तरीय समिति** के बारे में केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करेगी।

CAA, 2019 और संबंधित नियमों की आवश्यकता क्यों है?

- **मानवाधिकार संबंधी पहलू:** यह अधिनियम **उत्पीड़ित व्यक्तियों को राहत प्रदान करके** तथा जीवन और स्वतंत्रता के उनके अधिकारों की सुरक्षा करके **मानवाधिकारों के सिद्धांतों** को बरकरार रखता है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाना:** इस अधिनियम का उद्देश्य **अवैध प्रवासियों और उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों** के बीच अंतर स्पष्ट करना है।
- **विभाजन के समय से पीड़ित लोगों को राहत प्रदान करना:** ज्ञातव्य है कि **पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश** के संविधान **राष्ट्र विशिष्ट धर्म का प्रावधान** करते हैं। इसके परिणामस्वरूप हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के कई लोगों को इन देशों में धर्म के आधार पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है।

उठाई गई चिंताएं

- **देशों का वर्गीकरण:** अन्य पड़ोसी देशों, जैसे- **श्रीलंका (बौद्ध धर्म राजकीय धर्म है)** और **म्यांमार (बौद्ध धर्म की प्रधानता)** के प्रवासियों को शामिल नहीं किया गया है।
- **प्रवासन का आधार:** CAA नियम, 2024 के तहत यह साबित करने या जांचने के लिए कोई फॉर्मूला निर्धारित नहीं किया गया है कि आवेदक को उत्पीड़न या उत्पीड़न के भय से भारत में प्रवेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा था।

- **संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन:** CAA से मुसलमानों, यहूदियों और अनीश्वरवादियों (Atheists) को बाहर रखने को संविधान के अनुच्छेद 14 व पंथनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन बताया गया है।
- **प्रवेश की तिथि के आधार पर वर्गीकरण:** CAA में प्रवासियों के साथ भारत में उनके प्रवेश की तारीख के आधार पर विभेद किया गया है, यानी क्या उन्होंने 31, दिसंबर 2014 से पहले या उसके बाद भारत में प्रवेश किया था।
- **बाहरी संबंधों पर प्रभाव:** संशोधन का तात्पर्य यह हो सकता है कि **पड़ोसी देशों में बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यकों का धार्मिक आधार पर उत्पीड़न** किया जा रहा है। इससे संभावित रूप से पड़ोसी देशों के साथ तनाव बढ़ सकता है।

निष्कर्ष

उल्लेखनीय है कि संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों की चिंताओं को दूर करना है। इसलिए, एक व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए मुद्दों का समाधान करना अति आवश्यक है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 के बारे में

- लक्षित प्रवासी समूह को नागरिकता प्रदान करना, भले ही उनके पास नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार वैध यात्रा दस्तावेज न हों।
- इस संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि **जो अवैध प्रवासी निम्नलिखित चार शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें अधिनियम के तहत अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा:**
  - वे **हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई धर्म** से हों;
  - वे **अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश** से आये हों;
  - उन्होंने **31, दिसंबर 2014** को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया हो; तथा
  - वे संविधान की **छठी अनुसूची** में शामिल **असम, मेघालय, मिजोरम** और **त्रिपुरा** के कुछ आदिवासी क्षेत्रों या **'इनर लाइन' परमिट (अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड)** के तहत आने वाले **क्षेत्रों में नहीं आते** हों।
- उपर्युक्त प्रवासियों के लिए **देशीयकरण (Naturalisation) के जरिए नागरिकता लेने की अवधि 11 वर्ष** से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है।

1.1.3. अन्य पिछड़ा वर्गों (OBCs) की सूची {OTHER BACKWARD CLASSES (OBCs) LIST}

संदर्भ

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **OBCs की राज्य सूची की समीक्षा** कर रहा है।

- NCBC के अनुसार, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की OBC सूचियों में ऐसे समुदायों की उपस्थिति देखी गई है, जो OBC सूची में शामिल किए जाने के पात्र नहीं हैं।
- NCBC **केरल, ओडिशा, बिहार, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में OBC सूचियों की समीक्षा** करने की भी योजना बना रहा है। इस कदम का उद्देश्य **आरक्षण की 50 प्रतिशत की ऊपरी सीमा के भीतर OBC आरक्षण सुनिश्चित** करना है।

विश्लेषण

OBCs और OBCs की सूची के बारे में

- **परिभाषा: भारतीय संविधान** में OBC की कोई मानक परिभाषा नहीं है। **सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs)** को सामान्यतः **अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs)** के रूप में जाना जाता है।
- **OBCs की सूची:** वर्तमान में, प्रत्येक राज्य के लिए **OBCs की दो सूचियां होती** हैं। एक सूची **केंद्रीय स्तर** की होती है जिसका निर्माण केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किया जाता है। दूसरी सूची **राज्य स्तर** की होती है जिसका निर्माण राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किया जाता है।
  - **केंद्रीय सूची:** संविधान का **अनुच्छेद 342A (1)** राष्ट्रपति को (राज्य के राज्यपाल के परामर्श से) किसी विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में **OBC की केंद्रीय सूची** निर्दिष्ट करने के लिए अधिकृत करता है।
  - **OBC की केंद्रीय सूची में कोई भी संशोधन केवल संसद द्वारा** ही किया जा सकता है।
  - **राज्य सूची: अनुच्छेद 342A (3) प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश** को अपने उद्देश्यों के लिए SEBC प्रविष्टियों की एक सूची तैयार करने और उसमें बदलाव करने का अधिकार देता है। **यह सूची केंद्रीय सूची से अलग हो सकती है।**
- **OBCs के लिए आरक्षण:** संविधान के **अनुच्छेद 15 और 16** में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और लोक नियोजन (यानी सरकारी नौकरी आदि) में

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) के बारे में

- **संवैधानिक निकाय:** NCBC को **अनुच्छेद 338B** के तहत **संवैधानिक दर्जा** दिया गया है। यह अनुच्छेद 2018 में **102वें संविधान संशोधन अधिनियम** के माध्यम से संविधान में सम्मिलित किया गया था।
  - **अनुच्छेद 338B संघ** और प्रत्येक राज्य सरकार के लिए **OBC के अधिकारों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर** NCBC से परामर्श करने का प्रावधान करता है।
- **संरचना:** आयोग में **एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य (राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त)** शामिल होते हैं। उनकी सेवा शर्तें भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
- **शक्तियां:** आयोग के पास सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां हैं।

OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

- 1990 में, **मंडल आयोग की सिफारिशों** को मानते हुए भारत सरकार ने **केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों** और **केंद्र सरकार की सेवाओं** में **OBCs** के लिए **27 प्रतिशत आरक्षण** का प्रावधान लागू किया था।
- 1992 में, **इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ वाद में सुप्रीम कोर्ट ने OBC के लिए आरक्षण को बरकरार रखा** था। हालांकि शीर्ष न्यायालय ने **"क्रीमी लेयर"** की अवधारणा देते हुए इस श्रेणी में आने वाले आर्थिक रूप से सशक्त लोगों को आरक्षण का लाभ प्रदान करने से वंचित कर दिया।

OBCs की उन्नति के लिए गठित आयोग

- **अनुच्छेद 340** के तहत, राष्ट्रपति **सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए** आयोग की नियुक्ति कर सकता है। साथ ही, राष्ट्रपति **उनकी स्थिति में सुधार लाने** तथा किसी भी **समस्या को दूर करने के लिए** राज्य द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की **सिफारिश** कर सकता है।
- सरकार ने OBC की स्थितियों की जांच के लिए **1953 में कालेलकर आयोग** और **1979 में मंडल आयोग** का गठन किया था।
  - ज्ञातव्य है कि कालेलकर आयोग की सिफारिशों को कभी लागू नहीं किया गया।
- 2017 में राष्ट्रपति ने OBCs जाति समूहों के उप-वर्गीकरण की जांच करने के लिए **न्यायमूर्ति जी. रोहिणी** की अध्यक्षता में **रोहिणी आयोग** का गठन किया था। इसका उद्देश्य भारत में OBC के बीच **आरक्षण लाभों का अधिक न्यायसंगत वितरण** सुनिश्चित करना है।
  - आयोग ने **2023 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत** की। हालांकि, इसे **अभी तक लागू नहीं** किया गया है।

NCBC के कर्तव्य

- पिछड़े वर्गों के लिए रक्षोपायों की जांच और निगरानी करना
- पिछड़े वर्गों द्वारा अधिकारों से वंचित होने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना
- OBCs के सामाजिक-आर्थिक विकास पर सलाह देना और उनकी प्रगति का मूल्यांकन करना
- OBCs की उन्नति के संबंध में ऐसे अन्य कार्य करना, जो राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्दिष्ट करे
- पिछड़े वर्गों के लिए रक्षोपायों को लागू करने के संबंध में राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करना और सिफारिशें करना

1.2. संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां (ISSUES AND CHALLENGES PERTAINING TO THE FEDERAL STRUCTURE)

1.2.1. राजकोषीय संघवाद (FISCAL FEDERALISM)

संदर्भ

हाल ही में, कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय संसाधनों के बंटवारे के संबंध में विवाद को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

अन्य संबंधित तथ्य के लिए अवश्य पढ़िए:

कक्षा X की एनसीईआरटी पुस्तक "लोकतांत्रिक राजनीति भाग – 2' का अध्याय 2

विश्लेषण

केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों से जुड़े विवाद या मुद्दे

- **राज्यों पर उधार/ ऋण लेने की सीमा:** केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्यों द्वारा ऋण/ उधार लेने की सीमा को उनके **सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 3% पर सीमित** कर दिया है। यह सीमा **15वें वित्त आयोग** की सिफारिशों के अनुसार आरोपित की गई है।
- **ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन (Vertical fiscal imbalance):** कर की दरों को बढ़ाने की शक्ति काफी हद तक केंद्र सरकार के पास है (जैसे- आयकर, CGST, सीमा शुल्क, विदेशी लेन-देन पर कर, प्राकृतिक संसाधनों से आय आदि)। दूसरी ओर, GST लागू होने के बाद राज्य सरकारें केवल वस्तुओं व सेवाओं के उपभोग पर कर लगा सकती हैं (SGST)।
- **विकासात्मक व्यय (Developmental expenditure) का बोझ:** RBI ने बजटीय व्यय को **'विकासात्मक'** (सामाजिक-आर्थिक सेवाओं पर व्यय) और **'गैर-विकासात्मक'** (ब्याज भुगतान, पेंशन, सब्सिडी आदि) के रूप में वर्गीकृत किया है।
  - GDP के अनुपात के रूप में, सभी राज्य सरकारों का संयुक्त विकासात्मक व्यय **2004-05 में 8.8%** था, जो 2021-22 में बढ़कर **12.5%** हो गया था।
- **केंद्र से राज्य सरकारों को राजकोषीय हस्तांतरण:** पिछले कुछ वर्षों में, कुछ राज्यों के मामले में केंद्रीय वित्त आयोग से कर हस्तांतरण का हिस्सा कम हो गया है।
- **उपकर (Cess) से प्राप्त राजस्व को राज्यों के साथ साझा न करना:** 2017-18 और 2022-23 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रमुख **उपकरों और अधिभारों (Surcharges) के संग्रह में 133% की वृद्धि** हुई है। यह राशि कुल करों का लगभग 25% है, लेकिन इसे राज्यों के साथ साझा नहीं किया गया है।
- **सहायता अनुदान में कमी:** 2015-16 में राज्यों को 1,95,000 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान मिला था, जो 2023-24 में कम होकर 1,65,000 करोड़ रुपये हो गया था।
- **केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्यों की हिस्सेदारी को बढ़ाया जाना:** केंद्र प्रायोजित योजनाओं के निर्माण में राज्यों की कोई भूमिका नहीं होती है। हालांकि, ऐसी योजनाओं को लागू करने के लिए केंद्र सरकार बहुत कम यानी आंशिक वित्त-पोषण करती है, जबकि अधिकतर हिस्से का वित्त-पोषण राज्यों को करना पड़ता है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

राजकोषीय संघवाद के बारे में

- भारतीय परिप्रेक्ष्य में **संघीय प्रणाली के भीतर निधियों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का संघ, राज्य एवं स्थानीय सरकारों** द्वारा साझाकरण ही **राजकोषीय संघवाद** है।
- राजकोषीय संघवाद को अक्सर निम्नलिखित **तीन व्यापक सिद्धांतों- राजकोषीय समतुल्यता, विकेंद्रीकरण प्रमेय, समनुषंगिता का सिद्धांत से जोड़कर देखा जाता है।**

राज्य सरकार के राजस्व के स्रोत

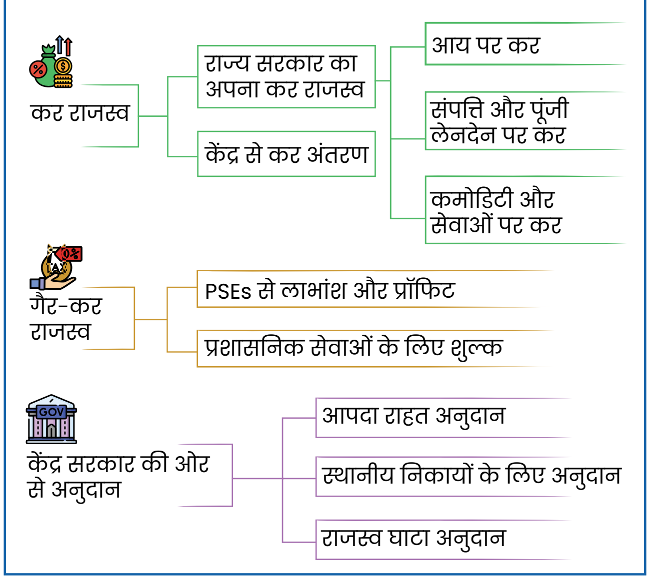

भारत में "राजकोषीय संघवाद" व्यवस्था को परिभाषित करने वाले संवैधानिक प्रावधान

- **सातवीं अनुसूची:** संविधान के तहत **संघ** और **राज्यों** के बीच कर आधारों का उल्लेख **(अनुच्छेद 246)।**

आगे की राह

- **16वें वित्त आयोग की भूमिका:** जनसांख्यिकीय संक्रमण, आंतरिक एवं बाह्य प्रवासन, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न संकट जैसे **राज्य-विशिष्ट मुद्दों से निपटने के लिए 16वें वित्त आयोग के साथ विशेष चर्चा करने की आवश्यकता है।** इससे राज्यों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें फंड ट्रांसफर किया जा सकेगा।
- **बजटेतर उधारियों (Off-budget borrowings) की समीक्षा:** संघ और राज्यों, दोनों की बजट से इतर उधार लेने की व्यवस्था की समीक्षा करने की आवश्यकता है।
- **क्षैतिज (Horizontal) असंतुलन को दूर करना:** राज्यों की जनसंख्या को ध्यान में न रखते हुए राज्यों को निश्चित व न्यूनतम वित्तीय संसाधनों का हस्तांतरण जरूरी है, लेकिन समृद्ध राज्यों को भी कर अंतरण में न्यूनतम हिस्सेदारी की गारंटी दी जानी चाहिए।
  - इसी प्रकार, निर्धन राज्यों को भी कर अंतरण के लिए एक सीमा तय की जानी चाहिए।
- **भारत में राजकोषीय संघवाद का मार्गदर्शन करने वाले प्रमुख सिद्धांतों में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - वित्तीय मामलों में केंद्र और राज्यों, दोनों को **स्वायत्त** होना चाहिए। किसी को भी अपने वित्त के लिए **एक-दूसरे पर अनावश्यक रूप से निर्भर नहीं रहना चाहिए;**
  - केंद्र और राज्यों, दोनों को अपने वैध खर्चों को पूरा करने के लिए **पर्याप्त धनराशि/ कर जुटाने में सक्षम होना चाहिए;**
  - यदि व्यय में वृद्धि हो रही है, तो **आय बढ़ाने पर ध्यान** दिया जाना चाहिए आदि।

- **राजस्व का वितरण:**
  - **अनुच्छेद 269:** संघ द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले, लेकिन **पूरी तरह से राज्यों को सौंपे जाने वाले कर।**
  - **अनुच्छेद-269A:** अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान **वस्तु और सेवा कर।**
  - **अनुच्छेद 270:** संघ द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले, लेकिन **जब तक वित्त आयोग का गठन नहीं किया जाता तब तक राष्ट्रपति के आदेश पर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर।**
- **सहायता अनुदान (Grants-in-Aid):** केंद्र **अनुच्छेद 275** के तहत राज्यों को **सहायता अनुदान** प्रदान करता है।
- **ऋण:**
  - **अनुच्छेद 292** के अनुसार, केंद्र सरकार के पास देश के अंदर (घरेलू स्रोतों से) या बाहर से धन उधार लेने की शक्ति है।
  - **अनुच्छेद 293** के तहत राज्य सरकारें केवल घरेलू स्रोतों से (विदेश से नहीं) ही ऋण ले सकती हैं।
- **अनुच्छेद 280** में संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण के लिए **वित्त आयोग के गठन का प्रावधान** किया गया है।

1.2.2. छठी अनुसूची (SIXTH SCHEDULE)

संदर्भ

लद्दाख को भारतीय संविधान की **छठी अनुसूची** के तहत **जनजातीय क्षेत्र** के रूप में मान्यता देने के लिए वहां के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

विश्लेषण

छठी अनुसूची में शामिल होने पर लद्दाख को मिलने वाले लाभ

- **स्थानीय मुद्दों का समाधान करना:** ADCs से लद्दाख के विशेष मुद्दों (जैसे- पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन प्रबंधन और सतत विकास पद्धतियों) का समाधान किया जा सकता है।
- **परंपराओं के संरक्षण के लिए उपाय:** लद्दाख की अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक रीति-रिवाजों को मान्यता मिलेगी। साथ ही, उन्हें कानूनी रूप से संरक्षित भी किया जाएगा।
- **संसाधन प्रबंधन:** ADCs का **अपने अधिकार-क्षेत्र के भीतर खनिज संसाधनों** पर अधिक नियंत्रण होगा। इससे वे उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकेंगी।
- **रोजगार के अवसर:** लद्दाख के लोगों के लिए **सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण बढ़ाया** जा सकेगा। इससे स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
- **भूमि संबंधी और वन अधिकारों की रक्षा:** छठी अनुसूची जनजातीय समुदायों (बाल्टी, बेदा, ड्रोक्पा आदि) के भूमि संबंधी और वन अधिकारों की रक्षा करेगी तथा उन्हें अलगाव से बचाएगी।

लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा देने से जुड़े मुद्दे

- **वित्तीय व्यवहार्यता:** स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) की स्थापना और संचालन के लिए महत्त्वपूर्ण वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है।
- **अंतर-सामुदायिक गतिशीलता:** छठी अनुसूची के दायरे में लेह में

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

छठी अनुसूची के प्रावधान

- छठी अनुसूची यानी संविधान के **अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1)** के तहत **असम, मेघालय, त्रिपुरा** और **मिजोरम** में **जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन** संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान इन **चार राज्यों** के राज्यपालों को अपने-अपने राज्य में **स्वायत्त जिला परिषदें (ADCs)** और **स्वायत्त प्रादेशिक परिषदें (ARCs)** गठित करने का अधिकार देते हैं।
- **छठी अनुसूची ने ADCs और ARCs को "विधायी, कार्यकारी एवं न्यायिक" शक्तियां प्रदान की है।**

बहुसंख्यक बौद्ध और कारगिल में बहुसंख्यक मुस्लिम समुदायों के हितों को संतुलित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

- **राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी सरोकार:** लद्दाख की संवेदनशील सीमावर्ती अवस्थिति इस चिंता को जन्म देती है कि यदि लद्दाख को अधिक स्वायत्तता दी गई, तो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर लद्दाख व केंद्र के बीच समन्वय में जटिलता आ सकती है।

निष्कर्ष

लद्दाख के प्रतिनिधियों, राजनेताओं और केंद्र सरकार को शामिल करते हुए आपसी संवाद शुरू करना महत्वपूर्ण है। लद्दाख के विकास की कुंजी एक ऐसा समाधान खोजने में निहित है, जो व्यापक राष्ट्रीय ढांचे पर विचार करते हुए लद्दाख की विशिष्ट पहचान और आकांक्षाओं का सम्मान करता हो। सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए खुला संचार और अन्य विकल्प तलाशने की जरूरत है।

पांचवी और छठी अनुसूची

विशेषताएं	पांचवी अनुसूची	छठी अनुसूची
कहां लागू	यह भारत के किसी भी राज्य के कुछ जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है (वर्तमान में 10 राज्यों में)	यह भारत के चार पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है
प्रशासन	जनजातीय सलाहकार परिषद (Tribal Advisory Council: TAC)	जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद
प्रशासनिक शक्ति	राज्यों की विधान सभा का गठन होने के कारण TAC के पास सीमित शक्तियां हैं, जो अधिकतर कार्यकारी हैं	परिषद को कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियों सहित व्यापक शक्तियां प्राप्त है। ये सभी शक्तियां संविधान से प्राप्त हुई हैं
मुख्य कार्य	जनजातीय अधिकारों की सुरक्षा पर बल देना	स्वशासन पर अधिक बल
पेसा (PESA) अधिनियम, 1996	लागू है	लागू नहीं है

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
A.I.T.S
GS PRELIMS TEST SERIES 2025
ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, अभ्यास और मेंटरिंग के साथ बेहतर प्रदर्शन के लिए एक इनोवेटिव मूल्यांकन प्रणाली
30 टेस्ट
5 फंडामेंटल टेस्ट | 15 एप्लाइड टेस्ट
10 फुल लेंथ टेस्ट
ENGLISH MEDIUM 2025: 3 NOVEMBER
हिन्दी माध्यम 2025: 3 नवंबर

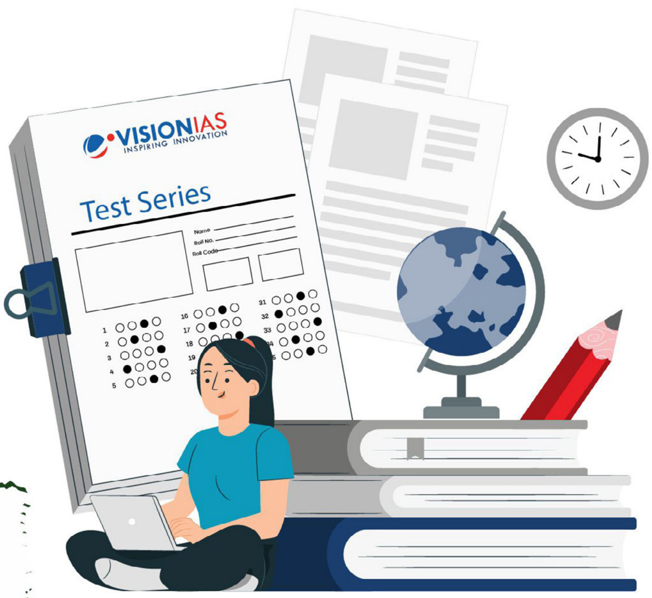

1.3. भारत में चुनाव (ELECTIONS IN INDIA)

1.3.1. एक राष्ट्र, एक चुनाव (ONE NATION ONE ELECTION)

संदर्भ

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" को लेकर केंद्र सरकार द्वारा गठित उच्च-स्तरीय समिति (HLC) ने **राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी** दी है।

विश्लेषण

एक साथ चुनाव कराने की आवश्यकता क्यों है?

- **प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि:** राज्य और स्थानीय चुनावों में शिक्षकों, सुरक्षा कर्मियों आदि की लगातार तैनाती को कम करके।
- **विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद:** चुनाव आचार संहिता के बार-बार लागू होने से चुनाव वाले क्षेत्रों/राज्य में विकास संबंधी कार्यक्रम रुक जाते हैं।
- **सरकारी व्यय की बचत:** उदाहरण के लिए, 2024 के आम चुनावों पर केंद्र सरकार का कुल खर्च 5,000 करोड़ रुपये से अधिक था।
- **मतदान में वृद्धि:** उदाहरण के लिए, 1999 में, आम चुनाव के साथ-साथ कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश विधान सभाओं के एक साथ चुनाव होने से मतदान में 11.5% की वृद्धि दर्ज की गई।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

एक साथ चुनाव के बारे में

- यह **लोक सभा, सभी राज्य विधान सभाओं और स्थानीय निकायों यानी नगर पालिकाओं एवं पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने** की व्यवस्था है। ऐसा होने पर किसी **विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता** इन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन मतदान कर सकेंगे।
  - एक साथ चुनाव का आशय यह नहीं है कि **संपूर्ण देश में इन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन मतदान हो।**

निम्नलिखित ने भी एक साथ चुनाव कराने के विचार का समर्थन किया है:

- **भारतीय विधि आयोग:** विधि आयोग ने 1999 की 170वीं रिपोर्ट, 2015 की 255वीं रिपोर्ट, तथा 2018 की मसौदा रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी।
- **2002 में संविधान के काम-काज की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग:** इस आयोग ने भी देश में एक साथ चुनावों की सिफारिश की थी।
- **2015 में संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट:** इस रिपोर्ट में भी यही सिफारिश की गई थी।
- **नीति आयोग:** आयोग ने अपने वर्किंग पेपर (2017) में एक साथ चुनाव कराने के विचार का समर्थन किया था

एक साथ चुनाव कराने से संबंधित मुद्दे/ समस्याएं और समिति द्वारा की गई सिफारिशें

मुद्दे/ समस्याएं	समिति का अवलोकन/ सिफारिशें
एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन करने संबंधी कानूनी चुनौतियां	**इस चुनौती से निपटने के लिए दो चरणों वाली व्यवस्था:** » पहले चरण में **लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनाव एक साथ** कराने पर विचार किया जाना चाहिए। ◊ इसके लिए, एक **संविधान संशोधन विधेयक** प्रस्तुत किया जाएगा। इस विधेयक के जरिए संविधान के **अनुच्छेद 83** (संसद के सदनों की अवधि) और **अनुच्छेद 172** (राज्य विधान मंडल की अवधि) में संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा, संविधान में **अनुच्छेद 82A** को भी जोड़ा जाएगा। » दूसरे चरण में **नगर-पालिका और पंचायत चुनाव भी लोक सभा व राज्य विधान सभाओं के चुनावों के सौ दिनों के भीतर** कराने पर विचार किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए एक और **संविधान संशोधन विधेयक** प्रस्तुत किया जाएगा। ◊ उपर्युक्त व्यवस्था के लिए संविधान में **अनुच्छेद 324A को शामिल** करना होगा। हालांकि, इसके लिए **राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता** होगी। » **अनुच्छेद 324A:** नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनावों को एक साथ कराने से संबंधित। ◊ संविधान के **अनुच्छेद 325** में संशोधन किया जाएगा। **एकल मतदाता सूची और मतदाता के एकल फोटो पहचान-पत्र** को सक्षम बनाने के लिए संशोधन किया जाएगा।

ट्रैमासिक रिविज़न

त्रिशंकु संसद/ विधान सभा एवं समय से पहले विघटन संबंधी मुद्दे	▸ **लोक सभा** में त्रिशंकु सदन या अविश्वास प्रस्ताव जैसी **स्थिति उत्पन्न होने पर नए सिरे से चुनाव** कराए जाने चाहिए। हालांकि, ये चुनाव केवल भंग लोक सभा के **शेष कार्यकाल के लिए** ही होने चाहिए। इसी प्रकार, **राज्यों के मामले में,** राज्य विधान सभाओं के लिए नए चुनाव कराए जाएंगे और जब तक उन्हें जल्द भंग नहीं किया जाता, तब तक **उनका कार्यकाल लोक सभा के पूर्ण कार्यकाल के अंत तक जारी** रहेगा।
राज्यों के चुनावों में बदलाव करने से राज्यों के अधिकारों का हनन होगा	▸ रिपोर्ट में संविधान के **अनुच्छेद 327** का उल्लेख करके इस चिंता को दूर करने का प्रयास किया गया है। यह अनुच्छेद संसद को, **संसद के प्रत्येक सदन और राज्य विधान-मंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान** करने का अधिकार देता है।
लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनावों में ताल-मेल (Synchronisation) बिठाना	▸ समिति ने प्रस्ताव दिया है कि **भारत का राष्ट्रपति** आम चुनाव के बाद लोक सभा की पहली बैठक की तारीख पर **एक अधिसूचना जारी** करे। इस अधिसूचना को चुनाव के समय में ताल-मेल बिठाने के लिए एक निर्धारित तिथि के रूप में तय किया जाना चाहिए। ▸ सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक **कार्यान्वयन समूह का गठन** किया जाना चाहिए।
EVMs व VVPATs सहित लॉजिस्टिक्स और श्रमबल से संबंधित मुद्दे	▸ **भारतीय निर्वाचन आयोग ने लॉजिस्टिक्स संबंधी व्यवस्था करने के लिए एक योजना बनाई है।** ▸ निर्वाचन आयोग **उपकरणों की खरीद के लिए पहले से अनुमान** लगा सकता है, जैसे- EVMs एवं VVPATs, मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों की तैनाती, अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं करना, आदि।

निष्कर्ष

'उच्च-स्तरीय समिति' का गठन भारत में चुनावों को एक साथ कराने पर सरकार द्वारा गंभीरता से विचार करने को दर्शाता है। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' हेतु व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों के साथ पारदर्शी एवं समावेशी संवाद के माध्यम से चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूर्ण है। इन हितधारकों में कानूनी विशेषज्ञ, राज्य सरकारें और अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

1.3.2. नगरपालिका चुनाव (MUNICIPAL ELECTIONS)

संदर्भ

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर चुनाव के परिणामों को अमान्य और रद्द घोषित कर दिया।

अन्य संबंधित तथ्य के लिए अवश्य पढ़िए

कक्षा XI की एनसीईआरटी पुस्तक "भारत का संविधान-सिद्धांत और व्यवहार' का अध्याय 8

विश्लेषण

निष्पक्ष और समय पर नगरपालिका चुनावों की आवश्यकता क्यों?

- **'फर्स्ट-माइल' कनेक्ट: भारत के 4,700 से अधिक शहरों में 87,000 से अधिक पार्षद हैं, जो प्रत्येक वार्ड में औसतन 4,300 से अधिक नागरिकों** का प्रतिनिधित्व करते हैं। पार्षद, वार्ड का एक निर्वाचित प्रतिनिधि होता है।
- **जमीनी स्तर की समस्याओं का समाधान करना:** समय पर चुनाव करवाने से स्थानीय कार्रवाई सुनिश्चित होगी, जो **21वीं सदी की मानव विकास संबंधी प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। इन प्राथमिकताओं में पर्यावरण की सुरक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, लैंगिक समानता और रोजगार एवं आजीविका** शामिल हैं।
- **फंड/ वित्त-पोषण का कुशल उपयोग:** उदाहरण के लिए- निर्वाचित पार्षदों की भूमिका **15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल हेतु नगरपालिकाओं के लिए आवंटित 26,000 करोड़ रुपये के फंड** के उपयोग में महत्वपूर्ण है।

नगरपालिका चुनाव संबंधी चुनौतियां

- **समय से चुनाव नहीं होना: सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022)** मामले में सुप्रीम कोर्ट के विशेष निर्देश के बावजूद राज्य सरकारें शहरी स्थानीय सरकारों के लिए समय पर चुनाव नहीं करा

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

शहरी स्थानीय निकाय (Urban Local Bodies: ULBs)

- **किसी नगर निगम में तीन प्राधिकरण होते हैं:** परिषद, स्थायी समिति और आयुक्त।
  - **परिषद:** इसमें **पार्षद** शामिल होते हैं। यह निगम की **विचार-विमर्श करने वाली और विधायी शाखा** है। इसका नेतृत्व **मेयर** करता है। उसकी **सहायता के लिए एक डिप्टी मेयर** होता है।
    - हालांकि, मेयर **नाममात्र का प्रमुख** होता है। उसे **शहर के प्रथम नागरिक के रूप में मान्यता** प्राप्त है।
  - **स्थायी समितियां:** ये समितियां परिषद के काम-काज को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाई जाती हैं, जो संख्या में बहुत अधिक होती हैं।
  - **नगर आयुक्त:** यह **परिषद और उसकी स्थायी समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने** के लिए जिम्मेदार होता है।
- भारतीय शहरों में **मुख्य रूप से आयुक्त मॉडल यानी 'मुख्य कार्यकारी के रूप में आयुक्त (Commissioner As Chief Executive: CACE)' मॉडल** का पालन किया जाता है। यह

रही हैं।

- 2015 से 2021 तक सभी राज्यों में **1,500 से अधिक नगरपालिकाओं में निर्वाचित परिषदें नहीं** थीं।
- **परिषद के गठन में देरी:** कर्नाटक में, 11 नगर निगमों में से अधिकांश में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद निर्वाचित परिषदों के गठन में 12-24 महीने की देरी पाई गई थी।
- **परिसीमन और आरक्षण:** कई बार राज्य सरकार परिसीमन प्रक्रिया में देरी करती है। इसके कारण परिषद के चुनावों में विलंब होता है।
- **मेयर के कार्यकाल में अनियमितता:** भारत में, **आठ सबसे बड़े शहरों में से पांच शहरों सहित देश के 17 प्रतिशत शहरों में मेयर के कार्यकाल की अवधि पांच वर्ष से कम है।**
- **राज्य निर्वाचन आयोग के पास शक्ति का अभाव:** राज्य निर्वाचन आयोग वार्ड की सीमाओं के परिसीमन को पूरा करने और महिलाओं के साथ-साथ वंचित समुदायों के लिए आरक्षण को अधिसूचित करने हेतु राज्य सरकारों पर निर्भर हैं।
- **मतदाताओं की उदासीनता:** नगरपालिका चुनावों में मतदान प्रतिशत लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनावों की तुलना में लगातार कम हो रहा है।
  - उदाहरण के लिए- 2020 में दिल्ली विधान सभा में 62.59 प्रतिशत मतदान हुआ था। यह स्थानीय परिषद चुनावों की तुलना में 11.85 प्रतिशत अधिक था।

आगे की राह

- **राज्य निर्वाचन आयोगों को सशक्त बनाना:** इन आयोगों को मजबूत करने और उन्हें पूरी चुनाव प्रक्रिया में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका देने से समय पर, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष नगरपालिका चुनाव सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।
  - राज्य निर्वाचन आयोगों को मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समितियों के चुनाव में शामिल किया जा सकता है।
- **परिसीमन की शक्ति:** प्रत्येक राज्य में वार्ड परिसीमन और आरक्षण प्रक्रिया के संचालन की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग या एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग के पास होनी चाहिए।
- **एकल मतदाता सूची:** उच्च स्तरीय समिति के सुझाव के अनुसार, एक साथ चुनाव कराने के लिए सरकार के सभी तीन स्तरों हेतु एक ही मतदाता सूची तैयार करनी चाहिए। इससे अलग-अलग एजेंसियों के कार्यों में डुप्लीकेशन और निरर्थकता की समस्या में कमी आएगी।

मॉडल मेयर मॉडल यानी **'प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कार्यकारी मेयर (Directly Elected Executive Mayor: DEEM)' मॉडल** के विपरीत है।

- **DEEM मॉडल:** इस **मॉडल** में मेयर अग्रणी होता है और उसके पास व्यापक कार्यकारी शक्तियां होती हैं।
- **CACE मॉडल:** इस मॉडल में **आयुक्त (Commissioner)** अग्रणी होता है और कार्यकारी शक्तियां उसी के पास होती हैं।

नगर निगम चुनाव के बारे में

- **नगर निगमों** के चुनाव, संबंधित राज्य सरकार के विधान-मंडल द्वारा बनाए गए **नगर निगम अधिनियम** के अनुसार होते हैं। हालांकि, नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों के चुनाव संबंधित **नगरपालिका अधिनियम** के अनुसार होते हैं।

नगरपालिकाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **नगरपालिकाओं की संरचना (अनुच्छेद 243R):** नगरपालिकाओं की सभी सीटें प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नगरपालिका क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से चयनित व्यक्तियों द्वारा भरी जाएंगी।
- **सीटों का आरक्षण (अनुच्छेद 243T):** इसमें संबंधित नगरपालिका अधिनियमों के अनुसार **पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और अन्य समूहों** के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी।
- **नगरपालिकाओं का कार्यकाल (अनुच्छेद 243U):** प्रत्येक नगरपालिका अपने **प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तारीख से पांच वर्ष** तक बनी रहेगी।
- **राज्य निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 243ZA):** यह नगरपालिकाओं के लिए **मतदाता सूची तैयार** करता है। साथ ही, **नगरपालिकाओं के सभी चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण** करता है।

1.3.3. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन-वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (EVM-VVPAT)

संदर्भ

हाल ही में, **एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत निर्वाचन आयोग और अन्य वाद (2024)** में सुप्रीम कोर्ट ने EVM में डाले गए वोट के साथ VVPAT पर्ची के 100% क्रॉस-सत्यापन कराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

अन्य संबंधित तथ्य के लिए अवश्य पढ़िए:

कक्षा IX की एनसीईआरटी पुस्तक "लोकतांत्रिक राजनीति भाग -1' का अध्याय 3

विश्लेषण

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **VVPAT का सत्यापन:** कोर्ट ने मतदाताओं के इस **मौलिक अधिकार को स्वीकार किया** कि उनका वोट सही ढंग से दर्ज किया जाए एवं उसकी गणना की जाए।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

EVM-VVPAT के बारे में

- **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) एक पोर्टेबल माइक्रोकंट्रोलर-आधारित उपकरण** है। इसे चुनाव प्रक्रिया को

- हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि **सभी VVPAT पर्चियों की गिनती करवाने या इन पर्चियों तक भौतिक रूप से पहुंच प्रदान करने की मांग, अधिकार के रूप में दावा नहीं है।**
- **पेपर बैलेट सिस्टम को फिर से अपनाना:** कोर्ट ने **पेपर बैलेट सिस्टम को फिर से शुरू करने को अस्वीकार** कर दिया। कोर्ट ने कहा कि EVMs सरल, सुरक्षित व उपयोगकर्ता अनुकूल हैं और चुनावों की सत्यनिष्ठा एवं निष्पक्षता को बनाए रखती हैं। साथ ही, VVPAT प्रणाली मत सत्यापन के सिद्धांत को मजबूत करती है। इस प्रकार EVM-VVPAT प्रणाली चुनाव प्रक्रिया की समग्र जवाबदेही में वृद्धि करती है।
- **EVM-VVPAT में जनता का विश्वास बढ़ाने का निर्देश:** इस संदर्भ में कोर्ट ने **निम्नलिखित दो निर्देश** जारी किए:
  - **सिंबल लोडिंग यूनिट (SLU) प्रोटोकॉल को मजबूत बनाना:** VVPAT में सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने पर, **SLU को कंटेनर्स में सील और सुरक्षित किया जाएगा।** इन कंटेनर्स पर उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।
    - **परिणाम घोषित होने के बाद कम-से-कम 45 दिनों तक इन सीलबंद कंटेनर्स** को EVMs के साथ **स्ट्रॉन्ग रूम** में रखा जाएगा।

आधुनिक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- इसे भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने **इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL)** के साथ मिलकर विकसित किया है। **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड:** यह **रक्षा मंत्रालय** के तहत कार्य करती है।
- EVM में दो यूनिट शामिल होती हैं: **कंट्रोल यूनिट** और **बैलेटिंग यूनिट।**
  - **बैलेटिंग यूनिट:** इसका उपयोग **वोट डालने** के लिए किया जाता है। यह **16 बटन** वाले कीबोर्ड की तरह कार्य करती है।
  - **कंट्रोल यूनिट:** इसे **मास्टर यूनिट** भी कहा जाता है, यह **मतदान/ पीठासीन अधिकारी** के पास रहती है।
  - **वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) के बारे में:** यह EVM का ही एक घटक है। यह मशीन सत्यापित करती है कि मतदाता का वोट उसी उम्मीदवार को गया है, जिसे उसने वोट दिया है।
- **VVPATs का पूर्ण रूप से उपयोग लोक सभा हेतु आम चुनाव 2019 में किया गया।**

EVM-VVPAT के लाभ

- यह बैटरी से चलती है। इसे चलाने के लिए **बाहर से बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं** होती है।
- यह **अवैध कागजी मतपत्रों की तरह ही अवैध वोटों पर रोक लगाती है।**
- EVM में **एक मिनट में अधिकतम केवल 4 वोट ही डाल** सकते हैं। इससे **बूथ कैप्चरिंग की घटना पर रोक** लगती है।
- कंट्रोल यूनिट पर "क्लोज/ Close" बटन दबाने के बाद इसमें मतदान करने की संभावना खत्म हो जाती है।
- किसी भी समय कंट्रोल यूनिट पर "टोटल/ Total" बटन दबाने पर, बटन दबाने के समय तक डाले गए **वोटों की कुल संख्या प्रदर्शित होती है, लेकिन किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, यह प्रदर्शित नहीं** होता है।
- प्री-प्रोग्रामिंग के जरिए **EVM में हेरफेर करना संभव नहीं है।**

निष्कर्ष

हमारे लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी नागरिकों की अभिव्यक्ति/ राय एवं पसंद को महत्त्व व सम्मान दिया जाए, नागरिकों एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा निर्वाचन तंत्र के बीच विश्वास और सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

1.3.4. मास मीडिया और चुनाव (MASS MEDIA AND ELECTION)

संदर्भ

हाल ही में, **भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI)** ने **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का नैतिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए** थे। आयोग ने यह कदम चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा सोशल मीडिया के दुरुपयोग करने की घटनाओं को देखते हुए उठाया था।

- **ECI ने राजनीतिक दलों को निम्नलिखित निर्देश दिए थे:**
  - **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर झूठी, भ्रामक या अपमानजनक कंटेंट का प्रसार नहीं करना चाहिए।** अगर इस तरह का कंटेंट महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो तो उसका प्रकाशन किसी भी स्थिति में नहीं किया जाना चाहिए।
  - राजनीतिक प्रचार अभियानों में **बच्चों का उपयोग करने से बचना चाहिए।**
  - राजनीतिक दलों को चुनावों की अधिसूचना जारी होने के तीन घंटे के भीतर **फर्जी या भ्रामक कंटेंट को हटाना होगा और जिम्मेदार सदस्यों को चेतावनी** देनी होगी।

विश्लेषण

चुनावी प्रक्रिया में मास मीडिया की भूमिका

- **चुनाव के महत्त्व पर बल:** मीडिया कवरेज **चुनावों के महत्त्व** की बात करता है। इसके अलावा **मतदाता की पसंद**, सूचना प्राप्त करने की आवश्यकता और **मतदान के मौलिक अधिकार** पर प्रकाश डालता है।
- **दूरदर्शन चैनल जैसे संचार माध्यमों से सूचना का प्रचार** (राष्ट्रीय और राज्य दलों को क्रमशः न्यूनतम 10 और 30 घंटे का प्रसारण

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

मास मीडिया के बारे में

- **मास मीडिया** संचार के अलग-अलग चैनल्स को संदर्भित करता है। ये चैनल्स **सूचना और मनोरंजन से जुड़ी सामग्री का प्रसार दर्शकों** तक करते हैं।
- मास मीडिया में **प्रिंट मीडिया** (समाचार-पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें), **इलेक्ट्रॉनिक मीडिया** (रेडियो, टेलीविजन, फिल्में), **डिजिटल मीडिया** (इंटरनेट, सोशल मीडिया) आदि शामिल होते हैं।

समय मिलता है)

- **मतदाता व्यवहार को प्रभावित करना:** मीडिया चुनावों के प्रति लोगों जागरूक करता है और प्रत्येक वोट एवं वोट के अधिकार के महत्त्व पर बल देकर नागरिकों के दिल में कर्तव्य की भावना पैदा करता है।
- **उम्मीदवारों की सार्वजनिक छवि को आकार देना:** मीडिया में किसी उम्मीदवार की जो छवि दिखाई जाती है उससे आम लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। समाचार-पत्र, पत्रिकाओं और टेलीविजन एवं रेडियो में प्रसारित किया गया उम्मीदवार का चित्रण उसकी अच्छी या बुरी छवि बनाने में काफी निर्णायक भूमिका निभाता है।
- **नीतिगत चर्चा को सुविधाजनक बनाना:** मास मीडिया जनता को सरकारी कार्यों के बारे में सूचित करता है, नीतिगत कमियों को उजागर करता है और राजनेताओं को जनता की अपेक्षाओं से अवगत कराता है। इससे वर्तमान और भविष्य की नीतियों पर दो-तरफा चर्चा की सुविधा मिलती है।

- इसे **लोकतंत्र का चौथा स्तंभ** माना जाता है। लोकतंत्र के अन्य तीन स्तंभ- विधायिका या संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं।
- संविधान के **अनुच्छेद 19 (1)(a)** के तहत नागरिकों को प्राप्त **"वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता"** के मौलिक अधिकार के तहत प्रेस को भी शामिल किया गया है।

सोशल मीडिया के लिए मौजूदा विनियामक फ्रेमवर्क

- **"सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000"** सोशल मीडिया सहित इलेक्ट्रॉनिक संचार के सभी क्षेत्रों को नियंत्रित करता है।
- सोशल मीडिया और अन्य मध्यस्थों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) विनियम, 2021** बनाए गए हैं।

चुनाव प्रक्रिया के समक्ष मास मीडिया द्वारा उत्पन्न चुनौतियां

- **संप्रभुता के लिए खतरा:** उदाहरण के लिए- **2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनावों** में यह आरोप लगाया गया कि रूस ने नतीजों में हेर-फेर करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया था।
- **गलत सूचना: AI-जनरेटेड डीपफेक** इस समस्या को और अधिक जटिल बनाते हैं। इस तकनीक द्वारा उत्पन्न फेक कंटेंट की सत्यता का पता लगाना काफी मुश्किल काम है, जिससे **चुनाव की पवित्रता** पर सवाल खड़े होने लगते हैं।
- **ऑनलाइन इको चेंबर:** सोशल मीडिया ऐसा इको चेंबर बना सकता है। इसके तहत **व्यक्ति केवल उन दृष्टिकोणों या विचारों के संपर्क में आता है जो उसके खुद के दृष्टिकोण या विचारों** से मेल खाते हैं। इसके चलते व्यक्ति पूर्वाग्रह का शिकार हो जाता है और अपने से अलग दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्तियों के विचारों का विरोध करने लगता है।
  - उदाहरण के लिए- श्रीलंका में 2018 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खासकर फेसबुक का इस्तेमाल हिंसा को बढ़ावा देने के लिए किया गया था।
- **आदर्श आचार संहिता से समझौता:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रभावी विनियमन की कमी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता को लागू करना मुश्किल बनाती है।
- **निजता संबंधी चिंताएं और मतदाता की वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव) राय के लिए खतरा:** 2018 में, कई भारतीय राजनीतिक दलों ने कथित तौर पर डेटा माइनिंग और एनालिटिक्स बिजनेस से संबंधित **कैम्ब्रिज एनालिटिका** को काम पर रखा था।

भारतीय चुनावों पर मास मीडिया के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आगे की राह

- **भारतीय प्रेस परिषद की सलाह मानना:** चुनावों और उम्मीदवारों के बारे में निष्पक्ष रिपोर्टिंग करना, भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सभी निर्देशों का पालन करना, आदि।
- **स्वैच्छिक आचार संहिता का प्रभावी कार्यान्वयन:** आम चुनावों के लिए स्वैच्छिक आचार संहिता का कड़ाई से पालन करना चाहिए। इस कदम का उद्देश्य चुनावों के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार को बढ़ावा देना है।
- **नागरिक समाज समूहों और इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स के बीच संबंधों को मजबूत** करना चाहिए, ताकि समय पर चिंताओं को उठाया जा सके और प्लेटफॉर्म्स द्वारा निष्कर्षों पर विचार किया जा सके।
- **डेटा सुरक्षा फ्रेमवर्क को मजबूत करना:** यह सुनिश्चित करना होगा कि मतदाताओं का डेटा सुरक्षित है और चुनावी प्रक्रिया की सुचिता को बनाए रखने के लिए इसका जिम्मेदारी से उपयोग किया जाता है।

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

1.4. शासन (GOVERNANCE)

1.4.1. शासन में सिविल सेवकों की भूमिका (Role of Civil Servants in Governance)

संदर्भ

हाल ही में, **सिविल सेवा दिवस** के अवसर पर, प्रधान मंत्री ने शासन और जन-कल्याण को आगे बढ़ाने में सिविल सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।

अन्य संबंधित तथ्य के लिए अवश्य पढ़िए:

कक्षा X की एनसीईआरटी पुस्तक "लोकतांत्रिक राजनीति भाग-2 ' का अध्याय 2

विश्लेषण

शासन में सिविल सेवकों की भूमिका

- **शासन की निरंतरता:** स्थायी कार्यकारी का हिस्सा होने के नाते सिविल सेवक निर्वाचित सरकारें बदलने पर भी शासन में निरंतरता सुनिश्चित करते हैं।
- **सरकार और लोगों के बीच इंटरफेस:** सिविल सेवक लोगों की जरूरतों को **सरकार तक पहुंचाने और सरकारी नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करने** के लिए **मुख्य माध्यम** के रूप में कार्य करते हैं।
- **नीति निर्माण:** वे आवश्यक **इनपुट** प्रदान करते हैं, **नीतिगत क्षेत्रों की पहचान** करते हैं, **विकल्पों का विश्लेषण** करते हैं, **सामाजिक मुद्दों आदि के समाधान** प्रस्तुत करते हैं और **मंत्रियों को सलाह** देते हैं।
- **भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करना:**
    - **स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव:** चुनाव आयोग ने भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त **टी.एन.शेषन** द्वारा शुरू किए गए सुधारों को चुनाव में धनबल और बाहुबल के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण माना जाता है।
    - **सहभागी लोकतंत्र:** उदाहरण के लिए **1976 में ए.एम. गोखले ने विकेंद्रीकृत जमीनी स्तर की योजना और विकास** के लिए नागालैंड में ग्राम विकास बोर्ड (VDB) की शुरुआत की थी।
    - **समावेशी लोकतंत्र:** कई सिविल सेवकों ने **वंचित वर्गों को समाज में मुख्यधारा** में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए, 2020 में बलांगीर जिला प्रशासन ने ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्यधारा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए 'स्वेकृति' योजना शुरू की थी।
- **संवृद्धि और विकास:**
    - **कानून और व्यवस्था लागू करना:** देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए शांति महत्वपूर्ण है। सिविल सेवक सामाजिक तनावों व संघर्षों को दूर करने की दिशा में काम करते हैं और इस प्रकार सामाजिक एकता एवं सद्भाव बनाए रखने में सहायता करते हैं।
    - **संसाधन की कमी संबंधी बाधाओं को दूर करने में सक्षम।**
- **करियर डिप्लोमैट्स:** सिविल सेवक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही समझौतों पर वार्ता करने, राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने और अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **अर्ध-न्यायिक भूमिका:** सिविल सेवक दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण, साइबर अपीलीय अधिकरण जैसे अधिकरणों में कार्य करते हैं।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

सिविल सेवा के बारे में

- **उत्पत्ति:** भारत में **योग्यता आधारित आधुनिक सिविल सेवा की अवधारणा 1854 में लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट** के बाद साकार हुई थी।
- **स्वतंत्रता के बाद:** स्वतंत्रता के बाद **सिविल सेवाओं को तीन प्रकारों में वर्गीकृत** किया गया-
    - **अखिल भारतीय सेवाएं:** ये केंद्र और राज्यों दोनों के लिए साझी हैं। इन सेवाओं के सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा भर्ती और प्रशिक्षित किया जाता है, लेकिन वे अलग-अलग राज्यों में राज्य सरकार को अपनी सेवाएं देते हैं।
    - **केंद्रीय सेवाएं:** इस सेवा के सदस्य अनन्य रूप से केंद्र को अपनी सेवाएं देते हैं।
    - **राज्य सेवाएं:** ये सेवाएं राज्य क्षेत्राधिकार के तहत विषयों के प्रशासन से संबंधित हैं।

सिविल सेवाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 310: संघ सरकार के अधीन रक्षा या सिविल सेवा** का प्रत्येक व्यक्ति **राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत** पद धारण करता है। **राज्यों में सिविल सेवा का प्रत्येक सदस्य राज्यपाल के प्रसादपर्यंत** पद धारण करता है।
- **अनुच्छेद 311:** इसमें सिविल सेवकों की बर्खास्तगी, निष्कासन या पद में अवनति से संबंधित प्रावधान हैं।
- **अनुच्छेद 312:** इसमें **अखिल भारतीय सेवाओं** की स्थापना का प्रावधान है।

मासिक रिवीजन

सिविल सेवकों के कामकाज से जुड़ी चुनौतियां

- **स्वायत्तता:** बार-बार स्थानांतरण, राजनीतिक दबाव व हस्तक्षेप और उच्च अधिकारियों से अनुमोदन की आवश्यकता आदि सिविल सेवकों की स्वायत्तता को कम करती है।
- **बुनियादी ढांचा:** कई भारतीय शहरों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में **उचित बुनियादी ढांचे और संसाधनों की कमी** है। यह कमी सरकारी कार्यक्रमों एवं सेवा वितरण के प्रभावी कार्यान्वयन को प्रभावित करती है।
- **लालफीताशाही:** जटिल नौकरशाही प्रक्रियाएं, सिविल सेवाओं में पदानुक्रमित प्रणाली आदि निर्णय प्रक्रिया को समय लेने वाला बनाती हैं। इससे **प्रगति की गति धीमी हो जाती है** और समाज में परिवर्तन लागू करना कठिन बन जाता है।
- **सुरक्षा:** सिविल सेवकों और उनके परिवार के सदस्यों को अक्सर हिंसा के जोखिम एवं अपराधियों या चरमपंथियों से धमकियों का सामना करना पड़ता है।
  - उदाहरण के लिए, आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे को अवैध बारों पर छापा मारने, अतिक्रमण ध्वस्त करने और भूमि व जल माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी।

निष्कर्ष

एक सिविल सेवक द्वारा पारदर्शिता, दक्षता और अखंडता की दिशा में उठाया गया प्रत्येक कदम हमारे देश को समावेशी विकास एवं सुशासन के लक्ष्यों के करीब लाता है। हालिया वर्षों में, सरकार ने सिविल सेवकों की कार्य कुशलता और क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। हालांकि, 21वीं सदी में नागरिकों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान और सेवाओं के वितरण को बढ़ाने के लिए सिविल सेवाओं के सावधानीपूर्वक पुनर्गठन की आवश्यकता है।

सरकार ने सिविल सेवकों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए निम्नलिखित पहलें लागू की हैं:

- **सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम- मिशन कर्मयोगी:** इस पहल का उद्देश्य भारत सरकार के अंतर्गत व्यक्तिगत, संस्थागत और प्रक्रियात्मक स्तरों पर सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण ढांचे में सुधार करना है।
- **एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण (iGOT)-कर्मयोगी प्लेटफॉर्म:** यह एक व्यापक ऑनलाइन मंच है, जो सिविल सेवा अधिकारियों को उनके क्षमता-निर्माण में व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन प्रदान करता है।
- **सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक (NSCSTI):** इसे केंद्रीय **प्रशिक्षण संस्थानों (CTIs) की गुणवत्ता और प्रशिक्षण वितरण की क्षमता को बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण आयोग** ने विकसित किया था।
- **आरंभ:** इसे भारत सरकार ने 2019 में शुरू किया था। यह सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए **पहला कॉमन फाउंडेशन कोर्स** है।
- **राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति:** इस नीति का उद्देश्य **पेशेवर, निष्पक्ष और कुशल सिविल सेवकों** को विकसित करना है, जो नागरिकों की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी हों।
- **लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधान मंत्री पुरस्कार।**

1.4.2. भारत में मंदिरों का विनियमन (Temple Regulation in India)

संदर्भ

हाल ही में, कर्नाटक विधान सभा ने राज्य के मंदिरों को विनियमित करने के उद्देश्य से **कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती (संशोधन) (HRI&CEA) विधेयक, 2024** पारित किया है।

विश्लेषण

मंदिरों पर राज्य (यानी सरकार) का नियंत्रण: पक्ष और विपक्ष में तर्क

पक्ष में तर्क

- **सामाजिक सुधार:** राज्य ने विनियमन के जरिए सार्वजनिक मंदिरों को अधिक समावेशी बनाकर और मंदिरों की प्रथाओं के संचालन में भेदभाव को समाप्त करके वंशानुगत पुरोहितवाद को चुनौती दी है।
- **वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व:** उदाहरण के लिए- तमिलनाडु ने HRI&CEA अधिनियम के तहत मंदिर के न्यासी बोर्ड में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व को अनिवार्य बनाया है।
- **कुशल मंदिर प्रबंधन:** धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम मंदिर की संपत्ति के सुव्यवस्थित प्रशासन और संरक्षण को सुनिश्चित करता है। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करता है कि मंदिर की संपत्ति या फंड्स का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही किया जाए।
- **सामुदायिक कल्याण:** राज्य अपनी निगरानी से यह सुनिश्चित करता है कि मंदिर के धन का उपयोग स्थानीय आबादी को लाभ पहुंचाने वाली सामुदायिक कल्याण संबंधी गतिविधियों में किया जाए।

विपक्ष में तर्क

- **पंथनिरपेक्षता का उल्लंघन:** राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

मंदिरों को विनियमित करने के लिए संवैधानिक और संस्थागत ढांचा

- **अनुच्छेद 25(1):** यह अनुच्छेद **धार्मिक स्वतंत्रता** प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 25(2):** यह अनुच्छेद **कुछ धार्मिक मामलों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप** को वैधता प्रदान करता है। यह अनुच्छेद प्रावधान करता है कि राज्य धार्मिक आचरण से जुड़े क्रियाकलापों के विनियमन के लिए कानून बना सकता है या धार्मिक संस्थानों को विनियमित कर सकता है।
- **अनुच्छेद 26:** यह अनुच्छेद **धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान** करता है।
- **अनुसूची VII के तहत सूची III (समवर्ती सूची) की प्रविष्टि 28**
- **हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (HR&CE):** देश में अलग-अलग राज्यों ने संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के माध्यम से धार्मिक संस्थाओं को विनियमित करने के लिए विधायी एवं विनियामकीय फ्रेमवर्क्स लागू किए हैं।
- **हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती आयोग (1960):** इस आयोग ने यह मत प्रकट किया था कि मंदिरों में कुप्रशासन को रोकने के लिए सरकार का मंदिरों पर नियंत्रण होना आवश्यक है।

करके पंथनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, जबकि यह सिद्धांत राज्य को धार्मिक मामलों से अलग करता है।

- **ऑपरेशनल स्वायत्तता में कमी:** उदाहरण के लिए- चिदंबरम मामले (2014) में, सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर की पारंपरिक स्वायत्तता को संरक्षित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए दीक्षितरों (पुजारी समुदाय) को ही मंदिर का प्रबंधन करने की अनुमति दी थी।
- **सांस्कृतिक पूंजी की हानि:** संरक्षण हेतु निम्नस्तरीय प्रयासों के कारण ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण मंदिर संरचनाओं को नुकसान पहुंचा है। जैसा कि 2017 में यूनेस्को के फैक्ट-फाइंडिंग मिशन ने ऐसे नुकसान को सार्वजनिक तौर पर उजागर किया था। मिशन ने प्राप्त साक्ष्यों को मद्रास हाई कोर्ट में प्रस्तुत कर उन्हें सार्वजनिक किया था।

मंदिर से जुड़े न्यायिक निर्णय

- **केरल का पद्मनाभस्वामी मंदिर मामला:** सुप्रीम कोर्ट ने केरल में स्थित श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर से संबंधित संपत्तियों पर पूर्ववर्ती त्रावणकोर शाही परिवार को **शेबैतशिप (Shebaitship) अधिकार (मंदिर के प्रबंधन का अधिकार)** प्रदान किया था।
- **शेषम्मल और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य (1972) मामला:** सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि **किसी मंदिर में अर्चक (पुजारी) की नियुक्ति एक धर्मनिरपेक्ष कार्य** है तथा इन पुजारियों (अर्चकों) द्वारा किए जाने वाले केवल धार्मिक अनुष्ठान ही धर्म का अभिन्न हिस्सा हैं।

- **पर्यटन की संभावनाओं को नुकसान:** मंदिर को मिलने वाले फंड्स का उपयोग राज्य द्वारा अन्य गतिविधियों में भी किया जाता है। इससे मंदिर की अवसंरचना में निवेश करने के लिए वित्त अपर्याप्त रह जाता है।
- **आदिवासी और देशज समुदाय:** राज्य का नियंत्रण होने पर राज्य आदिवासी समुदायों के पूजा स्थलों के विशिष्ट/ अनूठे रीति-रिवाजों और परंपराओं के प्रति संवेदनशील नहीं हो सकता है।

आगे की राह

- **धार्मिक क्षेत्र और प्रशासनिक (लौकिक) क्षेत्र से संबंधित कार्यों में शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण** होना चाहिए।
- **मंदिर नेटवर्क संरचना:** मंदिरों को उनके आकार के आधार पर **तीन श्रेणियों** में वर्गीकृत किया जा सकता है। मंदिरों को **हब एंड स्पोक मॉडल** के आधार पर समूहबद्ध किया जा सकता है। इसके तहत बड़े और प्रशासनिक रूप से मजबूत मंदिर क्षेत्र में स्थित छोटे मंदिरों को समर्थन प्रदान करते हैं।
- **सुशासन के सिद्धांत:** मंदिरों के विविध कार्यों का प्रबंधन करने के लिए **राज्य-स्तरीय मंदिर प्रशासन बोर्ड** का गठन किया जा सकता है। इस बोर्ड में राज्य स्तर के अधिकारी ही शामिल होने चाहिए। इस बोर्ड को **मंदिर प्रबंधन समिति (TMC) और मंदिर स्तरीय ट्रस्ट** (जिसमें पुजारी, स्थानीय लोग आदि शामिल हों) द्वारा सहायता प्राप्त होनी चाहिए।
  - **हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1991** में एक मंदिर प्रशासन बोर्ड के गठन का भी प्रावधान किया गया है।
- **स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV):** मंदिरों के विकास के लिए **मंदिर विकास और संवर्धन निगम (TDPC)** का गठन किया जा सकता है। इसके द्वारा सभी मंदिरों के पर्यटन, मंदिरों की नेटवर्किंग, अनुसंधान और प्रकाशन को बढ़ावा देने, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण आदि से संबंधित विकास कार्य किए जा सकते हैं।
- सर्वोत्तम पद्धतियों का पालन: भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु **केरल में देवस्वओम** (भगवान की संपत्ति) की अवधारणा एक आदर्श मॉडल है।

1.4.3. सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 {THE CINEMATOGRAPH (CERTIFICATION) RULES, 2024}

संदर्भ

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने **सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2023** के तहत **सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024** अधिसूचित किए हैं। नए नियम **सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 1983** की जगह पर लाए गए हैं।

विश्लेषण

सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:

- **पदावधि:** CBFC के सदस्यों का कार्यकाल केंद्र सरकार निर्धारित करेगी।
- **महिलाओं का प्रतिनिधित्व:** CBFC में **महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व** दिया गया है। अब बोर्ड में **एक-तिहाई सदस्य महिलाएं** होंगी। यह प्रयास किया जाएगा कि **बोर्ड के आधे सदस्य महिलाएं** हों।
- **बेहतर दक्षता:** प्रमाणन की दक्षता में **निम्नलिखित प्रकार से सुधार किया जा सकता है:**
  - फिल्म प्रमाणन की प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करके, और
  - पूर्ण डिजिटल प्रक्रियाओं को अपनाकर सभी लेन-देन में लगने वाले समय को खत्म करके।
    - यह फिल्म प्रमाणन की प्रक्रिया को **डिजिटल युग के लिए सुव्यवस्थित और आधुनिक** बनाएगा।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

भारत में फिल्म प्रमाणन

- **सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952** के प्रावधानों के तहत, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) की स्थापना गई है। इसका मुख्यालय **मुंबई** में है। इसका मुख्य कार्य **फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को विनियमित** करना है। इसके कई क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं।
- **CBFC यह भी सुनिश्चित करता है कि** फिल्म के पड़ने वाले **समग्र प्रभाव को ध्यान में रखते हुए फिल्म की संपूर्ण समीक्षा** की जाए।

सिनेमैटोग्राफ से संबंधित न्यायिक निर्णय

- **एस. रंगराजन आदि बनाम पी. जगजीवन राम वाद (1989)** में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिल्म लोगों को फिल्म में दिखाई गई कहानी के अनुरूप सोचने और वैसे ही कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इसके अलावा, फ़िल्में किताबों आदि के पन्नों पर छपे शब्दों की तुलना में अधिक ध्यान में रहती हैं और लंबे समय तक स्मृति में बनी रहती हैं।

- **प्रायोरिटी के आधार पर स्क्रीनिंग का प्रावधान:** कई बार फिल्म निर्माताओं फिल्म के रिलीज होने की घोषणा CBFC की मंजूरी से पहले ही कर देते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए प्रायोरिटी के आधार पर CBFC और ओर से स्क्रीनिंग का प्रावधान किया जा रहा है।
  - **इससे 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस'** को भी बढ़ावा मिलेगा।
- **टेलीविजन के लिए फिल्म की श्रेणी में बदलाव:** किसी फिल्म को टेलीविजन पर प्रसारित करने के लिए उसे एडिट करना होगा और एडिटेड फिल्म के लिए फिर से प्रमाणन लेना होगा। ऐसा इसलिए, क्योंकि केवल **"गैर-निषिद्ध सार्वजनिक प्रदर्शन श्रेणी (Unrestricted Public Exhibition category)"** की फिल्में ही टेलीविजन पर दिखाई जा सकती हैं।
- **प्रमाण-पत्रों की स्थायी वैधता:** पहले फिल्म प्रमाणन **10 वर्षों** के लिए वैध होता था। अब इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। इसका अर्थ है कि फिल्म प्रमाणन की वैधता **अनिश्चित काल** के लिए होगी।

फ़िल्म प्रमाणन की श्रेणियां

श्रेणी	प्रमाणित दर्शक
U	सबके लिए और बिना किसी प्रतिबंध के
आयु-आधारित तीन श्रेणियों में UA श्रेणी: सात वर्ष (UA 7+) तेरह वर्ष (UA 13+) बारह वर्ष की बजाय, सोलह वर्ष (UA 16+)	बिना किसी प्रतिबंध के, लेकिन माता-पिता या अभिभावकों के मार्गदर्शन में देख सकते हैं
A	केवल वयस्क (18 या अधिक आयु) के लिए
S	केवल किसी पेशेवर या किसी वर्ग के सदस्यों के लिए

भारत में फिल्म प्रमाणन से संबंधित मुद्दे/ समस्याएं:

- **ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म:** CBFC के पास **ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाले कंटेंट को विनियमित करने का अधिकार नहीं है।**
- **सेंसरशिप और कंटेंट प्रतिबंध:** अत्यधिक सेंसरशिप संभावित रूप से कलात्मक स्वतंत्रता और रचनात्मक अभिव्यक्ति में बाधा डाल सकती है।
- **प्रमाणन में देरी:** CBFC के समक्ष प्रमाणन के लिए प्रस्तुत की जाने वाली फिल्मों की संख्या अधिक होती है। इसके परिणामस्वरूप, समय पर और कुशल तरीके से फिल्मों को प्रमाणित करने को लेकर CBFC की क्षमता के बारे में चिंता व्यक्त की जाती है।
- **ऑनलाइन पायरेसी से निपटने में विफल:** देश में फिल्म प्रमाणन **ऑनलाइन पायरेसी की जटिलताओं** को दूर करने में विफल रहा है। इसके परिणामस्वरूप, **मिररिंग सर्वर** जैसी कमियां/ खामियां रह जाती हैं।
  - यह विदेशों में होने वाली **फिल्म पायरेसी की घटनाओं** का समाधान नहीं करता है।
- **कानूनी चुनौतियां:** अदालत में कई बार प्रमाणन प्रक्रिया को चुनौती दी गई है।
  - हाल ही में, 'आदिपुरुष' नामक फिल्म के सर्टिफिकेट को रद्द करने की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस फिल्म पर लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।

निष्कर्ष:

हालांकि, सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 में प्रक्रियाओं का सुव्यवस्थित संचालन और विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व करना एक सकारात्मक कदम है, फिर भी सेंसरशिप, कंटेंट पर नियंत्रण आदि को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। रचनात्मक स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करना प्रमुख चुनौती बना हुआ है।

1.4.4. इंटरनेट शटडाउन (INTERNET SHUTDOWNS)

संदर्भ

एक्सेस नाउ की एक रिपोर्ट के अनुसार, **2023 में भारत में 116 बार इंटरनेट शटडाउन की घटना** दर्ज की गई, जो लगातार छठे साल दुनिया में सबसे अधिक है।

विश्लेषण

इंटरनेट शटडाउन के लिए प्रावधान

- वर्तमान में इसे **इंटरनेट शटडाउन सहित दूरसंचार सेवाओं का निलंबन "भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885"** के तहत अधिसूचित **दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम , 2017** द्वारा शासित किया जाता है।
  - ये नियम एक क्षेत्र में **पब्लिक इमरजेंसी के आधार पर** एक बार में 15 दिनों तक **दूरसंचार सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने की अनुमति** देते हैं।
- दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन के आदेश केवल संघ/ राज्य **गृह सचिव** द्वारा जारी किए जा सकते हैं।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

इंटरनेट शटडाउन के बारे में

- **इंटरनेट शटडाउन** किसी विशिष्ट आबादी, स्थान या **इंटरनेट एक्सेस के प्रकार के लिए इंटरनेट सेवाओं में जानबूझकर किया गया व्यवधान/ रोक** है। इसका मतलब है कि प्रभावित लोग वेबसाइटों तक नहीं पहुंच सकते, सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऑनलाइन संदेश नहीं भेज सकते या प्राप्त नहीं कर सकते और ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकते।

अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ एवं अन्य वाद (2020) में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

- सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के फैसले में आदेश दिया कि इंटरनेट पर **"वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता"** भी **संविधान के अनुच्छेद**

» 2017 के नियमों के तहत, **केंद्रीय स्तर पर कैबिनेट सचिव और राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समीक्षा समिति** क्रमशः केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दूरसंचार/ इंटरनेट बंद करने के आदेशों की समीक्षा करती है।

19(1)(a) का एक अभिन्न अंग है। इसलिए, इस स्वतंत्रता पर **कोई भी प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 19(2) के प्रावधानों से मेल खाना चाहिए।**

- **इंटरनेट शटडाउन के संबंध में न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए थे:**
    - 2017 के नियमों के तहत इंटरनेट सेवाओं को अनिश्चित काल के लिए निलंबित नहीं किया जा सकता है। इंटरनेट सेवाओं का निलंबन **केवल अल्पकालिक अवधि के लिए** किया जा सकता है।
    - निलंबन नियमों के तहत इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने वाला **कोई भी आदेश न्यायिक समीक्षा के अधीन** है।

इंटरनेट शटडाउन के लिए उत्तरदायी कारण

- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** उदाहरण के लिए- राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए कश्मीर में इंटरनेट बंद किया गया था।
- **सामाजिक अशांति को बढ़ने से रोकना: उदाहरण के लिए- 2018 में** भीमा-कोरेगांव युद्ध की वर्षगांठ के जश्न के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं।
- **धोखाधड़ी को रोकना:** उदाहरण के लिए- 2021 में, शिक्षक पात्रता परीक्षा में धोखाधड़ी को रोकने के लिए राजस्थान में इंटरनेट शटडाउन किया गया था।
- **सुरक्षा और लोक व्यवस्था:** उदाहरण के लिए- मणिपुर में चल रही नृजातीय हिंसा को रोकने के लिए इंटरनेट शटडाउन किया गया था।

इंटरनेट शटडाउन का प्रभाव

- **आर्थिक नुकसान:** भारत में इंटरनेट शटडाउन के कारण जनवरी से जून, 2023 के बीच **विदेशी निवेश के मामले में 118 मिलियन डॉलर का नुकसान** हुआ था।
- **मौलिक अधिकारों का उल्लंघन:** इंटरनेट शटडाउन **सूचना तक पहुंच को बाधित** करता है। यह **डिजिटल स्वतंत्रता और मौलिक मानवाधिकारों** जैसे- वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना तक पहुंच को सीमित करता है।
- **असमानता:** इंटरनेट शटडाउन वंचित समुदायों को असंगत तरीके से प्रभावित करता है। इसके चलते वंचित समुदायों की राजस्व के नए स्रोतों और अवसरों तक पहुंच में बाधा उत्पन्न होती है। यह मौजूदा आर्थिक असमानताओं को बढ़ाता है और न्यायसंगत डिजिटलीकरण की दिशा में किए गए प्रयासों को कमजोर करता है।
- **आपदा प्रबंधन:** इंटरनेट शटडाउन के कारण संचार के अवरुद्ध होने से **अर्ली वार्निंग जारी करने और बचाव या राहत से जुड़ी सूचना के प्रसार में बाधा** पैदा होती है। इसके चलते आपदा जनित प्रभावों में और भी अधिक बढ़ोतरी हो जाती है।
- **शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा:** शटडाउन ऑनलाइन सेवाओं, जैसे- एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स, स्वास्थ्य सेवा जानकारी आदि तक पहुंच बनाने में रुकावट डालता है।
- **विरोध और हिंसा:** इंटरनेट शटडाउन लोगों को बाकी दुनिया से अलग कर देता है, जिससे मन में संदेह की भावना और निराशा पैदा होती है। इसके चलते हिंसक हड़ताल या विरोध प्रदर्शन की घटनाएं घटित हो सकती हैं।
- **मानवाधिकारों का हनन:** इंटरनेट शटडाउन जवाबदेहिता को सीमित करता है। ऐसा खासकर वहां देखने को मिलता है जहां हमलावर अपने द्वारा किए गए अपराधों, जैसे- हत्या, आगजनी, लिंग आधारित हिंसा आदि को छिपाने के लिए जानबूझकर व्यवधान पैदा करते हैं।

आगे की राह

- संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों पर एक नज़र:
    - समिति ने 'पब्लिक इमरजेंसी' और 'सार्वजनिक सुरक्षा' से जुड़े मापदंडों को संहिताबद्ध व स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की सिफारिश की है।
    - **इंटरनेट शटडाउन के औचित्य का मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र** स्थापित करना चाहिए।
    - गृह मंत्रालय के साथ मिलकर **दूरसंचार विभाग को इंटरनेट शटडाउन को हटाने के लिए स्पष्ट नियम** बनाने चाहिए। ऐसा करके शटडाउन की अवधि तय की जा सकती है।
    - दूरसंचार विभाग (DoT) को जनता को कम-से-कम असुविधा पहुँचाने और गलत सूचनाओं पर अंकुश लगाने हेतु समग्र रूप से इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने के बजाय **ओवर-द-टॉप (OTT)** सेवाओं के उपयोग पर चयनित रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए एक नीति बनानी चाहिए।
- सरकार को इंटरनेट यूजर्स को स्पष्ट रूप से इंटरनेट पर किसी भी तरह की रोक, प्रतिबंध या सेवा में बदलाव करने से पहले बताना चाहिए तथा शटडाउन की स्थिति और अवधि के बारे में नियमित रूप से अपडेट देना चाहिए।

1.5. विविध (MISCELLANEOUS)

1.5.1. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION: NHRC)

संदर्भ

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र (UN) से संबद्ध **ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस (GANHRI)** ने लगातार दूसरे वर्ष भी भारत के **"राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)" को मान्यता (प्रत्यायन) प्राप्त मानवाधिकार निकाय का दर्जा स्थगित** कर दिया।

अन्य संबंधित तथ्य के लिए अवश्य पढ़िए:

कक्षा XI की एनसीईआरटी पुस्तक "भारत का संविधान- सिद्धांत और व्यवहार' का अध्याय 2

विश्लेषण

NHRC से जुड़े मुद्दे

NHRC मानवाधिकार उल्लंघन की उन **शिकायतों पर विचार नहीं कर सकता, जिनके घटित होने के एक साल बाद उनकी शिकायत दर्ज** कराई गई हो या ऐसे मामले जो **न्यायालय में विचाराधीन** हों। इससे इसकी शक्ति सीमित हो जाती है। इसके अलावा, GANHRI की प्रत्यायन उप-समिति ने निम्नलिखित समस्याओं की ओर भी संकेत किया है:

- **विविधता का अभाव:** भारतीय NHRC में 393 कर्मचारियों के पदों में से केवल 95 पर ही महिलाएं नेतृत्वकर्ता की स्थिति में हैं।
- **चयन समिति पर सरकार का वर्चस्व:** नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति पर सत्तारूढ़ दल का वर्चस्व है। इससे विपक्ष की भूमिका सीमित हो जाती है।
- **सरकारी हस्तक्षेप:** भारतीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम NHRC के **महासचिव के रूप में सचिव रैंक के सिविल सेवकों को भर्ती करने** का प्रावधान करता है। यह पेरिस सिद्धांतों का उल्लंघन है, क्योंकि सिविल सेवकों को शामिल करने से सरकारी हस्तक्षेप का खतरा बना रहता है।
- **जांच संबंधी संसाधन:** भारतीय NHRC जांच के लिए प्रतिनियुक्त (Deputed) अधिकारियों पर निर्भर करता है। अपर्याप्त निगरानी तंत्र के कारण उनमें जवाबदेही की कमी हो सकती है।
- भारतीय NHRC का **नागरिक समाज** और मानवाधिकार रक्षकों के साथ **प्रभावी तरीके से जुड़ाव** नहीं है।

आगे की राह

- **स्वतंत्रता:** मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को इस तरह से संशोधित किया जाना चाहिए, जिससे पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप जांच संबंधी पदों के लिए योग्य व्यक्तियों की स्वतंत्र नियुक्ति की अनुमति मिल सके।
- **जांच:** यूनाइटेड किंगडम और दक्षिण अफ्रीका की तरह, अनन्य रूप से **मानवाधिकार संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए एक स्वतंत्र पुलिस शिकायत आयोग के गठन की आवश्यकता** है। साथ ही, **NHRC की इन्वेस्टिगेशन विंग को विकसित करने** के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
- **सांविधिक शक्ति का प्रभावी तरीके से उपयोग करना:** यदि केंद्र/ राज्य सरकार निर्धारित समय के भीतर जवाब नहीं देती है, तो अधिनियम की **धारा 17** NHRC को अपनी जांच शुरू करने का अधिकार प्रदान करती है।
- **व्यापक सहयोग:** राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के लिए अपने

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के बारे में

- **उत्पत्ति:** यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित एक **सांविधिक** निकाय है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में **2006 और 2019 में संशोधन** किया गया था।
- **नियुक्ति:** आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के **राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों** पर की जाती है। इस समिति में निम्नलिखित शामिल होते हैं:
  - लोक सभा अध्यक्ष;
  - गृह मंत्रालय का प्रभारी मंत्री;
  - लोक सभा और राज्य सभा में विपक्ष के नेता; तथा
  - राज्य सभा का उपसभापति।
- **NHRC की शक्तियां:** इसके पास **सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908** के तहत और विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों के संबंध में एक **सिविल न्यायालय** की सभी शक्तियां प्राप्त हैं, अर्थात्:

NHRC के कार्य

- स्वतः संज्ञान लेकर या किसी पीड़ित की याचिका पर **मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना।**
- न्यायालय की अनुमति से किसी **न्यायालय के समक्ष लंबित मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप करना।**
- कैदियों की दशाओं का अध्ययन करने के लिए **राज्य सरकार के तहत आने वाली किसी संस्था या जेल का दौरा करना।**
- मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए **कानून और प्रक्रियाओं की समीक्षा करना।**
- मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़ी गतिविधियों (आतंकवाद सहित) के **कारणों की समीक्षा करना।**

कायदिश (मेंडेट) को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए नागरिक समाज जैसे सभी प्रासंगिक हितधारकों के साथ नियमित और रचनात्मक जुड़ाव आवश्यक है।

- **अन्य सुधार:** नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि **NHRC की संरचना भारत की विविधता को प्रदर्शित** करती हो; मानवाधिकार संबंधी शिकायत दर्ज कराने की **एक वर्ष की समय सीमा को कम** कर देना चाहिए आदि।

भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की मान्यता

- उल्लेखनीय है कि भारत के NHRC को **1999 से ही GANHRI की ओर से "A-स्टेटस" के तहत मान्यता मिली** हुई थी। **NHRC** के **"A-स्टेटस"** को केवल एक बार यानी **2016** में स्थगित किया गया था, लेकिन इसे **2017** में GANHRI की प्रत्यायन उप-समिति (SCA) द्वारा पुनः बहाल कर दिया गया था।
- 2023 में, **NHRC की मान्यता को स्थगित** कर दिया गया था। GANHRI द्वारा मान्यता को स्थगित करने के कारणों में **कर्मचारियों और नेतृत्व में विविधता की कमी तथा हाशिए पर रहे समूहों की सुरक्षा के लिए अपर्याप्त कार्रवाई** का हवाला दिया गया था।

1.5.2. स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 {STREET VENDORS (PROTECTION OF LIVELIHOOD AND REGULATION OF STREET VENDING) ACT, 2014}

संदर्भ

हाल ही में, **स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014** के लागू होने का एक दशक (10 वर्ष) पूरा हुआ है।

विश्लेषण

स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर

- **स्ट्रीट वेंडर की परिभाषा:** कोई व्यक्ति जो **सड़क, गली, फुटपाथ पर या एक स्थान से दूसरे स्थान पर आम जनता को सामग्री, वस्तुओं व खाद्य पदार्थों की बिक्री करता है या सेवाएं प्रदान करता है स्ट्रीट वेंडर या पथ विक्रेता** कहलाता है।
- **वेंडिंग जोन की परिभाषा:** यह **स्थानीय प्राधिकरण** द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को स्ट्रीट वेंडिंग हेतु विशिष्ट उपयोग के लिए निर्धारित किसी क्षेत्र या स्थान या लोकेशन को व्यक्त करता है। इसमें फुटपाथ, साइडवॉक, पटरी आदि शामिल होते हैं।
- **स्ट्रीट वेंडिंग योजनाएं (SVPs):** स्थानीय पदाधिकारियों को **SVPs तैयार करनी चाहिए। इनमें निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:**
  - वेंडिंग जोन की पहचान करना,
  - स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्थानिक योजनाएं बनाना, तथा
  - वस्तुओं और सेवाओं के कुशल एवं लागत प्रभावी वितरण के लिए उपाय करना।
- **कर्तव्यों का उल्लेख**
  - **स्ट्रीट वेंडर्स के कर्तव्य:** स्थानीय कानूनों और विनियमों का पालन करना, वेंडिंग शुल्क का भुगतान करना तथा स्वच्छता और सुरक्षा मानकों का अनुपालन करना।
  - **सरकार के कर्तव्य:** सरकार रेहड़ी-पटरी वालों के लिए ऋण, बीमा और सामाजिक सुरक्षा की अन्य कल्याणकारी योजनाओं को उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहन संबंधी उपाय कर सकती है।
- **टाउन वेंडिंग समितियां (TVCs): इसका अध्यक्ष नगरपालिका आयुक्त या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) होता है।**
  - **TVCs द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वेक्षण:** यह कार्य चिन्हित किए गए वेंडर्स को वेंडिंग प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए **प्रत्येक पांच साल में कम-से-कम एक बार** किए जाने का प्रावधान किया गया है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में

- सरकारी अनुमान के अनुसार, देश में **कुल शहरी अनौपचारिक रोजगार (गैर-कृषि) में स्ट्रीट-वेंडिंग की हिस्सेदारी लगभग 14%** है।
- गरीब परिवारों के लिए, स्ट्रीट वेंडिंग **सबसे कम पूंजी के साथ स्व-रोजगार के सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध** कराती है।
- **स्ट्रीट वेंडर्स के समक्ष आने वाली मुख्य चुनौतियां:**
  - कम आय, अनियमित रोजगार और बिक्री में उतार-चढ़ाव के कारण **वित्तीय असुरक्षा** औपचारिक ऋण सेवाओं तक इनकी पहुंच को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।
  - **खराब कामकाजी परिस्थितियां-** जैसे कई-कई घंटों तक वेंडिंग करना, लू जैसी कठोर मौसमी स्थितियों में भी कार्य करना आदि। साथ ही बेहतर आश्रय स्थल, परिवहन, भंडारण सुविधाओं आदि तक पहुंच की कमी।
  - महिलाओं को स्वच्छता जैसी **बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच संबंधी समस्याओं का सामना** करना पड़ता है। इसके अलावा वे छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न आदि सहित सुरक्षा संबंधी जोखिमों के प्रति भी सुभेद्य होती हैं।

स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम, 2014 के कार्यान्वयन में चुनौतियां

शहरी विकास पर संसद की स्थायी समिति ने अधिनियम के कार्यान्वयन में निम्नलिखित चुनौतियों पर प्रकाश डाला है:

- **सभी स्ट्रीट वेंडर्स का पंजीकरण न होना:** स्ट्रीट वेंडर्स को अपना व्यवसाय चलाने के लिए कानूनी अधिकार प्रदान करने वाले पहचान-पत्र और वेंडिंग प्रमाण-पत्र **सभी वेंडर्स को जारी नहीं** किए गए हैं।
- **निष्कासन के प्रति असुरक्षा की भावना का बना रहना:**
  - कई **शहरी स्थानीय निकायों** में तो अब तक TVCs का गठन ही नहीं किया गया है। इससे स्ट्रीट वेंडर्स को उनके स्थान से निकालने का खतरा बना हुआ है।
  - **TVCs के कुल सदस्यों में से 60% सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत** होते हैं। इससे स्ट्रीट वेंडर्स प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर गंभीरता से विचार होने की संभावना कम हो जाती है।
- **राज्यों द्वारा कार्यान्वयन में ढिलाई:**
  - अधिनियम के **कई प्रावधानों** को अभी भी कुछ राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा **लागू किया जाना बाकी** है।
  - जिन राज्यों ने अधिनियम के तहत किसी योजना को अधिसूचित किया है, उनके **केवल 31 प्रतिशत शहरों ने ही उस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडिंग प्लांस तैयार** किए हैं।
  - **असम** जैसे कुछ राज्यों ने **वेंडिंग प्लांस तैयार किए बिना ही वेंडिंग जोन्स अधिसूचित** कर दिए हैं।
  - **केवल 9 राज्यों** (असम, केरल, पंजाब आदि) ने ही **GRCs का गठन** किया है।
- **आधुनिक शहरीकरण में इन्हें शामिल नहीं करना:** कई शहरों को स्ट्रीट वेंडर्स पर विचार किए बिना स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किया जा रहा है या शहरीकरण मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं।

आगे की राह

इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए **शहरी विकास पर संसदीय स्थायी समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:**

- **स्मार्ट कार्ड जारी करना:** स्ट्रीट वेंडर्स को प्रासंगिक जानकारी (जैसे पहचान और वेंडिंग प्रमाण-पत्र का विवरण) से युक्त स्ट्रीट वेंडर्स स्मार्ट कार्ड प्रदान करने चाहिए। यह कार्ड कागज-आधारित दस्तावेजों की तुलना में अधिक टिकाऊ होता है।
- **TVCs को मजबूत करना:** सभी राज्यों में **TVCs का शीघ्र गठन सुनिश्चित** करना चाहिए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि **TVCs के परामर्श के बिना किसी भी बेदखली या स्थानांतरण** को लागू नहीं किया जाना चाहिए।
- **समावेशी शहरीकरण सुनिश्चित करना:** MoHUA को निम्नलिखित के लिए दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए:
  - **स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम** को विकासात्मक मिशनों एवं शहरी नियोजन प्रक्रियाओं के साथ **एकीकृत** करना;
  - स्मार्ट सिटी मिशन के तहत परियोजनाओं की योजना बनाते समय **TVCs के साथ परामर्श करना;**
  - किसी शहर का मास्टर प्लान बनाने वाली समिति में **स्ट्रीट वेंडर्स समुदाय का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित** करना।
- **अधिनियम के कार्यान्वयन के दायरे को बढ़ाना:**
  - अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने तथा कार्यान्वयन के लिए बेहतर कार्य पद्धतियों को साझा करने हेतु **एक निगरानी समिति का गठन** करना जरूरी है।
  - **शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रभावी कार्यान्वयन को मान्यता देने** और उसे प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण के समान ही **वार्षिक सर्वेक्षण आयोजित** करना चाहिए।

स्ट्रीट वेंडर्स से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 19(1)(g):** कोई भी पेशा अपनाने या कोई भी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 39(a):** पुरुष और महिला सभी नागरिकों को **समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन हासिल करने का अधिकार** है।
- **अनुच्छेद 39(b):** समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि सामूहिक हितों की पूर्ति हो सके, अर्थात् लोगों की भलाई हो सके।

भारत में स्ट्रीट वेंडर्स की सुरक्षा के लिए शुरू की गई अन्य पहलें

- **प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पी.एम. स्वनिधि) योजना**
- **शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को सहायता (Support to Urban Street Vendors: SUSV)**
- **प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) 3.0**

अधिनियम के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के अधिकार

- **व्यवसाय करने का अधिकार:** प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर्स को उनके वेंडिंग प्रमाणपत्र (Certificate of Vending: CoV) में उल्लेखित वेंडिंग गतिविधियों को करने का अधिकार है।
- **उत्पीड़न से बचाव:** वैध CoV धारक तथा इसकी शर्तों का पालन करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को किसी भी व्यक्ति द्वारा रेहड़ी-पटरी लगाने से नहीं रोका जा सकता।
- **पुनर्स्थापन या बेदखल करना:** स्ट्रीट वेंडर को 30 दिन की पूर्व-सूचना दिए बिना उनके निर्दिष्ट क्षेत्रों से स्थानांतरित या बेदखल नहीं किया जा सकता।
- **जब्त वस्तुओं की वापसी:** स्ट्रीट वेंडर्स के जब्त की गई वस्तुओं को दावा किए जाने पर स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उसी दिन (शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के मामले में) या दो कार्य दिवसों (शीघ्र नष्ट नहीं होने वाली वस्तुओं के मामले) के भीतर सौंपा जाना चाहिए।

1.6. प्रश्नोत्तरी

MCQs

Q1. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. NCBC अनुच्छेद 338B के तहत एक संवैधानिक निकाय है जिसे 102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 के माध्यम से शामिल किया गया है।
2. NCBC के पास सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1, न ही 2

Q2. छठी अनुसूची के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह राज्यपाल को स्वायत्त जिला परिषद और स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद गठित करने का अधिकार देता है।
2. यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू होता है।
3. PESA अधिनियम, 1996 को छठी अनुसूची के प्रावधान में लागू किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

a) केवल एक
b) केवल दो
c) सभी तीन
d) कोई नहीं

Q3. निम्नलिखित पर विचार कीजिए

1. पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति
2. संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग, 2002
3. दिनेश गोस्वामी समिति
4. भारतीय विधि आयोग

उपर्युक्त में से कितनों ने एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की है?

a) केवल एक
b) केवल दो
c) केवल तीन
d) उपर्युक्त सभी

Q4. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक सांविधिक निकाय है और इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित किया गया है।
2. इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर की जाती है।
3. इसके पास सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

a) केवल एक
b) केवल दो
c) सभी तीन
d कोई नहीं

Q5. भारत में फिल्म प्रमाणन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को विनियमित करता है।
2. फिल्म प्रमाणन बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि फिल्म का मूल्यांकन उसके समग्र प्रभाव के दृष्टिकोण से किया जाए।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1, न ही 2

प्रश्न

1. भारत में गवर्नेंस में सिविल सेवकों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। साथ ही, अपने कर्तव्यों को पूरा करने में उनकी प्रभावशीलता में बाधा डालने वाली चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। (150 शब्द)
2. इंटरनेट शटडाउन के पीछे के कारणों और उनके सामाजिक-आर्थिक प्रभावों पर चर्चा कीजिए। इन चुनौतियों को कम करने के लिए क्या उपाय लागू किए जा सकते हैं? (250 शब्द)

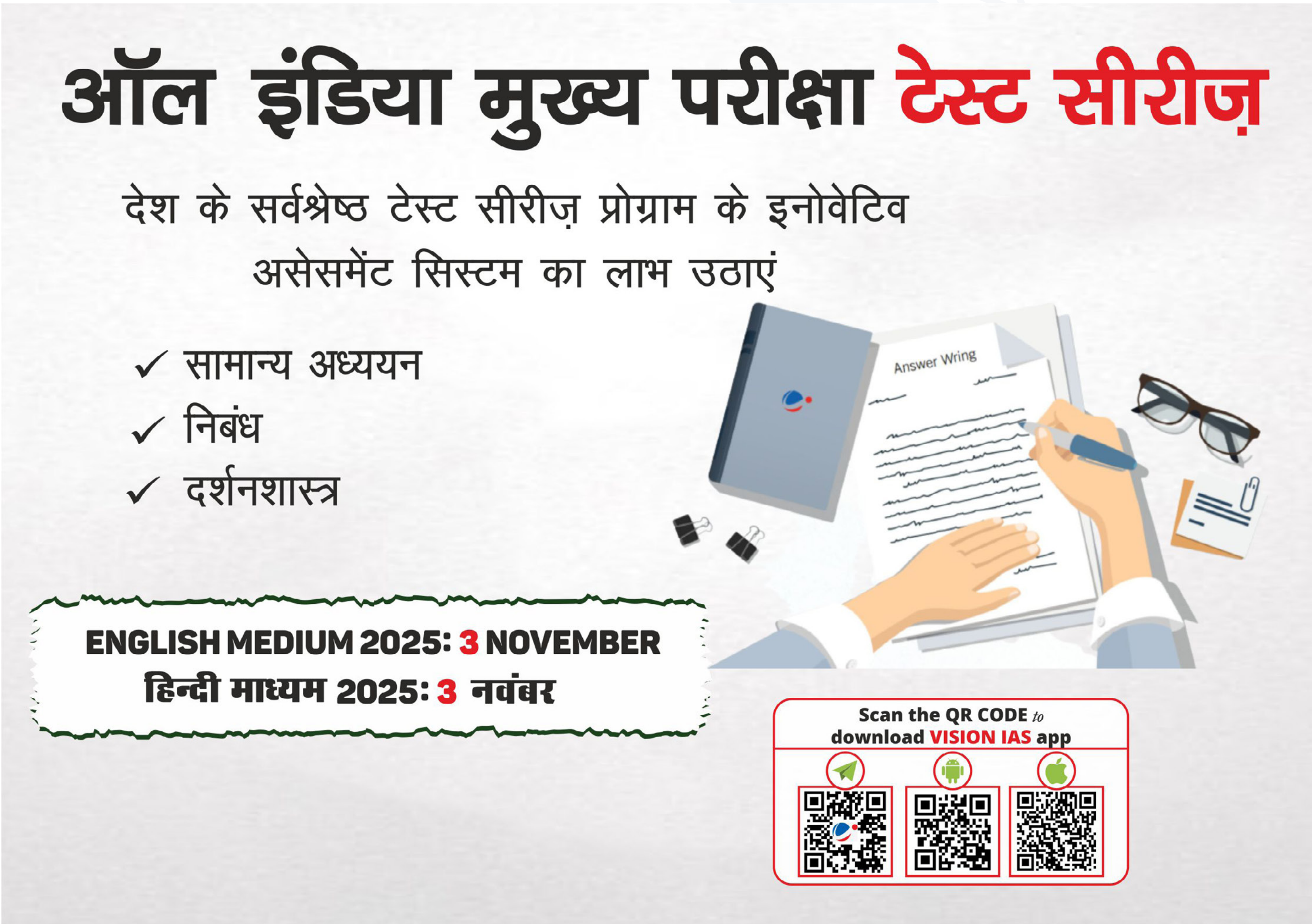

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

अंतर्राष्ट्रीय संबंध (INTERNATIONAL RELATIONS)

विषय-सूची

2.1. द्विपक्षीय संबंध . . . 32
- 2.1.1. भारत-भूटान संबंध . . . 32
- 2.1.2. भारत-भूटान-चीन ट्रायंगल . . . 33
- 2.1.3. भारत और इंडोनेशिया संबंध . . . 34
- 2.1.4. भारत ऑस्ट्रेलिया सुरक्षा साझेदारी . . . 36
- 2.1.5. अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा और कच्चातिवू का मुद्दा . . . 37
- 2.1.6. सिंधु जल संधि . . . 38
- 2.1.7. भारत का द्विपक्षीय संबंधों को संतुलित करने का प्रयास 39

2.2. क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंच . . . 41
- 2.2.1. क्वाड . . . 41
- 2.2.2. ऑकस . . . 42
- 2.2.3. उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन . . . 44
- 2.2.4. राष्ट्रमंडल . . . 45
- 2.2.5. बदलते समय में वैश्विक संस्थाएं . . . 46

2.3. विविध . . . 48
- 2.3.1. बंदरगाहों का भू-राजनीतिक महत्त्व . . . 48
- 2.3.2. आपदा राहत कूटनीति . . . 50
- 2.3.3. भारत की दूरसंचार कूटनीति . . . 52
- 2.3.4. पश्चिम एशिया में अस्थिरता . . . 53
- 2.3.5. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय . . . 54
- 2.3.6. गैस निर्यातक देशों का मंच . . . 55

2.4. सुर्ख़ियों में रहे स्थल . . . 56

2.5. प्रश्नोत्तरी . . . 59

2.1. द्विपक्षीय संबंध (BILATERAL RELATIONS)

2.1.1. भारत-भूटान संबंध (INDIA-BHUTAN RELATION)

संदर्भ

हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने भूटान की राजकीय यात्रा की। इस यात्रा के दौरान भारत के प्रधान मंत्री को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, **'ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो'** से सम्मानित किया गया।

विश्लेषण

भारत और भूटान के बीच सहयोग के क्षेत्र

- **कूटनीति:** भारत और भूटान के बीच संबंधों का मूल आधार **1949 में हस्ताक्षरित "मित्रता और सहयोग की संधि"** है। इस संधि को **2007** में फिर से नवीकृत किया गया था।
- **व्यापार:**
    - भारत, आयात स्रोत और एक निर्यात गंतव्य के रूप में **भूटान का शीर्ष व्यापारिक भागीदार है।** व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है।
    - भारत, **भूटान में निवेश करने वाला अग्रणी देश है। व्यापार, वाणिज्य और पारगमन समझौता, 2016:** इसके तहत दोनों देशों के बीच एक **मुक्त व्यापार व्यवस्था** की शुरुआत की गई है।
- **विकास संबंधी भागीदारी:** भारत **'ब्रांड भूटान' और 'भूटान बिलीव'** की अवधारणा को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
- **कनेक्टिविटी:** भूटान, एक अंतर्राष्ट्रीय शहर **(गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी)** बनाने की योजना बना रहा है। यह शहर भूटान की सीमा को **असम** से जोड़ेगा।
- **जलविद्युत परियोजना:** भारत ने भूटान में **चार प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं** का निर्माण किया है। ये परियोजनाएं हैं- **कुरिछू, ताला, चुखा और मांगदेछु।**
- **सांस्कृतिक संबंध: बौद्ध धर्म** दोनों देशों को समान विचारधाराओं के आधार पर जोड़ता है।
- **सुरक्षा: भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल (MTRAT) स्थायी** रूप से पश्चिमी भूटान में स्थित है। यह **रॉयल भूटान आर्मी** को सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करता है।
    - भारत के सीमा सड़क संगठन (BRO) ने **'दंतक (DANTAK)' परियोजना** के तहत भूटान में अधिकांश सड़कों का निर्माण किया है।
- **सहयोग के लिए शुरू की गई नई पहलें:** भूटान में **RuPay और BHIM** ऐप की शुरुआत की गई है। ये पहलें **डिजिटल ड्रुकुल** जैसी कई प्रौद्योगिकी संबंधी पहलों पर सहयोग करने के लिए आरंभ की गई हैं। इसरो और भूटान की अंतरिक्ष एजेंसी ने संयुक्त रूप से **'भारत-भूटान SAT'** उपग्रह को विकसित किया है। इसे इसरो ने लॉन्च किया है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

भूटान के बारे में:(राजधानी- थिम्पू)

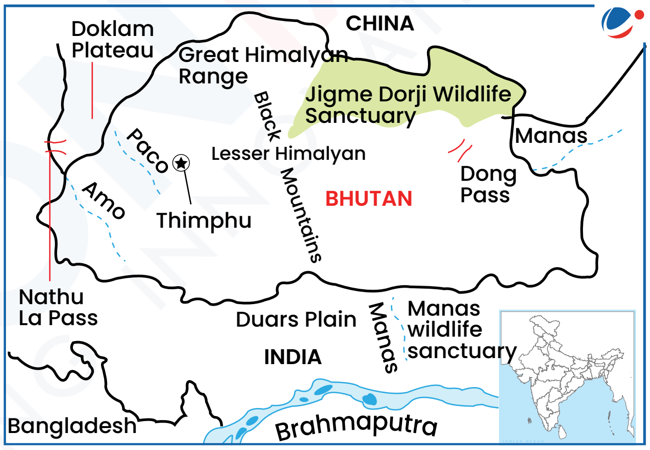

- **भौगोलिक अवस्थिति:**
    - यह **पूर्वी हिमालय** में अवस्थित भारत और चीन के बीच एक भू-आबद्ध देश है।
    - यह **भारत के चार राज्यों के साथ 699 किलोमीटर लंबी** खुली सीमा साझा करता है। ये चार राज्य हैं- **असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम।**
- **भौगोलिक विशेषताएं: भूटान में बहने वाली सभी नदियां** दक्षिण की ओर बहती हैं और ये नदियां आकर भारत में **ब्रह्मपुत्र नदी में मिल** जाती हैं।
- **अन्य प्रमुख तथ्य:**
    - भूटान **विश्व का पहला कार्बन नेगेटिव देश है।**
    - भूटान **सकल घरेलू उत्पाद (GDP)** की बजाय **सकल राष्ट्रीय खुशहाली (GNH) को प्रोत्साहित करने के अपने दर्शन** के लिए जाना जाता है।

भारत के लिए भूटान का महत्त्व

- **भू-सामरिक महत्त्व:** भूटान, **चीन और भारत** दोनों के साथ सीमा साझा करता है। भूटान की इस सामरिक अवस्थिति के कारण यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है।
- **आर्थिक महत्त्व:** भूटान में **जल विद्युत संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध** हैं। ये संसाधन भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण हैं।
- **पर्यावरणीय सहयोग:** दोनों देश **हिमालयी पारिस्थितिकी-तंत्र को साझा** करते हैं। इसलिए, दोनों देश **पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन** पर एक साथ कार्य कर सकते हैं।
- **सार्क (SAARC) और बिम्सटेक (BIMSTEC) के भीतर क्षेत्रीय एकीकरण** के लिए भूटान के साथ घनिष्ठ संबंध बहुत जरूरी है।

भारत-भूटान संबंधों में प्रमुख चुनौतियां

- **जलविद्युत व्यापार में समस्याएं:** भारत ने पूर्व में **विद्युत खरीद नीति** में बदलाव किए थे। भारत द्वारा **पुनात्सांगछू-I और पुनात्सांगछू-II** जैसी

परियोजनाओं को पूरा करने के लिए **विद्युत प्रशुल्क देने में देरी** हुई है। इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच **निष्पक्ष रूप से वार्ता** नहीं हो पाई है।
- **सक्रिय उग्रवादियों/ विद्रोहियों के लिए छुपने का स्थान:** भारत के यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोस (NDFB) जैसे पूर्वोत्तर के विद्रोही संगठन छुपने के लिए भूटान चले जाते हैं।
- **BBIN पहल:** पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण भूटान ने **बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN) मोटर वाहन समझौते** को रोक दिया है।
- भारत पहले भूटान को **60:40 मॉडल (60% अनुदान-40% ऋण)** पर वित्तीय सहायता दे रहा था, लेकिन अब यह सहायता **30:70 मॉडल** पर दी जा रही है। इससे भूटान पर वित्तीय बोझ बढ़ गया है।

आगे की राह

- **आर्थिक गतिविधियों में विविधता लाना:** दोनों देशों द्वारा फिनटेक, स्पेस टेक और बायोटेक जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाकर भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है।
- **चीन के साथ ट्राइलोग (Trilogue/ त्रिपक्षीय बातचीत) की शुरुआत:** संवाद के नए माध्यमों को शुरू करने से सीमा विवादों के संबंध में बढ़ रही अनिश्चितताओं को कम किया जा सकता है।
- **दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों में सुधार:** बौद्ध धर्म और पर्यटन संबंधी अन्य गतिविधियों को प्रोत्साहित करके **सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी** को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- **सुरक्षा संबंधी उपाय:** दोनों देशों के बीच संपर्क बिंदु (Contact points) स्थापित करना। इसके अलावा, आतंकवादी संगठनों के संबंध में जानकारी को रियल टाइम पर साझा करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना।

2.1.2. भारत-भूटान-चीन ट्रायंगल (India-Bhutan-China Triangle)

संदर्भ

यह ट्रायंगल भूटान के साथ भारत के घनिष्ठ संबंधों, भूटान में चीन के बढ़ते प्रभाव, चीन के साथ भूटान के सीमा विवाद और भारत-चीन के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता के कारण **भू-राजनीतिक गतिशीलता की जटिलता** को दर्शाता है।

विश्लेषण

भूटान में चीन की बढ़ती भूमिका का भारत पर प्रभाव

- **भारत के सुरक्षा हितों के लिए खतरा:** भूटान-चीन के बीच **डोकलाम सीमा समझौते** पर वार्ता चल रही है। यह भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि डोकलाम भारत के **सिलीगुड़ी गलियारे** के करीब है, जो **पूर्वोत्तर को शेष भारत से जोड़ता** है।
  - **सिलीगुड़ी कॉरिडोर को 'चिकन नेक' के नाम से भी जाना जाता** है। यह **नेपाल, भूटान और बांग्लादेश** के जंक्शन पर स्थित है।
- **भू-राजनीतिक निहितार्थ:** भूटान में चीन की बढ़ती उपस्थिति **क्षेत्रीय भू-राजनीतिक संतुलन और गतिशीलता** में तनाव पैदा कर सकती है। इससे संभावित रूप से **भारत और चीन के बीच तनाव बढ़** सकता है।
  - 2017 में, **डोकलाम ट्राई-जंक्शन** में भारतीय थल सेना और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच **सैन्य गतिरोध बढ़** गया था।
- **भारत के प्रभाव का कम होना:** भूटान के चीन के साथ घनिष्ठ संबंध से भूटान की **"भारत समर्थक पारंपरिक विदेश नीति"** प्रभावित हो सकती है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

भूटान में चीन का बढ़ता प्रभाव

- **आर्थिक प्रभाव: भूटान के व्यापार में चीन की हिस्सेदारी लगभग एक-चौथाई से अधिक है।**
  - **चीनी स्वामित्व वाली कई कंपनियां** भूटान में अलग-अलग **अवसंरचनात्मक परियोजनाओं** में शामिल हैं, जैसे- **चूखा और पुनात्सांगछू जैसी जलविद्युत परियोजनाएं।**
- **क्षेत्रीय मजबूती:** चीन, उत्तरी भूटान में **जकारलुंग और पासमलुंग** तथा पश्चिमी भूटान में **डोकलाम पठार के क्षेत्रों पर अपना** दावा करता है। यह बाह्य दबाव के प्रति भूटान की कमजोर स्थिति को दर्शाता है।
  - 2020 से चीन द्वारा भूटान के त्राशीगंग नामक पूर्वी जिले में स्थित **सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य** के 650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर दावा कर रहा है।
- **राजनीतिक कूटनीति:** अक्टूबर, 2023 में **भूटान के विदेश मंत्री ने पहली बार चीन की यात्रा** की थी। इस यात्रा के दौरान, **दोनों देशों के बीच सीमा के परिसीमन और सीमांकन के लिए एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर** किए गए थे। यह समझौता दोनों देशों के बीच **संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम** साबित हो सकता है।

2.1.3. भारत और इंडोनेशिया संबंध (INDIA AND INDONESIA RELATIONS)

संदर्भ

2024 में, भारत और इंडोनेशिया अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की **75वीं वर्षगांठ** मना रहे हैं।

विश्लेषण

भारत-इंडोनेशिया द्विपक्षीय संबंधों का महत्त्व

दोनों देशों के लिए महत्त्व

- **हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा:** दोनों देश समुद्र **शक्ति (नौसेना) और भारत-इंडोनेशिया समन्वित गश्ती (IND-INDO CORPAT)** जैसे संयुक्त अभ्यास आयोजित करते हैं।
- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए विजन में समन्वय:** दोनों देशों ने **"हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत-इंडोनेशिया समुद्री सहयोग के साझा विज़न"** पर सहमति व्यक्त की है।
- **रणनीतिक साझेदारी:** दोनों देशों ने **2005 में "रणनीतिक साझेदारी"** की स्थापना की थी। इस साझेदारी को 2018 में आगे बढ़ाते हुए **"व्यापक रणनीतिक साझेदारी"** में बदल दिया गया था।
- **बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग:** दोनों देश G20, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA), पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय मंचों पर समुद्री सुरक्षा, डिजिटल रूपांतरण जैसे मामलों पर सहयोग करते हैं।
- **सर्वोत्तम पद्धतियों का साझाकरण:** जुलाई, 2023 में **भारत-इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय वार्ता (EFD डायलॉग)** की शुरुआत की गई थी। यह परस्पर सीख और नीतिगत समन्वय के लिए एक विशिष्ट प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।
- **सैन्य संलग्नता का विस्तार:** उदाहरण के लिए- **INS सिंधुकेसरी** को पहली बार फरवरी, 2023 में ऑपरेशनल टर्नअराउंड के लिए **जकार्ता में डॉक (Docked)** किया गया था।
- **साझा इतिहास और सांस्कृतिक मूल्य**
    - दोनों देश **बांडुंग सम्मेलन 1955** का हिस्सा थे। इसी सम्मेलन से **गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी NAM (1961)** का जन्म हुआ था।
    - रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की कहानियां इंडोनेशियाई लोक कला और नाटकों का स्रोत हैं।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

राजनीतिक विशेषताएं

- इंडोनेशिया **हिंद और प्रशांत महासागरों में दक्षिण पूर्व एशिया की मुख्य भूमि के तट पर** स्थित है।
- **सीमाएँ: मलेशिया** (बोर्नियो का उत्तरी भाग) **पापुआ न्यू गिनी** (न्यू गिनी का केंद्र)।
- अंडमान और निकोबार द्वीप का **इंदिरा पॉइंट** तथा इंडोनेशिया का **बांदा आचे** एक-दूसरे से केवल **80 नॉटिकल माइल की दूरी पर** स्थित हैं।

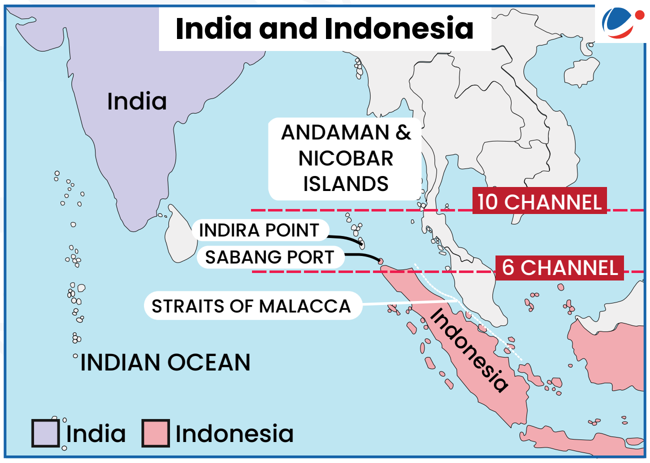

भौगोलिक विशेषताएं:

- इंडोनेशिया के लगभग **3/4 क्षेत्र सुमात्रा, कालीमंतन और पश्चिमी न्यू गिनी के तहत** आते हैं।
- यह **रिंग ऑफ़ फायर** ज्वालामुखी बेल्ट में स्थित है और दुनिया के लगभग **40% भूतापीय रिजर्व** यहीं पाए जाते हैं।
- **भूमध्य रेखा इंडोनेशिया द्वीपसमूह से होकर** गुजरती है।
- **महत्वपूर्ण ज्वालामुखी:** माउंट मेरापी, माउंट अगुंग, आदि।
- **मुख्य जलडमरूमध्य:** मलक्का और सुंडा जलडमरूमध्य।

संबंधों का महत्त्व

भारत के लिए महत्त्व	इंडोनेशिया के लिए महत्त्व
भारत के रक्षा निर्यात को बढ़ाना: इंडोनेशिया ने **ब्रह्मोस मिसाइल और हल्के लड़ाकू विमान** सहित अन्य सैन्य प्लेटफॉर्म्स में रुचि दिखाई है।	**प्रमुख निर्यात गंतव्य:** भारत इंडोनेशिया से **कोयला और क्रूड पाम आयल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार** है।
महत्वपूर्ण व्यापार भागीदार: इंडोनेशिया **आसियान क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार** है।	**मानवीय सहायता:** भारत ने 2018 में भूकंप और सुनामी के बाद इंडोनेशिया को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए **ऑपरेशन समुद्र मैत्री** शुरू किया था।
भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और बैंक इंडोनेशिया (BI) ने 2024 में स्थानीय मुद्राओं के सीमा पार लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।	**विकास भागीदारी:** इंडोनेशिया **भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (ITEC), तथा कोलंबो योजना की तकनीकी सहयोग योजना (TCS) जैसे क्षमता निर्माण मंचों** का एक प्रमुख भागीदार है।
समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना: SAGAR पहल।	

भारत-इंडोनेशिया संबंधों में निहित चुनौतियां

- **व्यापार असंतुलन:** भारत द्वारा इंडोनेशिया से पाम ऑयल और कोयले का बड़े पैमाने पर आयात किया जाता है। इसके कारण व्यापार संतुलन इंडोनेशिया के पक्ष में है।
- **व्यापार की पर्याप्त क्षमता का उपयोग न किया जाना:** कुछ अनुमानों के अनुसार, दोनों देशों के बीच **द्विपक्षीय व्यापार क्षमता** 61 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो वर्तमान व्यापार से 33% अधिक है।
- **चीन का प्रभुत्व: बेल्ट एंड रोड पहल** के तहत चीन द्वारा इंडोनेशिया में पर्याप्त मात्रा में निवेश किया गया है। इसने **भारत के लिए चिंताएं बढ़ा दी हैं।**
- **विनियामक और प्रक्रियात्मक चुनौतियां:** अधिग्रहण की अलग-अलग प्रक्रियाओं के कारण **संयुक्त रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विफल** हो गए हैं।
- **कनेक्टिविटी का अभाव:** सीमित प्रत्यक्ष हवाई कनेक्टिविटी और वीजा संबंधी समस्याओं के कारण दोनों देशों के लोगों का एक-दूसरे देश में आवागमन बाधित हुआ है।

आगे की राह

- **पर्यटन संबंधी कूटनीति:** भारत-इंडोनेशिया को **'RICH'** अर्थात धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक थीम पर आधारित पर्यटन योजना स्थापित करनी चाहिए। इससे **पर्यटन क्षेत्रक मजबूत होगा और लोगों का आवागमन बढ़ेगा।**
- **व्यापार को बढ़ावा देना:** व्यापार और निवेश संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए **व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA)** को गति देने के साथ-साथ अधिक आर्थिक सहयोग की भी आवश्यकता है।
- **रणनीतिक इंटरफेस को बढ़ावा देना:** चूंकि इंडोनेशिया भारत का पड़ोसी देश है, उसे **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), आपदा-रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (CDRI) और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन** में शामिल होने पर विचार करना चाहिए।
- **सहभागिता के माध्यम से वास्तविक सहयोग:** दोनों देशों को परस्पर सहयोग के लिए क्षेत्रीय बहुपक्षीय मंचों जैसे **आसियान क्षेत्रीय मंच, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) और हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS)** का उपयोग करना चाहिए।

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
SANDHAN
Vision IAS की ओर से पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज
(UPSC प्रीलिम्स के लिए स्मार्ट रिवीजन, प्रैक्टिस और समग्र तैयारी हेतु ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज)
- UPSC द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के साथ-साथ VisionIAS द्वारा तैयार किए गए 20,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले प्रश्नों का विशाल संग्रह
- अपनी जरूरत के अनुसार विषयों और टॉपिक्स का चयन करके पर्सनलाइज्ड टेस्ट तैयार करने की सुविधा
- परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट टेस्ट (PIT)
- टेस्ट में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर, सुधार की गुंजाइश वाले क्षेत्रों पर फीडबैक

प्रारंभ: 3 नवंबर
अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

2.1.4. भारत ऑस्ट्रेलिया सुरक्षा साझेदारी (INDIA AUSTRALIA SECURITY PARTNERSHIP)

संदर्भ

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपनी **नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी (NDS) 2024** में भारत को **इंडो-पैसिफिक रीजन (IPR) में "शीर्ष स्तरीय सुरक्षा भागीदार"** के रूप में शामिल किया है।

विश्लेषण

भारत-ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्त्व

- **साझे रणनीतिक हित: हिंद-प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी** बनाए रखने में दोनों देशों के **अपने-अपने हित हैं।**
- **चीन को प्रतिसंतुलित करना:** भारत-ऑस्ट्रेलिया साझेदारी को अप्रत्यक्ष रूप से **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने** के रूप में देखा जाता है।
- **गैर-पारंपरिक मुद्दों का समाधान करना:** दोनों देश घनिष्ठ सहयोग के जरिए **आतंकवाद, समुद्री डकैती, अवैध मत्स्यन, समुद्री प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन** जैसे मुद्दों का अधिक प्रभावी ढंग से समाधान कर सकते हैं।
- **नवीन पहलों में सहयोग:** ऑस्ट्रेलिया ने **भारत के इंडो-पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव (IPOI) का समर्थन** किया है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया सुरक्षा संबंधों में भिन्नता

- **भू-राजनीतिक भिन्नता: अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया का गठबंधन और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता** उनके भू-राजनीतिक हितों को पूरी तरह से संरेखित करने में चुनौती पेश करती है।
- **इंडो-पैसिफिक कॉन्स्ट्रक्ट की गत्यात्मकता:** भारत पारंपरिक रूप से स्वयं को हिंद महासागर की शक्ति के रूप में देख रहा है। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया ने ऐतिहासिक रूप से प्रशांत क्षेत्र पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है।
- **अलग-अलग प्राथमिकताएं:** ऑस्ट्रेलिया चीन द्वारा प्रस्तुत चुनौती को अपनी राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था के साथ-साथ क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से देखता है। इसके विपरीत, भारत चीन को अपनी विवादित सीमा (भारत-चीन सीमा) के साथ एक सीधे सैन्य खतरे के रूप में देखता है।

भारत ऑस्ट्रेलिया सुरक्षा संबंधों को मजबूत बनाने के उपाय

- **हिंद-प्रशांत में पारस्परिक विस्तार:** ऑस्ट्रेलिया अपने समर्थन और सहयोग के जरिए भारत को दक्षिण प्रशांत में भागीदारी की सुविधा प्रदान कर सकता है। उसी प्रकार भारत को भी पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में आपदा-रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (CDRI) पहल के तहत ऑस्ट्रेलिया के साथ काम करने की आवश्यकता है।
- **तकनीकी सहयोग को बढ़ाना:** बख्तरबंद वाहनों, समुद्र के नीचे सेंसर, रडार सिस्टम और अलग-अलग उप-प्रणालियों का संयुक्त उत्पादन जैसे कई अनछुए क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने के अवसरों का पता लगाया जा सकता है।
- **अंतर-संचालनीयता (Interoperability) में सुधार:** समुद्री क्षेत्रक में अंतर-संचालनीयता को समुद्री डोमेन जागरूकता (MDA); खोज और बचाव अभियान तथा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत के संदर्भ में और गहन किया जा सकता है।
- **समझौतों को लागू करना:** म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट अरेंजमेंट (MLSA) को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। इससे नियमित लॉजिस्टिक समर्थन को सक्षम करने तथा त्रि-सेवा अभ्यास (Tri-services exercises), क्रॉस-बेसिंग और संयुक्त ऑपरेशन की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र की अवधारणा:

- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र** विश्व का आर्थिक और रणनीतिक व सामरिक रूप से आकर्षण का केंद्र रहा है। यहां पर विश्व की **आधी से ज्यादा आबादी** निवास करती है और इसकी वैश्विक अर्थव्यवस्था में **लगभग 2/3 हिस्सेदारी** है।
- भारत के अनुसार "हिंद-प्रशांत" में **अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर दक्षिण प्रशांत तक के द्वीप शामिल हैं।**
- **हिंद-प्रशांत पर भारत के नीतिगत परिप्रेक्ष्य में "समावेशिता", "खुलापन" और "आसियान केंद्रीयता" शामिल है।**

2.1.5. अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा और कच्चातिवू का मुद्दा (INTERNATIONAL MARITIME BOUNDARY LINE AND KACHCHATHEEVU ISSUE)

संदर्भ

श्रीलंका के मछुआरों ने श्रीलंका के जल क्षेत्र में अवैध तरीके से मछली पकड़ने को लेकर भारतीय मछुआरों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। श्रीलंकाई मछुआरों के अनुसार भारतीय मछुआरों ने श्रीलंका के लिए निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) का उल्लंघन किया है।

विश्लेषण

- **इस समस्या के तीन परस्पर जुड़े हुए पहलू हैं:** कच्चातिवू द्वीप को लेकर दोनों देशों के बीच असहमति; श्रीलंकाई जलक्षेत्र में भारतीय मछुआरों द्वारा अवैध मत्स्यन; तथा मछली पकड़ने में उपयोग होने वाले बड़े ट्रॉलर्स (जिनसे पर्यावरण को हानि पहुंचती है)।
- इसके विपरीत, भारतीय मछुआरों का मानना है कि वे कच्चातिवू के आस-पास केवल अपने पारंपरिक समुद्री क्षेत्रों में मछली पकड़ रहे हैं। श्रीलंका अनावश्यक रूप से उनके ऊपर **अपने क्षेत्राधिकार वाले समुद्र में घुसपैठ** का आरोप लगाता है।
- भारतीय मछुआरों ने यह भी कहा है कि **जलवायु परिवर्तन और भारतीय IMBL में मत्स्य भंडार की कमी** ने उन्हें समुद्र में दूर तक जाने के लिए बाध्य किया है।

कच्चातिवू द्वीप का मुद्दा

- **कच्चातिवू और वेज बैंक (Wadge Bank) के बारे में**
  - कच्चातिवू श्रीलंका की समुद्री सीमा रेखा के भीतर समुद्र में **285 एकड़ का एक क्षेत्र** है।
  - यह **रामेश्वरम के उत्तर-पूर्व और श्रीलंका के डेल्फ़्ट द्वीप के दक्षिण-पश्चिम** में अवस्थित है।
  - **वेज बैंक विश्व में मछली पकड़ने के सबसे समृद्ध जलीय क्षेत्रों में से एक** है। यह **कच्चातिवू द्वीप की तुलना में समुद्र में कहीं अधिक सामरिक अवस्थिति में है।**
- UNCLO के अनुच्छेद 15 में दो देशों के मध्य समुद्री सीमाओं को निर्धारित करने के लिए मध्य रेखा (Median line) का उपयोग करने से छूट प्रदान की गई है। यह संबंधित देशों को आपसी सहमति से समुद्री सीमा तय करने की अनुमति देता है।
- **1974 में भारत और श्रीलंका के बीच हुए समझौते** ने इस छूट के तहत एक आपस में सहमत समुद्री सीमा स्थापित की। परिणामस्वरूप, कच्चातिवू द्वीप श्रीलंका के समुद्री सीमा क्षेत्र में आ गया।
  - भारतीय मछुआरों को केवल आराम करने, जाल सुखाने और वार्षिक सेंट एंथनी चर्च उत्सव के लिए कच्चातिवू पर जाने की अनुमति दी गई थी।
- बाद में, **दोनों देशों के बीच 1976 में हुए समझौते के तहत कन्याकुमारी के पास अवस्थित वेज बैंक पर भारत को संप्रभु** अधिकार देकर समुद्री सीमा तय की गई।
  - विशिष्ट परिस्थितियों में सीमित संख्या को छोड़कर, श्रीलंकाई मत्स्यन जहाजों को वेज बैंक में मछली पकड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया था।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) के बारे में

- भारत-श्रीलंका ने **1974 के समुद्री सीमा समझौते द्वारा IMBL को पाक जलडमरूमध्य में सीमांकित** किया था।
- इसे समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS) के सिद्धांतों के आधार पर सीमांकित किया गया था।
- UNCLOS के अनुसार, समुद्री सीमाओं को अक्सर समान दूरी के सिद्धांत के आधार पर परिभाषित किया जाता है। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि **किसी देश की समुद्री सीमा को उसके पड़ोसी देश के तटीय क्षेत्रों से समान दूरी पर एक मध्य रेखा का पालन** करना चाहिए।
- यह सीमा प्रत्येक देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ), प्रादेशिक सागर (Territorial waters) और अन्य समुद्री क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए स्थापित की गई है। इससे **समुद्री क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों एवं संघर्षों को रोकने में मदद** मिलती है।

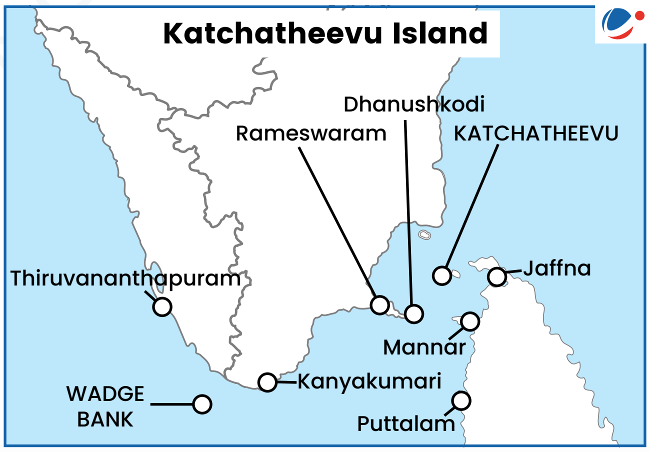

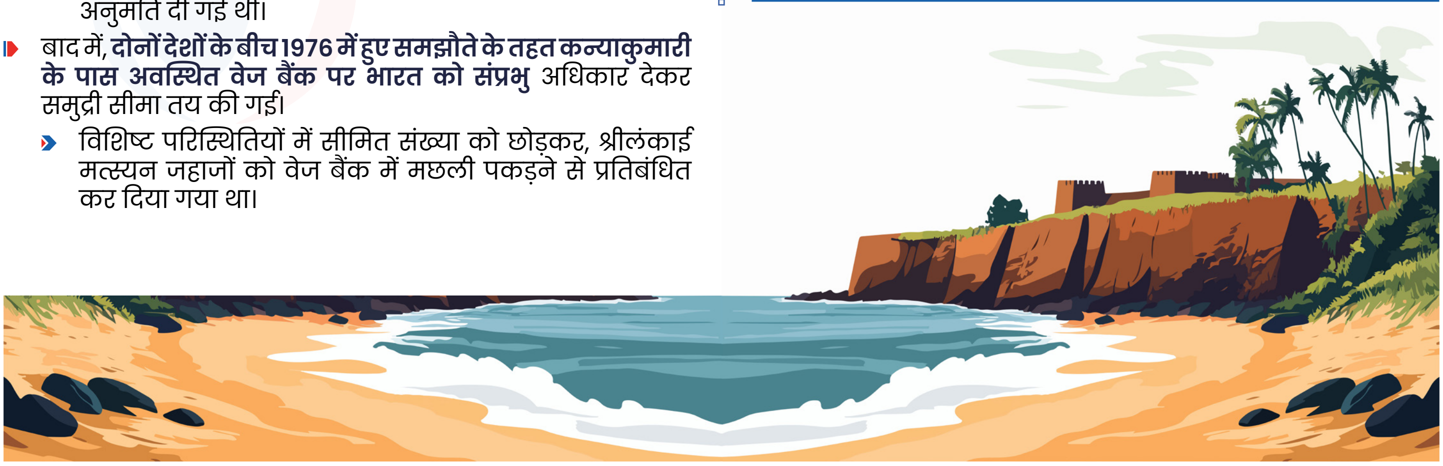

2.1.6. सिंधु जल संधि (INDUS WATER TREATY: IWT)

संदर्भ

भारत ने **रावी नदी पर शाहपुर कंडी बैराज** के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया है। इसके जरिए भारत ने **रावी नदी के जल प्रवाह को पाकिस्तान की ओर जाने से रोक** दिया है।

विश्लेषण

संधि से जुड़े हुए मुद्दे

- **पाकिस्तान द्वारा भारतीय परियोजनाओं का लगातार विरोध:** विरोध मुख्य रूप से इस मुद्दे पर किया जाता है कि क्या ये परियोजनाएं संधि में उल्लिखित **तकनीकी मानदंडों का पालन** करती हैं या नहीं। **झेलम नदी पर किशनगंगा जलविद्युत परियोजना** और **चिनाब नदी पर रतले जलविद्युत परियोजना पर पाकिस्तान का विरोध** ऐसे ही मुद्दे को व्यक्त करता है।
- **न्यायिक समाधान पर मतभेद:** भारत **तटस्थ विशेषज्ञ** के माध्यम से मतभेदों का समाधान चाहता है। **तटस्थ विशेषज्ञ संधि की मूल भावना की व्याख्या** करते हैं। वहीं पाकिस्तान ने **स्थायी मध्यस्थता न्यायालय** (Permanent Court of Arbitration: PCA) के पास जाने का विकल्प चुना है, जो **संधि की अक्षरशः व्याख्या** करता है।
  - PCA ने **जुलाई, 2023** में भारत की चिंताओं को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया था और **बिना किसी अपील के दोनों पक्षों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी** निर्णय दे दिया था। हालांकि, भारत ने PCA के फैसले को मानने से इनकार कर दिया।
- **तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंध:** यह संधि भारत-पाकिस्तान के आपसी संबंधों से भी प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए- पाकिस्तान द्वारा राज्य प्रायोजित आतंकवाद के लगातार उपयोग के कारण **स्थायी सिंधु आयोग के आयुक्तों के बीच अर्द्ध-वार्षिक वार्ता निलंबित** कर दी गई थी।
- **जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:** जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा और अपवाह के पैटर्न, तीव्रता एवं समय चक्र में परिवर्तन आया है।
- **थर्ड-पार्टी गारंटर के माध्यम से संघर्ष का समाधान करने का तरीका:** विश्व बैंक IWT का गारंटर है और नदी के जल प्रवाह में अवैध हस्तक्षेप से संबंधित किसी भी मुद्दे की रिपोर्ट करने के लिए नदी के बहाव वाले निचले इलाके में आने वाले देश (भारत या पाकिस्तान कोई भी) पर निर्भर है। हालांकि, यह जानने का कोई निश्चित तरीका नहीं है कि क्या वास्तव में अवैध हस्तक्षेप हुआ है या यह केवल जलवायु परिवर्तन के कारण किसी विशेष मौसम में कम जल प्रवाह का मामला है।
- **नियमित आधार पर डेटा को साझा नहीं किया जाता है:** नदी बेसिन में होने वाले उतार-चढ़ाव को समग्र रूप से समझने के लिए जल प्रवाह से संबंधित डेटा को साझा करना बहुत जरुरी है।
- **संधि की तकनीकी प्रकृति:** संधि के प्रावधान अत्यधिक तकनीकी प्रकृति के हैं, जिनकी विविध और व्यापक व्याख्या करनी आवश्यक हो जाती है।

आगे की राह

- **IWT को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इस पर पुनर्विचार करना:**
  - जल विशेषज्ञों का मानना है कि IWT का मसौदा तैयार करते समय **तकनीकी प्रगति को ध्यान में नहीं रखा गया था।** अतः दोनों देशों को तकनीकी प्रगति पर विचार करने की आवश्यकता है।
  - **अंतर्राष्ट्रीय जल कानून से संबंधित सिद्धांतों को शामिल करना: न्यायसंगत और उचित उपयोग (Equitable and Reasonable Utilisation) तथा नो हार्म रुल (NHR)** जैसे अंतर्राष्ट्रीय जल कानून से संबंधित सिद्धांत दोनों देशों के बीच मौजूद मतभेदों को समाप्त करने में मदद कर सकते हैं।
- **दोनों पक्षों के सिंधु जल आयुक्तों को सशक्त बनाया जाना चाहिए,** ताकि वे एक साथ काम करने और **राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना** तर्कसंगत निर्णय लेने में सक्षम हो सकें।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

- **सिंधु जल संधि** के तहत **रावी** नदी के जल पर **भारत** का पूर्ण अधिकार है।
- अभी तक, रावी नदी का कुछ जल **माधोपुर हेडवर्क्स** के से होकर पाकिस्तान की ओर बह जाता था।
- अब, शाहपुर कंडी बांध परियोजना के पूरा होने से, भारत 1,150 क्यूसेक जल को **जम्मू-कश्मीर, पंजाब व राजस्थान** की ओर प्रवाहित करेगा। इससे इन क्षेत्रों में **कृषि कार्य के लिए अतिरिक्त जल उपलब्ध** होगा। साथ ही, **बांधों से जल विद्युत के उत्पादन** की संभावना भी बढ़ेगी।

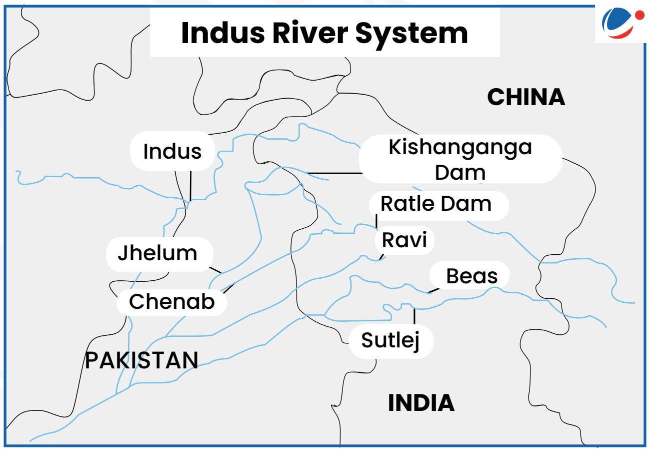

सिंधु जल संधि (IWT) के बारे में

- **उत्पत्ति:** IWT पर **1960 में भारत और पाकिस्तान ने हस्ताक्षर** किए थे। इस संधि के लिए **विश्व बैंक ने मध्यस्थता** की थी। इसके अलावा, **विश्व बैंक** इस संधि में एक **हस्ताक्षरकर्ता** भी है।
- **उद्देश्य:** यह संधि सिंधु नदी प्रणाली के जल के उपयोग से संबंधित **दोनों देशों के अधिकारों एवं दायित्वों को निर्धारित और सीमित** करती है।
- **जल उपयोग संबंधी अधिकारों के लिए प्रावधान:**
  - **पूर्वी नदियों- सतलज, ब्यास और रावी** का पूरा जल **भारत को आवंटित** किया गया है। साथ ही, **भारत इन नदियों के जल का बिना किसी रोक के उपयोग** कर सकता है।
  - **पश्चिमी नदियों- सिंधु, झेलम और चिनाब** का जल **ज्यादातर पाकिस्तान को आवंटित** किया गया है।
- **कार्यान्वयन:** इस संधि को लागू करने के लिए **स्थायी सिंधु आयोग (Permanent Indus Commission)** का गठन किया गया है:
  - आयोग को **वर्ष में कम-से-कम एक बार बारी-बारी से भारत और पाकिस्तान में बैठक** करना अनिवार्य है।

- मुख्य नदियों एवं उनकी सहायक नदियों में लंबे समय तक जल प्रवाह सुनिश्चित करना चाहिए। इसके लिए जल संचयन और प्रबंधन पद्धतियों में सुधार जैसे अनुकूल उपायों को लागू करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इससे जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान किया जा सकेगा।
- पारदर्शिता एवं व्यावहारिक वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए **ओपन डेटा पॉलिसी** को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

विवादों को सुलझाने का तंत्र

चरण 1: स्थायी सिंधु आयोग - यह संधि के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों का समाधान करता है।

चरण 2: तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति- जल बंटवारे पर अनसुलझे मतभेदों से निपटने के लिए इन्हें **विश्व बैंक द्वारा नियुक्त** किया जाता है। इनके निर्णय बाध्यकारी होते हैं।

चरण 3: माध्यस्थम न्यायालय (Court of Arbitration) - यदि तटस्थ विशेषज्ञ विवाद समाधान में विफल हो जाता है, तो फिर विवाद माध्यस्थम न्यायालय के पास जाता है। यह **सात सदस्यीय** माध्यस्थम **न्यायाधिकरण** है, जो अपनी प्रक्रियाएं खुद निर्धारित करता है और बहुमत के आधार पर निर्णय करता है।

2.1.7. भारत का द्विपक्षीय संबंधों को संतुलित करने का प्रयास (INDIA'S ACT OF BALANCING BILATERAL RELATIONSHIP)

संदर्भ

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत पर कुछ संभावित प्रतिबंधों की चेतावनी जारी की थी। यह चेतावनी भारत द्वारा ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह समझौते पर हस्ताक्षर करने के कारण दी गई थी।

विश्लेषण

- अमेरिका को यह डर है कि भारत-ईरान चाबहार समझौता **अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए उस पर लगाए गए व्यापार प्रतिबंधों के खिलाफ** काम कर सकता है।
- इससे पहले, रूस से S-400 मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली की खरीद पर **काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट (CAATSA)** के तहत भारत पर प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना उत्पन्न हो गई थी। हालांकि, भारत पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था।
- पिछले कुछ वर्षों में रूस-यूक्रेन और इजरायल-फिलिस्तीन संकट जैसी कई घटनाएं घटित हुई हैं। इन घटनाओं से वैश्विक स्तर पर कई पक्षों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को प्रबंधित करने की भारत की रणनीतियों का परीक्षण हुआ।

द्विपक्षीय संबंधों को संतुलित करने के संबंध में भारत के समक्ष आने वाली समस्याएं और चुनौतियां

- **"अस्पष्ट रुख अपनाने" का आरोप:** इस आरोप के अनुसार वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनने की आकांक्षा रखने के बावजूद भारत किसी पक्ष का खुलकर समर्थन नहीं करता है।
- **आक्रमणकारी देश के पक्ष में युद्ध को वित्त-पोषित करने का आरोप:** उदाहरण के लिए- यूरोपीय शक्तियां भारत पर सस्ते रूसी कच्चे तेल को खरीदकर रूस के युद्ध को परोक्ष तरीके से वित्त-पोषित करने और रूस के आक्रमणकारी कृत्य की सार्वजनिक रूप से आलोचना न करने का आरोप लगाती हैं।
- **नई धुरी का उदय:** उदाहरण के लिए- भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों को गहन करना एक नई धुरी अर्थात् **रूस-चीन-पाकिस्तान की धुरी के उदय का कारण** बनता जा रहा है।
- **प्रतिष्ठा को क्षति:** भारत द्वारा परस्पर संघर्षरत देशों के साथ द्विपक्षीय संतुलन बनाते हुए तटस्थता बनाए रखने से उक्त देशों के नजरिए में भारत की प्रतिष्ठा पर असर पड़ सकता है।
  - उदाहरण के लिए- भारत ने संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) से अमेरिका के हटने की निंदा नहीं की है।
- ऊर्जा और रक्षा के लिए **आयात पर निर्भरता** कई बार वैश्विक स्थिति में भारत के रुख को प्रभावित करती है।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्वाड जैसे **मिनी-लैटरल्स का उदय** वैश्विक सहयोग के आदर्श दृष्टिकोण को कमजोर कर देता है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

- **रणनीतिक स्वायत्तता:** इसका आशय है किसी राष्ट्र द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने तथा अन्य राष्ट्रों द्वारा उत्पन्न किसी भी तरह की बाधा से बाधित हुए बिना अपने हितों के अनुरूप अपनी विदेश नीति का संचालन करने की क्षमता।
- **ग्लोबल साउथ:** इसका आशय ऐसे देशों से है, जिन्हें अक्सर **'विकासशील', 'अल्प विकसित' या 'अविकसित'** के रूप में संबोधित किया जाता है।
  - इस शब्द की उत्पत्ति **ब्रैंट रिपोर्ट** के प्रकाशन के बाद हुई है। इस रिपोर्ट में **तुलनात्मक रूप से प्रति व्यक्ति उच्चतर सकल घरेलू उत्पाद वाले देशों (ज्यादातर उत्तरी गोलार्द्ध में स्थित) और प्रति व्यक्ति निम्नतर सकल घरेलू उत्पाद वाले देशों (ज्यादातर दक्षिणी गोलार्द्ध में स्थित) के बीच अंतर** किया गया था।

द्विपक्षीय संबंधों को संतुलित करने के लिए भारत द्वारा अपनाई गई रणनीतियां

- **रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना:** उदाहरण के लिए- भारत **रूस और अमेरिका के साथ अपने स्वतंत्र संबंध** बनाए रखता है तथा इनमें से किसी को भी अपनी विदेश नीति निर्धारित करने की अनुमति नहीं देता है।
- भारत **मध्य-पूर्व के मामले में डी-हाइफनेशन (De-hyphenation):** उदाहरण के लिए- इजरायल और फिलिस्तीन के साथ भारत के संबंध उसके राष्ट्रीय हितों पर आधारित हैं और भारत के दोनों देशों के साथ स्वतंत्र (अलग-अलग) संबंध हैं।
- **व्यापक राजनयिक संबंध और आपसी जुड़ाव की रणनीति अपनाई गई:** उदाहरण के लिए- 2022 में भारत **रूस-यूक्रेन संकट** के दौरान रूस, यूक्रेन, अमेरिका, रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया आदि देशों के साथ मिलकर **ऑपरेशन गंगा** द्वारा छात्रों को युद्धरत क्षेत्र से बाहर निकालने में सफल रहा था।
- **बहुध्रुवीयता और बहुपक्षवाद का दृष्टिकोण:** उदाहरण के लिए- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व व्यापार संगठन आदि में सुधारों के लिए भारत का प्रयास उसे विश्व भर में समान विचारधारा वाले देशों के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करता है।
- **वैकल्पिक तंत्रों** (जैसे कि रुपया-रूबल आधारित व्यापार,

वैमासिक रिवीजन

आगे की राह

- **विकल्प के रूप में उभरना:** भारत अमेरिका और चीन के विकल्प के रूप में सामने आ सकता है। साथ ही, यह तेजी से ध्रुवीकृत होती विश्व व्यवस्था में ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करने पर भी ध्यान केंद्रित कर सकता है।
- **सामरिक बचाव:** उदाहरण के लिए- चीन को प्रतिसंतुलित करना। इसमें चीन के साथ असैन्य राजनयिक संबंधों और व्यापार को बनाए रखते हुए उसके द्वारा भारत के खिलाफ की जाने वाली राजनीतिक एवं सैन्य गतिविधियों से निपटने की क्षमता और संबंध विकसित करना शामिल है।

रुपया-रियाल आधारित व्यापार तंत्र आदि) की पेशकश करने से भारत की द्विपक्षीय संबंधों को संतुलित करने में विश्वसनीयता बढ़ती है।

- **सॉफ्ट पावर का उपयोग:** उदाहरण के लिए- अमेरिका में भारतीयों ने भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के लिए संगठित प्रयास किया था।

- **आत्मनिर्भरता या जोखिमों का विविधीकरण:** यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रकों जैसे कि रक्षा, ऊर्जा आदि में आवश्यक है।
- **अंतर्राष्ट्रीयवाद और बहु-गठबंधन आधारित विदेश नीति का पालन करना:** ऐसी नीति विशेष मुद्दों पर आधारित गठबंधन (जैसे- ब्रिक्स, क्वाड, G20, G7, SCO आदि) से संबंधित हो सकती है।
- **वैश्विक चुनौतियों से निपटने में नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाना:** जलवायु परिवर्तन, कनेक्टिविटी, आतंकवाद और आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन से संबंधित चुनौतियों से निपटने में नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभानी चाहिए।

2.2. क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंच (REGIONAL AND MULTILATERAL FORUMS)

2.2.1. क्वाड (QUAD)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने **"स्ट्रेंथ यू.एस.-ऑस्ट्रेलिया-इंडिया-जापान कोऑपरेशन"** या **"स्ट्रेंग्थेनिंग द क्वाड एक्ट"** को पारित किया।

विश्लेषण

भारत के लिए क्वाड का महत्त्व

- **हिंद-प्रशांत में भारत की सक्रिय भागीदारी:** वैश्विक समुद्री व्यापार का **आधा हिस्सा** इसी क्षेत्र से संपन्न होता है। यह क्षेत्र दुनिया की सकल घरेलू उत्पाद में 60 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है।
- **एक्ट ईस्ट को बढ़ावा:** क्वाड गठबंधन ने भारत को पूर्वी एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- **रक्षा गतिविधियां:** ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत की रक्षा और सुरक्षा साझेदारियां देश की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने में सहायक हैं।
- **सहयोग के विविध क्षेत्र:** उदाहरण के लिए- ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ने चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए **आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (SCRI)** शुरू करने की घोषणा की है।
- **द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना:** भारत एवं क्वाड देशों के मध्य सूचना साझाकरण समझौते, हथियारों के आदान-प्रदान संबंधी समझौते एवं रक्षा संबंध द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने में काफी मददगार हो सकते हैं।
- **आर्थिक लाभ:** क्वाड भारत को आर्थिक लाभ भी प्रदान करेगा। चीन पर निर्भरता के कारण कुछ समय पहले ही आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान आया था। ऐसे में क्वाड भारत को निवेश के लिए एक पसंदीदा स्थान बना सकता है।

क्वाड के समक्ष मौजूद चुनौतियां

- **पूरी तरह से संस्थागत नहीं:** अपने वर्तमान स्वरूप में, क्वाड अपेक्षाकृत कम संस्थागत बना हुआ है। यह कोई सुरक्षा मंच या व्यापार समूह नहीं है। यह स्थिति इसकी विश्वसनीयता और प्रभाव को कम कर सकती है।
- **शीत-युद्ध की मानसिकता:** चीन ने क्वाड कूटनीति की आलोचना करते हुए इसे **"शीत-युद्ध की मानसिकता"** और **"एशियाई नाटो"** स्थापित करने का प्रयास बताया है।
- **अद्वितीय चरित्र:** क्वाड के उद्देश्य को आसियान (ASEAN), पैसिफिक आइलैंड फोरम और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) जैसे अन्य क्षेत्रीय समूहों से अलग परिभाषित करना कठिन साबित हुआ है।
- **सेवाओं के वितरण में समस्या:** अपने प्रयासों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ावा देने में असमर्थता के लिए क्वाड की आलोचना की जाती है। उदाहरण के लिए- क्वाड "800 मिलियन कोविड-19 वैक्सीन खुराक" वितरित करने का वादा पूरा नहीं कर सका।
- **क्वाड से जुड़ी भारत की चिंताएं**
  - **विभिन्न मोर्चों पर चीन के साथ फिर से तनाव होने की संभावना:** क्वाड सदस्यों में भारत एकमात्र देश है जो चीन के साथ अपनी

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

अधिनियम के बारे में

- इस अधिनियम का उद्देश्य क्वाड (QUAD) के चारों सदस्यों के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करना है, ताकि एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी, लचीले एवं सुव्यवस्थित हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके।
- **क्वाड अंतर-संसदीय कार्य समूह** स्थापित किया जाएगा।

क्वाड के बारे में

- क्वाड **समान विचारधारा वाले चार देशों का एक अनौपचारिक मंच** है। इसमें **संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया** और **जापान** शामिल हैं।

क्वाड (QUAD) का विकासक्रम:

- **2007: जापान** के पूर्व प्रधान मंत्री ने क्वाड को औपचारिक रूप दिया और इस समूह की **पहली बैठक 'आसियान रीजनल फोरम' के साथ आयोजित** हुई।
  - इसके बाद **क्वाड लगभग एक दशक तक निष्क्रिय** बना रहा।
- 2017: क्वाड को लेकर **पहली आधिकारिक वार्ता 'ईस्ट एशिया समिट' के दौरान फिलीपींस** में हुई थी।
- **कार्य:** क्वाड के व्यावहारिक कार्य को **निम्नलिखित 6 कार्य-क्षेत्रों पर "सिक्स लीडर्स लेवल वर्किंग ग्रुप्स"** के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है।
  - **जलवायु:** स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पहल, क्वाड क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन पैकेज (Q-CHAMP), आदि।
  - **महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियां:**
    - प्रशांत महासागर क्षेत्र में पहला **ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क (Open RAN)** को स्थापित करने के लिए पलाऊ के साथ सहयोग की घोषणा की गई है।
    - रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए निजी क्षेत्रक के नेतृत्व वाले **क्वाड इन्वेस्टर्स नेटवर्क (QUIN)** शुरू किया गया है।
  - **साइबर: क्वाड जॉइंट प्रिंसिपल फॉर सिक्योर सोफ्टवेयर** और **क्वाड जॉइंट प्रिंसिपल फॉर साइबर सिक्योरिटी ऑफ़ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर** जारी किए गए हैं।
  - **स्वास्थ्य सुरक्षा साझेदारी:** व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा साझेदारी
  - **अवसंरचना:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र में केबल सिस्टम को मजबूत करने के लिए **क्वाड पार्टनरशिप फॉर केबल कनेक्टिविटी एंड रेजिलिएंस** शुरू किया गया है।

भूमि सीमा साझा करता है। इससे भारत के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य हो जाता है कि क्वाड सिर्फ एक चीन-विरोधी समूह बनकर न रह जाए।

- **भारत का संतुलित दृष्टिकोण:** भारत ने ऐसे देशों या संगठनों के साथ भी साझेदारी को बढ़ावा देना जारी रखा है, जो तथाकथित क्वाड विरोधी हैं, जैसे कि SCO (शंघाई सहयोग संगठन) और ब्रिक्स।

- **अंतरिक्ष: अर्थ ऑब्जर्वेशन वाले सैटेलाइट डेटा** और उनके विश्लेषण कार्यों का आदान-प्रदान किया जा रहा है।
- **क्वाड के अन्य पहल: क्वाड पार्टनरशिप ऑन HADR** (HADR भारत के नेतृत्व में शुरू की गई एक पहल है), **क्वाड डेट मैनेजमेंट रिसोर्स पोर्टल आदि।**

- **अन्य भागीदारों पर प्रभाव:** क्वाड में भारत की भागीदारी बढ़ने से अन्य महत्त्वपूर्ण भागीदार, जैसे- रूस और ईरान भारत से दूर हो सकते हैं।

आगे की राह

क्षेत्रीय समृद्धि पर ध्यान देना: इसे हासिल करने के लिए, क्षेत्रीय समृद्धि में इसके योगदान पर स्पष्टता और सुरक्षा मामलों पर लचीलापन आवश्यक है।

क्षेत्र में मौजूदा संगठनों को बढ़ाना: क्वाड को अन्य संगठनों को खत्म या प्रतिस्थापित करने के बजाय, अलग-अलग बहुपक्षीय या क्षेत्रीय संगठनों को बढ़ावा देना।

अन्य भागीदारों को शामिल करना: क्वाड को क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने की आवश्यकता है। इसके लिए क्वाड क्षेत्रीय साझेदारों के हितों एवं प्राथमिकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए।

स्पष्टता और अस्पष्टता को संतुलित करना: क्वाड को पारंपरिक सुरक्षा चिंताओं (जैसे- संभावित चीनी सैन्य कार्रवाई) पर विशेष ध्यान देने के बजाय चीन के साथ सीधे टकराव के जोखिम को कम करने पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए क्वाड साझा हितों के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।

2.2.2. ऑकस (AUKUS)

संदर्भ

AUKUS सदस्य (ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका) **उन्नत क्षमताओं वाली परियोजनाओं (Advanced Capabilities Projects)** को लेकर **जापान के साथ सहयोग** पर विचार कर रहे हैं।

विश्लेषण

- **पिलर II में जापान को शामिल करने** से गठबंधन के देशों के बीच साझेदारी बढ़ सकती है। साथ ही, चारों देशों के बीच निर्यात नियंत्रण व्यवस्था को और सूचना सुरक्षा विनियमन को व्यावहारिक बनाया जा सकता है।

AUKUS के निहितार्थ

- **हिंद-प्रशांत के लिए सामरिक निहितार्थ:** ऑस्ट्रेलिया की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करके, AUKUS का लक्ष्य एक स्वतंत्र, खुले, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण और समावेशी हिंद-प्रशांत के विज़न को प्राप्त करना है।
- **हिंद-प्रशांत में संयुक्त राज्य अमेरिका का नवीनीकृत प्रयास:** AUKUS को हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अमेरिका की मजबूत प्रतिबद्धता के रूप में देखा जाता है।
- **यूनाइटेड किंगडम के सामरिक वर्चस्व को फिर से स्थापित करना:** AUKUS हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा में दीर्घकालिक भूमिका के लिए यूनाइटेड किंगडम की आकांक्षा को पूरा करने में योगदान देगा।
- **AUKUS से संबंधित चिंताएं**
  - AUKUS के आधिकारिक **वक्तव्यों और रणनीतिक उद्देश्य** में स्पष्टता का अभाव है।
  - **चीन, AUKUS का विरोध** करता है। इससे हिंद-प्रशांत में क्षेत्रीय तनाव पैदा हो सकता है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

AUKUS के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसे 2021 में गठित किया गया था।
- **प्रकृति:** AUKUS **संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया** के बीच एक **त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी** है।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य सदस्य देशों की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना, तकनीकी एकीकरण में तेजी लाना और औद्योगिक क्षमता का विस्तार करना है।
- **AUKUS साझेदारी के दो प्राथमिक क्षेत्र या पिलर्स हैं:**
  - **पिलर-I:** इसमें **पारंपरिक हथियारों से युक्त और परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बियों** का विकास शामिल है।
  - **पिलर-II:** इसमें **उन्नत क्षमता विकास** शामिल है।
- महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को साझा करने की सुविधा के लिए, 2021 में एक **कानूनी रूप से बाध्यकारी त्रिपक्षीय समझौते** पर हस्ताक्षर किए। इसे **एक्सचेंज ऑफ नेवल न्यूक्लियर प्रोपल्शन इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट (ENNPIA)** के रूप में जाना जाता है।
- **AUKUS क्वॉड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग (Quad/ क्वाड) से अलग है:** AUKUS क्वाड के विपरीत **रक्षा साझेदारी को प्राथमिकता** देता है। वहीं क्वाड का व्यापक ध्यान **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग** पर केंद्रित है।

  - ऑस्ट्रेलिया परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों को हासिल करने की मंशा रखता है। अमेरिका AUKUS के जरिये ऑस्ट्रेलिया की यह मंशा पूरी करने को लेकर प्रतिबद्ध है। यही कारण है कि **ऑस्ट्रेलिया ने डीजल-इलेक्ट्रिक अटैक क्लास पनडुब्बियों से संबंधित फ्रांस के साथ किए गए समझौते को ख़ारिज** कर दिया था।

भारत और AUKUS

- **भारत के लिए AUKUS का महत्व:**

- **क्वाड का पूरक:** AUKUS एक साझा खतरे के रूप में चीन से निपटने तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने के लिए क्वाड के प्रयासों को मजबूत करेगा।
- **फ्रांस के साथ रणनीतिक सहयोग:** यह **फ्रांस** के साथ रणनीतिक सहयोग और यूरोपीय देशों के साथ विश्वास को गहरा करने के अवसर प्रस्तुत **करता है।**

भारत के लिए चिंताएं

- भविष्य में परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बियों की बढ़ती उपस्थिति के कारण पूर्वी हिंद महासागर में भारत के **क्षेत्रीय प्रभाव में संभावित कमी** आ सकती है।
- इसके अतिरिक्त, AUKUS संभावित रूप से **हिंद-प्रशांत में शक्ति संतुलन को बदल सकता है और क्वाड के महत्त्व को कम** कर सकता है।

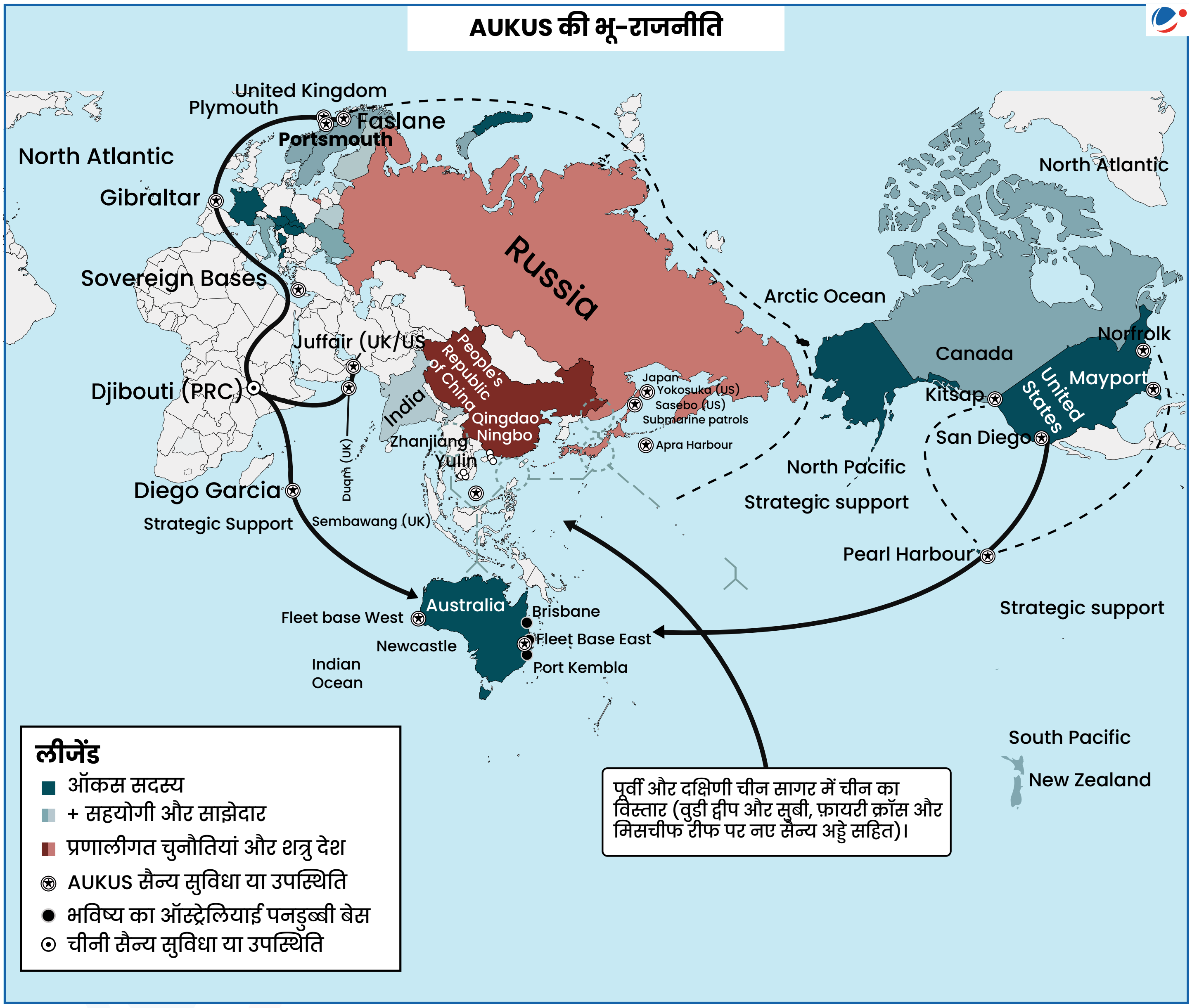

2.2.3. उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION: NATO)

संदर्भ

हाल ही में, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो/ NATO) ने अपने गठन के **75 वर्ष** पूरे किए। साथ ही, **स्वीडन** आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल होने वाला **32वां** सदस्य बन गया है।

विश्लेषण

पूर्वी यूरोप में नाटो के विस्तार के बारे में

- सोवियत संघ ने **1955 में 7 अन्य पूर्वी यूरोपीय कम्युनिस्ट देशों** के साथ अपना स्वयं का सैन्य गठबंधन बनाकर नाटो के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। इस गठबंधन को **'वारसा संधि'** नाम दिया गया था।
- लेकिन **1991 में सोवियत संघ के पतन** के बाद, वारसा संधि वाले कुछ देश नाटो के सदस्य बन गए थे। इनमें **हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया** आदि शामिल हैं।
- नाटो की **'खुले द्वार की नीति' (नाटो संधि का अनुच्छेद 10)** किसी भी यूरोपीय देश को नाटो में शामिल होने की अनुमति देती है।

नाटो के पूर्व की ओर विस्तार के प्रभाव

- **रूस और पश्चिमी देशों के बीच अविश्वास का सृजन:** नाटो का यह कदम रूस को चीन और ईरान के साथ पश्चिम-विरोधी गठबंधन बनाने पर विचार करने के लिए बाध्य करता है।
- **क्षेत्र में विसैन्यीकरण की विपरीत प्रवृत्ति:** नए नाटो सदस्यों को पश्चिमी कमान संरचना के साथ एकीकृत होने के लिए भारी धनराशि देने की आवश्यकता होगी।
- **यूरोप में मौजूदा विभाजन को तीव्र करना:** कुछ देशों को अन्य संगठनों से पहले अपने समूह में शामिल करके, नाटो अत्यधिक समृद्ध उत्तरी यूरोप और अल्प समृद्ध दक्षिणी यूरोप के मध्य तथा पूर्वी यूरोप व पूर्व सोवियत संघ के देशों के बीच पहले से मौजूद विभाजन को तेज कर देगा।
- **यूरोप में सैन्यीकरण में वृद्धि:** जैसा कि जॉर्जिया में उसके कार्यों और यूक्रेन में चल रहे तनाव से पता चलता है।

नाटो के समक्ष प्रमुख चुनौतियां

- **वित्त-पोषण की समस्या:** 2006 में, नाटो के रक्षा मंत्री ने इस प्रतिबद्धता पर सहमति व्यक्त की थी कि सदस्य देशों के सकल घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत नाटो रक्षा के लिए आवंटित किया जाएगा। हालांकि, नाटो के अधिकांश सदस्य देश इस प्रतिबद्धता को पूरा नहीं करते हैं।
- **दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद:** पूरे यूरोप में दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद का प्रसार हो रहा है। साथ ही, नाटो और यूरोपीय संघ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रति भी असंतोष बढ़ रहा है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका की यूरोप की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता:** पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस गठबंधन के मूल्य पर सवाल उठाया था और कहा था कि क्या अमेरिका को अनुच्छेद 5 की प्रतिबद्धता का सम्मान करना चाहिए।
- **रूसी आक्रामकता:** नाटो ने रूस को पूर्व में विस्तार न करने का एक अनौपचारिक आश्वासन दिया था। हालांकि, इसके बावजूद भी सोवियत संघ के पतन के नाटो ने कई पूर्व सोवियत देशों को संगठन में शामिल किया है। इससे नाटो और रूस के बीच विश्वास में कमी आई है। इसके अलावा, इससे तनाव और आक्रामकता की संभावनाओं को बढ़ावा मिला है।
- **चीन का बढ़ता प्रभाव:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति तथा यूरोप के औद्योगिक और तकनीकी आधार के समक्ष

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

नाटो के बारे में

- इसकी स्थापना **उत्तरी अटलांटिक संधि, 1949** से हुई थी। इसे **वाशिंगटन संधि** भी कहा जाता है।
- **उद्देश्य-** द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तत्कालीन सोवियत संघ के विस्तारवाद को रोकना

मुख्य तथ्यों पर एक नजर:

- **मुख्यालय:** ब्रुसेल्स (बेल्जियम)
- **स्वरूप:** नाटो **32 सदस्य देशों का एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है।**
- **मूल सिद्धांत: सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत (अनुच्छेद 5)**
- **इसके 12 संस्थापक सदस्य देश हैं-** बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।
  - 2023 में, **फिनलैंड नाटो का 31वां** सदस्य बना था।
  - 2022 में **यूक्रेन ने नाटो की सदस्यता के लिए औपचारिक रूप से आवेदन** किया था और उसे 2023 में **विनियस शिखर सम्मेलन** में आश्वासन प्राप्त हुआ था।
- **कार्य:** नाटो अटलांटिक द्वारा विभाजित यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच सेतु का कार्य करता है तथा रक्षा सहयोग बढ़ाने और संकट से निपटने में मदद करता है।
- **वित्त-पोषण:** यह योगदान सकल राष्ट्रीय आय से प्राप्त एक **लागत-साझाकरण सूत्र** (Cost-share formula) पर आधारित है।
- **नाटो भागीदारी:** नाटो ने 40 से अधिक गैर-सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंध स्थापित किए हैं। इन्हें नाटो भागीदार कहा जाता है।
- **कार्यक्रम: शांति के लिए भागीदारी; भूमध्यसागरीय संवाद; इस्तांबुल सहयोग पहल**
- **अंतर्राष्ट्रीय संगठन:** नाटो संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और यूरोप में सुरक्षा एवं सहयोग संगठन के साथ सहयोग करता है।
- **2022 रणनीतिक अवधारणा:** नाटो ने इसे अपने शिखर सम्मेलन 2022 में अपनाया था। यह एक मार्गदर्शक दस्तावेज़ है, जो **उभरती सुरक्षा संबंधी वास्तविकता** को दर्शाता है।
  - यह दस्तावेज़ **रूस को सदस्य देशों की सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर और प्रत्यक्ष खतरा मानता है,**
  - इसमें यूरोपीय हितों के अतिक्रमण के लिए **पहली बार चीन का उल्लेख** किया गया है और
  - अन्य चुनौतियों में **आतंकवाद, साइबर और हाइब्रिड खतरे, समुद्री सुरक्षा** आदि को शामिल करता है।
- **अन्य संबंधित शर्तें**
  - **प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी (MNNA) का दर्जा:** अमेरिकी कानून के तहत यह विदेशी भागीदारों को रक्षा व्यापार

त्रैमासिक रिवीजन

खतरा उत्पन्न करने वाला उसका आर्थिक एवं तकनीकी फुटप्रिंट नाटो के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करता है।

निष्कर्ष

नाटो को जटिल भू-राजनीतिक वास्तविकताओं से निपटने और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं स्थिरता के स्तंभ के रूप में अपनी भूमिका को बनाए रखना होगा। इसके लिए नाटो को नवाचार, लोचशीलता और रणनीतिक दूरदर्शिता की एक व्यापक रणनीति को अपनाना होगा।

और सुरक्षा सहयोग के क्षेत्रों में कुछ लाभ प्रदान करता है। वर्तमान में 18 देश एमएनएनए हैं।

- **नाटो प्लस फाइव:** ये देश हैं- ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान और इजराइल।

2.2.4. राष्ट्रमंडल (THE COMMONWEALTH)

संदर्भ

हाल ही में, लंदन घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। ज्ञातव्य है कि 26 अप्रैल, 1949 को लंदन घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसी के साथ **आधुनिक राष्ट्रमंडल की स्थापना** हुई थी।

विश्लेषण

राष्ट्रमंडल के साथ भारत के संबंध

- भारत **राष्ट्रमंडल का सबसे बड़ा सदस्य देश** है। राष्ट्रमंडल की कुल आबादी में से लगभग 60 प्रतिशत आबादी भारत में निवास करती है।
- भारत राष्ट्रमंडल में **चौथा सबसे बड़ा योगदानकर्ता** देश है।
- भारत ने **नई दिल्ली में 1983 में राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन** और **2010 में राष्ट्रमंडल खेलों** की मेजबानी की थी।
- 2018 में **इंडिया-यू.एन. डेवलपमेंट फंड** के अधीन **कॉमनवेल्थ सब-विंडो** (5 वर्षों में 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की स्थापना की गई थी।

क्या राष्ट्रमंडल वर्तमान समय में प्रासंगिक है?

- **पक्ष में तर्क:**
  - **चुनावों पर नज़र रखने के लिए मिशन:** 1967 से अब तक राष्ट्रमंडल ने **लगभग 40 देशों** में चुनावों की निगरानी तथा पारदर्शी और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने हेतु **140 मिशन** भेजे हैं।
  - **सदस्यों की बढ़ती संख्या:** टोगो और गैबॉन (ये दोनों ब्रिटिश उपनिवेश नहीं थे) जैसे नए सदस्यों के जुड़ने से यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रमंडल सहयोग और संवाद का एक बेहतर मंच है।
  - **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) का समर्थन:** राष्ट्रमंडल SDGs को लागू करने, विशेष रूप से **शांति और विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाले लक्ष्य 16** के प्रति प्रतिबद्ध है।
  - **व्यापार:** राष्ट्रमंडल देशों में व्यापारिक भागीदारों के लिए द्विपक्षीय लागत गैर-सदस्य देशों की तुलना में **औसतन 21 प्रतिशत कम** है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

राष्ट्रमंडल के बारे में

- **राष्ट्रमंडल क्या है:** यह अधिकांशतः ब्रिटिश उपनिवेश के अधीन रहे **राष्ट्रों का एक स्वैच्छिक संघ** है। ये देश लोकतंत्र, व्यापार, जलवायु परिवर्तन आदि मुद्दों पर आपस में सहयोग करते हैं।
- **उत्पत्ति:**
  - **ब्रिटिश राष्ट्रमंडल देश: 1926 के इम्पीरियल कॉन्फ्रेंस** में, ब्रिटेन और डोमिनियन स्टेटस वाले देश (अर्ध-स्वतंत्र देश) **ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर** एक समुदाय के **समान सदस्यों** के रूप में जुड़ने हेतु सहमत हुए थे। डोमिनियन स्टेटस वाले देश ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा रखते थे, लेकिन ब्रिटेन का उन देशों पर शासन नहीं था।
  - **भारत की स्वतंत्रता (1947):** स्वतंत्रता के बाद भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र बन गया, लेकिन वह राष्ट्रमंडल का सदस्य भी बने रहना चाहता था।
  - **लंदन घोषणा-पत्र (1949) को अपनाया गया:** इसके तहत घोषणा की गई कि गणतंत्र एवं अन्य देश, राष्ट्रमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। इसके बाद, **आधुनिक राष्ट्रमंडल की स्थापना** की गई।
    - शुरुआत में, इसमें **भारत सहित आठ सदस्य** शामिल थे।
- **वर्तमान सदस्य:** इसमें **भारत** सहित 56 सदस्य शामिल हैं।
- **कार्य:** राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों (CHOGM) की **बैठक प्रत्येक दो वर्ष में एक बार** होती है। इस बैठक में प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है और अंत में शिखर सम्मेलन मुख्य आउटकम के रूप में एक आधिकारिक विज्ञप्ति या डॉक्यूमेंट जारी किया जाता है। इसकी **हालिया बैठक 2022 में रवांडा में हुई थी।**

» **साझा अनुभवों के माध्यम से एकता:** अच्छे साझा संबंध, भाषा (अंग्रेजी), साझे ऐतिहासिक संबंध और लोगों के बीच मजबूत संबंध राष्ट्रमंडल देशों के बीच एकता और सहयोग को बढ़ावा देते हैं।

- **विपक्ष में तर्क:**
  - » आलोचकों का कहना है कि इसका **अस्तित्व ही उपनिवेशवाद को वैधता प्रदान करता** है।
  - » **समकालीन वैश्विक मुद्दों का समाधान करने में कम प्रासंगिक।**
  - » **सदस्यों के बीच सामंजस्य का अभाव।**
  - » **फंडिंग संबंधी रुकावट/ बाधाएं:** राष्ट्रमंडल की अंतर्राष्ट्रीय नौकरशाही को सीमित वित्तीय सहायता इसकी प्रभावशीलता को बाधित करती है। ब्रिटेन मुख्य रूप से द्विपक्षीय आधार पर इसे फंड उपलब्ध कराता है और इसके सचिवालयी काम-काज के लिए विशेष फंडिंग नहीं करता है।

निष्कर्ष

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने, व्यापार और पीपल-टू-पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाने के लिए राष्ट्रमंडल नेटवर्क का लाभ उठाना चाहिए। यह दीर्घकालिक विकास एवं समृद्धि के लिए आवश्यक है।

- **अन्य संबंधित तथ्य**
  - » **राष्ट्रमंडल प्रतिनिधित्व करता है:** विश्व की 14.5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का और विश्व की 32 प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है।
  - » **सभी सदस्यों को समान माना जाता है तथा निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं।**
  - » सदस्य देश **राष्ट्रमंडल के प्रमुख/ अध्यक्ष का चयन** करते हैं।

राष्ट्रमंडल की प्रमुख पहलें

- **लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना: राष्ट्रमंडल के सिद्धांतों का घोषणा-पत्र (1971)** और **हरारे राष्ट्रमंडल घोषणा-पत्र (1991)** जैसे समझौतों ने इन मूल्यों को बढ़ावा देने के प्रति राष्ट्रमंडल देशों की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है।
- **राष्ट्रमंडल चार्टर (2012):** इसमें विधि का शासन जैसे **16 प्रमुख साझा सिद्धांतों** को शामिल किया गया है। इसके प्रति सभी सदस्य देशों ने प्रतिबद्धता दिखाई है।
- **रंगभेद को समाप्त करने में भूमिका:** राष्ट्रमंडल के प्रयास और समर्थन से दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने में मदद मिली थी।
- **युवाओं को सशक्त बनाना:** यह एकमात्र अंतर-सरकारी संगठन है, जिसके पास एक समर्पित युवा कार्यक्रम है। इसका नाम कॉमनवेल्थ यूथ प्रोग्राम (CYP) है।
- **राष्ट्रमंडल साइबर घोषणा-पत्र (2018):** इसमें सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा डिजिटल अधिकारों की रक्षा करने के लिए **साइबर स्पेस के विकास का समर्थन** किया गया है।

2.2.5. बदलते समय में वैश्विक संस्थाएं (GLOBAL INSTITUTIONS IN THE CHANGING TIMES)

संदर्भ

संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे प्रमुख वैश्विक संस्थान अपने वांछित उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो रहे हैं। इस कारण इन संस्थाओं में व्यापक सुधारों की मांग उठ रही है।

विश्लेषण

वर्तमान वैश्विक संस्थाओं की प्रासंगिकता और महत्त्व:

- **लगभग सभी देश सदस्य के रूप में:** जैसे कि UN-193, IMF-190 आदि। इतनी अधिक सदस्यता इन संस्थाओं में वैश्विक विश्वास को दर्शाती है।
- **वैश्विक शांति के संरक्षक:** 1948 से ही UN ने कंबोडिया, मोजाम्बिक आदि में कई संघर्षों को समाप्त करने में मदद की है।
- **अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने एवं विनियामक के तौर पर:** जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और UNHRC जैसी संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने एवं विनियामक के रूप में कार्य करती हैं।
- **वैश्विक वित्तीय स्थिरता:** IMF और विश्व बैंक ने कई अवसरों पर देशों (भारत सहित) को उनके संकट के समय समर्थन दिया है।
- **वैश्विक विकास को दिशा देना:** UN की ओर से SDGs जैसे लक्ष्य सामूहिक विकास को दिशा प्रदान करते हैं।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

प्रमुख वैश्विक संस्थाओं के गठन का संदर्भ

- **संयुक्त राष्ट्र प्रणाली:** संयुक्त राष्ट्र का गठन 1945 में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों के बाद किया गया था। इसका **प्राथमिक एजेंडा आगे किसी भी ऐसे वैश्विक युद्ध को होने से रोकना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा** देना था।
- **विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF):** दोनों की स्थापना **1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन** के दौरान की गई थी। इन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक पुनर्निर्माण और विकास का समर्थन करने के लिए स्थापित किया गया था। हालांकि, इन दोनों के विषय-क्षेत्र अलग-अलग हैं-
  - » विश्व बैंक **दीर्घकालिक आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा** देता है; जबकि
  - » IMF का लक्ष्य एक **नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली** स्थापित करना है।

मौजूदा संस्थाओं को सुधार के बिना जारी रखने में क्या समस्याएं हैं?

- **प्रतिनिधित्व और समावेशिता:** उदाहरण के लिए- भारत विश्व में **सबसे बड़ी आबादी वाला देश और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था** (क्रय शक्ति समता के आधार पर) है, लेकिन IMF में भारत का **विशेष आहरण अधिकार (SDR) कोटा केवल 2.75%** है।

> - **विश्व व्यापार संगठन (WTO):** WTO की स्थापना **1995** में की गई थी। इसे उस दौर में स्थापित किया गया था, जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्रमिक उदारीकरण हो रहा था। ज्ञातव्य है कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड (GATT) फ्रेमवर्क की जगह **WTO की स्थापना** की गई थी।

- **बढ़ते द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समूह:** ध्यातव्य है कि G20, G7, ब्रिक्स जैसे संगठनों ने वैकल्पिक मंच की व्यवस्था स्थापित की है। इस वजह से वैश्विक संस्थाओं के समग्र महत्त्व और प्रासंगिकता में कमी आई है।
- **वीटो शक्ति का दुरुपयोग:** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के स्थायी सदस्यों (चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका) को वीटो शक्ति दी गई है। उदाहरण के लिए- रूस ने यूक्रेन में उसके कृत्यों की निंदा करने वाले संकल्पों को रोकने के लिए अपनी वीटो शक्ति का दुरुपयोग किया था।
- **बढ़ता संरक्षणवाद और व्यापारिक तनाव:** टैरिफ एंड ट्रेड बैरियर्स जैसी संरक्षणवादी नीतियों में वृद्धि हो रही है। ऐसी नीतियों ने वैश्विक व्यापार प्रणाली और विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसे बहुपक्षीय ढांचे को प्रभावित किया है।
  - **अमेरिका ने WTO के अपीलीय निकाय की नियुक्ति को भी अवरुद्ध** कर दिया है। इससे व्यापार संबंधी विवादों के निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में WTO की भूमिका प्रभावी रूप से समाप्त हो गई है।
- **उभरती चुनौतियों से निपटने में असमर्थ होना:** पिछली सदी में स्थापित ये वैश्विक संस्थाएं 21वीं सदी के मुद्दों जैसे **जलवायु परिवर्तन, साइबर-सुरक्षा, डेटा संरक्षण** आदि पर प्रभावी ढंग से ध्यान देने में सक्षम नहीं हैं।
  - कोविड-19 महामारी ने संकट के समय में **प्रभावी प्रतिक्रिया देने के लिए देशों को एक साथ लाने में संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन की विफलता** को देखा गया है।
- **वैश्वीकरण के खिलाफ प्रतिक्रिया: नौकरी से वंचित होने व आय असमानता संबंधी चिंताओं** से जन असंतोष और राजनीतिक प्रतिक्रिया को बढ़ावा मिल रहा है। इसके कारण अधिक अंतर्मुखी आर्थिक नीतियों की मांग की जा रही है।

आगे की राह

- **गवर्नेंस में व्यापक परिवर्तन:** उभरती शक्तियों को अधिक प्रतिनिधित्व और मजबूत पक्ष देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे निकायों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए- परिषद की स्थायी सदस्यता का विस्तार करना चाहिए।
- **वित्तीय सुधार:** निजी पूंजी और नए दानकर्ताओं के माध्यम से इन संस्थाओं के वित्त-पोषण में विविधता लानी चाहिए।
- **प्रवर्तन को मजबूत करना:** वैश्विक संस्थाओं के माध्यम से तय किए गए नियमों और प्रतिबद्धताओं को मजबूत प्रवर्तन एवं विवाद समाधान तंत्र के रूप में प्रभावी बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए- समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS) जैसी संस्थाओं को सशक्त बनाना।
- **प्रौद्योगिकी को अपनाना:** जलवायु परिवर्तन की निगरानी से लेकर निरस्त्रीकरण या मानवाधिकारों की पुष्टि करने तक, इन संस्थाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), उपग्रह निगरानी और डिजिटल डेटा संग्रह जैसी प्रौद्योगिकियों का बेहतर उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए- संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने **21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने के लिए UN 2.0** का विज़न प्रस्तुत किया है।
- **वैश्विक वित्तीय प्रणाली को मजबूत करना:** प्रणालीगत संकटों को रोकने के लिए मजबूत विनियमन, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क के माध्यम से **वित्तीय प्रणाली** को मजबूत किया जाना चाहिए।
- **वित्त-पोषण स्रोतों में विविधता लाना:** स्वैच्छिक योगदान, अंतर्राष्ट्रीय कर या सार्वजनिक-निजी भागीदारी जैसे नवाचारी वित्त-पोषण तंत्रों की खोज करनी चाहिए।

2.3. विविध (MISCELLANEOUS)

2.3.1. बंदरगाहों का भू-राजनीतिक महत्त्व (GEOPOLITICAL SIGNIFICANCE OF PORTS)

संदर्भ

हाल ही में, भारत ने **चाबहार बंदरगाह** पर **शाहिद बेहिश्ती पोर्ट टर्मिनल** के विकास के लिए **ईरान के साथ 10 वर्षीय समझौते** पर हस्ताक्षर किए।

विश्लेषण

- इस अनुबंध पर **इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL)** और ईरान के **पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन (PMO)** ने हस्ताक्षर किए हैं।
- 2016 में **भारत, ईरान और अफगानिस्तान** ने चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए एक **त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर** किए थे।
- यह बंदरगाह **पाकिस्तान को बाइपास करते हुए भारत के पश्चिमी तट से भू-आबद्ध अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरोपीय देशों के बीच की दूरी को कम करेगा।**

बंदरगाहों का सामरिक महत्त्व

- **भू-राजनीतिक परिसंपत्तियों के रूप में कार्य करते हैं:** बंदरगाह रणनीतिक पहुंच की सुविधा प्रदान करते हैं और उसमें वृद्धि भी करते हैं। उदाहरण के लिए- **अगालेगा द्वीप** पर मौजूद भारतीय नौसेना के स्टेजिंग बेस के माध्यम से **मोजाम्बिक चैनल पर समुद्री गश्त लगाना काफी आसान** हो जाएगा।
- **समुद्री सुरक्षा को मजबूत करते हैं:** उदाहरण के लिए- **म्यांमार के सितवे बंदरगाह तक पहुंच** से भारत की हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिति और मजबूत होगी। इससे समुद्री क्षेत्र जागरूकता के लिए भारत की क्षमताओं में सुधार होगा।
- **द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को मजबूत करना:** उदाहरण के लिए- **ओमान द्वारा भारत को दुकम बंदरगाह तक पहुंच** की अनुमति देने से खाड़ी देशों के साथ भारत का संबंध और मजबूत हो गया है।
- **बंदरगाह कूटनीति:** बंदरगाह **व्यापार नेटवर्क और समुद्री शक्ति प्रदर्शन** के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए हैं। उदाहरण के लिए- **भारत-ईरान चाबहार बंदरगाह समझौता,** भारत को प्रमुख मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापारिक साझेदारी बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है।
- **बंदरगाहों का आर्थिक महत्त्व:**
  - अलग-अलग देशों या क्षेत्रों से **कनेक्टिविटी बढ़ाने एवं व्यापार को सुविधाजनक बनाने** में बंदरगाहों की अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही, बंदरगाह खरीद, उत्पादन और वितरण प्रणालियों के एकीकरण के जरिए **वैश्विक मूल्य श्रृंखला में देश की भागीदारी को सक्षम** बनाते हैं।
  - **स्थानीय मुद्रा** (जैसे रुपया) **में लेन-देन को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त** होता है। इससे स्थानीय मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है।
  - **बंदरगाह शहर** वैश्विक शहर के रूप में किसी देश को वैश्विक व्यापार और वित्तीय नेटवर्क के केंद्र में रखते हैं।
  - **आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा के संरक्षण के लिए वैकल्पिक मार्ग।**

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

- इसी से संबंधित एक घटनाक्रम में, विदेश मंत्रालय ने IPGL के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव के तहत IPGL, **म्यांमार के सितवे बंदरगाह पर सभी तरह की गतिविधियों का प्रबंधन** करेगा।
  - सितवे बंदरगाह **म्यांमार की कलादान नदी** पर अवस्थित है। साथ ही, यह **कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना** का एक महत्वपूर्ण घटक भी है।

कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना के बारे में

- **उत्पत्ति:** 2008 में भारत सरकार ने म्यांमार सरकार के साथ एक फ्रेमवर्क समझौता संपन्न किया था। इसका उद्देश्य **म्यांमार से होते हुए पूर्वोत्तर राज्यों में परिवहन का एक मल्टी-मॉडल साधन विकसित** करना था।
- **उद्देश्य:** यह भारत के **पूर्वी बंदरगाहों (उदाहरण के लिए विजाग और कोलकाता) को म्यांमार से जोड़ेगा।** इसके अलावा, यह परियोजना **बांग्लादेश को दरकिनार करते हुए म्यांमार के जरिए भारत के उत्तर-पूर्वी हिस्से तक आवाजाही** की सुविधा प्रदान करेगी।
- इसका उद्देश्य **भूटान और बांग्लादेश के बीच स्थित चिकन नेक के नाम से मशहूर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर आवाजाही की निर्भरता को कम** करना है।

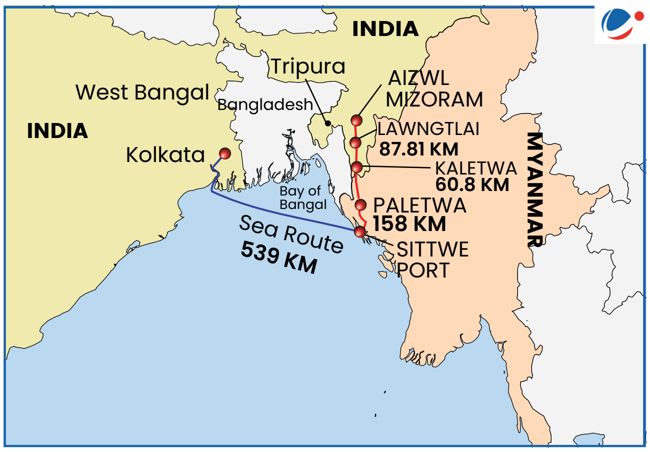

बंदरगाहों का रणनीतिक रूप से उपयोग किए जाने में चुनौतियां

- **राष्ट्रों के बीच प्रतिद्वंद्विता:** उदाहरण के लिए, चीन और भारत के बीच अपने प्रभाव का विस्तार करने की प्रतिद्वंद्विता में बंदरगाह अत्यधिक महत्वपूर्ण

हो गए हैं। इस कारण से **स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स (चीन) और नैकलेस ऑफ डायमंड्स (भारत)** नामक रणनीतियां बनाई गई हैं।

- **राष्ट्रीय हितों को नुकसान:** रणनीतिक या सामरिक बंदरगाह की सुविधाओं पर प्रतिद्वंद्वी देश का वर्चस्व लंबे समय में संबंधित देश के राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचा सकता है।
  - उदाहरण के लिए, **श्रीलंका में पैदा हुए आर्थिक संकट के लिए काफी हद तक चीन की ऋण जाल कूटनीति (हंबनटोटा के संबंध में)** को उत्तरदायी माना गया था।
- **रक्षा एवं सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं:** इस तरह की चिंताएं समुद्री डकैती के साथ-साथ बंदरगाहों पर विदेशी या प्रतिद्वंद्वी राष्ट्र के स्वामित्व के कारण भी उत्पन्न हो सकती हैं।
- **सुभेद्यता में वृद्धि:** जिस समय भू-राजनीतिक तनाव अपने चरम पर होता है, उस दौरान समुद्री जल मार्गों से होने वाले परिवहन, विशेष रूप से चोक पॉइंट्स को नियंत्रित या बाधित किया जा सकता है।
- **भारत के संबंध में चुनौतियां:**
  - भारत के छोटे पड़ोसी देश (जैसे- श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव आदि) स्वयं को **चीन और भारत की भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में फंसा** हुआ महसूस करते हैं।
  - विदेशों में बंदरगाहों का विकास करके अपने भू-राजनीतिक प्रभाव को और बढ़ाने के लिए भारत के पास **वित्तीय संसाधन सीमित** हैं।
- **वैश्विक स्तर पर**
  - बंदरगाहों से संबंधित **जोखिमों की निगरानी** करने पर ध्यान देने की जरूरत है। इन जोखिमों में मेजबान देश के बंदरगाहों के विकास के लिए बहुत अधिक ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना और सैन्य संचालन का समर्थन करने के लिए बंदरगाहों पर वाणिज्यिक व्यवस्थाओं का दुरुपयोग शामिल है।
  - किसी देश के बंदरगाह से होने वाली ऐसी अपारदर्शी आर्थिक गतिविधियों, जिनसे उस राष्ट्र की संप्रभुता और वैश्विक हितों को नुकसान पहुंचता है, उन्हें रोकने के लिए **वैश्विक स्तर पर सुरक्षा साझेदारियों का निर्माण** किया जाना चाहिए।
- **भारत के संदर्भ में विशिष्ट उपाय:**
  - भारत द्वारा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी को प्रतिसंतुलित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। साथ ही, भारत के समुद्री सुरक्षा से जुड़े हितों की रक्षा के लिए समान विचारधारा वाले देशों (जैसे- क्वाड देशों) के साथ **बहुपक्षीय साझेदारी की संभावनाओं का पता लगाना** चाहिए।
  - भारत को **पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करना** चाहिए, क्योंकि यह क्षेत्र चीन से काफी अधिक दूरी पर है। इसके कारण कहीं-न-कहीं भारत को इस क्षेत्र में भौगोलिक बढ़त हासिल है।

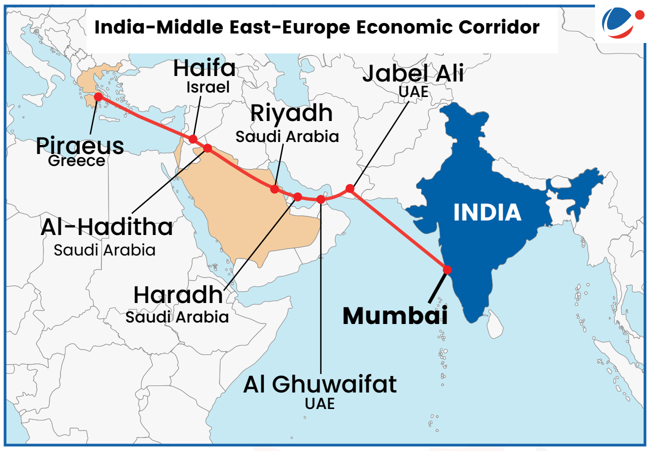

अन्य संबंधित तथ्य

- कैबिनेट ने "भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) पर UAE के साथ अंतर-सरकारी फ्रेमवर्क समझौते (IGFA)" को मंजूरी दी।
- **IGFA के उद्देश्य हैं:** द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना तथा **बंदरगाह, समुद्री व लॉजिस्टिक्स क्षेत्रकों में भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच संबंधों को और मजबूत** करना।
  - इसमें **IMEC के विकास के लिए भविष्य में संयुक्त निवेश और सहयोग की संभावनाओं की तलाश** करना भी शामिल है।
- **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) के बारे में:**
  - यह एक **प्रस्तावित ट्रांजिट नेटवर्क** है। इसका उद्देश्य **एशिया, यूरोप और मध्य-पूर्व का एकीकरण** करना है।
    - ◊ IMEC में **रेलमार्ग, जहाज-रेल पारगमन नेटवर्क (सड़क और समुद्र) तथा सड़क परिवहन मार्ग (व नेटवर्क)** शामिल होंगे।
  - IMEC की स्थापना के लिए नई दिल्ली में आयोजित **G20 शिखर सम्मेलन** में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस MoU पर **भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी और इटली** ने हस्ताक्षर किए थे।

निष्कर्ष

चूंकि बंदरगाह न केवल भूमि और समुद्र जैसे दो भौगोलिक क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हैं, बल्कि आर्थिक विकास के प्रवेश द्वार और भू-रणनीतिक कूटनीतियों के संचालन के साधन के रूप में दोहरी भूमिका भी निभाते हैं। इसलिए, उनका बेहतर तरीके से प्रबंधन करना वर्तमान भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के समय काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।

वैमासिक रिवीजन

Strategic Competition in the Indian Ocean region

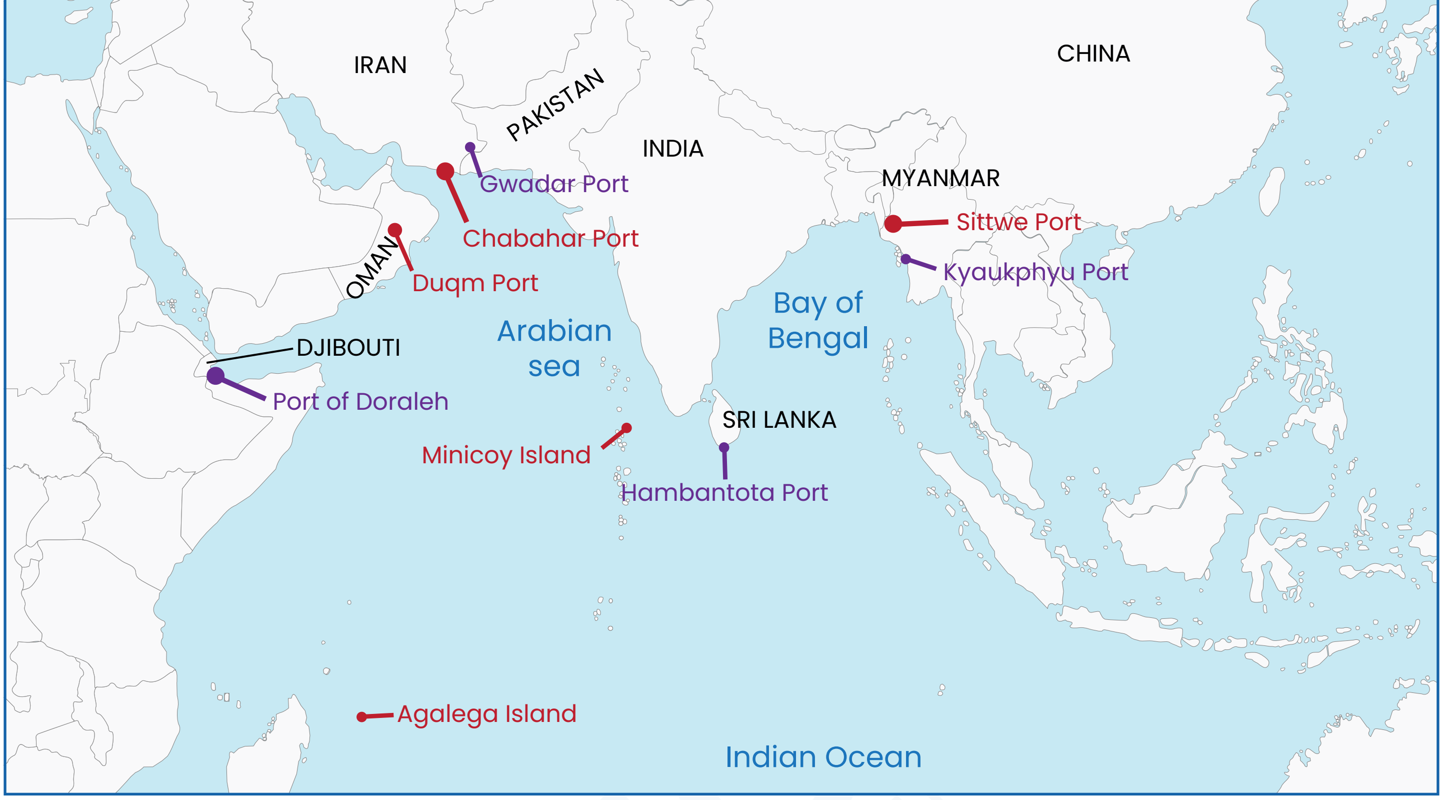

2.3.2. आपदा राहत कूटनीति (DISASTER DIPLOMACY)

संदर्भ

हाल ही में, भारत में **आपदा-रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICDRI) का छठा संस्करण** आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में वैश्विक संकट के समय दी जाने वाली प्रतिक्रिया या सहायता में भारत के बढ़ते योगदान पर जोर दिया गया।

विश्लेषण

आपदा राहत कूटनीति के बारे में

- **आपदा राहत कूटनीति** से तात्पर्य **'प्राकृतिक/ मानव जनित आपदाओं या संघर्षों से प्रभावित अन्य देशों को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए एक देश के प्रयासों'** से है।
- **आपदा राहत में विदेशी सैन्य और असैन्य सुरक्षा परिसंपत्तियों का उपयोग - "ओस्लो दिशा-निर्देश"** संयुक्त राष्ट्र की मानवतावादी एजेंसियों के लिए किसी देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित करते हैं।

भारत की आपदा राहत कूटनीति का महत्त्व

- **सॉफ्ट पावर को मजबूत करना:** संकट के दौरान मानवीय सहायता प्रदान करने के पीछे भारत का लक्ष्य सद्भावना को बढ़ावा देना और अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना है।
- **भू-राजनीतिक पहुंच को बढ़ाना:** भारत ने सुदूर पूर्व में जापान से लेकर पश्चिम में तुर्किये तक उत्पन्न हुए संकटों में तुरंत प्रतिक्रियात्मक सहायता प्रदान की है।
- **द्विपक्षीय संबंधों में सफलता:** 2015 में नेपाल में आए भूकंप के दौरान राहत कार्यों के परिचालन के लिए भारत ने ऑपरेशन मैत्री शुरू किया था। इसके परिणामस्वरूप, बाद के वर्षों में काठमांडू के

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure: CDRI) के बारे में

- **मुख्यालय: नई दिल्ली**
- **उत्पत्ति:** यह **संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन (न्यूयॉर्क)** में भारत के प्रधान मंत्री द्वारा **2019 में शुरू की गई** एक वैश्विक साझेदारी है।
- **उद्देश्य:** जलवायु और आपदा जोखिमों के प्रति अवसंरचना प्रणालियों के अनुकूलन को बढ़ावा देना, ताकि संधारणीय विकास सुनिश्चित किया जा सके।
- **सदस्य:** भारत सहित 31 देश
- अन्य प्रमुख तथ्य: यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए **सेंडाई फ्रेमवर्क और पेरिस जलवायु समझौते** के साथ मिलकर काम करता है।
- **रिपोर्ट:** यह वैश्विक बुनियादी ढांचे पर **"ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंस: कैप्चरिंग द रेजिलिएंस डिविडेंड"** नाम से हर दो साल में रिपोर्ट जारी करता है।

साथ भारत के संबंध काफी मजबूत हुए।

- **मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) का रणनीतिक महत्त्व:** भारत अपने प्रतिद्वंद्वी देशों के भू-राजनीतिक प्रभावों (विशेष रूप से चीन) को प्रतिसंतुलित करने में HADR को अपनी विदेश नीति और कूटनीति के एक प्रमुख तत्व के रूप में देखता है।

वैश्विक संकट के समय भारत द्वारा दी जाने वाली प्रतिक्रिया को निर्धारित करने वाले कारक

- **क्षेत्रीय शक्ति बनने तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने** की भारत की आकांक्षा, उसे आपदाओं के दौरान आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित करती है।
- पिछली आपात स्थितियों से विकसित **घरेलू आपदा प्रबंधन क्षमताओं का लाभ उठाना।**
- **भारत की मजबूत आर्थिक संवृद्धि** आपदा राहत कूटनीति के लिए इसके वैश्विक प्रभाव और संसाधनों को बढ़ाती है।

आपदा राहत कूटनीति में भारत द्वारा सामना की जाने वाली मुख्य चुनौतियां

- **तकनीकी क्षमताओं का अभाव:** वर्ष 2011 में जापान में हुई फुकुशिमा आपदा पर भारत की प्रतिक्रिया काफी धीमी थी।
- **सीमित प्रभाव:** नेपाल को भारत द्वारा दी जाने वाली सहायता से स्थायी लाभ नहीं मिला है, क्योंकि 2021 से जारी क्षेत्रीय विवादों के कारण द्विपक्षीय संबंध लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं।
- **भू-राजनीतिक तनाव:** आपदा प्रतिक्रिया संबंधी भारत के कूटनीतिक प्रयासों में पड़ोसी देशों के साथ मौजूदा भू-राजनीतिक तनावों के कारण बाधा आ सकती है। इससे संकट के दौरान सहयोग और समन्वय प्रभावित हो सकता है।
- **ऐतिहासिक शत्रुता के कारण संभावित अस्वीकृति:** पाकिस्तान ने 2022 में आई बाढ़ के दौरान भारत की मदद को अस्वीकार कर दिया था।

भारत की पहलें

- **तुर्किये में आए विनाशकारी भूकंप** के बाद **'ऑपरेशन दोस्त'** शुरू किया गया था। यह आपदा प्रबंधन के प्रति भारत के सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाता है।
- **चक्रवात प्रभावित म्यांमार** की सहायता के लिए भारत ने **'ऑपरेशन करुणा'** शुरू किया था।
- भारत पांच देशों- **नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और मॉरीशस** की आरंभिक चेतावनी प्रणालियां (EWSs) विकसित करने में मदद कर रहा है। EWSs की सहायता से ये देश **चरम मौसमी घटनाओं के कारण होने वाले जान-माल के नुकसान को कम** कर सकते हैं।
  - भारत का यह प्रयास **2022 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 'अर्ली वॉर्निंग फॉर ऑल (EW4All)' पहल** का हिस्सा है।
- **नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान** में वर्षों से जारी हिंसक संघर्ष के बाद **राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण** पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
- भारत ने विश्व के अलग-अलग हिस्सों में **शांति स्थापित करने और पुनर्निर्माण संबंधी कार्यों** को सुविधाजनक बनाने वाले संयुक्त राष्ट्र के विविध शांति स्थापना मिशनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- कोविड-19 महामारी के दौरान, भारत ने **कोविड-19 वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम** शुरू किया था। इस कार्यक्रम के तहत **100 से अधिक देशों को चिकित्सा सहायता** प्रदान की गई थी।

आगे की राह

- **क्षमता निर्माण की आवश्यकता:** भारत को आपदाओं के खिलाफ तेजी से एवं अधिक प्रभावी तरीके से प्रतिक्रिया देने के लिए अपनी HADR क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए भारत को **यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, लैंडिंग प्लेटफ़ॉर्म और हॉस्पिटल शिप जैसे प्लेटफॉर्म्स में निवेश** करना चाहिए।
- **बजटीय आवंटन में सुधार:** आपातकालीन तैयारियों और लॉजिस्टिक क्षमताओं में सुधार के लिए बजटीय आवंटन को बढ़ाने की आवश्यकता है।
- **वैश्विक मंच पर अपनी उपलब्धियों को सामने रखना:** वैश्विक शक्ति बनने की अपनी महत्वाकांक्षा के बीच भारत को उसके द्वारा अर्जित मानवीय उपलब्धियों का बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए।
- **क्वाड जैसे मंचों का उपयोग करना:** क्वाड (ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका) जैसे उभरते मंचों का उपयोग मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रयासों को और बेहतर बनाने के लिए किया जाना चाहिए।

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

2.3.3. भारत की दूरसंचार कूटनीति (INDIA'S TELECOM DIPLOMACY)

संदर्भ

भारत ने 'विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस' पर अपनी 'दूरसंचार कूटनीति' का उत्सव मनाया।

विश्लेषण

- दूरसंचार कूटनीति (Telecom Diplomacy) ने नए व्यावसायिक उद्यमों को आकर्षित करने, साझेदारी स्थापित करने और वैश्विक दूरसंचार परिदृश्य में भारत की नेतृत्वकर्ता की स्थिति को सुरक्षित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने में मदद की है।
- **दूरसंचार कूटनीति की उपलब्धियां:**
  - भारतीय कंपनियों ने पिछले साल 25,200 करोड़ रुपये के **दूरसंचार उपकरण और सहायक उपकरण निर्यात** किए हैं।
  - **अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय हितों और नेतृत्व की स्थिति को सुरक्षित** किया गया है।
    - **विश्व रेडियो दूरसंचार सम्मेलन (WRC)** में भारत की सक्रिय भागीदारी के परिणामस्वरूप हवाई क्षेत्र और समुद्र में **भारतीय ऑपरेशन्स के लिए स्पेक्ट्रम सुरक्षित हुए हैं और भविष्य में 5G नेटवर्क की स्थापना** को सक्षम बनाया गया है।
  - **अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली में पहली बार भारत में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सम्मेलन (WTSA) का आयोजन** किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य **अगली पीढ़ी की दूरसंचार प्रणालियों के लिए मानकों की भावी दिशा को तय** करना है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

दूरसंचार कूटनीति के लिए उठाए गए कदम:

- **भागीदार देशों और टेलीकॉम चिप कंपनियों के साथ रणनीतिक साझेदारी:** 'यूएस-इंडिया ओपन रेडियो एक्सेस (ORAN) नेटवर्क एक्सीलेरेशन रोडमैप' को औपचारिक रूप **दिया गया है।**
- **सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों का आदान-प्रदान:** भारत-अमेरिका सहयोग ने स्पेक्ट्रम आवंटन, सेवा आश्वासन की गुणवत्ता आदि में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों पर संवाद को शुरू करने में सक्षम बनाया है।
  - दूरसंचार विभाग (DoT) भारत में क्वांटम संचार के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सहयोग की संभावनाओं का पता लगा रहा है।
- **इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) का रूपांतरण:** इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) को 2025 तक वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस जैसा वैश्विक आयोजन बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं।

संबंधित शब्दावली

एनिमल डिप्लोमेसी

- **मलेशिया** ने पर्यावरण के संरक्षक के रूप में अपनी छवि में सुधार के लिए **"ऑरंगुटैन डिप्लोमेसी"** का सहारा लेने का निर्णय किया है।
- **एनिमल डिप्लोमेसी के बारे में**
  - इसके तहत **देशों द्वारा मित्रता या सद्भावना प्रदर्शित** करने के लिए आपस में वन्य **जीवों को स्थायी या अस्थायी रूप** से उपहार स्वरूप दिया जाता है।
    - इन जीवों का **सांस्कृतिक महत्त्व** होता है या फिर संबंधित जीव उस देश का **स्थानिक जीव** होता है, जो उन्हें उपहार में देता है।
  - यह **सॉफ्ट पावर नीति** का हिस्सा है।
  - **प्रमुख उदाहरण:** चीन की पांडा डिप्लोमेसी; ऑस्ट्रेलिया की कोआला डिप्लोमेसी आदि।
  - **नैतिक चिंता:** देशों द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए जीवों को एक साधन के रूप में (उन्हें एक वस्तु मानकर) इस्तेमाल करना नैतिक मानकों के अनुसार गलत है।

2.3.4. पश्चिम एशिया में अस्थिरता (INSTABILITY IN WEST ASIA)

संदर्भ

हाल ही में, **इजरायल ने सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमला** किया था। इस हमले के बाद ईरान की ओर से जवाबी कार्रवाई करने से पश्चिम एशिया में तनाव अपने चरम स्तर पर पहुंच गया। हाल में, लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमले के मामले भी सामने आएं।

विश्लेषण

पश्चिम एशिया में अस्थिरता के क्या प्रभाव हैं?

भारत पर प्रभाव	वैश्विक स्तर पर प्रभाव

• अलग-अलग हितों वाले देशों के साथ संलग्नता के कारण **भारत के कूटनीतिक और रणनीतिक संतुलन का परीक्षण** हो सकता है।
  » **जैसे ईरान-रूस-चीन धुरी का उदय।**
• **समुद्री सुरक्षा चुनौतियों में ड्रोन हमले, अपहरण** (लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमले) आदि शामिल हैं। ये भारत के समुद्री क्षेत्र में **पोत परिवहन की स्वतंत्रता** को प्रभावित करते हैं।
• मध्य-पूर्व क्षेत्र में प्रवासी **भारतीयों की सुरक्षा** चिंता का विषय बन सकता है।
• **ऊर्जा सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न** हो सकता है, क्योंकि भारत कच्चे तेल के आयात पर अत्यधिक निर्भर है। भारत कच्चे तेल का लगभग **85 प्रतिशत** आयात करता है।
• **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC)** जैसी **अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के समय से पूरा होने में देरी** हो सकती है।
• **भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:**
  » **ईंधन की कीमतों में वृद्धि** हो सकती है।
  » मुद्रास्फीति दर, फार्मा निर्यात, व्यापार संतुलन, विदेशी मुद्रा भंडार, शेयर बाजार, रुपये के मूल्य के साथ-साथ संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर **नकारात्मक प्रभाव** पड़ सकता है।
  » **शिपिंग लागत और बीमा प्रीमियम में वृद्धि** हो सकती है।
	• **राजनयिक उपलब्धियां प्रभावित** हो सकती हैं। जैसे- अब्राहम एकॉर्ड, इजरायल-सऊदी अरब संबंधों में सुधार आदि पर प्रभाव।
	• **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा संबंधी चुनौतियां बढ़** सकती हैं।
	• **हथियारों की स्पर्धा या परमाणु हथियारों की प्राप्ति के लिए देशों के बीच प्रतिस्पर्धा** से वैश्विक अस्थिरता की समस्या पैदा हो सकती है।
	• **वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:**
	  » तेल की उच्च कीमतों के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती हैं। इससे कई देशों में **खाद्य असुरक्षा संबंधी समस्या में वृद्धि** हो सकती है।
	  » सीधे तौर पर प्रभावित होने वाली अर्थव्यवस्थाओं की **रेटिंग कम** हो सकती है और अर्थव्यवस्थाओं के डाउनग्रेड की भावना के कारण दुनिया भर में **निवेश में कमी** हो सकती है।
	• जान-माल की हानि, जबरन विस्थापन और युद्ध अपराध की घटनाओं के कारण **अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संकट** की स्थिति पैदा हो सकती है। उदाहरण के लिए- रफाह में इजरायल का हमला।
	• संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसी **अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका और प्रासंगिकता पर सवाल उठने** लग जाएंगे।

आगे की राह

- सभी संघर्षरत पश्चिम एशियाई देशों को आगे की हिंसा को रोकने और समस्याओं का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान खोजने के लिए उनके मध्य **राजनयिक संबंधों एवं वार्ता को बढ़ावा** देना चाहिए।
- हथियार नियंत्रण और सुरक्षा वार्ता के माध्यम से **निर्देशात्मक फ्रेमवर्क एवं प्रक्रिया का निर्माण** करना चाहिए तथा क्षेत्रीय **"व्यापक विनाश के हथियार मुक्त क्षेत्र"** की घोषणा करनी चाहिए। इससे वि-सैन्यीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
- दीर्घकालिक सुरक्षा, शांति और स्थिरता के लिए **द्वि-राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष का समाधान** करना चाहिए।
- प्रभावी नीतियों को अपनाकर देशों द्वारा **राजकोषीय और बाह्य स्थायित्व की रक्षा** करनी चाहिए।
- **भारत को दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए समग्र सुरक्षा प्रदाता और मध्यस्थ के रूप में उभरने के अवसरों की खोज** करनी चाहिए।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

पश्चिम एशिया में अन्य प्रमुख संघर्ष

- **आतंकवादी गुट:** लेबनान में **हिज्बुल्लाह,** सीरिया में **ISIS** (इस्लामिक स्टेट ऑफ़ इराक़ एंड सीरिया) आदि।
- **गृहयुद्ध और विद्रोह**
  - **सूडान:** सेना के दो गुटों के बीच संघर्ष,
  - **यमन:** हूती विद्रोह,
  - **मिस्र:** सिनाई प्रायद्वीप में विद्रोह।

वैमासिक रिवीजन

2.3.5. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court: ICC)

संदर्भ

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के अभियोजक ने इजरायल के प्रधान मंत्री और हमास नेताओं पर **मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध का आरोप लगते हुए** उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग की है।

विश्लेषण

रोम संविधि के तहत निर्धारित ICC के क्षेत्राधिकार

- **नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध या युद्ध अपराध (1 जुलाई 2002 अथवा उसके बाद किए गए) के मामले में-**
  - ऐसा अपराध जो किसी **पक्षकार देश के नागरिक** द्वारा, या किसी **पक्षकार देश के राज्य क्षेत्र** में, या **ICC के क्षेत्राधिकार को स्वीकार करने वाले किसी देश** में किए गए हों।
  - **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)** द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय-VII के तहत ICC अभियोजक को **सौंपा गया आपराधिक मामला।**
- **आक्रामकता के अपराधों के मामले में:**
  - **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** द्वारा ICC अभियोजक को सौंपे गए आपराधिक मामले, चाहे इसमें पक्षकार देश या गैर-पक्षकार देश शामिल हों।
  - **अभियोजक अपनी पहल पर या किसी पक्षकार देश के अनुरोध** पर भी जांच शुरू कर सकता है।
- ICC को **18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के संबंध में कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।**

आपराधिक न्याय के संदर्भ में ICC की सीमाएं

- **ICC के पास अपने निर्णयों के प्रवर्तन के लिए किसी विशेष तंत्र का अभाव** है। यह गिरफ़्तारी, स्थानांतरण के लिए देशों के साथ सहयोग पर निर्भर है।
  - इसके अलावा, **गैर-पक्षकार देश (जैसे कि इजरायल)** गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण के लिए **न्यायालय के अनुरोधों पर सहयोग करने हेतु बाध्य नहीं है।**
  - कुछ प्रमुख देश ICC के पक्षकार नहीं हैं।
- कई पक्षकार देश भी गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण के लिए **न्यायालय के अनुरोधों पर सहयोग करने के लिए अनिच्छुक** होते हैं।
- ICC के अभियोजक और न्यायाधीशों के प्राधिकार पर प्रभावी निगरानी की कमी के कारण **उन पर प्रभावी नियंत्रण व संतुलन का अभाव** रहता है।
- ICC केवल 1 जुलाई 2002 (जब रोम संविधि लागू हुई थी) के बाद किए गए अपराधों की ही सुनवाई कर सकता है। इसे **पूर्वव्यापी क्षेत्राधिकार (Retrospective jurisdiction) प्राप्त नहीं है।**
- **मानव संसाधन और धन की कमी,** इसकी प्रभावकारिता पर असर डालती है।
- ICC पर **पक्षपात करने का आरोप** लगाया जाता रहा है। इसकी **पश्चिमी साम्राज्यवाद के एक साधन के रूप में कमजोर देशों (विशेष रूप से अफ्रीकी देशों) के खिलाफ पक्षपात करने के लिए आलोचना** की जाती है।

भारत रोम संविधि में क्यों शामिल नहीं हुआ?

- **ICC को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अधीन** करने से इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना बढ़ सकती है।
  - **रोम संविधि के अनुच्छेद 16 के अनुसार,** यदि सुरक्षा परिषद ICC से किसी मामले में जांच न करने का अनुरोध करती है, तो ICC द्वारा कोई भी जांच शुरू नहीं की जा सकती है।
- ICC के गैर-पक्षकार देशों को बाध्य करने की **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की शक्ति,** संप्रभुता के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है।
- सुरक्षा परिषद या किसी पक्षकार की ओर से संदर्भित किए बिना **अभियोजक को स्वप्रेरणा से मामला दर्ज करने के संबंध में व्यापक क्षमता और शक्तियां** प्राप्त हैं। इन शक्तियों के कारण **ICC का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग** किया जा सकता है।
- **परमाणु हथियारों और आतंकवाद को ICC के क्षेत्राधिकार से बाहर** रखा गया है, जबकि ये युद्ध अपराध के गंभीर साधन बन सकते हैं।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

अन्य संबंधित तथ्य

- इससे पहले, मार्च 2023 में ICC ने यूक्रेन की स्थिति के संदर्भ में **रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट** जारी किया था।
- **ICC द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी करने के परिणाम:** अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाएगा और यदि नहीं किया जाता है, तो उसकी **आवागमन की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित** कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके सदस्य देश अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए बाध्य हैं।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के बारे में

- यह **पहला अंतर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय है** जो गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के आरोपी व्यक्तियों की जांच करता है और उन पर अभियोग चलाता है।
- ICC की संस्थापक संधि को **रोम संविधि** के रूप में जाना जाता है। इस संधि को **1998** में अपनाया गया था और यह **2002** में लागू हुई थी। यह ICC को **4 मुख्य अपराधों** के संदर्भ में अधिकार-क्षेत्र प्रदान करता है (इन्फोग्राफिक देखें)।
- **सदस्यता:** ICC की रोम संविधि के पक्षकार देशों की संख्या **124 है।**
  - **भारत, इजरायल, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन** रोम संविधि के **पक्षकार नहीं** हैं।
  - **फिलिस्तीन 123वां** तथा **मलेशिया 124वां पक्षकार** देश है। **फिलिस्तीन 2015** में और **मलेशिया 2019** में रोम संविधि के पक्षकार बने थे।
- **निर्णयों का प्रवर्तन:** ICC के निर्णय **बाध्यकारी** होते हैं।
- **पूरकता का सिद्धांत (Complementarity Principle):** ICC राष्ट्रीय आपराधिक प्रणालियों का पूरक है। इसके द्वारा केवल तभी मुकदमा चलाया जाता है, जब संबंधित देश वास्तव में ऐसा करने के लिए अनिच्छुक या असमर्थ हों।

निष्कर्ष

ICC के प्रभावी कामकाज के लिए सभी पक्षकार देश ICC के साथ पूर्ण सहयोग करने के लिए **प्रभावी राष्ट्रीय फ्रेमवर्क निर्मित** कर सकते हैं। संदिग्धों को गिरफ्तार करने के लिए **गिरफ्तारी की ठोस रणनीतियों** की आवश्यकता है। साथ ही, ICC के पक्षकार देशों को आपराधिक कानून एवं प्रक्रिया का ज्ञान और अनुभव रखने वाले **अत्यधिक योग्य न्यायाधीशों का चुनाव** करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

ICC के तहत अपराधों की 4 श्रेणियां

नरसंहार	मानवता के खिलाफ अपराध	युद्ध अपराध	आक्रामकता का अपराध
किसी राष्ट्रीय, नृजातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह के सदस्यों को मारकर या अन्य तरीकों से उस समूह को खत्म करने का विशिष्ट इरादा।	**नागरिक आबादी पर बड़े पैमाने पर हमले करके किए गए गंभीर अपराध** इसके लिए **रोम संविधि में 5 रूपों में अपराधों को सूचीबद्ध किया गया** है। इनमें हत्या, बलात्कार, अवैध कारावास, जबरन गायब करना, दासता, यातना, रंगभेद जैसे अपराध शामिल हैं।	**सशस्त्र संघर्ष के संदर्भ में जिनेवा कन्वेंशंस का गंभीर उल्लंघन** बाल सैनिकों का उपयोग; नागरिकों/युद्धबंदियों की हत्या या यातना; अस्पतालों व ऐतिहासिक स्मारकों पर जानबूझकर आक्रमण करना आदि।	**किसी देश द्वारा दूसरे देश की संप्रभुता, अखंडता या स्वतंत्रता के खिलाफ सशस्त्र बल का उपयोग**

2.3.6. गैस निर्यातक देशों का मंच (GAS EXPORTING COUNTRIES FORUM: GECF)

- GECF का **7वां शिखर सम्मेलन अल्जियर्स घोषणा-पत्र** अपनाने के साथ संपन्न हुआ।
  - इस घोषणा-पत्र का लक्ष्य **"प्राकृतिक गैस के लिए सुरक्षित तथा संधारणीय भविष्य का निर्माण करना है।"**
- **GECF के बारे में:**
  - GECF एक अंतर-सरकारी संगठन है। यह गैस के **उत्पादकों व उपभोक्ताओं के बीच सार्थक संवाद के लिए एक तंत्र** का निर्माण करता है। इसके माध्यम से विश्व में **गैस बाजार की स्थिरता सुनिश्चित** करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
  - **विज़न: समावेशी और सतत विकास के लिए प्राकृतिक गैस को एक महत्वपूर्ण संसाधन बनाना।**
  - **सदस्य:**
    - **पूर्ण सदस्य:** अल्जीरिया, बोलीविया, मिस्र, इक्वेटोरियल गिनी, ईरान, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, रूस, त्रिनिदाद, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला। भारत न तो इसका **सदस्य** है और न ही इसका **पर्यवेक्षक** है।
    - **पर्यवेक्षक सदस्य:** अंगोला, अज़रबैजान, इराक, मलेशिया, मॉरिटानिया, मोजाम्बिक, पेरू और सेनेगल।
- इसके सदस्य देश **विश्व के 69% गैस भंडार, बाजार में बिकने वाली गैस का 39% और वैश्विक गैस निर्यात के 40% हिस्से** का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- GECF के सदस्य देश सामूहिक रूप से **विश्व के आधे से अधिक (51%) LNG का निर्यात** करते हैं।

वैमासिक रिविजन

2.4. सुर्ख़ियों में रहे स्थल

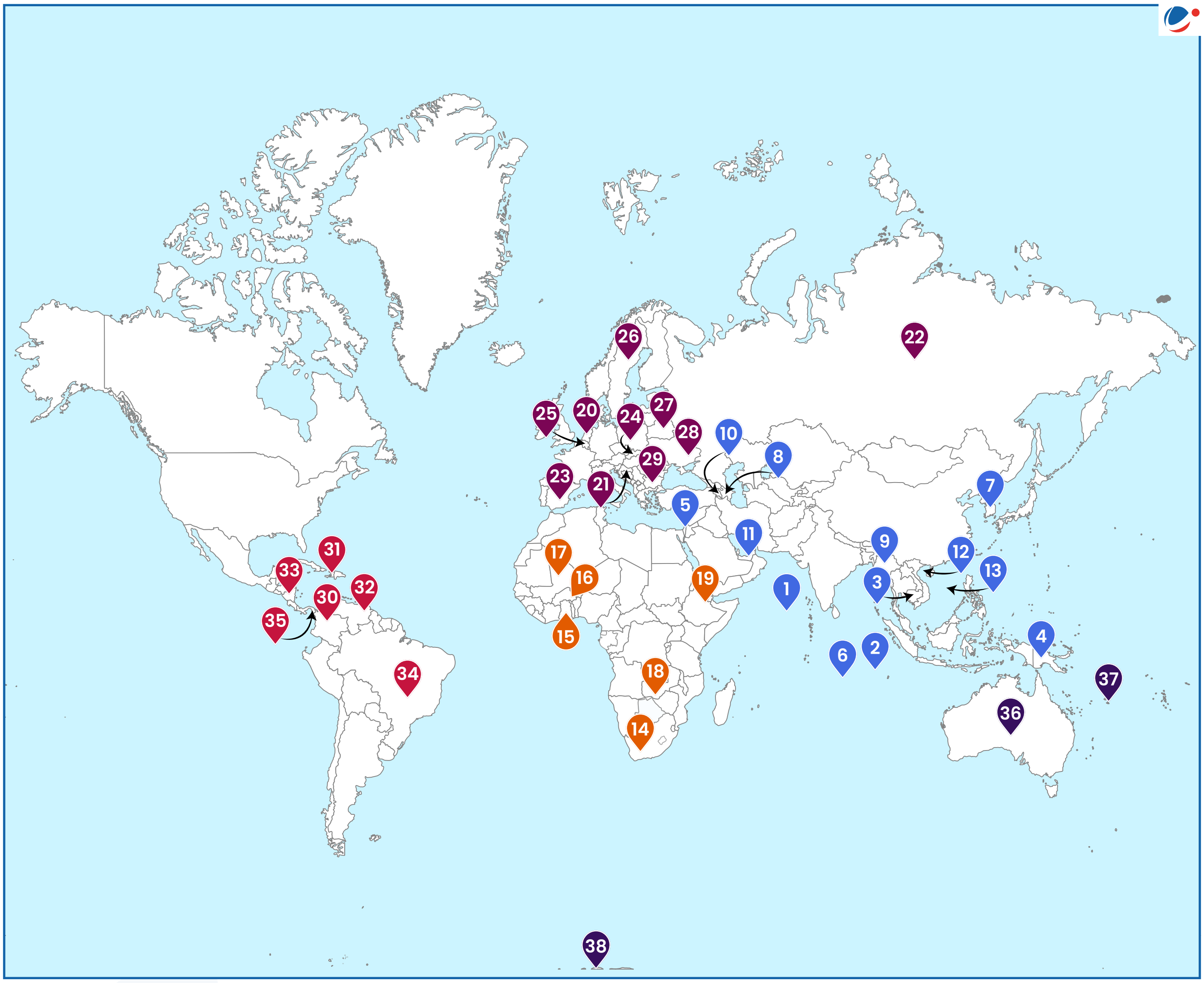

स्थान	विवरण
एशिया	
1. ईरान (तेहरान)	ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई।
2. सेकंड थॉमस शोल	**फिलीपींस** ने दक्षिण चीन सागर में स्थित विवादित **सेकंड थॉमस शोल** पर समझौता होने के चीनी दावे का खंडन किया है।
3. कंबोडिया (राजधानी: नोम पेन्ह)	कंबोडिया ने **मत्स्यन सब्सिडी पर समझौते** को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है।
4. पापुआ न्यू गिनी (राजधानी: पोर्ट मोरेस्बी)	**पापुआ न्यू गिनी** भूस्खलन की समस्या का सामना कर रहा है।

5. इजरायल (यरुशलम)	इजरायल ने गाजा में दूसरे देशों द्वारा अधिक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए **इरेज क्रॉसिंग** को फिर से खोलने की अनुमति दी है। **लेबनान** में अमेरिकी दूत ने इस बात पर जोर दिया है कि **शांति और सुरक्षा की गारंटी के लिए ब्लू लाइन पर यथा-स्थिति को बदलना** होगा। **इजरायल और लेबनान** को अलग करने वाली **कोई आधिकारिक सीमा नहीं** है। यह ब्लू लाइन से तय होती है।
6. अफानसी-निकितिन (AN) सीमाउंट	भारत ने हिंद महासागर में स्थित अफानासी निकितिन सीमाउंट (समुद्री टीला) नामक कोबाल्ट-समृद्ध भूपर्पटी के अन्वेषण के अधिकार के लिए इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी (ISBA), जमैका के पास आवेदन दिया है।
7. दक्षिण कोरिया (सियोल)	दक्षिण कोरिया ने अपना दूसरा सैन्य जासूस (टोही) उपग्रह कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया।
8. अजरबैजान (बाकू)	नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र से रूसी शांति सैनिक वापस लौटना शुरू कर चुके हैं। **अजरबैजान ने इस विवादित क्षेत्र को आर्मेनियाई अलगाववादियों से वापस अपने कब्जे** में ले लिया है। इसी वजह से शांति सैनिक लौट रहे हैं।
9. म्यांमार (नेपीडॉ)	**म्यांमार** के करेन नृजातीय अल्पसंख्यक गुरिल्ला लड़ाकों ने दावा किया है कि वे शीघ्र ही **थाईलैंड की सीमा से लगे एक प्रमुख व्यापारिक शहर पर अधिकार** कर लेंगे।
10. आर्मेनिया (येरेवन)	आर्मेनिया ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक **सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (CSTO)** की सदस्यता छोड़ने का निर्णय लिया है।
11. संयुक्त अरब अमीरात यूएई (अबू धाबी)	**संयुक्त अरब अमीरात** को वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) की अधिक निगरानी सूची (ग्रे सूची) से हटा दिया गया है।
12. टोंकिन की खाड़ी	**चीन ने टोंकिन की खाड़ी में बेस लाइन रेखांकित** की है। चीनी भाषा में टोंकिन की खाड़ी को 'बेइबू खाड़ी' कहा जाता है।
13. दक्षिण-चीन सागर	फिलीपींस ने विवादित दक्षिण चीन सागर के **सेकंड थॉमस शोल** पर किसी समझौते संबंधी चीन के दावे को खारिज कर दिया।
अफ्रीका	
14. दक्षिण अफ्रीका {प्रिटोरिया (कार्यपालिका राजधानी), केपटाउन (विधायिका राजधानी), ब्लोमफोंटेन (न्यायिक राजधानी)}	दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव वाली "रंगभेद (Apartheid)" कुरीति की समाप्ति की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई यह **दक्षिण अफ्रीका** में निर्मित SKA ऑब्ज़र्वेटरी (SKAO) का एक प्रोटोटाइप टेलिस्कोप **(SKA-Mid prototype: SKAMPI) है।** इसने पहली बार प्रकाश को कैप्चर करके इमेज जारी कर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है।
15. घाना (राजधानी: अकरा)	भारत और घाना **अकरा में आयोजित चौथी संयुक्त व्यापार समिति की बैठक** में व्यापार संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हुए।
16. बुर्किना फासो (राजधानी: औगाडौगू)	सामूहिक हत्याओं पर रिपोर्टिंग करने के बाद बुर्किना फासो ने बीबीसी और वॉयस ऑफ अमेरिका रेडियो स्टेशंस को निलंबित कर दिया है।
17. माली (राजधानी: बमाको)	माली की सरकार ने देश की मीडिया पर राजनीतिक दलों और संघों की गतिविधियों की रिपोर्टिंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
18. जाम्बिया (लुसाका) और जिम्बाब्वे (हरारे)	**अल नीनो जनित सूखे** के कारण **करिबा झील में उसकी कुल क्षमता के केवल 13%** जल रह गया है।
19. अफ़ार ट्राएंगल	भूवैज्ञानिकों ने अफ़ार ट्राएंगल (जिसे अफ़ार डिप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है) में एक नए महासागर के उद्भव की संभावना जताई है। अफ़ार त्रिभुज **"हॉर्न ऑफ** अफ्रीका" में स्थित है।
यूरोप	
20. नीदरलैंड (एम्स्टर्डम)	हाल ही में, **26वीं वर्ल्ड एनर्जी कौंसिल रॉटरडैम (नीदरलैंड)** में संपन्न हुई।
21. क्रोएशिया (राजधानी: जाग्रेब)	आंद्रेज प्लेंकोविक लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए क्रोएशिया के प्रधान मंत्री नियुक्त हुए हैं।
22. रूस (मास्को)	बाटागे क्रेटर के नए हवाई फुटेज जारी किए गए हैं। इनसे पता चला है कि यह क्रेटर जमीन पर **जमी बर्फ के पिघलने के साथ हर साल बढ़** रहा है।
23. स्पेन (मैड्रिड)	**स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का 99वां सदस्य बना**

24. स्लोवाकिया (ब्राटिस्लावा)	हैंडलोवा शहर में एक कैबिनेट बैठक के संपन्न होने के बाद स्लोवाक प्रधान मंत्री को कई गोलियां मारी गई।
25. बेल्जियम (ब्रुसेल्स)	**विश्व के पहले 'परमाणु ऊर्जा सम्मेलन' का ब्रुसेल्स में आयोजन किया गया** बेल्जियम यूरोप का पहला देश है जिसने 'इकोसाइड (ecocide)' को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध का दर्जा दिया है।
26. स्वीडन (स्टॉकहोम)	**स्वीडन, आर्टेमिस एकॉर्ड्स में शामिल होने वाला 38वां देश बना** **स्वीडन आधिकारिक तौर पर नाटो (NATO) का 32वां सदस्य बना**
27. बेलारूस (राजधानी: मिन्स्क)	बेलारूस के विदेश मंत्री ने भारत की आधिकारिक यात्रा की।
28. यूक्रेन (कीव)	रूस ने दावा किया है कि अवदिवका शहर से यूक्रेन के पीछे हटने के बाद उसने इस शहर पर कब्जा कर लिया है।
29. बुल्गारिया (राजधानी: सोफिया)	हाल ही में, भारतीय नौसेना ने हाईजैक किए गए **बुल्गेरियाई जहाज "रूएन"** और बंधक बनाए गए उसके चालक दल को सोमालियाई समुद्री डाकुओं से बचाया है।
अमेरिका	
30. कोलंबिया (राजधानी: बोगोटा बागोटा)	बोगोटा ने अपने जलाशयों में गिरते जलस्तर के चलते **वाटर राशनिंग** शुरू कर दिया है।
31. हैती (पोर्ट-ऑ-प्रिंस)	हैती में आपराधिक गिरोह प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और दौरान हिंसा में वृद्धि दर्ज की गई है। भारत ने ऑपरेशन इंद्रावती की शुरुआत की है। इसके तहत **भारत हैती से अपने नागरिकों को निकालकर डोमिनिकन रिपब्लिक पहुंचा** रहा है।
32. वेनेजुएला (काराकास)	**इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव (ICCI)** के अनुसार, **वेनेजुएला के हम्बोल्ट (या ला कोरोना) नामक आखिरी ग्लेशियर का आकार इतना सिकुड़ गया** है कि वह अब ग्लेशियर कहलाने के मानदंडों पर खरा नहीं उतरता है। गौरतलब है कि वेनेजुएला का यह ग्लेशियर **एंडीज पर्वतमाला** में स्थित है।
33. निकारागुआ (राजधानी: मानागुआ)	संयुक्त राष्ट्र-द्वारा अधिकार प्राप्त त विशेषज्ञों के एक समूह ने कहा है कि निकारागुआ के राष्ट्रपति ने **"मानवता के खिलाफ अपराध के बराबर मानवाधिकारों का उल्लंघन"** किया है।
34. ब्राज़ील (ब्रासीलिया)	**भारत और ब्राज़ील ने पहली '2+2 रक्षा व विदेश मंत्रिस्तरीय वार्ता' आयोजित की**
35. डेरियन गैप	डेरियन गैप **अवैध आप्रवासन के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे तेजी से सीमा-पार करने वाले मार्ग** के रूप में उभरा है। यह गैप **उत्तरी कोलंबिया और दक्षिणी पनामा को जोड़ता** है।
ओशिनिया	
36. ऑस्ट्रेलिया (कैनबरा)	**आठ वर्षों (2016-2024) में ग्रेट बैरियर रीफ (GBR) में पांचवीं बार "सामूहिक कोरल ब्लीचिंग" की घटना दर्ज की गई**
37. न्यू कैलेडोनिया (राजधानी: नौमिया)	**फ्रांस** ने न्यू कैलेडोनिया में आपातकाल की घोषणा की। **फ्रांस संवैधानिक अधिकार के रूप में गर्भपात की गारंटी देने वाला पहला देश बना**
38. अंटार्कटिका	माउंट एरेबस से प्रतिदिन क्रिस्टलीकृत (बारीक़ कण) स्वर्ण से भरी गैस और धूल निकल रही है। प्रतिदिन निकलने वाली सोने की इस मात्रा की कीमत लगभग 6,000 डॉलर आंकी गई है। **इंडिया पोस्ट** ने **अंटार्कटिका** में भारत के रिसर्च स्टेशन **"भारती"** पर एक **पोस्ट-ऑफिस** खोला है।

2.5. प्रश्नोत्तरी

MCQs

Q1. निम्नलिखित युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?

	हालिया संदर्भ	संबंधित देश
1	भूटान ने सीमा परिसीमन के लिए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए	भारत
2	'संयुक्त राज्य अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया भारत-जापान सहयोग को मजबूत करना' या 'क्वाड एक्ट' को मजबूत करना	जापान
3	उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO) का 32वां सदस्य	फिनलैंड

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) सभी तीन

(d) कोई नहीं

Q2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन-I: ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच AUKUS साझेदारी का उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देना और औद्योगिक क्षमता का विस्तार करना है।

कथन-II: AUKUS दो स्तंभों से बना है: पारंपरिक रूप से सशस्त्र, परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बियां और उन्नत क्षमता का विकास करना।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं, तथा कथन-II कथन-I की व्याख्या करता है

(b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं, लेकिन कथन-II कथन-I की व्याख्या नहीं करता है

(c) कथन-I सही है, किंतु कथन-II सही नहीं है

(d) कथन-I सही नहीं है, किंतु कथन-II सही है

Q3. उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के प्राथमिक उद्देश्य से 1949 में इसकी स्थापना की गई थी।
2. सामूहिक रक्षा के नाटो के मूल सिद्धांत को उत्तरी अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 5 में रेखांकित किया गया है।
3. नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है।
4. नाटो की 2022 की रणनीतिक अवधारणा में चीन को इस गठबंधन के लिए प्राथमिक खतरा बताया गया है।
5. "नाटो प्लस फाइव" शब्द ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत के साथ नाटो के सहयोग को संदर्भित करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1, 2 और 3

(b) केवल 2, 3 और 5

(c) केवल 1, 2, 3 और 5

(d) 1, 2, 3, 4 और 5

Q4. पड़ोसी देशों में बंदरगाह संचालन और परिवहन परियोजनाओं में भारत की भागीदारी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) के लिए म्यांमार में एक बंदरगाह के परिचालन का कार्यभार संभालने को मंजूरी दी गई है।
2. कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना का उद्देश्य भारत के पूर्वी बंदरगाहों को देश के पश्चिमी राज्यों से जोड़ना है।
3. इस परियोजना में म्यांमार में इरावदी नदी पर स्थित एक बंदरगाह को शामिल किया गया है।
4. इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता कम करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 4

(c) केवल 1 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

Q5. आपदा-रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (CDRI) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों में से एक है।
2. CDRI को 2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधान मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था।
3. इसके कार्य का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों को आपदा-रोधी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए धनराशि प्रदान करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 और 3

(b) केवल 2

(c) केवल 1 और 2

(d) केवल 3

प्रश्न

1. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और क्षेत्रीय शक्ति गतिशीलता को आकार देने में बंदरगाहों के रणनीतिक महत्त्व का मूल्यांकन कीजिए। इसके अलावा, आर्थिक और सुरक्षा निहितार्थों व उनके रणनीतिक उपयोग में चुनौतियों पर विचार कीजिए, तथा विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत कीजिए कि किस प्रकार विभिन्न राष्ट्र भू-राजनीतिक लाभ के लिए बंदरगाहों का उपयोग करते हैं। (250 शब्द)
2. हाल ही में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के वैश्विक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए, तथा भारत के सामरिक हितों, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर इसके प्रभाव पर ध्यान केंद्रित कीजिए। इसका क्षेत्रीय शक्ति गतिशीलता और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है? (250 शब्द)

अर्थव्यवस्था (ECONOMY)

विषय-सूची

3.1. वित्त एवं कराधान 63
3.1.1. सकल स्थायी पूंजी निर्माण 63
3.1.2. धन के पुनर्वितरण के एक साधन के रूप में विरासत कर . 64
3.1.3. अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते 65
3.1.4. दोहरा कराधान बचाव समझौता 66

3.2. बैंकिंग और भुगतान इकोसिस्टम 68
3.2.1. RBI द्वारा अधिशेष अंतरण 68
3.2.2. शहरी सहकारी बैंकों के लिए अम्ब्रेला संगठन (UCBS) . 69
3.2.3. परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां 70
3.2.4. रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण 72
3.2.5. सीमा-पार विप्रेषण/ रेमिटेंस 73
3.2.6 रिजर्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना 74
3.2.7. बेसल III एंडगेम 75

3.3. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रक 77
3.3.1. भारत की कृषि निर्यात नीति 77
3.3.2. प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) 78
3.3.3. कृषि एवं खाद्य सुरक्षा 79
3.3.4. भारत की अनाज भंडारण प्रणाली 81
3.3.5. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना 82
3.3.6. कृषि विज्ञान केंद्र 83

3.4. समावेशी विकास 85
3.4.1. भारत में आय और संपत्ति में उच्च असमानता 85
3.4.2. मानव विकास रिपोर्ट (HDR) 2023-2024 86
3.4.3. घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) 2022-23 88
3.4.4. ग्रामीण भारत में स्टार्ट-अप्स 89

3.5. बुनियादी ढांचा और लोजिस्टिक्स 90
3.5.1. परिसंपत्ति मुद्रीकरण 90

3.6. विविध 92
3.6.1. भारत-EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता 92
3.6.2. सतत विकास के लिए वित्त-पोषण रिपोर्ट 2024 93
3.6.3. भारत और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं 95
3.6.4. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 97
3.6.5. डिजिटल एकाधिकार और डिजिटल इकोसिस्टम का विनियमन 98
3.6.6. पेटेंट 99
3.6.7. उत्तर-पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण योजना, 2024 (उन्नति 2024) 101
3.6.8. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम- 2024 103

3.7. प्रश्नोत्तरी 104

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION

न्यूज़ टुडे

"न्यूज टुडे" डेली करेंट अफेयर्स की एक संक्षिप्त प्रस्तुति है। इस डॉक्यूमेंट की मदद से न्यूज-पेपर को पढ़ना काफी आसान हो जाता है और इससे अभ्यर्थी दैनिक घटनाक्रमों के बारे में अपडेट भी रहते हैं। इससे अभ्यर्थियों को कई अन्य तरह के लाभ भी मिलते हैं, जैसे:

- किसी भी न्यूज़ से जुड़े घटनाक्रमों के बारे मे बेहतर समझ विकसित करने के लिए
- न्यूज पढ़ने का एक ऐसा नजरिया विकसित करने के लिए, जिससे अभ्यर्थी आसानी से समझ सकें हैं कि न्यूज पेपर्स में से कौन-सी न्यूज पढ़नी है
- टेक्निकल टर्म्स और न्यूज़ से जुड़े जटिल कॉन्सेप्ट्स के बारे में सरल समझ विकसित करने के लिए

न्यूज़ टुडे डॉक्यूमेंट की मुख्य विशेषताएं

- **स्रोत:** इसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, न्यूज़ ऑन ए.आई.आर., इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, द मिंट जैसे कई स्रोतों से न्यूज को कवर किया जाता है।
- **भाग:** इसके तहत 4 पेज में दिन-भर की प्रमुख सुर्ख़ियों, अन्य सुर्ख़ियों और सुर्ख़ियों में रहे स्थल एवं व्यक्तित्व को कवर किया जाता है।
- **प्रमुख सुर्ख़ियां:** इसके तहत लगभग 200 शब्दों में पूरे दिन की प्रमुख सुर्ख़ियों को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें हालिया घटनाक्रम को विस्तार से कवर किया जाता है।
- **अन्य सुर्ख़ियां और सुर्ख़ियों में रहे स्थल/ व्यक्तित्व:** इस भाग के तहत सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण टर्म, संरक्षित क्षेत्र और प्रजातियों आदि को लगभग 90 शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है।

न्यूज़ टुडे वीडियो की मुख्य विशेषताएं

- **प्रमुख सुर्ख़ियां:** इसमें दिन की छह सबसे महत्वपूर्ण सुर्ख़ियों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। इससे आप एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण न्यूज को खोजने में आपना कीमती समय बर्बाद किए बिना मुख्य घटनाक्रमों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।
- **सुर्ख़ियों में रहे स्थल/ व्यक्तित्व:** इसमें सुर्ख़ियों में रहे एक महत्वपूर्ण स्थल या मशहूर व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है।
- **स्मरणीय तथ्य:** इस भाग में चर्चित विषयों को संक्षेप में कवर किया जाता है, जिससे आपको दुनिया भर के मौजूदा घटनाक्रमों की जानकारी मिलती रहती है।
- **प्रश्नोत्तरी:** प्रत्येक न्यूज टुडे वीडियो बुलेटिन के अंत में MCQs भी दिए जाते हैं। इसके जरिए हम न्यूज पर आपकी पकड़ का परीक्षण करते हैं। यह इंटरैक्टिव चरण आपकी लर्निंग को ज्ञानवर्धक के साथ-साथ मज़ेदार भी बनाता है। इससे आप घटनाक्रमों से जुड़े तथ्यों आदि को बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं।
- **रिसोर्सेज:** वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में "न्यूज़ टुडे" के PDF का लिंक दिया जाता है। न्यूज़ टुडे का PDF डॉक्यूमेंट, न्यूज टुडे वीडियो के आपके अनुभव को और बेहतर बनाता है। साथ ही, MCQs आधारित प्रश्नोत्तरी आपकी लर्निंग को और मजबूत बनाती है।

रोजाना 9 PM पर न्यूज टुडे वीडियो बुलेटिन देखिए

न्यूज टुडे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

न्यूज टुडे क्विज़ के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

3.1. वित्त एवं कराधान (FINANCE & TAXATION)

3.1.1. सकल स्थायी पूंजी निर्माण (Gross Fixed Capital Formation: GFCF)

संदर्भ

चालू कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के प्रतिशत के रूप में निजी सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF) की धीमी संवृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती रही है।

विश्लेषण

पूंजी निर्माण और सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF) क्या है?

- **पूंजी निर्माण (Capital Formation: CF):** संयंत्रों, उपकरण, मशीनरी जैसी परिसंपत्तियों तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास के माध्यम से मानव पूंजी में निवेश की प्रक्रिया को **पूंजी निर्माण** कहा जाता है।
- **सकल पूंजी निर्माण (GCF):** यह किसी अर्थव्यवस्था में स्थायी परिसंपत्तियों में सकल जोड़ या वृद्धि को कहा जाता है। इसमें शामिल हैं-
  - **सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF):** भूमि के मूल्य या उपयोग में वृद्धि; संयंत्र, मशीनरी और उपकरण खरीद; सड़कों का निर्माण; आदि।
  - **कच्चे माल, अर्द्ध-तैयार और तैयार उत्पाद के स्टॉक (CIS) में परिवर्तन:** उत्पादन या बिक्री में अस्थायी उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए कंपनियों द्वारा रखे गए उत्पाद के स्टॉक।
  - **कीमती वस्तुओं की निवल खरीदारी:** जैसे- सोना, रत्न, आभूषण और कीमती पत्थर आदि।
- **विशुद्ध पूंजी निर्माण (NCF),** GCF से इस मायने में अलग है कि NCF का मापन करते समय **मूल्यहास, अनुपयोगी परिसंपत्ति** और **स्थायी पूंजी की आकस्मिक क्षति को समायोजित किया जाता** है।

GFCF एक महत्वपूर्ण आर्थिक चर (वेरिएबल) क्यों है?

- **संवृद्धि का गुणक (Growth Multiplier):** GFCF और GDP धनात्मक रूप से एक-दूसरे से संबंधित हैं। GFCF में वृद्धि से GDP में भी वृद्धि होती है।
- **उत्पादकता को बढ़ावा देता है:** GFCF श्रमिकों को प्रत्येक वर्ष अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में मदद करता है।
- **आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है:** GFCF में संवृद्धि पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण को बढ़ावा देती है। इससे लंबी अवधि में उत्पादन के साथ-साथ अनुसंधान में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद मिलती है।
- **बाजार के विश्वास का संकेतक:** निजी GFCF किसी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्रक द्वारा निवेश करने की इच्छा का एक सामान्य संकेतक हो सकता है।

अन्य संबंधित तथ्य के लिए अवश्य पढ़िए:

कक्षा XII की एनसीईआरटी पुस्तक का अध्याय 2 **"राष्ट्रीय आय लेखांकन"**

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

GFCF (यानी निवेश) का विकास:

- **भारत की स्वतंत्रता से लेकर आर्थिक उदारीकरण तक,** देश में निवेश GDP के **10% के आसपास** रहा है।
- यह निवेश 1980 के दशक के GDP के **लगभग 10% से बढ़कर 2007-08 में लगभग 27%** हो गया।
- हालांकि, **2011-12 के बाद से, निजी निवेश में गिरावट शुरू हो गई** और यह **2020-21** में GDP के **19.6% के निचले स्तर पर पहुंच गया। (इन्फोग्राफिक देखिए)**

स्थिर कीमतों पर सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF)

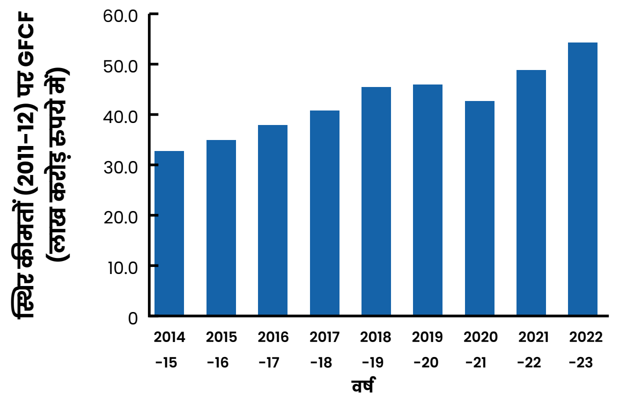

निजी GFCF में गिरावट के कारण:

- ऐतिहासिक रूप से, भारत में, **अधिक उपभोग व्यय के कारण निजी निवेश कम** रहा है।
- **सरकारी नीति निवेश अनुकूल नहीं होने** और **नीति निर्माण के स्तर पर अनिश्चितता के कारण भी** निजी निवेश कम रहा है। इसका एक उदाहरण है: समय-समय पर कर कानूनों से जुड़े विवादों का उत्पन्न होना।

GFCF में शामिल हैं

- **अवसंरचना,** जैसे- हवाई अड्डे, सड़क आदि।
- **बार-बार उपयोग किए जाने वाले पशुधन में वृद्धि,** जैसे- डेयरी मवेशी, भेड़ आदि।
- **बार-बार काटी जाने वाली कृषि फसलों में वृद्धि।**
- **बड़े पैमाने पर मरम्मत और रखरखाव के कार्य** जो परिसंपत्तियों के अधिक समय के लिए आर्थिक रूप से उपयोगी बनाते हैं।
- **अमूर्त परिसंपत्तियां,** जैसे- सॉफ़्टवेयर या मूल कलात्मक कार्य।

GFCF की संवृद्धि को बाधित करने वाले कारक

- **सुधारों की धीमी गति:** विशेष रूप से भूमि अधिग्रहण में सुधारों की धीमी गति ने निवेशकों को अर्थव्यवस्था में निवेश करने से हतोत्साहित किया है।
- **भारतीय बैंकों और कई बड़ी कंपनियों की वित्तीय समस्याएं:** इस समस्या की वजह से बाजार में उपलब्ध पूंजी अप्रत्यक्ष रूप से स्थिर हो जाती है और इस पूंजी का नई परियोजनाओं में फिर से निवेश नहीं हो पाता है।
- **उच्च ब्याज दर पर उधार मिलने की वजह से ऋण की लागत बढ़ जाती है** जिससे ऋण लेन-देन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इससे निवेश में बाधा उत्पन्न होती है।
- **अन्य:** ऐतिहासिक रूप से **उच्च उपभोग, प्रतिकूल सरकारी नीति और नीति संबंधी अनिश्चितता,** जैसे- कर कानूनों से जुड़े विवाद।

निष्कर्ष

भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य को हासिल करने में निवेश की बड़ी भूमिका होगी। सतत पूंजी निर्माण और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए, मुद्रास्फीति जैसे अन्य व्यापक आर्थिक कारकों में स्थिरता बनाए रखने के साथ-साथ आर्थिक सुधारों को लागू करना आवश्यक है।

3.1.2. धन के पुनर्वितरण के एक साधन के रूप में विरासत कर (Inheritance Tax as a tool of Wealth Redistribution)

संदर्भ

सुर्ख़ियों में क्यों?

आर्थिक असमानता को कम करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ प्रांतों में लगाए गए **विरासत कर** की तरह भारत में भी विरासत कर प्रणाली लागू करने पर चर्चा हो रही है।

विश्लेषण

विरासत कर (Inheritance Tax) क्या है?

- **किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर** उसके उत्तराधिकारियों को **विरासत में मिली जायदाद/ संपत्ति** पर **विरासत कर** लगाया जाता है। यह **एस्टेट टैक्स** से अलग है। **एस्टेट टैक्स मृत व्यक्ति की संपत्ति या एस्टेट के कुल मूल्य पर** लगाया जाता है।
- इसे कई देशों में अपनाया गया है, जैसे- जापान में विरासत कर की दर 55% तथा दक्षिण कोरिया में 50% है।

विरासत कर के लाभ

- **राजस्व में वृद्धि होगी:** इससे सरकार के **राजस्व में वृद्धि** हो सकती है। इस राजस्व का उपयोग गरीब लोगों के उत्थान हेतु सामाजिक क्षेत्रक के कार्यक्रमों के वित्त-पोषण लिए किया जा सकता है।
- **संपत्ति में असमानता को कम करेगा:** यह विरासत में मिली संपत्ति के एक हिस्से को पुनर्वितरित करके तथा सरकारी कार्यक्रमों और सेवाओं का वित्त-पोषण करके कुछ लोगों के पास **धन के संकेन्द्रण को कम** कर सकता है।
- **मेरिटोक्रेसी को बढ़ावा मिलेगा:** विरासत में मिली संपत्ति पर कर लगाकर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सफलता पारिवारिक संपत्ति और विशेषाधिकारों की बजाय व्यक्तिगत प्रयास, क्षमता और प्रतिभा के आधार पर ही मिल सकती है।
- **निवेश को उत्पादक गतिविधियों में लगाया जा सकता है:** इससे धनी व्यक्तियों को अपने जीवनकाल के दौरान अपने धन को केवल अपने उत्तराधिकारियों को सौंपने की बजाय **अधिक उत्पादक गतिविधियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।**

अन्य संबंधित तथ्य के लिए अवश्य पढ़िए:

कक्षा XII की एनसीईआरटी पुस्तक का अध्याय 5 "सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था"

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

भारत में विरासत कर का इतिहास

- वर्तमान में **भारत में कोई विरासत कर लागू नहीं** है।
- 1953 में **एस्टेट ड्यूटी** लगाई गई थी। इस कर की दर 85% तक पहुंच गई थी, जिसके कारण यह कर अत्यधिक अलोकप्रिय हो गया। वर्ष 1985 में इसे समाप्त कर दिया गया।
- **एस्टेट ड्यूटी** के समान भारत में **उपहार कर (Gift tax)** और **संपत्ति कर (Wealth tax)** भी लगाए गए थे।
  - उपहार कर को 1998 में और संपत्ति कर को 2015 में समाप्त कर दिया गया। हालांकि, **उपहार कर** को 2004 में फिर से लगाया गया था।
    - उपहार कर के तहत, यदि कोई व्यक्ति **एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक मूल्य का कोई उपहार प्राप्त करता है,** तो इसे **"अन्य स्रोतों से प्राप्त आय"** के रूप में समझा जाता है। इस पर **आयकर स्लैब के अनुसार कर** लगाया जाता है।
    - हालांकि, इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे- दान, विरासत में मिले उपहार और करीबी रिश्तेदार से प्राप्त उपहार, शादी के उपलक्ष्य में प्राप्त उपहार आदि।

- **पीढ़ी-दर-पीढ़ी असमानता के दुष्चक्र से मुक्ति मिल सकती है:** विरासत कर यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि एक ही वंश की पीढ़ियों में धन के संचय की बजाय संसाधनों को अलगी पीढ़ियों में समान रूप से वितरित किया जाए।

विरासत कर के प्रभाव

- **कर चोरी बढ़ सकती है:** कर की उच्च दर के कारण, और कर के बचाव (Tax Avoidance) जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही, लोग इससे **कर का भुगतान करने के लिए कम मूल्य में अपनी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर** हो सकते हैं।
- **बचत और निवेश हतोत्साहित होगा:** यदि विरासत में प्राप्त संपत्ति पर उच्च विरासत कर लगाया जाता है, तो लोग संपत्ति का संचय करने में रुचि नहीं रखेंगे।
- **व्यवसाय पर प्रभाव:** कई व्यवसायी, करों से बचने के लिए अपने व्यवसाय को विदेशों में स्थापित कर सकते हैं। साथ ही लोग कर देनदारियों का भुगतान करने के लिए परिवार के स्वामित्व वाले व्यवसायों को बेचने या उसका बंटवारा करने के लिए भी मजबूर हो सकते हैं।
- **दोहरे कराधान से जुड़ी चिंताएं:** आलोचकों का तर्क है कि विरासत कर दोहरे कराधान को बढ़ावा देता है, क्योंकि हस्तांतरित की जा रही संपत्ति पर पहले से ही आय और अन्य कर वसूले जा चुके होते हैं।

निष्कर्ष

विरासत कर **संपत्ति के स्तर पर असमानता** को प्रभावी ढंग से कम कर सकता है, हालांकि इसके कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले **अवांछित परिणामों से बचने के लिए** काफी सावधानी से संतुलन बनाने की आवश्यकता है। कर चोरी की रोकथाम के लिए **जरूरी प्रावधानों को अपनाते हुए अच्छी तरह से डिजाइन की गई प्रगतिशील विरासत कर प्रणाली** लागू की जा सकती है। इससे सामाजिक कार्यक्रमों के लिए **राजस्व जुटाने** के साथ-साथ **संपत्ति के स्तर पर समानता को बढ़ावा** दिया जा सकता है।

3.1.3. अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (ADVANCE PRICING AGREEMENTS: APAs)

संदर्भ

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने भारतीय करदाताओं के साथ वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक के सबसे अधिक रिकॉर्ड 125 **अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते** पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें एकतरफा और द्विपक्षीय APAs, दोनों शामिल हैं।

विश्लेषण

भारत में अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता व्यवस्था:

- **भारत में APA योजना:**
  - **केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 92CC और 92CD** को शामिल करके 2012 में **APA योजना** अधिसूचित की थी।
    - इसके बाद **CBDT ने इस योजना को लागू करने के लिए APA नियमों को अधिसूचित** किया था।
  - इसके तहत, CBDT और किसी अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के संबंध में आर्म्स लेंथ प्राइस निर्धारित करने वाले किसी भी व्यक्ति के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं।
    - यह **केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अनुसार स्थापित एक वैधानिक निकाय** है। यह **केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग** के अंतर्गत कार्य करता है।
  - **योजना की प्रकृति:** APA प्रक्रिया स्वैच्छिक है और ट्रांसफर प्राइसिंग विवाद को हल करने के लिए अपील और अन्य दोहरे कराधान बचाव समझौते (DTAA) तंत्र की पूरक हैं।
  - **APA की अवधि:** अधिकतम पांच वर्ष।
  - **रोलबैक प्रोविजन:** APA व्यवस्था में सहमति के अनुसार आर्म्स लेंथ प्राइस को APA के शुरू होने से पहले की अवधि में लागू करने की अनुमति है।

भारत में अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते से जुड़ी समस्याएं:

- **जटिल अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन:** कई अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन में जटिल व्यावसायिक संरचनाएं और गतिविधियां शामिल होती हैं। इसके चलते आर्म्स लेंथ प्राइस को सटीक रूप से निर्धारित करना कठिन हो जाता है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (APA) के बारे में

- **परिभाषा:** यह **करदाता और कर प्राधिकरण के बीच एक समझौता** है। APA मूल्य निर्धारण के तरीकों को निर्धारित करके **ट्रांसफर प्राइसिंग** निर्धारण के क्षेत्र में करदाताओं को निश्चितता प्रदान करने का प्रयास करता है।
  - **ट्रांसफर प्राइसिंग:** यह **साझा स्वामित्व या नियंत्रण** वाली कंपनियों के बीच आदान-प्रदान की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत है। इसके तहत वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान-प्रदान एक ही कंपनी के अलग-अलग डिवीज़न या सहायक कंपनियों के बीच होता है।
- **महत्त्व:** APA अधिकतम पांच आगामी वर्षों के लिए **अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन आर्म्स लेंथ प्राइसिंग (ALP)** निर्धारित करने में मदद करता है।
  - **मूल्य निर्धारण का आर्म्स-लेंथ प्रिंसिपल:** इस सिद्धांत के अनुसार, दो संबंधित पक्षकारों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान-प्रदान के लिए निर्धारित कीमत, दो अलग-अलग पक्षकारों के बीच उसी चीज के लिए तय कीमत के समान होनी चाहिए।
- इसके अलावा, **करदाता के पास पिछले चार वर्षों के लिए भी APA लागू करने का विकल्प** होता है। इस प्रकार यह, नौ वर्षों के लिए कर निश्चितता प्रदान करता है।

- **आंतरिक समन्वय का अभाव:** यह अनुभव किया गया है कि अलग-अलग संस्थाएं समान अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन पर अलग-अलग तकनीकी रुख अपनाती हैं। ये करदाताओं के लिए अनिश्चितता पैदा करते है और APA वार्ताओं को बाधित करती है।
- **APAs की प्रोसेसिंग में देरी:** इस प्रक्रिया के लिए कम मानव संसाधन तैनात किए गए हैं। चूंकि प्रक्रिया में कई जटिल तथ्य शामिल होते हैं और बहुत सारे डेटा विश्लेषण की आवश्यकता होती है, इसलिए कम मानव संसाधन की वजह से देरी होती है।

अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों (APAs) का महत्त्व

- दोहरे कराधान से बचाव
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना
- कंपनियों के लिए नियमों के अनुपालन लागत में कमी
- कर प्रशासन की कम लागत
- रिकॉर्ड रखने का कम बोझ

APAs के प्रकार

- **एकपक्षीय:** करदाता और उस देश की सरकार के बीच हुआ एक समझौता जहां वह कर देता है।
- **द्विपक्षीय:** करदाताओं, मेजबान देश के कर प्रशासन और विदेशी कर प्रशासन के बीच पूर्वनिर्धारित मूल्य निर्धारण समझौता।
- **बहुपक्षीय:** करदाताओं, मेजबान देश के कर प्रशासन और एक से अधिक विदेशी कर प्रशासनों के बीच किया गया APA समझौता।

निष्कर्ष

APA से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु, निजी क्षेत्रक से आउटसोर्सिंग के आधार पर विषय-विशेषज्ञ नियुक्त किए जा सकते हैं। इससे न केवल मानव संसाधन की कमी की समस्या का समाधान निकल सकता है, बल्कि ये विशेषज्ञ अपनी विशेषज्ञता से नई जटिलताओं को भी स्पष्ट कर सकते हैं।

3.1.4. दोहरा कराधान बचाव समझौता (Double Taxation Avoidance Agreement: DTAA)

संदर्भ

भारत और मॉरीशस ने एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं (अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है)। इसके तहत दोहरे कराधान बचाव समझौते (DTAA) में संशोधन किया जाएगा।

विश्लेषण

संशोधन द्वारा प्रस्तुत प्रमुख परिवर्तन

- संशोधन में DTAA के तहत कर लाभ प्राप्त करने के लिए **प्रिंसिपल पर्पज टेस्ट (PPT)** का प्रावधान किया गया है। इससे कर चोरी और कर बचाव के लिए संधि के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा।
  - PPT यह प्रावधान करता है कि **संधि के तहत लागू कर लाभ नहीं मिलेंगे यदि यह साबित होता है कि किसी लेन-देन या समझौते का मुख्य उद्देश्य केवल कर लाभ प्राप्त करना था।**
  - DTAA में संशोधन के प्रोटोकॉल का उद्देश्य इसे **बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS) मिनिमम स्टैंडर्ड्स** के अनुरूप बनाना है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS)

- यह कर चुकाने से बचने की रणनीतियों के लिए इस्तेमाल होने वाली टर्म है। इन रणनीतियों के अंतर्गत कर देने से बचने के लिए **नियमों में कमी या असंगतता का फायदा** उठाकर **मुनाफे को उच्च कर दर वाले देशों से कम कर दर वाले देशों में स्थानांतरित कर दिया जाता है।**
- **"BEPS को रोकने के लिए कर संधि से संबंधित उपायों को लागू करने हेतु बहुपक्षीय कन्वेंशन"** का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों को अपडेट करना और बहुराष्ट्रीय उद्यमों द्वारा कर से बचने के अवसरों को कम करना है।
- भारत ने **इस अभिसमय पर 2017 में हस्ताक्षर** किए थे।

DTAA के बारे में

- DTAA दो देशों/ न्यायिक क्षेत्रों के बीच एक समझौता है। यह दो अलग-अलग देशों/ न्यायिक क्षेत्रों में एक ही घोषित परिसंपत्ति पर दोहरे कराधान से बचाता है।
- **भारत और मॉरीशस के बीच DTAA पर पहली बार 1982 में हस्ताक्षर किए गए थे।** इसे 2016 में संशोधित किया गया था।

DTAA से जुड़ी चिंताएं:

- **ट्रीटी शॉपिंग:** यह तब होता है जब किसी ऐसे देश का निवासी, जो DTAA में शामिल नहीं है, अप्रत्यक्ष तरीकों से DTAA के प्रावधानों का लाभ उठाता है।

- **दोहरा गैर-कराधान:** समझौते में शामिल दोनों देशों में करों का भुगतान करने से बचने के लिए DTAA का दुरुपयोग किया जाता है।
- कर संधियों की अलग-अलग व्याख्याओं के कारण **मुकदमेबाजी में बढ़ोतरी** हुई है।

निष्कर्ष

DTAAs अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने और दोहरे कराधान के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए उपयोगी टूल हैं। मौजूदा चुनौतियों का समाधान करके और उनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करके, देश इन समझौतों के लाभों को प्राप्त करना जारी रख सकते हैं।

DTAA का महत्त्व

- **विदेशी निवेशकों पर कर का बोझ कम करके सीमा-पार निवेश** को बढ़ावा देता है।
- आय 'स्रोत' और करदाता के 'निवास' देशों के बीच कर के अधिकार का **न्यायसंगत आवंटन सुनिश्चित** करता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय आय पर कर लगाकर कानूनी निश्चितता** प्रदान करता है।

पारस्परिक समझौते की प्रक्रिया (Mutual Agreement Procedure: MAP)

- MAP **दोहरे कराधान विवादों के समाधान हेतु करदाताओं के लिए उपलब्ध एक अन्य विकल्प** है। यह न्यायिक या आर्थिक, दोनों तरीके से विवादों के समाधान का विकल्प प्रदान करता है।
- **MAP कर-संधियों (उदाहरण के लिए- DTAA) में निर्धारित एक तंत्र** है जो यह सुनिश्चित करता है कि कराधान कर संधि के अनुसार है।
    - कर संधि एक **द्विपक्षीय समझौता** है। यह संधि दो देशों द्वारा अपने **प्रत्येक नागरिक की निष्क्रिय और सक्रिय आय पर दोहरे कराधान से जुड़ी समस्याओं का हल** करने के लिए की जाती है।
- **MAP और APA के बीच अंतर:**
    - MAP ट्रांसफर प्राइसिंग विवादों का समाधान करता है जबकि APAs ट्रांसफर प्राइसिंग विवादों को उत्पन्न होने से रोकता है।
    - करदाता **लंबित विवादों** के लिए MAP दाखिल करते हैं, जबकि करदाता भविष्य के वर्षों के समान लेन-देन के मामले में प्रभावी विवाद समाधान/ परिहार रणनीति के रूप में APA का विकल्प चुनते हैं।

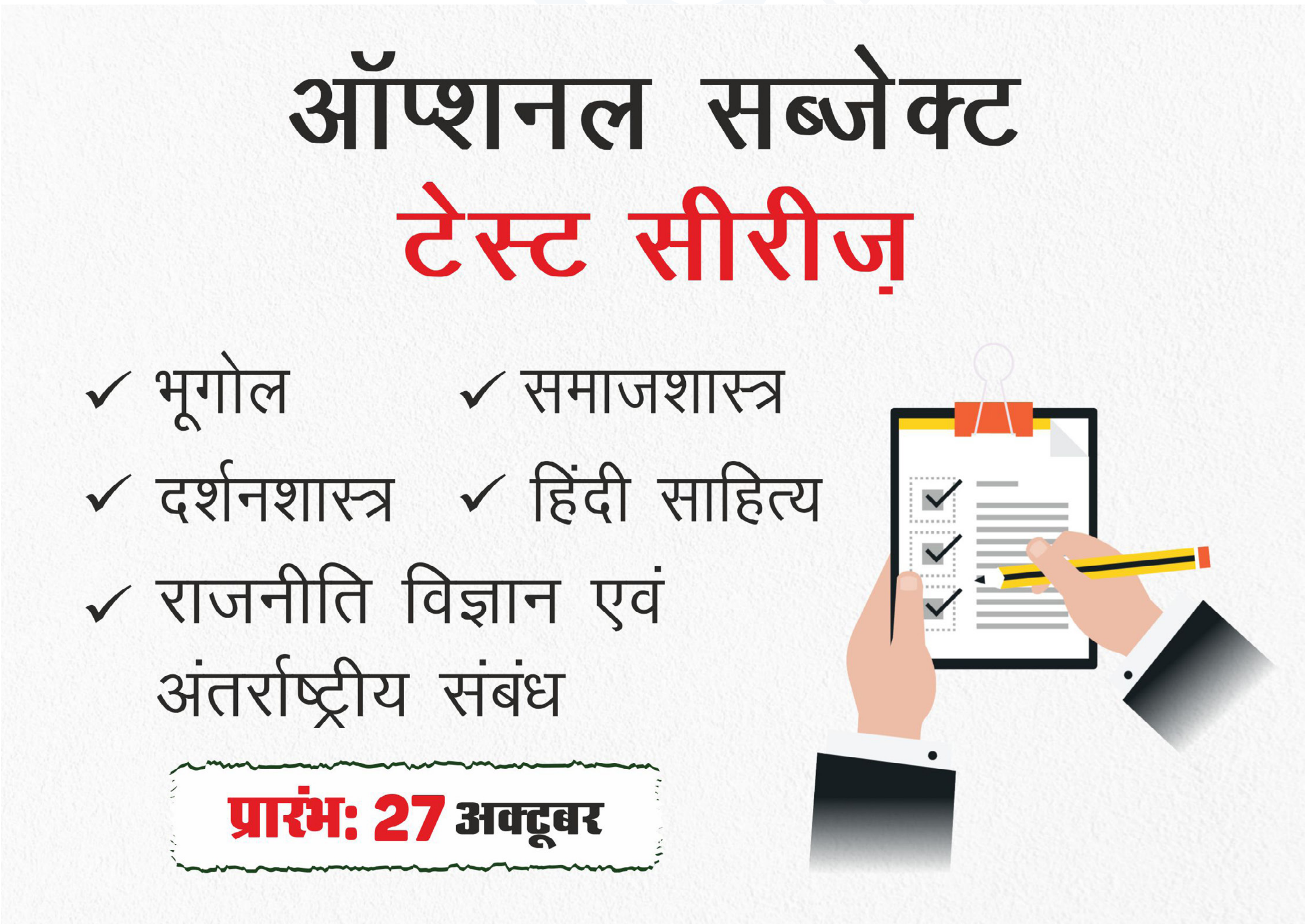

3.2. बैंकिंग और भुगतान इकोसिस्टम (BANKING AND PAYMENT ECOSYSTEM)

3.2.1. RBI द्वारा अधिशेष अंतरण (RBI SURPLUS TRANSFER)

संदर्भ

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2024 के लिए **सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपये के अधिशेष अंतरण** (सरप्लस ट्रांसफर) को मंजूरी दी है। यह अब तक का सबसे अधिक सरप्लस ट्रांसफर है। वास्तव में यह राशि पिछले वित्त वर्ष के 86,416 करोड़ रुपये के दोगुने से भी अधिक है।

विश्लेषण

अन्य संबंधित तथ्य के लिए अवश्य पढ़िए:

कक्षा XII की एनसीईआरटी पुस्तक का अध्याय-2 "मुद्रा और बैंकिंग"

RBI के सरप्लस के बारे में

- RBI के पास सरप्लस या अधिशेष का अर्थ है- **खर्च से ज्यादा आय होना।** RBI का **कुल खर्च** उसे ब्याज से प्राप्त कुल आय का केवल 1/7 वां हिस्सा है। इसी के चलते RBI के पास अधिशेष बना रहता है।

RBI की आय	RBI का व्यय

• **रुपये में जारी प्रतिभूतियों की होल्डिंग पर ब्याज।**
• **चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) और सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) संचालन पर अर्जित ब्याज:** इसमें LAF और MSF गतिविधियों से अर्जित निवल ब्याज शामिल है।
• **ऋण और अग्रिम पर अर्जित ब्याज:** इसमें केंद्र और राज्य सरकारों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों तथा कर्मचारियों को दिए गए ऋण और अग्रिम पर प्राप्त ब्याज आय शामिल है।
• **विदेशी स्रोतों से अर्जित ब्याज:** इसमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों (FCA) से प्राप्त ब्याज आय शामिल है।
	• RBI अपनी **आय का एक बड़ा हिस्सा जोखिम से निपटने (रिस्क प्रॉविजन) पर व्यय** करता है। रिजर्व बैंक दो तरह के **रिस्क प्रॉविजन** का प्रावधान करता है- **आकस्मिकता निधि और परिसंपत्ति विकास निधि।**
	  » **आकस्मिकता निधि (Contingency Fund: CF):** इसके तहत किसी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए राशि अलग रखी जाती है। उदाहरण के लिए- प्रतिभूतियों (बॉण्ड) की वैल्यू में मूल्यहास, मौद्रिक दर नीति से जुड़े जोखिम, आदि।
	  » **परिसंपत्ति विकास निधि (Asset Development Fund: ADF):** इसके तहत RBI की सब्सिडियरी कंपनियों और संबद्ध संस्थानों में निवेश और आंतरिक कार्यप्रणाली के लिए पूंजी व्यय किया जाता है।
	• **नोटों की छपाई** पर होने वाला व्यय, **एजेंसी शुल्क**, और **कर्मचारियों पर हुए खर्च।**

RBI द्वारा सरकार को सरप्लस ट्रांसफर करने से संबंधित प्रावधान

- **RBI अधिनियम, 1934: RBI अधिनियम, 1934 की धारा 47 में प्रावधान** किया गया है कि RBI द्वारा अपने परिचालन से अर्जित किसी भी तरह का लाभ केंद्र को ट्रांसफर किया जाएगा।
- **समितियों की सिफारिशें:** पहले, RBI अपने सरप्लस का बड़ा हिस्सा **आकस्मिकता निधि** और **परिसंपत्ति विकास निधि** के लिए सुरक्षित रखता था। हालांकि, **मालेगाम समिति (2013)** की सिफारिशों के बाद सरकार को ट्रांसफर किए जाने वाले सरप्लस में बढ़ोतरी हुई है।
- **आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क (Economic Capital Framework: ECF): बिमल जालान समिति** की सिफारिशों के आधार पर आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क को संशोधित किया गया था। संशोधित आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क के अनुसार RBI द्वारा केंद्र को ट्रांसफर की जाने वाली सरप्लस राशि दो कारकों के आधार पर निर्धारित की जाती है-
  - **रियलाइज्ड इक्विटी (आकस्मिकता निधि में मौजूद राशि): आकस्मिकता निधि** को RBI की बैलेंस शीट के 6.5% से 5.5% की सीमा के भीतर बनाए रखा जाता है और उसके बाद शेष बची अतिरिक्त राशि सरकार को ट्रांसफर कर दी जाती है।
  - **आर्थिक पूंजी (Currency and Gold Revaluation Account: CGRA):** इसे बैलेंस शीट के 20.8-25.4% की सीमा में रखा जाता है और शेष राशि सरकार को ट्रांसफर कर दी जाती है।
    - ◊ CGRA से आशय है- मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यांकन खाता। इसमें **पूंजी,**

पिछले कुछ वर्षों में RBI द्वारा केंद्र सरकार को किए गए भुगतान (करोड़ रुपये में)

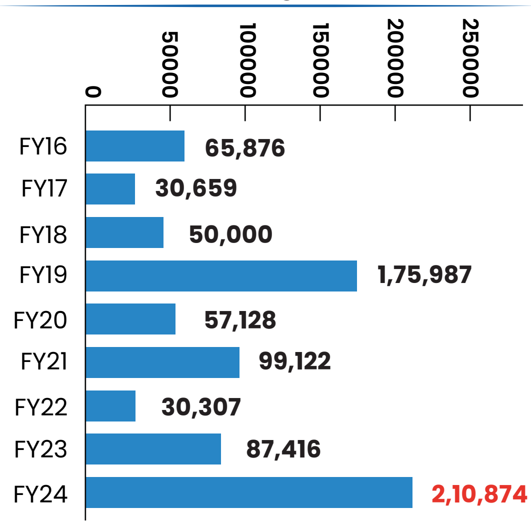

रिजर्व, जोखिम से निपटने के लिए रखी राशि (रिस्क प्रॉविजन) और पुनर्मूल्यांकन शेष (Revaluation balances) शामिल होते हैं। पुनर्मूल्यांकन शेष में शामिल हैं- **धारित परिसंपत्तियों के मूल्य में उतार-चढ़ाव (अनरियलाइज्ड गेन)** तथा विनिमय दर, स्वर्ण की कीमत या ब्याज दर के उतार-चढ़ाव के परिणामस्वरूप निवल हानि।

सरकार को सरप्लस ट्रांसफर के लाभ

- **राजकोषीय घाटे को कम करने में सहायक:** सरप्लस राशि प्राप्त होने से केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित 5.1% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।
- **राजस्व लक्ष्यों को पूरा करना:** RBI से सरप्लस ट्रांसफर केंद्र सरकार के लिए गैर-कर प्राप्तियों (नॉन-टैक्स रिसीट्स) का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह सरकार को अर्थव्यवस्था की आर्थिक संवृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अधिक व्यय करने में मदद करता है।
- **सरकारी उधारी कम करना:** इससे सरकार को चालू वित्त वर्ष (2024-25) में अपनी सकल उधारी को 1 ट्रिलियन रुपये तक कम करने या पूंजीगत व्यय बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
- **ब्याज दरों को कम रखने में मदद मिलना:** मुख्य रूप से सरप्लस ट्रांसफर के कारण सरकारी बॉण्ड की यील्ड में गिरावट होती है। इससे कम ब्याज दर पर उधार मिलने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकारी बॉण्ड की यील्ड दर, वास्तव में कॉर्पोरेट जगत द्वारा लिए जाने वाले उधार के लिए बेंचमार्क ब्याज दर के रूप में कार्य करती है।

निष्कर्ष

पूर्व में भारतीय रिजर्व बैंक के पास पर्याप्त आकस्मिकता निधि रखने और RBI की स्वायत्तता जैसे मामलों के संबंध में RBI द्वारा सरप्लस ट्रांसफर एक चर्चा का विषय रहा है। विशेष रूप से केंद्र सरकार को चालू वित्त वर्ष के लिए किए गए आवंटन को देखें तो RBI ने जो सरप्लस ट्रांसफर किए हैं, वह अपने आप में महत्वपूर्ण है। इस अतिरिक्त राशि का उपयोग सार्वजनिक व्यय या विशेष परियोजनाओं पर व्यय के लिए किया जा सकता है। इससे कुछ क्षेत्रकों में मांग बढ़ाने में और आर्थिक गतिविधि के विस्तार में मदद मिल सकती है।

3.2.2. शहरी सहकारी बैंकों के लिए अम्ब्रेला संगठन (UCBS) {UMBRELLA ORGANISATION (UO) FOR URBAN COOPERATIVE BANKS (UCBS)}

संदर्भ

हाल ही में, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए एक अम्ब्रेला संगठन **राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड (NUCFDC)** का गठन किया है।

विश्लेषण

NUCFDC के बारे में

- **पृष्ठभूमि:**
  - **2006: श्री एन.एस. विश्वनाथन** की अध्यक्षता में गठित भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के एक कार्य-समूह ने **सर्वप्रथम भारत के UCB क्षेत्रक के लिए एक अम्ब्रेला संगठन** की आवश्यकता पर बल दिया था।
  - **2009: श्री वी.एस. दास** की अध्यक्षता में गठित RBI के एक कार्य-समूह ने **राष्ट्रीय स्तर** के एक अम्ब्रेला संगठन (NUCFDC जैसा) के गठन की सिफारिश की थी।
  - **2019:** RBI ने NUCFDC के गठन हेतु **नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड (NAFCUB)** को विनियामकीय मंजूरी प्रदान की (इन्फोग्राफिक देखें)।
- **NUCFDC की आवश्यकता क्यों है?**
  - UCBs की समस्याओं को हल करने के लिए अम्ब्रेला संगठन एक गेटवे के रूप में कार्य कर सकता है (इन्फोग्राफिक देखें)।
  - RBI की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट (2021) के अनुसार, अम्ब्रेला संगठन **लघु आकार के UCBs के विलय की जगह एक विकल्प** प्रदान करता है।
    - गौरतलब है कि इकोनॉमी ऑफ स्केल में सुधार लाने के लिए विलय का तरीका अपनाया गया था क्योंकि एक ही क्षेत्र में अधिक UCBs के होने से प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी जिससे इन बैंकों की आर्थिक लभप्रदता प्रभावित होती थी।

UCBs की मौजूदा खामियां, जिन्हें NUCFDC द्वारा समाप्त किया जा सकता है

- **ख़राब प्रशासन:** क्योंकि **बोर्ड के सदस्य बैंक के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं।** उदाहरण के लिए- ख़राब प्रशासन के कारण पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक (PMC) में विफलता की स्थिति उत्पन्न हुई थी।
- **पूंजी जुटाने में मौजूद बाधाएं:** क्योंकि सहकारी बैंकों द्वारा जारी प्रतिभूतियों को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करना कानूनी रूप से संभव नहीं है।
- **तीव्र बाजार प्रतिस्पर्धा:** इन्हें वित्तीय रूप से मजबूत और अत्याधुनिक तकनीक से लैस **लघु वित्त बैंक (SFBs), फिनटेक** इत्यादि से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ये **UCBs के पारंपरिक बाजार क्षेत्रों को बाधित कर सकते हैं।**
- **उच्च सकल गैर-निष्पादित संपत्ति (GNPA):** RBI की **वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट** के अनुसार, UCBs का GNPA सितंबर, 2023 तक 10.9% था।

- **एन.एस. विश्वनाथन समिति** के अनुसार, अम्ब्रेला संगठन इस क्षेत्रक में जनता और जमाकर्ताओं के भरोसा को बढ़ाने के लिए **एकमात्र दीर्घकालिक समाधान** प्रतीत होता है।
- **वैश्विक उदाहरण: संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा** और **फ्रांस जैसे देशों में सहकारी बैंकों** की अच्छी-खासी संख्या है। इन देशों में UCBs को **क्रेडिट यूनियन** की संज्ञा दी गई है। साथ ही, इन देशों में सहकारी बैंक आपस में एक-दूसरे से गहन रूप से नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। ये अम्ब्रेला संगठन (UO) नामक एक शीर्ष संस्था के तहत संचालित होते हैं।
  - भारत में, अम्ब्रेला संगठन की सहायता से लगभग **1,502 UCBs को अधिक सशक्त और आधुनिक** बनाया जा सकेगा।
- **वैधानिक स्थिति:**
  - **NUCFDC** एक अम्ब्रेला संगठन है। यह **RBI** के साथ **टाइप II गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-गैर जमा स्वीकारकर्ता (NBFC-ND)** के रूप में **पंजीकृत** है।
  - **टाइप II** NBFC-ND लोगों से जमा (पब्लिक फंड्स) स्वीकार करती है या स्वीकार करने का इरादा रखती है और/ या यह ग्राहकों से लेनदेन करती है या लेन-देन करने का इरादा रखती है।
  - **NUCFDC** को UCB क्षेत्रक के लिए **स्व-विनियामक संगठन के रूप में कार्य करने की** अनुमति दी जाएगी।

NUCFDC के प्रमुख कार्य

- **तरलता और पूंजी सहायता प्रदान करना:** यह पूंजी जुटाकर **300 करोड़ रुपये के पूंजी आधार** तक पहुंचने का लक्ष्य रखे हुआ है ताकि जरूरत पड़ने पर UCBs की सहायता की जा सके; NUCFDC, UCBs को **फंड प्रबंधन** और अन्य परामर्श सेवाएं भी प्रदान कर सकता है।
- **विनियामक संबंधी नियमों के पालन को आसान बनाना:** यह लघु बैंकों को **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949** के नियमों का पालन करने हेतु तैयार करने में मदद करेगा; यह **UCBs और विनियामक संस्थाओं के बीच विचार-विमर्श** को आसान बनाएगा।
- **एक साझा प्रौद्योगिकी मंच विकसित करना:** NUCFDC, UCBs को अपेक्षाकृत कम लागत पर **अपनी सेवाओं का दायरा बढ़ाने** में मदद करेगा।

3.2.3. परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (Asset Reconstruction Companies: ARC)

संदर्भ

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने **मास्टर डायरेक्शन - भारतीय रिजर्व बैंक (परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां) दिशा-निर्देश, 2024** जारी किया है।

विश्लेषण

भारतीय रिजर्व बैंक (परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां) दिशा-निर्देश, 2024 के बारे में

- **किसके तहत जारी:** ये दिशा-निर्देश **"सरफेसी यानी वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (SARFAESI) अधिनियम, 2002** द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत जारी किए गए हैं।
  - यह **सरफेसी अधिनियम, 2002** की धारा 3 के तहत RBI के पास पंजीकृत प्रत्येक **परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों** पर लागू है।
- **उद्देश्य:** ये दिशानिर्देश भारत में ARCs के काम-काज को सुव्यवस्थित और विनियमित करेगा तथा उनकी वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और स्थायित्व सुनिश्चित करेंगे।

ARC पर RBI के मास्टर डायरेक्शन 2024 के प्रमुख प्रावधान

- **नेट ओन फंड (NOF):** प्रतिभूतिकरण या परिसंपत्ति पुनर्गठन का व्यवसाय शुरू करने के लिए, किसी ARC के पास निरंतर आधार पर **न्यूनतम 300 करोड़ रुपये** का NOF होना आवश्यक है।

अन्य संबंधित तथ्य के लिए अवश्य पढ़िए:

कक्षा XII की एनसीईआरटी पुस्तक का अध्याय-2 "मुद्रा और बैंकिंग"

पृष्ठभूमि

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs) के बारे में

- **परिभाषा:** ARC ऐसे वित्तीय संस्थान हैं जो बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों की **गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) या दबावग्रस्त परिसंपत्तियों को खरीद लेती हैं,** ताकि उनकी बैलेंस शीट को साफ-सुथरा रखा जा सके।
  - ARCs को दबावग्रस्त वित्तीय परिसंपत्तियों की **खरीद के अधिकतम 8 वर्षों के भीतर वसूली करना आवश्यक है** और इन परिसंपत्तियों के बदले जारी सिक्योरिटी रिसीट्स (SRs) को भुनाना आवश्यक होता है।
- **उत्पत्ति: सरफेसी अधिनियम, 2002 के अनुसार** ARCs को RBI

- **पंजीकरण:** प्रतिभूतिकरण या परिसंपत्ति पुनर्गठन का व्यवसाय शुरू करने से पहले, ARC को पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा और RBI से पंजीकरण प्रमाण-पत्र (CoR) प्राप्त करना होगा।
- **नेतृत्व अर्हता:** ARC के MD/ CEO या पूर्णकालिक निदेशक के लिए 70 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। इन्हें एक बार में 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा। एक व्यक्ति लगातार अधिकतम 15 वर्ष तक ही इन पदों को धारण कर सकता है।
- **ARCs को इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) को रिपोर्ट करना होता है:** ARCs द्वारा पेशेवर सेवाओं में गंभीर अनियमितता वाले CAs, अधिवक्ताओं और मूल्यांकनकर्ताओं का विवरण **भारतीय बैंक संघ (IBA)** के डेटाबेस में शामिल करने के लिए सूची सौंपी जाती है।
- **आंतरिक ऑडिट:** ARCs एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित करेंगी, जो परिसंपत्ति अधिग्रहण प्रक्रियाओं और परिसंपत्ति पुनर्गठन उपायों की समय-समय पर **जांच और समीक्षा** करेंगी।
- **अन्य प्रावधान:**
  - ARCs को **जमा-राशि स्वीकार करने के जरिए धन जुटाने से प्रतिबंधित** किया गया है।
  - उन्हें अपनी कुल जोखिम-भारित परिसंपत्तियों का न्यूनतम 15% हिस्सा **पूंजी पर्याप्तता अनुपात के रूप में बनाए रखना** होता है।

ARCs विनियमों में RBI द्वारा किए गए अन्य हालिया बदलाव

- **ARCs के कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत किया गया:** RBI ने आदेश दिया है कि बोर्ड की बैठक में बोर्ड के अध्यक्ष और कम-से-कम 1/2 निदेशक स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए।
- **पारदर्शिता में वृद्धि:** ARCs को सिक्योरिटी रिसीट के निवेशकों को प्राप्त रिटर्न पर अपने ट्रैक रिकॉर्ड और पिछले आठ वर्षों में शुरू की गई योजनाओं से जुड़ी रेटिंग एजेंसियों के साथ संबंध का खुलासा करना होगा।
- **उचित व्यवहार संहिता (Fair Practices Code: FPC):** हितधारकों के साथ समझौते में **पारदर्शिता और निष्पक्षता के उच्चतम मानक सुनिश्चित करने हेतु** ARCs को बोर्ड द्वारा मंजूरी प्राप्त कर **उचित व्यवहार संहिता** तैयार करने की सलाह दी गई है।

द्वारा पंजीकृत और विनियमित किया जाएगा। भारत में 2022 तक 29 ARCs कार्य कर रही थीं।
  - **नरसिम्हम समिति-II (1998)** ने विश्व के अन्य देशों में संचालित परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों की तर्ज पर परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों के गठन का सुझाव दिया था।
- **ARCs के प्रकार:** स्वामित्व के आधार पर, ARCs तीन प्रकार की हो सकती हैं; सार्वजनिक, निजी और **सार्वजनिक-निजी भागीदारी** वाली ARCs
- **परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs) का महत्त्व:**
  - ARCs बैंकों/ वित्तीय संस्थानों को अपनी बैलेंस शीट से **दबावग्रस्त परिसंपत्तियों को हटाकर** ऋण देने के अपने मुख्य कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती हैं।
  - **परिसंपत्तियों की वसूली,**
  - **व्यवसाय को नया जीवन:** ARCs उधार लेने वालों के व्यवसाय के पुनः संचालन में मदद करती हैं।

ARCs कैसे काम करती हैं?

- **परिसंपत्ति अधिग्रहण:** ARCs बैंकों/ वित्तीय संस्थानों से वित्तीय परिसंपत्तियां खरीद करके उन्हें या तो अपने खातों में दर्ज करती हैं या प्रतिभूतिकरण और/ या पुनर्गठन के उद्देश्य से स्थापित ट्रस्ट के खातों में दर्ज करती हैं।
- **सिक्युरिटीज रिसीट्स (SRs):** बैंक या वित्तीय संस्थान दबावग्रस्त (स्ट्रेस्ड) ऋणों को डिस्काउंट पर ARCs को बेच देते हैं। यदि बैंकों को इसके लिए पूरी तरह से नकद में भुगतान नहीं किया गया है, तो फिर उसके बदले में ARC द्वारा सिक्युरिटी रिसीट्स जारी किए जाते हैं। इन्हें एक निश्चित सीमा तक ऋण की वसूली हो जाने पर भुनाया जा सकता है।
- **प्रबंधन शुल्क:** ARCs दबावग्रस्त ऋण बेचने वाली संस्थाओं से **हर साल परिसंपत्ति के मूल्य का 1.5% से 2% तक प्रबंधन शुल्क** भी वसूलती हैं।

- **CIC का सदस्य:** प्रत्येक ARC को **कम-से-कम एक ऐसी क्रेडिट सूचना कंपनी (CIC) का सदस्य** बनाना होगा, जिसने RBI से पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है।

आगे की राह

- **ARCs का दायरा बढ़ाना:** ARCs को FPIs और सभी NBFCs सहित **सभी विनियमित संस्थाओं और** खुदरा निवेशकों से दबावग्रस्त **वित्तीय परिसंपत्ति खरीदने** की अनुमति देने पर विचार करना चाहिए, भले ही **कितनी भी परिसंपत्ति क्यों न** हो।
- **विनियामक स्तर पर कार्रवाई करना:** ऐसे बैंक या वित्तीय संस्थान जो समय पर NPA का निपटान करने के लिए अपनी NPA परिसंपत्तियों की आंतरिक स्तर पर पहचान नहीं करते हैं।
- **NPA की सूची तैयार करना (बेचने/ नीलामी करने हेतु):** इसे **सभी विनियमित ऋणदाताओं द्वारा** तैयार किया जाना चाहिए और गोपनीयता समझौता करने के बाद ARCs को इसका खुलासा करना चाहिए। इससे **दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का सही अनुमान लगाने** में मदद मिलेगी।
- **धोखाधड़ी वाले खाते:** ARCs को धोखाधड़ी वाले खातों (NPAs) की बिक्री करने की अनुमति **उचित सुरक्षा उपाय करने** के बाद दी जानी चाहिए। इस क्रम में बैंकों या वित्तीय संस्थानों की जवाबदेही तय करने या सक्षम अधिकारियों द्वारा जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही करने में कोई कोताही भी नहीं बरतनी चाहिए।

ARCs में सुधार की आवश्यकता क्यों है?

ARCs का निम्न-स्तरीय प्रदर्शन: बैंक और वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्त वर्ष 2004 से वित्त वर्ष 2013 तक ARCs को बेची गई दबावग्रस्त परिसंपत्तियों में से ऋणियों के पास कुल बकाया राशि का केवल **लगभग 14.29% ही वसूला जा सका था।**

ARCs को दबावग्रस्त परिसंपत्तियों की बिक्री में कमी आई है: पिछले कुछ वर्षों में इसमें लगातार कमी दर्ज की गई है। **वित्त वर्ष 2021-22 में, 2020-21 के सकल NPA का केवल 3.2% ही ARCs को बेचा गया था।**

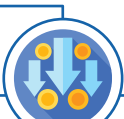

अन्य समस्याएं: इनमें शामिल हैं; पुराने NPAs को ARCs को हस्तांतरित किया जाना, दबावग्रस्त ऋणों की पहचान में समस्या, संकट का सामना कर रहे ऋणियों के समग्र समाधान के लिए आवश्यक कौशल की कमी, वैकल्पिक समाधान तंत्र के रूप में इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के विकल्प को शामिल करना, आदि।

3.2.4. रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण (INTERNATIONALIZATION OF RUPEE)

संदर्भ

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने RBI से भारतीय रुपये को विश्व स्तर पर सुलभ और स्वीकार्य मुद्रा बनाने हेतु **10 साल की रणनीति** तैयार करने के लिए कहा ताकि **भारतीय मुद्रा यानी रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण** किया जा सके।

विश्लेषण

भारतीय मुद्रा के बारे में:

- **1990 के दशक के अंत में** भारत ने मुद्रा की **आंशिक परिवर्तनीयता** की ओर कदम रखा और बाद में इस दिशा में कई सुधारों की घोषणा की गई।
- भारत ने पूंजी खाता में लेन-देन को भी उदारीकृत किया है। उदाहरण के लिए- कॉरपोरेट जगत को **बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ECBs)** और **मसाला बॉण्ड** के जरिए संसाधन जुटाने की अनुमति दी गई है। मसाला बॉण्ड वास्तव में विदेशों में भारतीय कंपनियों द्वारा रुपये-मूल्य वर्ग में बॉण्ड जारी करके धन जुटाने का एक माध्यम है।
  - **पूंजी खाता परिवर्तनीयता (Capital Account Convertibility):** यह स्थानीय मुद्रा (जैसे- भारत में रुपया) के किसी अन्य मुद्रा में स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीयता की क्षमता या सीमा है। दूसरे शब्दों में, पूंजी खाता परिवर्तनीयता का आशय पूंजी खाता लेन-देन के लिए घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने की क्षमता या स्वतंत्रता से है।

भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के तरीके

- **पूंजी खाता परिवर्तनीयता (Capital Account Convertibility):** भारतीय रुपया **चालू खाते** में पूरी तरह से परिवर्तनीय है लेकिन **पूंजी खाते में आंशिक रूप से परिवर्तनीय** है।
  - **फेमा यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (Foreign Exchange Management Act: FEMA)** के मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करने और भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निपटान हेतु प्रोत्साहन बढ़ाने की आवश्यकता है।
  - भारतीय बैंकों की ऑफशोर (विदेशी) शाखाओं को **भारतीय रुपये में बैंकिंग सेवाएं** (ऋण, गारंटी, क्रेडिट लाइन आदि) देने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- **भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीय उपयोग को बढ़ावा देना:** भारतीय रुपये (INR) में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक **दक्ष निपटान तंत्र, तरलता (मुद्रा) की उपलब्धता** और **मजबूत सीमा-पार भुगतान प्रणाली** के विकास की आवश्यकता होगी।
  - **मुद्रा स्वैप और स्थानीय मुद्रा में निपटान (Local Currency Settlement: LCS):** इससे मुद्रा विविधीकरण को बढ़ावा मिलता है। यह स्थानीय मुद्रा को स्थिरता प्रदान करता है और व्यापारिक समुदाय को मुद्रा जोखिम से बचाने के लिए एक विकल्प प्रदान करता है। साथ ही, यह लेन-देन की लागत को कम करने में मदद करता है।
  - **भारतीय भुगतान प्रणालियों का अंतर्राष्ट्रीयकरण:** भारत की अत्याधुनिक भुगतान प्रणालियों, जैसे- रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) की वैश्विक पहुंच को और अधिक बढ़ाने की जरूरत है।
  - **कंटीन्यूअस लिंक्ड सेटलमेंट (CLS) का हिस्सा बनना:** CLS विदेशी मुद्रा लेन-देन के निपटान के लिए एक वैश्विक प्रणाली है। यह **पेमेंट वर्सेस पेमेंट (PvP)** के आधार पर कार्य करती है। वर्तमान में CLS प्रणाली में 18 मुद्राओं में लेन-देन का निपटान किया जाता है। हालांकि, **INR उन मुद्राओं में शामिल नहीं** है।

पृष्ठभूमि

मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में

- **परिभाषा: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा** एक ऐसी मुद्रा होती है जिसे जारी करने वाले देश के अलावा **विदेशों में भी लेन-देन** हेतु और **विदेशी मुद्रा भंडार** के रूप में **आरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता** है। केवल जारी करने वाले देश के नागरिक ही नहीं बल्कि अन्य देशों के नागरिक भी ऐसी मुद्रा का उपयोग लेन-देन के लिए करते हैं। **उदाहरण के लिए- अमेरिकी डॉलर, यूरो,** आदि।
- **किस आधार पर किसी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है:**
  - मजबूत आर्थिक बुनियाद, जैसे- अर्थव्यवस्था का आकार और ट्रेड नेटवर्क,
  - मजबूत पूंजी बाजार और तरलता की स्थिति,
  - मुद्रा की स्थिरता और मुद्रा की परिवर्तनीयता।
- **मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण से जुड़ी चुनौतियां:**
  - विश्व के वित्तीय बाजारों के साथ एकीकरण **लंबी अवधि में आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।**
  - बाह्य जोखिमों से प्रभावित होने की आशंका,
  - विनिमय दर में उतार-चढ़ाव,
  - **मौद्रिक नीति की दुविधा या ट्रिफिन डाइलेमा, आदि।**
    - जब कोई देश अपनी **घरेलू मौद्रिक नीतियों** को संतुलित रखते हुए **विश्व में अपनी मुद्रा की मांग को पूरा करने के लिए** इसकी पर्याप्त **आपूर्ति सुनिश्चित करता** है तो उस स्थिति को ट्रिफिन डाइलेमा कहा जाता है।

मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ

- **विनिमय दर से जुड़े जोखिम को कम करता है:** यह घरेलू कंपनियों और संस्थानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों तक पहुँच को बढ़ाता है।
- **बजट घाटे के कुछ हिस्से को वित्त-पोषित करना: किसी देश की सरकार** को विदेशी मुद्रा में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स जारी करने की बजाय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में घरेलू मुद्रा में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जारी करके अपने **बजट घाटे के एक हिस्से को वित्त-पोषित करने** में मदद करता है।
- **विनियमित करना:** यह देश में **पूंजी आने में अचानक रुकावट को और पूंजी के बाहर जाने के प्रभाव को कम** करता है। साथ ही, इससे विदेशी संप्रभु ऋण को चुकाने की क्षमता बढ़ जाती है।
- **बनाए रखने की आवश्यकता को कम करना:** मार्च, 2022 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 642.63 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर था।

- **भारतीय रुपया एक व्हीकल करेंसी/ SDR (विशेष आहरण अधिकार) बास्केट के दावेदार के रूप में:** इसे अन्य देशों के साथ व्यापार संबंधों का विस्तार करके भारतीय रुपये में भुगतान/ निपटान को प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाया जा सकता है।
  - SDR का मूल्य **पांच मुद्राओं के एक बास्केट पर आधारित** है। ये पांच मुद्राएं हैं: अमेरिकी डॉलर (उच्चतम भारांश), यूरो, चीनी युआन, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग (सबसे कम भारांश)।

- **वित्तीय बाजारों को मजबूत बनाना**
  - INR परिसंपत्तियों में विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश को आसान बनाने हेतु **RBI एवं SEBI के KYC (नो योर कस्टमर) मानदंडों को सहज बनाने की जरूरत है।**
  - **ग्लोबल 24x5 INR मार्केट:** ऑफशोर मार्केट (विदेश) में ग्राहक को लेन-देन की सुविधा चौबीसों घंटे प्रदान की जाती है। इसके विपरीत, भारत में इंटर-बैंक फॉरेक्स सुविधा केवल भारतीय शाखाओं के माध्यम से ही प्रदान की जाती है और देश में ये सुविधाएं दिन में केवल सीमित घंटों के लिए हैं।
  - **वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों में भारत सरकार के बॉण्ड्स** को भी शामिल किया जाना चाहिए।
    - इनमें भागीदारी से देश और उसके स्टॉक की बड़े बाजारों तक पहुंच बढ़ाने में मदद मिलती है। इससे निवेशक आधार का विस्तार, स्थिर और नियमित पूंजी निवेश, भारतीय रुपये की पहुंच का विस्तार और समग्र उधार लागत में कमी आएगी।

भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण हेतु भारत ने कौन-सी पहलें शुरू की हैं

भारतीय भुगतान अवसंरचना का अंतर्राष्ट्रीयकरण: सिंगापुर, फ्रांस, यूएई, श्रीलंका, भूटान आदि में UPI का उपयोग शुरू।

विशेष वोस्ट्रो रुपया खाते (SVRAs): RBI ने बैंकों को SVRAs खोलने की अनुमति देकर 22 देशों के साथ भारतीय रुपये में व्यापार निपटान को सक्षम बनाया है।

श्रीलंका में नामित विदेशी मुद्रा के रूप में भारतीय रुपया: इससे भारतीय रुपये में द्विपक्षीय व्यापार का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था (BSA): भारत ने जापान, यूएई और कुछ अन्य देशों के साथ BSA समझौते किए हैं।

3.2.5. सीमा-पार विप्रेषण/ रेमिटेंस (Cross-Border Remittances)

संदर्भ

भारत ने विश्व व्यापार संगठन के **13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC13)** में **सीमा-पार रेमिटेंस भेजने की लागत को कम करने के लिए** एक प्रस्ताव का ड्राफ्ट पेश किया। हालांकि, इस प्रस्ताव को **"अबू धाबी मंत्रिस्तरीय घोषणा-पत्र"** में शामिल **नहीं** किया गया।

विश्लेषण

अन्य संबंधित तथ्य के लिए अवश्य पढ़िए:
कक्षा XII की एनसीईआरटी पुस्तक 'समष्टि अर्थशास्त्र' का अध्याय "मुद्रा और बैंकिंग"

भारत के प्रस्ताव से संबंधित मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:

- **रेमिटेंस की प्राप्ति:** 2023 में 860 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल रेमिटेंस में से, 669 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 78%) निम्न और मध्यम आय वाले देशों को प्राप्त हुआ।
- **रेमिटेंस की लागत:** वैश्विक स्तर पर रेमिटेंस की लागत भेजे जाने वाले रेमिटेंस का **लगभग 6.18%** है। यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (SDG) में इसे 3% तक सीमित रखने के टारगेट से काफी अधिक है।
- **भारत ने रेमिटेंस लागत में कमी करने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की है:**
  - डिजिटल माध्यम से फंड ट्रांसफर को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए;
  - इंटरऑपरेबल सिस्टम को बढ़ावा देने की आवश्यकता है;
  - प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए;
  - नियमों को आसान बनाने की जरूरत है; और
  - रेमिटेंस भेजने के बदले लिए जाने वाले शुल्क में पारदर्शिता बढ़ानी चाहिए।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड द्वारा वीटो:** भारत के इस प्रस्ताव का संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड विरोध कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन देशों में स्थित बैंकों के माध्यम से ही उच्च लागत वाले रेमिटेंस भेजे जाते हैं। इससे उन बैंकों को अच्छी-खासी आय प्राप्त हो जाती है।

विदेशों से प्राप्त होने वाले रेमिटेंस की लागत में कमी करने से होने वाले लाभ

- **अधिक रेमिटेंस की प्राप्ति:** रेमिटेंस लागत में कमी आने से विकासशील देशों में रेमिटेंस प्राप्ति में वृद्धि हो सकती है। इससे रेमिटेंस प्राप्त करने वाले परिवारों के व्यक्तिगत उपभोग व्यय में वृद्धि हो सकती है।
- **आर्थिक संवृद्धि:** रेमिटेंस भेजने की लागत में कमी से व्यापार और व्यावसायिक दक्षता में भी वृद्धि हो सकती है।

- विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत को 2023 में सबसे अधिक 125 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त हुआ। हालाँकि, रेमिटेंस की लागत लगभग 7-8 बिलियन डॉलर थी।

- **UPI को विश्व में स्वीकार्य बनाने में मदद:** रेमिटेंस की लागत में कमी होने से UPI से लेन-देन को अत्यधिक प्रोत्साहन मिलेगा। UPI भारत में पेमेंट के मामले में डिजिटल क्रांति साबित हुई है। भूटान, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में इसकी अनुमति मिलने से इसका व्यापक प्रसार होगा।
  - इससे भारत के बैंकों को, जो डिजिटल भुगतान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपना प्रभाव स्थापित करने में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष

वैसे, भारत के प्रस्ताव पर WTO के सदस्यों के बीच आम सहमति बनने और फिर उसे लागू करने में समय लग सकता है, लेकिन इस बीच भारत को व्यक्तियों एवं व्यवसायों के लिए विदेशों में फंड ट्रांसफर करना या वहां से फंड प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रयास करना चाहिए।

नोट: भारत में बीमा क्षेत्रक के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, सितंबर 2023 से नवंबर 2024, त्रैमासिक रिवीजन पत्रिका का आर्टिकल 3.2.2. देखें।

3.2.6 रिजर्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना (Reserve Bank - Integrated Ombudsman Scheme: RB-IOS)

संदर्भ

भारतीय रिजर्व बैंक ने लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 जारी की है। यह एकीकृत लोकपाल योजना (RB-IOS), 2021 के तहत रिजर्व बैंक द्वारा जारी **पहली विशिष्ट (Stand-alone) रिपोर्ट** है।

विश्लेषण

लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **शिकायतें:** वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ORBIOs और CRPC के पास लगभग 7 लाख शिकायतें दर्ज कराई गई। यह संख्या 2021-22 की तुलना में **68.24% अधिक** है।
- **शिकायत का तरीका:** कुल प्राप्त शिकायतों में से लगभग **85.64%** शिकायतें **डिजिटल मोड** में प्राप्त हुई हैं।
- **निपटान दर:** वित्त वर्ष 2022-23 में ORBIOs में प्राप्त 98% शिकायतों का निपटारा किया गया। औसत टर्न अराउंड टाइम (TAT) 33 दिन था। इसका आशय है कि शिकायत के दर्ज होने के औसतन 33 दिनों में निपटारा किया गया।
  - अधिकतर सुनवाई/ विचार योग्य शिकायतों (57.48%) का निपटारा ORBIOs द्वारा **आपसी समझौते/ सुलह/ मध्यस्थता** के जरिए किया गया।
- **विनियमित संस्थाएं (Regulated Entities: REs):** ORBIOs के पास दर्ज कुल शिकायतों में से सर्वाधिक यानी 83.78% बैंकों के खिलाफ प्राप्त हुई थी।

शिकायतों की संख्या बढ़ने के प्रमुख कारण

- **अनधिकृत/ डिजिटल धोखाधड़ी से जुड़े लेन-देन की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। फेल्ड ट्रांजैक्शन की धनराशि को वापस अकाउंट में आने में काफी वक्त लगता है।**
- लागू ब्याज दर, लोन को समय से पहले चुकाने (फोरक्लोजर) और अन्य लागू शुल्कों से जुड़े नियमों एवं शर्तों के बारे में विनियमित संस्थाएं/ DLAs (डिजिटल लेंडिंग ऐप्स) ग्राहकों को सही जानकारी नहीं देते हैं। इस वजह से भी शिकायतों की संख्या बढ़ रही है।
- **पेंशन संबंधी मुद्दों के समाधान** के लिए पर्याप्त और बैंक-स्तरीय केंद्रीकृत तंत्र का अभाव है।
- क्रेडिट इनफार्मेशन कंपनियों (CICs) के पास **अपडेटेड क्रेडिट जानकारी की रिपोर्ट सौंपने में अधिक देरी** होने से गलत क्रेडिट रिपोर्ट बन जाती है। इसके खिलाफ भी ग्राहक शिकायत करते हैं।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

रिजर्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना (RB-IOS), 2021 के बारे में

- **पृष्ठभूमि:** RB-IOS को **RBI के वैकल्पिक शिकायत निवारण (Alternate Grievance Redress: AGR) फ्रेमवर्क** के रूप में 2021 में आरंभ किया गया था। RB-IOS का प्रमुख कार्य RBI के तहत विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों का शीघ्र और लागत प्रभावी तरीके से समाधान करना है।
- **गठन:** यह योजना RBI द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949; RBI अधिनियम, 1934 और भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम (Payment and Settlement Systems Act), 2007 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तैयार की गई है।
- **उद्देश्य:** इस योजना का उद्देश्य RBI की विनियमित संस्थाओं (REs) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों का नि:शुल्क समाधान प्रदान करना है।
- **कवरेज:** यह योजना निम्नलिखित विनियमित संस्थाओं को कवर करती है:
  - सभी **वाणिज्यिक बैंक**, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक तथा 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक के जमा आकार वाले गैर-अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक।
  - ऐसी सभी **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां** (हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को छोड़कर) जो जमा स्वीकार करने या ग्राहक से लेनदेन के लिए अधिकृत हैं तथा जिनकी परिसंपत्ति का आकार 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक है।
  - **भुगतान प्रणाली (पेमेंट सिस्टम्स) के सभी भागीदार।**
  - **क्रेडिट इनफार्मेशन कंपनियां (CICs)।**
- **लोकपाल की नियुक्ति:** RBI अपने एक या अधिक अधिकारियों को लोकपाल और उप-लोकपाल के रूप में नियुक्त कर सकता है। इनका कार्यकाल एक बार में अधिकतम तीन वर्ष होता है।

आगे की राह

- **उत्कर्ष 2.0:** RBI की मध्यम-अवधि रणनीतिक फ्रेमवर्क (उत्कर्ष 2.0) ने उपभोक्ता संरक्षण और शिकायत निवारण तंत्र में सुधार करने के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों की पहचान की है:
  - अलग-अलग विनियमित संस्थाओं पर लागू **आंतरिक लोकपाल योजनाओं** की समीक्षा करनी चाहिए और उन्हें एकीकृत करना चाहिए।
  - स्थानीय भाषाओं में ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने के लिए दो अतिरिक्त स्थानों पर **रिजर्व बैंक संपर्क केंद्र** स्थापित करने की जरूरत है। ये डिजास्टर रिकवरी और व्यवसाय निरंतरता की सुविधा भी प्रदान करेंगे।
- **शिकायतों का निपटान:** वर्तमान में शिकायतों का निवारण/निर्णयन **RBI लोकपाल के 22 कार्यालयों (ORBIOs)** के साथ-साथ **केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र (CRPC)** द्वारा किया जाता है।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** शिकायत प्रबंधन प्रणाली (CMS) में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेने की संभावनाओं का पता लगा सकता है।
- **मानकीकरण:** विनियमित संस्थाओं को RBI लोकपाल से प्राप्त इनपुट के आधार पर **शिकायत निवारण के लिए एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)** तैयार करनी चाहिए।
- **समीक्षा:** विनियमित संस्थाओं की शिकायत प्रबंधन प्रणाली (CMS) को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि सभी **ख़ारिज शिकायतें** बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के सीधे आंतरिक लोकपाल के पास पहुंच जाएं।

3.2.7. बेसल III एंडगेम (BASEL III ENDGAME)

संदर्भ

हाल ही में, कंज्यूमर बैंकर्स एसोसिएशन (CBA) ने "अमेरिकी वित्तीय प्रणाली के मार्जिन पर उपभोक्ताओं पर **बेसल III एंडगेम** प्रस्ताव का प्रभाव" शीर्षक से एक श्वेत पत्र जारी किया।

विश्लेषण

बेसल III एंडगेम के बारे में

- **बेसल III मानदंडों** के नियमों के अंतिम सेट को **"बेसल III एंडगेम"** नाम दिया गया है।
  - बेसल III बैंकों के विनियमन, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए **बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति** द्वारा तैयार उपायों का एक सेट है।
    - ◊ **बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति** की स्थापना 1974 में **G10 देशों के केंद्रीय बैंक के गवर्नरों** द्वारा की गई थी। इसके 45 सदस्य हैं। देशों के केंद्रीय बैंक और बैंक पर्यवेक्षक इसके सदस्यों में शामिल हैं। **RBI** भी इसका एक सदस्य है।
    - ◊ इसके निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं।
  - एंडगेम का एक संभावित प्रभाव यह भी है कि **"ग्लोबली सिस्टेमिकली इंपोर्टेंट बैंक (G-SIBs)"** द्वारा अपनी पूंजी आवश्यकताओं में 21% की वृद्धि की जाएगी।
  - प्रस्तावित परिवर्तनों का उद्देश्य **बैंकिंग प्रणाली की "मजबूती और संकट से निपटने की क्षमता"** में सुधार करना और बैंकों के पूंजीगत फ्रेमवर्क में पारदर्शिता लाना एवं स्थिरता बनाए रखना है।

अन्य संबंधित तथ्य के लिए अवश्य पढ़िए:

कक्षा XII की एनसीईआरटी पुस्तक 'समष्टि अर्थशास्त्र' का अध्याय "मुद्रा और बैंकिंग"

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

भारत में बेसल मानदंड का लागू होना

- RBI ने **1998-99** की मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा में घोषणा के द्वारा भारत में **बेसल I मानदंडों** को अपनाया था। इनके जरिए **पूंजी-जोखिम आरित परिसंपत्ति अनुपात (Capital to Risk Weighted Assets Ratio: CRAR)** को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत किया गया।
- **2007 में, RBI ने बेसल II को लागू** करने के लिए अंतिम दिशा-निर्देशों की घोषणा की।
- बेसल III पूंजी मानदंडों को लागू करने के लिए **दिशा-निर्देशों** का **मसौदा** दिसंबर, 2011 में जारी किया गया था।
- **बेसल III पूंजी नियम (बेसल III मानदंडों का पिलर I) भारत में अप्रैल, 2013 से** आंशिक रूप से और अक्टूबर, 2021 तक पूरी तरह से लागू कर दिए गए।
- बेसल मानदंडों की तुलना में, **RBI के निर्धारित मानदंड अधिक कठोर और विवेकपूर्ण हैं।**

बेसल मानदंड के बारे में

- **विवरण:** बेसल मानदंड **पूंजी की वह मात्रा निर्धारित करते** हैं जो बैंकों को अपने व्यवसाय से जुड़े ऋण जोखिम, परिचालन जोखिम और बाजार जोखिम से निपटने के लिए अपने पास सुरक्षित रखनी चाहिए।
- **बेसल I मानदंड (1987):** 1987 में, बेसल समिति ने पूंजी माप प्रणाली की शुरुआत की जो **ऋण जोखिम और परिसंपत्तियों के जोखिम-भार पर केंद्रित** थी।
  - ये मानदंड बैंकों के लिए पूंजी आवश्यकताओं का न्यूनतम स्तर निर्धारित करते हैं जिन्हें बैंकों को अपने पास सुरक्षित रखना होता है।
- **बेसल II मानदंड (2004):** इन अपडेट किए गए मानदंडों में तीन महत्वपूर्ण पिलर्स- **न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता (Minimum capital requirements,), पर्यवेक्षी समीक्षा (Supervisory Review)** और **बाजार अनुशासन (Market Discipline)** को पेश किया गया था। इनका उद्देश्य पूंजी माप के स्तर पर जोखिम के आकलन में सुधार करना था।
- **बेसल III मानदंड (2010):** इन्हें 2007-08 के **वित्तीय संकट** को देखते हुए जारी किया गया था।
  - इसका उद्देश्य बैंकों के लिए मजबूत पूंजी आधार बनाना और ठोस तरलता एवं **लिवरेज अनुपात** (Leverage Ratio) सुनिश्चित करना है।

बेसल III के तहत पेश किए गए नए बैंकिंग पूंजी आवश्यकता मानदंड

- **RWAs की तुलना में पूंजी संरक्षण बफर:** बैंकों के लिए 2.5% पूंजी संरक्षण बफर बनाए रखना अनिवार्य है।
- **लिवरेज अनुपात:** बैंकों के लिए 3% का **लिवरेज अनुपात** बनाए रखना अनिवार्य है।
- **काउंटर साइक्लिकल बफर:** 0% से 2.5% तक का बफर होना चाहिए।
- **न्यूनतम तरलता कवरेज अनुपात (Minimum Liquidity Coverage Ratio):** यह ≥100% होना चाहिए।
- **न्यूनतम नेट स्थिर फंडिंग अनुपात (Minimum Net Stable Funding Ratio):** यह ≥100% होना चाहिए।

बेसल मानदंडों का महत्त्व

- **बेहतर जोखिम मूल्यांकन प्रणाली का विकास:** पूंजी आवश्यकता मानदंडों के जरिए
- अत्यधिक संकट के दौरान **वित्तीय प्रणाली की सुदृढ़ता** को मजबूत करने में भी सहायता करेगी।
- **बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए सहायता**
- ये मानदंड सुनिश्चित करते हैं कि **समग्र रूप से बैंकिंग प्रणाली ध्वस्त न** हो जाए और रियल इकोनॉमीज (वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन) को भी अपनी चपेट में ना ले ले।

बेसल मानदंडों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियां

- **टियर I पूंजी (कोर पूंजी):** इसमें **पेड अप शेयर कैपिटल** (शेयर बेचने से कम्पनी को प्राप्त प्रत्यक्ष पूंजी), **स्टॉक और डिस्क्लोज्ड रिजर्व** शामिल हैं।
  - यह **पूंजी अधिक स्थायी** होती है। यही कारण है कि इसमें **नुकसान झेलने की क्षमता अधिक** होती है।
- **टियर II पूंजी (पूरक पूंजी):** इसमें अन्य सभी तरह की पूंजी शामिल हैं। उदाहरण के लिए- **अघोषित आरक्षित निधि, पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि, सामान्य प्रावधान (जनरल प्रोविजन) और लॉस रिजर्व।**
  - इसे **टियर 1 पूंजी की तुलना में कम विश्वसनीय** माना जाता है क्योंकि इसकी सटीक गणना और निपटान करना अधिक कठिन है।
- **जोखिम भारित परिसंपत्तियां (RWAs):** RWA वह न्यूनतम पूंजी है जो बैंकों के पास उनकी उधार देने की क्षमता से जुड़े जोखिम से निपटने में काम आती है। इसका जोखिम के अनुरूप होना जरूरी है। जोखिम जितना अधिक होगा, बैंकों में जमा-राशियों की सुरक्षा के लिए उतनी ही अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी।

बेसल मानदंडों से संबंधित महत्वपूर्ण अनुपात

लीवरेज रेश्यो = टियर I पूंजी / अंतर्निहित जोखिम

LCR = उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्ति / अगले 30 दिनों में होने वाला निवल नकदी प्रवाह

NSFR = उपलब्ध स्थिर फंडिंग / आवश्यक स्थिर फंडिंग

CAR = पूंजी (टियरI और टियर II) / जोखिम भारित परिसंपत्तियां

- **लीवरेज अनुपात:** लीवरेज अनुपात एक वित्तीय मानक है। लीवरेज अनुपात बताता है कि **किसी कंपनी द्वारा कितनी पूंजी ऋण के माध्यम से जुटाई गई है** तथा कंपनी अपनी वित्तीय देयताओं को कितनी अच्छी तरह से निभा रही है।
- **नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो (NSFR):** यह एक तरलता मानक है जो किसी बैंक की जरूरत राशि के सापेक्ष स्टेबल फंडिंग की मात्रा को मापता है।
  - यह अनुपात बैंकों को अपने कार्यों के वित्त-पोषण हेतु अधिक स्थिर स्रोतों से वित्त-पोषित करने के लिए प्रोत्साहन देकर मजबूती को बढ़ावा देता है।
- **काउंटरसाइक्लिकल बफर (Countercyclical Buffer):** यह एक ऐसा तंत्र है जो **बैंकों को अत्यधिक ऋण वृद्धि की अवधि के दौरान पूंजी निर्माण बढ़ाने की सुविधा** प्रदान करता है ताकि बैंकिंग प्रणाली को मंदी के दौरान घाटे से निपटने में मदद मिल सके।

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

3.3. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रक (AGRICULTURE & ALLIED SECTOR)

3.3.1. भारत की कृषि निर्यात नीति (INDIA'S AGRICULTURE EXPORT POLICY)

संदर्भ

भारत के कृषि निर्यात में वित्त वर्ष 2023-24 में 8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। यह भारत की कृषि निर्यात नीति, 2018 के तहत 2022 तक 60 बिलियन डॉलर के महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्य की प्राप्ति से कम है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

कृषि निर्यात के मुख्य आंकड़े

- वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि निर्यात **53.2 बिलियन डॉलर** था, जो **वित्त वर्ष 2023-24 में घटकर 48.9 बिलियन डॉलर** हो गया।
  - **कुल निर्यात में चावल का हिस्सा 21% है, इसके बाद समुद्री उत्पाद (15%), मसाले (9%) आदि का स्थान है।**
- वित्त वर्ष 2023-24 में **भारत के कृषि आयात** में भी **8 प्रतिशत** की उल्लेखनीय **गिरावट** दर्ज की गई। यह 2022-23 के 35.7 बिलियन डॉलर से घटकर **2023-24 में 32.8 बिलियन डॉलर** हो गया।
  - **वनस्पति तेल का योगदान 45% है, इसके बाद दालें (11%), फल और सब्जियां (8%) आदि का स्थान है।**
- **WTO की व्यापार सांख्यिकीय समीक्षा (2023)** के अनुसार, 2022 में भारत के कृषिगत निर्यात और आयात की वैश्विक कृषि व्यापार में हिस्सेदारी क्रमशः **2.4 प्रतिशत और 1.9 प्रतिशत** थी।
  - **विश्व में कृषि निर्यातक देशों की सूची में भारत 9वें स्थान** पर था।

विश्लेषण

कृषि निर्यात नीति (AEP) 2018 के बारे में

- **उद्देश्य:** कृषि उत्पादों में मूल्यवर्धन तथा मूल्य श्रृंखला के सभी चरणों में नुकसान को कम करके **किसानों की आय में वृद्धि करना।**
- **कृषि निर्यात नीति फ्रेमवर्क के घटक:**
  - **रणनीतिक सिफारिशें:** इसमें स्थिर व्यापारिक नीतिगत उपाय, अवसंरचना निर्माण और लॉजिस्टिक्स सहायता प्रदान करना, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाना तथा कृषि निर्यात में राज्य सरकारों की भागीदारी बढ़ाना शामिल है।
  - **कार्यात्मक या ऑपरेशनल सिफारिशें:** इसमें क्लस्टर्स का निर्माण करना, मूल्य वर्धित निर्यात को बढ़ावा देना, "ब्रांड इंडिया" की मार्केटिंग और प्रचार-प्रसार करना, उत्पादन और प्रसंस्करण में निजी निवेश को आकर्षित करना, गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु उच्च मानदंडों को अपनाना तथा अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना शामिल है।
- **कृषि निर्यात नीति के लक्ष्य/ उद्देश्य**
  - 2022 तक **कृषि निर्यात दोगुना** करके 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक करना।
  - **अधिक वस्तुओं और अधिक देशों को निर्यात** करना तथा उच्च मूल्य वाले और मूल्य वर्धित कृषि निर्यात को बढ़ावा देना।
  - **नवीन, देशज, जैविक, एथनिक, पारंपरिक और गैर-पारंपरिक कृषि उत्पादों** के निर्यात को बढ़ावा देना।
  - वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकरण करके विश्व कृषि निर्यात में **भारत की हिस्सेदारी को दोगुना** करने का प्रयास करना।
  - बाज़ार तक पहुंच बढ़ाने, बाधाओं से निपटने तथा सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए एक **संस्थागत तंत्र प्रदान करना।**

कृषि-निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

- **निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना**
- **बाजार पहुंच पहल (Market Access Initiatives: MAI) योजना**
- **कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA)**
- **परिवहन और विपणन सहायता योजना**

नई निर्यात नीति की आवश्यकता क्यों है?

- **निर्यात पर कई तरह के अवरोधों की मौजूदगी:** उदाहरण के लिए, समय-समय पर कृषि मदों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना, निर्यात पर प्रशुल्क लगाना, निर्यात वाली वस्तु का न्यूनतम निर्यात मूल्य तय करना आदि।
  - इससे वैश्विक बाजारों में कृषि उत्पादों के **भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता** के रूप में **भारत की छवि** को लेकर संदेह उत्पन्न होता है।
- **विश्व व्यापार संगठन (WTO) से जुड़े मुद्दे:** कुछ जरूरी कृषि उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का विश्व के कई देश विरोध करते हैं।
- **निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सीमित संख्या:** भारत के कुल कृषि निर्यात में चावल और चीनी की हिस्सेदारी 37.4 प्रतिशत है।
- **कृषि निर्यात के साथ अप्रत्यक्ष रूप से जल का निर्यात:** चावल के उत्पादन में बहुत अधिक जल की खपत होती है। एक किलोग्राम चावल उगाने के लिए 3,000 से 5,000 लीटर जल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार 16.3 मिलियन टन चावल का निर्यात 32.6 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी के निर्यात के बराबर है।

आगे की राह

- **वास्तविक निर्यात प्रतिस्पर्धा:** कृषि निर्यात में स्थायी विकास सुनिश्चित करने हेतु उत्पादकता में वृद्धि करके घरेलू उत्पादन में सुधार करने, अलग-अलग उत्पादों को शामिल करने, मूल्य वर्धन करने, बाजार तक पहुंच में वृद्धि करने तथा ब्रांडिंग के जरिए घरेलू उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- **प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग:** जैसे- **नीदरलैंड ने वर्टिकल फार्मिंग, बीज प्रौद्योगिकी और रोबोटिक्स के क्षेत्र में हुई प्रगति** का उपयोग करके खुद को वैश्विक रोल मॉडल बनाया है। कम क्षेत्रफल वाला देश होने के बावजूद, यह दूसरा सबसे बड़ा कृषि निर्यातक देश है।
- **आयात नीतियां बनाते समय जलवायु परिवर्तन का ध्यान रखना:** खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ बाजार मूल्यों को स्थिर बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।
- **अन्य: जैविक और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों और पर्यावरणीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना** (दालों जैसी फसलों पर जोर देना, जिन्हें कम पानी और उर्वरक की आवश्यकता होती है) आदि।

3.3.2. प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) (PRIMARY AGRICULTURAL CREDIT SOCIETIES: PACS)

संदर्भ

देश भर में **पैक्स (PACS)** के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए कई पहलें आरंभ की गई हैं।

विश्लेषण

पैक्स के विस्तार के लिए पहल

- **विस्तार:** गोदामों और अन्य कृषि-अवसंरचनाओं के निर्माण के लिए **500 नए पैक्स की आधारशिला** रखी गई है।
- **पैक्स के आधुनिकीकरण के लिए पहलें:**
  - देश भर में **18,000 पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के लिए एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन** किया गया है।
    - **"पैक्स के कम्प्यूटरीकरण"** के लिए एक **केंद्र प्रायोजित परियोजना** शुरू की गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत, **सरकार का लक्ष्य चालू अवस्था वाले 63,000 पैक्स को कम्प्यूटरीकृत** करना है।
  - सहकारिता मंत्रालय ने **राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD)** का उद्घाटन किया है।
    - NCD का मुख्य कार्य **सहकारी क्षेत्रक के बारे में सभी तरह की जानकारी**, जैसे- राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में सहकारी समितियों की संख्या आदि के बारे में सूचना प्रदान करना है।
- **पैक्स को मजबूत करने वाली अन्य पहलें**
  - **पैक्स द्वारा नए किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) का गठन:** राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के सहयोग से पैक्स द्वारा **1,100 अतिरिक्त FPOs का गठन किया जाएगा।**
  - **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC):** इसे 1963 में स्थापित किया गया था। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की सहकारी समितियों के वित्त-पोषण के लिए राज्य सरकारों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है।
  - **पैक्स के व्यवसाय पोर्टफोलियो में विविधता लाना:**
    - **पैक्स को बहुउद्देशीय बनाने के लिए मॉडल उप-नियम:** इसके तहत पैक्स को 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियां करके अपने व्यवसाय में विविधता लाने में सक्षम बनाया जा रहा है। इन गतिविधियों में डेयरी, मत्स्य पालन, फूलों की खेती, गोदामों की स्थापना आदि शामिल हैं।
    - 'प्रधान मंत्री किसान समृद्धि केंद्र' के रूप में पैक्स; 'प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र' के रूप में पैक्स; पैक्स को कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाया जा रहा है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

पैक्स के बारे में

- **परिभाषा:** पैक्स **सहकारी ऋण संरचना** में **जमीनी स्तर की शाखाएं** हैं। ये मुख्यतः **अल्पावधि वाले ऋणों का वितरण** करते हैं (इन्फोग्राफिक्स देखें)।
- **विनियमन:**
  - देश भर के पैक्स **सहकारी समिति अधिनियम** के तहत पंजीकृत हैं। संबंधित राज्य के **सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार (RCS)** इनके काम-काज की देख-रेख करता है।
    - **SCBs/ DCCBs** भी संबंधित राज्य के राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत होते हैं। इन्हें **RBI विनियमित** करता है।
    - हालांकि, पैक्स को **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949** के दायरे से बाहर रखा गया है। इन्हें **RBI विनियमित नहीं** करता है।
- **पुनर्वित्त:** इन्हें **DCCBs और SCBs** के माध्यम से नाबार्ड (NABARD) द्वारा पुनर्वित्त किया जाता है।
- **कार्य:**
  - ये मुख्य रूप ग्रामीणों को अल्पावधि वाले ऋण प्रदान करते हैं और उनसे ऋण की पुनर्वसूली करते हैं।
  - ये सदस्य किसानों को **बीज, उर्वरक** और **कीटनाशक** भी उपलब्ध कराते हैं।
- **महत्त्व: वित्तीय समावेशन** में पैक्स की भूमिका महत्वपूर्ण है।
  - देश में सभी संस्थाओं (बैंकों आदि) द्वारा दिए गए KCC ऋणों में **पैक्स का हिस्सा 41%** है। इसके अलावा, 2022 के डेटा के अनुसार, पैक्स के माध्यम से दिए गए KCC ऋणों में से 95% ऋण **लघु और सीमांत किसानों** को दिए गए हैं।
- **वर्तमान स्थिति: देश भर में 63,000 से अधिक पैक्स चालू अवस्था में हैं।**

पैक्स के सामने आने वाली समस्याएं

- **अवसंरचना: डिजिटल अवसंरचना के अभाव,** जैसे- कम्प्यूटरीकृत एकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनेट कनेक्टिविटी की खराब स्थिति आदि।
- **वित्तीय समस्या:** अधिकांश पैक्स **अपर्याप्त पूंजी, जमा के निम्न स्तर** और **उच्च गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA)** की समस्या से भी ग्रस्त हैं।

- **मानव संसाधन:** पैक्स के सदस्यों के बीच प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी और अपर्याप्त प्रबंधकीय कौशल उनके काम-काज को **प्रभावित करते हैं।**
- **गवर्नेंस:** पैक्स का प्रबंधन स्थानीय स्तर पर **निर्वाचित सदस्यों** द्वारा किया जाता है। इसके चलते राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ जाता है।
- **क्षेत्रीय असमानता:** पैक्स बड़े पैमाने पर **पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों** (जैसे- महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आदि) में केंद्रित हैं।

सहकारी कृषि ऋण संरचना

अल्पावधि ऋण (त्रि-स्तरीय संरचना)	**दीर्घकालिक ऋण (द्वि-स्तरीय संरचना)**
↓ राज्य/ केंद्रीय सहकारी बैंक (SCB)	↓ राज्य/ केंद्रीय सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक (SCARDB/ CCARDB)
↓ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCB)	↓ प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक (PCARDB)
↓ प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी (PACS)	

आगे की राह

- **प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना:** पैक्स स्तर पर **सामान्य लेखा प्रणाली (CAS)** और **प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS)** को अपनाने से पैक्स के काम-काज में पारदर्शिता आएगी। इसके अलावा, पैक्स को तकनीकी और अन्य सहायता सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से सामान्य केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
  - **वित्तीय मजबूती:** एक **जोखिम-आधारित ऋण मॉडल प्रस्तुत** करना चाहिए और NPA की समस्या के समाधान के लिए प्रभावी रिकवरी उपाय लागू करने चाहिए।
- वित्त-पोषण के बाह्य स्रोतों तक पहुंच प्रदान कर, व्यापार पोर्टफोलियो में विविधता लाकर पैक्स का पूंजी आधार बढ़ाया जाना चाहिए।
- **मानव संसाधन:** क्षमता-निर्माण कार्यक्रम लागू करने की आवश्यकता है। साथ ही, कुशल कर्मचारियों को बनाए रखने के लिए उन्हें बेहतर वेतन और करियर में प्रगति के अवसर प्रदान करना चाहिए।
- **गवर्नेंस में सुधार:**
  - **पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियमित लेखा-परीक्षण और सख्त प्रकटीकरण मानदंड** लागू करने की जरूरत है।
  - **पैक्स को अनुचित राजनीतिक प्रभाव से बचाने** और उनकी स्वायत्त कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने से जुड़े उपाय लागू करने चाहिए।

3.3.3. कृषि एवं खाद्य सुरक्षा (AGRICULTURE AND FOOD SECURITY)

संदर्भ

हाल ही में, विश्व व्यापार संगठन (WTO) का **13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC13)** संयुक्त अरब अमीरात के **अबू धाबी** में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में **पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग (PSH)** से जुड़े मुद्दे का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। गौरतलब है कि भारत इस मुद्दे के स्थायी समाधान की मांग करता रहा है।

विश्लेषण

पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग नीति के बारे में

- **उद्देश्य:** पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग के तहत सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अनाज खरीदती है। भारत सरकार भी, पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग के तहत MSP पर किसानों से अनाज खरीदती है, उनका भण्डारण करती है तथा गरीबों को सब्सिडी आधारित मूल्य पर **उचित मूल्य की दुकानों** के जरिए वितरित करती है।
- **डी मिनिमिस (De Minimis) सीमाएं:** विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के अनुसार, किसी देश का कुल सब्सिडी बिल, उस देश के फसल उत्पादन के मूल्य से **विकासशील देशों के मामले में 10%** और **विकसित देशों के मामले में 5%** से अधिक नहीं होना चाहिए।
  - वर्तमान में, **इसकी गणना 1986-88 के संदर्भ मूल्य (Reference price) के आधार पर की जाती है।**

पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग पर देशों के बीच मतभेद

- **विकासशील देश:** भारत और कई अन्य विकासशील देश सब्सिडी की **डी मिनिमिस** सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही, वे सरकारी खरीद के लिए किसानों को दी जाने वाली **मूल्य समर्थन सब्सिडी** की गणना के लिए **फॉर्मूले में बदलाव की मांग** कर रहे हैं।
- **विकसित देश:** अधिकांश विकसित देशों का मानना है कि पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग की व्यवस्था बाजार को विकृत करती है। ये देश कृषि वस्तुओं के निर्यात पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध के खिलाफ हैं।

पीस क्लॉज और भारत का रुख

- **पीस क्लॉज: बाली (इंडोनेशिया)** में आयोजित **नौवें मंत्रिस्तरीय**

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

विश्व व्यापार संगठन (WTO) के बारे में

- WTO एक **अंतर्राष्ट्रीय संगठन** है जिसका प्राथमिक उद्देश्य सभी सदस्य देशों के लाभ के लिए ओपन ट्रेड को सुगम बनाना है।
  - यह **राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों को लागू करने वाला विश्व स्तर का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन** है।
- **स्थापना:** 1 जनवरी, 1995; **मुख्यालय-** जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड
- **सदस्य:** 166 (कोमोरोस और तिमोर-लेस्ते सहित; फ़रवरी, 2024); **भारत WTO का संस्थापक सदस्य है**
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य अपने सदस्य देशों की मदद करना है जिससे कि वे व्यापार का इस्तेमाल करके लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठा सकें, रोजगार के अवसर पैदा कर सकें और लोगों का जीवन बेहतर बना सकें।
- **संगठनात्मक संरचना**
  - **मंत्रिस्तरीय सम्मेलन:** यह WTO का **निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय** है। सामान्य तौर पर इसकी **बैठक प्रत्येक दो वर्ष में** होती है।
  - **जनरल काउंसिल:** यह जिनेवा स्थित WTO का निर्णय लेने वाला निकाय है। **यह WTO के कार्यों को पूरा करने के लिए नियमित रूप से बैठक करता है।**
    - ◊ जनरल काउंसिल की बैठक **विवाद निपटान निकाय** और **ट्रेड पॉलिसी रिव्यु बॉडी** के रूप में भी होती है।

सम्मेलन (MC9) में WTO ने खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग के अंतरिम समाधान के रूप में "पीस क्लॉज" का प्रावधान किया था।

- **भारत की मांग:** भारत पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग की समस्या का **स्थायी समाधान** चाहता है।
  - ◊ स्थायी समाधान के रूप में, भारत ने खाद्य सब्सिडी सीमा की गणना के लिए **फॉर्मूले में बदलाव** करने जैसे उपाय सुझाए हैं।

कृषि में घरेलू समर्थन: अलग-अलग बॉक्स

एम्बर बॉक्स: कृषि वस्तुओं के उत्पादन और व्यापार को विकृत करने वाले सभी तरह के घरेलू समर्थन/सब्सिडी (कुछ अपवादों के साथ) को एम्बर बॉक्स में शामिल किया गया है।

ब्लू बॉक्स: ब्लू बॉक्स के अंतर्गत शामिल चीजें मूल रूप से अंबर बॉक्स सब्सिडी के ही समान होती हैं लेकिन इनकी प्रवृत्ति उत्पादन को सीमित करने की होती है। सामान्य रूप से अंबर बॉक्स के तहत दी जा सकने वाली कोई भी ऐसी सहायता जिसके कारण किसानों को अपना उत्पादन भी सीमित करना पड़ता है तो उसे ब्लू बॉक्स में रखा जाता है।

ग्रीन बॉक्स: ऐसी सब्सिडी जिससे व्यापार विकृत नहीं होता या बहुत कम विकृत होता है, उसे ग्रीन बॉक्स में रखा जाता है।

- **कार्य**
  - WTO के **व्यापार समझौतों** की देख-रेख करना
  - **व्यापार वार्ताओं** हेतु एक मंच के रूप में कार्य करना
  - **व्यापार संबंधी विवादों** का निपटारा करना
  - **देशों की व्यापार संबंधी नीतियों** की निगरानी करना
  - विकासशील देशों को **तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण** प्रदान करना
- विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स: वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक, आदि।
- **सबसे गंभीर चुनौतियां:**
  - विकासशील और विकसित देशों के बीच आम सहमति,
  - निष्क्रिय विवाद निपटान प्रणाली (DSS)
  - अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध

संबंधित तथ्य

- विश्व व्यापार संगठन (WTO) का **13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC13)** मात्स्यिकी सब्सिडी पर अंकुश लगाने वाले किसी स्थायी समाधान पर पहुंचे बिना ही संपन्न हो गया।
- **मात्स्यिकी सब्सिडी पर WTO समझौता (जिनेवा पैकेज):** इस समझौते को 2022 में जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में आयोजित WTO के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में **'जिनेवा पैकेज'** नाम से अपनाया गया था।
  - **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य उन हानिकारक सब्सिडी पर अंकुश लगाना है जिन्हें दुनिया भर में मत्स्य स्टॉक में हुई व्यापक कमी का प्रमुख कारक माना जा रहा है।
  - **विशेष और विभेदक व्यवहार (S&DT):** S&DT के तहत, विकासशील देशों और अल्प विकसित देशों **(LDCs)** को इस समझौते के लागू होने की तारीख से नई व्यवस्था को अपनाने के लिए 2 साल का समय दिया गया है।
  - **अभी तक स्वीकृति नहीं:** इस समझौते के लागू होने के लिए WTO के दो-तिहाई सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। मार्च, 2024 तक इसे अभी भी **39 देशों से स्वीकृति नहीं** मिली थी।
    - ◊ **भारत इस समझौते का हिस्सा नहीं है।**

भारत की मांगें

- **PPP और CBDR-RC:** भारत का कहना है कि जिन देशों ने अतीत में भारी मात्स्यिकी सब्सिडी दी है और जो मत्स्य स्टॉक में कमी के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें **'प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत (Polluter pay principle: PPP)' तथा 'सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों एवं संबंधित क्षमताओं (CBDR-RC)'** के आधार पर सब्सिडी को कम करने का अधिक दायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए।
- **अपने जलक्षेत्र से अधिक दूर के जलक्षेत्र में मत्स्यन में शामिल देशों पर रोक:** मात्स्यिकी गतिविधियों में शामिल देशों द्वारा मात्स्यिकी पर दी जा रही सब्सिडी पर कम-से-कम 25 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिबंध लगा देना चाहिए।
- **विकासशील देशों और लघु अर्थव्यवस्थाओं को छूट:** इन देशों को अपने मात्स्यिकी क्षेत्रक को सब्सिडी प्रदान करने की छूट दी जानी चाहिए।

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

3.3.4. भारत की अनाज भंडारण प्रणाली (India's Grain Storage System)

संदर्भ

प्रधान मंत्री ने **'सहकारी क्षेत्रक में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना'** हेतु एक पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इसे 11 राज्यों में 11 पैक्स यानी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACSs) के लिए शुरू किया गया है।

विश्लेषण

सहकारी क्षेत्रक में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के बारे में

- **संबंधित मंत्रालय:** सहकारिता मंत्रालय (MoC)
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **पैक्स (PACSs) के स्तर पर विकेन्द्रीकृत भंडारण सुविधाएं** स्थापित करना है। साथ ही, इसके उद्देश्यों में अन्य **कृषि अवसंरचनाओं**, जैसे- गोदामों, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, प्रसंस्करण यूनिट्स आदि की स्थापना करना भी शामिल है।
- **पैक्स को होने वाले लाभ:** पैक्स गोदामों/ भंडारण सुविधाओं के निर्माण और अन्य कृषि अवसंरचनाओं की स्थापना के लिए **सब्सिडी तथा ब्याज छूट का लाभ** उठा सकते हैं।
- **विभिन्न योजनाओं के साथ कन्वर्जेन्स या एकीकरण** (इन्फोग्राफिक देखें)।

बेहतर अनाज भंडारण प्रणाली (GGS) की आवश्यकता क्यों?

- **खाद्य सुरक्षा:** भारत की बढ़ती आबादी के लिए खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु एक मजबूत खाद्य भंडारण नेटवर्क जरूरी है। साथ ही, यह लगभग 81 करोड़ लोगों को कवर करने वाले **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013** को लागू करने के लिए भी जरूरी है।
- **फसल की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना:** अनाज भंडारण के पारंपरिक तरीकों से फसल की कटाई के बाद होने वाले नुकसान (सूक्ष्मजीवों, चूहों आदि के कारण) को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सका है। इसके कारण **कुल खाद्यान्न का लगभग 10%** हिस्सा खराब हो जाता है।
- **मूल्य स्थिरीकरण:** सरकारी गोदामों में रखे खाद्य भंडार सरकार को **बाजार में हस्तक्षेप करने और मूल्यों को स्थिर रखने** में सक्षम बनाते हैं।
- **किसानों की आय दोगुनी करने में सहायक:** अनाज भंडारण के लिए किफायती सुविधाओं का प्रयोग करके **किसान अपनी उपज की उचित कीमत न मिलने तक उसका भंडारण** कर सकते हैं। यह **किसानों को मूल्य अस्थिरता से बचाता है** और उन्हें अपने सरप्लस अनाज को निर्यात करने की भी सुविधा प्रदान करता है।
- **ऋण तक पहुंच को बढ़ावा:** गोदाम में भंडारित अनाज की रसीद के आधार पर किसान ऋण ले सकते हैं। इससे किसानों को संस्थागत ऋण की मुख्यधारा में लाने में मदद मिल सकती है।

अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए अन्य पहल

- **भंडारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007:** इसके तहत **वेयरहाउस विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (WDRA)** की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
- **e-NWRs:** इसे **WDRA द्वारा 2017** में शुरू किया गया था।
- **निजी उद्यमी गारंटी (PEG) योजना:** इसका उद्देश्य निजी भागीदारी के जरिए खाद्य भंडारण क्षमता को बढ़ाना है।
- **खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन पर राष्ट्रीय नीति, 2000**
- **ग्रामीण भंडारण योजना और पी.एम. किसान संपदा योजना।**

अन्य संबंधित तथ्य के लिए अवश्य पढ़िए:

कक्षा IX की एनसीईआरटी पुस्तक का अध्याय 4 "भारत में खाद्य सुरक्षा"

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

भारत में अनाज भंडारण प्रणाली

- **लघु किसानों द्वारा भंडारण:** उत्पादित खाद्यान्न का लगभग 60-70% हिस्सा घरेलू स्तर पर विभिन्न स्वदेशी और **पारंपरिक भंडारण** संरचनाओं, जैसे- मोराई, मिट्टी की कोठी आदि का उपयोग करके भंडारित किया जाता है।
- **सरकारी भंडारण एजेंसियां:** भारतीय खाद्य निगम (FCI); केंद्रीय भंडारण निगम (CWC); राज्य भंडारण निगम।
- **निजी एजेंसियां:** FCI **निजी स्वामियों** से भंडारण क्षमता किराए पर भी लेती है।
- **अन्य हितधारक:** वेयरहाउस विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (WDRA), रेलवे और राज्यों के नागरिक आपूर्ति विभाग भी अनाज प्रबंधन में शामिल होते हैं।

कन्वर्जेन्स या एकीकरण के लिए निम्नलिखित योजनाओं की पहचान की गई है:

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

- कृषि अवसंरचना कोष (AIF)
- एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना (AMI)
- एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH)
- कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन (SMAM)

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

- प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना (PMFME)
- प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत खाद्यान्न का वितरण
- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद

भारत में अनाज भंडारण से जुड़ी चुनौतियां

- **अवैज्ञानिक भंडारण:** लगभग 80% हैंडलिंग और गोदाम सुविधाएं मशीनों से लैस नहीं हैं।
- **सीमित भंडारण क्षमता:** FAO के सांख्यिकीय डेटा के अनुसार, भारत में खाद्यान्न उत्पादन 311 MMT (मिलियन मीट्रिक टन) के आस-पास है, जबकि भारत में कुल भंडारण क्षमता केवल 145 MMT ही है। इसका मतलब यह है कि 166 MMT खाद्यान्न के लिए भंडारण सुविधा का अभाव है।
- **अधिशेष बफर स्टॉक:** FCI बफर स्टॉकिंग मानदंडों से कहीं अधिक बफर स्टॉक रखता है।
- **अधिक परिवहन लागत:** मौजूदा गोदाम एक-दूसरे से अधिक दूरी पर स्थित हैं, जिससे उन तक पहुंचने में अधिक परिवहन लागत आती है। इससे दूर-दराज के किसान गोदामों का प्रयोग करने से हतोत्साहित होते हैं।
- **भंडारण में निजी निवेश की कमी:** निजी क्षेत्रक भंडारण सुविधाओं में निवेश करने में झिझकता है। जमीन की पर्याप्त उपलब्धता न होना और निर्माण से पहले कई रेगुलेटरी लाइसेंस जैसी चुनौतियां निवेश में बाधा बनती हैं।

भारत की अनाज भंडारण प्रणाली में सुधार के लिए आगे की राह

- **शांता कुमार समिति की सिफारिशें:**
  - **वैज्ञानिक भंडारण पद्धतियों को अपनाना:** ढुलाई की उच्च लागत के कारण होने वाले घाटे को कम करने और तीव्र आवागमन के लिए अनाज की ढुलाई हेतु धीरे-धीरे कंटेनर के उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
  - **FCI को लचीला बनाना:** ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) और निर्यात बाजारों में काम करने के लिए FCI को अधिक व्यवसाय उन्मुख बनाने तथा अधिक अनुकूल बनाने की आवश्यकता है।
  - **निजी क्षेत्रक की भागीदारी:** FCI के पुराने पारंपरिक भंडारण सुविधाओं को निजी क्षेत्रक और अन्य स्टॉकिंग एजेंसियों की मदद से साइलो (Silos) में परिवर्तित किया जा सकता है।
- **अशोक दलवई समिति की सिफारिशें:**
  - **भंडारण सुविधाओं का विकेंद्रीकरण:** प्रत्येक राज्य को भंडारण केंद्र तथा अन्य संबंधित अवसंरचना हेतु योजना बनाते समय प्रत्येक जिले की स्थानीय जरूरतों और कृषि पद्धतियों पर ध्यान देना चाहिए।
    - **फार्मगेट पर नुकसान को कम करना:** परिवहन लिंक के साथ ग्राम स्तर पर एकत्रीकरण इकाइयों (जैसे- आधुनिक पैक-हाउस और पूलिंग पॉइंट) के निर्माण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
  - कुशल भंडारण के साथ-साथ अंतिम-उपभोक्ताओं तक किफायती तरीके से कृषि वस्तुओं को पहुंचाने हेतु कृषि क्षेत्र में एकीकृत लॉजिस्टिक प्रणालियों को बढ़ावा देना चाहिए।

3.3.5. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PRADHAN MANTRI FASAL BIMA YOJANA: PMFBY)

संदर्भ

2023-24 में PMFBY के तहत रिकॉर्ड संख्या में **4 करोड़ से अधिक किसानों ने रजिस्ट्रेशन** कराया है। इस योजना के तहत **2022-23 में 3.15 करोड़ किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया** था। इस प्रकार, 2023-24 में इसमें **27% की वृद्धि** दर्ज की गई है।

विश्लेषण

PMFBY की मुख्य विशेषताएं:

- **योजना के बारे में:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है। इसमें बुवाई-पूर्व से फसल कटाई के बाद तक व्यापक फसल बीमा प्रदान की जाती है।
- इस योजना को **2016 में शुरू** किया गया था।
- **योजना का उद्देश्य:**
  - प्राकृतिक आपदाओं, कीट हमलों और बीमारियों से अधिसूचित फसलों के नुकसान की स्थिति में किसानों को **बीमा कवरेज** और वित्तीय सहायता प्रदान करना।
  - **किसानों के लिए निरंतर आय सुनिश्चित करना** ताकि वे कृषि कार्यों को जारी रख सकें।

PMFBY के तहत प्रमुख पहलें

- **क्रॉपिक** (CROPIC)- रियल टाइम में अवलोकन और फसलों की फोटो का संग्रह
- वेदर इन्फॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम **(WINDS) पोर्टल**
- **इसरो का जियो-प्लेटफॉर्म, भुवन,** वृक्षारोपण, कीट निगरानी और मौसम संबंधी डेटा प्रदान करता है।
- अंतरिक्ष, कृषि मौसम विज्ञान और भूमि आधारित अवलोकन का उपयोग कर कृषि उत्पादन का पूर्वानुमान **(FASAL/फसल) परियोजना**

  - **किसानों को इनोवेटिव और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने** के लिए प्रोत्साहित करना।
    - **किसान द्वारा देय प्रीमियम की दर:**
      - **खरीफ फसलें -** बीमित राशि का 2.0%
      - **रबी फसलें -** बीमित राशि का 1.5%
      - **वाणिज्यिक/ बागवानी फसलें -** बीमित राशि का 5%
- **किसानों का कवरेज:** बटाईदार और काश्तकार किसानों सहित सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं।

आगे की राह

- **समय पर प्रीमियम सब्सिडी जारी करना:** सख्त वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए, राज्य सरकार और केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से प्रशासित एस्क्रो खाते के माध्यम से सब्सिडी भुगतान को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए।
- **जिले की प्रत्येक तहसील में बीमा कंपनियों की उपस्थिति:** बीमा कंपनियों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि किसानों के लिए योजना का लाभ प्राप्त करने में आने वाली समस्याओं को कम किया जाए।
- **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व** (CSR): बीमा कंपनियां अपने लाभ का एक हिस्सा उन जिलों में CSR के लिए खर्च करने की योजना बना सकती हैं जहां से अधिक लाभ अर्जित किया जा सकता है।
- **अन्य:** डिफॉल्टर कंपनियों के लिए दंड या जुर्माने का प्रावधान किया जाना चाहिए; स्मार्ट सैंपलिंग तकनीकों को अपनाना आदि।

PMFBY से संबंधित चुनौतियां

- प्रीमियम सब्सिडी की उच्च लागत
- गैर-भागीदार किसानों से प्रीमियम की कटौती
- दावों के निपटान में देरी
- डिफॉल्ट करने वाली बीमा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने में देरी
- फसल की क्षति का आकलन करने में होने वाली कठिनाइयां

3.3.6. कृषि विज्ञान केंद्र (KRISHI VIGYAN KENDRAS)

संदर्भ

हाल ही में, **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)** ने **कृषि विज्ञान केंद्र (KVK)** की स्थापना का स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) के बारे में

- KVKs का लक्ष्य **कृषि और उससे संबद्ध उद्यमों में स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकी मॉड्यूल** का मूल्यांकन करना है।
    - KVKs भारत में **जिला स्तर पर एकमात्र ऐसे संस्थान हैं** जो कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों में तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं।
    - KVKs **राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (NARS)** के अभिन्न अंग हैं। भारत में **ICAR** राष्ट्रीय स्तर पर और **राज्य कृषि विश्वविद्यालय** राज्य स्तर पर कार्य करते हुए NARS का हिस्सा हैं। ये **कृषि अनुसंधान और शिक्षा के विकास में प्रमुख भागीदार हैं।**
    - वर्तमान में, **भारत में 731 KVKs का नेटवर्क** मौजूद है। इन्हें **11 कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान (ATARI)** क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित किया गया था।
- **वित्त पोषण: KVKs** का 100% वित्त-पोषण केंद्र द्वारा किया जाता है।
- **अन्य जानकारी:**
    - **डॉ. मोहन सिंह मेहता समिति** को 1973 में ICAR द्वारा नियुक्त किया गया था। इस समिति ने देश में कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) की स्थापना का विचार पेश किया था।
    - **1974 में पहला KVK तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (TNAU), कोयंबटूर के अंतर्गत पुडुचेरी** में स्थापित किया गया था।

विश्लेषण

कृषि विस्तार सेवाओं में KVKs की भूमिका

- **ऑन-फार्म परीक्षण:** विभिन्न कृषि प्रणालियों के तहत नई कृषि प्रौद्योगिकियों की काम करने की क्षमता का आकलन करने के लिए KVKs द्वारा फ़ील्ड परीक्षण किया जाता है।
- **फ्रंटलाइन डेमॉन्स्ट्रेशन:** इसके तहत किसानों और कृषि विस्तार से जुड़े कर्मचारियों के सामने नवीनतम कृषि तकनीकों की क्षमता का प्रदर्शन किया जाता है, ताकि प्रौद्योगिकी को अपनाने में तेजी लाई जा सके।
- **परामर्श सेवाएं:** KVKs किसानों को कृषि के विभिन्न पहलुओं जैसे कि फसल पैटर्न, कीट नियंत्रण, फसल कटाई के बाद की तकनीक आदि पर आवश्यक जानकारी और परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं।
- **प्रशिक्षण:** KVKs जिले के किसानों को अपडेट करने के लिए नियमित तौर पर कृषि अनुसंधान में हुई नवीनतम प्रगति के साथ-साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं।
- **बीज और रोपण सामग्री का उत्पादन:** KVKs किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज और रोपण सामग्री वितरित करने के लिए उनका उत्पादन करते हैं।
- **संसाधन और ज्ञान केंद्र:** कृषि विज्ञान केंद्र कृषि अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक, निजी और स्वयंसेवी क्षेत्रक की पहलों का समर्थन करते हुए कृषि प्रौद्योगिकी संसाधन तथा ज्ञान के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं।

कृषि विस्तार सेवाओं में चुनौतियां

- **सीमित पहुंच और उपलब्धता:** KVKs द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की पहुंच विशेष रूप से दूर-दराज और सीमांत क्षेत्रों के किसानों तक बहुत कम है।
- **लघु और सीमांत किसानों पर कम ध्यान:** नेटवर्क की कमी के कारण लघु किसानों को उनका इनपुट सबसे अंत में मिलता है।
- **अपर्याप्त अवसंरचना:** कई KVKs में आवश्यक अवसंरचना का अभाव है, जैसे- सुसज्जित प्रयोगशालाएं, प्रशिक्षण सुविधाएं, आदि।
- **ज्ञान और कौशल में अंतर:** कृषि विज्ञान केंद्रों के ज्यादातर कर्मचारियों के ज्ञान और कौशल में अंतर दिखता है। यह अंतर विशेष रूप से जलवायु-स्मार्ट कृषि, सटीक खेती और डिजिटल प्रौद्योगिकियों जैसे उभरते क्षेत्रकों में अधिक देखने को मिलता है।

निष्कर्ष

KVKs के समक्ष आने वाली संसाधन संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए बजटीय आवंटन को बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही, समर्पित मानव संसाधन के द्वारा **संसाधनों के आधार को भी और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है।** इसके अलावा, सुसज्जित प्रयोगशालाओं, डेमॉन्स्ट्रेशन फार्म और प्रशिक्षण सुविधाओं को शामिल कर **अवसंरचना को अपग्रेड** करना चाहिए। ऐसा करने से KVKs की गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने की क्षमता में सुधार हो सकता है।

पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम

सिविल सेवा परीक्षा 2024

हिंदी और अंग्रेजी माध्यम

15 अक्टूबर

पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की विशेषताएं

- **प्री–DAF सेशन:** यह DAF में भरे जाने वाले एक–एक पॉइंट की सूक्ष्म समझ और व्यक्तित्व के वांछित गुणों को प्रतिबिंबित करने के लिए सावधानीपूर्वक DAF एंट्री में सहायक है।
- **DAF एनालिसिस सेशन:** अपेक्षित प्रश्नों एवं उनके उत्तरों के बारे में सीनियर एक्सपर्ट्स और फैकल्टी मेंबर्स के साथ DAF को लेकर गहन विश्लेषण और चर्चा।
- **एलोक्यूशन सेशन:** इसमें डिस्कशन और पीयर लर्निंग की सहायता से कम्युनिकेशन स्किल का विकास करने तथा उसे बेहतर बनाने एवं व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास किया जाएगा।
- **मॉक इंटरव्यू सेशन:** व्यक्तित्व परीक्षण की तैयारी को और बेहतर बनाने तथा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सीनियर एक्सपर्ट्स और फैकल्टी मेंबर्स, भूतपूर्व ब्यूरोक्रेट्स एवं शिक्षाविदों के साथ मॉक इंटरव्यू सेशन।
- **व्यक्तिगत मेंटरशिप और मार्गदर्शन:** हमारे डेडिकेटेड सीनियर एक्सपर्ट के सहयोग से व्यक्तित्व परीक्षण की समग्र तैयारी व बेहतर प्रबंधन तथा अपने प्रदर्शन को अधिकतम करना।
- **करेंट अफेयर्स की कक्षाएं:** करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक व्यापक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए।
- **टॉपर्स और कार्यरत ब्यूरोक्रेट्स के साथ इंटरैक्शन:** प्रश्नों के ठोस समाधान, इंटरैक्टिव लर्निंग एवं टॉपर्स और कार्यरत ब्यूरोक्रेट्स के अनुभव से प्रेरणा लेने के लिए इंटरैक्टिव सेशन।
- **प्रदर्शन का मूल्यांकन और फीडबैक:** अपने मजबूत एवं सुधार करने वाले पक्षों की पहचान करने के साथ–साथ उनमें आगे और सुधार करने एवं उन्हें बेहतर बनाने के लिए पॉजिटिव फीडबैक।
- **मॉक इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग:** स्व–मूल्यांकन के लिए इंटरव्यू सेशन का वीडियो भी दिया जाएगा।

Scan QR CODE to watch How to Prepare for UPSC Personality Test

DAF एनालिसिस और मॉक इन्टरव्यू से संबंधित जानकारी के लिए सम्पर्क करें
7042413505, 9354559299
interview@visionias.in

अधिक जानकारी और रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें

AHMEDABAD | BHOPAL | CHANDIGARH | DELHI | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI | SIKAR

3.4. समावेशी विकास (INCLUSIVE GROWTH)

3.4.1. भारत में आय और संपत्ति में उच्च असमानता (High Income and Wealth Inequality in India)

संदर्भ

कई रिपोर्ट्स में भारत में आय और संपत्ति के मामले में व्याप्त उच्च असमानता को रेखांकित किया गया है।

विश्लेषण

भारत में आर्थिक असमानता के बारे में

- **संपत्ति के स्तर पर असमानता: ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट** के अनुसार, भारत सबसे अधिक असमानता वाले देशों में से एक है। यहां **अमीर बहुत तेजी से और अधिक अमीर होते जा रहे हैं**, वहीं गरीब अभी भी न्यूनतम मजदूरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
- **आय में असमानता:** विश्व असमानता डेटाबेस, 2022-23 के अनुसार, **देश की कुल राष्ट्रीय आय का 22.6% हिस्सा सबसे धनी 1% लोगों के पास है।** इस अनुपात के मामले में भारत विश्व के शीर्ष देशों में शामिल है। भारत में यह अनुपात संयुक्त राज्य अमेरिका से भी अधिक है।
  - **ग्रामीण-शहरी असमानता:** घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, भारत में **औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय** ग्रामीण क्षेत्रों में **3,773 रुपये** तथा शहरी क्षेत्रों में **6,459 रुपये** है।
  - **पारिश्रमिक के स्तर पर लैंगिक भेदभाव या असमानता:** विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत में, कुल श्रम आधारित आय का 82% पुरुष कमाते हैं, जबकि महिलाएं केवल 18% कमाती हैं।

आर्थिक असमानता को कम करने के लिए किए गए उपाय

- **समावेशी विकास:** महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन. प्रधान मंत्री आवास योजना, कौशल भारत मिशन, आदि का लक्ष्य गरीबी को कम करना है।
- **वित्तीय समावेशन:** प्रधान मंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया योजना, आदि के माध्यम से वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

बढ़ती आर्थिक असमानता के लिए उत्तरदायी कारण

- **असमान आर्थिक संवृद्धि:** उदाहरण के लिए- सेवा क्षेत्रक जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 60% का योगदान करता है, मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में केंद्रित है।
- **कोविड-19 महामारी: भारत में अरबपतियों की कुल संख्या 2020 में 102** थी। **2022 में इनकी संख्या बढ़कर 166 हो गई।** दूसरी ओर इसी अवधि में **भुखमरी से ग्रस्त भारतीयों की संख्या 19 करोड़ से बढ़कर 35 करोड़** हो गई।
- **कर प्रणाली:** सरकार ने **कॉर्पोरेट टैक्स दर को 30% से घटाकर 22%** कर दिया, जबकि वस्तुओं और सेवाओं पर उत्पाद शुल्क और GST को काफी बढ़ा दिया गया है।
  - देश में कुल **GST का लगभग 64% हिस्सा सबसे गरीब 50% आबादी से एकत्रित किया गया,** जबकि केवल 4% हिस्सा सबसे धनी 10% लोगों से एकत्रित किया गया।
- **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का अभाव:** वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब के अनुसार, **शिक्षा की कमी के कारण कुछ लोग कम पारिश्रमिक वाली नौकरियों** में ही नियोजित होकर रह गए हैं। इस कारण सबसे गरीब 50% तथा मध्यमवर्गीय 40% भारतीयों की संवृद्धि बाधित हो गई है।
- **उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG):** LPG सुधारों से दूरसंचार और नागरिक विमानन क्षेत्रक को सबसे अधिक लाभ हुआ है, जबकि **कृषि और लघु उद्योग उपेक्षित रहे हैं।**

- **सामाजिक सुरक्षा उपाय:** अटल पेंशन योजना, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (दुर्घटना बीमा), प्रधान मंत्री जीवन ज्योति योजना, आदि।
- **लैंगिक समानता को बढ़ावा देना:** 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ', वन स्टॉप सेंटर योजना, स्वधार (SWADHAR) गृह, प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना, आदि।
- **श्रमिक कल्याण:** मजदूरी संहिता (2019) पारित की गई। हाल ही में, सरकार ने जीवन निर्वाह मजदूरी (Living wage) के लिए एक रूपरेखा बनाने हेतु ILO से तकनीकी सहायता मांगी है (वर्तमान में, भारत **न्यूनतम मजदूरी** की घोषणा करता है)।
  - जीवन निर्वाह मजदूरी से तात्पर्य श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए मर्यादित जीवन स्तर सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक मजदूरी स्तर से है।

आर्थिक असमानता का प्रभाव

- सामाजिक असंतोष और संघर्ष में वृद्धि
- सामाजिक गतिशीलता में कमी
- पर्यावरण को नुकसान
- गरीबी और अभाव के दुष्चक्र का जारी रहना
- मानव विकास का बाधित होना
- राजनीतिक अस्थिरता की संभावना
- आर्थिक संवृद्धि में कमी

संपत्ति और आय के स्तर पर असमानता दूर करने में मौजूद चुनौतियां

- **जनसंख्या का आकार और विविधता:** भारत में 1.3 बिलियन से अधिक की विशाल और विविधतापूर्ण आबादी मौजूद है। ऐसे में पूरी आबादी के लिए एक जैसी नीतियों और पहलों को प्रभावी ढंग से लागू करना चुनौतीपूर्ण है।
- **सामाजिक असमानताएं:** भारत में **जाति, लैंगिक और अन्य स्तरों पर भेदभाव के कारण आर्थिक असमानताएं** अभी भी बनी हुई हैं। इससे असमानता को कम करने के उद्देश्य से लागू की गयी नीतियों को प्रभावी बनाने में बाधा उत्पन्न होती है।
- **सीमित संसाधन:** भारत के पास सीमित वित्तीय संसाधन उपलब्ध है। इस कारण सरकार को आर्थिक असमानता को समाप्त करने वाले बड़े कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त धन आवंटित करने में समस्या उत्पन्न होती है।
- **गवर्नेंस में दक्षता की कमी, भ्रष्टाचार तथा नीतियों और कार्यक्रमों का सही से कार्यान्वयन नहीं होना बड़ी चुनौतियां हैं।**

आगे की राह

- **समावेशी आर्थिक विकास:** ग्रामीण अवसंरचना और विकास में निवेश करना चाहिए, मीण क्षेत्रों में और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करें तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा दे।
- **सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाना:** आर्थिक रूप से वंचित लोगों को सामाजिक सुरक्षा की अलग-अलग योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए नकद अंतरण (कैश ट्रांसफर), सब्सिडी और पेंशन योजनाओं का कवरेज बढ़ाना चाहिए तथा इसकी कमियों को दूर करना चाहिए।
- **भारत के सबसे अमीर लोगों पर कर लगाना:** भारत के अरबपतियों पर केवल 1% का संपदा कर लगाकर प्रमुख सरकारी योजनाओं का वित्त-पोषण किया जा सकता है।
- **अन्य:** शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच उपलब्ध कराना, असमानताओं को जारी रखने वाली सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं जैसे कि **जाति-आधारित भेदभाव और लैंगिक असमानता को कम करना चाहिए आदि।**

3.4.2. मानव विकास रिपोर्ट (HDR) 2023-2024 {HUMAN DEVELOPMENT REPORT (HDR) 2023-2024}

संदर्भ

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने **मानव विकास रिपोर्ट (HDR) 2023-2024** जारी की है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है: **"ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक: रीइमेजिनिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड"।**

विश्लेषण

HDR 2023-2024 में वैश्विक स्थिति

- **मानव विकास सूचकांक (HDI):** वर्ष 2022 में कुल 193 देशों की रैंकिंग की गई। इनमें **स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर** है। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः **नॉर्वे** एवं **आइसलैंड** हैं।
  - **असमान रिकवरी:** अमीर देशों में मानव विकास का उच्च स्तर देखा गया है, जबकि दुनिया के आधे सबसे गरीब देश कोविड महामारी संकट से पहले की विकास स्थिति को प्राप्त करने में पिछड़े हुए हैं।
  - **आर्थिक संकेंद्रण:** वस्तुओं के वैश्विक व्यापार के लगभग 40 प्रतिशत हिस्से पर तीन या उससे कम देशों का वर्चस्व है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

HDR के बारे में

- **जारी करने वाली संस्था:** UNDP द्वारा इस रिपोर्ट को 1990 से प्रतिवर्ष जारी किया जाता है।
- **उद्देश्य:** मानव विकास को प्रभावित करने वाली प्रमुख वैश्विक चुनौतियों की जांच-पड़ताल करना और उनके बारे में सिफारिशें करना।
- **मानव विकास सूचकांक (HDI):** यह 1990 से लगातार प्रकाशित हो रहा है। यह सूचकांक मानव विकास रिपोर्ट का प्रमुख आधार है।

- **मानव विकास में बढ़ती असमानता:** अमीर और गरीब देशों के बीच **असमानताओं को लगातार कम करने में हुई प्रगति रुक गई है** और यह **असमानता बढ़ने लगी है।**

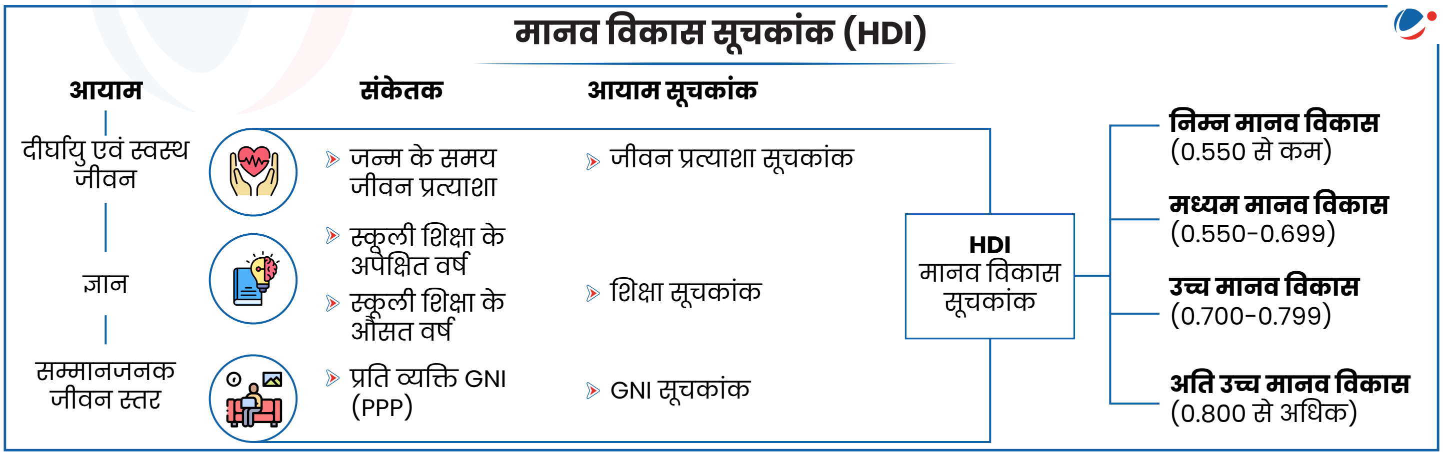

- **लोकतांत्रिक विरोधाभास की प्रवृत्ति में वृद्धि:**
  - इस विरोधाभास के साथ-साथ शक्तिहीनता की भावना और सरकारी निर्णयों में भागीदारी की कमी से राजनीतिक ध्रुवीकरण व अंतर्मुखी नीतियों को बढ़ावा मिला है।
  - लोकतांत्रिक विरोधाभास (Democracy Paradox) का अर्थ है कि **देश की आबादी लोकतंत्र के बारे में सकारात्मक विचार रखती है लेकिन लोकतंत्र को कमजोर करने वाले नेताओं का समर्थन** करती है।

HDR 2023-2024 में भारत की स्थिति

- **HDI:** भारत की HDI रैंकिंग में सुधार हुआ है। 2021 में भारत 135वें स्थान पर था, जो सुधरकर 2022 में 134वां हो गया। वहीं 2018 में भारत 130वें स्थान पर था।
- **HDI स्कोर:** भारत का स्कोर 2021 के 0.633 से बढ़कर 2022 में 0.644 हो गया।
  - **जन्म के समय जीवन प्रत्याशा:** 2021 के 67.2 वर्ष से बढ़कर 2022 में 67.7 वर्ष हो गई।
  - **स्कूली शिक्षा के प्रत्याशित वर्ष:** 2021 के 11.9 वर्ष से बढ़कर 2022 में 12.6 वर्ष हो गए।
  - **स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष:** यह 2022 में बढ़कर 6.57 वर्ष हो गए हैं।
  - **प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय:** 2021 की तुलना में 2022 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी हुई है, जो 6,542 डॉलर से बढ़कर 6,951 डॉलर हो गई।
- **श्रेणी:** भारत को मानव विकास की मध्यम श्रेणी में रखा गया है।
- **पड़ोसी देशों के साथ तुलना:** भारत की रैंकिंग चीन (75), श्रीलंका (78), मालदीव (87), भूटान (125) और बांग्लादेश (129) से भी नीचे है। भारत की रैंकिंग म्यांमार (144), नेपाल (146), पाकिस्तान (164) और अफगानिस्तान (182) से बेहतर है।

मानव विकास का मापन करने वाले अन्य प्रमुख सूचकांक

सूचकांक	मापन	भारत का प्रदर्शन
लैंगिक असमानता सूचकांक (Gender Inequality Index: GII)	GII 3 प्रमुख आयामों के आधार पर लैंगिक असमानताओं का मापन करता है। ये आयाम हैं- **जनन स्वास्थ्य, सशक्तीकरण** और **श्रम बाजार।**	2022 में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। भारत 2022 में **108वें स्थान पर** पहुंच गया, जबकि 2021 में **122वें स्थान** पर था।
बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Multidimensional Poverty Index: MPI)	MPI **विकासशील देशों में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर** में **लोगों के** विविध अभावों (Deprivations) को मापता है।	**2021** में भारत में **230 मिलियन से अधिक** लोग **बहुआयामी गरीबी से जूझ रहे** थे।
लैंगिक विकास सूचकांक (Gender Development Index: GDI)	GDI **लैंगिक आधार पर HDI में असमानताओं** को मापता है।	भारत में महिलाओं और पुरुषों के बीच HDI संबंधी उपलब्धियों में समानता का स्तर कम है। **HDI उपलब्धियों के मामले पुरुष, महिलाओं से 10 प्रतिशत बेहतर स्थिति में हैं।**
असमानता-समायोजित मानव विकास सूचकांक (Inequality-adjusted Human Development Index: IHDI)	IHDI में असमानता से संबंधित दो मापन शामिल हैं- **IHDI और असमानता के कारण HDI में समग्र हानि।**	IDHI में **भारत की रैंकिंग 140वीं है। रैंकिंग में 6 स्थानों की गिरावट** दर्ज की गई है।
ग्रहीय दबाव-समायोजित मानव विकास सूचकांक (Planetary pressures- adjusted Human Development Index: PHDI)	यह एंथ्रोपोसीन युग (मानवजनित गतिविधियों) में पृथ्वी पर दबाव को **HDI के साथ समायोजित करता है।** ऐसा दो पीढ़ियों के बीच असमानता से जुड़ी चिंताओं को शामिल करने के लिए किया जाता है।	**भारत 127वें स्थान पर है। भारत के PHDI और** HDI स्कोर में **3 प्रतिशत का अंतर है।**

3.4.3. घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) 2022-23 {HOUSEHOLD CONSUMPTION EXPENDITURE SURVEY (HCES) 2022-23}

संदर्भ

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) ने 10 वर्षों के अंतराल के बाद **HCES 2022-23** जारी किया है। इससे पहले, उपभोग व्यय सर्वेक्षण **2011-12** में जारी किया गया था।

विश्लेषण

HCES 2022-23 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **समग्र रुझान (Trend):** औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (MPCE) में **1999-2000 से बढ़ोतरी** जारी है। पिछले सर्वेक्षण के बाद से **ग्रामीण क्षेत्रों में यह लगभग 2.6 गुना और शहरी क्षेत्रों में 2.5 गुना बढ़ गया** है।
  - **ग्रामीण-शहरी विभाजन:** औसत MPCE **ग्रामीण भारत में 3,773 रुपये** और **शहरी भारत में 6,459 रुपये** है।
  - **अमीर-गरीब विभाजन:** ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 5% सबसे अमीर व्यक्ति, सबसे गरीब 5% व्यक्ति की तुलना में क्रमशः लगभग 8 गुना (ग्रामीण) और 10 गुना (शहरी) अधिक खर्च करते हैं।
- **राज्य-वार अंतर:** राज्यों में, MPCE **सिक्किम में सबसे अधिक** और **छत्तीसगढ़ में सबसे कम** है। केंद्रशासित प्रदेशों में, MPCE **चंडीगढ़ में सबसे अधिक** है और **लद्दाख में सबसे कम** है।
- **कृषक परिवारों का MPCE:** कृषक परिवारों का उपभोग व्यय 3,702 रुपये है। ऐसा पहली बार है जब कृषक परिवारों का उपभोग व्यय, ग्रामीण औसत (3,773 रुपये) से कम हुआ है।
  - हालांकि, कृषक परिवारों के **MPCE और समग्र ग्रामीण परिवारों के औसत उपभोग व्यय के बीच का अंतर पिछले कुछ वर्षों से कम** हो रहा है।
- **वंचित वर्गों के बीच उपभोग व्यय:** ग्रामीण क्षेत्रों में **अनुसूचित जनजातियों (STs)** का **MPCE सबसे कम है।** ग्रामीण क्षेत्रों में दूसरा सबसे कम MPCE **अनुसूचित जातियों (SCs)** का है। इन दोनों वंचित समुदायों का MPCE **ग्रामीण औसत से कम है।**
  - शहरी क्षेत्रों में, **अनुसूचित जातियों** का MPCE सबसे कम है। इसके बाद **अनुसूचित जनजातियों** और अन्य पिछड़े वर्गों (OBCs) का स्थान है। शहरी क्षेत्रों में इन तीनों वर्गों का MPCE, शहरी औसत MPCE से कम है।
- **खाद्य पर व्यय:** वर्ष 1999-2000 के सर्वेक्षण से शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों के परिवारों का **खाद्य पर व्यय का हिस्सा धीरे-धीरे कम** हो रहा है जबकि **गैर-खाद्य वस्तुओं पर उपभोग व्यय का हिस्सा बढ़ता जा रहा** है।
  - साथ ही, परिवार अब **अनाज और दालों की बजाय उच्च मूल्य वाले व पशु आहार एवं बागवानी उत्पादों पर अधिक खर्च कर रहे हैं।**

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) के बारे में

- **उद्देश्य:** इस सर्वेक्षण का आयोजन परिवारों द्वारा **वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए** किया जाता है।
- **संचालन करने वाली संस्था:** यह सर्वेक्षण NSSO द्वारा नियमित अंतराल पर किया जाता है। NSSO, **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय** (MoSPI) के तहत स्थापित एक संस्था है। शुरूआत में, 1950-51 से प्रत्येक वर्ष NSSO द्वारा HCES का आयोजन किया जाता था। हालांकि, 26वें राउंड के बाद से, यह सर्वेक्षण **लगभग 5 वर्षों में 1 बार आयोजित** किया जाने लगा।
  - NSSO **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)** का हिस्सा है और यह **MoSPI के नियंत्रण में एक अधीनस्थ** कार्यालय है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) में केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) और NSSO, दोनों शामिल हैं।
  - यह **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS), वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण और अर्बन फ्रेम सर्वे** आदि आयोजित करता है।
- **HCES की उपयोगिता:** सर्वेक्षण से प्राप्त **डेटा परिवारों के उपभोग और व्यय पैटर्न, जीवन स्तर और रहन-सहन** को समझने में मदद करते हैं।

ये डेटा सकल घरेलू उत्पाद (GDP), गरीबी स्तर और उपभोक्ता मूल्य आधारित मुद्रास्फीति जैसे कई **महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतकों की समीक्षा** में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

3.4.4. ग्रामीण भारत में स्टार्ट-अप्स (Start-ups in Rural India)

संदर्भ

स्टार्ट-अप्स ग्रामीण भारत में विशेषकर कृषि क्षेत्रक में आशा की किरण बनकर उभर रहे हैं।

विश्लेषण

ग्रामीण भारत में स्टार्ट-अप्स के बारे में

- **ग्रामीण स्टार्ट-अप्स:** इनमें कृषि-तकनीक, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं और शिक्षा सेवाएं शामिल हैं। ये विशेष रूप से ग्रामीण समुदायों की मांग को पूरा कर रही हैं।
- **स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने वाले कारक:**
  - इंटरनेट की उपलब्धता और डिजिटल समावेशन
  - सरकारी सहायता
  - ऐसे ग्राहकों की अधिक संख्या जिन तक सेवाएं नहीं पहुंच पाई हैं
  - शिक्षा का बढ़ता स्तर
  - वित्तीय समावेशन

ग्रामीण स्टार्ट-अप्स से जुड़ी चुनौतियां

- **शहरी क्षेत्रों में आपूर्तिकर्ताओं के साथ कनेक्टिविटी का अभाव:** यह ग्रामीण स्टार्ट-अप्स के लिए विलंब, लागत में वृद्धि और लॉजिस्टिक संबंधी जटिलताओं का कारण बन जाता है। साथ ही, इससे ग्रामीण स्टार्ट-अप्स के काम-काज की दक्षता प्रभावित होती है।
- **वित्तीय पहुंच:** ग्रामीण स्टार्ट-अप्स को वित्तीय संस्थान ऋण देने में अनिच्छा प्रकट करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की सीमित उपलब्धता है, आदि।
  - पिछले 9 वर्षों में **बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई** में शहरी स्टार्ट-अप्स को सामूहिक रूप से **स्टार्ट-अप फंडिंग का 92% हिस्सा** प्राप्त हुआ है।
- **समर्थन प्रणाली का अभाव:** मार्गदर्शन की कमी, नेटवर्किंग के अवसर और इनक्यूबेशन केंद्रों की अनुपस्थिति/ कमी ने ग्रामीण स्टार्ट-अप्स के विकास में बाधा उत्पन्न की है।
- **शुरू में ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगकर्ता/ ग्राहकों को तलाशने में कठिनाई:** ग्रामीण स्टार्ट-अप्स को सीमित संचार माध्यमों, कम आय और निम्न डिजिटल पहुंच जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ता है।

स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलें

- **न्यूजेन (NewGen) नवाचार और उद्यमिता विकास केंद्र।**
- **स्टार्ट-अप इंडिया (2016) और स्टार्ट-अप इंडिया सीड फंड योजना।**
- **नवाचार और कृषि-उद्यमिता कार्यक्रम**
- **एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड (AAF)**

ग्रामीण स्टार्ट-अप्स आदि के प्रकार

- **शहरी क्षेत्रों में रहने वाले फाउंडर्स के स्टार्ट-अप, जो ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने वाले समाधान उपलब्ध करा रहे हैं:** जैसे- जय किसान
- **ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहने वाले फाउंडर्स के स्टार्ट-अप, जो ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने वाले समाधान उपलब्ध करा रहे हैं:** जैसे- मिट्टीकूल
- **स्वयं-सहायता समूह:** जैसे- आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड (AMUL)
- **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs):** भारत में 50% से अधिक MSMEs ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्टार्ट-अप्स की भूमिका

- **रोजगार सृजन एवं ग्रामीण विकास।** जैसे- **मीशो, उड़ान** आदि।
- **शिक्षा और कौशल विकास।** जैसे- **पाठशाला, लर्निंग डिलाइट,** आदि।
- **वित्तीय समावेशन। जैसे- बैंक साथी।**
- **महिला सशक्तीकरण,** उदाहरण के लिए- **लिज्जत पापड़, सरल जीवन सहेलियां, फार्म दीदी आदि।**
- **कृषि नवाचार, जैसे- एक सेवा के रूप में सिंचाई (Irrigation as a Service: IaaS)।** यह लघु और सीमांत किसानों को **परेशानी मुक्त, उपयोग के आधार पर भुगतान और किफायती दर पर मांग आधारित सिंचाई सुविधा प्रदान करती है।**
- **पर्यावरणीय संधारणीयता,** जैसे- **एग्री विजय, अर्थशास्त्र इकोटेक प्राइवेट लिमिटेड** आदि।

आगे की राह

- **नीतिगत समर्थन:** ग्रामीण स्टार्ट-अप्स के सामने आने वाली चुनौतियों, जैसे- अवसंरचना की कमी, वित्त तक पहुंच और कौशल विकास का समाधान करना चाहिए।
- **संस्थागत समर्थन:** कृषि क्षेत्रक के स्टार्ट-अप्स के इरादों को लाभकारी उद्यमों में बदलने के लिए प्रासंगिक संस्थाओं का एक व्यापक नेटवर्क होना महत्वपूर्ण है।
- **सरकार और NGO के बीच सहयोग:** ग्रामीण स्टार्ट-अप्स के विकास के लिए प्रयासों और संसाधनों को एकजुट करने हेतु सरकार एवं गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के बीच आपसी सहयोग की आवश्यकता है।
- **विस्तार की बजाय स्थिरता:** ग्रामीण स्टार्ट-अप्स को विकसित भारत के व्यापक दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाते हुए सतत रोजगार पैदा करने वाले उद्यमों के रूप में विकसित होने का लक्ष्य रखना चाहिए।

3.5. बुनियादी ढांचा और लोजिस्टिक्स (INFRASTRUCTURE & LOGISTICS)

3.5.1. परिसंपत्ति मुद्रीकरण (Asset Monetization)

संदर्भ

हाल ही में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT) के जरिए 15,624.9 करोड़ रुपये प्राप्त किया है। यह NHAI द्वारा अब तक का सबसे बड़ा मुद्रीकरण है।

विश्लेषण

परिसंपत्ति मुद्रीकरण (AM) के बारे में

- **परिभाषा:** परिसंपत्ति मुद्रीकरण अप्रयुक्त या कम उपयोग की गई सार्वजनिक परिसंपत्तियों के आर्थिक मूल्य का आकलन करके सरकार और उसकी संस्थाओं के लिए राजस्व के नए स्रोत प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है।
  - किसी सार्वजनिक निकाय के स्वामित्व वाली किसी भी संपत्ति को **सार्वजनिक परिसंपत्ति** कहा जाता है, जैसे- सड़क, हवाई अड्डे, पाइपलाइन आदि।
- **उत्पत्ति:** परिसंपत्ति मुद्रीकरण का सुझाव पहली बार **2012** में अर्थशास्त्री **विजय केलकर** की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने दिया था।
  - परिसंपत्ति मुद्रीकरण की घोषणा **केंद्रीय बजट 2021-22** में **राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन** के जरिए की गई थी।
- **परिसंपत्ति मुद्रीकरण (AM) की प्रक्रिया:**
  - **परिसंपत्ति मुद्रीकरण** में निर्धारित अवधि के लिए निजी क्षेत्रक की इकाई को प्रदान की गई **सरकारी स्वामित्व वाली परिसंपत्ति का लाइसेंस/ पट्टा** शामिल होता है।
  - भुगतान के बदले परिसंपत्ति उपयोग के अधिकारों का हस्तांतरण एक रियायती समझौते द्वारा शासित होता है। इसमें **जोखिम को** संतुलित आधार पर **सार्वजनिक प्राधिकरण** और **निजी पक्षकारों के बीच** साझा किया जाता है।
    - ◊ **रियायती समझौता (Concession Agreement):** यह एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे किसी कंपनी को विशेष शर्तों पर सरकार के अधिकार क्षेत्र में स्थित या किसी अन्य फर्म की संपत्ति पर अपना व्यवसाय चलाने का अधिकार मिलता है।

पृष्ठभूमि

परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए की गई पहलें

- **राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP):**
  - **क्षेत्रक:** सरकार ने अपनी **ब्राउनफील्ड अवसंरचना परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए 13 क्षेत्रकों की पहचान** की है।
    - ◊ **ये शीर्ष 5 क्षेत्रक कुल मुद्रीकरण पाइपलाइन के लगभग 83% का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये क्षेत्रक हैं;** सड़कें (27%), रेलवे (25%), विद्युत (15%), तेल और गैस पाइपलाइन (8%) तथा दूरसंचार (6%)।
  - **क्षमता:** वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 तक के चार वर्षों में केंद्र सरकार की **कोर परिसंपत्तियों में 6 लाख करोड़ रुपये की मुद्रीकरण की क्षमता** है।
- **मुद्रीकरण के लिए लक्षित अलग-अलग परिसंपत्तियां/ परिसंपत्ति वर्ग।**
- रेलवे समर्पित माल गलियारा परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करेगा।
- हवाई अड्डों का परिचालन और प्रबंधन प्रदान करने के लिए मुद्रीकरण किया जाएगा।
- **राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (NLMC):** यह एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) है। इसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों (CPSEs) और अन्य सरकारी एजेंसियों की अधिशेष भूमि के मुद्रीकरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- **परिसंपत्ति मुद्रीकरण डैशबोर्ड:** इसकी शुरुआत मुद्रीकरण की प्रगति की निगरानी करने और निवेशकों के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए की गई है।

भारत में परिसंपत्ति मुद्रीकरण की आवश्यकता क्यों है?

- **नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (NIP) का वित्त-पोषण:** NIP का उद्देश्य नागरिकों को विश्वस्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराना और इस क्षेत्रक में निवेश को आकर्षित करना है।
  - नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में 2020 से 2025 तक की अवधि में 111 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है।
- **राजकोषीय दबाव में कमी:** परिसंपत्ति मुद्रीकरण के तहत निजी भागीदारों द्वारा निवेश की गई पूंजी से सार्वजनिक क्षेत्रक पर राजकोषीय दबाव कम होगा।
- **नई अवसंरचनाओं के निर्माण के लिए राज्य को वित्त प्रदान करना:** नई अवसंरचनाओं के निर्माण के लिए राज्य को वित्त प्रदान करने में परिसंपत्ति मुद्रीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
- **निजी क्षेत्रक की दक्षताओं का लाभ उठाना:** परिसंपत्ति मुद्रीकरण से सार्वजनिक परिसंपत्तियों के प्रबंधन में निजी क्षेत्रक की क्षमताओं और पारदर्शिता का लाभ उठाया जा सकेगा।
- **देश के आर्थिक विकास में मदद करना:** परिसंपत्ति मुद्रीकरण की एक बेहतर योजना आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि कर सकती है, मांग को प्रोत्साहित कर सकती है, रोजगार के अवसर सृजित कर सकती है।

आगे की राह

- **एक स्पष्ट रोड मैप** और **विनियामकीय स्पष्टता** निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित कर सकती है।
- **परिसंपत्तियों की मुद्रीकरण प्रक्रियाओं के क्षमता निर्माण में सहायता करना:** उदाहरण के लिए, परिसंपत्ति मूल्यांकन, राजस्व अनुमान आदि पर प्रशिक्षण प्रदान करना।
- **परिसंपत्तियों की संरचना:** अलग-अलग जोखिम उठाने की क्षमता वाले विविध निवेशकों के लिए अनुकूलित उत्पाद पैकेजिंग और संरचना।

परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण में आने वाली चुनौतियां

परियोजनाओं के मूल्य का सटीक आकलन
सार्वजनिक परिसंपत्तियों, विशेष रूप से ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के मूल्य का सटीक आकलन करना जटिल कार्य है

कार्यान्वयन
उदाहरण के लिए, रेल मंत्रालय और दूरसंचार विभाग निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करने में असमर्थ रहे हैं।

पारदर्शिता
एक बड़ा सवाल यह भी है, कि मुद्रीकरण से प्राप्त आय को बजट दस्तावेजों में दर्शाया जाएगा या नहीं, और इनसे प्राप्त धन को कैसे खर्च किया जाएगा।

बोली लगाने वालों की सीमित भागीदारी
मुद्रीकरण के लिए स्पष्ट क्षेत्र-विशिष्ट रोडमैप की कमी के कारण

3.6. विविध (MISCELLANEOUS)

3.6.1. भारत-EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (INDIA-EFTA TRADE AND ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT)

संदर्भ

हाल ही में, **भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA)** ने **"व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौते (TEPA)"** पर हस्ताक्षर किए हैं।

विश्लेषण

TEPA के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **भारत ने पहली बार, EFTA के सदस्यों के साथ कोई FTA संपन्न** किया है।
- **उद्देश्य:** EFTA **निवेश को बढ़ावा** देने के हेतु प्रतिबद्ध है। इसके तहत अगले **15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)** लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
  - इन निवेशों के माध्यम से भारत में **1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार के सृजन** का लक्ष्य रखा गया है।
- **कानूनी प्रतिबद्धता:** अब तक के सभी **मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) में पहली बार इस समझौते में लक्ष्य-आधारित निवेश** को बढ़ावा देने और **रोजगार के सृजन** के बारे में कानूनी प्रतिबद्धता जताई गई है।
- **पारस्परिक मान्यता समझौता (Mutual Recognition Agreements):** TEPA में नर्सिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट जैसी **"पेशेवर सेवाओं में पारस्परिक मान्यता समझौतों"** के प्रावधान शामिल हैं।
- **प्रशुल्क में कटौती:** EFTA ने अपनी **92.2 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर प्रशुल्क (Tariff) को हटाने** का प्रस्ताव किया है। यह भारत के **99.6 प्रतिशत निर्यात** को कवर करेगा।
- **बाजार तक पहुंच:** EFTA के बाजारों में भारत के **100 प्रतिशत गैर-कृषि उत्पादों को प्रवेश** दिया जाएगा। साथ ही, **प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों (PAP)** पर प्रशुल्क में रियायत दी जाएगी।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के बारे में

- इसे **स्टॉकहोम कन्वेंशन द्वारा 1960** में स्थापित किया गया था।
- **इसके वर्तमान सदस्य हैं: आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड।**
  - ये देश **यूरोपीय संघ (EU) का हिस्सा नहीं** है।

भारत-EFTA व्यापार संबंध

- **कुल वस्तु/ पण्य व्यापार:** 2023 में EFTA देशों और भारत के बीच **22.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर** से अधिक का कुल पण्य व्यापार हुआ था।
- **EFTA के सदस्यों में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार: स्विट्ज़रलैंड** सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है, इसके बाद **नार्वे** का स्थान आता है।
  - **सोने के आयात** के कारण भारत का **स्विट्ज़रलैंड के साथ व्यापार घाटा** बना हुआ है।
- EFTA
  - **जनसंख्या: 13 मिलियन**
  - **संयुक्त GDP: 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक**
  - विश्व का **9वां सबसे बड़ा** वस्तु व्यापार
  - वाणिज्यिक सेवाओं का **5वां सबसे बड़ा** व्यापार

- **IPR से संबंधित प्रतिबद्धताएं:** TEPA में बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित प्रतिबद्धताएं **"ट्रिप्स (TRIPS)"** मानकों के अनुरूप हैं। यह IPR की सुरक्षा के प्रति EFTA की उच्च स्तर की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

TEPA का महत्त्व

व्यापार और सेवाओं के उदारीकरण से **आर्थिक संवृद्धि बढ़ेगी**	भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के **निर्यात को बढ़ावा मिलेगा**	**यूरोपीय संघ के बाजार** तक पहुंच को सुगम बनाएगा	**"मेक इन इंडिया"** को बढ़ावा मिलने से घरेलू स्तर पर विनिर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा	यह **प्रौद्योगिकी क्षेत्रक में सहयोग** को बढ़ावा देगा और मुख्य प्रौद्योगिकियों तक **पहुंच की सुविधा** प्रदान करेगा

TEPA से जुड़े चिंताजनक मुद्दे

- **डेटा विशिष्टता (Data Exclusivity): EFTA के देश** डेटा एक्सक्लुसिविटी संबंधी प्रावधान को लागू करने पर जोर दे रहे हैं। उनका कहना है कि इससे **घरेलू जेनेरिक दवा निर्माताओं** को प्रीक्लिनिकल टेस्ट्स एवं क्लिनिकल ट्रायल के डेटा का उपयोग करने से **रोका** जा सकेगा।
  - **भारत पहले ही डेटा एक्सक्लुसिविटी संबंधी प्रावधानों को अस्वीकार** कर चुका है।
- **व्यापार प्रशुल्क से जुड़े मुद्दे:** भारत ने **कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रकों को प्रशुल्क कटौती से बाहर** रखा है। इसके कारण EFTA देशों में

विवाद पैदा हो गया है।

- **EFTA को अधिक व्यापार लाभ:** भारत ने अगले **10 वर्षों में कई वस्तुओं पर प्रशुल्क में महत्वपूर्ण रूप से कटौती** करने के लिए सहमति दी है, जबकि EFTA देशों में पहले से ही **प्रशुल्क बहुत कम** है।
- **निवेश दायित्व से संबंधित बाधाएं:** TEPA के तहत भारत के पास EFTA देशों को दी गई प्रशुल्क संबंधी रियायतों को **18 वर्ष के बाद ही रद्द करने का विकल्प** है, वह भी तब जब वे FDI से जुड़ी अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहते हैं।

भविष्य में सहयोग के संभावित क्षेत्र

- **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को शामिल करना:** ऐसी पहलें तैयार करना, जो **MSMEs को व्यापारिक भागीदार बनने और वैश्विक बाजार का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित** करें।
- **व्यवसायियों को आकर्षित करना:** दोनों पक्ष व्यवसायियों को समझौते के मुख्य बिंदुओं, प्रशुल्क में कटौती और नए बाजार के अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित कर सकते हैं।
- **नवाचार और संधारणीयता:** स्वच्छ प्रौद्योगिकियों, नवीकरणीय ऊर्जा और संधारणीय कार्य पद्धतियों सहित अलग-अलग क्षेत्रों में सहयोग एवं समर्थन करना।

व्यापार समझौतों के प्रकार

- **अर्ली हार्वेस्ट स्कीम:** अर्ली हार्वेस्ट स्कीम वस्तुतः व्यापार करने वाले दो भागीदार देशों के मध्य **FTA से पहले किया जाने वाला एक कॉन्ट्रैक्ट** होता है।
- **तरजीही व्यापार समझौता (PTA):** इसमें दो या दो से अधिक भागीदार देश **टैरिफ लाइनों की स्वीकृत संख्या पर प्रशुल्क कम करने** पर सहमत होते हैं। उदाहरण के लिए, भारत-मर्कोसुर तरजीही व्यापार समझौता।
- **मुक्त व्यापार समझौता (FTA):** FTA दो या दो से अधिक देशों या **व्यापारिक गुटों के मध्य व्यापार की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं या दोनों पर आरोपित सीमा शुल्कों और गैर-प्रशुल्क बाधाओं को कम करने या समाप्त करने** के लिए संपन्न किया जाता है, उदाहरण के लिए- **भारत-श्रीलंका FTA**
- **व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA):** इसमें प्रशुल्क में कमी/उसे समाप्त करने के साथ-साथ विनियामकीय मुद्दों को कवर करने वाले समझौते शामिल होते हैं।
    - उदाहरण के लिए- **भारत ने साउथ कोरिया और जापान के साथ CEPA पर हस्ताक्षर** किए हैं।
- **कस्टम यूनियन (CU):** कस्टम यूनियन के तहत, भागीदार देश एक-दूसरे के साथ **शून्य शुल्क पर व्यापार** कर सकते हैं। हालांकि, वे अन्य देशों के साथ **समान प्रशुल्क** बनाए रख सकते हैं।
- **साझा बाजार (Common Market):** साझा बाजार मुख्य रूप से सीमा शुल्क संघ का ही एक रूप है। इसमें सदस्यों के बीच **श्रम और पूंजी की मुक्त आवाजाही** को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ प्रावधानों को शामिल किया जाता है। इसका एक अच्छा उदाहरण यूरोपीय साझा बाजार है।

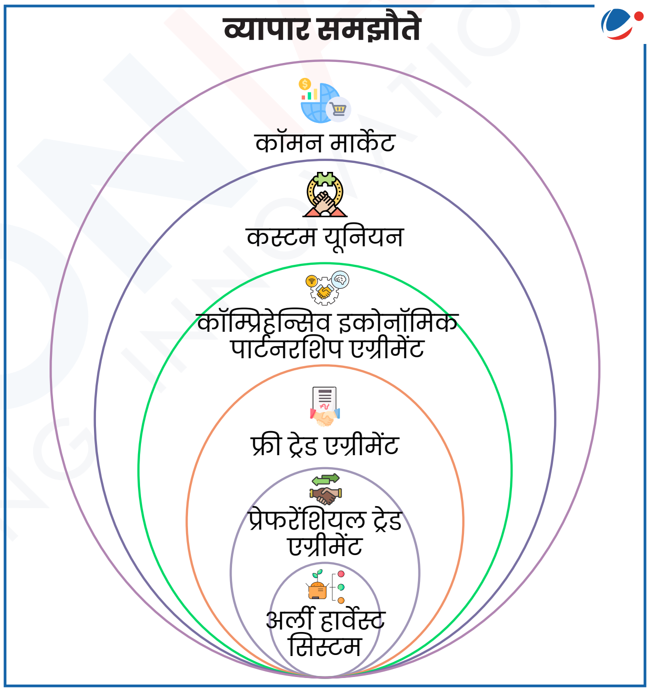

3.6.2. सतत विकास के लिए वित्त-पोषण रिपोर्ट 2024 (FINANCING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 2024)

संदर्भ

हाल ही में, **विकास के लिए वित्त-पोषण पर अंतर-एजेंसी टास्क फोर्स** द्वारा सतत विकास के लिए वित्त-पोषण रिपोर्ट 2024 जारी की गई।

विश्लेषण

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **SDGs की दिशा में प्रगति:** सतत विकास लक्ष्यों के तहत अपनाए गए एजेंडा 2030 पर देशों ने **ध्यान देना बंद कर** दिया है। 17 SDGs के तहत निर्धारित 169 टारगेट्स में से **लगभग आधे लक्ष्यों के मार्ग सही दिशा में नहीं हैं।**

अन्य संबंधित तथ्य के लिए अवश्य पढ़िए:

कक्षा XII की एनसीईआरटी पुस्तक "भारतीय आर्थिक विकास का अध्याय 7

- **वित्तपोषण में कमी:** रिपोर्ट का अनुमान है कि SDGs को पूरा करने के लिए आवश्यक वित्त और निवेश में **हर साल 2.5 से 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी** है।
- **वित्त का विभाजन:** विकासशील देशों को दीर्घकालिक और आकस्मिक वित्त-पोषण प्राप्त करने के लिए काफी कठोर शर्तों का पालन करना पड़ता है। यह वित्तीय अंतराल को दर्शाता है, जो मध्यम-आय वाले देशों (MIC) के मामले में सबसे अधिक है।
- **SDGs हेतु सक्षमकारी माहौल में कमी:** वर्तमान में, जीवाश्म ईंधन और ब्राउन गतिविधियों में **सार्वजनिक सब्सिडी एवं निजी निवेश** अभी भी बहुत अधिक है।

सतत विकास के वित्त-पोषण के बारे में

- यह सतत विकास के लिए **वित्त-पोषण** पर समझौतों और **प्रतिबद्धताओं के पालन का समर्थन करने पर केंद्रित** है:
    - 2002 में मॉन्टेरी, मेक्सिको में;
    - 2008 में दोहा और कतर में; तथा
    - 2015 में अदीस अबाबा और इथियोपिया में।
- **अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा** सतत विकास के वित्त-पोषण के लिए एक नया **वैश्विक फ्रेमवर्क** प्रदान करता है।
    - इसने सतत विकास के वित्त-पोषण के लिए **सात कार्य क्षेत्रों** की पहचान की है (इन्फोग्राफिक देखें)।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

विकास के लिए वित्त-पोषण पर गठित अंतर-एजेंसी टास्क फोर्स के बारे में

- **इसमें 60 से अधिक संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, यू.एन. प्रोग्राम और कार्यालय, क्षेत्रीय आर्थिक आयोग** और अन्य प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान शामिल हैं।
- **संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग (UNDESA)** इस पहल के समन्वयक के रूप में कार्य करता है।
- **इस टास्क फोर्स का संचालन संयुक्त राष्ट्र (UN) महासचिव** द्वारा अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा के सात कार्य क्षेत्रों पर फॉलो अप कार्रवाई हेतु किया गया था।

सतत विकास के वित्त-पोषण में चुनौतियां

- **प्रणालीगत जोखिमों में वृद्धि:** जैसे कि कोविड-19 महामारी, आपदाओं का बार-बार आना आदि।
    - 2020 और 2023 के बीच आने वाली आपदाओं के कारण प्रतिवर्ष **173 बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान** है।
- **चुनौतीपूर्ण वैश्विक आर्थिक माहौल:** शिथिल वैश्विक अर्थव्यवस्था के कारण आर्थिक संवृद्धि की संभावनाएं कम हो गई हैं। साथ ही, विकासशील देशों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2021 और 2025 के बीच लगभग 4% के आस-पास रही है।
- **संप्रभु ऋण का अधिक बोझ:** कई देशों को **ऋण संकट के उच्च जोखिम** का सामना करना पड़ रहा है। अल्प विकसित देशों (LDCs) के लिए **मीडियन डेट सर्विस बर्डन** 2010 में उनके कुल राजस्व के 3.1% के बराबर था। **2023 में यह बढ़कर 12%** तक हो गया। यह इस सदी में LDCs के लिए ऋण बोझ का उच्चतम स्तर है।
- **बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव:** भू-राजनीतिक तनाव, हिंसा, संघर्ष और युद्ध के कारण वैश्विक समष्टि माहौल (Global Macro-Environment) के समक्ष संकट उत्पन्न हुआ है। इससे **वैश्विक व्यापार प्रणाली में व्यापक अलगाव** का खतरा पैदा हो गया है। इससे **वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 7%** तक का नुकसान हो सकता है।

सतत विकास के लिए वित्त-पोषण की कमी को समाप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयां

- **सक्षमकारी वातावरण:** निजी निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए अलग-अलग देशों के प्रयासों को राजकोषीय और कर नीतियों के जरिए पर्याप्त प्रोत्साहन देते हुए, इसे **SDG के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।**
- **सार्वजनिक विकास बैंकों (PDBs) को मजबूत करना:** PDBs आमतौर पर दीर्घकालिक वित्त-पोषण प्रदान करते हैं। इसके चलते सामाजिक विकास और पर्यावरणीय संधारणीयता पर बल देना आसान हो जाता है।
- **एकीकृत वित्त-पोषण दृष्टिकोण:** 80 से अधिक देश अब राष्ट्रीय वित्त-पोषण रणनीतियों को विकसित करने तथा योजनाओं और वित्त-पोषण नीतियों को एकीकृत करने के लिए **एकीकृत राष्ट्रीय वित्त-पोषण फ्रेमवर्क (INFFs)** का उपयोग कर रहे हैं।
    - INFFs की अवधारणा को पहली बार **अदीस एजेंडा में प्रस्तुत किया** गया था।
- **बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार:** इसमें **विश्व व्यापार संगठन (WTO) से जुड़े सुधारों** को शामिल किया गया है, साथ ही इसमें विवाद निपटान पर ध्यान केंद्रित करना आदि शामिल हैं।

सतत विकास के वित्त-पोषण के लिए सात कार्य क्षेत्र

घरेलू सार्वजनिक संसाधन	घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निजी व्यवसाय एवं वित्त	अंतर्राष्ट्रीय विकास में सहयोग	विकास के एक इंजन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार	संधारणीय ऋण	व्यवस्थागत खामियों का समाधान करना	विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और क्षमता निर्माण

3.6.3. भारत और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं {INDIA AND GLOBAL VALUE CHAINS (GVCs)}

संदर्भ

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ने वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs) में शामिल होने की भारत की आवश्यकता पर जोर दिया है ताकि निर्यात को बढ़ाया जा सके और जरूरी आयातों एवं सप्लाई चेन (आपूर्ति श्रृंखला) में व्यवधान न पैदा हो।

विश्लेषण

वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs) का महत्त्व

- **उत्पादकता में वृद्धि:** अलग-अलग स्रोतों से किफायती या उच्च गुणवत्ता वाले आयातित इनपुट प्राप्त करने से -
  - ज्ञान को साझा किया जा सकता है,
  - कंपनियों को उत्पादन दक्षता (कम लागत में अधिक उत्पादन) बढ़ाने का अवसर मिलता है,
  - उत्पाद में उच्च मूल्य वर्धन (बेहतर उत्पाद) होता है, आदि।
- **गरीबी के स्तर में कमी:** विश्व बैंक के अनुसार, GVC भागीदारी में **1% की वृद्धि से प्रति व्यक्ति आय में 1% से अधिक की वृद्धि** हो सकती है। यह व्यापार के पारंपरिक तरीके की तुलना में लगभग दोगुने की वृद्धि है।
- **रोजगार के अवसर पैदा होना:** वैश्विक मूल्य श्रृंखला यदि संरचनात्मक बदलाव लाती है या मूल्य श्रृंखला के भीतर और आस-पास नए लिंकेज विकसित करती है तब रोजगार के अधिक अवसर पैदा होते हैं।
- **अधिक श्रम की आवश्यकता और महिलाओं की अधिक भागीदारी:** वैश्विक मूल्य श्रृंखला में सबसे अधिक भागीदारी वाले व्यापारिक क्षेत्रकों (परिधान, फुटवियर और इलेक्ट्रॉनिक्स आदि) में रोजगार में कम कुशल, युवा व महिला श्रमिकों की **सबसे अधिक हिस्सेदारी** है।
- **उत्पाद में विशेषज्ञता को बढ़ावा:** इसमें किसी वस्तु के उत्पादन की समस्त प्रक्रिया एक ही देश में केंद्रित नहीं होती है और व्यवसाय का संचालन भी अलग-अलग देशों से किया जाता है। इसलिए देशों को पूर्ण उत्पाद यानी उत्पाद के सभी घटकों या पूरी मूल्य श्रृंखला बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। अलग-अलग देश अपनी विशेषज्ञता के आधार पर उत्पाद या मूल्य श्रृंखला के घटकों का निर्माण कर सकते हैं।

वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की भागीदारी

- **सीमित भागीदारी:** भारत का वैश्विक मूल्य श्रृंखला से संबंधित व्यापार बहुत कम है। **2022 में** यह **सकल व्यापार का 40.3%** था। यह अनुपात अन्य देशों के मुकाबले कम है।
- **नेटवर्क से जुड़े उत्पादों का कम निर्यात:** वैश्विक मूल्य श्रृंखला में इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरण और वाहन जैसे नेटवर्क उत्पादों का वर्चस्व है। हालांकि, **भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में इन वस्तुओं की हिस्सेदारी केवल 10%** है।
- **वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की भागीदारी को बढ़ाने वाले प्रमुख उत्पाद:** इन उत्पादों में कोयला और पेट्रोलियम, व्यावसायिक सेवाएं, रसायन, परिवहन उपकरण आदि शामिल हैं।
- **भारत में फॉरवर्ड लिंकेज का वर्चस्व:** भारत, अभी भी कच्चे माल और मध्यवर्ती उत्पादों के निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं (GVCs) क्या हैं?

- **वैश्विक मूल्य श्रृंखला (GVC)** उन गतिविधियों की पूरी श्रृंखला को संदर्भित करती है जो किसी उत्पाद को बाजार में लाने के लिए आवश्यक होती है। GVC में वास्तव में उपभोक्ता के लिए उत्पाद को अंतिम रूप से तैयार करने वाला प्रत्येक चरण शामिल होता है और प्रत्येक चरण (जैसे- उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, परिवहन, वितरण आदि) **कुछ मूल्य जोड़ता है।** इसमें, कम-से-कम **दो चरण अलग-अलग देशों में संपन्न होने आवश्यक हैं।**
- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के अनुसार, **लगभग 70% वैश्विक व्यापार वैश्विक मूल्य श्रृंखला के जरिए** संपन्न होता है।
- अलग-अलग देश अपनी आर्थिक विशेषज्ञता के आधार पर वैश्विक मूल्य श्रृंखला के **बैकवर्ड या फ़ॉरवर्ड लिंकेज** में शामिल हो सकते हैं।
  - **बैकवर्ड लिंकेज:** इसमें कोई देश घरेलू स्तर पर वस्तु के उत्पादन के लिए दूसरे देश से प्राप्त **इनपुट्स (घटकों) का उपयोग** करता है।
  - **फॉरवर्ड लिंकेज:** इसमें कोई देश किसी अन्य देश को **इनपुट/ मध्यवर्ती वस्तुओं की आपूर्ति** करता है जिसका उपयोग दूसरे देश में वस्तु का उत्पादन करने के लिए किया जाता है।

एप्पल आपूर्ति श्रृंखला

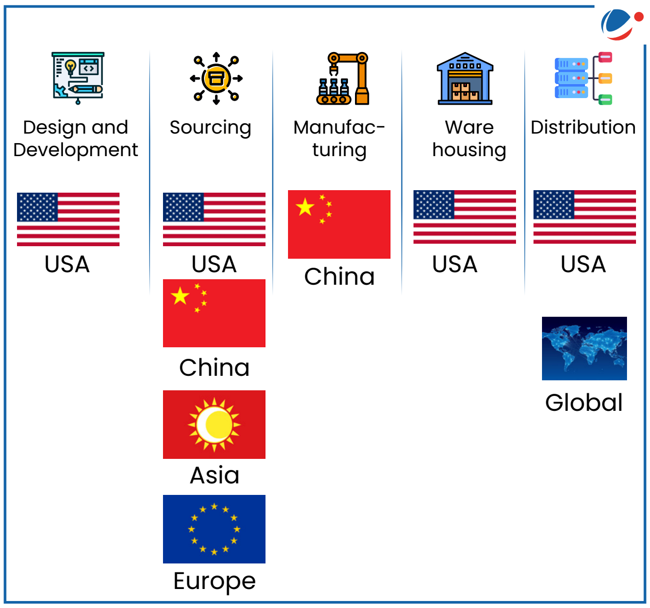

वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जुड़ने में भारत की सीमित भूमिका के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारण

- **मजबूत व्यापार अवसंरचना की कमी:** बंदरगाहों या कस्टम में देरी से संपूर्ण उत्पादन श्रृंखला ख़तरे में पड़ सकती है, जिसके परिणामस्वरूप नेटवर्क से बाहर होने का खतरा बढ़ जाता है।
- **उत्पादों का उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं होना:** विश्व स्तर पर उच्च गुणवत्ता मानक वाली वस्तुओं की मांग होने या दूसरे देशों में गुणवत्ता की सख्त निगरानी तथा समय पर उत्पाद की आपूर्ति की आवश्यकता जैसी वजहों से भारतीय कंपनियां निर्यात की बजाय देश में ही वस्तुओं को

बेचने को प्राथमिकता देती हैं।

- **अधिक पूंजी की आवश्यकता वाले क्षेत्रक को प्राथमिकता:** भारत में अकुशल श्रमिकों की संख्या अधिक है और भारत इस मामले में लाभ की स्थिति में है। इन श्रमिकों को विनिर्माण गतिविधियों में लगाया जा सकता है। इससे उत्पाद सस्ते हो सकते हैं। परन्तु, भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में **अधिक पूंजी की आवश्यकता और उच्च कौशल की आवश्यकता वाले उत्पादों का वर्चस्व है।**
- **घरेलू नीतिगत चुनौतियां:** जटिल कर नीतियां और प्रक्रियाएं, जटिल श्रम कानून और व्यापार नीति में अनिश्चितता (भारत में औसत प्रशुल्क **2014 के 13% से बढ़कर 2022 में 18.1%** हो गया है)के कारण भारत में उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न होती है।

आगे की राह

- **कारोबारी माहौल में सुधार करना:**
  - विवाद निपटान प्रक्रिया को लेकर स्पष्टता लाने की आवश्यकता है।
  - वित्तीय पहुंच को बढ़ावा देना,
  - **नई श्रम संहिताओं** को शीघ्र लागू करना चाहिए।
- **व्यापार को सुविधाजनक बनाना:**
  - **प्रशुल्क नियमों** में बार-बार बदलाव नहीं किया जाना चाहिए।
  - सीमा पर वस्तुओं की आवाजाही प्रक्रियाओं को सरल और व्यवस्थित बनाने की आवश्यकता है।
  - **राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क** की स्थापना करनी चाहिए।
  - अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए कंपनियों की क्षमता बढ़ाने हेतु **"मानकीकरण पर भारतीय राष्ट्रीय रणनीति"** को लागू करना चाहिए।
- **विनियामकीय व्यवस्था में बार-बार बदलाव नहीं करना; वैश्विक मूल्य श्रृंखला के उच्च मूल्य वाले सेगमेंट को बढ़ावा देना:** जैसे कि किसी नए उत्पाद के बारे में सोचना, डिजाइन, प्रोटोटाइप डवलपमेंट और बिक्री के बाद की सेवाएं आदि; **अधिक श्रम की आवश्यकता वाले क्षेत्रकों को बढ़ावा देना** आदि।

भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करने के लिए उठाए गए कदम

विदेश व्यापार नीति 2023	व्यापक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन-से-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना	एक जिला एक उत्पाद-निर्यात केंद्र के रूप में जिले (ODOP-DEH) पहल	मेक-इन-इंडिया पहल

3.6.4. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA: IRDAI)

संदर्भ

हाल ही में, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने अपने गठन की 25वीं वर्षगांठ मनाई।

विश्लेषण

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसका गठन **मल्होत्रा समिति** की सिफारिशों के आधार पर किया गया था।
  - इसे शुरूआत में **1999 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में गठित** किया गया था। बाद में **बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999** के तहत इसे वर्ष 2000 में एक **वैधानिक निकाय** का दर्जा दिया गया।
- **उद्देश्य:** बीमा उद्योग का त्वरित और व्यवस्थित विकास, वास्तविक दावों का शीघ्र निपटान, प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र, आदि।
- **संरचना:** IRDAI **10 सदस्यीय निकाय** है। इसमें एक **अध्यक्ष, पांच पूर्णकालिक सदस्य** और **चार अंशकालिक सदस्य** होते हैं।

बीमा क्षेत्रक में महत्वपूर्ण बदलाव लाने में IRDAI की भूमिका

- **बीमा क्षेत्रक का विकास:**
  - **बीमा पैठ या पहुंच (Insurance Penetration) 2001-02** में **2.71%** थी, जो बढ़कर **2021-22 में 4.2%** हो गई है।
    - **सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में बीमा प्रीमियम का प्रतिशत** बीमा पैठ कहलाता है।
  - **बीमा घनत्व (Insurance Density) 2001-02** में **11.5 अमेरिकी डॉलर** था, जो बढ़कर **2021-22** में **91 डॉलर** हो गया है।
    - **बीमा प्रीमियम और जनसंख्या के बीच का अनुपात** बीमा घनत्व कहलाता है।
- **2047 तक 'सभी के लिए बीमा':** IRDAI ने 2047 तक 'सभी के लिए बीमा' को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई है। इसमें प्रत्येक नागरिक के लिए उचित लाइफ, हेल्थ, संपत्ति, आदि के बीमा कवर की परिकल्पना की गई है।
- **अपनी विनियामकीय भूमिका का विस्तार करना:** बाजार में **कॉर्पोरेट एजेंट, बैंक एश्योरेंस** (बैंकों के जरिए बीमा उत्पादों की बिक्री), **ऑनलाइन बिक्री** जैसे नए मध्यस्थों ने कार्य करना शुरू कर दिया है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बीमाकर्ता (D-SIIs)

- **D-SIIs** बीमा बाजार में अधिक महत्त्व वाली बड़े आकार की तथा घरेलू और वैश्विक रूप से बीमा व्यवसाय से काफी गहनता से जुड़ी बीमा कंपनियां होती हैं। इनका **संकट में आना या विफल होना, देश की वित्तीय प्रणाली में गंभीर अव्यवस्था** ला सकता है।
  - D-SIIs के बारे में कहा जाता है कि ये **"इतने बड़े या महत्वपूर्ण होती हैं कि इन्हें विफल नहीं होने दिया जा सकता है (Too big or too important to fail)"।**
  - D-SIIs को **अतिरिक्त विनियामकीय नियमों का पालन** करना होता है।
- IRDAI ने **2023-24 के लिए D-SIIs की सूची जारी की।**
  - **भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (GIC-Re)** और **न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी** को पुनः D-SIIs के रूप में नामित किया गया है।

IRDAI की भूमिका

आवेदक को पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करना; पंजीकरण का नवीनीकरण करना, संशोधित करना, वापस लेना, निलंबित करना या रद्द करना।	पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना।	बीमा कराने वालों और मध्यवर्तियों या बीमा मध्यवर्तियों के बीच विवादों का न्याय-निर्णय करना।	बीमा एवं पुनर्बीमा व्यवसाय से जुड़े पेशेवर संगठनों को बढ़ावा देना तथा उन्हें विनियमित करना।

बीमा क्षेत्रक में महत्वपूर्ण बदलाव लाने में IRDA द्वारा शुरू किये गए पहल/ विनियामक सुधार	
IRDAI द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलें	**विनियामकीय प्रशासन के संबंध में IRDAI द्वारा किए गए हालिया सुधार**

- **बीमा सुगम:** यह बीमा पॉलिसियों की ख़रीद, बिक्री, नवीनीकरण आदि के साथ-साथ दावों के निपटान के लिए एक ऑनलाइन बीमा मार्केटप्लेस है।
  - यह IRDAI की बीमा ट्रिनिटी - **"बीमा विस्तार, बीमा वाहक और बीमा सुगम"** का एक हिस्सा है।
- **सरल जीवन बीमा:** यह स्व-रोजगार वाले व्यक्तियों या कम आय वर्ग के लोगों को बुनियादी सुरक्षा प्रदान करता है।
- **बीमा भरोसा:** एक एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली।
- **अखिल भारतीय सर्वेक्षण:** बीमा जागरूकता पैदा करने की अपनी रणनीति में सुधार के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) के जरिए यह कार्य किया जाना चाहिए।
- IRDAI ने 34 नियमों को **6 नियमों** में तब्दील कर दिया है एवं 2 नए विनियम पेश किए हैं। इससे विनियामकीय परिदृश्य में स्पष्टता और सुसंगतता बढ़ेगी।
  - **IRDAI (बीमा उत्पाद) विनियम, 2024:** इसके तहत 6 नियमों को एक एकीकृत ढांचे में मिला दिया गया है। इसका उद्देश्य बीमाकर्ताओं को बाजार की बढ़ती मांगों पर तेजी से प्रतिक्रिया देने, व्यवसाय को आसान बनाने एवं बीमा की पहुंच को बढ़ावा देने में सक्षम बनाना है।
  - **IRDAI (बीमा कंपनियों के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस) विनियम, 2024:** इसका उद्देश्य बीमाकर्ताओं के लिए एक मजबूत प्रशासनिक फ्रेमवर्क स्थापित करना है। इसमें बोर्ड एवं प्रबंधन की भूमिका और जिम्मेदारियों को परिभाषित किया गया है।

नोट: भारत में बीमा क्षेत्रक के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, सितंबर 2023 से नवंबर 2024, त्रैमासिक रिवीजन पत्रिका का आर्टिकल 3.2.2. देखें।

3.6.5. डिजिटल एकाधिकार और डिजिटल इकोसिस्टम का विनियमन (DIGITAL MONOPOLIES AND REGULATION OF DIGITAL ECOSYSTEM)

संदर्भ

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने गूगल द्वारा अपने **प्ले स्टोर** से कुछ एप्लिकेशन (ऐप्स) को हटाने पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल एकाधिकार स्थापित करके अपनी स्थिति का दुरुपयोग करना है।

विश्लेषण

डिजिटल एकाधिकार क्या है?

- **डिजिटल एकाधिकार (Digital Monopoly):** यह वह स्थिति है जब कोई एकल **कंपनी या प्लेटफ़ॉर्म** अपने उत्पाद से संबंधित डिजिटल इकोसिस्टम और बाजार पर **वर्चस्व बनाए रखती** है।
  - **इस तरह की कंपनियों के उदाहरण हैं:** गूगल, अमेजन, फेसबुक, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियां।
- **डिजिटल एकाधिकार की प्रमुख विशेषताएं**
  - **प्रभुत्व:** कंपनी की बाज़ार में व्यापक हिस्सेदारी होती है, जो अक्सर 70 या 80 प्रतिशत से भी अधिक रहती है।
  - **प्रवेश में अधिक बाधाएं:** नए प्रतिस्पर्धियों को उच्च लागत, डेटा तक पहुंच और प्लेटफ़ॉर्म प्रभाव जैसे कारकों के कारण बाज़ार में प्रवेश करना बेहद मुश्किल लगता है।
  - **नेटवर्क प्रभाव:** मजबूत नेटवर्क प्रभाव के कारण प्लेटफ़ॉर्म आवश्यक और अपरिहार्य हो जाता है।
  - **डेटा और सूचना पर नियंत्रण:** उपयोगकर्ताओं के व्यापक डेटा और जानकारी तक एकाधिकारवादी कंपनी की विशेष पहुंच होती है।
  - **प्रतिस्पर्धा की कमी:** न्यूनतम प्रतिस्पर्धा से एकाधिकारवादी कंपनी कम निगरानी या उपभोक्ता के लिए उपलब्ध कम विकल्पों की स्थिति में शर्तों, कीमतों को निर्धारित कर सकती है।

भारत में डिजिटल इकोसिस्टम का विनियमन

- **प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002:** इसके उद्देश्यों में शामिल हैं- बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और इसे बनाए रखना तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना।
  - **प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023:** इस संशोधन के जरिए हाई-वैल्यू वाले और डेटा के मामले में समृद्ध कंपनियों के विलय/ अधिग्रहण के लिए विलय अधिसूचना संबंधी सीमा

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

डिजिटल एकाधिकार से कौन-से खतरे उत्पन्न हो सकते हैं?

डिजिटल एकाधिकार वाली कंपनियां प्रतिस्पर्धा-रोधी कार्यों (Anti-Competitive Practices - "the ACPs") में शामिल हो सकती हैं। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही, उपभोक्ताओं की पसंद एवं हित भी प्रभावित हो सकते हैं।

- **प्रतिस्पर्धा-रोधी कुछ प्रमुख गतिविधियां निम्नलिखित हैं:**
  - **एंटी-स्टीयरिंग:** इसमें कुछ ऐसी विशिष्ट गतिविधियां अपनाई जाती हैं जो व्यावसायिक यूजर्स और उपभोक्ताओं को किसी अन्य यानी थर्ड पार्टी की सेवा का उपयोग करने से रोका जाता है। उदाहरण के लिए- ऐप स्टोर अपने खुद के पेमेंट सिस्टम का उपयोग करना अनिवार्य कर सकता है।
  - **प्लेटफॉर्म न्यूट्रैलिटी/ सेल्फ-प्रीफेरेंसिंग:** इसके तहत एक डिजिटल एंटरप्राइज अपने प्लेटफॉर्म पर अपने उत्पादों को प्राथमिकता देता है। इससे हित-संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है।
  - **डेटा का उपयोग:** उपभोक्ताओं की पसंद-नापसंद जानने के लिए यानी प्रोफाइलिंग के लिए व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग किया जाता है। इससे व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को टारगेट करने वाली सेवाएं व उत्पाद पेश करने में मदद मिलती है, लेकिन इससे निजता के उल्लंघन का खतरा भी बढ़ जाता है।
  - **मूल्य निर्धारण/ भारी छूट:** इसके तहत प्रतिस्पर्धियों को बाहर करने के लिए प्रिडेटरी प्राइसिंग की नीति अपनाई जाती है या जानबूझकर कीमतों को लागत मूल्य से कम रखा जाता है।

(Merger notification thresholds) और डील वैल्यू पर ऊपरी सीमा तय की गई है। ये डिजिटल एकाधिकार बना सकते हैं।

- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:** यह भारत में डिजिटल इकोसिस्टम के अलग-अलग पहलुओं को प्रशासित करने वाला प्राथमिक कानून है।
    - हालांकि, यह कानून जब बनाया गया था तब इंटरनेट अपने विकास के शुरुआती चरण में था। इसलिए, यह आज की चुनौतियों का समाधान करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है।
- **क्षेत्रक-विशेष नियम:** जैसे- सोशल मीडिया (आई.टी. नियम) और ई-कॉमर्स (उपभोक्ता संरक्षण नियम) आदि।

डिजिटल एकाधिकार को रोकने के लिए भारत की पहलें

प्रस्तावित डिजिटल इंडिया एक्ट (DIA)	डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (Digital Personal Data Protection Act), 2023	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)	नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति का मसौदा

भारत में डिजिटल इकोसिस्टम के विनियमन में सुधार की आवश्यकता क्यों है?

- **विनियामकीय संस्थाओं में सामंजस्य का अभाव:** भारत में डिजिटल इकोसिस्टम **कई विनियामक संस्थाओं** और एजेंसियों द्वारा शासित होता है। इससे संपूर्ण डिजिटल इकोसिस्टम के प्रभावी तरीके से विनियमन में बाधा आती है।
- **विनियामकीय संस्थाओं को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है:** डिजिटल इकोसिस्टम में जटिल मुद्दों की प्रभावी ढंग से निगरानी और समाधान करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों, डेटा विश्लेषण की क्षमताओं, संसाधनों इत्यादि का अभाव है।
- **नवाचार एवं विनियमन में संतुलन:** अत्यधिक प्रतिबंधात्मक नियम डिजिटल इकोसिस्टम के विकास को बाधित कर सकते हैं, जबकि शिथिल नियमों से एकाधिकार को बढ़ावा मिल सकता है।
- **नियमों को लागू करने की चुनौतियां:** चूंकि, डिजिटल कंपनियों का कारोबार एक साथ कई देशों में फैला होता है।

आगे की राह (डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून, 2024 पर गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर)

- **एक्स-एंटे उपायों के साथ एक डिजिटल प्रतिस्पर्धा अधिनियम बनाना चाहिए:** अभी अधिकांश मामलों में प्रतिस्पर्धा रोधी समझौतों या गतिविधियों के सामने आने के बाद जांच की जाती है। इसके बदले में प्रस्तावित कानून में वित्तीय विश्लेषण का एक ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जो ऐसी गतिविधियों या कार्यों का पूर्वानुमान कर सके।
- **प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण डिजिटल मध्यवर्ती (SIDIs) व्यवस्था शुरू करना:** कुछ बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की पहचान करके उन्हें SIDIs के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इनके लिए एक्स-एंटे नियम और दायित्व तय किए जाने चाहिए।
- **विलय पर नियंत्रण की व्यवस्था में सुधार:** विलय संबंधी सौदों को **CCI से मंजूरी अनिवार्य करने के लिए सौदे में शामिल राशि की ऊपरी सीमा तय होनी चाहिए।** विलय का आकलन करते समय सौदे के मूल्य में डेटा और नवाचार जैसे गैर-मूल्य फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना चाहिए।
- **अन्य:** डिजिटल डोमेन में प्रतिस्पर्धा संबंधी चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की संस्थागत क्षमता और विशेषज्ञता को और बढ़ाने की आवश्यकता है; अलग-अलग विनियामक प्राधिकरणों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने पर ध्यान देना चाहिए; अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करने आवश्यकता है।

3.6.6. पेटेंट (Patents)

संदर्भ

हाल ही में, **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** के अंतर्गत आने वाले उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने **पेटेंट (संशोधन) नियम, 2024** अधिसूचित किए हैं।

विश्लेषण

पेटेंट (संशोधन) नियम, 2024 के मुख्य प्रावधान

- **सर्टिफिकेट ऑफ इनवेंटरशिप:** नए 'सर्टिफिकेट ऑफ इनवेंटरशिप' की शुरुआत की गई है। इसके द्वारा **पेटेंट किए गए आविष्कार में इंवेंटर्स के योगदान को चिन्हित** किया जाएगा।
- **समय-सीमा:** नए नियमों के जरिए पेटेंट परीक्षण के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने की समय-सीमा घटा दी गई है। पहले यह सीमा 48 माह थी, अब यह घटाकर 31 माह कर दी गई है।
- **नवीनीकरण शुल्क: पेटेंट नवीनीकरण शुल्क में 10% की कमी** की गई है। हालांकि, शुल्क में कमी का यह लाभ इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कम-से-कम 4 वर्ष की अवधि के लिए अग्रिम भुगतान

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

पेटेंट और पेटेंट संबंधी गवर्नेंस के बारे में

- **पेटेंट संरक्षण** का मतलब है कि पेटेंट मालिक की सहमति के बिना आविष्कार का व्यावसायिक रूप से उत्पादन, उपयोग, वितरण, आयात या बिक्री दूसरों द्वारा नहीं किया जा सकता है।
- पेटेंट **प्रादेशिक अधिकार** के दायरे में आता है, जो केवल उस देश या क्षेत्र में लागू होता है जहां पेटेंट दायर किया गया है और दिया गया है।
- **किसी आविष्कार के पेटेंट योग्य होने के लिए मानदंड:**
    - यह **नया** होना चाहिए।
    - इसमें कोई न कोई **इंवेंटिव स्टेप** अवश्य शामिल होना

करने पर ही दिया जाएगा।

- **पेटेंट के क्रियान्वयन संबंधी विवरण दाखिल करने की आवृत्ति:** इसे प्रत्येक वित्त वर्ष में एक बार से घटाकर प्रत्येक तीन वित्त वर्ष में एक बार कर दिया गया है।

भारत में पेटेंट से जुड़े मुद्दे/ चुनौतियां

- **बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (IPAB) का खत्म होना:** बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) से जुड़े जटिल मुद्दों को संभालने वाले एक विशेष ट्रिब्यूनल को खत्म करने से बौद्धिक संपदा के मामलों में **अपीलों से निपटने में समस्या** आ सकती है।
- **पेटेंट की एवरग्रीनिंग:** इसमें कंपनियां दवा पर **पेटेंट अवधि बढ़ाने के लिए फॉर्मूलेशन में मामूली बदलाव** करती हैं, जिससे और अधिक समय तक दवा पर उनका **एकाधिकार बना रहता है।**
- **अनिवार्य लाइसेंसिंग की अनुमति देना:** इसमें, सरकार किसी अन्य को **पेटेंट धारक की सहमति के बिना** पेटेंट उत्पाद या प्रक्रिया का उपयोग करने की अनुमति देती है या पेटेंट-संरक्षित आविष्कार का खुद इस्तेमाल करने की योजना बनाती है।
  - **ट्रिप्स समझौते** में एक तरह से छूट के तौर पर **अनिवार्य लाइसेंसिंग (Compulsory licensing)** का प्रावधान है।
- **लंबी प्रक्रिया:** चीन और USA में एक आवेदन का निपटारा करने में औसतन 20-21 महीने लगते हैं, जो भारत में लगने वाले समय का लगभग 1/3 है।
- **जनसंख्या के अनुपात में कम पेटेंट फाइलिंग:** भारत ने **प्रति एक मिलियन जनसंख्या पर 34.4 पेटेंट** दर्ज किए, जबकि साउथ कोरिया द्वारा 4,037, जापान द्वारा 2,579 और USA द्वारा 1,806 पेटेंट दर्ज किए गए।

भारत में पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम

- **राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) नीति-2016: इसमें शामिल हैं:**
  - **स्टार्ट-अप्स बौद्धिक संपदा संरक्षण (SIPP)** को सुगम बनाने के लिए एक योजना शुरू की गई है **और IP मित्र।**
  - इसमें कुछ खास श्रेणी के आवेदकों के लिए परीक्षण प्रक्रिया को तेज करने का प्रावधान है, ताकि जल्द-से-जल्द पेटेंट मिल सके। इसमें शामिल हैं:
    - स्टार्ट-अप्स
    - लघु उद्योग
    - महिला इंवेंटर्स
  - **राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (NIPAM):** यह शैक्षणिक संस्थानों में बौद्धिक संपदा संबंधी जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है।
  - **पेटेंट फैसिलिटेशन प्रोग्राम** को नए रूप में तैयार किया गया है, ताकि पेटेंट कराने योग्य आविष्कारों को खोजा जा सके और पेटेंट दाखिल करने तथा प्राप्त करने में पूरी वित्तीय, तकनीकी एवं कानूनी सहायता प्रदान की जा सके।
- **अन्य:**
  - **बौद्धिक संपदा** के क्षेत्र में **उत्कृष्टता केंद्र** की स्थापना की गई है।
  - आवेदनों की प्रोसेसिंग को मैनुअल से कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में बदलाव करते हुए IP कार्यालयों का आधुनिकीकरण किया गया है।
  - **बौद्धिक संपदा** से संबंधित सूचनाओं का बेहतर प्रबंधन किया जा रहा है और मजबूत सार्वजनिक इंटरफेस का निर्माण किया गया है।

चाहिए।

- **औद्योगिक उपयोग** के लायक होना चाहिए।
- यह उन आविष्कारों की श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आना चाहिए, जिन्हें संबंधित क्षेत्राधिकार के तहत पेटेंट के दायरे से बाहर रखा गया है।

पेटेंट का विनियमन

वैश्विक स्तर पर

- **विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO)** पेटेंट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) को नियंत्रित करता है। साथ ही पेरिस कन्वेंशन, पेटेंट सहयोग संधि, बुडापेस्ट संधि आदि सहित इससे संबंधित सम्मेलनों और संधियों को लागू करने का काम-काज देखता है।
  - 1994 में **विश्व व्यापार संगठन (WTO)** के एक समझौते के रूप में **ट्रिप्स** यानी **बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू (TRIPS)** पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह विश्व में बौद्धिक संपदा पर सबसे व्यापक बहुपक्षीय समझौता है।

भारत में

- भारत में, पेटेंट अधिनियम, 1970 के जरिए पेटेंट का विनियमन किया जाता है। **इंडियन पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट, 1911** को निरस्त करने के लिए यह कानून बना था।
  - WTO के **ट्रिप्स (TRIPS) समझौते** का पालन सुनिश्चित करने के लिए उक्त अधिनियम को 2005 में संशोधित किया गया था।
  - इस संशोधन के बाद भारत को प्रक्रिया पेटेंट (Process Patent) से **उत्पाद पेटेंट (Product Patent) की व्यवस्था को अपनाना पड़ा।** इस संशोधन के तहत दवा, कृषि रसायन आदि क्षेत्रों में **प्रोडक्ट पेटेंट** को लागू करना पड़ा।
- पेटेंट अधिनियम, 1970 के अनुसार, **पेटेंट की अवधि 20 वर्ष** होगी।
- वहीं, इस कानून के अनुसार, भारत में कुछ चीजों का पेटेंट **नहीं** कराया जा सकता है, जैसे कि-
  - पौधे या जानवर या उनका कोई भी हिस्सा;
  - बीज, उनकी किस्में और प्रजातियां;
  - पौधों और पशुओं के उत्पादन या प्रवर्धन (Propagation) के लिए अनिवार्य जैविक प्रक्रियाएं, आदि।

निष्कर्ष

किसी देश के आर्थिक विकास में पेटेंट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मजबूत पेटेंट सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए IPAB आदि की पुनः स्थापना जैसी पहलें शुरू की जा सकती हैं। साथ ही, अकादमियों/ संस्थानों तथा औद्योगिक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि देश में पेटेंट दाखिल करने की संख्या में वृद्धि हो सके।

संबंधित तथ्य

अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा (IP) सूचकांक {International Intellectual Property (IP) Index}

- **USA चैम्बर ऑफ कॉमर्स** ने अपने अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का 12वां संस्करण जारी किया है।
  - इस सूचकांक में शीर्ष देश USA, यू.के और फ्रांस हैं।
  - भारत की स्थिति 55 अर्थव्यवस्थाओं में से **42** पर बनी हुई है, जो अपरिवर्तित है।
- यह सूचकांक वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) से अलग है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में से **40वें स्थान पर** है।

ट्रेड सीक्रेट्स और आर्थिक जासूसी (Trade Secrets and Economic Espionage)

- विधि आयोग ने **व्यापार रहस्य यानी ट्रेड सीक्रेट्स और आर्थिक जासूसी** पर अपनी **289वीं रिपोर्ट** प्रकाशित की है।
- **ट्रेड सीक्रेट्स:** ऐसी गोपनीय व्यावसायिक जानकारी जिसे बेचा जा सकता है या जिसका लाइसेंस लिया जा सके, ट्रेड सीक्रेट्स कहलाती है। यह बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) के क्षेत्र में अपेक्षाकृत नया है।
- **आर्थिक जासूसी:** किसी अन्य देश को लाभ पहुंचाने के लिए घरेलू कंपनियों और सरकारी संस्थाओं से गोपनीय जानकारी को जानबूझकर हासिल करने का कार्य आर्थिक जासूसी कहलाता है। यह **आर्थिक, औद्योगिक** या वाणिज्यिक प्रकृति का हो सकता है।
- **ट्रेड सीक्रेट और आर्थिक जासूसी पर कानून बनाने की आवश्यकता क्यों?**
  - सीमा-पार उद्योगों के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सहयोग को सक्षम बनाना।
  - MSMEs और स्टार्ट-अप्स के क्रिएटिव संसाधनों और बौद्धिक पूंजी की रक्षा करना।
  - रक्षा, परमाणु, दूरसंचार आदि जैसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और क्षेत्रों को आर्थिक जासूसी से बचाना।
  - आपसी समन्वय में काम नहीं कर रहे मौजूदा कानूनी ढांचे को मजबूत करने के लिए, ताकि निश्चितता और कानूनों का बेहतर पालन सुनिश्चित हो सके।
- **मुख्य सिफारिशें:**
  - ट्रेड सीक्रेट और आर्थिक जासूसी के लिए अलग-अलग कानून बनाए जाने चाहिए।
    - हालांकि, वाणिज्यिक जासूसी प्रस्तावित ट्रेड सीक्रेट अधिनियम के दायरे में आएगा।
  - ट्रेड सीक्रेट की व्यापक परिभाषा प्रदान करना, ताकि न्यायिक व्याख्या संभव हो सके। इससे उभरते पहलू और उद्योग भी इस कानूनी ढांचे के भीतर फिट हो सकेंगे।
  - व्हिसलब्लोअर (Whistle Blowers), अनिवार्य लाइसेंसिंग और सरकारी उपयोग आदि के लिए अपवाद का प्रावधान होना चाहिए।

ट्रेड सीक्रेट्स और आर्थिक जासूसी पर मौजूदा कानूनी फ्रेमवर्क

- भारत में, ट्रेड सीक्रेट्स के दुरुपयोग की समस्या के समाधान हेतु **कोई एकल कानून नहीं है।**
- **इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 1872** और **स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, 1963** दोनों कानून कॉन्ट्रैक्ट संबंधी मामलों पर लागू होते हैं।
- **भारतीय न्याय संहिता, 2023** में भी इसी तरह के प्रावधान किए गए हैं।

3.6.7. उत्तर-पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण योजना, 2024 (उन्नति 2024) {Uttar Poorva Transformative Industrialization Scheme, 2024 (UNNATI 2024)}

संदर्भ

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने "उत्तर-पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव औद्योगीकरण योजना (उन्नति/ UNNATI), 2024" को मंजूरी प्रदान की।

विश्लेषण

"उन्नति (UNNATI)-2024" के बारे में

- **मंत्रालय:** यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)** के अधीन **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
- **उद्देश्य:** पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में उद्योगों का विकास एवं रोजगार सृजन करना।
- **वित्तीय परिव्यय (Financial Outlay):** उन्नति 2024 की अधिसूचना की तारीख से अगले 10 वर्षों तक के लिए 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के वित्त का प्रावधान किया गया है। साथ ही, इसके लिए **8 वर्ष** की एक प्रतिबद्ध देयता भी शामिल है (इन्फोग्राफिक देखें)।
- **नोडल एजेंसी:** उत्तर-पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड (NEDFi) प्रोत्साहन राशि के वितरण के लिए नोडल एजेंसी होगी।
- **भाग:** इसे दो भागों में बांटा गया है:

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

पूर्वोत्तर भारत में औद्योगीकरण की वर्तमान स्थिति

- **विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs):** पूर्वोत्तर यानी उत्तर-पूर्व क्षेत्र में 5 SEZs को औपचारिक स्वीकृति प्राप्त है, जिनमें से 4 को अधिसूचित किया गया है। हालांकि, **वर्तमान में कोई भी SEZ चालू अवस्था में नहीं** है।
- **स्थानीय या विशिष्ट उद्योग:**
  - **हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग:** यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे बड़ी असंगठित आर्थिक गतिविधियों में से एक है। यह उद्योग **ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण आबादी के लिए रोजगार** सृजित करता है।
  - **बांस उद्योग:** भारत में बांस स्टॉक का लगभग **2/5वां** हिस्सा पूर्वोत्तर क्षेत्र में केंद्रित है।
  - **रबर उद्योग: त्रिपुरा**, रबर का मुख्य उत्पादन केंद्र है। भारतीय रबर बोर्ड ने त्रिपुरा को केरल के बाद **'सेकेंड रबर कैपिटल ऑफ इंडिया'** घोषित किया है।

- **भाग A:** इसके तहत **पात्र इकाइयों को कुल परिव्यय का 97 प्रतिशत तक** प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इसके निम्नलिखित **तीन घटक हैं-**
    - ◊ पूंजी निवेश प्रोत्साहन **(Capital Investment Incentive: CII),**
    - ◊ केंद्रीय ब्याज सहायता **(Central Interest Subvention: CIS), और**
    - ◊ विनिर्माण एवं सेवा-से संबद्ध प्रोत्साहन **(Manufacturing & Services Linked Incentive: MSLI)**
- **भाग B:** इसके तहत योजना के **कार्यान्वयन और संस्थागत व्यवस्था** के लिए कुल परिव्यय का 3 प्रतिशत प्रदान किया जाएगा।

विशेषताएं:

- **पात्रता:** सभी नई औद्योगिक इकाइयां और अपने काम-काज का विस्तार करने वाली इकाइयां संबंधित प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगी।
    - ◊ सभी पात्र औद्योगिक इकाइयों को पंजीकरण की अनुमति के बाद से 4 वर्षों के भीतर उत्पादन या काम-काज (परिचालन) शुरू करना होगा।
- **जिलों को दो क्षेत्रों (Zones) में वर्गीकृत किया गया है:**
    - ◊ जोन A- औद्योगिक रूप से विकसित जिले, और
    - ◊ जोन B- औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले
- **फंड का आवंटन:** भाग A के परिव्यय का **60 प्रतिशत** 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, जबकि **शेष 40% फर्स्ट-इन-फर्स्ट-आउट (FIFO)** आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs): पूर्वोत्तर क्षेत्र में MSMEs की संख्या भारत के कुल MSMEs का केवल 2.98 प्रतिशत है।

कनेक्टिविटी:

- **सड़क कनेक्टिविटी:** पूर्वोत्तर क्षेत्र में **राष्ट्रीय राजमार्ग** की कुल लंबाई 16,125 किलोमीटर के आस-पास है।
- **अंतर्देशीय जलमार्ग (Inland waterways): राष्ट्रीय जलमार्ग-2** पूरी तरह से विकसित हो चुका है। इसका विस्तार ब्रह्मपुत्र नदी पर बांग्लादेश सीमा से असम के सदिया तक है। इसके अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र के 20 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है।
    - ◊ हालांकि, इनमें 18 जलमार्गों का विकास हो पाएगा या नहीं, इसके लिए उचित आकलन का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

अंतर्राष्ट्रीय अवसंरचनात्मक परियोजनाएं: कई अंतर्राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजनाओं को अलग-अलग चरणों में पूरा किया जा चुका है या उन पर काम चल रहा है। इनमें शामिल हैं-

- **भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग**
- **कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट**
- **भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग**
- **बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल मोटर वाहन समझौता (BBIN-MVA)**

कवरेज: इसे **दो सूचियों** में विभाजित किया गया है-

- **नकारात्मक सूची: विनिर्माण क्षेत्रक (गैर-पात्र उद्योग),** और
- **सकारात्मक सूची: सेवा क्षेत्रक (पात्र उद्योग)**

पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई अन्य पहलें

- **पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधान मंत्री विकास पहल (Prime Minister's Development Initiative for North Eastern Region: PM-DevINE):** यह पहल अवसंरचना, सामाजिक विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने और युवाओं एवं महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर पैदा करने हेतु वित्त-पोषण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।
- **उत्तर-पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना (North East Special Infrastructure Development Scheme: NESIDS):** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है। इसे 2017-18 के दौरान मंजूरी दी गई थी और अब इसकी अवधि 2026 तक बढ़ा दी गई है।
- **पूर्वोत्तर परिषद की योजनाएं:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों में वंचित क्षेत्रों, समाज के वंचित/ उपेक्षित वर्गों और पूर्वोत्तर राज्यों में उभरते हुए प्राथमिक क्षेत्रों का विकास करना है।
- **डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन 2022:** इसके तहत डिजिटल महत्व वाले निम्नलिखित आठ क्षेत्रकों की पहचान की गई है-
    1. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर,
    2. डिजिटल सेवाएं,
    3. डिजिटल सशक्तीकरण,
    4. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा,
- **पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (Special Accelerated Road Development programme for North East: SARDP-NE):** सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारतमाला परियोजना के प्रथम चरण के तहत **SARDP-NE** को लागू कर रहा है।

निष्कर्ष

उन्नति (UNNATI), व्यवसायों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके, रोजगार सृजन करके, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज बढ़ाकर एवं घरेलू विनिर्माण व सेवा उद्योग को बढ़ावा देकर भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत व आत्मनिर्भर बनाएगी।

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of **Vision IAS.**

3.6.8. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम- 2024 (Electric Mobility Promotion Scheme- 2024)

संदर्भ

हाल ही में, भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 (EMPS- 2024) शुरू किया है। इसे भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने हेतु बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है।

विश्लेषण

EMPS 2024 के बारे में

- **फंडिंग और अवधि:** यह एक सीमित फंड वाली योजना है। इसमें 4 महीने की अवधि (1 अप्रैल, 2024 से 31 जुलाई, 2024 तक) के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
- **उद्देश्य (Objective):** यह योजना इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (e-2W) और इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (e-3W) को तेजी से अपनाने में मदद करेगी। इससे देश में हरित परिवहन (Green mobility) को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहन (EV) विनिर्माण परिवेश के विकास को भी गति मिलेगी।
  - इस प्रोत्साहन का लाभ केवल उन्हीं वाहनों को दिया जाएगा, जो एडवांस बैटरी से लैस हैं। इससे एडवांस तकनीकों को प्रोत्साहन मिलेगा।
- **घटक (Components):**
  - **सब्सिडी:** इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर के लिए **डिमांड प्रोत्साहन।**
  - **कार्यान्वयन:** इस योजना का कार्यान्वयन IEC गतिविधियों और परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA) द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का भुगतान करके किया जाएगा।

इलेक्ट्रिक व्हीकल के विनिर्माण के लिए अनुकूल परिवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहलें

- **PLI योजनाएं:** भारत में 'ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री' के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव (PLI) स्कीम शुरू की गई है। इसे घरेलू स्तर पर **एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी उत्पादों** के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है।
  - एडवांस केमिस्ट्री सेल (ACC) के विनिर्माण के लिए PLI योजना शुरू की गई है, ताकि देश में बैटरी की कीमतों को कम किया जा सके।
- **फेम इंडिया (FAME India):** फेम इंडिया स्कीम के फेज-II में, फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम (PMP) शुरू किया गया है। इसे घरेलू स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों, उनकी असेंबली/ सब-असेंबली, उनके पुर्जों और उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इससे देश में घरेलू स्तर पर मूल्यवर्धन बढ़ेगा।
- **वस्तु एवं सेवा कर (GST) का युक्तिकरण:**
  - **इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST को 12% से घटाकर 5%** किया गया है।
  - इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए **चार्जर/ चार्जिंग स्टेशनों** पर GST को **18% से घटाकर 5%** किया गया है।
- **'इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए प्रौद्योगिकी मंच** (TPEM)' भारत के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मानकीकरण रोडमैप तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस मंच को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा गठित किया गया है।

3.7. प्रश्नोत्तरी

MCQs

1. परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARC) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही नहीं है?

a) ये वित्तीय संस्थान हैं जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की खरीद करते हैं।

b) इन्हें पहली बार 1991 में नरसिम्हम समिति - I द्वारा प्रस्तावित किया गया था।

c) ARC के लिए अधिग्रहण के 8 वर्षों के भीतर परिसंपत्तियों का निपटान करना आवश्यक है।

d) 2002 के SARFAESI अधिनियम में ARC के पंजीकरण और विनियमन की परिकल्पना की गई थी।

2. राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. परिसंपत्ति मुद्रीकरण (AM) का विचार पहली बार 2012 में अर्थशास्त्री विजय केलकर की अगुवाई वाली समिति द्वारा सुझाया गया था।
2. इसका उद्देश्य केंद्र सरकार की ब्राउनफील्ड अवसंरचना परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करना है।
3. सड़क और रेलवे NMP में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाला क्षेत्रक हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

a) केवल 1 और 2

b) केवल 2 और 3

c) केवल 1 और 3

d) 1, 2 और 3

3. हाल ही में सुर्ख़ियों में रहे बेसल III मानदंड मुख्य रूप से किससे संबंधित हैं?

a) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विनियमन

b) जलवायु परिवर्तन शमन

c) बैंकिंग क्षेत्रक विनियमन

d) बौद्धिक संपदा अधिकार

4. अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (APA) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. APA अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन आर्म्स लेंथ प्राइस (ALP) निर्धारित करने में मदद करता है।
2. यह हस्तांतरण मूल्य निर्धारण के क्षेत्र में करदाताओं को निश्चितता प्रदान करता है
3. विदेशी संस्थाओं के लिए APA प्रक्रिया अनिवार्य है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

a) केवल 1 और 2

b) केवल 2 और 3

c) केवल 1 और 3

d) 1, 2 और 3

5. 'प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

2. यह योजना उन किसानों के लिए अनिवार्य है जिन्होंने कृषि ऋण लिया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1, न ही 2

प्रश्न

1. भारत में बढ़ती आय और संपत्ति असमानता के पीछे के कारणों पर प्रकाश डालिए। इन असमानताओं को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? संपत्ति असमानता को कम करने में विरासत कर की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए? (250 शब्द)
2. कृषि निर्यात नीति (AEP) 2018 का उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना है। इस संबंध में सरकार की विभिन्न रणनीतियों और नई कृषि निर्यात नीति की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। (150 शब्द)

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
A.I.T.S
GS PRELIMS TEST SERIES 2025
ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, अभ्यास और मेंटरिंग के साथ बेहतर प्रदर्शन के लिए एक इनोवेटिव मूल्यांकन प्रणाली
30 टेस्ट
5 फंडामेंटल टेस्ट | 15 एप्लाइड टेस्ट
10 फुल लेंथ टेस्ट
ENGLISH MEDIUM 2025: 3 NOVEMBER
हिन्दी माध्यम 2025: 3 नवंबर

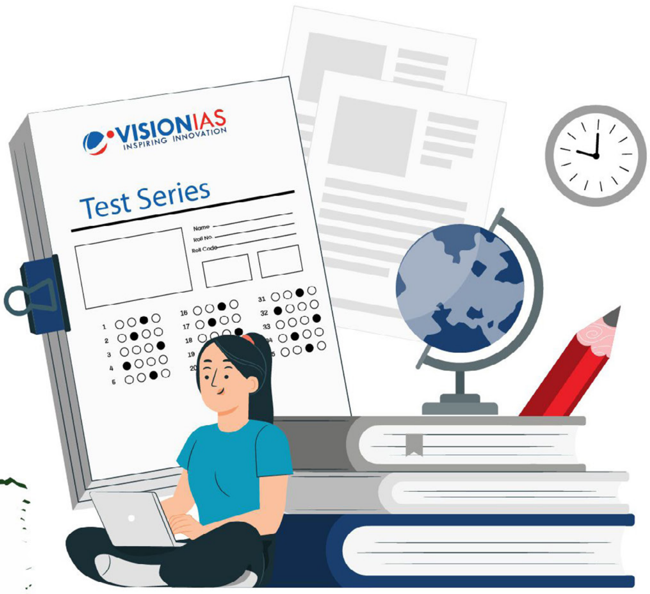

सुरक्षा (Security)

विषय-सूची

4.1. भारत का रक्षा निर्यात. 107
4.2. रक्षा क्षेत्रक में प्रौद्योगिकी अंगीकरण 109
4.3. पनडुब्बियां और पनडुब्बी-रोधी युद्ध 111
4.4. अंतरिक्ष का सशस्त्रीकरण 113
4.5. वामपंथी उग्रवाद 115
4.6. सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम 117
4.7. ऑनलाइन कट्टरतावाद से जुड़ी चिंताएं 119
4.8. साइबर खतरे और वित्तीय क्षेत्रक 121
4.9. वर्चुअल परिसंपत्तियां और आतंकवाद का वित्त-पोषण 123
4.10. सुर्ख़ियों में रहे युद्ध-अभ्यास 124
4.11. प्रश्नोत्तरी 125

4.1. भारत का रक्षा निर्यात (INDIA'S DEFENCE EXPORTS)

संदर्भ

हाल ही में, भारत ने **फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल** की पहली खेप सौंपी।

- हालिया वर्षों में **सेशेल्स, मालदीव, मॉरीशस और इक्वाडोर जैसे देशों में भारत के रक्षा निर्यात में लगातार वृद्धि** देखी गई है।

विश्लेषण

भारत के रक्षा निर्यात में वृद्धि के कारण

- **वित्तीय प्रोत्साहन:**
  - **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा में वृद्धि:**
    - नए रक्षा औद्योगिक लाइसेंस की मांग करने वाली कंपनियों के लिए **स्वचालित मार्ग के माध्यम से 74 प्रतिशत** तक FDI की अनुमति दी गई है।
    - जहां भी **आधुनिक प्रौद्योगिकी** तक पहुंच प्राप्त होने की संभावना है, वहां **सरकारी मार्ग से 100 प्रतिशत तक** FDI की अनुमति दी गई है।
- **स्वदेशी रक्षा उद्योग को बजट सहायता:** वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा पूंजीगत खरीद बजट का 75% घरेलू उद्योग के लिए आवंटित किया गया।
- **व्यापार करने में आसानी:** सरलीकृत रक्षा औद्योगिक लाइसेंसिंग, निर्यात की मंजूरी प्राप्त करने और प्रोसेसिंग के लिए एंड-टू-एंड ऑनलाइन पोर्टल।
- **विदेशी उपकरण विनिर्माताओं पर निर्भरता में कमी:** उदाहरण के लिए- अक्टूबर, 2023 में 5वीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची की घोषणा की गई थी।
- **अवसंरचना:** उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में स्थापित रक्षा औद्योगिक गलियारों ने बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित किया है।
- **विदेश मंत्रालय की भूमिका:** उदाहरण के लिए, अफ्रीकी देशों को भारत से रक्षा उत्पाद आयात करने के लिए ऋण (लाइन ऑफ क्रेडिट) उपलब्ध कराना।

भारत के रक्षा निर्यात में चुनौतियां

- **अनुसंधान एवं विकास के लिए अपर्याप्त व्यय:** भारत अनुसंधान एवं विकास पर कुल रक्षा बजट व्यय के हिस्से का 1 प्रतिशत से भी कम खर्च करता है।
  - वहीं, **चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका** अनुसंधान एवं विकास पर कुल रक्षा बजट व्यय के हिस्से का क्रमशः **20 प्रतिशत और 12 प्रतिशत** खर्च करते हैं।
- **सीमित बजट:** वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रक्षा क्षेत्रक के लिए बजट आवंटन **सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.9 प्रतिशत** है।
- **विश्वसनीयता संबंधी समस्याएं:** स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के अनुसार, 2019 से 2023 तक **भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक** देश रहा है।
- **रक्षा क्षेत्रक के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (DPSUs) पर अत्यधिक निर्भरता:** इससे आपूर्ति पर एकाधिकार स्थापित हो जाता है। साथ ही, इससे रक्षा नवाचार और औद्योगिक इकोसिस्टम में निजी क्षेत्र को एकीकृत करने में बाधा उत्पन्न होती है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में

- इसे **ब्रह्मोस एयरोस्पेस** ने विकसित किया है। ब्रह्मोस एयरोस्पेस **रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और रूस के NPO मशीनोस्ट्रोयेनिया** के बीच एक संयुक्त उपक्रम है।
  - इसका नाम **ब्रह्मपुत्र (भारत) और मोस्कवा (रूस) नदियों** के नाम पर रखा गया है।
- **यह दो चरणों वाली मिसाइल है:**
  - **प्रथम चरण:** इसमें एक **ठोस प्रणोदक बूस्टर इंजन** है। यह इंजन मिसाइल को **सुपरसोनिक गति** प्रदान करता है और उसके बाद अलग हो जाता है।
  - **दूसरा चरण:** इसमें एक **लिक्विड रैमजेट** है। यह रैमजेट क्रूज स्टेज में मिसाइल की गति को **3 मैक तक पहुंचा** देता है।
- **फ्लाइट रेंज:** इसकी सुपरसोनिक गति **290 किलोमीटर** तक है।
- यह मिसाइल **सतह, समुद्र, समुद्र की सतह के नीचे (sub-sea) और वायु से सतह एवं समुद्र-आधारित लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है।**

ब्रह्मोस मिसाइल की खास विशेषताएं

- इसे कई मिसाइल लॉन्च प्लेटफार्मों से दागने के लिए डिज़ाइन किया गया है
- यह "दागो और भूल जाओ" सिद्धांत पर कार्य करती है
- यह पूरी उड़ान के दौरान उच्च सुपरसोनिक गति बनाए रखती है
- यह अलग-अलग ऊंचाइयों पर उड़ान भरने में सक्षम तथा दूर तक मार करने वाली मिसाइल है
- रडार द्वारा इसे पकड़े जाने की संभावना भी कम होती है
- यह उच्च सटीकता के साथ हमला करने और अत्यधिक प्रबल गतिज ऊर्जा के कारण काफी घातक मिसाइल बन जाती है
- इसकी अत्यधिक तीव्र गति के चलते टारगेट को बचने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है और टारगेट नष्ट हो जाता है

रक्षा निर्यात में वृद्धि से होने वाले लाभ

- **एक रणनीतिक साधन के रूप में रक्षा निर्यात:** रक्षा निर्यात में वृद्धि होने से भारत की अपने भागीदार देशों के साथ **कूटनीतिक प्रभावशीलता और रणनीतिक साझेदारी का दायरा बढ़ता है।**
- **रक्षा निर्यात का उच्च मूल्य होने के कारण यह निम्नलिखित आर्थिक लाभ प्रदान करता है:**
  - इससे **विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि** होती है।
  - **उच्च कौशल वाले रोजगार के अवसर** पैदा होते हैं।
  - घरेलू रक्षा विनिर्माण के लिए **नए बाजार के अवसर** उत्पन्न होते हैं।
- **अन्य लाभ:**
  - निजी भागीदारों को शामिल करने से **रक्षा क्षेत्रक में अनुसंधान एवं विकास का आधार मजबूत** होगा।
  - **राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत** करेगा।
  - **रक्षा क्षेत्रक के स्वदेशीकरण से आत्मनिर्भरता** प्राप्त की जा सकती है।

भारत के रक्षा निर्यात की वर्तमान स्थिति (वित्त वर्ष 2023-24)

- भारत विश्व के **शीर्ष 25 हथियार निर्यातकों** में शामिल है (आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार)।
- **योगदान:**
  - निजी क्षेत्रक ने **रक्षा निर्यात में लगभग 60% का योगदान** दिया है।
  - रक्षा निर्यात का लगभग **40%** सार्वजनिक क्षेत्रक के रक्षा उपक्रमों (DPSUs) के माध्यम से किया गया।
- वित्त वर्ष 2023-24 में **रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपये** (लगभग 2.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का किया गया। **भारत का लक्ष्य 2024-25 तक रक्षा निर्यात को 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है।**

आगे की राह

- सभी हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करने, योजनाओं को कार्यान्वित करने और रक्षा निर्यात के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए **सिंगल पॉइंट एजेंसी की स्थापना** करनी चाहिए।
- अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करके और प्रमाणन प्राप्त करके भारतीय रक्षा उत्पादों की वैश्विक विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए **गुणवत्ता आश्वासन एवं मानकीकरण** सुनिश्चित करना चाहिए।
  - प्रतिस्पर्धी, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण विनिर्माण इकोसिस्टम बनाने का प्रयास करने वाली **MSME सस्टेनेबल (ZED) प्रमाणन योजनाओं** का लाभ उठाया जा सकता है।
- अपने रक्षा उत्पादों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता के बारे में नकारात्मक धारणाओं को बदलने के लिए **अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग में निवेश करना चाहिए।**
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना:** निजी कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान करके, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुगम बनाकर और संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देकर निजी क्षेत्र की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।
- पिनाका, आकाश, ध्रुव जैसे **उच्च मूल्य वाले हथियारों के निर्यात सौदों को सुनिश्चित** करने के लिए प्रोत्साहन की पेशकश करनी चाहिए, जैसे कि-लाइन ऑफ़ क्रेडिट, गवर्नमेंट टू गवर्मेंट रूट आदि।

4.2. रक्षा क्षेत्रक में प्रौद्योगिकी अंगीकरण (TECHNOLOGY ABSORPTION IN DEFENCE)

संदर्भ

इंडियन आर्मी 2024 को **"ईयर ऑफ़ टेक्नोलॉजी अब्सॉर्प्शन"** के रूप में मना रही है।

विश्लेषण

भारत के लिए रक्षा क्षेत्रक में प्रौद्योगिकी अंगीकरण की आवश्यकता क्यों है?

- **हाइब्रिड युद्ध का उदय:** इससे नए खतरों का उदय हो रहा है (इन्फोग्राफिक देखें)।
- **सैन्य श्रेष्ठता को बनाए रखना:** संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसी शक्तियां अपनी सेना में विघटनकारी प्रौद्योगिकियों के समावेशन को बढ़ाती जा रही हैं।
- **क्षेत्रीय सुरक्षा को बनाए रखना:** यह भारत की 'समग्र सुरक्षा प्रदाता' के रूप में स्थिति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, भारत के लिए क्षेत्र में अपने वैध सुरक्षा हितों को सुरक्षित रखने हेतु मजबूत तकनीकी क्षमता आवश्यक है।
- **रक्षा बलों की संचालन क्षमता में वृद्धि:** अलग-अलग तकनीकों को अपनाने से सैनिकों को अलग-अलग सामरिक कार्रवाइयों में शामिल करने में भी मदद मिल सकती है।
- **रक्षा उत्पादन और निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करना:** भारत सरकार ने **2028-29 तक 3 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपये का रक्षा निर्यात** करने की आशा व्यक्त की है।

रक्षा क्षेत्रक में प्रौद्योगिकी को अपनाने में आने वाली चुनौतियां

- **रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट पर कम खर्च:** रक्षा रिपोर्ट पर संसदीय स्थायी समिति (2023-24) के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास पर वास्तविक व्यय 18,669.66 करोड़ रुपये किया गया था। हालांकि, बजट में अनुमानित आवंटन 20,757.44 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था।
- **रक्षा बजट पर अत्यधिक व्यय का दबाव:** अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों की **खरीद और विकास में अत्यधिक शुरुआती लागत** के कारण रक्षा बजट पर दबाव पड़ता है।
- **आयात निर्भरता:** भारत एडवांस हथियारों के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भर है।
- **नई प्रौद्योगिकियों के एकीकरण में जटिलताएं:** नए रक्षा उपकरणों को मौजूदा रक्षा रणनीतियों में समेकित करना मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि रक्षा रणनीतियों के अप्रचलन तथा उपकरणों की लंबी सेवा अवधि एवं सुसंगतता संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं।
- **प्रशासनिक मुद्दे:** समय-समय पर संगठनात्मक पुनर्गठन, बेहतर मानव संसाधन प्रबंधन, असैन्य-सैन्य एकीकरण आदि की आवश्यकता पड़ती रहती है।
- **साइबर सुरक्षा संबंधी सुभेद्यताएं:** साइबर और संचार उपकरणों के लिए घरेलू विनिर्माण क्षमताएं अपर्याप्त हैं। इसके कारण संचार उपकरणों के आयात पर अत्यधिक निर्भरता होती है।

प्रौद्योगिकी अंगीकरण के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम

- **एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नॉलजिस विद iDEX (ADITI) योजना:** यह योजना 2024 में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अंगीकरण

- इसका अर्थ है मौजूदा संरचनाओं में **प्रौद्योगिकियों की खरीद, अनुकूलन और एकीकरण** करना। ज्ञातव्य है कि मौजूदा संरचनाओं को **विरासत प्रणालियां** (Legacy systems) भी कहा जाता है।
- वर्तमान समय में, प्रौद्योगिकियों को अपनाना **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), हाइपरसोनिक हथियार, जैव प्रौद्योगिकी, क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसी विघटनकारी प्रौद्योगिकियों (Disruptive technologies) का समेकन** करने के समानार्थी है।

विभिन्न प्रकार के युद्ध के उभरते क्षेत्र

- **इन्फार्मेशन यानी सूचना युद्ध:** आक्रामक या रक्षात्मक रणनीतियों में लाभ हासिल करने के लिए सूचना का प्रबंधन और उपयोग।
  - उदाहरण के लिए- डीप फेक टेक्नोलॉजी, नैरेटिव वॉरफेयर
- **इलेक्ट्रानिक युद्ध:** विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के उपयोग से दुश्मन के सुरक्षा घेरे को बाधित करने और अपनी रक्षा करने की क्षमता को बढ़ाने हेतु।
  - उदाहरण के लिए- डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम
- **अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण:** अंतरिक्ष में विनाशकारी क्षमताओं वाले उपकरणों या हथियारों को स्थापित करना।
  - उदाहरण के लिए- एंटी सैटेलाइट हथियारों का विकास
- **साइबर युद्ध:** इसके तहत वित्तीय प्रणालियों, एनर्जी ग्रिड आदि को अस्थिर करने हेतु सूचना प्रणाली पर हमला करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है।

रक्षा क्षेत्रक में प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल

- **स्वायत्त प्रौद्योगिकियां, जैसे- रोबोट और ड्रोन: बार-बार दोहराए जाने वाले कार्य या हमला करने** जैसे खतरनाक कार्य करना।
- **ब्लॉक चेन, क्लाउड कंप्यूटिंग: संचार और डेटा ट्रांसफर** को निर्बाध, सुरक्षित एवं तेज बनाना।
- **AI और बिग डेटा एनालिटिक्स:** निगरानी, टोही और सिचुएशनल अवेयरनेस को बेहतर करने के लिए।
- **नैनो-टेक्नोलॉजी:** सेल्फ रिपेयर होने और आप-पास के परिवेश में घुलमिल जाने वाले मटेरियल, स्मार्ट स्किन आदि का निर्माण करने में।
- **नई हथियार तकनीक**
  - **डायरेक्टेड एनर्जी वेपन (उच्च ऊर्जा शक्ति वाली लेजर और उच्च शक्ति वाली माइक्रोवेव संपन्न प्रणाली):** इसमें किसी लक्ष्य को नष्ट करने या बेअसर करने के लिए अत्यधिक शक्तिशाली लेजर और माइक्रोवेव का उपयोग किया जाता है।
  - **लोइटर मुनिशन (उदाहरण- कामिकेज़ ड्रोन):** इन्हें सुसाइड ड्रोन भी कहते हैं। इन पर हथियार लगे होते हैं और टारगेट पर क्रैश लैंडिंग कर उसे नष्ट कर देते हैं।

रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसी प्रौद्योगिकियों के तीव्र विकास को सुविधाजनक बनाना है, जो संवेदनशील व नवोन्मेषी हों।

- **रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020 में संशोधन (2022):** इस संशोधन के जरिये यह निर्धारित किया गया है कि रक्षा सेवाओं और भारतीय तटरक्षक बल की **आधुनिकीकरण से संबंधित सभी आवश्यकताओं की पूर्ति घरेलू स्तर पर ही** की जाएगी, भले ही खरीद की प्रकृति कैसी भी हो।
- **प्रौद्योगिकी केंद्रित संगठनात्मक फ्रेमवर्क:** इसे **रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO),** जैसी संस्थाओं के प्रयासों को समकालिक बनाकर निर्मित किया गया है।
- **सिग्नल टेक्नोलॉजी इवैल्यूशन एंड एडॉप्शन ग्रुप (STEAG):** यह **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, 6G नेटवर्क** जैसी भविष्य की संचार प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और मूल्यांकन करने वाली अपनी तरह की पहली इकाई है।
- **भारतीय नौसेना स्वदेशीकरण योजना (2015-2030):** यह योजना अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए डोमेन और प्रौद्योगिकियों की पहचान करती है।
- **प्रोजेक्ट आकाशतीर:** इसे भारतीय थल सेना ने **स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली** के रूप में शामिल किया है।

आगे की राह

- **प्रोफेसर के. विजय राघवन समिति** की सिफारिशों को लागू करना चाहिए। **इन सिफारिशों में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - **रक्षा विज्ञान व प्रौद्योगिकी और नवाचार विभाग की स्थापना** करनी चाहिए।
  - **रक्षा प्रौद्योगिकी परिषद** की स्थापना करनी चाहिए।
  - DRDO की प्रयोगशालाओं के स्थान पर **राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला सुविधाओं** की स्थापना करनी चाहिए।
- **विनियामकीय और खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना चाहिए:** इसके लिए दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं को सरल बनाना और प्रोसेसिंग के समय को कम करना चाहिए।
- **लागत के स्थान पर प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता देनी चाहिए:** इससे एडवांस्ड और विशिष्ट प्रौद्योगिकियों के चयन को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
- **रक्षा उपकरणों के विनिर्माण में निजी क्षेत्रक की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए:** ऐसा लाइसेंसिंग और विनियामकीय प्रक्रियाओं को सरल बनाकर, समान अवसर प्रदान करके और प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करके किया जा सकता है।
- **विशेषज्ञ अधिकारियों और साइबर विशेषज्ञों जैसे विशेष कैडर का निर्माण करना चाहिए:** ऐसा विशिष्ट प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करके सिविल-सैन्य सहयोग के माध्यम से किया जा सकता है।

4.3. पनडुब्बियां और पनडुब्बी-रोधी युद्ध (SUBMARINES AND ANTI-SUBMARINE WARFARE)

संदर्भ

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने **सुपरसोनिक मिसाइल-असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉरपीडो (SMART) प्रणाली** का सफलतापूर्वक उड़ान-परीक्षण किया।

विश्लेषण

पनडुब्बियों के बारे में

- पनडुब्बी एक ऐसा पोत या जहाज होता है, जो जल के अंदर जा सकता है। सैन्य बल और वैज्ञानिक पनडुब्बियों का समुद्र की गहराइयों में यात्रा करने के लिए उपयोग करते हैं। किसी पोत के विपरीत, **पनडुब्बी पानी में आपने आप को नियंत्रित** कर सकती है। इससे वह अपने स्व: नियंत्रण में समुद्र में डूब सकती है और सतह पर आ सकती है।

पनडुब्बियों का महत्त्व:

- **राष्ट्रीय रक्षा:** पनडुब्बियां शांत होती हैं और इनका पता लगाना काफी कठिन होता है। ये गहरे समुद्र में महीनों तक परिचालन करने में सक्षम होती हैं। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण रक्षा और हमले की क्षमताओं को सक्षम बनाती हैं।
- **घातक क्षमताएं:** पनडुब्बियां बंदरगाहों व पोत परिवहन मार्गों पर माइंस बिछाने में मदद कर सकती हैं तथा जल सतह के जहाजों को निशाना बनाने के लिए टॉरपीडो जैसे घातक हथियारों से लैस हो सकती हैं। पनडुब्बियां अपना कार्य बहुत शांत व गुप्त तरीके से संपन्न करती हैं।
- **सामरिक लाभ:** पनडुब्बियां शत्रु सेना की गतिविधियों के संबंध में आसूचना एकत्रित करने, इस संबंध में अग्रिम चेतावनी जारी करने और उनके खिलाफ अवरोधक के रूप में कार्य करने में सक्षम होती हैं।
- **परमाणु प्रतिरोध:** किसी संघर्ष की स्थिति में जहां एक प्रतिद्वंदी (दुश्मन सेना) द्वारा भूमि और वायु आधारित परिसंपत्तियों पर पहले परमाणु हमला किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में **पनडुब्बियों के माध्यम से जवाबी परमाणु हमला** किया जा सकता है।

भारत की पनडुब्बियों का बेड़ा

- **डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां:** इसमें शामिल हैं- कलवरी श्रेणी, सिंधुघोष श्रेणी, शिशुमार श्रेणी।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

SMART प्रणाली के बारे में

- SMART प्रणाली अगली पीढ़ी की **मिसाइल-आधारित हल्के वजन वाली टारपीडो डिलीवरी प्रणाली** है। इसका उद्देश्य भारतीय नौसेना की **पनडुब्बी-रोधी युद्ध (ASW)** क्षमता को बढ़ाना है।
- यह **पेलोड के रूप में एडवांस्ड हल्के वजन वाले टारपीडो** को भी ले जाने में सक्षम है।
- टॉरपीडो एक **स्व-चालित हथियार** होता है। यह लक्ष्य को भेदने के लिए जल के भीतर गमन करता है।
- इसे **DRDO ने डिजाइन और विकसित** किया है।

भारत की पनडुब्बी-रोधी युद्ध (ASW) क्षमताएं

- **कामोर्टा श्रेणी के जहाज:** भारत के पास चार कामोर्टा-श्रेणी के कॉर्वेट (जंगी जहाज) हैं। इनके नाम हैं- **INS कामोर्टा, INS कदमत्त, INS किल्टन और INS कवरत्ती।** इन्हें **प्रोजेक्ट 28** के तहत निर्मित किया गया है।
- **इंटीग्रेटेड ASW डिफेन्स सूट्स (IADSs):** IADSs में अत्यधिक दूरी से भी **दुश्मन की पनडुब्बियों और टॉरपीडो का पता लगाने की क्षमता है।** इसके अलावा, ये दुश्मन की पनडुब्बियों द्वारा दागे गए टॉरपीडो का मार्ग बदलने की एकीकृत क्षमता से भी युक्त हैं।
- **समुद्री गश्ती और टोही विमान (Reconnaissance aircraft):** भारत में **12 बोइंग P-8I (पोसायडन/ Poseidon)** परिचालनरत हैं। भारत ने इन्हें **संयुक्त राज्य अमेरिका** से ASW क्षमताओं को बढ़ाने के लिए खरीदा था।
- **ASW हेलीकॉप्टर:** भारतीय नौसेना ने नए शामिल किए गए **MH-60R सीहॉक मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर्स** की पहली स्क्वाड्रन का परिचालन शुरू कर दिया है।

- **वायु स्वतंत्र प्रणोदन (Air Independent Propulsion: AIP) पनडुब्बियां:** ये डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां ही होती हैं, लेकिन इनमें एक सेकेंडरी पावर प्लांट होता है। ये पोत पर मौजूद उपभोग्य सामग्रियों/ ईंधन का उपयोग करके जल के नीचे परिचालन कर सकती हैं। AIP प्रणाली **डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी की घातकता को काफी बढ़ा देती है,** क्योंकि यह पनडुब्बी की जलमग्न रहने की क्षमता में कई गुना वृद्धि कर देती है।
- **परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियां:** इसमें INS अरिहंत (परिचालन में), INS अरिघाट (एडवांस समुद्री परीक्षण में) और अकुला क्लास (रूस के साथ समझौता हस्ताक्षरित) शामिल हैं।

भारत की पनडुब्बी क्षमताओं के समक्ष आने वाली चुनौतियां

- **चीन से जुड़ी चुनौती:** चीन हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक उपस्थिति बढ़ा रहा है। इसके विस्तार में सहायता करने के लिए उसके पास 78 पनडुब्बियों का एक बड़ा बेड़ा है।
  - चीन पाकिस्तान को डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां प्राप्त करने में भी मदद कर रहा है।
- **संसाधन संबंधी समस्याएं:** वर्तमान में भारत के पास केवल 16 पनडुब्बियां हैं। **संसाधनों का सीमित आवंटन और आवश्यकता का प्राथमिकीकरण इन पनडुब्बियों की सीमित संख्या के पीछे जिम्मेदार कारक हैं।**
- **अप्रचलित प्रणालियां:** कुछ पनडुब्बियों, हवाई परिसंपत्तियों और कॉर्वेट्स को महत्वपूर्ण रूप से अपग्रेड करने की आवश्यकता है।
  - ASW के लिए **नए युग की तकनीकों** का उदय हो रहा है। जैसे- **गैर-ध्वनिक (Non-Acoustic) ASW**

- ◊ गैर-ध्वनिक ASW में उपग्रहों के माध्यम से पनडुब्बियों का पता लगाया जाता है।
- ◊ गैर-ध्वनिक पनडुब्बी पहचान प्रौद्योगिकी के तहत अवस्थिति का पता लगाने के लिए **जलमग्न पोत द्वारा उत्सर्जित या परावर्तित ध्वनि तरंगों के संग्रह पर निर्भर नहीं रहा जाता है।**

आगे की राह

- **नए निवेश:** भारतीय नौसेना को इमेजिंग, सेंसिंग व नेविगेशन; AIP सिस्टम; गहरे समुद्र में स्वायत्त पोतों जैसे विशेष अंडरवॉटर वारफेयर डोमेन्स में निवेश करना जारी रखना चाहिए।
- **स्वदेशी विकास:** DRDO और अन्य रक्षा अनुसंधान संगठनों को भारतीय रक्षा उद्योग के सहयोग से स्वदेशी हथियार प्रणालियों और नौसेना परिसंपत्तियों का विकास जारी रखना चाहिए।
- **सहयोग:** भारतीय नौसेना को अपनी ASW क्षमताओं को बढ़ाने और अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए हिंद महासागर के अन्य तटीय देशों के साथ सहयोग जारी रखना चाहिए।

Lakshya
UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा 2025 के लिए रणनीतिक रिवीजन, प्रैक्टिस और परामर्श हेतु 9 माह का कार्यक्रम)
लक्ष्य प्रीलिम्स और मेन्स इंटीग्रेटेड मेंटरिंग प्रोग्राम 2025
7 नवंबर 2024

- जीएस प्रीलिम्स और मेन्स के लिए रिवीजन और प्रैक्टिस हेतु 9.5 महीने की रणनीतिक योजना।
- यूपीएससी प्रीलिम्स और मेन्स के सिलेबस का संपूर्ण कवरेज।
- सीनियर मेंटर्स की अत्यधिक अनुभवी और योग्य टीम द्वारा मार्गदर्शन।
- प्रीलिम्स और मेन्स के लिए अधिक स्कोरिंग क्षमता वाले विषयों पर बल।
- ठोस प्रैक्टिस के माध्यम से करेंट अफेयर्स और सीसैट की तैयारी पर ध्यान।
- लक्ष्य प्रीलिम्स प्रैक्टिस टेस्ट (LPPT) और लक्ष्य मेन्स प्रैक्टिस टेस्ट (LMPT) की उपलब्धता।
- 15000+ प्रश्नों के व्यापक संग्रह के साथ संधान पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज।

- बेहतर उत्तर लेखन कौशल का विकास।
- प्रीलिम्स और मेन्स दोनों के लिए विषय–वार रणनीतिक डॉक्यूमेंट और स्मार्ट कंटेंट।
- निबंध और नीतिशास्त्र के प्रश्नपत्र पर विशेष बल।
- ग्रुप और व्यक्तिगत परामर्श सत्र।
- लाइव प्रैक्टिस, साथी अभ्यर्थियों के साथ डिस्कशन और स्ट्रेटजी पर चर्चा।
- नियमित मूल्यांकन, निगरानी और प्रदर्शन में सुधार।
- आत्मविश्वास निर्माण और मनोवैज्ञानिक रूप से तैयारी पर बल।
- टॉपर्स, नौकरशाहों और शिक्षाविदों के साथ इंटरैक्टिव सत्र।

WWW.VISIONIAS.IN 8468022022
ENQUIRY@VISIONIAS.IN /VISION_IAS WWW.VISIONIAS.IN /C/VISIIONIASDELHI VISION_IAS /VISIONIAS_UPSC

4.4. अंतरिक्ष का सशस्त्रीकरण (WEAPONIZATION OF SPACE)

संदर्भ

रूस ने **बाह्य अंतरिक्ष को हथियार मुक्त रखने** संबंधी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में पेश किए गए **ड्राफ्ट रेजोल्यूशन (यानी मसौदा संकल्प) के खिलाफ वीटो** का इस्तेमाल किया। यह रेजोल्यूशन/ संकल्प **संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान** ने संयुक्त रूप से प्रस्तावित किया था।

- रूस के अनुसार उसने इस संकल्प को इसलिए वीटो किया है, क्योंकि यह **केवल व्यापक विनाश के हथियारों** (विशेषकर परमाणु हथियारों) पर केंद्रित है। इसमें **अन्य हथियारों को अंतरिक्ष में तैनात नहीं** करने संबंधी प्रावधान नहीं किया गया है।

विश्लेषण

UNSC के इस हालिया ड्राफ्ट रेजोल्यूशन (संकल्प) के बारे में

- वीटो किए गए संकल्प में यह पुष्टि की गई है कि **1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि का अनुमोदन करने वाले देशों** को निम्नलिखित का पालन करना होगा:
  - इन देशों को अपने इस दायित्व का अनुपालन करना होगा कि वे **"व्यापक विनाश के हथियारों से युक्त किसी भी ऑब्जेक्ट" को पृथ्वी की निकटवर्ती कक्षा में स्थापित नहीं करेंगे,** अथवा;
  - ऐसे हथियारों वाले ऑब्जेक्ट को **किसी भी खगोलीय पिंड पर तैनात नहीं करेंगे,** अथवा;
  - ऐसे हथियारों वाले ऑब्जेक्ट को **बाह्य अंतरिक्ष में तैनात नहीं** करेंगे।

अंतरिक्ष के सशस्त्रीकरण के बारे में

- अंतरिक्ष के सशस्त्रीकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है, जिसके जरिए **अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती** की जाती है। इन हथियारों का उपयोग **पृथ्वी की कक्षा में या पृथ्वी की सतह पर लक्ष्यों को नष्ट** करने के लिए किया जा सकता है।
- दूसरी ओर, **बाह्य अंतरिक्ष के सैन्यीकरण (Militarisation)** का अर्थ है- स्थल, समुद्र और वायु आधारित सैन्य अभियानों के लिए अंतरिक्ष का उपयोग करना।

अंतरिक्ष के सशस्त्रीकरण से उभरती चुनौतियां

- **हथियारों की स्पर्धा और प्रतिरोध:** अमेरिका, चीन और रूस जैसी प्रमुख शक्तियों के पास अब अंतरिक्ष अभियानों में विशेषज्ञता प्राप्त अपनी-अपनी सैन्य इकाइयां हैं। इससे यह पता चलता है कि अंतरिक्ष एक नया युद्धक्षेत्र बन गया है।
- **मलबा और जमाव:** स्पेस वॉर के परिणामस्वरूप अंतरिक्ष मलबे का अवांछित प्रसार हो सकता है। इसका अंतरिक्ष के पर्यावरण पर अपरिवर्तनीय प्रभाव पड़ सकता है।
- **दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियां:** अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान, लघु उपग्रह, GPS ट्रैकर, सक्रिय मलबा हटाने की प्रणाली जैसी कई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियां असैन्य और सैन्य दोनों, क्षेत्रकों में इस्तेमाल की जाती हैं। इससे इनमें से किस प्रौद्योगिकी का अंतरिक्ष क्षेत्रक में सैन्य या असैन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है, यह विभाजन अस्पष्ट हो जाता है।
- **अप्रचलित बाह्य अंतरिक्ष संधि:** अलग-अलग भू-राजनीतिक और तकनीकी परिस्थितियों के तहत बनाई गई यह संधि समकालीन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम नहीं है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

वीटो पावर और UNSC

हाल ही में, **संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में वीटो शक्ति के बढ़ते उपयोग पर बहस की।** संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से **300 से अधिक बार** वीटो का उपयोग किया गया है।

- **वीटो शक्ति के बढ़ते उपयोग के लिए जिम्मेदार कारण**
  - **राष्ट्रीय हित:** UNSC के स्थायी सदस्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा या अपनी विदेश नीति के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए वीटो का उपयोग करते हैं।
  - **वैश्विक संघर्ष और संकट में वृद्धि:** रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा और उसके बाद यूक्रेन पर आक्रमण, तथा इजरायल एवं फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के बीच युद्ध आदि।
  - **राजनीतिक ध्रुवीकरण:** उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका इजरायल की रक्षा के लिए अपनी वीटो शक्ति का उपयोग करता है।
- **वीटो शक्ति के अत्यधिक उपयोग के प्रभाव:**
  - **मानवतावादी प्रयासों पर प्रभाव:** शांति स्थापना बलों की तैनाती, मानवीय सहायता के प्रावधान, या नागरिकों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों की मंजूरी में देरी।
  - **गतिरोध और निष्क्रियता:** एक स्थायी सदस्य की आपत्ति प्रगति में बाधा डालती है और कूटनीतिक पक्षाघात की भावना पैदा करती है तथा ऐसा तब होता है, जब अधिकांश सदस्य देश किसी प्रस्तावित संकल्प या कार्रवाई का समर्थन करते हैं।
  - **इससे UNSC की विश्वसनीयता कम होती है और बहुपक्षवाद का क्षरण होता है।**

अंतरिक्ष में शांति के लिए महत्वपूर्ण वैश्विक पहलें

- **बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर समिति (Committee on the Peaceful Uses of Outer Space: COPUOS, 1959):** यह समिति सम्पूर्ण मानवता के लाभ के लिए अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग को नियंत्रित करने हेतु गठित की गई है।
- **बाह्य अंतरिक्ष संधि (Outer Space Treaty) (1967):** यह संधि बाह्य अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों या व्यापक विनाश के किसी अन्य हथियार को तैनात करने पर रोक लगाती है।
- **बचाव समझौता (Rescue Agreement) (1968):** यह अंतरिक्ष यात्रियों के बचाव, अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी और बाह्य अंतरिक्ष में

प्रक्षेपित ऑब्जेक्ट्स की सुरक्षित वापसी पर समझौता है।

- **अंतरिक्ष दायित्व अभिसमय (Space Liability Convention) (1972):** इस अभिसमय के तहत स्पेस ऑब्जेक्ट का प्रक्षेपण करने वाला देश अपने स्पेस ऑब्जेक्ट से होने वाली क्षति के लिए उत्तरदायी होगा।
- **प्रक्षेपण पंजीकरण अभिसमय (Launch Registration Convention) (1975):** प्रक्षेपण करने वाला देश अपने स्पेस ऑब्जेक्ट को एक उपयुक्त रजिस्ट्री में पंजीकृत करेगा और संयुक्त राष्ट्र महासचिव को इसकी सूचना देगा।
- **मून एग्रीमेंट (1979):** यह समझौता चंद्रमा पर सैन्य अड्डों, प्रतिष्ठानों की स्थापना और किलेबंदी तथा चंद्रमा पर किसी भी प्रकार के हथियार के परीक्षण पर रोक लगाता है।

नोट - भारत **बाह्य अंतरिक्ष संधि, बचाव समझौते, दायित्व अभिसमय** और **पंजीकरण अभिसमय** का सदस्य है।

भारत ने **मून एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन इसकी अभिपुष्टि (Ratification) नहीं** की है। भारत **COPUOS में सक्रिय रूप से भाग** लेता है।

भारत द्वारा अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

- **रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (Defence Space Agency: DSA):** यह एजेंसी सैन्य अंतरिक्ष गतिविधियों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए 2018 में स्थापित की गई थी।
- **मिशन शक्ति:** 2019 में भारत ने पहली एंटी-सैटेलाइट (ASAT) मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। इस परीक्षण का उद्देश्य बाह्य अंतरिक्ष में अपनी परिसंपत्तियों की रक्षा करना था।
- **इंडस्पेसएक्स (IndSpaceEx):** 2019 में पहले सिमुलेटेड अंतरिक्ष युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य संभावित खतरों का पूर्वानुमान लगाना और एक संयुक्त अंतरिक्ष युद्ध नीति तैयार करना था।

आगे की राह

- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** बाह्य अंतरिक्ष के सशस्त्रीकरण पर रोक लगाने के लिए **कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि** हेतु वार्ता शुरू करनी चाहिए।
- **अंतरिक्ष-क्षेत्रक संबंधी जागरूकता:** अंतरिक्ष-क्षेत्रक संबंधी जागरूकता और राजनयिक समझौतों में निवेश करने की आवश्यकता है।
  - जैसे- **'संयुक्त अंतरिक्ष अभियान पहल (Combined Space Operations Initiative: CSpO)'**: यह **'फाइव-आईं' देशों और जर्मनी एवं फ्रांस** के बीच शुरू की गई एक पहल है। इस पहल का उद्देश्य अंतरिक्ष गतिविधियों पर **जानकारी साझा** करने की सुविधा प्रदान करना है।
    - 'फाइव-आईं' देश- ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।
- **अंतरिक्ष मलबे को कम करना:** मलबे को कम करने के लिए अंतरिक्ष परिस्थितिजन्य जागरूकता (SSA) को बढ़ावा देना चाहिए। इसके तहत अंतरिक्ष में प्रत्येक ऑब्जेक्ट व गतिविधि पर नज़र रखने की क्षमता होती है। इसमें अंतरिक्ष मलबे, दुर्भावनापूर्ण उपग्रह व्यवहार, टकराव-रोधी (मलबे का टकराना) तंत्र और अन्य देशों द्वारा अंतरिक्ष के सशस्त्रीकरण के संभावित संकेतों पर नजर रखना शामिल है।
- **लागू करने योग्य अंतरिक्ष संबंधी कानून:** उदाहरण के लिए- **'बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की स्पर्धा की रोकथाम पर संयुक्त राष्ट्र संकल्प (PAROS)'**: यह संयुक्त राष्ट्र का एक संकल्प है, जिसमें अंतरिक्ष के सशस्त्रीकरण पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।

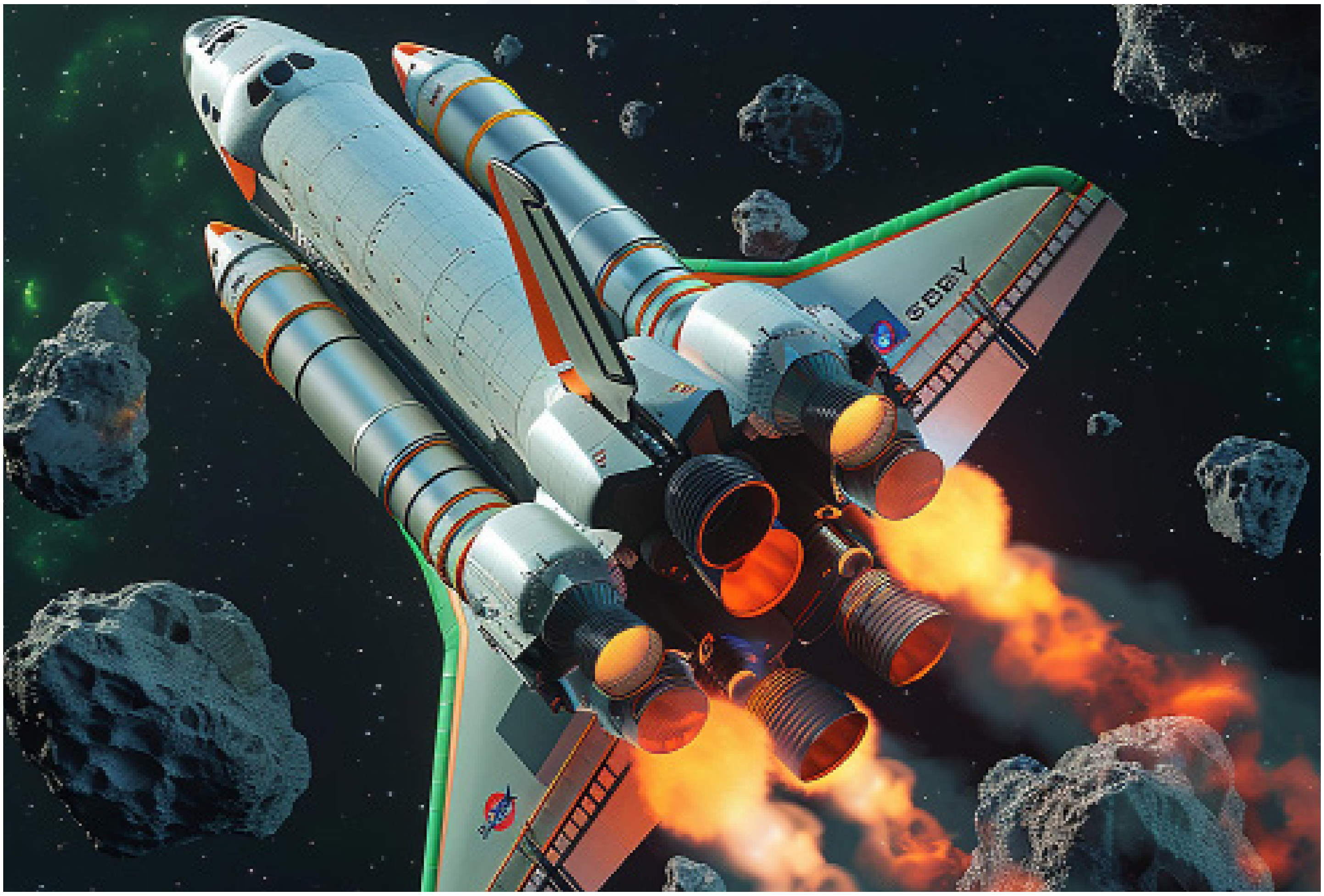

4.5. वामपंथी उग्रवाद(LEFT WING EXTREMISM: LWE)

संदर्भ

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने 'वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई (Decisive Battle with Left Extremism)' शीर्षक से एक पुस्तिका जारी की है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

भारत में वामपंथी उग्रवाद (LWE) के बारे में

- वामपंथी उग्रवादी से आशय ऐसे व्यक्तियों या समूहों से है जो उग्र वामपंथी विचारधारा का समर्थन करते हैं और हिंसात्मक साधनों की सहायता से संविधान द्वारा स्थापित व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का प्रयास करते हैं।
- वामपंथी उग्रवाद को सामान्यतः **वैश्विक स्तर पर माओवादी और भारत में नक्सली कहा जाता** है।
- भारत में नक्सली विद्रोह की शुरुआत **1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी जिले से मानी जाती है।**
- **भारत का रेड कॉरिडोर:** यह छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल जैसे राज्यों के अलग-अलग भागों में फैला हुआ है।

वर्तमान स्थिति

- **वामपंथी उग्रवाद (LWE) से प्रभावित जिलों की संख्या** 2010 में **96** थी, जो 2022 में में घटकर **45** हो गई है।
- 2010 की तुलना में 2022 में **हिंसा की घटनाओं में 76% की कमी** दर्ज की गई।
- पिछले 7 सालों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाले **4,903 डाकघर चालू अवस्था** में हैं।

विश्लेषण

वामपंथी उग्रवाद के उद्भव के लिए उत्तरदायी कारक:

- **जल, जंगल और जमीन:** बाहरी लोगों द्वारा आदिवासियों के संसाधनों पर कब्जा करना; भूमि हदबंदी कानूनों को सही ढंग से लागू न कर पाना; स्थानीय आदिवासियों के भूमि दावों को अस्वीकार करना; जमीनी वास्तविकता की अनदेखी करके बनाए गए कानून आदि इसके प्रमुख कारक हैं।
- **सामाजिक-आर्थिक असमानताएं:**
  - **रोजगार के अवसरों की कमी:** झारखंड में युवा बेरोजगारी दर (15-29 वर्ष) 4.7% थी (पीएलएफएस- 2022-23)।
  - **बेहतर स्वास्थ्य-देखभाल सुविधाओं की कमी:** बिहार के नौ जिला अस्पतालों में ब्लड बैंक नहीं है (CAG रिपोर्ट 2021)।
- **सरकारी नीतियों का पूरी तरह कार्यान्वयन नहीं:** झारखंड ने अभी तक पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (PESA) को लागू नहीं किया है।
  - 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने RTI अधिनियम, 2009 के लागू नहीं करने और स्कूल की खराब स्थिति को लेकर बिहार के अधिकारियों को नोटिस जारी किया।

भारत में LWE में कमी आने के कारण

- **रणनीतिक (Strategic):**
  - **समाधान (SAMADHAN):** 2017 में गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए **'समाधान'** सिद्धांत को अपनाया था (इन्फोग्राफिक देखें)।
  - **विशेष कार्यबल (Special Task Force):** CRPF की विशेष इकाई 'बस्तरिया बटालियन' में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के नक्सल क्षेत्र के स्थानीय लोगों को प्रतिनिधित्व दिया है।
  - **आक्रामक रणनीति:** 2022 में, सुरक्षाबलों ने LWE के खिलाफ **ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल बुल** और **ऑपरेशन चक्रबंध** आदि का संचालन किया था।
- **विकासात्मक (Developmental):**
  - **वित्त-पोषण:** केंद्र सरकार ने **सुरक्षा संबंधी व्यय** (SRE) **योजना** और **विशेष अवसंरचना योजना** (SIS) जैसी कई योजनाओं के तहत राज्यों को क्षमता निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराया है।
  - **पुनर्वास:** सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में **औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान** और **कौशल विकास केंद्र** स्थापित किए गए हैं।
  - **बेहतर विकास:** सड़कों का निर्माण, मोबाइल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए मोबाइल टॉवर परियोजना, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का निर्माण।

वामपंथी उग्रवाद को नियंत्रित करने में मौजूद चुनौतियां

- **भौगोलिक अवस्थिति:** झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना जैसे राज्यों में सघन वन क्षेत्र हैं। माओवादी/ नक्सली इस सघन वन क्षेत्र निम्नलिखित गतिविधियों के लिए करते हैं- हथियार प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना, खुद को छिपाना, गुरिल्ला युद्ध आदि।
- **सुरक्षा संबंधी चुनौतियां:** नक्सलियों तक हथियारों और गोला-बारूद की निर्बाध आपूर्ति, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा में एक गंभीर चुनौती पेश करता है। अवैध तरीके से हथियार बनाने वाले कारखानों, सरकारी स्टॉक से चोरी एवं हथियारों की अवैध बिक्री की अपर्याप्त निगरानी व निरीक्षण आदि के कारण नक्सली आसानी से हथियार प्राप्त कर लेते हैं।
- **वैचारिक अपील:** वामपंथी उग्रवाद में संलिप्त समूहों ने एक ऐसी कहानी (जैसे भूमि पर अधिकार, आदिवासी संस्कृति, पहचान आदि का संरक्षण) गढ़ी है जो विशेष रूप से आदिवासी समुदायों के लोगों को नक्सली आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करती है।
- **प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग:** उदाहरण के लिए, गैर-सरकारी अभिकर्ताओं द्वारा फर्जी खबरें बनाने, सदस्यों की भर्ती, मनी लॉन्ड्रिंग, मादक पदार्थों की तस्करी आदि के लिए वर्चुअल करेंसी के उपयोग के लिए डार्क वेब का उपयोग। उदाहरण के लिए, 2017 में वानाक्राई रैनसमवेयर अटैक।

आगे की राह

- **विश्वास हासिल करना:** उदाहरण के लिए- 2021 में शांति मार्च का आयोजन किया गया था। इसमें छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना के आदिवासियों ने भाग लिया था। इस शांति मार्च का मुख्य नारा **'बस्तर मांगे हिंसा से आजादी'** था।
- **तकनीक का उपयोग:** भौगोलिक सूचना प्रणाली और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जैसी तकनीकों का इस्तेमाल उग्रवादियों के ठिकानों का पता लगाने एवं सुरक्षा बलों द्वारा हमले की योजना बनाने आदि के लिए किया जा सकता है।
- **केंद्र-राज्य में समन्वय:** दोनों को चरमपंथवाद से निपटने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। साथ ही, दोनों को वामपंथी उग्रवाद से छुटकारा पाने के लिए अपनी-अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण करना चाहिए।
- **सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों एवं सफलता की कहानियों से सीखना:** उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश में ग्रेहाउंड।

4.6. सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम {ARMED FORCES (SPECIAL POWERS) ACT (AFSPA)}

संदर्भ

केंद्र सरकार ने **नागालैंड के आठ जिलों और अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों में "सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA), 1958** का विस्तार किया।

विश्लेषण

AFSPA को हटाने के पक्ष में तर्क

- **औपनिवेशिक युग का कानून:** AFSPA की तुलना रॉलेट एक्ट से की जाती है, जो बिना किसी उचित प्रक्रिया के संदेह के आधार पर गिरफ्तारी की अनुमति देता था।
- **मूल अधिकारों का उल्लंघन:** यह संविधान के **अनुच्छेद 14, 19, 21, 22 और 25** के तहत नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन:** AFSPA का स्वरूप और इसका प्रवर्तन **निम्नलिखित का उल्लंघन करता है:**
  - मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा-पत्र (Universal Declaration of Human Rights: UDHR),
  - नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR), तथा
  - अत्याचार/ यातना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (Convention against Torture)।
- **जवाबदेही की कमी:** AFSPA सशस्त्र बलों को व्यापक शक्तियां प्रदान करता है और जब तक केंद्र सरकार मंजूरी नहीं दे देती, तब तक अभियोजन से भी छूट देता है।
- **शासन व्यवस्था का सैन्यीकरण:** आलोचकों का तर्क है कि AFSPA सैन्य शासन को बढ़ावा देता है। साथ ही, संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में लोकतांत्रिक सिद्धांतों और नागरिक अधिकार को कमजोर करता है।
- **केंद्र-राज्य संघर्ष:** कानून और व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। संबंधित राज्य हमेशा जमीनी/ स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष मूल्यांकन/ आकलन करने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं। हालांकि, AFSPA जैसे अधिनियम शांति के समय में भी राज्यों की स्वायत्तता को कमजोर करते हैं।

AFSPA को नहीं हटाने के पक्ष में तर्क

- **संवैधानिकता मान्यता: नागा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1997)** वाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम को बरकरार रखने का निर्णय दिया था। इस निर्णय में इस कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिए गए थे:
  - जैसे- किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करने से पहले संबंधित राज्य सरकार से परामर्श करना; स्थिति की समय-समय पर समीक्षा करना आदि।
- **उपद्रव/ विद्रोह के खिलाफ प्रभावी प्रतिक्रिया:** AFSPA विशेष रूप से कश्मीर और पूर्वोत्तर के विद्रोही समूहों से निपटने के लिए आवश्यक है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनिवार्य:** AFSPA विप्लव और आतंकवाद के खिलाफ एक समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करता है। संभवत: इस समन्वित कार्रवाई की अलग-अलग राज्यों में कमी हो सकती है।
- **दुरुपयोग को रोकने के उपाय: एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल एग्जीक्यूशन**

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA)

- **AFSPA अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ विशेष शक्तियां** प्रदान करता है। यदि सशस्त्र बल को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति **कानून का उल्लंघन** कर रहा है, तो उसे उचित चेतावनी देने के बाद उसके खिलाफ **बल का उपयोग कर सकते हैं या गोली भी मार सकते हैं।**
- AFSPA, **नागालैंड, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों** में लागू है।
- सशस्त्र बल (जम्मू और कश्मीर) विशेष शक्तियां अधिनियम, 1990 के तहत जम्मू और कश्मीर में AFSPA लागू है।

प्रमुख प्रावधान

- **किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करने की शक्तियां**
  - **AFSPA की धारा 3** के तहत किसी क्षेत्र को **अशांत क्षेत्र** घोषित किया जाता है। यह तब घोषित किया जाता है, जब किसी **राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश का कोई भाग या संपूर्ण क्षेत्र ऐसी स्थिति में हो कि सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग** करना आवश्यक हो जाए।
  - संबंधित राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र या पूरे राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया जा सकता है।
  - किसी क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' राज्य के **राज्यपाल/ केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या केंद्र सरकार** द्वारा घोषित किया जाता है।
- **सशस्त्र बलों को AFSPA के तहत उन्मुक्ति:** अधिनियम द्वारा प्रदत्त **शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के खिलाफ (केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना)** कोई अभियोजन, मुकदमा या अन्य कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है।
  - **2016** में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में निर्णय दिया था कि **सेना के जवानों द्वारा अपराध किए जाने पर भी क्रिमिनल कोर्ट द्वारा अभियोजन से पूर्ण छूट** का कोई प्रावधान नहीं है।
- **गिरफ्तार व्यक्ति के साथ व्यवहार:** सेना प्राधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे गिरफ्तार व्यक्ति को यथासंभव बिना देरी किए निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सौंप दें।
- वर्तमान में **नागालैंड, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश** के कुछ हिस्सों में AFSPA लागू है।

AFSPA से संबंधित विभिन्न समितियां

- **न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी समिति (2004):** गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 में AFSPA को शामिल करने की सिफारिश की गई।
- **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) की 5वीं रिपोर्ट (2007):** इसमें AFSPA को हटाने की सिफारिश की गई, क्योंकि इसके हटाए जाने से लोगों में भेदभाव और अलगाव की भावना दूर होने की संभावना थी।

विक्टिम फैमिलीज एसोसिएशन बनाम भारत संघ और अन्य वाद (2016) में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि **सेना के जवानों द्वारा अपराध किए जाने पर भी क्रिमिनल कोर्ट द्वारा अभियोजन से पूर्ण छूट** का कोई प्रावधान नहीं है।

आगे की राह

- **विश्वास का निर्माण करना:** जमीनी स्तर के समुदायों को सशक्त बनाने तथा लोगों और सरकार के बीच अंतर को समाप्त करने के लिए एक **बॉटम-अप गवर्नेंस मॉडल** लागू करना चाहिए।
- **शांति समझौतों को प्राथमिकता देना:** AFSPA को हटाने के लिए, सरकार को सबसे पहले **विद्रोही समूहों को एक स्पष्ट स्थायी शांति समझौता करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा।** प्रोत्साहन के रूप में **ऐसे समूहों के समाज में फिर से समेकन, उनके पुनर्वास और उन्हें मुख्यधारा में लाने जैसे कदम उठाने** चाहिए।
- **कनेक्टिविटी में वृद्धि:** यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के सुरक्षा परिदृश्य को सीधे तौर पर प्रभावित करेगी। साथ ही, लंबे समय में, AFSPA को पूरी तरह से हटाने में भी मदद करेगी।
- **मानवाधिकार संबंधी मानदंडों का पालन करना:** यह विद्रोह-रोधी अभियानों को मजबूत बनाता है।

- **संतोष हेगड़े समिति (2013):** AFSPA अधिनियम की हर छह महीने में उचित तरीके से समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि इसका कार्यान्वयन आवश्यक है या नहीं।
- **न्यायमूर्ति वर्मा समिति (2013):** इसमें सिफारिश की गई कि सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा महिलाओं के खिलाफ किसी भी यौन हिंसा को सामान्य आपराधिक कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए।

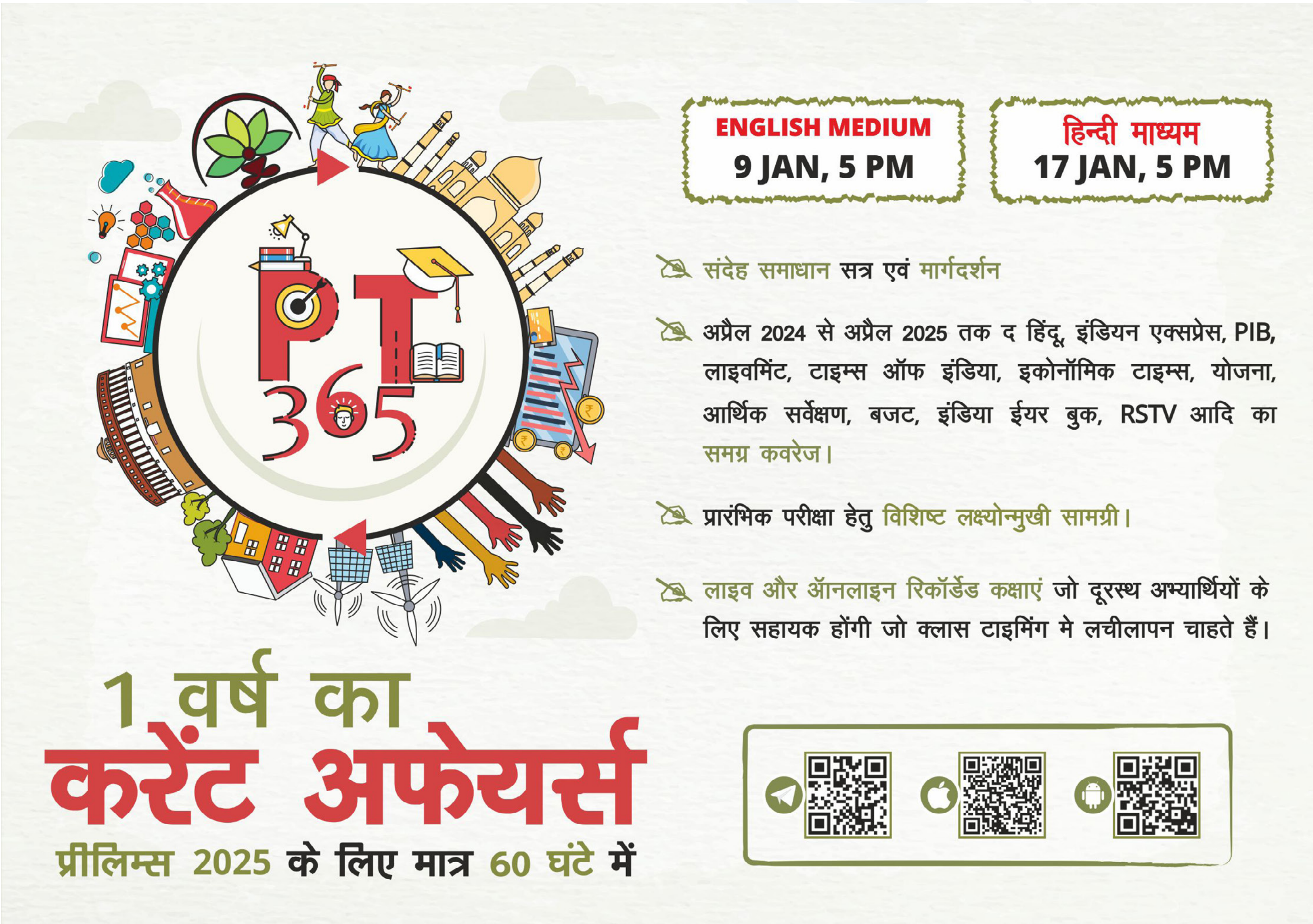

4.7. ऑनलाइन कट्टरतावाद से जुड़ी चिंताएं (THREAT OF ONLINE RADICALISATION)

संदर्भ

हाल ही में, भारत के प्रतिनिधि ने **नेशनल सेंट्रल ब्यूरो (NCBs) के प्रमुखों के 19वें इंटरपोल सम्मेलन** में ऑनलाइन कट्टरतावाद से जुड़ी चिंताओं को रेखांकित किया।

विश्लेषण

ऑनलाइन कट्टरतावाद को रोकने में आने वाली मुख्य चुनौतियां

- **कट्टरपंथ, आतंकवाद के लिए मानक परिभाषा का अभाव:** कट्टरतावाद तथा आतंकवाद, हिंसक उग्रवाद और डी-रेडिकलाइजेशन जैसे संबंधित पद अभी भी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं। अभी भी इनकी परिभाषा पर कोई सार्वभौमिक सहमति नहीं बन पाई है।
- **तकनीकी प्रगति:** इंटरनेट की बढ़ती पहुंच और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स, डार्क वेब आदि के उपयोग द्वारा कट्टरता को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे उनकी उत्पत्ति वाले स्थान का पता लगाना मुश्किल हो जाता है।
- **विदेशी फंडिंग:** ऑनलाइन कट्टरतावाद को सीमा-पार से मिलने वाली विदेशी फंडिंग से भी बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा, इसे राज्य और गैर-राज्य अभिकर्ताओं के बीच के गठजोड़ से भी प्रोत्साहन मिलता है।
- **हेट स्पीच का उपयोग:** सार्वजनिक भाषणों और चुनाव अभियानों में अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली हेट स्पीच और सांप्रदायिक तनाव को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर प्रसारित किया जाता है। इससे घृणा के माहौल को बढ़ावा मिलता है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

कट्टरतावाद या रेडिकलाइजेशन के बारे में

- **कट्टरतावाद की परिभाषा:** कट्टरतावाद या रेडिकलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें कोई व्यक्ति या समूह किसी विशेष राजनीतिक या वैचारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कट्टरपंथी विचारधारा को अपनाता है। इस विचारधारा में आतंकवादी कृत्यों सहित हिंसा का समर्थन करने या उसका सहारा लेने को जायज ठहराया जाता है।
- ये विचार **सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक** हो सकते हैं।

ऑनलाइन कट्टरतावाद के लिए जिम्मेदार कारक

प्रतिकर्ष कारक (Push Factor)

- **आर्थिक कारक:** उदाहरण के लिए युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की कमी।
- **सामाजिक-धार्मिक कारक:**
  - नृजातीय या धार्मिक हाशियाकरण,
  - वैचारिक विश्वास (अपने धर्म या आस्था को अन्य धर्मों या आस्था से श्रेष्ठ मानना) आदि।
- **राजनीतिक कारक:** न्यायपालिका जैसी संस्थाओं में विश्वास की कमी।

अपकर्ष कारक (Pull Factor)

- **आर्थिक कारक:** समूह द्वारा प्रदान किया गया आर्थिक प्रोत्साहन।
- **दुष्प्रचार:** हिंसक कट्टरपंथी समूह धार्मिक विचारधाराओं को विकृत करते हैं। सोशल मीडिया इसके लिए मुख्य साधन के रूप में उभरा है।
- इजरायल-गाजा संघर्ष जैसे **संकटों का लाभ उठाना।**

ऑनलाइन कट्टरतावाद को रोकने के लिए आरंभ की गई मुख्य पहलें

- **वैश्विक स्तर पर शुरू की गई पहलें:**
  - **संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद-रोधी रणनीति:** यह रणनीति ऑनलाइन कट्टरतावाद से निपटने के लिए देशों की क्षमता को बढ़ाती है।
  - **यूरोपीय संघ का डिजिटल सेवा अधिनियम (DSA):** इसका मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवैध और हानिकारक गतिविधियों तथा गलत सूचना के प्रसार को रोकना है।
  - **ग्लोबल इंटरनेट फोरम टू काउंटर टेररिज्म (GIFCT):** यह एक गैर-सरकारी संगठन है। इसे **मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब और एक्स (X)** ने 2017 में स्थापित किया था। इस फोरम की स्थापना सदस्य कंपनियों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने, प्रासंगिक शोध को आगे बढ़ाने और ज्ञान साझा करने के लिए की गई है।
  - **टेक अगेंस्ट टेररिज्म:** यह प्रौद्योगिकी कंपनियों, सरकारों और संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद-रोधी समिति कार्यकारी निदेशालय (CTED) के बीच एक साझेदारी पहल है।
  - **क्राइस्टचर्च कॉल:** यह 130 से अधिक सरकारों, ऑनलाइन सेवा प्रदाताओं और नागरिक समाज संगठनों की सामूहिक रूप से काम करने की एक कम्युनिटी है। इनका साझा उद्देश्य इंटरनेट से आतंकवादी और हिंसात्मक कट्टरतावादी कंटेंट को हटाना है।
- **भारत में शुरू की गई पहलें:**
  - **कानूनी पहलें: गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967** को लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत **'स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ़ इंडिया (सिमी/SIMI)' नामक संगठन को 'गैर-कानूनी संघ'** घोषित किया गया है।
    - ◊ 2020 में गृह मंत्रालय ने पहली बार भारत में कट्टरतावाद की स्थिति पर एक शोध अध्ययन को मंजूरी दी थी। यह अध्ययन कट्टरतावाद को कानूनी रूप से परिभाषित करने और UAPA में संशोधन का सुझाव देगा।
  - **प्रशासनिक/ संस्थागत पहलें:** गृह मंत्रालय के तहत **आतंकवाद-रोधी और कट्टरतावाद-रोधी प्रभाग (CT-CR)** की स्थापना की गई है। यह युवाओं को चरमपंथी (Extremism) बनने से रोकने में राज्य सरकारों, सुरक्षा एजेंसियों और समुदायों की मदद करेगा।

- **साइबर संबंधी पहलें: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000** को लागू किया गया है। साथ ही, गृह मंत्रालय द्वारा **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)** की स्थापना की गई है आदि।
- **राज्य सरकार के नेतृत्व वाली पहलें:**
  - **महाराष्ट्र पुलिस का डी-रेडिकलाइजेशन कार्यक्रम (महाराष्ट्र मॉडल ऑफ डी-रेडिकलाइजेशन)**
  - **ऑपरेशन पिजन (केरल):** इस ऑपरेशन के तहत युवाओं के लिए परामर्श-सत्र आयोजित किए जाते हैं।
- **भारतीय सेना द्वारा शुरू की गई पहलें:**
  - **सही रास्ता कार्यक्रम:** इसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर के कट्टरपंथी बन चुके या कट्टरपंथ के प्रति सुभेद्य युवाओं को मुख्यधारा में वापस लाना है।

निष्कर्ष

भारत को डी-रेडिकलाइजेशन और काउंटर-रेडिकलाइजेशन दोनों पर ध्यान केंद्रित करने वाली तथा प्रत्येक राज्य की विशिष्टताओं के साथ मिलकर काम करने वाली एक समग्र नीति विकसित करनी चाहिए।

4.8. साइबर खतरे और वित्तीय क्षेत्रक (CYBER THREATS AND FINANCIAL SECTORS)

संदर्भ

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा जारी **वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, 2024** में चेतावनी दी गई है कि साइबर खतरा व्यापक वित्तीय स्थिरता के समक्ष एक बढ़ता हुआ जोखिम है।

विश्लेषण

साइबर हमलों में वृद्धि के कारण

- **तेजी से डिजिटल परिवर्तन और तकनीकी नवाचार:**
  - कोविड-19 महामारी के कारण **रिमोट वर्क, डिलीवरी एप्लीकेशंस और संपर्क रहित भुगतानों में वृद्धि** हुई है।
  - **फिन-टेक कंपनियों के विकास** ने वित्तीय प्रणालियों के लिए साइबर खतरों को बढ़ा दिया है। इसका कारण यह है कि डिजिटल संचालन और डिजिटल जुड़ाव प्लेटफ़ॉर्म फ्रॉड को बढ़ावा देते हैं।
- **वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव में वृद्धि:** उदाहरण के लिए- रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद साइबर हमलों में बढ़ोतरी हुई है।
- **मजबूत आंतरिक नियंत्रण की कमी:** PwC के वैश्विक आर्थिक अपराध और धोखाधड़ी सर्वेक्षण, 2022 के अनुसार, भारत में प्रत्येक दस प्लेटफ़ॉर्म फ्रॉड्स में से चार आंतरिक अपराधियों द्वारा किए गए थे।
- **त्वरित कार्रवाई और पता लगाने की कमी** व्यक्तियों को इन अपराधों की रिपोर्ट करने से हतोत्साहित करती है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

वर्चुअल एसेट्स और वर्चुअल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (VASPs) के बारे में

- **वर्चुअल एसेट्स** यानी क्रिप्टो एसेट्स वास्तव में ऐसे **मूल्य (वैल्यू) का डिजिटल रूप** है, जिनका **डिजिटल रूप से व्यापार, अंतरण या भुगतान** के लिए उपयोग किया जा सकता है।
  - उदाहरण के लिए- बिटकॉइन, लाइटकॉइन, एथेरियम या डॉजकॉइन। इसमें **फिएट मुद्राओं (कागजी मुद्रा या सिक्कों) का डिजिटल रूप** शामिल नहीं है। **फिएट मुद्रा, सरकार द्वारा जारी की जाने वाली मुद्रा है।**
- **वर्चुअल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर (VASP)** ऐसा कोई भी प्राकृतिक या कानूनी व्यक्ति है, जो किसी अन्य प्राकृतिक या कानूनी व्यक्ति की ओर से एक व्यवसाय के रूप में निम्नलिखित लेन-देन में से एक या अधिक लेन-देन करता है-
  - वर्चुअल एसेट्स या फिएट मुद्राओं के बीच विनिमय सेवाएं प्रदान करना;
  - वर्चुअल एसेट्स के बीच अंतरण करना आदि।
- VASPs में **क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, ATM ऑपरेटर, वॉलेट कस्टोडियन और हेज फंड** जैसी संस्थाएं शामिल होती हैं।

वित्तीय साइबर अपराध के विभिन्न तरीके

फिशिंग	आइडेंटिटी की चोरी	ATM स्किमिंग	रैनसमवेयर अटैक	डिजिटल तरीके से ऋण देने के लिए अनधिकृत एप्लीकेशंस, आदि
संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए व्यक्तियों के साथ छल किया जाता है	व्यक्तिगत जानकारी चुराना, जैसे- आधार, पैन (PAN)	कार्ड पर छपे विवरण और ATM पिन को कैप्चर करने वाले उपकरण	डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर का उपयोग और उसके बाद डिक्रिप्शन के लिए भारी फिरौती की मांग करना	

वित्तीय प्रणालियों पर साइबर खतरों के प्रभाव

- **व्यापक वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव:**
  - किसी वित्तीय संस्थान के ग्राहकों के गोपनीय डेटा सार्वजनिक हो जाने से उस संस्थान की **कार्य-प्रणाली में विश्वास कम** होने लगता है।
  - **किसी प्रमुख संस्थान या वित्तीय बाजार के बुनियादी ढांचे के विकल्पों की कमी** से वित्तीय प्रणाली में व्यवधान पैदा हो सकता है।
    - उदाहरण के लिए- भुगतान प्रणालियों पर रैनसमवेयर हमले तथा केंद्रीय बैंक या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्रणालियों की हैकिंग से ट्रेडिंग में रुकावट आ सकती है। साथ ही, स्टॉक्स की कीमतों में भी उतार-चढ़ाव हो सकता है।
  - **वित्तीय प्रणालियों के एक-दूसरे से जुड़े होने के कारण साइबर हमले वित्तीय प्रणालियों के नेटवर्क में तेजी** से फैलते हैं। इससे **बाजार की स्थिरता प्रभावित** होती है।
- ये **सरकारी कामकाज को प्रभावित** कर सकते हैं। ऐसा इस कारण, क्योंकि ये सरकारी ऋण के प्रबंधन को बाधित कर सकते हैं और संप्रभु जोखिम को उत्पन्न कर सकते हैं।
- व्यवसायों व विप्रेषणों (Remittance) को हानि; प्रतिष्ठा को नुकसान और साइबर सुरक्षा में निवेश में वृद्धि के कारण **क्रेडिट एवं बाजार को**

नुकसान हो सकता है।
- अंतरष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार, इन खतरों के कारण **वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 1 से 10% तक** का आर्थिक नुकसान होता है।

वित्तीय प्रणालियों पर साइबर हमलों को रोकने हेतु शुरू की गई पहलें

- **सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम (CFCFRMS):** इस प्रणाली को **"राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल"** के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है।
- **वित्तीय आसूचना एकक-भारत (FIU-IND):** यह इकाई संदिग्ध वित्तीय लेन-देन से संबंधित **जानकारी प्राप्त करने, प्रोसेस करने, विश्लेषण करने और प्रसार** के लिए केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करती है।
- **भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In):** यह संस्था साइबर घटनाओं पर जानकारी एकत्र करती है, उसका विश्लेषण करती है और उसका प्रसार करती है। साथ हो, साइबर घटनाओं पर अलर्ट भी जारी करती है।
- **चक्षु:** यह नागरिकों को संदिग्ध धोखाधड़ी वाले संचार की सक्रिय रूप से रिपोर्ट करने के लिए सशक्त बनाने हेतु शुरू की गई एक पहल है।

वित्तीय प्रणालियों के समक्ष साइबर खतरों से निपटने में चुनौतियां

- **विनियामक एवं पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क्स और साइबर-सुरक्षा कार्यबल की कमी:** सर्वेक्षण में शामिल देशों में से **केवल 47% ने ही राष्ट्रीय और वित्तीय क्षेत्रक केंद्रित साइबर सुरक्षा रणनीति** तैयार की थी।
- **तकनीकी नवाचार:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे तकनीकी नवाचार साइबर जोखिमों को और बढ़ा सकते हैं।
- एक अन्य चुनौती भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) जैसे विनियामकों के बीच सहज सहयोग की कमी के कारण **जटिल विनियामकीय परिवेश** है।
- **कानूनी ढांचे से संबंधित चुनौतियां:** उदाहरण के लिए- भारत में **ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए समर्पित कानूनी ढांचे या समर्पित न्यायालय का अभाव** है।
- **साइबर अपराध की प्रकृति जांच में बाधा** डालती है, क्योंकि ये **अपराध किसी रिमोट लोकेशन** से और एक से अधिक राज्यों से किए जाते हैं तथा सीमा-पार प्रकृति के होते हैं। इससे पुलिस जांच महंगी हो जाती है।

आगे की राह

- **राष्ट्रीय स्तर के साइबर कानून को लागू करना** चाहिए और फर्मों के भीतर **साइबर गवर्नेंस में सुधार** करना चाहिए।
  - यह सुनिश्चित करना चाहिए कि **केंद्रीय बैंकों ने साइबर जोखिमों से निपटने और संकट के दौरान तरलता प्रदान करने** के लिए व्यवसाय निरंतरता एवं आकस्मिक योजनाएं बनाई हुई हैं।
- साइबर हमलों से होने वाले **वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए फर्मों को बीमा कराने हेतु प्रोत्साहित** करना चाहिए।
- **साइबर सुरक्षा जोखिमों का नियमित आकलन** करना चाहिए। साथ ही, थर्ड पार्टी सेवा प्रदाताओं से संबंधित जोखिमों सहित अंतर्संयोजनात्मकता और संकेन्द्रण से उत्पन्न होने वाले संभावित प्रणालीगत जोखिमों की पहचान करनी चाहिए।
- **वित्तीय क्षेत्रक की फर्मों के बीच साइबर "परिपक्वता" को बढ़ावा** देना चाहिए। साथ ही, उन्हें साइबर गवर्नेंस को बेहतर बनाने और साइबर जोखिम को कम करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञता तक बोर्ड-स्तरीय पहुंच प्रदान करनी चाहिए।
- एंटी-मैलवेयर और मल्टीफ़ैक्टर प्रमाणीकरण जैसे उपायों के माध्यम से **ऑनलाइन सुरक्षा एवं समग्र सिस्टम स्वास्थ्य में सुधार करके फर्मों के भीतर साइबर स्वच्छता को बढ़ाना चाहिए।**
- **एक सक्षम साइबर सुरक्षा कार्यबल विकसित** करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर सूचना-साझाकरण व्यवस्थाएं स्थापित करनी चाहिए।
- **साइबर घटनाओं की डेटा रिपोर्टिंग और डेटा संग्रहण को प्राथमिकता** देनी चाहिए। साथ ही, सामूहिक तैयारी को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय क्षेत्रक के प्रतिभागियों के बीच जानकारी साझा करनी चाहिए।

निष्कर्ष

साइबर घटनाएं डिजिटलीकरण, प्रौद्योगिकी और भू-राजनीतिक तनावों के कारण वैश्विक वित्तीय स्थिरता के समक्ष खतरा उत्पन्न करती हैं। वित्तीय क्षेत्रक को व्यवधानों के दौरान महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने की क्षमता का निर्माण करना चाहिए। साथ ही, संकट प्रबंधन के लिए प्रतिक्रिया और रिकवरी तंत्र विकसित करना चाहिए।

4.9. वर्चुअल परिसंपत्तियां और आतंकवाद का वित्त-पोषण (VIRTUAL ASSETS AND TERROR FINANCING)

संदर्भ

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने वर्चुअल एसेट्स और **वर्चुअल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (VASPs)** पर अपने मानकों को लागू करने में आने वाली समस्याओं की पहचान की है।

विश्लेषण

अन्य संबंधित तथ्य

- FATF क्रिप्टोस्फीयर में हो रहे विकास की कड़ी निगरानी करता है। इसके अलावा, इसने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त-पोषण के लिए वर्चुअल एसेट्स के दुरुपयोग को रोकने हेतु वैश्विक व बाध्यकारी मानक जारी किए हैं।
- FATF ने वर्चुअल एसेट्स और **वर्चुअल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (VASPs)** पर अपने द्वारा बनाए गए **मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत** करने के लिए फरवरी, 2023 में एक **रोड मैप** पर सहमति व्यक्त की थी।

आतंकवाद के वित्त-पोषण में वर्चुअल एसेट्स के उपयोग के लिए जिम्मेदार कारण

- **अनामिता (Anonymity):** वर्चुअल एसेट्स को अनामिता और पीयर-टू-पीयर ऑनलाइन लेन-देन के विकेंद्रीकरण के कारण **उच्च जोखिम वाली परिसंपत्तियां** माना जाता है। ऐसे में अपराधी VPNs का उपयोग कर वर्चुअल एसेट्स के लेन-देन के लोकेशन और मूल/ गंतव्य को छुपा सकते हैं।
- **वैश्विक मानक विनियमों की अनुपस्थिति:** एक देश में स्थित VASPs अपने उत्पादों और सेवाओं को अन्य देश में स्थित ग्राहकों को प्रदान कर सकते हैं। अतः दूसरे देश में वे **एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त-पोषण रोधी (AML/ CFT)** अलग-अलग कानूनों के दायरे में आ सकते हैं।
- **वर्चुअल एसेट्स के साथ क्राउडफंडिंग:** आतंकवादी समूह क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके वैश्विक स्तर पर धन जुटाने का कार्य करते हैं। साथ ही गुमनाम और सीमा रहित (Borderless) लेन-देन के लिए वर्चुअल एसेट्स का उपयोग करते हैं।

वर्चुअल एसेट्स के लिए FATF मानक

देशों के लिए	वर्चुअल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (VASPs) के लिए
यह आवश्यक है कि: • वे वर्चुअल एसेट्स सेक्टर के मामले में **मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त-पोषण** से जुड़े खतरों को समझें; • VASPs को **लाइसेंस या पंजीकरण** प्रदान करें; • इस **क्षेत्रक की निगरानी** भी वैसे ही करें, जिस तरह वे अन्य वित्तीय संस्थानों की निगरानी करते हैं।	**यह आवश्यक है कि:** • वे भी ऐसे **निवारक उपाय लागू करें** जैसा कि अन्य **वित्तीय संस्थान** लागू करते हैं। इनमें किसी ग्राहक के बारे में पूरी सावधानी बरतना, रिकॉर्ड रखना और संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्टिंग शामिल है। • एसेट्स का अंतरण या ट्रांसफर करते समय वे **एसेट्स के स्रोत और अंतरण प्राप्त करने वाले लाभार्थी के बारे में जानकारी** प्राप्त करें, उसका रिकॉर्ड रखें और सुरक्षित लेन-देन को बढ़ावा दें।

आगे की राह

- **FATF मानकों का प्रभावी वैश्विक कार्यान्वयन:** इससे वैश्विक स्तर पर वर्चुअल एसेट्स के विनियम के मामले में एक समान मानक लागू होंगे, जिसके चलते अपराधियों के लिए किसी देश में वर्चुअल एसेट्स से जुड़े कमजोर विनियम का फायदा उठाने को विकल्प नहीं रह जाएगा।
- **वित्तीय ख़ुफ़िया जानकारी को मजबूत करना:** सटीक और अच्छी तरह से संबद्ध वित्तीय ख़ुफ़िया जानकारी (निजी क्षेत्र से भी प्राप्त) आतंकवादी समूहों की संरचना और एकल आतंकवादियों की गतिविधियों को भी उजागर कर सकती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** ऐसी सीमा-पार चुनौतियों से निपटने के लिए **कानून प्रवर्तन प्राधिकारियों के बीच सहयोग और वित्तीय एवं बैंकिंग क्षेत्रक** की भागीदारी आवश्यक है।
- **तकनीकी अपग्रेडेशन:** उभरती प्रौद्योगिकियों से बढ़ते मनी लॉन्ड्रिंग के खतरों से निपटने के लिए **बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस** जैसे उन्नत उपायों की आवश्यकता है।

4.10. सुर्ख़ियों में रहे युद्ध-अभ्यास

अभ्यास	संदर्भ
'गगन शक्ति' अभ्यास (Exercise 'Gagan Shakti')	**भारतीय वायु सेना** के सबसे बड़े अभ्यास '**गगन शक्ति**' का आयोजन **जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज** में किया जा रहा है।
अभ्यास पूर्वी लहर या XPOL	पूर्वी नौसेना कमान के ऑपरेशनल कंट्रोल के तहत **भारतीय नौसेना** ने पूर्वी तट पर अभ्यास पूर्वी लहर का आयोजन किया।
टाइगर ट्रायम्फ-24 अभ्यास (Tiger Triumph 2024)	टाइगर ट्रायम्फ-24 **भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका** के बीच एक द्विपक्षीय **त्रि-सेवा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR)** अभ्यास है।
तरकश सैन्य अभ्यास (Exercise Tarkash)	हाल ही में, **इंडो-यू.एस.जॉइंट काउंटर-टेररिज्म एक्सरसाइज** यानी "तरकश" सैन्य अभ्यास कोलकाता में संपन्न हुआ। यह सैन्य अभ्यास **भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG)** और **अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस फ़ोर्स (SOF)** के बीच आयोजित किया गया था।
'शक्ति' अभ्यास	अभ्यास 'शक्ति' का **7वां संस्करण मेघालय** में शुरू हुआ। यह **भारत और फ्रांस** के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
'धर्म गार्जियन'	**भारत और जापान** के बीच **वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास "धर्म गार्जियन"** का 5वां संस्करण **राजस्थान** में संपन्न हुआ। यह **भारतीय सेना और जापानी सेना** के बीच एक **संयुक्त सैन्य अभ्यास** है। यह एक **वार्षिक सैन्य अभ्यास** है और **भारत और जापान में बारी-बारी से आयोजित** किया जाता है।
अभ्यास कटलैस एक्सप्रेस	यह एक **बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास** है। इस वर्ष इसका आयोजन **सेशेल्स में अमेरिकी नौसैनिक बल के नेतृत्व** में किया गया है। **भारतीय नौसेना** ने भी इसमें भाग लिया था।
सैन्य अभ्यास 'समुद्र लक्ष्मण'	यह **भारत और मलेशिया** के बीच एक **द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास** है।
सी डिफेंडर्स-2024	'सी डिफेंडर्स-2024' **भारतीय तटरक्षक (ICG) बल और यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड (USCG)** के बीच एक समुद्री सुरक्षा अभ्यास है।
भारत शक्ति	**"भारत शक्ति"** नाम से तीनों सेनाओं का **फायरिंग और युद्ध अभ्यास राजस्थान के पोखरण** में आयोजित किया गया। इसके तहत भारतीय सशस्त्र बलों की **एकीकृत परिचालन क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाले वास्तविक, समन्वित व मल्टी-डोमेन संचालन** का अनुकरण किया गया।
आईएमटी ट्राइलेट (IMT TRILAT)- 2024	भारत, मोजाम्बिक व तंजानिया (IMT)-ट्राई लेटरल (TRILAT) एक संयुक्त समुद्री सैन्य-अभ्यास है।
लमितिये युद्धाभ्यास 2024	यह **भारतीय थल सेना और सेशेल्स रक्षा बलों** के बीच आयोजित किए जाने वाला एक **संयुक्त सैन्य अभ्यास** है।

4.11. प्रश्नोत्तरी

MCQs

Q1. SMART प्रणाली के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. SMART एंटी सबमरीन युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए अगली पीढ़ी की मिसाइल-आधारित टारपीडो डिलीवरी प्रणाली है।
2. इसे DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।
3. यह पैराशूट-आधारित रिलीज सिस्टम के साथ पेलोड के रूप में उन्नत भारी वजन वाले टारपीडो को ले जाता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2
(d) 1, 2 और 3

Q2. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. बचाव समझौता (Rescue Agreement) (1968)
2. अंतरिक्ष दायित्व अभिसमय (Space Liability Convention) (1972)
3. बाह्य अंतरिक्ष संधि (1967)
4. मून एग्रीमेंट (1979)

आज तक भारत द्वारा उपर्युक्त संधियों में से कितनों पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन किया गया है?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) केवल तीन
(d) सभी चार

Q3. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

सैन्य अभ्यास	***भारत के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास करने वाला देश***
1. टाइगर ट्रायम्फ	जापान
2. लामितिये सैन्य अभ्यास	सेशेल्स
3. समुद्र लक्ष्मण	सिंगापुर

उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं

Q4. ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसकी उड़ान सीमा 800 कि.मी. तक है।
2. यह तीन चरणों वाली रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q5. भारतीय रक्षा के संदर्भ में प्रोजेक्ट आकाशतीर क्या है?

(a) भारतीय सेना द्वारा शामिल की गई एक स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली

(b) समुद्री सीमाओं की निगरानी के लिए एक उपग्रह-आधारित निगरानी प्रणाली

(c) बैलिस्टिक मिसाइल खतरों का सामना करने के लिए विकसित किया गया एक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम

(d) एक साइबर रक्षा पहल जिसका उद्देश्य साइबर हमलों से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा करना है

प्रश्न

1. अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण से उत्पन्न चुनौतियों का परीक्षण कीजिए और इन चिंताओं को दूर करने में मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय पहलों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द)

2. "हाइब्रिड युद्ध के उद्भव ने रक्षा में प्रौद्योगिकी अवशोषण के प्रति भारत के दृष्टिकोण में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता उत्पन्न कर दी है।" इस वक्तव्य के आलोक में, भारत के रक्षा क्षेत्रक में विघटनकारी प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने में आने वाली चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और उनसे निपटने के उपाय सुझाएं। (250 शब्द)

पर्यावरण (Environment)

विषय-सूची

5.1. जैव विविधता. 129
5.1.1. इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस 129
5.1.2. गंगा नदी डॉल्फिन. 130
5.1.3. जीवित प्राणी प्रजातियां (रिपोर्टिंग और रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2024. 131
5.1.4. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण 132
5.1.5. मैंग्रोव संरक्षण 133
5.1.6. इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट 134
5.1.7. सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप्स कांफ्रेंस. . . 135
5.1.8. प्रवाल विरंजन 136
5.1.9. सुर्ख़ियों में रही प्रजातियां. 137

5.2. जलवायु परिवर्तन 140
5.2.1. ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम. 140
5.2.2. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 141
5.2.3. पर्यावरणीय मुद्दों का संवैधानिकीकरण 142
5.2.4. जलवायु परिवर्तन और मौद्रिक नीति प्रसारण 143
5.2.5. न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस 143

5.3. प्रदूषण 145
5.3.1. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन 145
5.3.2. बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024 146
5.3.3. ई-अपशिष्ट 147
5.3.4. डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज (DAC+S) प्लांट . . . 148
5.3.5. शहरी जल संकट 149

5.4. संधारणीय विकास 150
5.4.1. भारत में पारंपरिक ज्ञान. 150
5.4.2. स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना/ क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन 151
5.4.3. भारत में पर्यावरणीय आंदोलन 152
5.4.4. "फाइनेंसिंग एग्रो-केमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट (FARM)" कार्यक्रम 153
5.4.5. शून्य बजट प्राकृतिक कृषि. 154
5.4.6. मिलेट्स. 155
5.4.7. कार्बन रिमूवल्स एंड कार्बन फार्मिंग (CRCF) 156

5.5. आपदा प्रबंधन. 157
5.5.1. बांध सुरक्षा 157
5.5.2. हीटवेव. 158
5.5.3. भारत में अग्नि सुरक्षा विनियम. 159

5.6. भूगोल 160
5.6.1. क्षेपण मंडल 160
5.6.2. बेसफ्लो 161
5.6.3. दक्षिणी महासागर क्षेत्र में सबसे स्वच्छ वायु 162
5.6.4. नॉर्वेस्टर्स 162

5.7. सुर्ख़ियों में रही अवधारणाएं 164
5.7.1. प्लैनेटरी बाउंड्रीज़ (ग्रहीय सीमाएं) फ्रेमवर्क. 164
5.7.2. इकोसाइड 164
5.7.3. स्टार ड्यून्स 164
5.7.4. गैप लिमिटेशन 164

5.7.5. नेगेटिव लीप सेकंड 165
5.7.6. ब्लू होल 165
5.7.7. कैटाटुम्बो लाइटनिंग 165
5.7.8. किलिंग कर्व. 165

5.8. सुर्ख़ियों में रहे स्थल. 166

5.9. सुर्ख़ियों में रही रिपोर्ट्स. 167

5.10. प्रश्नोत्तरी. 169

5.1. जैव विविधता (BIODIVERSITY)

5.1.1. इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (INTERNATIONAL BIG CAT ALLIANCE: IBCA)

संदर्भ

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA)** की स्थापना को मंजूरी दी है। इसका मुख्यालय **भारत** में होगा।

विश्लेषण

इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) के बारे में

- यह एक **बहु-देशीय और बहु-एजेंसी गठबंधन** है।
- इसमें **बिग कैट के रेंज वाले 96 देश, संरक्षण भागीदार, वैज्ञानिक संगठन** और **व्यापारिक समूह** शामिल हैं।
- **उद्देश्य:** इसका **उद्देश्य 7 बिग कैट्स अर्थात् शेर, बाघ, हिम तेंदुआ, तेंदुआ, चीता, जगुआर** और **प्यूमा** का संरक्षण करना है।
- इसमें समग्र और समावेशी संरक्षण परिणाम प्राप्त करने के लिए **जैव विविधता नीतियों को सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के साथ एकीकृत** किया गया है।

सदस्यता:

- भारत के नेतृत्व वाले IBCA में **ब्राजील, नेपाल, बांग्लादेश और मलेशिया सहित 16 देश** आधिकारिक तौर पर शामिल हो गए हैं।
- इसके अतिरिक्त, **इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN)** और **वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड (WWF) इंटरनेशनल** सहित **नौ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों** ने IBCA में शामिल होने के लिए सहमति दे दी है।

यह फ्रेमवर्क अं**तर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के ढांचे पर आधारित** है।

अन्य संबंधित तथ्य के लिए अवश्य पढ़िए"

कक्षा X की एनसीईआरटी भूगोल पुस्तक का **अध्याय 2:** वन एवं वन्य जीव संसाधन

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

IBCA की संक्षिप्त पृष्ठभूमि

- **2019 में,** भारत के प्रधान मंत्री ने **बिग कैट के संरक्षण में भारत के नेतृत्व पर प्रकाश डालते हुए ग्लोबल लीडर्स के एक गठबंधन का प्रस्ताव रखा था।**
- **2023 में,** प्रोजेक्ट टाइगर की **50वीं वर्षगांठ के अवसर पर IBCA को आधिकारिक तौर पर आरंभ** किया गया।

बिग कैट्स यानी बड़े विडालवंशी और उनका संरक्षण

- **IUCN स्थिति:** एंडेंजर्ड (EN)
- **CITES के तहत:** परिशिष्ट I
- **WPA के तहत:** अनुसूची I

- **IUCN स्थिति:** वल्नरेबल
- **CITES के तहत:** परिशिष्ट I (केवल एशियाई शेर की आबादी के लिए, बाकी के लिए परिशिष्ट 2)
- **WPA के तहत:** अनुसूची I

- **IUCN स्थिति:** नियर थ्रेटेंड
- **CITES के तहत:** परिशिष्ट I
- **WPA के तहत:** ये भारत में नहीं पाए जाते हैं

- **IUCN स्थिति:** वल्नरेबल
- **CITES के तहत:** परिशिष्ट I
- **WPA के तहत:** अनुसूची I

- **IUCN स्थिति:** लीस्ट कन्सर्न
- **CITES के तहत:** परिशिष्ट I
- **WPA के तहत:** ये भारत में नहीं पाए जाते हैं

- **IUCN स्थिति:** वल्नरेबल
- **CITES के तहत:** परिशिष्ट I
- **WPA के तहत:** अनुसूची I

- **IUCN स्थिति:** वल्नरेबल
- **CITES के तहत:** परिशिष्ट I
- **WPA के तहत:** अनुसूची I

***नोट:** CITES में सूचीबद्ध सभी प्रजातियां WPA की अनुसूची IV का भी हिस्सा हैं*

पारिस्थितिक डिविजन

5.1.2. गंगा नदी डॉल्फिन (GANGA RIVER DOLPHIN)

संदर्भ

हाल ही में, पटना (बिहार) में भारत के पहले **राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र (NDRC)** का उद्घाटन किया गया।

विश्लेषण

राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र (NDRC) के बारे में

- यह केंद्र **वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं द्वारा डॉल्फिन प्रजातियों के संबंध में किए जाने वाले गहन अध्ययन** को सुविधाजनक बनाएगा।
- इसके अतिरिक्त, यह केंद्र डॉल्फिन संरक्षण के प्रभावी तरीकों पर मछुआरों को प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा।

गंगा नदी डॉल्फिन के लिए प्रमुख खतरे:

- **न चाहते हुए भी शिकार, मछली पकड़ने के जाल में फंसने से अत्यधिक दोहन, डॉल्फिन के तेल के लिए अवैध शिकार, आदि।**
- जल परियोजनाओं से **आवास का ह्रास, प्रदूषण और बांधों कारण आबादी का अलग-थलग हो जाना।**

डॉल्फिन संरक्षण के लिए शुरू की गई पहलें:

- **विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य, बिहार:** यह भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य है।
- **प्रोजेक्ट डॉल्फिन: इसे प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर शुरू किया गया है।**
  - इस परियोजना का उद्देश्य **समुद्री और नदी डॉल्फिन के साथ-साथ संबंधित सिटासियन (Cetaceans) का भी संरक्षण** करना है।
  - इसे **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** द्वारा वित्त-पोषित किया जा रहा है।
- **राष्ट्रीय जलीय जीव (National Aquatic Animal):** इसे 5 अक्टूबर, 2009 को **राष्ट्रीय जलीय जीव** घोषित किया गया था, जिसे अब **राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फिन दिवस** के रूप में मनाया जाता है।

अन्य संबंधित तथ्य के लिए अवश्य पढ़िए"

कक्षा X की एनसीईआरटी भूगोल पुस्तक का **अध्याय 2:** वन एवं वन्य जीव संसाधन

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

गंगा नदी डॉल्फिन की प्रमुख विशेषताएं:

- **गंगा नदी डॉल्फिन (Platanista gangetica) भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानिक प्रजाति है।** इसे आमतौर पर **'सूंस'** के नाम से जाना जाता है।
  - इसे **"टाइगर ऑफ़ द गंगा"** भी कहा जाता है।
- **शारीरिक विशेषताएं:** लंबा पतला थूथन, गोल पेट, मजबूत शरीर और बड़े-बड़े फ्लिपर्स।
- **मादा डॉल्फ़िन आमतौर पर नर से बड़ी होती है** और हर दो से तीन साल में एक बच्चे को जन्म देती है।
- गंगा नदी डॉल्फ़िन केवल **मीठे जल में पाई जाती हैं** और शिकार करने तथा नेविगेट करने के लिए **अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग** करती है।
- इनका तैरने का अनोखा तरीका **भोजन खोजने में सहायता करता है। सांस लेने के लिए सतह पर आते समय वे 'सूंस' ध्वनि उत्सर्जित** करती हैं।

गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन की संरक्षण की स्थिति:

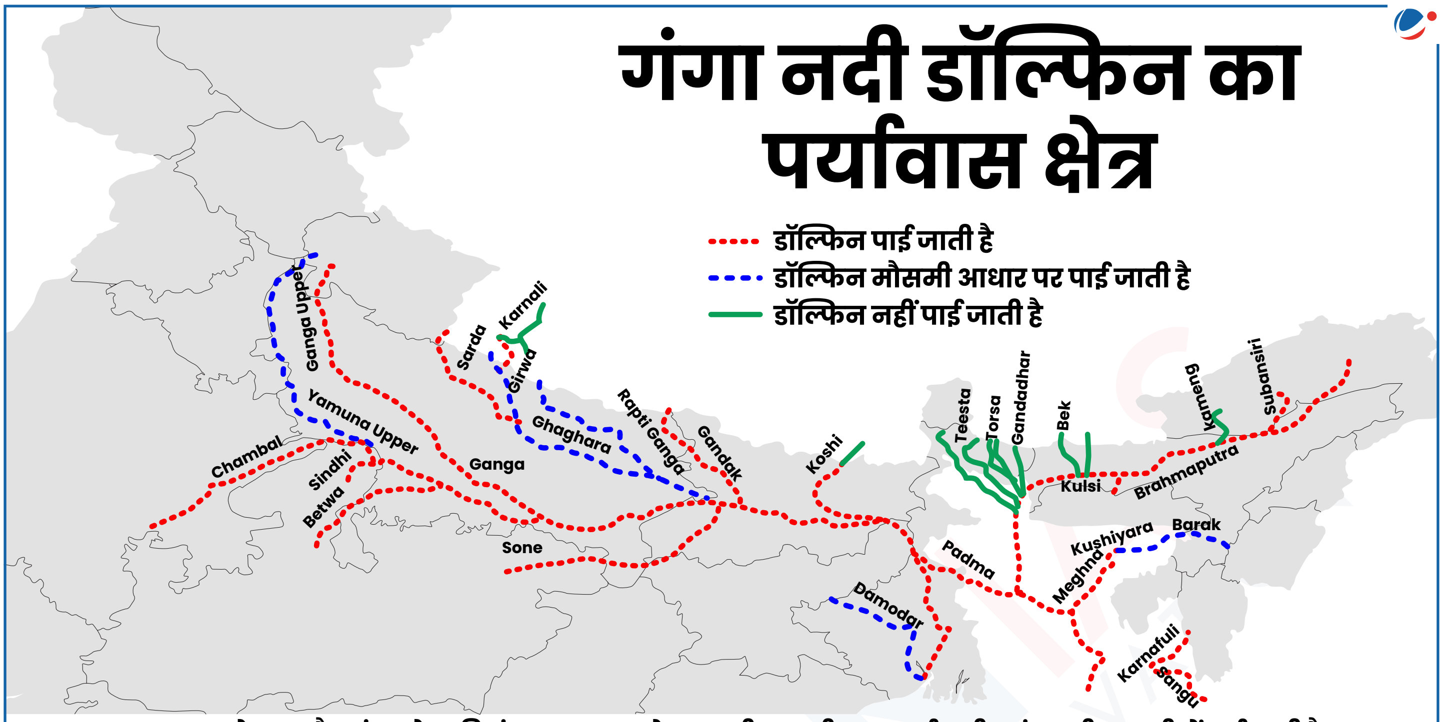

यह भारत, नेपाल और बांग्लादेश की गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना नदी प्रणाली तथा कर्णफुली-सांगू नदी प्रणाली में पाई जाती है।

5.1.3. जीवित प्राणी प्रजातियां (रिपोर्टिंग और रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2024 {LIVING ANIMAL SPECIES (REPORTING AND REGISTRATION) RULES, 2024}

संदर्भ

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने "जीवित प्राणी प्रजातियां (रिपोर्टिंग और रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2024" अधिसूचित किए। इन नियमों को **वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम (WPA), 1972 की धारा 63** के तहत अधिसूचित किया गया है।

विश्लेषण

- ये WPA, 1972 की **धारा 49M के उद्देश्यों** को पूरा करने के लिए अधिसूचित किए गए हैं।
    - **धारा 49M:** यह किसी व्यक्ति द्वारा उन **जीवित अनुसूचित प्राणी प्रजातियों को अपने कब्जे में रखने, स्थानांतरण करने और उनके जन्म के पंजीकरण एवं मृत्यु की रिपोर्टिंग** करने का प्रावधान करती है, जो **CITES के परिशिष्टों या WPA, 1972 की अनुसूची IV में सूचीबद्ध** हैं।
    - इस धारा को **वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 के माध्यम से जोड़ा** गया था।

मुख्य नियमों पर एक नज़र:

- **किसी प्राणी प्रजाति को अपने कब्जे (possession) में रखने हेतु पंजीकरण के लिए आवेदन:** प्रत्येक व्यक्ति, जिसके कब्जे में कोई प्राणी प्रजाति है, उसे **6 महीने के भीतर अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप में पंजीकरण** कराना होगा।
- **जन्म की रिपोर्टिंग और पंजीकरण:** प्रत्येक व्यक्ति, जिसके कब्जे में कोई **प्राणी प्रजाति है, उसे ऐसी प्राणी प्रजाति की संतान के जन्म की रिपोर्टिंग** करनी होगी तथा **सात दिनों के भीतर इसके पंजीकरण के लिए आवेदन** करना होगा।
- जिस व्यक्ति के पास किसी प्राणी प्रजाति के होने का पंजीकरण है, उसे ऐसे प्राणी के किसी अन्य को **हस्तांतरण करने के बारे में 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट** करनी होगी।

अन्य संबंधित तथ्य के लिए अवश्य पढ़िए"

कक्षा X की एनसीईआरटी भूगोल पुस्तक का
अध्याय 2: वन एवं वन्य जीव संसाधन

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 और CITES

- 2022 के संशोधन में **CITES को लागू करने की व्यवस्था** की गई है।
    - **WPA की अनुसूची IV में CITES के अंतर्गत सूचीबद्ध पादपों और जीवों के नमूने** शामिल हैं।
- यह **प्रजातियों के व्यापार के लिए निर्यात या आयात परमिट देने हेतु प्रबंधन प्राधिकरण** का प्रावधान भी करता है।

- इसमें **जानवरों की नियमित स्वास्थ्य जांच के माध्यम से कैप्टिव ब्रीडिंग** में शामिल लोगों के लिए स्टॉक का रखरखाव, किसी प्राणी प्रजाति के भागने की सूचना देना आदि शामिल है।

5.1.4. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण {PROTECTION OF GREAT INDIAN BUSTARD (GIB)}

संदर्भ

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के पर्यावास वाले इलाकों में ओवरहेड हाई-वोल्टेज और लो-वोल्टेज वाली बिजली लाइनों को जमीन के नीचे बिछाने हेतु दिए गए अपने पहले के **व्यापक दिशा-निर्देश को संशोधित** किया है।

विश्लेषण

सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में अब क्या कहा

- **अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जो-**
  - GIB के लिए प्राथमिकता वाले इलाकों के रूप में पहचाने गए पर्यावास में **ओवरहेड और भूमिगत विद्युत लाइनों की संभावना/दायरा, व्यवहार्यता और सीमा निर्धारित करेगी।**
  - मध्य-पूर्व के देशों में **होउबारा बस्टर्ड** नामक इसी तरह की एक प्रजाति के संरक्षण के लिए किए जा रहे **अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सर्वोत्तम उपायों का अध्ययन करेगी।**

सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के अपने फैसले को क्यों पलटा?

- **GIB की आबादी में कमी के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं,** जैसे- उनके बीच कम प्रजनन दर, पर्यावास का विखंडन, पर्यावास की हानि, आदि।
- **भूमिगत केबल बिछाने में समस्याएं:** उदाहरण के लिए-
  - जिन किसानों की जमीन के नीचे केबल बिछाई गई है, उनकी जान को खतरा;
  - उच्च पारेषण (Transmission) हानि; आदि।
- सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में यह भी कहा कि **जैव विविधता की सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के बीच दुविधा** है।
- **जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा की आवश्यकता:** भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के तहत वर्ष 2030 तक, गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से कुल 50% बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है।
- **GIB के समक्ष खतरा:** GIB के पर्यावास में **सौर ऊर्जा संयंत्र** या **विंड मिल** जैसी परियोजनाएं **क्रिटिकली एंडेंजर्ड** ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अस्तित्व को संकट में डाल सकती हैं।

आगे की राह

- पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समता आदि के मुद्दों को शामिल करते हुए **GIB के संरक्षण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है।**
- **सरकार और न्यायालय, दोनों को एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।**
- **जलवायु परिवर्तन से निटपने के लिए राष्ट्रीय लक्ष्यों को निर्धारित करते समय** संधारणीय विकास की समग्र समझ की आवश्यकता है।

अन्य संबंधित तथ्य के लिए अवश्य पढ़िए”

कक्षा IX की एनसीईआरटी **अध्याय 9: प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी**

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में

- यह **भारतीय उपमहाद्वीप की एक स्थानिक प्रजाति** है। यहां की **कृषि-घासभूमि** इनका मुख्य पर्यावास है। यह **सर्वाहारी (Omnivorous) पक्षी** है। राजस्थान के अलावा, इनकी कुछ आबादी **गुजरात और आंध्र प्रदेश** में भी पाई जाती है।
- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की नर प्रजाति के गर्दन के नीचे **बड़ी काली धारियां (मुकुट के समान)** होती हैं।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण की स्थिति

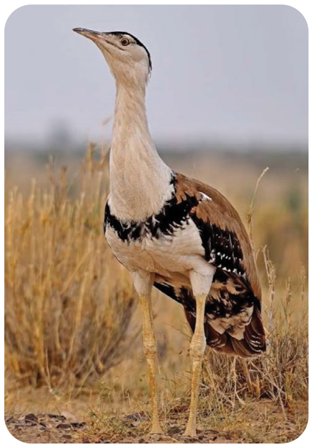

CITES परिशिष्ट I

IUCN स्थिति CR

WPA, 1972 अनुसूची I

यह **स्पीशीज़ रिकवरी प्रोग्राम** के अंतर्गत शामिल 22 प्रजातियों में से एक है।

5.1.5. मैंग्रोव संरक्षण (Mangroves Conservation)

संदर्भ

हाल ही में, **अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN)** ने **रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम्स** आकलन जारी किया। इसके तहत जांचे गए **मैंग्रोव पारिस्थितिक-तंत्रों में से लगभग 50 प्रतिशत** को वलनरेबल, एंडेंजर्ड या क्रिटिकल एंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

विश्लेषण t

IUCN के रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम

- इसके तहत ग्लोबल मैंग्रोव एलायंस जैसे संगठनों के विशेषज्ञों के साथ मिलकर 44 देशों में 36 क्षेत्रों का मूल्यांकन किया गया है।
- **दक्षिण भारत,** श्रीलंका, मालदीव और उत्तर-पश्चिम अटलांटिक के **मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र को क्रिटिकल एंडेंजर्ड** के रूप में वर्गीकृत हैं।
- चिंताजनक बात यह है कि आकलन किए गए मैंग्रोव में से लगभग 20 प्रतिशत उच्च जोखिम की स्थिति में है और उन्हें **एंडेंजर्ड या क्रिटिकल एंडेंजर्ड** के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह इनके **विलुप्त होने के गंभीर जोखिम** को दर्शाता है।
- पृथ्वी पर **मैंग्रोव प्रणालियों में से लगभग 33 प्रतिशत** प्रणालियां **जलवायु परिवर्तन** के प्रभावों के चलते **खतरे** में हैं।

मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के समक्ष खतरा: जलवायु परिवर्तन, विकासात्मक गतिविधियां, प्रदूषण, असंधारणीय मात्स्यिकी, आदि।

मैंग्रोव संरक्षण के लिए शुरू की गई पहलें:

- **भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) की भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR):** भारत में मैंग्रोव क्षेत्र में 17 वर्ग किलोमीटर यानी 0.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- **मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटैट्स एंड टैंजिबल इनकम (मिष्टी/ MISHTI) योजना:** इसके तहत **मैंग्रोव का वृक्षारोपण** करने के लिए **स्थानीय समुदायों को वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है।
- **सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम (SAIME) पहल:** इसके तहत संधारणीय **एकीकृत मैंग्रोव जलीय कृषि (IMA)** प्रणालियों का उपयोग करने वाले जलीय कृषि फार्मों का निर्माण किया जाता है।

अन्य संबंधित तथ्य के लिए अवश्य पढ़िए"

कक्षा VIII की एनसीईआरटी भूगोल पुस्तक का अध्याय
अध्याय 2: भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

दुनिया के मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और गर्म समशीतोष्ण तटीय क्षेत्रों में लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एवं दुनिया के समुद्र तटों का लगभग 15 प्रतिशत कवर किए हुए हैं।

मैंग्रोव और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के बारे में

- **कार्बन प्रच्छादन (Carbon sequestration):** मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र लगभग **11 बिलियन टन कार्बन का प्रच्छादन** करते हैं। यह समान आकार के **उष्णकटिबंधीय वनों की तुलना में तीन गुना अधिक** है।
- **तटीय आपदाओं से संरक्षण:** बेहतर स्थिति वाले मैंग्रोव **समुद्र के जलस्तर में वृद्धि से निपटने में मदद** कर सकते हैं।
- **जैव विविधता संरक्षण:** मैंग्रोव वनों में **पौधों और पशुओं की विशाल विविधता पाई जाती** है।
  - **1,500 से अधिक जीव-जंतु अपने अस्तित्व के लिए मैंग्रोव** पर निर्भर हैं। इनमें से **15 प्रतिशत विलुप्त होने की कगार पर** हैं।

- **मैजिकल मैंग्रोव्स अभियान:** यह अभियान **WWF इंडिया** द्वारा चलाया गया।
- **'मैंग्रोव और प्रवाल भित्ति के संरक्षण और प्रबंधन' पर राष्ट्रीय तटीय मिशन कार्यक्रम।**
- **मैंग्रोव ब्रेकथ्रू-** इसे मिस्र के शर्म अल-शेख में UNFCCC के COP27 में **यूनाइटेड नेशन-हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियंस और ग्लोबल मैंग्रोव एलायंस (GMA)** ने आरंभ किया था। यह सभी हितधारकों को **2030 तक वैश्विक स्तर पर 15 मिलियन हेक्टेयर से अधिक मैंग्रोव के भविष्य को सुरक्षित करने के लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करने** के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है।

आगे की राह

- भारतीय वन अधिनियम, 1927; पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986; और वन संरक्षण अधिनियम, 1980 जैसे मौजूदा कानूनों को मजबूत करना चाहिए।
- **पारिस्थितिकीय संरक्षण:**
  - **मैंग्रोव का पुनरुद्धार करना चाहिए।**
  - मैंग्रोव वनों के किनारों और उसके आस-पास **ग्रीन बेल्ट और बफर जोन** का निर्माण करना चाहिए।
  - मैंग्रोव क्षेत्रों के संरक्षण प्रयासों में सुधार करने के लिए **मैंग्रोव वन को स्थलीय वन से जोड़ना चाहिए**। उदाहरण के लिए, **सुंदरबन** मैंग्रोव को सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान से जोड़ना।
- **अनुसंधान और विकास:** अलग-अलग क्षेत्रों की अलग-अलग जरूरतों के अनुसार समाधान तैयार करने के लिए राष्ट्रीय, उप-राष्ट्रीय या अन्य निचले स्तरों पर मैंग्रोव की विविधता के बारे में अनुसंधान और डेटा संग्रह करना चाहिए।
- महत्वपूर्ण मैंग्रोव वन खंडों को 'मैंग्रोव जर्मप्लाज्म संरक्षण केंद्र' घोषित किया जा सकता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** पारिस्थितिक तंत्र की बहाली के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक 2021-2030 के अनुरूप, मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र सहित समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

5.1.6. इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट {International Arrangement on Forests (IAF)}

संदर्भ

हाल ही में, **इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट (IAF) के अंतर्गत यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट्स (UNFF) के 19वें सत्र** का आयोजन संपन्न हुआ। इसमें लोगों, विज्ञान व प्रौद्योगिकी और वित्त पर ध्यान केंद्रित करते हुए वन संरक्षण पर एक घोषणा-पत्र को अपनाया गया।

विश्लेषण

यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट्स (UNFF19) के 19वें सत्र के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, विश्व **2030 तक वैश्विक वन लक्ष्यों** को प्राप्त करने की दिशा में **पिछड़** रहा है।
- सदस्यों ने **वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना 2017-2030 (UNSPF)** की पुनःपुष्टि की है।
- **'ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस' (जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और प्रदूषण)** से निपटने के लिए वन-आधारित समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
- कुछ वैश्विक संस्थाओं ने आशाजनक पहल शुरू करके आगे का रास्ता दिखाया है। उदाहरण के लिए-
  - **जापान द्वारा वन पर्यावरण कर;**
  - **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा प्रस्तुत किया गया मॉडल फॉरेस्ट एक्ट इनिशिएटिव (MoFAI);**
  - **कांगो बेसिन वन भागीदारी पहल** आदि।
- भारत ने **संधारणीय वन प्रबंधन (SFM) के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण** अपनाकर पिछले 10 वर्षों में देश के **वनावरण में उल्लेखनीय वृद्धि** की है।
  - भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019-2021 के अनुसार, **कुल वनावरण और वृक्षावरण में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि** हुई है। इस वृद्धि से **वनावरण** भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का **24.62 प्रतिशत** हो गया है।
  - **17 राज्यों में उनके भौगोलिक क्षेत्रफल का 33 प्रतिशत से अधिक भाग** वनावरण के अंतर्गत आता है।

UNFF के तहत वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र की रणनीतिक योजना (2017-2030): पहली बार वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना पर समझौता **2017** में आयोजित यू.एन. फोरम ऑन फॉरेस्ट्स (UNFF) के एक विशेष सत्र में किया गया था।

- इसमें **2030** तक हासिल किए जाने वाले **छह वैश्विक वन लक्ष्यों और 26 संबद्ध लक्ष्यों** का एक सेट शामिल है। ये लक्ष्य **स्वैच्छिक और सार्वभौमिक** हैं।
- इसमें **2030 तक वैश्विक वन क्षेत्रफल में 3 प्रतिशत तक की वृद्धि** करने का लक्ष्य शामिल है। यह वृद्धि **120 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्रफल** के बराबर है, जो **फ्रांस के आकार से दोगुना अधिक** है।
- **संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य UNFF के सदस्य हैं (भारत सहित)।**
- **वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021, छह वैश्विक वन लक्ष्यों (GFGs) की दिशा में प्रगति पर संयुक्त राष्ट्र की मुख्य रिपोर्ट है।**

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट (IAF) के बारे में

इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट (IAF) की स्थापना **2000** में की गई थी। इसे **वनों पर अंतर सरकारी पैनल (1995-97) और वनों पर अंतर सरकारी फोरम (1997-2000) जैसी पूर्ववर्ती इकाइयों के कार्य को आगे बढ़ाने** के लिए स्थापित किया गया है।

- **IAF के 5 घटक**
  - **यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट्स (UNFF):** इसकी स्थापना **2000** में की गई थी। यह **संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद** (ECOSOC) के कार्यात्मक आयोग के रूप में कार्यरत है।
  - **वनों पर सहयोगात्मक भागीदारी (CPF):** यह वनों पर एक **नवोन्मेषी स्वैच्छिक अंतर-संगठनीय भागीदारी** है। इसे **2001** में स्थापित किया गया था। इसमें IUCN, CITES, FAO जैसे **16 अंतर्राष्ट्रीय संगठन** शामिल हैं।
  - **ग्लोबल फॉरेस्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटेशन नेटवर्क (GFFFN)।**
  - **संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड:** इस कोष में **स्वैच्छिक रूप से योगदान** किया जा सकता है।
  - **UNFF सचिवालय:** यह UNFF से संबंधित बैठकों के लिए **लॉजिस्टिक तैयारियों, समय पर दस्तावेजों की तैयारी और प्रसारण** के लिए उत्तरदायी है।

वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र की रणनीतिक योजना 2017-2030

वैश्विक वन लक्ष्य

- **GFG 1-** नष्ट वनावरण की क्षतिपूर्ति करना
- **GFG 2-** वनों से होने वाले लाभों और आजीविका में सुधार करना
- **GFG 3-** वनों का संरक्षण करना तथा वन उत्पादों का संधारणीय उपयोग करना
- **GFG 4-** संसाधनों को जुटाना
- **GFG 5-** समावेशी फॉरेस्ट गवर्नेंस को बढ़ावा देना
- **GFG 6-** विभिन्न क्षेत्रकों को शामिल करते हुए सहयोग और कार्य करना

5.1.7. सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप्स कांफ्रेंस (Sustainable Finance for Tiger Landscapes Conference: SFTLC)

संदर्भ

हाल ही में, SFTLC की मेजबानी **भूटान सरकार** द्वारा की गई और इसका समर्थन **टाइगर संरक्षण गठबंधन** ने किया।

विश्लेषण

ग्लोबल टाइगर फोरम (GTF), 2020 के अनुमान के अनुसार

- ग्लोबल टाइगर फोरम (GTF) के अनुमान के अनुसार, 2020 में एशिया में शेष **बचे अंतिम बाघ परिदृश्य (Tiger Landscape) को सुरक्षित करने के लिए प्रति वर्ष 138 मिलियन अमेरिकी डॉलर** की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता थी।
- बाघों की आबादी **2010 में 3,200 थी, जो बढ़कर 12 वर्षों में लगभग 4,500** हो गई है। हालांकि, 2010 की तुलना में बाघ अब कम क्षेत्रों में रहते हैं। वर्तमान में, बाघ परिदृश्य एशिया में **बाघ के मूल परिदृश्य के 8% से भी कम हिस्से** पर फैला हुआ है।
- बाघ पर्यावास के **पारिस्थितिक रूप से आपस में जुड़े क्षेत्रों** के विशाल दायरे को ही **बाघ परिदृश्य** कहते हैं। बाघों के परिदृश्य पर अवसंरचना के विकास का भी प्रभाव पड़ता है।
  - **उदाहरण के लिए-** राजस्थान में स्थित मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से गुजरने वाली 8 लेन की सड़कों वाले ग्रीनफील्ड हाईवे के विकास के कारण बाघ परिदृश्य का विखंडन हुआ है।

इस सम्मेलन में सस्टेनेबल फाइनेंस हेतु की गई पहलें

- SFTLC का उद्देश्य **नई वित्तीय रणनीतियों** का उपयोग करके और वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा देकर **बाघ संरक्षण और बाघ परिदृश्य** के लिए समर्थन को बढ़ावा देना है, जैसा कि **पारो स्टेटमेंट (Paro statement)** में कहा गया है।
  - इसका लक्ष्य **2034** तक बाघ संरक्षण के लिए **1 बिलियन अमेरिकी डॉलर** की अतिरिक्त धनराशि जुटाना है।
- **टाइगर लैंडस्केप्स इंवेस्टमेंट फंड:** इस फंड को UNDP द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह डेवलपमेंट के लिए एक **नया मिश्रित वित्तीय तंत्र** है जो प्रकृति-अनुकूल कार्यों को प्रोत्साहन प्रदान करेगा। इससे बाघों, जैव विविधता और लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- एशियाई विकास बैंक का उद्देश्य निजी क्षेत्रक के निवेशकों को जोड़ने और प्रकृति आधारित समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए **टाइगर बॉण्ड्स** जैसे नवीन वित्तीय साधनों का उपयोग करना है।

बाघ परिदृश्य के संरक्षण की क्या आवश्यकता है?

- **बाघ एक अम्ब्रेला प्रजाति** है।
  - शीर्ष शिकारी के रूप में, बाघ शिकार प्रजातियों की आबादी को नियंत्रित करते हैं और खाद्य श्रृंखला में अन्य प्रजातियों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं।
- बाघ **एशिया की सांस्कृतिक पहचान और विरासत में गहराई से जुड़ा** हुआ है। उसे शक्ति, साहस और सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है।
- वनों का संरक्षण करने से **जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने** और **इबोला जैसी जूनोटिक बीमारियों के प्रसार को नियंत्रित** करने में मदद मिल सकती है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

बाघ संरक्षण गठबंधन

- **बाघ संरक्षण गठबंधन (Tiger Conservation Coalition) संगठनों का एक स्वतंत्र समूह है** जो बाघ संरक्षण के लिए एक साझा दृष्टिकोण के तहत व्यापक रूप से मिलकर काम करता है।
  - **बाघ संरक्षण गठबंधन का उद्देश्य** बाघों का संरक्षण करना है। इसके लिए यह वन्यजीव अपराध, मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व आदि के क्षेत्र से संबंधित अग्रणी जीवविज्ञानी एवं विशेषज्ञों को एकजुट करता है।
- **टाइगर रेंज देशों** में बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं।

Tiger Landscape in India

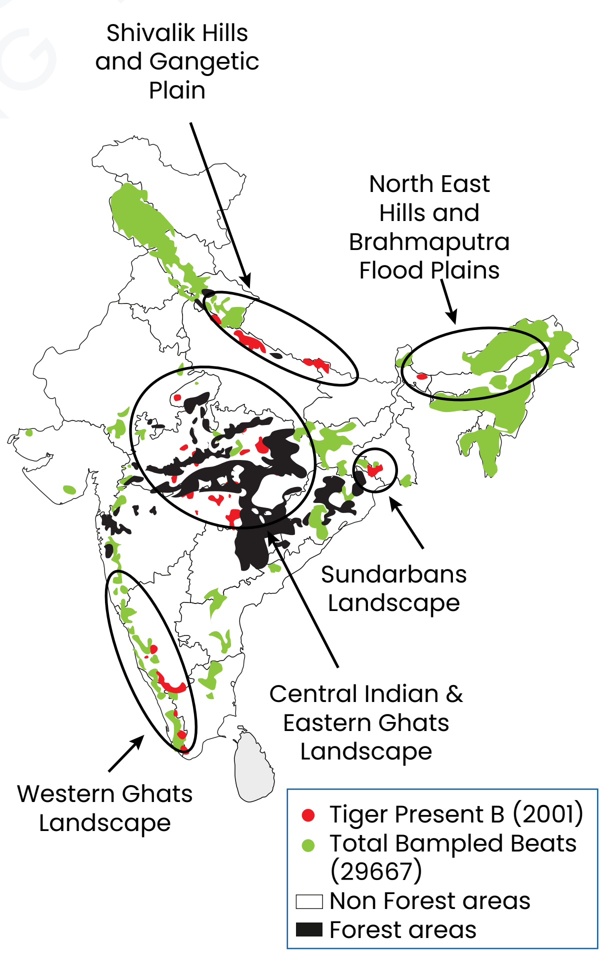

5.1.8. प्रवाल विरंजन (Coral Bleaching)

संदर्भ

- **भारतीय तट पर** बड़े पैमाने पर कोरल ब्लीचिंग की घटना देखी गई। इससे मुख्यतः **लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह** प्रभावित हुए हैं।
- **NOAA के कोरल रीफ वॉच (CRW) और इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव (ICRI)** ने चौथी बार वैश्विक स्तर पर बड़े पैमाने की कोरल ब्लीचिंग की पुष्टि की है।

विश्लेषण

प्रवाल विरंजन की इस घटना के बारे में

- **लक्षद्वीप द्वीप समूह:**
  - कवरत्ती द्वीप समूह में **एक्रोपोरा म्यूरिकटा** और **पोरीट्स सिलिंड्रिका** जैसी लगभग सभी प्रवाल प्रजातियों में ब्लीचिंग या विरंजन की घटना देखी जा रही है।
  - लक्षद्वीप में अधिक सहन क्षमता वाली प्रवाल प्रजातियों जैसे कि **पोरीट्स ल्यूटिया** और **पावोना वेरियन** में भी विरंजन (ब्लीच) की घटना देखी जा रही है।
- **मन्नार की खाड़ी:** 2005 से 2021 के बीच **मन्नार की खाड़ी** में जीवित प्रवाल आवरण 37 प्रतिशत से घटकर 27.3 प्रतिशत हो गया है।
- **पाक जलसंधि:** 2007 में पाक की खाड़ी/ पाक जलसंधि में प्रवाल का औसत आवरण 30.8 प्रतिशत था, जो घटकर 2019 तक 18.7 प्रतिशत हो गया।
- **गोवा:** गोवा में भी प्रवाल विरंजन की घटना शुरू हो गई है, लेकिन यह अभी केवल एक प्रजाति **'गोनियोपोरा'** तक ही सीमित है।
- **कुल मिलाकर,** यह अनुमान लगाया गया है कि विश्व की 30% प्रवाल भित्तियाँ गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, तथा शेष 60% प्रवाल भित्तियां 2030 तक नष्ट हो जाएंगी।

भारत में प्रवाल

भारत में प्रवाल संरक्षण के लिए शुरू की गई पहलें

- **भारत**
  - **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986** के अंतर्गत जारी **तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना, 1991** जैसे कानून भारत में कोरल रीफ का समग्र संरक्षण सुनिश्चित करते हैं।
  - **मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व ट्रस्ट द्वारा पारिस्थितिक विकास संबंधी गतिविधियां:** इसने मछली पकड़ने वाले स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाया है।
  - **कोरल रीफ रिकवरी प्रोजेक्ट-मीठापुर (कच्छ की खाड़ी और गुजरात का मरीन नेशनल पार्क):** यह परियोजना **2008** में **वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया (WTI)** और गुजरात वन विभाग ने शुरू की थी।
- **वैश्विक पहलें:** कोरल रीफ्स के लिए वैश्विक कोष, कोरल ट्रायंगल पहल, आदि।

अन्य संबंधित तथ्य के लिए अवश्य पढ़िए"

कक्षा VIII की एनसीईआरटी भूगोल पुस्तक का **अध्याय 4:** प्राणी जगत (जीव विज्ञान कक्षा XI)

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

- **प्रवाल विरंजन के बारे में: समुद्री सतह के तापमान (ST)** में निरंतर वृद्धि के कारण जूजैंथिली अपने पोषक/ होस्ट को छोड़ देता है। इसके परिणामस्वरूप प्रवाल रंगहीन या सफेद हो जाते हैं, जिसे **'प्रवाल विरंजन/ कोरल ब्लीचिंग'** के नाम से जाना जाता है।
  - यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार, वैश्विक सामूहिक प्रवाल विरंजन की घटनाएं **1998, 2010, 2014-2017** में हुई थी। वर्तमान में, **2023-2024** में **चौथी वैश्विक सामूहिक प्रवाल विरंजन घटना** दर्ज की गई है।

कोरल (प्रवाल/ मूंगा) के बारे में

यह एक **कीस्टोन समुद्री प्रजाति** है। ये **पॉलिप्स** तथा **जूजैंथेला** नामक प्रकाश संश्लेषण करने वाले वाले शैवाल के बीच सहजीवी संबंध के कारण बनते हैं।	कोरल को जीवित रहने के लिए आवश्यक है: **गर्म जल (23°- 29° सेल्सियस),** **32-42** पार्ट्स प्रति हजार लवणता वाला जल, **स्वच्छ और उथले जल,** जहां अत्यधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश पहुंचता हो।	प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्र महत्वपूर्ण पर्यावास क्षेत्र होते हैं जहां अनेक जलीय प्रजातियों को आहार और आश्रय मिलता है। ये चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से तटों की रक्षा करते हैं, इसीलिए इन्हें **'समुद्र का वर्षावन'** कहा जाता है।

प्रवाल विरंजन के लिए जिम्मेदार कारण

प्राथमिक कारण

- **समुद्री सतह का तापमान बढ़ना:** उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, औसत समुद्री सतह का तापमान पिछले 100 वर्षों में लगभग 1°C बढ़ गया है और वर्तमान में यह प्रति शताब्दी 1-2°C की दर से बढ़ रहा है।
- **अन्य कारण:** समुद्री हीट वेव, एल नीनो के कारण कुछ क्षेत्रों का तापमान अधिकतम औसत तापमान से अधिक हो जाता है, समुद्री जल-धाराओं में बदलाव, महासागरीय अम्लीकरण, समुद्र में बॉटम ट्रावलिंग, आदि।

अन्य कारण

- **जैविक आक्रमण (क्राउन-ऑफ-थॉर्न स्टारफ़िश** के प्रकोप के कारण, **कप्पाफाइकस अल्वारेज़ी (Kappaphycus alvarezii)** नामक आक्रामक विदेशज शैवाल प्रजाति)।

आगे की राह: प्रवाल विरंजन से निपटना

- **नीति-निर्माण में बहुपक्षीय सहयोग: अंतर्राष्ट्रीय कोरल रीफ पहल (ICRI) [भारत,** ICRI का सदस्य है], **वर्ल्ड कोरल कंजर्वेटरी परियोजना।**
- **बायोरॉक प्रौद्योगिकी:** यह एक नवीन **खनिज अभिवृद्धि प्रौद्योगिकी (Mineral accretion technology)** है जिसका उपयोग समुद्र में भित्ति के निर्माण के लिए आवश्यक प्राकृतिक निर्माण सामग्री के उत्पादन के लिए किया जाता है। **सुपर कोरल: 'मानव-सहायक विकास'** नामक प्रक्रिया की मदद से उच्च तापमान को सहने में सक्षम प्रवाल के एक्स-सीटू प्रजनन को प्रोत्साहित किया जाता है।
- **दीर्घकालिक संरचनात्मक प्रयास:**
  - कार्बन फुटप्रिंट और समुद्री प्रदूषण में कमी करके प्रवाल की **संधारणीयता को सुनिश्चित करना चाहिए।**
  - **तटीय समुदायों को प्रवाल भित्तियों के अस्तित्व को बनाए रखने से जुड़े लाभों के बारे में बताया जाना चाहिए।**

- **जेनोबायोटिक्स:** कॉपर, हर्बिसाइड और तेल जैसे कुछ रासायनिक संदूषकों की उच्च सांद्रता के संपर्क में आने से ज़ूजेंथेला का नुकसान हो सकता है। इसे ज़ेनोबायोटिक्स कहा जाता है।
- **एपिज़ूटिक्स:** कोरल में **रोगज़नक़-जनित विरंजन** अन्य प्रकार के विरंजन से अलग होती है।

5.1.9. सुर्ख़ियों में रही प्रजातियां (Species in News)

गोल्डन लंगूर (GOLDEN LANGUR)

- **संदर्भ:** नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में लगभग 7,396 गोल्डन लंगूर हैं।

- **संरक्षण स्थिति:**
  - **IUCN:** लाल सूची में **'एंडेंजर्ड'** के रूप में शामिल है।
  - **CITES:** परिशिष्ट-I में सूचीबद्ध है।
  - **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम:** अनुसूची-I में रखा गया है।
- **विशेषताएं:**
  - यह **ओल्ड वर्ल्ड मंकी** के एक बड़े समूह से संबंधित है। इन बंदरों को **कोलोबाइंस** कहा जाता है। कोलोबाइंस पत्ती खाने वाले प्राइमेट होते हैं, जिनका जुगाली करने वाले जानवरों के समान बहु-कोष्ठीय पेट होता है।
    - ◊ **ओल्ड वर्ल्ड मंकी** विशेष रूप **एशिया व अफ्रीका** की बंदर प्रजातियों के लिए प्रयुक्त पद है। **न्यू वर्ल्ड मंकी** विशेष रूप **अमेरिका महाद्वीप** की बंदर प्रजातियों के लिए प्रयुक्त वर्गीकरण है।
  - गोल्डन लंगूर की **फर का रंग मौसम के अनुसार बदलता** रहता है। गर्मियों में यह क्रीम रंग का और सर्दियों में गहरे सुनहरे रंग का हो जाता है।
  - वे प्रकृति में **दिनचर (दिन में सक्रिय)** हैं और **वृक्षों पर रहते** हैं। ये 3-15 सदस्यों के झुंड में रहते हैं।
- **पर्यावास:** यह **असम (ब्रह्मपुत्र नदी घाटी) और भूटान में उपोष्णकटिबंधीय एवं समशीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वनों** का स्थानिक जीव है।

मेलानोक्लामिस द्रौपदी (एम.द्रौपदी) {MELANOCHLAMYS DROUPADI (M. DROUPADI)}

- **संदर्भ: हेड-शील्ड सी स्लग** की एक **नई समुद्री प्रजाति की पश्चिम बंगाल व ओडिशा** के तटों से खोज की गई है। ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका नाम देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के नाम पर **"मेलानोक्लामिस द्रौपदी (एम. द्रौपदी)"** रखा है।

- यह प्रजाति अपना पर्यावास **मेलानोक्लैमिस बेंगालेंसिस** के साथ साझा करती है। मेलानोक्लैमिस बेंगालेंसिस की खोज 2022 में की गई थी। हालांकि, यह आकृति विज्ञान की दृष्टि से एम.द्रौपदी से अलग है।
  - एम.द्रौपदी बेंगालेंसिस से **आकार में छोटी** है। इसका रंग **धब्बेदार भूरा व काला है**। इसके पश्च कवच (posterior shield) पर **रुबि लाल** रंग का धब्बा है।
- सी स्लग **तेज शिकारी** होते हैं। वे अन्य विचरण करने वाले जीवों को अपना शिकार बनाते हैं।

वासुकी इंडिकस (VASUKI INDICUS)

- **संदर्भ:** पुरातत्वविदों को **गुजरात के कच्छ में पानंध्रो लिग्नाइट खदान में एक विशाल शिकारी सांप** का जीवाश्म मिला है। इसे **वासुकी इंडिकस नाम** दिया गया है।

- **विशेषताएं:**
  - सांप की यह प्रजाति **संभवतः 47 मिलियन वर्ष पहले मध्य इओसीन कल्प (Period)** में पाई जाती थी।
  - इसकी लंबाई **36-49 फीट** के बीच थी।
  - यह मैडट्सोइडे स्नैक फैमिली का सदस्य है। यह प्रजाति लगभग **90 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व** में आई थी और लगभग 12,000 वर्ष पहले **विलुप्त** हो गई थी।
- **पर्यावास:** लगभग **50 मिलियन वर्ष पहले जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट** से टकराई थी, तब यह प्रजाति **भारत से दक्षिणी यूरेशिया और उत्तरी अफ्रीका** में पहुंचने लगी थी।

बटरफ्लाई सिकाडा (BUTTERFLY CICADA)

- **संदर्भ: मेघालय** में सिकाडा की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। इसके अलावा, **अब ज्ञात बेक्वार्टिना प्रजातियों की कुल संख्या सात** हो गई है।

- **विशेषताएं:** यह **जीनस बेक्वार्टिना** से संबंधित है। देश में यह **जीनस पहली बार दर्ज** किया गया है। इस जीनस की प्रजातियों के पंख **रंगीन** होते हैं। इस कारण इन्हें अक्सर **"बटरफ्लाई सिकाडा"** भी कहा जाता है।
- **पर्यावास:** भारत में इसकी खोज के बाद अब **जीनस बेक्वार्टिना का वितरण दक्षिण-पूर्व एशिया से पूर्वोत्तर भारत** तक माना जाने लगा है।

आरोग्यपचा (ट्राइकोपस ज़ेलेनिकस) {AROGYAPACHA (TRICHOPUS ZEYLANICUS)}

- **संदर्भ:** केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित ट्रॉपिकल बोटेनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (TBGRI) ने "आरोग्य पाचा" में तीन अन्य सामग्रियों को मिला करके **'जीवनी' नामक एक दवा** विकसित की है।

- **विशेषताएं:** आरोग्यपचा शब्द का शाब्दिक अर्थ है- **"हरित, जो शक्ति प्रदान करता है"।**
  - आरोग्यपचा एक छोटा औषधीय पौधा है जिसके **तने पतले और पत्ते मोटे** होते हैं।
  - यह **नदियों और जल-धाराओं के किनारे छाया में उगता** है।
  - इस पौधे के केवल फल ही खाने योग्य होते हैं।
  - **औषधीय गुण:** एंटी-ऑक्सीडेंट, एंटी-माइक्रोबियल, एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटी-ट्यूमर, एंटी-अल्सर, एंटी-हाइपरलिपिडेमिक, हेपेटोप्रोटेक्टिव और एंटी डायबिटिक आदि।
  - यहाँ की **स्थानीय जनजाति 'कानि' द्वारा इसका उपयोग शारीरिक क्षमता और स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए किया जाता** है।
- **पर्यावास:** भारत में पाई जाने वाली इस उप-प्रजाति को **ट्राइकोपस जेलेनिकस ट्रेवेनकोरिक्स** कहा जाता है। हालांकि मुख्य प्रजाति ट्राइकोपस जेलेनिकस, श्रीलंका और थाईलैंड में पाई जाती है, लेकिन केवल भारतीय किस्म में ही औषधीय गुण पाए जाते हैं।

बाओबाब वृक्ष (BAOBAB TREE)

- **संदर्भ: ग्लोबल सोसाइटी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ बाओबाब एंड मैंग्रोव्स** ने बाओबाब वृक्षों को पुनर्जीवित करने के लिए एक मिशन शुरू किया है।

- **विशेषताएं:** यह **लंबी अवधि तक जीवित रहने वाला एक पर्णपाती वृक्ष** है। इसका **तना चौड़ा और शीर्ष सघन** होता है। **बाओबाब वृक्ष 20 फीट से लेकर 100 फीट तक लंबे** हो सकते हैं।
  - इन्हें **'उल्टे वृक्ष'** (Upside-down tree) के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि शुष्क मौसम में इन पर पत्तियां नहीं होती हैं, जिससे इनकी पत्ती विहीन भूरी और गांठदार शाखाएं जड़ों के समान दिखाई देती हैं।
  - इस वृक्ष की **छाल के रेशे का उपयोग रस्सी, कपड़ा, वाद्ययंत्र के तार** आदि बनाने में किया जाता है।
- **पर्यावास:** यह **अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया** में उगता है।
  - यह वृक्ष **मध्य प्रदेश के धार जिले के मांडू** में भी पाया जाता है।

सी-एनीमोन (Sea Anemone)

- **संदर्भ:** वैज्ञानिकों ने **लक्षद्वीप के अगाती द्वीप** के पास समुद्री जल में **सी-एनीमोन में व्यापक ब्लीचिंग (विरंजन)** की परिघटना को दर्ज किया है।

- ये **फाइलम निडारिया फैमिली** की समुद्री प्रजाति हैं।
  - **सी-एनीमोन** शिकारी जीव हैं। इनकी अधिकांश प्रजातियां **तटीय उष्णकटिबंधीय जल** में पाई जाती हैं।
- कोरल (प्रवाल/ मूंगा) की तरह, **सी-एनीमोन का भी हरे शैवाल के साथ सहजीवी संबंध** (Symbiotic relation) हैं।
- **समुद्री जल के तापमान में वृद्धि** की वजह से शैवाल के साथ इनका **सहजीवी संबंध** बाधित हो जाता है।
- इनका **क्लाउनफिश के साथ भी सहजीवी संबंध** है।
  - क्लाउनफिश **एनीमोन के चुभने वाले स्पर्शकों** (stinging tentacles) की वजह से सुरक्षित रहती है, बदले में एनीमोन को क्लाउनफिश के आहार से भोजन मिलता है।
- यह प्रजाति समुद्र में **बेन्थिक क्षेत्र पारिस्थितिकी-तंत्र में प्रमुख जैव भू-रासायनिक** भूमिका निभाती है।

5.2. जलवायु परिवर्तन (CLIMATE CHANGE)

5.2.1. ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GREEN CREDIT PROGRAM)

संदर्भ

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने **ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP), 2023** के नियमों के तहत **"वृक्षारोपण गतिविधि के लिए ग्रीन क्रेडिट की गणना"** हेतु पद्धतियों को अधिसूचित किया है।

विश्लेषण

ग्रीन क्रेडिट (GC) के बारे में

- ग्रीन क्रेडिट **पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव** डालने वाली निर्धारित गतिविधियों के लिए प्रदान किए गए प्रोत्साहन की एक यूनिट को कहा जाता है।

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) के बारे में

- **यह अलग-अलग हितधारकों द्वारा पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाले कार्यों को करने हेतु प्रोत्साहित करने वाला बाजार-आधारित एक अभिनव तंत्र** है। इन हितधारकों में उद्योग/ प्रतिष्ठान, राज्य सरकारें एवं अलग-अलग परोपकारी संस्थाएं शामिल हैं।
    - GCP में भागीदारी, **स्वैच्छिक भागीदारी पर आधारित** होगी।
- **उद्देश्य:**
    - यह **'LiFE - लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट' पहल** के अनुरूप है।
    - **उद्योगों, कंपनियों एवं अन्य संस्थाओं** को उनके मौजूदा पर्यावरणीय दायित्वों या अन्य दायित्वों (स्वैच्छिक) को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- **स्थापना: इसे "पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986"** के अंतर्गत स्थापित किया गया है, जिसमें **MoEF&CC एक नोडल एजेंसी** के रूप में कार्य करेगी।
- **प्रशासनिक संरचना:**
    - GCP का प्रशासनिक ढांचा, अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति पर आधारित है।
    - **ICFRE, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के प्रशासक** के रूप में कार्य करेगी। ICFRE को इस प्रोग्राम के **कार्यान्वयन, प्रबंधन, निगरानी और परिचालन** की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।
        - ◊ GCP ने **परियोजना के पंजीकरण, सत्यापन और ग्रीन क्रेडिट जारी करने** की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उपयोगकर्ता-अनुकूल डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म भी स्थापित किया है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

ग्रीन क्रेडिट नियमों के बारे में

- सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वन विभागों को **हरित आवरण को बढ़ाने के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत मौजूद निम्नीकृत/ परती भूखंडों की पहचान करना अनिवार्य** है।
- वृक्षारोपण के लिए पहचाने गए भूखंड **विवादों से मुक्त होने चाहिए** और **इनका क्षेत्रफल कम-से-कम 5 हेक्टेयर होना चाहिए।**
- भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE) ने **वन विभागों को दो साल के भीतर वृक्षारोपण करने का निर्देश दिया है।**
- **ग्रीन क्रेडिट (GC) ICFRE द्वारा जारी किए जाते हैं।** इसके तहत स्थानीय वृक्ष-जलवायु (Silvi-climatic) और मिट्टी की स्थिति के आधार पर वृक्षारोपण के जरिए उगाए गए प्रति हेक्टेयर कम-से-कम 1,100 वृक्षों के होने पर प्रति वृक्ष के लिए एक ग्रीन क्रेडिट दिया जाता है।

ग्रीन और कार्बन क्रेडिट के बीच अंतर

ग्रीन क्रेडिट	कार्बन क्रेडिट
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के अंतर्गत	ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना के अंतर्गत
व्यक्तियों और समुदायों को लाभ	उद्योगों और कंपनियों को लाभ
ग्रीन क्रेडिट गतिविधियाँ कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए कार्बन क्रेडिट अर्जित करने की पात्र हो सकती हैं, परंतु सभी कार्बन क्रेडिट ग्रीन क्रेडिट गतिविधियों से उत्पन्न नहीं होते।	

- **GCP के फोकस क्षेत्र:** वृक्षारोपण, जल, संधारणीय कृषि, अपशिष्ट प्रबंधन, वायु प्रदूषण में कमी, इकोमार्क आदि।

5.2.2. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UN ENVIRONMENT ASSEMBLY: UNEA)

संदर्भ

हाल ही में, केन्या के नैरोबी स्थित UNEP मुख्यालय में **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का छठा सत्र (UNEA-6)** संपन्न हुआ। इसकी **थीम है:** "जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण से निपटने के लिए प्रभावी, समावेशी एवं संधारणीय बहुपक्षीय कार्रवाई (Effective, inclusive and sustainable multilateral actions to tackle climate change, biodiversity loss and pollution)।

विश्लेषण

UNEA-6 के प्रमुख आउटकम्स

- UNEA-6 में एक **मंत्रिस्तरीय घोषणा-पत्र** को अपनाया गया। इसके द्वारा **जलवायु परिवर्तन, प्रकृति और जैव विविधता हानि, प्रदूषण एवं अपशिष्ट के 'ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस (तिहरे ग्रहीय संकट)'** से निपटने की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की गई है।
- प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए समर्पित **पहला बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता दिवस (28 फरवरी, 2024)** मनाया गया।
- रेत और धूल भरी आंधियों से निपटने, रसायनों एवं अपशिष्ट के प्रबंधन, वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सहयोग, संधारणीय जीवन शैली को बढ़ावा देने, आदि पर मसौदा प्रस्ताव पारित किए गए हैं।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) के बारे में

- इसका **गठन 2012** में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन के दौरान किया गया था।
- **भूमिकाएं एवं कार्य:**
  - UNEP की संयुक्त राष्ट्र **पर्यावरण सभा पर्यावरण से जुड़े मामलों पर निर्णय लेने वाली विश्व का शीर्ष निकाय** है।
  - इसके मुख्य कार्य हैं- वैश्विक पर्यावरण एजेंडा निर्धारित करना, दुनिया में उभरती हुई पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान हेतु व्यापक नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करना, और नीतिगत कार्रवाइयां निर्धारित करना।
- **संगठनात्मक संरचना (UNEA ब्यूरो):** इसमें 1 अध्यक्ष और 8 उपाध्यक्ष शामिल होते हैं। इसके अलावा, सदस्य देशों की ओर से एक प्रतिवेदक (Rapporteur) की भी नियुक्ति की जाती है।
- **सदस्यता:** इसमें **संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य** शामिल हैं।

UNEA 6 में जारी की गई रिपोर्ट तथा घोषित किए गए पुरस्कार

- **ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक 2024**
  - रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि वैश्विक खपत को कम करने के लिए **ठोस कार्रवाई न करने पर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन 2020 के स्तर से 60% तक बढ़ सकता** है।
  - प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से **जलवायु को नुकसान** होगा तथा **जैव विविधता और मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम में वृद्धि** होगी।
- **ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024**
  - अनुमान है कि **नगरपालिका ठोस अपशिष्ट की मात्रा** 2023 के 2.3 बिलियन टन से बढ़कर 2050 तक 3.8 बिलियन टन तक हो सकती है।
  - **अपशिष्ट प्रबंधन की प्रत्यक्ष लागत** 2020 के लगभग 252 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2050 तक लगभग दोगुनी हो जाएगी।
- **यूज्ड हेवी-ड्यूटी व्हीकल एंड एनवायरनमेंट रिपोर्ट**
  - इसमें **भारी वाहनों द्वारा प्रदूषकों के उत्सर्जन में वृद्धि** और जलवायु और स्वास्थ्य पर उनके नकारात्मक प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है।
- **यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड**
  - इसे **2017 में शुरू किया** गया था। यह UNEP की **युवा सहभागिता आधारित एक प्रमुख पहल** है।
  - इसके लिए दुनिया के हर हिस्से से **युवाओं (आयु 18-30 वर्ष के बीच) को चुना जाता है** और उन्हें UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया जाता है।

5.2.3. पर्यावरणीय मुद्दों का संवैधानिकीकरण (CONSTITUTIONALIZATION OF ENVIRONMENTAL ISSUES)

संदर्भ

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में यह टिप्पणी की कि "जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण के अधिकार" को संविधान के **अनुच्छेद 14 और 21** के तहत मान्यता दी जानी चाहिए।

विश्लेषण

पर्यावरणीय अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट को संविधान से मिली शक्तियां

- **अनुच्छेद 32:** सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की रक्षा के लिए दिशा-निर्देश, आदेश या रिट जारी कर सकता है (**अनुच्छेद 226** के तहत देश के सभी हाई कोर्ट भी ऐसा कर सकते हैं।)
  - इसे **अनुच्छेद 13(2)** के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। गौरतलब है कि **अनुच्छेद 13(2)** राज्य को ऐसा कोई भी कानून बनाने से रोकता है जो मूल अधिकारों का हनन करते हैं या जिनसे मूल अधिकारों में कटौती होती है।
- **अनुच्छेद 142:** यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में **'पूर्ण न्याय (Complete justice)' करने के लिए डिक्री या आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान** करता है।

"जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण के अधिकार" को लागू करने में चुनौतियां

- अत्यधिक बोझ तले दबी हमारी न्यायिक प्रणाली से **न्याय मिलने में देरी।**
- **प्रदूषणकर्ता की पहचान करने में कठिनाई।**
- **विकासात्मक कार्य और पर्यावरणीय कानून में टकराव।**
- **कमजोर निगरानी** और जन जागरूकता की कमी।

आगे की राह

- न्यायिक देरी की समस्या से निपटने के लिए **अलग संस्थाएं स्थापित** कर सकती है। इसके लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) जैसी संस्था की स्थापना की जा सकती है।
- **जलवायु परिवर्तन संबंधी कानून:** जलवायु परिवर्तन और संबंधित चिंताओं से निपटने और उसे दूर करने के लिए एक व्यापक कानून की आवश्यकता है।
- **संस्थागत क्षमता को मजबूत करना:** यह कार्य पर्यावरणीय मामलों से निपटने वाली संस्थाओं को पर्याप्त वित्तीय संसाधन आवंटित करके और उनके क्षमता निर्माण में निवेश कर किया जा सकता है।
- **अधिकारों के बारे में जागरूकता: यूरोपियन कोर्ट ऑफ़ ह्यूमन राइट्स** ने अपने कई फैसलों में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर सरकार की निष्क्रियता के खिलाफ आम जन की ओर से कानूनी मुकदमों का समर्थन किया है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

पर्यावरणीय मुद्दों के संवैधानिकीकरण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के अन्य फैसले

- **एम.के. रणजीतसिंह और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य वाद:** जहां सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए **संविधान में शामिल कुछ मूल अधिकारों के दायरे को बढ़ाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया है।**
- **रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट सेंटर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद (1988):** इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के **अनुच्छेद 21** के हिस्से के रूप में स्वस्थ वातावरण यानी बेहतर पर्यावरण में रहने के अधिकार को मान्यता दी थी।
- **एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ वाद (1987):** संविधान के **अनुच्छेद 21** के तहत **प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के अधिकार** को जीवन के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा माना गया है।
- **वीरेंद्र गौर बनाम हरियाणा राज्य वाद (1995):** इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण तथा वायु एवं जल प्रदूषण से मुक्त पारिस्थितिक संतुलन को **अनुच्छेद 21 का हिस्सा** बताया था।
- **टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ और अन्य वाद (1996):** इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हरे भरे क्षेत्रों की प्रकृति, वर्गीकरण या स्वामित्व की परवाह किए बिना "वन (Forest)" के अर्थ का विस्तार किया था। इसका उद्देश्य हरित क्षेत्रों का संरक्षण करना था।
- **वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ वाद (1996):** सुप्रीम कोर्ट ने माना कि **"एहतियाती सिद्धांत (Precautionary Principle)"** और **"प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान का सिद्धांत (Polluter Pays Principle)"** वस्तुतः "संधारणीय विकास" की अनिवार्य विशेषताएं हैं।

पर्यावरण के संबंध में अन्य संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 48A:** राज्य, देश के पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने तथा वन एवं वन्य जीवन की रक्षा करने का प्रयास करेगा।
- **अनुच्छेद 51A(g):** प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह वन, झील, नदी और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उन्हें बढ़ावा दे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे।

5.2.4. जलवायु परिवर्तन और मौद्रिक नीति प्रसारण (CLIMATE CHANGE AND MONETARY POLICY TRANSMISSION)

संदर्भ

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, जलवायु परिवर्तन मौद्रिक नीति में बदलाव को कमजोर कर सकता है।

विश्लेषण

मौद्रिक नीति पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव

- प्रतिकूल मौसमी घटनाएं **कृषि उत्पादन और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित** करती हैं। इससे मुद्रास्फीति पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।
- तापमान में वृद्धि और चरम मौसमी घटनाओं के कारण **नेचुरल ब्याज दर** (Natural Rate of Interest: NRI) **प्रभावित** होती है। इससे उत्पादकता कम हो जाती है और आउटपुट यानी सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
  - ब्याज की **नेचुरल या तटस्थ दर (neutral rate)** अल्पकालिक वास्तविक (रियल) ब्याज दर है। यह सैद्धांतिक रूप से मुद्रास्फीति को स्थिर रखते हुए अधिकतम आउटपुट प्राप्त करने हेतु अर्थव्यवस्था का समर्थन करती है।
  - यह एक ऐसा घटक है, जो **मौद्रिक नीति के रुख (अकोमोडेटिव, न्यूट्रल या रेस्ट्रिक्टिव) को निर्धारित करने** में मदद करता है।
- इसका बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के **वित्तीय स्वास्थ्य पर भी प्रभाव** पड़ता है।

आगे की राह

- **ग्रीन टैक्सोनॉमी** को अपनाना चाहिए। यह आर्थिक गतिविधियों की संधारणीयता की प्रामाणिकताओं का आकलन करने और संभावित रैंकिंग प्रदान करने के लिए एक फ्रेमवर्क है।
- मौद्रिक फ्रेमवर्क के लिए उपयोग करने हेतु अपने **मॉडलिंग फ्रेमवर्क में जलवायु परिवर्तन संबंधी जोखिमों को शामिल** करने की आवश्यकता है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

मौद्रिक नीति के बारे में: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में सामंजस्य बनाए रखने की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति और आउटपुट (यानी GDP) स्थिरता को बनाए रखना है।

ग्रीन इकोनॉमी की ओर बढ़ने के लिए उठाए गए कदम

- **सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड:** इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी। इसे देश में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने वाली और अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने वाली परियोजनाओं को वित्त-पोषित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। **विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs)** को भविष्य की ग्रीन सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई है।
- **सौर ऊर्जा परियोजनाओं** के लिए **स्वचालित** मार्ग के तहत **100 प्रतिशत** तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति प्रदान की गई है।
- **ग्रीन क्लाइमेट फंड:** इसे कम उत्सर्जन वाले और जलवायु-अनुकूल विकास पथ की ओर बढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु स्थापित किया गया है। भारत **जल, स्वच्छ ऊर्जा आदि से संबंधित परियोजनाओं** के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड से सहायता प्राप्त कर रहा है।

5.2.5. न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस (New Collective Quantified Goal on Climate Finance: NCQG)

संदर्भ

UNFCCC के पक्षकारों ने **पेरिस समझौते के तहत "न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस (NCQG)"** पर नए प्रस्ताव प्रस्तुत किए।

विश्लेषण

NCQG के बारे में

- गौरतलब है कि 2015 में पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP21) में NCQG का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। NCQG का उद्देश्य **2025 के बाद के लिए जलवायु वित्त-पोषण का नया लक्ष्य** निर्धारित करना है।
  - 2009 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के पक्षकारों ने **2020 तक प्रतिवर्ष 100 अरब डॉलर जुटाने का निर्णय** लिया था। बाद में इस अवधि को **2025** तक बढ़ा दिया गया था।
  - हालांकि, यह **लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं** किया जा सका है। यह जलवायु वित्त-पोषण तंत्र में कमी को दर्शाता है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

जलवायु वित्त-पोषण पर पेरिस समझौता (2015)

- पेरिस समझौते के **अनुच्छेद 9** के अनुसार समझौते के **पक्षकार विकसित देश** शमन और अनुकूलन दोनों के लिए **पक्षकार विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन** उपलब्ध कराएंगे।
- यह सहायता **UNFCCC के वित्तीय दायित्वों के अनुरूप** होगी।

- NCQG में जलवायु वित्त-पोषण के तहत **प्रतिवर्ष 100 अरब डॉलर जुटाने के मौजूदा लक्ष्य को बढ़ाने का प्रस्ताव** किया गया है। साथ ही, इसमें वर्तमान **जलवायु वित्त-पोषण तंत्र में निहित कमियों को भी दूर करने का प्रयास** किया गया है। **इसके लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:**
    - आवश्यकताओं के अनुरूप वित्त-पोषण की **मात्रा और पात्रता,** दोनों प्रकार के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;
    - जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के शमन, अनुकूलन और **हानि एवं क्षति** के वित्त-पोषण के लिए उपयुक्त व्यवस्था पर सहमति बनाई गई है; तथा
    - लक्ष्य की प्राप्ति में **अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता** सुनिश्चित की गई है।

प्रतिवर्ष 100 अरब डॉलर जुटाने के लक्ष्य की प्राप्ति में समस्याएं

- **जलवायु वित्त आवंटन में असंतुलन:** 2011 से 2020 के बीच, वैश्विक जलवायु वित्त-पोषण का 80% **आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के देशों तथा पूर्वी एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सकेंद्रित** रहा था यानी उन्हें ही प्राप्त हुआ था।
- **जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के शमन के वित्त-पोषण पर अत्यधिक ध्यान:** जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन हेतु 2019-2020 में **कुल जलवायु वित्त-पोषण का केवल 8%** ही प्राप्त हुआ था।
- **जलवायु वित्त-पोषण की प्रकृति:** जलवायु कार्रवाई में मौजूदा निवेश का **लगभग 94% या तो ऋण या इक्विटी** के रूप में है, यानी उन्हें **वापस करना** होगा।

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

5.3. प्रदूषण (POLLUTION)

5.3.1. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (Plastic Waste Management)

संदर्भ

- हाल ही में, लोक लेखा समिति (PAC) ने संसद में **"प्लास्टिक के कारण प्रदूषण (Pollution caused by Plastic)"** शीर्षक से एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के मद्देनजर सरकार ने **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024 (PMW नियम, 2024)** को अधिसूचित किया है।
- **PWM नियम, 2024** के जरिए **PWM नियम, 2016** के अलग-अलग प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इन संशोधनों के जरिए PAC द्वारा सामने लाए गए मुद्दों का समाधान करने में मदद मिल सकती है। इसे **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के तहत शक्ति प्राप्त है।

विश्लेषण

PWM नियम, 2024 के प्रमुख प्रावधानों पर एक नज़र

- **प्लास्टिक का वार्षिक मूल्यांकन तंत्र:** नए नियमों के अनुसार, **डंप साइटों** में मौजूद प्लास्टिक कचरे/ अपशिष्ट के साथ-साथ **उत्पन्न प्लास्टिक कचरे का वार्षिक आकलन करने का कार्य स्थानीय निकायों** को करना होगा।
- **पंजीकरण के लिए केंद्रीकृत पोर्टल:** इस नियम के तहत **एक ऑनलाइन केंद्रीकृत पोर्टल** का भी प्रावधान किया गया है।
- **एकल उपयोग वाले प्लास्टिक (SUP) का समापन:** 2024 के नियमों में यह प्रावधान किया गया है कि **स्थानीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्र में प्रतिबंधित SUP वस्तुओं** के भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को रोकने के लिए **आवश्यक उपाय करेंगे।** साथ ही, वे इस संबंध में एक वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे।
  - इससे पहले **PAC ने भी बताया था कि SUP पर प्रतिबंध लगाने में पहले से देरी** हुई है और कई राज्यों ने तो अभी भी इन पर प्रतिबंध भी नहीं लगाया है।
- **EPR के दायरे का विस्तार:** PAC की रिपोर्ट के अनुसार, **EPR के लिए एक समान फ्रेमवर्क की कमी है।** इसके चलते प्लास्टिक कचरे के संग्रहण और प्रसंस्करण से जुड़ी प्रणाली के विकास में बाधा आ रही है।
- **ऑनलाइन रिपोर्ट प्रस्तुत करना:**
  - **विनिर्माता और आयातक** को तिमाही आधार पर रिपोर्ट भेजनी होगी।
  - **प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण या प्रसंस्करण में शामिल विनिर्माता/ उत्पादक** को वार्षिक आधार पर रिपोर्ट भेजनी होगी।
  - **प्लास्टिक के कच्चे माल** या प्लास्टिक पैकेजिंग के विनिर्माण के लिए **इंटरमीडिएट मटेरियल की बिक्री में शामिल विनिर्माता/ उत्पादक** को वार्षिक आधार पर रिपोर्ट भेजनी होगी।
- **निगरानी:** PWM से जुड़े नियमों की प्रभावी निगरानी के साथ-साथ जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य के लिए अवश्य पढ़िए"

अध्याय 16: पर्यावरणीय मुद्दे (जीव विज्ञान-कक्षा XII))

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में

- **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार-**
  - भारत में 2020-21 में **41,26,997 टन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न** हुआ था।
  - पिछले पांच वर्षों में **प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा बढ़कर दोगुनी हो गई है।**

PWM नियम, 2016 (2024 में संशोधित) को भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट के **प्रभावी और वैज्ञानिक प्रबंधन** के लिए बनाया गया था।

- ये नियम **अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, विनिर्माता, आयातक, उत्पादक और ब्रांड मालिक** सभी पर लागू हैं।
- 30 सितंबर, 2021 से प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन कर दी गई थी। इसके बाद 31 दिसंबर, 2022 से इसकी न्यूनतम मोटाई को बढ़ाकर **120 माइक्रोन** कर दिया गया है।
- कम उपयोगी और अधिक कचरा फ़ैलाने वाले कुछ सिंगल यूज प्लास्टिक (SUP) पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- इसके तहत **'विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR)' प्रणाली** की शुरुआत की गई थी।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के बेहतर कार्यान्वयन में सहायक PWM नियम, 2024 के अन्य प्रावधान

- **हितधारकों की परिभाषाओं में बदलाव: आयातक, विक्रेता, उत्पादक** और **विनिर्माता** की परिभाषा का विस्तार करते हुए शामिल किया गया है।
- **बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की सटीक परिभाषा।**
- **FSSAI से प्रमाण-पत्र:** CPCB के अलावा **FSSAI** से भी प्रमाण-पत्र प्राप्त करें।
- **अलग-अलग प्रकार के प्लास्टिक पर लेबल के लिए सटीक दिशा-निर्देश।**

वैमासिक डिविजन

PWM, 2024 के तहत ऑनलाइन रिपोर्टिंग की व्यवस्था

स्थानीय निकायों द्वारा रिपोर्ट सौंपा जाना

- स्थानीय निकायों को शहरी (या ग्रामीण) विकास विभाग और SPCB एवं PCC, दोनों को **सालाना तौर पर रिपोर्ट को ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है।**
- SPCB और PCC इन रिपोर्ट्स का ऑडिट करेंगे और वार्षिक रिपोर्ट **अपनी वेबसाइट्स पर प्रकाशित करेंगे।**

SPCB और PCC द्वारा रिपोर्ट सौंपा जाना

- SPCB और PCC इन नियमों के कार्यान्वयन के बारे में एक वार्षिक रिपोर्ट **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)** को ऑनलाइन जमा करेंगे।

CPCB द्वारा रिपोर्ट सौंपा जाना

- CPCB इन नियमों के कार्यान्वयन पर एक समेकित वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे अपनी सिफारिशों के साथ केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगा।

5.3.2. बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024 {Battery Waste Management (Amendment) Rules, 2024}

संदर्भ

हाल ही में, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने **बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022** में **संशोधन** किया है।

विश्लेषण

नए नियमों द्वारा किए गए कुछ प्रमुख बदलावों पर एक नज़र

- **अपशिष्ट बैटरी के लिए प्रमाण-पत्र का प्रावधान**
  - **CPCB** द्वारा **EPR प्रमाण-पत्र** की खरीद-बिक्री हेतु अधिकतम और न्यूनतम मूल्य का निर्धारण किया जाएगा। 2022 के नियमों के अनुसार, CPCB द्वारा **केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल** के जरिए **EPR प्रमाण-पत्र** पुनर्चक्रणकर्ता/ नवीनीकरण करने वालों को प्रदान किया जाता है।
  - पोर्टल के माध्यम से **पंजीकृत संस्थाओं** के बीच **EPR प्रमाण-पत्र** की खरीद-बिक्री का मूल्य अधिकतम और न्यूनतम मूल्य के बीच ही होना चाहिए। पुनर्चक्रणकर्ता/ नवीनीकरण करने वाले अपशिष्ट बैटरियों के बदले में **उत्पादकों को EPR प्रमाण-पत्र बेच सकते हैं।**
- **उल्लंघन होने की स्थिति में उचित कार्रवाई और पर्यावरणीय मुआवजे का प्रावधान**
  - अब, **CPCB इन दिशा-निर्देशों** को तैयार करेगा और उनकी सिफारिश करेगा।
    - ◊ इन दिशा-निर्देशों को तैयार करने के लिए **CPCB** चाहे तो **कार्यान्वयन समिति** के साथ परामर्श कर सकता है।
  - सुझाए गए दिशा-निर्देश **MoEF&CC** को सौंपे जाएंगे।

आगे की राह

- **नीतिगत समर्थन:** इस संबंध में नीति आयोग द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं:
  - इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट से पृथक किए गए **लिथियम आयन बैटरियों के निपटान के लिए अलग से लाइसेंस** प्रदान किया जाना चाहिए ताकि रीसाइक्लिंग गतिविधियों से जुड़ने के लिए न्यूनतम इलेक्ट्रॉनिक कचरा जुटाने की आवश्यकता को खत्म किया जा सके।
  - **लैंडफिल में बैटरियों के निपटान** को **गैर-कानूनी** बनाया जाना चाहिए।
- **विनिर्माताओं को प्रोत्साहन:** पुनर्चक्रण से संबंधित नियमों (जैसे- ग्रीन टैक्स) के पालन के लिए **बैटरियों के विनिर्माताओं को प्रोत्साहन** दिया जाना चाहिए।
- **ग्राहकों को प्रोत्साहित करना:** डिपॉजिट रिफंड सिस्टम (DRS) लागू करना ग्राहकों को रीसाइक्लिंग के लिए बैटरी वापस करने के लिए प्रोत्साहित करने की एक प्रभावी रणनीति है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

आइए अब भारत में बैटरी अपशिष्ट से निपटने हेतु मौजूदा व्यवस्था के बारे में जानते हैं

- अपशिष्ट बैटरियों का पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए MoEF&CC ने **बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022** को जारी किया था। गौरतलब है कि MoEF&CC ने ये नियम **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के तहत जारी किए थे।
  - इन नियमों को पहले 2023 में और अभी हाल ही में 2024 में संशोधित किया गया है।
- **बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के प्रमुख प्रावधानों पर एक नज़र:**
  - **विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR):** इसके तहत बैटरियों के उत्पादनकर्ताओं (आयातकों सहित) को अपशिष्ट बैटरियों के संग्रहण, पुनर्चक्रण/ नवीनीकरण और बैटरी अपशिष्ट से प्राप्त सामग्रियों का उपयोग नई बैटरियों के विनिर्माण में करने के उत्तरदायित्व को शामिल किया गया है।
  - **केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल:** इस पोर्टल के जरिए उत्पादकों और पुनर्चक्रणकर्ता/ नवीनीकरण करने वालों (Recyclers/ Refurbishes) के बीच EPR प्रमाण-पत्रों का आदान-प्रदान किया जाता है।
  - **रिकवरी को अनिवार्य करना:** इन नियमों के तहत अपशिष्ट बैटरियों से निश्चित मात्रा में उपयोगी सामग्री को रिकवर करना अनिवार्य किया गया है।
  - **प्रदूषक द्वारा भुगतान का सिद्धांत:** EPR के लक्ष्यों को पूरा न करने की स्थिति में पर्यावरणीय मुआवजे का प्रावधान किया गया है।

- **संग्रहण प्रणाली में सुधार:** बैटरी अपशिष्ट के **संग्रहण और पुनर्चक्रण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक समर्पित एजेंसी** स्थापित करनी चाहिए।
- **अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्त-पोषण:** बैटरी अपशिष्ट से अधिक-से-अधिक उपयोगी सामग्री निकालने के आर्थिक रूप से सार्थक तरीकों का विकास करने हेतु अनुसंधान संगठनों को वित्त-पोषित किया जा सकता है।

5.3.3. ई-अपशिष्ट (E-waste)

संदर्भ

हाल ही में, **ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर 2024** जारी किया गया।

विश्लेषण

- यह **रिपोर्ट** निम्नलिखित की साझेदारी में **वित्त-पोषित और तैयार की गई** है:
  - **संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (UNITAR)** के **सस्टेनेबल साइकिल्स (SCYCLE) कार्यक्रम** (इसका मिशन **विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (EEE)** आदि के लिए **संधारणीय उत्पादन, उपभोग और निपटान पैटर्न** के विकास को संभव करते हुए संधारणीय समाज को बढ़ावा देना है।)
- **अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU)**, सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (ICTs) के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।
- फोंडेशन कार्मिग्नैक (Fondation Carmignac)
- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र**
  - 2022 में वैश्विक स्तर पर 62 अरब किलोग्राम ई-अपशिष्ट उत्पन्न हुआ था। साथ ही, 22.3% अपशिष्ट को औपचारिक रूप से संग्रहित कर उसका पुनर्चक्रण किया गया।
  - दुर्लभ भू-तत्व की मांग का केवल 1% ही ई-अपशिष्ट के पुनर्चक्रण से पूरा होता है।
  - **ई-अपशिष्ट में धातुओं का अनुमानित आर्थिक मूल्य:** यह लगभग 91 अरब अमेरिकी डॉलर है।
  - **नीति निर्माण:** दुनिया भर के सभी देशों के 42% यानी 81 देशों ने ई-अपशिष्ट नीति, कानून या विनियमन को अपनाया है।
  - **चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका** के बाद **भारत सर्वाधिक ई-अपशिष्ट उत्पन्न करने वाला** (लगभग 4,100 अरब किलोग्राम) **तीसरे नंबर** का देश है।

भारत में ई-अपशिष्ट की स्थिति

- 2021-22 के दौरान कुल **16.01 लाख टन** ई-अपशिष्ट उत्पन्न हुआ।
- कुल उत्पन्न ई-अपशिष्ट का **लगभग 33%** एकत्रित और प्रोसेस किया गया।
- सर्वाधिक मात्रा में ई-अपशिष्ट को एकत्रित और प्रोसेस करने वाला राज्य **हरियाणा** है। इसके बाद **उत्तराखंड** का स्थान है।
- देश में **567 ई-अपशिष्ट प्रोसेसिंग इकाइयां** हैं, जिनकी सालाना क्षमता **लगभग 17.23 लाख टन** है।

भारत में ई-अपशिष्ट से जुड़ी चुनौतियां

- **अनौपचारिक पुनर्चक्रण:** लगभग 85% ई-अपशिष्ट का प्रबंधन असंगठित क्षेत्रक द्वारा किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से देश भर में फैले स्क्रैप डीलर शामिल होते हैं।
- **अपर्याप्त ई-अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना।**
- **ई-अपशिष्ट का आयात:** विकसित देशों द्वारा पुनर्चक्रण के लिए 80% ई-अपशिष्ट भारत, चीन, घाना और नाइजीरिया जैसे विकासशील देशों में भेजा जाता है।
- **अन्य मुद्दे:** इसमें **तकनीकी उन्नति**; मरम्मत हेतु सीमित विकल्प आदि शामिल हैं।

भारत में ई-अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए आगे की राह

- **पुनर्चक्रण और निपटान:** उदाहरण के लिए, **विनिर्माण क्लस्टरों के साथ ई-अपशिष्ट प्रबंधन औद्योगिक क्लस्टर की सह-स्थापना करना।**
- **अन्य:** कॉर्पोरेट जिम्मेदारी; अनौपचारिक क्षेत्रक; तकनीकी विकास; सख्त निगरानी और प्रवर्तन।

अन्य संबंधित तथ्य के लिए अवश्य पढ़िए"

अध्याय 16: पर्यावरणीय मुद्दे (जीव विज्ञान-कक्षा XII))

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

ई-अपशिष्ट के बारे में

इसमें ऐसे सौर फोटोवोल्टिक सहित विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं, जिन्हें
- **पुन: उपयोग न करके अपशिष्ट के रूप में त्याग** दिया जाता है, और
- विनिर्माण, नवीनीकरण और मरम्मत प्रक्रियाओं से बाहर रखा जाता है।

भारत में ई-अपशिष्ट प्रबंधन

- **खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) संशोधन नियम, 2003:** पहली बार ई-अपशिष्ट की संरचना के दायरे में स्पष्ट रूप से खतरनाक पदार्थों (Hazardous materials) को शामिल किया गया।
- **ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2011:** इसमें EPR की अवधारणा को अपनाया गया।
  - उत्पाद उत्तरदायित्व को उपभोग के पश्चात उत्पाद के जीवन चक्र चरण तक विस्तारित किया गया है।
- **ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016:** इसमें **निर्माता दायित्व संगठन** की अवधारणा प्रस्तुत की गई।
- **ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022** का उद्देश्य EPR व्यवस्था के माध्यम से चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।
- **ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) द्वितीय संशोधन नियम, 2023:** इसके प्रमुख प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल हैं-
  - इसमें **हानिकारक पदार्थों की कमी करने से संबंधित छूट के बारे में अधिक स्पष्टता** प्रदान की गई है।
- **ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) संशोधन नियम, 2024 में EPR प्रमाणपत्र का विनिमय मूल्य केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित उच्चतम और निम्नतम मूल्य के बीच होने का प्रावधान है।**

5.3.4. डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज (DAC+S) प्लांट {Direct Air Capture and Storage (DAC+S) plant}

संदर्भ

आइसलैंड में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज (DAC+S) प्लांट 'मैमथ' का परिचालन शुरू हुआ।

विश्लेषण

नए प्लांट के बारे में: यह एक स्विस कंपनी क्लाइमवर्क्स की दूसरी व्यावसायिक DAC+S इकाई है और इसकी पूर्ववर्ती **ओर्का** इकाई से काफी बड़ी है।

अन्य CDR तकनीकें:

- **वनारोपण/ पुनर्वनीकरण और मृदा कार्बन पृथक्करण।**
- **अपक्षय में वृद्धि:** प्राकृतिक रूप से CO_2 को अवशोषित करने वाले खनिजों से युक्त चट्टानों का खनन किया जाता है।
- **महासागर-आधारित CDR:**
  - **ओशन फर्टिलाइज़ेशन:** महासागर की ऊपरी परतों में पोषक तत्व मिलाना।
  - **महासागर क्षारीयता में वृद्धि:** CO_2 का बायो-कार्बोनेट/ कार्बोनेट के रूप में रूपांतरण।
  - **ब्लू कार्बन:** वह कार्बन जिसे वायुमंडल से अवशोषित कर महासागरों में संचित किया गया है।
- **कार्बन कैप्चर और स्टोरेज के साथ जैव-ऊर्जा (BECCS):** इसमें CDR के लिए ऊर्जा के रूप में बायोमास का उपयोग करना और भूवैज्ञानिक रूप से जैवोत्पादित (Biogenic) कार्बन का भंडारण करना शामिल है।
- **CDR में चुनौतियां:**
  - अत्यधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है,
  - खनन के कारण अधिक वायु प्रदूषण होता है,
  - भूमि और पानी की अधिक आवश्यकता होती है,
  - समुद्र के अम्लीकरण का जोखिम बना रहता है आदि।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

- **DAC+S प्रौद्योगिकी:**
  - यह एक **कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल (CDR)** तकनीक है। यह किसी भी स्थान पर **वायुमंडल से सीधे CO_2 कैप्चर** करती है।
    - ◊ यह **कार्बन कैप्चर से अलग** है, जहां आम तौर पर **उत्सर्जन के बिंदु या स्रोत पर CO_2 कैप्चर** किया जाता है।
  - CO_2 को **गहरी भूवैज्ञानिक संरचनाओं (जैसे DAC+S) में स्थायी रूप से संग्रहीत** किया जा सकता है। साथ ही, **विविध अनुप्रयोगों के लिए इसका उपयोग** भी किया जा सकता है।
- **कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल (CDR) के बारे में:**
  - CDR उन **मानवजनित गतिविधियों को व्यक्त** करता है, जो वायुमंडल से CO_2 को हटाती हैं। साथ ही, इसे **भूगर्भीय, स्थलीय या समुद्री निकायों में स्थायी रूप से संग्रहीत** करती हैं।
  - IPCC की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार **नेट ज़ीरो CO_2 व GHG उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए CDR** आवश्यक तकनीक है।

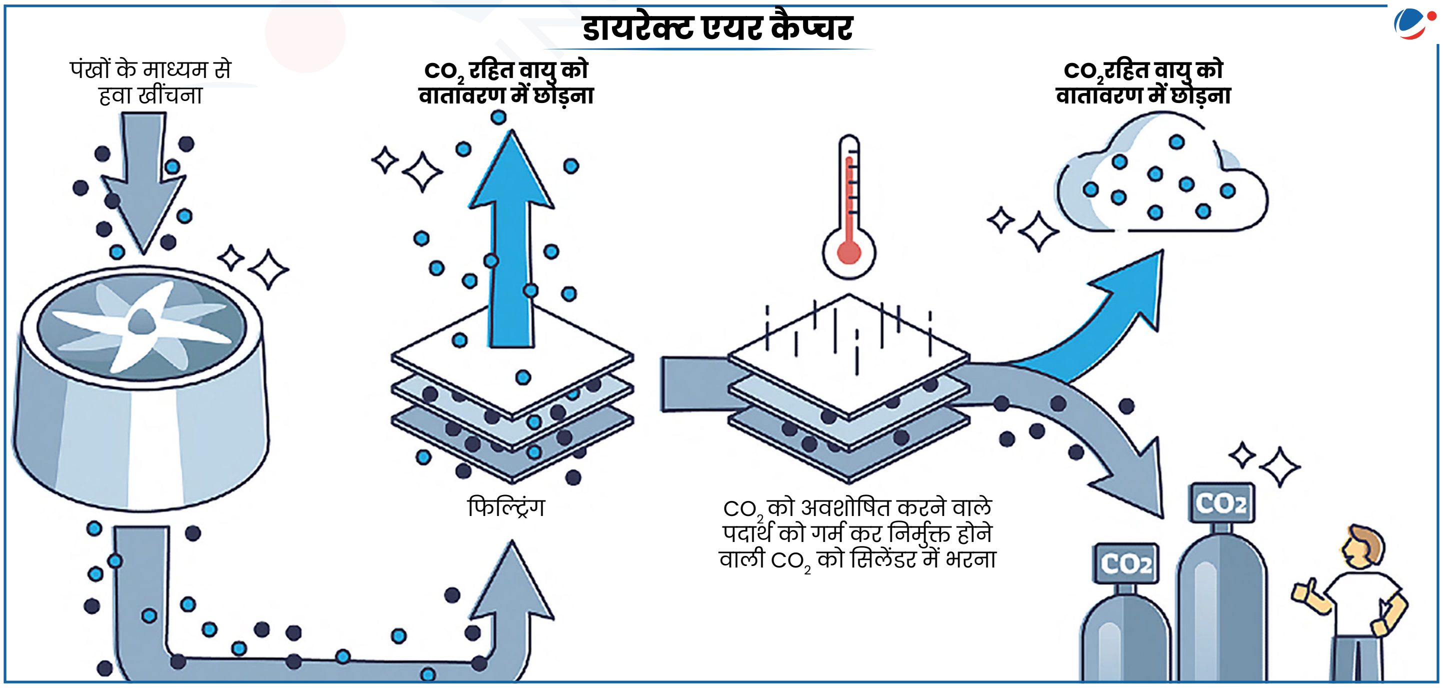

5.3.5. शहरी जल संकट (Urban Water Crisis)

संदर्भ

कम बारिश होने के चलते बेंगलुरु शहर को हाल के कुछ वर्षों में सबसे गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ा है।

विश्लेषण

शहरी जल संकट के लिए जिम्मेदार कारण

- **अव्यवस्थित शहरीकरण: अधिक से अधिक नागरिकों का शहरी क्षेत्रों की ओर बढ़ना।**
- **जल निकायों में प्रदूषण:** कई बड़े जल निकाय औद्योगिक अपशिष्टों और अनुपचारित सीवेज के चलते अत्यधिक प्रदूषित हो गए हैं।
- **भूजल का अत्यधिक दोहन: शहरी जल आपूर्ति का 48% भूजल से आता है।**
- **खराब जलापूर्ति अवसंरचनाएं:** जल के रिसाव के परिणामस्वरूप उपभोक्ता तक जल नहीं पहुंच पाता है। इसके चलते राजस्व की हानि होती है। ऐसे जल को **हाई नॉन रिवेन्यू वाटर** भी कहते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन:** मानसून के पैटर्न में बदलाव तथा बाढ़ और सूखे की घटना व प्रचंडता में वृद्धि से जल की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- **जलभृत प्रणाली संबंधी चुनौतियां:** दक्षिण भारत में लंबे समय तक सूखे की स्थिति के चलते भूजल स्तर अनुमान से भी नीचे गिर सकता है।
  - दक्षिण भारत में जलभृत प्रणाली बहुत ही अलग तरह की है। **यहां की सतह बहुत अधिक चट्टानी है** और इसमें बहुत अधिक जल भंडारण नहीं होता है।

अन्य संबंधित तथ्य के लिए अवश्य पढ़िए"

अध्याय 16: पर्यावरणीय मुद्दे (जीव विज्ञान-कक्षा XII))

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

शहरी जल संकट के बारे में

- जल संकट एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां जल प्रदूषण, जल के अत्यधिक उपयोग और खराब जल प्रबंधन जैसे कारकों के चलते रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए **पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ और साफ पानी उपलब्ध नहीं हो पाता** है।
- जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप सूखे की बढ़ती स्थिति के कारण **जल संसाधनों की कमी** को **"डे जीरो"** कहा गया है।
  - "डे जीरो" का अर्थ शहर को जल की आपूर्ति करने वाले **जलाशयों में जलस्तर** का काफी **कम** हो जाना है। इसका यह अर्थ नहीं है कि जलाशयों में पानी नहीं है।
    - **2018 में दक्षिण अफ्रीका का केपटाउन शहर और 2019 में चेन्नई ने "डे जीरो"** का अनुभव किया था।
- जल संकट **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) विशेषकर SDG-6 को प्राप्त करने में एक प्रमुख बाधा** है। SDG-6 का लक्ष्य 2030 तक सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता सुनिश्चित करना है।

आगे की राह

- **प्रकृति-आधारित समाधान को बढ़ावा:** शहरी क्षेत्रों में ग्रीन-ब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने और आर्द्रभूमि का पुनरुद्धार करना।
- **समुदाय आधारित समाधान:** समुदाय पानी के कुशलतापूर्वक प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **विनियामक उपायों को लागू करना:** विनियामक नीतियों के तहत शहरी जल प्रबंधन से जुड़ी संधारणीय पद्धतियों को लागू किया जाना चाहिए, जैसे- वर्षा जल संचयन (Rainwater harvesting), ग्रे-वाटर रीसाइक्लिंग और अपशिष्ट जल का उपचार आदि।
  - उदाहरण के लिए- **तमिलनाडु** में सभी नई इमारतों में वर्षा जल संचयन को अनिवार्य कर दिया गया है।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** जलापूर्ति वितरण प्रणाली में जल के रिसाव का पता लगाने, पानी की गुणवत्ता की निगरानी और लक्षित उपचारात्मक कार्रवाइयों को सुगम बनाने में आधुनिक तकनीकों की मदद ली जा सकती है।
- **वाटर गवर्नेंस में C2C लर्निंग को बढ़ावा देना:** अन्य शहरों की बेहतर कार्य पद्धतियों से सीखने के लिए गठबंधन बनाना चाहिए।
- **निजी क्षेत्रक का लाभ उठाना:** उदाहरण के लिए- **टाटा स्टील** ने जमशेदपुर में **डिमना झील का निर्माण** किया है।

पृथ्वी के जल का वितरण

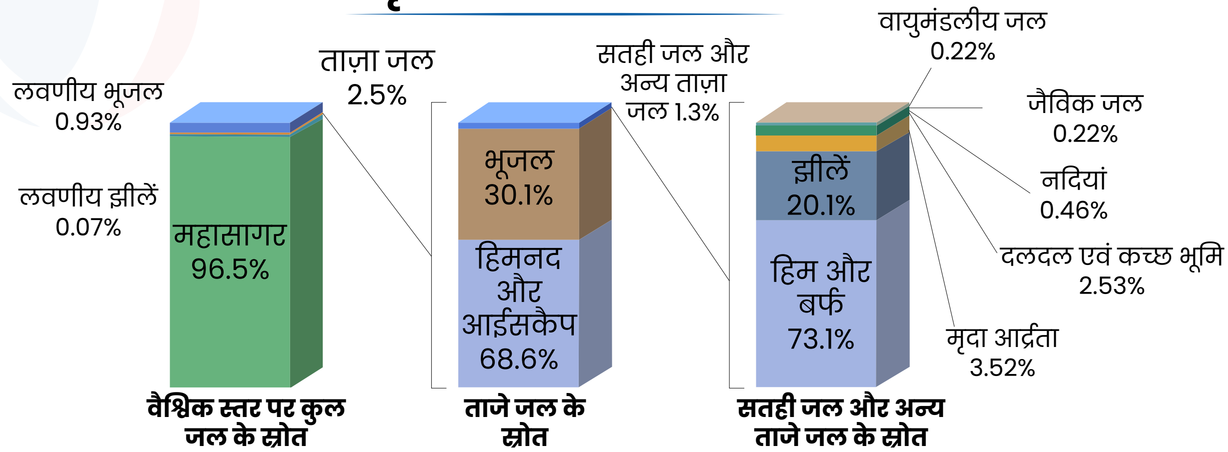

5.4. संधारणीय विकास (SUSTAINABLE DEVELOPMENT)

5.4.1. भारत में पारंपरिक ज्ञान (TRADITIONAL KNOWLEDGE IN INDIA)

संदर्भ

हाल ही में, **विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (World Intellectual Property Organization: WIPO)** ने **"बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधनों और संबंधित पारंपरिक ज्ञान पर संधि (Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge)"** को अपनाया है।

विश्लेषण

संधि के बारे में

- वर्ष 2001 में WIPO में वार्ता शुरू हुई। इस पर आरंभिक चर्चा 1999 में कोलंबिया के प्रस्ताव पर हुई।
- इस संकल्प को भारत सहित 150 से अधिक देशों द्वारा अपनाया गया।
- यह बौद्धिक संपदा (IP), आनुवंशिक संसाधन (GR) और पारंपरिक ज्ञान (TK) के बीच इंटरफेस का समाधान करने वाली पहली संधि है।
- यह स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा को मान्यता देती है।
  - वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया, यह संकल्प कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। (भारत द्वारा समर्थित)।

संधि के प्रमुख प्रावधान

- पेटेंट आवेदन में संसाधन के स्रोत का अनिवार्य प्रकटीकरण (PDR): इसमें संसाधन प्राप्ति के मूल देश और स्वदेशी लोग के संशोधन शामिल हैं।
- राष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य कानूनी, प्रशासनिक और/ या नीतिगत फ्रेमवर्क।
- सूचना प्रणालियों की स्थापना।
- सभा: अनुबंध में शामिल सभी पक्ष का एक प्रतिनिधि।
- अन्य प्रावधान:
  - विकासशील देशों या परिवर्तन से गुजर रहे देशों को वित्तीय सहायता।
  - इस संधि के लागू होने से पहले दायर किए गए पेटेंट पर लागू नहीं।
  - प्रशासनिक कार्य करने के लिए WIPO का अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो।

संधि का महत्त्व

- ट्रिप्स जैसी मौजूदा बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) व्यवस्थाओं की तुलना में अधिक पारदर्शिता।
- स्थानीय समुदायों और उनके आनुवंशिक संसाधनों और पारम्परिक ज्ञान के बीच संबंधों की औपचारिक मान्यता।
- अनिवार्य प्रकटीकरण दायित्वों के माध्यम से अतिरिक्त सुरक्षा।
- बायोपायरेसी पर अंकुश लगाना: उदाहरण के लिए, घाव भरने के लिए हल्दी और फंगस को रोकने के लिए नीम के तेल पर अमेरिकी पेटेंट का भारत ने विरोध किया। भारत के अनुसार उसके यहां प्राचीन काल से इनका उपयोग होता रहा है। इसके बाद अमेरिकी पेटेंट रद्द

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

- **आनुवंशिक संसाधन (Genetic Resources):** ये संसाधन औषधीय पौधों, कृषि फसलों और पशु नस्लों में प्राकृतिक रूप से निहित हैं, अर्थात ये संसाधन पौधों, जानवरों, सूक्ष्मजीवों तथा अन्य जीवों से प्राप्त किए जा सकते हैं। हालांकि, आनुवंशिक संसाधनों को **सीधे बौद्धिक संपदा के रूप में संरक्षित नहीं** किया जा सकता है।
- **पारंपरिक ज्ञान (Traditional knowledge):** ये देशज यानी मूलवासी समुदायों द्वारा पीढ़ियों से संरक्षित ज्ञान हैं। ये ज्ञान जैव विविधता संरक्षण में मदद करते हैं। दुनिया की 80% आबादी अपनी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए पारंपरिक चिकित्सा पर निर्भर हैं।

TK की प्रमुख विशेषताएं

- ये पीढ़ी-दर-पीढ़ी संरक्षित एवं पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ते रहते हैं
- ये समुदाय द्वारा नई चुनौतियों का सामना करने से विकसित भी होते रहते हैं
- ये सामूहिक/ व्यक्तिगत प्रकृति के भी हो सकते है

भारत के पारंपरिक ज्ञान और आनुवंशिक संसाधनों से जुड़ी चुनौतियां

- **बायोपायरेसी:** विदेशी कंपनियां भारत के आनुवंशिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करती हैं, पेटेंट कराती हैं और इनका व्यावसायिक लाभ उठाती हैं। हालांकि, इसके बदले में न तो इन लाभों को समुदायों के साथ साझा करती हैं न ही इन संसाधनों या ज्ञान में देशज या मूलवासी समुदायों के योगदान को मान्यता देती हैं।
- **किसानों पर प्रभाव:** जो किसान कई पीढ़ियों से मुख्य खाद्य फसलों की खेती करते आ रहे हैं, उन्हीं के पास बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उन्हीं फसलों की पेटेंट की गई किस्मों की खेती करने का कोई प्रभावी अधिकार नहीं है।
- **पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजी रिकॉर्ड नहीं होना:** इस वजह से पारंपरिक ज्ञान युवा पीढ़ियों तक नहीं पहुंच पाएगा या उन तक पहुंचते-पहुंचते अपना मूल तत्व खो देगा।
- **संरक्षण के लिए मजबूत वैश्विक कानूनी फ्रेमवर्क का नहीं होना:** आनुवंशिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के दुरुपयोग

कर दिया गया।

- नैतिक नवाचार को प्रोत्साहित करना।

को रोकने, इन संसाधनों से हुए लाभ को साझा करने तथा इन पर देशज या मूलवासी समुदाय के अधिकारों को मान्यता देने के लिए मजबूत वैश्विक कानूनी फ्रेमवर्क होना जरूरी है।

- **जैव विविधता के संरक्षण में कोताही:** पर्यावरण के बढ़ते क्षरण और जलवायु परिवर्तन में वृद्धि से उन पर्यावासों (हैबिटेट) और पारिस्थितिकी तंत्रों को खतरा है, जिनसे ये आनुवंशिक संसाधन प्राप्त होते हैं।

5.4.2. स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना/ क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन (Clean Energy Transition)

संदर्भ

विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने **"फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2024"** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

विश्लेषण

रिपोर्ट के बारे में

- यह रिपोर्ट **एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स (ETI)** पर आधारित है। यह इंडेक्स **120 देशों** का उनकी **ऊर्जा प्रणाली के प्रदर्शन तथा सुरक्षित, संधारणीय और समावेशी ऊर्जा प्रणालियों को अपनाने में उनकी तैयारी के आधार पर मूल्यांकन** करता है।
- **ETI 2024 फ्रेमवर्क एक सुसंगत पद्धति का उपयोग करके देशों की ऊर्जा प्रणालियों का व्यापक मूल्यांकन** प्रदान करता है।
- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:**
  - **भारत की रैंकिंग:** सूचकांक 2024 में **भारत 63वें स्थान** पर है। 2023 में भारत 67वें स्थान पर था।
  - **स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना में निवेश:** स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना में निवेश **2023 में 1.8 ट्रिलियन डॉलर** तक पहुंच गया। हालांकि, 2021 के बाद से **स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना में निवेश में जो वृद्धि हुई है उसका** लगभग **90% विकसित अर्थव्यवस्थाओं** और **चीन** में हुई है।
  - **सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 5 देश हैं:** स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस।
  - **आठ देशों ने 2022 में नेट-जीरो उत्सर्जन हासिल किया है।** ये हैं: भूटान, कोमोरोस, गैबॉन, गुयाना, मेडागास्कर, नियू, पनामा और सूरीनाम।
  - जनरेटिव AI से ऊर्जा कंपनियों को **सालाना 500 बिलियन डॉलर से अधिक की बचत हो सकती** है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में

- एनर्जी ट्रांजिशन का अर्थ है ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन करने वाले जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करके **कम** या या **शून्य-उत्सर्जन वाले ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता बढ़ाना।**
- एनर्जी ट्रांजिशन के लिए वैश्विक ऊर्जा क्षेत्रक से **दीर्घकालिक रणनीतियां बनाने की अपेक्षा** है। इसमें अपनी ऊर्जा जरूरत यानी एनर्जी मिक्स में अधिक स्वच्छ और संधारणीय ऊर्जा विकल्प को अपनाना शामिल है जिससे **कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा। इस रणनीति में डीकार्बोनाइजेशन के लिए** उपाय भी शामिल हैं।
- **भारत के लिए एनर्जी ट्रांजिशन का महत्त्व:** ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने; रोजगार के अवसर बढ़ाने; 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन जैसे जलवायु लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।

एनर्जी ट्रांजिशन में भारत की स्थिति क्या है?

- भारत **नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में विश्व में चौथे स्थान** पर, पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में चौथे स्थान पर तथा सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में पांचवें स्थान पर है।
- **स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता:** नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वर्ष **2014 के 76.37 गीगावाट से बढ़कर मई 2024 में 193.58 गीगावाट (जलविद्युत सहित)** हो गई।

एनर्जी ट्रांजिशन की चुनौतियां: तकनीकी बाधाएं; निवेश में असमानताएं; सब्सिडी और आपूर्ति श्रृंखलाओं में अनिश्चितताएं; भू-राजनीतिक तनाव और व्यापार संरक्षणवाद; ऊर्जा भंडारण की सीमाएं; वित्तीय और आर्थिक बाधाएं; आदि।

आगे की राह

- **निवेश में असमानता को दूर करना:** विकसित देशों को उभरते और विकासशील देशों में **न्यायसंगत एनर्जी ट्रांजिशन** के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।
- **डीकार्बोनाइजेशन के लिए कानूनों को लागू करना:** इसके लिए मजबूत राजनीतिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।
- **अभाव या संकट का सामना करने वाले परिवारों के लिए ऊर्जा समानता प्रदान करना:** इसके लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय और क्षतिपूर्ति उपायों को बढ़ावा दिया जा सकता है, उदाहरण के लिए- कैश ट्रांसफर और अस्थायी रूप से बेसिक इनकम पहल शुरू करना।
- **अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना तथा नई प्रौद्योगिकियों को अपनाना:** इनमें नई बैटरी प्रौद्योगिकियां, अपतटीय पवन ऊर्जा का लाभ उठाना तथा शिपिंग गतिविधि और इस्पात उत्पादन के लिए ग्रीन अमोनिया-आधारित हाइड्रोजन का उपयोग शामिल हैं।
- **नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी को ग्लोबल पब्लिक गुड्स का दर्जा देना।**
- **नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के उपयोग में समानता सुनिश्चित करना:** इसके लिए घरेलू नीतिगत फ्रेमवर्क में भी सुधार किया जाना चाहिए।

एनर्जी ट्रांजिशन के लिए शुरू की पहलें

वैश्विक पहलें	भारत की पहलें
• **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (2015)** • **क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम:** यह अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का प्रमुख कार्यक्रम है। • **पैनल ऑन क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनिरल्स:** भारत इसका सदस्य है। • **जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप:** यह पहल अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) और विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा 2022 में शुरू की गई थी। • **कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM):** इसे यूरोपीय संघ (EU) ने 2023 में शुरू किया था। • **वैश्विक नवीकरणीय और ऊर्जा दक्षता संकल्प:** इस संकल्प पर संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित COP-28 में 133 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इसका उद्देश्य 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की दर को तीन गुना करना है।	• **राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन (2010)** • **राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (2013)** • **हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना:** इस परियोजना को विश्व बैंक सहयोग प्रदान करता है। • **राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति (2018)** • **नवीकरणीय खरीद दायित्व (RPO):** यह अनिवार्य करता है कि बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) द्वारा खरीदी गई बिजली का एक निश्चित प्रतिशत नवीकरणीय स्रोतों से आना चाहिए। इससे स्वच्छ ऊर्जा की मांग में वृद्धि होगी। • **राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (2023)**

5.4.3. भारत में पर्यावरणीय आंदोलन (Environmental Movements in India)

संदर्भ

वर्ष 2023 में चिपको आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। चिपको आंदोलन **'इको-फेमिनिज्म'** दर्शन का उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह आंदोलन **वन संरक्षण के प्रयासों में महिलाओं की सामूहिक लामबंदी** के लिए प्रसिद्ध है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

चिपको आंदोलन के बारे में

- चिपको आंदोलन वनों की कटाई के खिलाफ एक अहिंसक प्रतिरोध था। यह आंदोलन, उत्तराखंड के चमोली जिले के रेनी गांव में शुरू हुआ था।
- **प्रमुख नेतृत्वकर्ता:** सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी आदि।
- **आंदोलन की उत्पत्ति: मूलतः 'चिपको आंदोलन' की शुरुआत 18वीं शताब्दी में राजस्थान के बिश्नोई समुदाय** ने पवित्र वृक्षों की रक्षा के लिए की थी।
  - वहां पर इस आंदोलन का नेतृत्व **अमृता देवी ने जोधपुर के तत्कालीन राजा के आदेश के विरुद्ध** किया था।
  - इस आंदोलन के परिणामस्वरूप एक शाही आदेश पारित किया गया, जिसमें **सभी बिश्नोई समुदायों के गांवों में पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध** लगा दिया गया था।

विश्लेषण

इको-फेमिनिज्म के बारे में

- यह एक **दार्शनिक और राजनीतिक आंदोलन** है जो पूंजीवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था को चुनौती देता है। यह तर्क देता है कि पर्यावरण का क्षरण और उसकी अधीनता का महिलाओं के साथ भेदभाव से गहरा संबंध है।
- यह **पारंपरिक ज्ञान और पर्यावरण के साथ महिलाओं के सीधे संबंधों के महत्व पर जोर** देता है।
- इसकी **समकालीन प्रासंगिकता में पूंजीवादी शोषण की आलोचना** और पर्यावरणीय न्याय शामिल हैं।

भारत में पर्यावरण आंदोलन का प्रभाव

- **महिलाओं को नेतृत्व का अवसर:** जैसे- मेधा पाटकर, गौरा देवी।
- **पर्यावरण नीति और कानूनों को प्रभावित करना:** इन आंदोलनों ने वन अधिकार अधिनियम 2006 जैसे कानूनों के निर्माण को प्रभावित किया।
- **अहिंसक आंदोलनों की विरासत को बरकरार रखना:** लगभग सभी आंदोलनों में, लोगों ने अहिंसा और सत्याग्रह की गांधीवादी अवधारणा को अपनाया है।
- **संधारणीय विकास** का समर्थन।
- **सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना:** इन आंदोलनों ने इस बात पर बल दिया कि देशज और स्थानीय समुदाय प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त हितधारक हैं।
- **'गरीबों के पर्यावरणवाद' की विचारधारा की वकालत की:** इन आंदोलनों ने आधुनिक विकासवाद की आलोचना की और पारंपरिक संधारणीय प्रथाओं के पुनरुद्धार पर बल दिया है।

पर्यावरणीय आंदोलनों के समक्ष आने वाली चुनौतियां

- प्रस्तावित परियोजनाओं के प्रभावों के बारे में **पर्याप्त तकनीकी जानकारी और डेटा का अभाव रहता है।**
- स्थानीय सरकारों के पास अपने आस-पास के पर्यावरण के बारे में **निर्णय लेने की पर्याप्त शक्ति का अभाव है।**
- पर्यावरणीय आंदोलनों की **प्रकृति प्रायः प्रतिक्रियाशील** होती है और ये **विकास की वैकल्पिक योजना** भी प्रस्तावित नहीं करते हैं।
- विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय आंदोलनों के बीच **संवाद और सहयोग का अभाव रहता है।**
- **पारंपरिक विश्वास प्रणालियों का लुप्त होना और इस तरह के आंदोलनों में लोगों की कम रुचि।**

आगे की राह

- इन आंदोलनों के जरिए **वैकल्पिक जन अनुकूल विकास योजनाओं** की रूपरेखा प्रस्तुत की जा सकती है।
- विकास में आम जन की भागीदारी को बढ़ाना चाहिए।
- आंदोलनों के आधार में **तकनीकी और डेटा संबंधी ज्ञान** को भी शामिल किया जाना चाहिए।
- **स्थानीय और वैश्विक मुद्दों** को संधारणीयता जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों से जोड़ना चाहिए।
- **आंदोलनों के साथ-साथ व्यक्तिगत कार्रवाई को भी बढ़ावा देना** चाहिए। **उदाहरण के लिए, पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली (LiFE) पहल।**

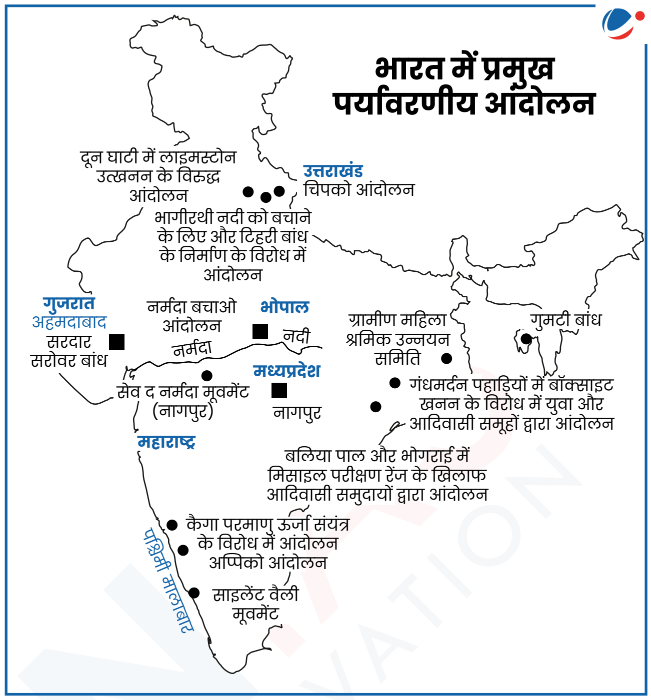

5.4.4. "फाइनेंसिंग एग्रो-केमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट (FARM)" कार्यक्रम {FINANCING AGROCHEMICAL REDUCTION AND MANAGEMENT (FARM) PROGRAMME}

संदर्भ

वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) द्वारा वित्त-पोषित "फाइनेंसिंग एग्रो-केमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट (FARM)" कार्यक्रम की शुरुआत की गई।

विश्लेषण

FARM कार्यक्रम की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र:

- **FARM के बारे में:** यह **379 मिलियन डॉलर के वित्त-पोषण वाली एक पहल** है।
- इस कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित के लिए **वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे:**
  - खाद्य उत्पादन में हानिकारक इनपुट्स के उपयोग पर रोक लगाना;
  - कम या बिना रासायनिक इनपुट्स वाले विकल्प अपनाने को बढ़ावा देना आदि।
- **कार्यक्रम की अवधि: 5 वर्ष**
- **यह कार्यक्रम निम्नलिखित का समर्थन करेगा:**
  - **स्थायी जैविक प्रदूषकों (POPs) से युक्त** एग्रो-केमिकल्स और एग्रो-प्लास्टिक के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने वाले सरकारी नियमों को तथा **बेहतर प्रबंधन मानकों को अपनाना।**
  - प्रभावी कीट नियंत्रण; उत्पादन संबंधी विकल्पों की उपलब्धता में सुधार तथा संधारणीय उत्पाद के व्यापार को बढ़ावा देने हेतु **बैंकिंग, बीमा और निवेश मानदंडों को मजबूत करना।**
- **FARM के सदस्य:** भारत, इक्वाडोर, केन्या, लाओ पीडीआर,

अन्य संबंधित तथ्य के लिए अवश्य पढ़िए:

अध्याय 4: कृषि (कक्षा 10-भूगोल)

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) के बारे में

- **उत्पत्ति: इसे 1992 के रियो अर्थ समिट** के दौरान स्थापित किया गया था।
- **GEF के बारे में:** GEF **18 एजेंसियों की एक विशिष्ट साझेदारी** है। इसमें संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां, बहुपक्षीय विकास बैंक, राष्ट्रीय संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं। ये सभी संगठन **दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करने के लिए सदस्य देशों** के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
- **सदस्य देश:** भारत सहित विश्व के 186 देश
- **भूमिका:** GEF **निम्नलिखित पांच अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कन्वेंशंस के लिए वित्तीय तंत्र के रूप में काम करती है:**
  - मरकरी पर मिनामाता कन्वेंशन,

फिलीपींस, उरुग्वे और वियतनाम।

- **लागू करने वाली एजेंसियां:** इस कार्यक्रम का नेतृत्व **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)** कर रहा है। वहीं इसे **एशियाई विकास बैंक (ADB), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) तथा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO)** द्वारा लागू किया जाएगा।
  - **देशों** में इस कार्यक्रम को लागू करने की जिम्मेदारी **कृषि एवं खाद्य संगठन** (FAO) की होगी।

- स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (POPs) पर स्टॉकहोम कन्वेंशन,
- संयुक्त राष्ट्र जैव-विविधता कन्वेंशन (UNCBD),
- संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन (UNCCD), और
- संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)

FARM कार्यक्रम का महत्त्व:

- **हर साल लगभग 4 बिलियन टन कीटनाशक और 12 बिलियन किलोग्राम एग्रो-प्लास्टिक का इस्तेमाल** किया जाता है।
- **अत्यधिक खतरनाक कीटनाशकों के उपयोग और एग्रो-प्लास्टिक के कुप्रबंधन से विषाक्त POPs पर्यावरण में प्रवेश** कर जाते हैं।
  - POPs ऐसे केमिकल्स हैं, जो पर्यावरण में विखंडित नहीं होते हैं तथा हवा, जल एवं भोजन को दूषित करते हैं।

5.4.5. शून्य बजट प्राकृतिक कृषि (ZERO BUDGET NATURAL FARMING: ZBNF)

संदर्भ

हाल ही में, एक शोध पत्र में पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती अपनाने को लेकर चेतावनी दी गई है। यह शोध पत्र **राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)** और **अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए भारतीय परिषद (ICRIER)** द्वारा जारी किया गया है।

विश्लेषण

ZBNF का महत्त्व

- कृषि उपज में सुधार और किसानों की आय में वृद्धि
- उत्पादन की लागत में कटौती और रासायनिक इनपुट्स के उपयोग से राहत
- पर्यावरण संरक्षण और मृदा स्वास्थ्य का पुनरुद्धार
- पशुधन संधारणीयता को बढ़ावा और रोजगार में वृद्धि

ZBNF से संबंधित मुद्दे

- **यह एक श्रम गहन कृषि पद्धति है।** इसके तहत कृषि भूमि एवं पशुधन के रख-रखाव में **अधिक श्रम की आवश्यकता** होती है।
- **इसके तहत शून्य लागत इनपुट की अवधारणा को लेकर भी विवाद होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बिना इनपुट लागत के फसलों का उत्पादन करना लगभग असंभव सा लगता है।**
- इसमें **फसल की पैदावार की मात्रा में उतार-चढाव** एक सामान्य घटना बन जाएगी, क्योंकि किसी फसली मौसम के दौरान किसी प्राकृतिक कारणों के चलते पैदावार की मात्रा प्रभावित हो सकती है।
- इस प्रकार की खेती के लिए **देशी नस्ल की गाय** को पालना आवश्यक हो जाता है। देशी नस्ल की गाय तुलनात्मक रूप से कम दूध देती है और उनके रख-रखाव की लागत भी अधिक है, जो किसानों के लिए अलाभकारी हो सकता है।

प्राकृतिक कृषि, जैविक कृषि और रासायनिक कृषि के बीच तुलना

- **जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के तहत बाहरी सामग्रियों का बिल्कुल उपयोग** नहीं किया जाता है, जबकि जैविक और अजैविक कृषि में क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम बाहरी सामग्रियों का उपयोग होता है।
- इसके तहत **प्राकृतिक नियमों के आधार पर खेती** की जाती है। इसके तहत कुछ **स्वीकृत सिद्धांतों और पद्धतियों का पालन** किया जाता है। इसके तहत पैदावार में सुधार के लिए **कृषि गतिविधियों में बदलाव किए जाते हैं।**
- इसमें किसी भी बाह्य स्रोत से **उर्वरक का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें जैविक खाद का उपयोग** किया जाता है। इसमें **रासायनिक**

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

शून्य बजट प्राकृतिक कृषि (ZBNF) के बारे में

- खेती या कृषि की इस पद्धति को भारत में **सुभाष पालेकर** द्वारा तैयार किया गया है। **शून्य बजट प्राकृतिक खेती** का प्रयोग सबसे पहले एक जापानी किसान और दार्शनिक **मसानोबु फुकुओका** ने किया था।
- **ZBNF में शामिल अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं-**
  - इंटरक्रॉपिंग, खेतों के बीच में कतारें एवं मेढ़ बनना, केंचुओं की स्थानीय प्रजातियों को बढ़ावा, देशी गाय (बोस-इंडिकस) के गोबर का उपयोग करना।
- **ZBNF** का नाम बदलकर **भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP)** कर दिया गया है। इसे परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) के तहत एक उप-योजना के रूप में अपनाया गया है। इसका उद्देश्य जैविक खेती और मृदा के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है।
  - **BPKP** एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो छह साल (2019-25) की अवधि के लिए शुरू की गई है।
- वर्तमान में **11 राज्यों में 6.5 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल पर** ZBNF पद्धति के तहत खेती की जा रही है।

ZBNF के स्तंभ

- **बीजामृत** (गाय के गोबर और गोमूत्र से बीजोपचार)
- **जीवामृत** (देशी गाय के गोबर और गोमूत्र से बने घोल का उपयोग करना)
- **मल्चिंग** (मिट्टी में अनुकूल माइक्रोक्लाइमेट सुनिश्चित करने से जुड़ी गतिविधियां)
- **वाफ़सा** (मृदा के बेहतर वायु-मिश्रण को बढ़ावा देना)

उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है।

- इसमें **स्थानीय किस्मों के बीजों के उपयोग** को प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें **प्रमाणित जैविक बीजों** के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें **हाइब्रिड या आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजों के उपयोग** को प्रोत्साहित किया जाता है।

निष्कर्ष

अलग-अलग क्षेत्रों और पारिस्थितिक तंत्रों में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि की प्रभावकारिता एवं दक्षता का पता लगाने के लिए **देश भर में वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहिए।** साथ ही, विभिन्न सरकारी और सहकारी पहलों के माध्यम से **देशी गाय की नस्लों (जैसे- पुंगनूर गाय, लाल सिंधी आदि) को भी बढ़ावा दिया जा सकता है,** जिससे उनकी संख्या में वृद्धि हो सकती है।

5.4.6. मिलेट्स (Millets)

संदर्भ

हाल ही में, **अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023** का समापन समारोह इटली की राजधानी रोम में स्थित FAO के मुख्यालय में संपन्न हुआ।

विश्लेषण

मिलेट्स का महत्त्व

- **किसानों के लिए**
  - चावल और गेहूं जैसी मुख्य फसलों की तुलना में इनकी खेती में **पानी की भी कम खपत** होती है।
    - उदाहरण के लिए- 1 किलोग्राम चावल के उत्पादन में लगभग 5,000 लीटर पानी की खपत होती है, वहीं 1 किलोग्राम मिलेट्स के उत्पादन में लगभग 250-300 लीटर पानी की खपत होती है।
  - ये **90-180 दिनों की अल्प अवधि** में पक कर तैयार हो जाती हैं और इन्हें किसी भी फसली मौसम में उगाया जा सकता है।
  - इनका उपयोग पशुओं के लिए **चारे के रूप में** भी किया जा सकता है।
- **स्वास्थ्य के लिए**
  - ये **ग्लूटेन मुक्त** होते हैं और उनका **ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है।** इसके कारण इन्हें मधुमेह के रोगियों के लिए आदर्श अनाज माना जाता है।
  - इसमें **चावल और गेहूं की तुलना में बेहतर सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं।**
  - इसलिए कुपोषण को ख़त्म करने के लिए इसका उपयोग काफी प्रभावी साबित हो सकता है।
- **पर्यावरण के लिए**
  - ये **C4 श्रेणी की फसलें** हैं। इसलिए इनमें कार्बन-डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और उपयोग करने की उच्च क्षमता होती है।
  - इनमें **जलवायु परिवर्तन को सहने की बेहतर क्षमता होती है।**
  - ये मृदा अपरदन को कम करके तथा मृदा स्वास्थ्य में सुधार करके **संधारणीय कृषि को बढ़ावा देते है।**

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

मिलेट्स या श्री अन्न या मोटे अनाज के बारे में

- मिलेट्स **छोटे दाने वाले, वार्षिक रूप से गर्म मौसम में उगाए जाने वाले** अनाज हैं।
- ये **अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र** में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं।
- ये **मानव द्वारा उगाई जाने वाली सबसे पुरानी खाद्य फसलों में से भी एक** हैं।
  - आकार के आधार पर, **इन्हें सामान्य रूप से निम्नलिखित में विभाजित किया गया है:**
    - **बड़े मिलेट्स (Major millets): जैसे-** ज्वार, बाजरा और रागी
    - **छोटे मिलेट्स (Minor millets): जैसे-** कुटकी, कंगनी, चीना, सावां और कोदो

भारत में मिलेट्स

- **भारत दुनिया में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र (लगभग 41%)** है। भारत के बाद **नाइजर (लगभग 12%)** और **चीन (लगभग 8%)** का स्थान आता है।
- भारत में मिलेट्स का **कुल उत्पादन** लगभग **16 मिलियन टन** प्रतिवर्ष है।
- भारत में **कुल मिलेट्स उत्पादन का 83%** से अधिक हिस्सा छह राज्यों यथा **राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र** और **गुजरात** में उत्पादित होता है।

मिलेट्स के उपभोग को मुख्यधारा में शामिल करने के समक्ष मौजूद चुनौतियां: लोगों में जागरूकता का अभाव, एकाधिक प्रसंस्करण आवश्यकताएं, खराब शेल्फ लाइफ, आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े मुद्दे, अधिक उपज देने वाले किस्म (HYV) के बीजों की अनुपलब्धता।

भारत में मिलेट्स के उपभोग को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलें

- **श्री अन्न योजना:** यह योजना वर्ष 2023 में शुरू की गई थी।
  - इस योजना के तहत, **भारतीय श्री अन्न अनुसंधान केंद्र, हैदराबाद** को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता प्रदान की गयी है।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) ने **2022-23 से 2026-27 के लिए "मिलेट्स-आधारित उत्पादों हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (PLISMBP)"** लागू की है।
- 2018 को **"राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष"** घोषित किया गया और मिलेट्स की ब्रांडिंग "पोषक अनाज (Nutri-Cereals)" के रूप में की गयी।
- **अन्य प्रयास:**
  - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने **पोषण मिशन अभियान में मिलेट्स को शामिल किया** है।
  - वर्ष 2018 में **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन** के तहत **मिलेट्स पर एक उप-मिशन** शुरू किया गया है।

भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख मिलेट्स या श्री अन्न

मिलेट	विशेषताएं
ज्वार (सोरघम)	➢ इसे **'किंग ऑफ मिलेट्स'** कहा जाता है। ➢ **वर्षा:** 250-300 मि.मी. ➢ **मृदा:** चिकनी गहरी रेगुर और जलोढ़ मृदा ➢ यह उत्तरी राज्यों में उगाई जाने वाली खरीफ मौसम की फसल है। इसका उपयोग मुख्य रूप से चारे की फसल के रूप में किया जाता है।
बाजरा (पर्ल मिलेट)	➢ यह कम अवधि में तैयार होने वाली फसल है। इसे वर्षा आधारित और सिंचित, दोनों क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। ➢ **वर्षा:** 400-500 मि.मी. ➢ **मृदा:** उचित जल निकासी वाली दोमट मृदा
रागी (फिंगर मिलेट)	➢ इसे अधिकतर दक्षिण भारत में उगाया जाता है। **कर्नाटक** इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। ➢ **वर्षा:** 600-750 मि.मी. ➢ **मृदा:** उचित जल निकासी वाली दोमट और काली मृदा

5.4.7. कार्बन रिमूवल्स एंड कार्बन फार्मिंग (CRCF) {Carbon Removals and Carbon Farming (CRCF)}

संदर्भ

हाल ही में, यूरोपीय संसद और यूरोपीय परिषद पहले **"EU-स्तरीय कार्बन रिमूवल सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क"** की स्थापना के लिए विनियमन हेतु एक **अनंतिम (provisional) समझौते** पर पहुंची हैं।

विश्लेषण

EU-स्तरीय कार्बन रिमूवल सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क के बारे में

- यह सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क नवोन्मेषी **कार्बन पृथक्करण (रिमूवल) प्रौद्योगिकियों और कार्बन फार्मिंग** को बढ़ावा देगा।
- इसमें **गुणवत्ता मानदंड संबंधी मानक** स्थापित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। साथ ही, **ग्रीनवाशिंग को रोकने के लिए निगरानी और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं** की रूपरेखा भी तैयार की गई है।
  - **ग्रीनवॉशिंग** के तहत कंपनियां अपने उत्पाद या सेवा के अधिक पर्यावरण अनुकूल होने के बारे में भ्रामक प्रचार करती हैं। वास्तव में ये उत्पाद या सेवाएं उतने पर्यावरण अनुकूल नहीं होते हैं, जितना उनका प्रचार किया जाता है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

- **कार्बन फार्मिंग के बारे में:**
  - इसमें **कार्बन भंडारण में वृद्धि और उत्सर्जन में कटौती करके** कृषि में सुधार करने; पारिस्थितिकी-तंत्र को बहाल करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए **पुनर्योजी विधियों (Regenerative practices)** का उपयोग किया जाता करती है।
  - **कार्बन फार्मिंग की सामान्य विधियां:** इनमें निम्नलिखित शामिल हैं-
    - कृषि वानिकी, कंजर्वेशन फार्मिंग (मृदा की ऊपरी परत के साथ अधिक छेड़छाड़ नहीं करना), एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, घास के मैदानों का संरक्षण आदि।

संभावित लाभ:

- **कार्बन पृथक्करण:** अध्ययनों से पता चलता है कि कृषि क्षेत्र की मृदा **हर साल 3-8 बिलियन टन के बराबर CO2 उत्सर्जन को अवशोषित** कर सकती है।
- **किसानों की आय को बढ़ाना:** किसान पर्यावरणीय सेवाओं के माध्यम से कार्बन क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं। इससे उन्हें **अतिरिक्त आय** प्राप्त हो सकती है।

चुनौतियां: अधिक **नीतिगत समर्थन उपलब्ध नहीं** है, लघु या सीमांत किसानों के पास संधारणीय भूमि प्रबंधन विधियों में **निवेश करने के लिए संसाधनों की कमी** है आदि।

कार्बन फार्मिंग को बढ़ावा देने हेतु मुख्य पहलें

- वैश्विक पहलें
  - **4 पर 1000 इनिशिएटिव:** यह पहल हितधारकों को **अत्यधिक लचीली** कृषि प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह पहल **2015 में पेरिस में UNFCCC-COP21 के दौरान** शुरू की गई थी।
  - **विश्व बैंक समर्थित पहलें: केन्या की कृषि कार्बन परियोजना** इत्यादि।
- भारत की पहलें
  - **कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS):** यह केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना है।
  - **राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन**

5.5. आपदा प्रबंधन (DISASTER MANAGEMENT)

5.5.1. बांध सुरक्षा (DAM SAFETY)

संदर्भ

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (NDSA) ने **कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना** (KLIP) की बांध सुरक्षा की जांच करने के लिए एक **विशेषज्ञ समिति** का गठन किया है।

- KLIP **दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीस्टेज लिफ्ट सिंचाई परियोजना** है। इसे **तेलंगाना में गोदावरी नदी** पर बनाया गया है।

विश्लेषण

बांधों की सुरक्षा से जुड़े कुछ चिंताजनक मुद्दे

- **पुराने बांध:** असुरक्षित या अलाभकारी हो सकता है।
  - 80% बड़े बांध **25 वर्ष से अधिक पुराने** हैं और **227 बांध 100 वर्ष से अधिक पुराने** हैं।
- **भूकंप के प्रति संवेदनशील:** कई बांध हिमालय जैसे भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में बनाए गए हैं।
- **बाढ़:** उदाहरण के लिए- अक्टूबर, 2023 में सिक्किम का सबसे ऊंचा चुंगथांग बांध **साउथ ल्होनक झील में हिमनदीय झील के तटबंध टूटने से आई अकस्मात बाढ़** में बह गया था।
- **ओवरटॉपिंग:** ओवरटॉपिंग (अवनालिका अपरदन) के कारण पानी के तटबंध के आस-पास या उसके बगल से वहां की मृदा का कटाव होता है, जिसके चलते बांध टूट जाते हैं।
- **अवसाद का जमाव:** अवसाद या गाद की अत्यधिक मात्रा से जल विद्युत पैदा करने वाले टरबाइनों एवं बांध के अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों को नुकसान पहुंचता है।
- खराब वित्तीय स्थिति के चलते आमतौर पर बिजली संयंत्र के अन्य हिस्सों का रख-रखाव और मरम्मत का कार्य ठीक से नहीं हो पाता है।

बांध की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु शुरू की गई पहलें

- **बड़े बांधों का राष्ट्रीय रजिस्टर (NRLD):** इस रजिस्टर को केंद्रीय जल आयोग (CWC) ने तैयार किया है।
- **बांध पुनरुद्धार और सुधार परियोजना (DRIP)।**
- **बांधों की भूकंप से सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय केंद्र:** यह केंद्र MNIT, जयपुर (राजस्थान) में है।
- **भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली।**
- **डैम हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लिकेशन (DHARMA)।**

अन्य संबंधित तथ्य के लिए अवश्य पढ़िए

अध्याय 3: जल संसाधन (कक्षा 10- भूगोल)

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के बारे में

- **उद्देश्य:** इसमें **बांधों की विफलता को रोकने के लिए बांधों की उचित निगरानी, संचालन और रख-रखाव का प्रावधान किया गया** है।
- **हितधारकों की जिम्मेदारी का निर्धारण: बांधों का स्वामित्व, उनके संचालन एवं रख-रखाव** की जिम्मेदारी राज्य सरकारों या विभागों/ बोर्डों/ CPSUs/ निजी एजेंसियों आदि की है।
- **चार स्तरीय संस्थागत व्यवस्था**
  - राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (National Committee on Dam Safety: NCDS)
  - राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (National Dam Safety Authority: NDSA)
  - राज्य बांध सुरक्षा समिति (State Committee on Dam Safety: SCDS)
  - राज्य बांध सुरक्षा संगठन (State Dam Safety Organisations: SDSO)

बांध टूटने की प्रमुख घटनाएं

- 1975: बनकियाओ बांध का टूटना (चीन)
- 1979: मच्छु बांध का टूटना (गुजरात)
- 2023: डेरना बांध का टूटना (लीबिया)

बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आगे की राह

- **पुराने बांधों को हटाना या बंद करना।**
- **बांध की योजना, डिजाइन और निर्माण:** बांध बनाने के डिजाइन और मानदंड में बांध की सुरक्षा से संबंधित मौजूदा अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए।
- **उपसतह बांध (Subsurface Dams): जापान** जैसे देशों ने सतही बांधों (Surface dams) के विकल्प के रूप में कई उप-सतही बांधों का निर्माण किया है। इसे **भारत में भी अपनाया जा सकता** है।
  - उपसतह बांध, **भू-जल के प्राकृतिक प्रवाह को रोकने के लिए पूरी तरह से भूमिगत बनाए जाते हैं।**

5.5.2. हीटवेव (Heatwave)

संदर्भ

हाल ही में, भारत में उत्तरी और मध्यवर्ती क्षेत्रों के **37 से अधिक शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक** पहुंच गया। इसके कारण लाखों सुभेद्य लोगों के लिए गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है।

विश्लेषण

हीट वेव के प्रभाव

- **मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव:** हीट क्रैम्प्स, एडिमा (सूजन) और सिंकोप (बेहोशी), हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक।
  - IMD के अनुसार, **2000 से 2020** के बीच, हीट वेव के कारण **10 हजार से अधिक लोगों की मौत** हो गई थी।
- **बिजली की मांग में वृद्धि:** हीट वेव के दौरान कूलिंग उपकरणों का अधिक उपयोग किया जाता है।
- **वनाग्नि और सूखा।**
- **मृदा में नमी की कमी:** उच्च तापमान के कारण मृदा की नमी तेजी से वाष्पित हो जाती है। इससे पादप वृद्धि और मृदा के संपूर्ण स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- **उत्पादकता में कमी:** 2030 तक बढ़ते तापमान के कारण भारत में दैनिक कार्य घंटों में 5.8% की कमी आने की आशंका है।
- **उत्पादकता में कमी, फसल की पैदावार और पशुधन पर प्रभाव** समग्र खाद्य सुरक्षा प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है।

हीटवेव से बचने के लिए उठाए गए कदम

- **हीटवेव के प्रबंधन पर राष्ट्रीय दिशा-निर्देश:** राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने हीटवेव के प्रभावी प्रबंधन में सहायता प्रदान करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- **IMD द्वारा शुरू की गई पहलें:**
  - **अग्रिम चेतावनी प्रणाली और अंतर-एजेंसी समन्वय।**
  - **हीट वेव चेतावनियों** के लिए ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड जैसे कलर कोड जारी किए जाते हैं।
- **गर्मी से निपटने के लिए कार्य योजनाएं:** NDMA और स्थानीय स्वास्थ्य विभागों के सहयोग से IMD द्वारा लगभग 23 राज्यों (जहां हीटवेव का सबसे अधिक खतरा है) में गर्मी से निपटने की कार्य योजनाएं शुरू की गई हैं।

आगे की राह: किए जाने वाले बचाव संबंधी उपाय

- **शीतल आश्रय प्रदान करना:** चक्रवात और आपदा राहत केंद्रों की तरह सार्वजनिक शीतलन केंद्र बनाए जा सकते हैं, जहां लोग अत्यधिक गर्मी के दौरान ठंडक पाने के लिए जा सकते हैं।
- **भवन निर्माण में सुधार करना:** इमारतों में बेहतर इन्सुलेशन और वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही, अधिक-से अधिक पेड़ लगाकर इमारतों को अधिक हिट-रेजिलिएंट बनाना चाहिए।
- **देशज ज्ञान का उपयोग करना:** हीट वेव और स्ट्रोक से बचने के लिए देशज सुरक्षात्मक तरीकों का उपयोग किया जाना चाहिए, उनका दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए तथा उन पर शोध किया जाना चाहिए।
- **विनियामक प्रावधानों को शामिल करना:** उदाहरण के लिए, भवन निर्माण संबंधी नियमों (Building bylaws) में पैसिव वेंटिलेशन और छत को ठंडा रखने वाली तकनीक के उपयोग को अनिवार्य करना चाहिए, ताकि भवन को ठंडा रखने के लिए विद्युत की खपत को कम किया जा सके।
- **स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए क्षमता निर्माण:** यह स्थानीय स्तर पर गर्मी से संबंधित बीमारियों की पहचान करने और उनका प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए आवश्यक है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

हीटवेव के बारे में

- **हीटवेव के बारे में:** हीटवेव किसी क्षेत्र में असामान्य रूप से उच्च तापमान की स्थिति है, जो मौसम संबंधी, जलवायु संबंधी और मानव-जनित कारकों, जैसे- तीव्र शहरीकरण और ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित होता है। विभिन्न क्षेत्रों में इसकी गंभीरता अलग-अलग होती है।
- **हीटवेव या लू के लिए अनुकूल दशाएं:**
  - प्रतिचक्रवातीय दशाएं
  - ऊपरी वायुमंडल में नमी न होना
  - बादल रहित आकाश
  - क्षेत्र में गर्म शुष्क पवन का बने रहना

IMD द्वारा हीटवेव की घोषणा

हीटवेव के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा निर्धारित मानदंड

हीटवेव के लिए अनुकूल दशाएं	40°C	30°C
अधिकतम तापमान	मैदानी क्षेत्र में	पर्वतीय क्षेत्र में

हीट वेव की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब...		भीषण हीट वेव की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब....	
सामान्य उच्चतम तापमान	सामान्य तापमान की तुलना में अंतर	सामान्य उच्चतम तापमान	सामान्य तापमान की तुलना में अंतर
40°C से अधिक हो	4-5°C या अधिक हो	40°C से अधिक हो	6°C या अधिक हो
40°C या इससे कम हो	5-6°C या अधिक हो	40°C या इससे कम	7°C या अधिक हो

हीट वेव कब घोषित किया जाना चाहिए?

रिकॉर्ड किया गया अधिकतम तापमान

45°C या उससे अधिक तापमान होने पर सभी स्थानों के लिए	**40°C** या उससे अधिक तापमान होने पर तटीय क्षेत्रों के लिए

5.5.3. भारत में अग्नि सुरक्षा विनियम (FIRE SAFETY REGULATIONS IN INDIA)

संदर्भ

हाल ही में, राजकोट (गुजरात) में एक गेमिंग जोन, हरदा (मध्य प्रदेश) में एक पटाखा फैक्ट्री और दिल्ली में एक निजी अस्पताल में आगजनी की दुर्घटनाएं घटित हुई हैं। इन दुर्घटनाओं ने भारत में फायर सेफ्टी को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

विश्लेषण

आग लगने की घटनाओं में जान-माल को नुकसान

- **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की 2022 की रिपोर्ट** के अनुसार, भारत में 2022 में आग लगने की लगभग 7,500 दुर्घटनाएं दर्ज की गई थी। इन दुर्घटनाओं में **लगभग 7,435 लोग मारे** गए थे।
  - अकेले दिल्ली की **फैक्ट्रियों** में पिछले दो वर्षों में **लगभग 800** आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई हैं।
- आग लगने की दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों में **अग्नि-सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन, मानवीय लापरवाही, इलेक्ट्रिकल खराबी, औद्योगिक दुर्घटनाएं** आदि शामिल हैं।

अग्नि-सुरक्षा मानकों को बनाए रखने में आने वाली चुनौतियां

- **सभी राज्यों में समान सुरक्षा कानून का अभाव:**
  - राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे कुछ राज्यों ने **अभी तक अग्नि-सुरक्षा पर कोई कानून नहीं** बनाया है।
- **उपयुक्त सरकारी निगरानी की कमी:** स्थानीय निकायों द्वारा नियमित जांच करने में विफलता, निरीक्षण की गुणवत्ता में कमी, बहुत कम आगे की कार्यवाही करना, भ्रष्टाचार आदि के कारण अग्नि सुरक्षा दिशा-निर्देशों को ठीक से लागू नहीं किया जाता है।
- **कर्मचारियों और उचित अग्निशमन उपकरणों की कमी:** 2019 में **5,191 फायर स्टेशनों और 5,03,365 कर्मियों की कमी** थी।
- **खराब शहरी नियोजन: संकरी गलियों** के साथ भीड़भाड़ वाली शहरी संरचना के कारण दमकल (अग्निशमन) गाड़ियों के पहुंचने में देरी होती है तथा बचाव कार्य भी प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए- **2017 में मुंबई की कमला मिल्स** में आग लगने की घटना।

आगे की राह

- बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही वाली इमारतों के लिए देश भर में प्रत्येक वर्ष थर्ड पार्टी द्वारा **अग्नि-सुरक्षा मानदंडों का अनिवार्य रूप से ऑडिट** किया जाना चाहिए।
- **खतरे की पहचान और जोखिम मूल्यांकन (HIRA)।**
- **13वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करना:**
  - दस लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगमों को आग लगने के खतरे के खिलाफ कार्रवाई और शमन योजनाएं विकसित करनी चाहिए।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

भारत में विद्यमान अग्नि सुरक्षा मानक और विनियमन

- **संवैधानिक प्रावधान:** अग्निशमन सेवा संविधान की **राज्य सूची का विषय** है।
- **राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता (NBC):** इस संहिता को **भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)** ने 1970 में प्रकाशित और 2016 में अपडेट किया था। यह भारत में अग्नि-सुरक्षा के लिए केंद्रीय मानक के रूप में कार्य करती है।
  - **राज्य सरकारों के लिए अग्नि-सुरक्षा** और बचाव उपायों पर **NBC की सिफारिशों** को अपने स्थानीय उप-नियमों (local bylaws) में शामिल करना **अनिवार्य** किया गया है।
- **आदर्श भवन उपनियम 2016: आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय** ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने संबंधित भवन उपनियम तैयार करने के लिए एक गाइड के रूप में इसे जारी किया है।
- **राज्य के लिए अग्निशमन और आपातकालीन सेवा के रखरखाव हेतु मॉडल विधेयक, 2019**
- **फायर सेफ्टी और जीवन सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश:** ये दिशा-निर्देश स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 2020 में जारी किए गए थे।
- **राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए योजना:** यह योजना केंद्र सरकार ने 2023 में शुरू की थी। इसकी कार्यावधि **2025-26** तक है। इसका उद्देश्य राज्यों में **अग्निशमन सेवाओं को मजबूत** करना है।

NDMA के दिशा- निर्देश

- राज्य स्तर पर एक **अग्नि अधिनियम लागू करना,** जिसमें कुछ भवनों और परिसरों के लिए अग्नि विभाग से अनिवार्य रूप से मंजूरी लेने का कानूनी प्रावधान हो।
- राज्य में **अग्निशमन सेवा के पुनरुद्धार के लिए एक व्यापक योजना** तैयार करना।
- **मूल अवसंरचना,** फायर स्टेशन, जल भंडार, प्रशिक्षण केंद्र आदि का **निर्माण करना।**
- उप-संभाग से लेकर ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर तक अग्निशमन सेवाओं की पहुंच में सुधार।

- **अग्नि-सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करना चाहिए** और उल्लंघन के लिए कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए।
- अग्निशमन सेवाओं को बढ़ाने तथा उपकरणों के प्रकार और प्रशिक्षण पर **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के दिशा-निर्देशों को लागू** करना चाहिए।

वैमासिक रिवीजन

5.6. भूगोल (GEOGRAPHY)

5.6.1. क्षेपण मंडल (SUBDUCTION ZONE)

संदर्भ

पुर्तगाली वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान लगाया है कि जिब्राल्टर जलडमरूमध्य के नीचे क्षेपण मंडल (सबडक्शन जोन) के कारण लगभग **20 मिलियन वर्षों** में अटलांटिक महासागर बेसिन धीरे-धीरे सिकुड़ते हुए विलुप्त हो सकता है। इससे पृथ्वी की भौगोलिक स्थलाकृति में काफी बदलाव हो सकता है।

- अटलांटिक में पहले से ही **दो पूर्ण विकसित सबडक्शन ज़ोन्स** मौजूद हैं- **लेसर एंटीलिज** और **स्कोटिया आर्क्स।**
  - इसके तीसरे सबडक्शन जोन, **जिब्राल्टर आर्क** के विकास की गति पिछले कुछ वर्षों में काफी धीमी हो गई थी। इससे इस दुविधा को बढ़ावा मिला था कि यह सक्रिय है अथवा नहीं।

विश्लेषण

इस अध्ययन से संबंधित प्रमुख बिंदुओं पर एक नज़र

- **नवीनतम अध्ययन** के अनुसार, **जिब्राल्टर सबडक्शन** अभी भी सक्रिय है और यह पश्चिम की ओर अटलांटिक की तरफ गति करेगा।
- **जिब्राल्टर जलडमरूमध्य के नीचे सबडक्शन जोन या क्षेपण मंडल की धीमी गति** के बावजूद, **विशेषज्ञों का मानना है कि यह बढ़ते हुए अटलांटिक महासागर के अन्य हिस्सों में फैल सकता** है। इस परिघटना को **'सबडक्शन इन्वैजन (Subduction invasion)'** के रूप में जाना जाता है।
- सबडक्शन जोन जिब्राल्टर जलडमरूमध्य से पश्चिम की ओर गति करेगा। इससे एक **नए अटलांटिक सबडक्शन सिस्टम** का निर्माण होगा, जिसे **'रिंग ऑफ फायर'** कहा जा सकता है।
  - यह **प्रशांत महासागर के किनारों पर (जहां महाद्वीपीय प्लेट के नीचे समुद्र प्लेट का क्रमिक क्षेपण हो रहा है) स्थित मौजूद रिंग ऑफ फायर के समान ही है।** इस प्रक्रिया के कारण महासागरीय बेसिन सिकुड़ कर विलुप्त हो जाता है।
  - यह प्रक्रिया **विल्सन चक्र** की मूलभूत विशेषता है। विल्सन चक्र के अनुसार, समुद्र नितल के प्रसार व क्षेपण संबंधी गतिविधियों के कारण महासागरीय बेसिन क्रमशः फैलता और सिकुड़ते हुए बंद होता है।

विल्सन चक्र के बारे में

- यह एक मॉडल है, जो महासागरीय बेसिनों के खुलने और बंद होने तथा **टेक्टोनिक प्लेटों के सबडक्शन ज़ोन और अपसरण का वर्णन** करता है।
- इसमें छह चरण होते हैं: एंब्रीयॉनिक, जुवेनाइल, मैच्योर, डिक्लाइनिंग, टर्मिनल और स्यूचरिंग।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

'प्लेट विवर्तनिकी (Plate tectonics) सिद्धांत के बारे में

- **'प्लेट विवर्तनिकी (Plate tectonics) सिद्धांत'** के अनुसार, पृथ्वी लगभग 100 किलोमीटर मोटी कई महाद्वीपीय व महासागरीय स्थलमंडलीय प्लेटों (Lithospheric plates) से मिलकर बनी है। ये प्लेटें गर्म और तन्य **दुर्बलतामंडल (Asthenosphere)** पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज रूप से गति करती हैं।
  - इन प्लेटों की गति की दिशा के आधार पर क्रमशः तीन प्रकार की प्लेट सीमाएं बनती हैं:
    - **जब प्लेट्स एक-दूसरे की ओर गति करती हैं तो अभिसरण सीमा (Convergent Boundary) बनती है;**
    - **जब प्लेट्स एक-दूसरे से विपरीत दिशा की ओर गति करती हैं तो अपसारी सीमा (Divergent Boundary) बनती है; और**
    - **जब प्लेट्स एक-दूसरे के समान्तर गति करती हैं तो रूपांतरित सीमा (Transform Boundary) बनती है।**

सबडक्शन जोन के बारे में:

- जब दो प्लेटें एक-दूसरे की ओर **अभिसरित** होती हैं तो अधिक घनत्व वाली और भारी प्लेट, कम घनत्व वाली व हल्की प्लेट के नीचे **क्षेपित** हो जाती है। इसके बाद भारी प्लेट मेंटल में पहुंचकर **नष्ट** हो जाती है या पिघलने लगती है।
  - वह क्षेत्र जहां सबडक्शन होता है उसे **बेनिऑफ जोन** कहा जाता है।

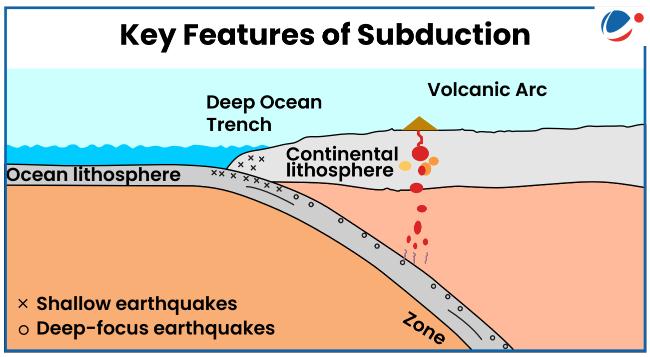

5.6.2. बेसफ्लो (BASEFLOW)

संदर्भ

एक हालिया अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि प्रायद्वीपीय भारत में नदी जनित बाढ़ के लिए वर्षा और मिट्टी की नमी की तुलना में बेसफ्लो अधिक जिम्मेदार रहा है।

विश्लेषण

रिपोर्ट के के मुख्य बिन्दुओं पर एक नजर

- इसके तहत प्रायद्वीपीय भारत की छह प्रमुख नदी घाटियों यथा- **नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी** का अध्ययन किया गया।
- इस अध्ययन से पता चला है कि उच्च बेसफ्लो वाले जलग्रहण क्षेत्रों में जल्दी-जल्दी और कम समय अंतराल पर वर्षा के चलते तीव्र सतही जल प्रवाह की संभावना बढ़ जाती है।

बेसफ्लो का पर्यावरणीय महत्त्व

- **नदी के प्रवाह, गाद संचय में कमी और पानी की गुणवत्ता बनाए रखने में:** बेसफ्लो से नदी में जल का पुनर्भरण होता है और शुष्क मौसम के दौरान नदी में आवश्यक जल की आपूर्ति भी होती है।

बेसफ्लो में परिवर्तन के संभावित प्रभाव

- **बाढ़ के खतरे में वृद्धि:** उच्च बेसफ्लो वाले जलग्रहण क्षेत्र में अधिक आर्द्र सतही और उप-सतही स्थितियों के चलते भारी वर्षा के दौरान ढलानों से तेजी से जल नीचे को ओर बहने लगता है। इससे बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है।
- **कारण:** बेसफ्लो सूखा तब होता है जब भूजल पुनर्भरण कम हो जाता है।
- **नदी के पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव:** बेसफ्लो कम होने से नदी में जल का बहाव ठहर सा जाता है और जल में घुलित ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है।
- **जल के तापमान पर प्रभाव:** नदी में बेसफ्लो से पहुंचने वाली जल की मात्रा कम होने से नदी के जल का तापमान बढ़ जाता है।
- अन्य प्रभावों में नदी के आगे के प्रवाह मार्ग में जल की मात्रा में कमी, जल उपयोग पैटर्न में बदलाव और गाद संचय में वृद्धि शामिल हैं।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

बेसफ्लो क्या होता है?

- दीर्घावधि के दौरान नदी में भूजल के माध्यम से पहुंचने वाली जलधारा को बेसफ्लो कहते हैं।
- भूजल का जल जब ऊपर बढ़ता हुआ नदियों के तल तक पहुँच जाता है तो भूजल नदियों के जल में जा मिलता है। इससे नदी में जल की मात्रा बढ़ जाती है। सरल शब्दों में कहें तो नदी में भूजल के प्रवाह को ही आम तौर पर बेसफ्लो कहा जाता है।
- **बेसफ्लो को प्रभावित करने वाले कारक:** भूमि की स्थलाकृति, मिट्टी की प्रकृति, भूमि उपयोग पैटर्न, जलवायु परिवर्तन।

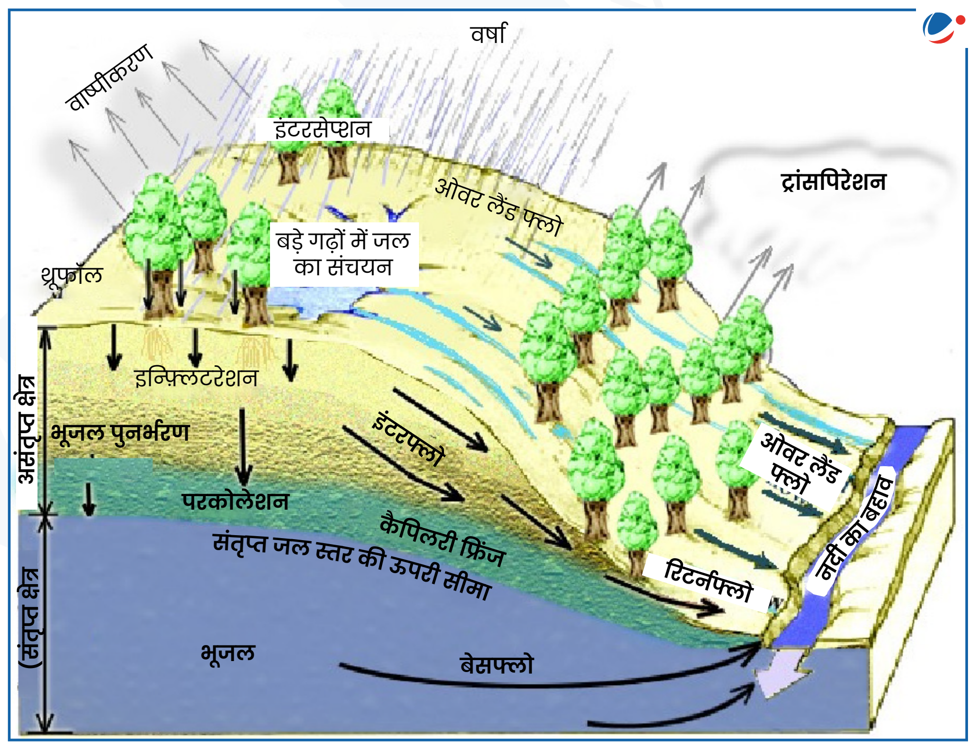

निष्कर्ष

इस अध्ययन से सामने आए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अब नदी के बेसफ्लो को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाना चाहिए। इसके लिए इष्टतम भूमि उपयोग नीतियों, भूजल के पुनर्भरण, नदी बेसिनों की निरंतर निगरानी और मूल्यांकन आदि को शामिल करते हुए एकीकृत जल प्रबंधन दृष्टिकोण को अपनाया जा सकता है।

5.6.3. दक्षिणी महासागर क्षेत्र में सबसे स्वच्छ वायु (CLEANEST AIR IN SOUTHERN OCEAN)

संदर्भ

वैज्ञानिकों ने दक्षिणी महासागर (Southern Ocean) क्षेत्र में **सबसे स्वच्छ वायु के पीछे के कारणों** का पता लगाया।

विश्लेषण

- **स्वच्छ वायु के बारे में**
  - **स्वच्छ वायु** का अर्थ है **वायुमंडल में एरोसोल का निम्न स्तर** होना।
    - एयरोसोल **वायु में निलंबित महीन ठोस कणों या तरल बूंदों** को कहते हैं।
- **दक्षिणी महासागर क्षेत्र में वायु में एरोसोल के निम्न स्तर के लिए उत्तरदायी कारण:**
  - इस क्षेत्र में मानव गतिविधियां कम है। इसकी वजह से **जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम** होता है और **उत्सर्जन** भी कम होता है।
  - यहां सर्दियों में **पादपप्लवक (Phytoplankton) कम** होते हैं। इसकी वजह से सर्दियों में **कम मात्रा में सल्फेट कण मौजूद** होते हैं।
    - गौरतलब है कि **पादपप्लवक वायुजनित सल्फेट कणों** का एक स्रोत है।
  - **मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना वाले बादल:**
    - **खुले मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना** वाले बादल सूर्य के प्रकाश को स्वयं में से गुजरने देते हैं। ये बादल **अधिक तीव्र और छिटपुट वर्षा का कारण** बनते हैं। यह वर्षा **एरोसोल को हटा** देती है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

दक्षिणी महासागर (अंटार्कटिक महासागर) के बारे में

- यह **भूगर्भिक दृष्टि से विश्व का सबसे युवा/ नया महासागर** है।
- यहां **दक्षिणावर्त** (Clockwise) प्रवाहित होने वाली **अंटार्कटिक परिध्रुवीय धारा** (Antarctic Circumpolar Current) अधिक है।
- यह क्षेत्र अपनी **तेज हवाओं, प्रबल तूफानों, नाटकीय मौसमी बदलावों और ठंडे तापमान** के लिए जाना जाता है।

Southern Sea (Antarctic Ocean)

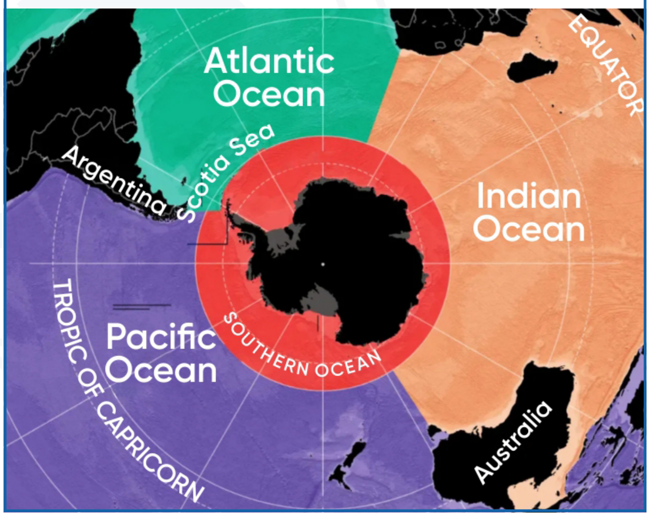

5.6.4. नॉर्वेस्टर्स (Nor 'westers)

संदर्भ

भारत नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने के लिए अपना **पहला अनुसंधान परीक्षण फैसिलिटी विकसित** करने पर काम कर रहा है।

विश्लेषण

इस परीक्षण फैसिलिटी के बारे में

- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य पूर्वी भारत में बड़े इलाके (पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड से सटे क्षेत्र) में बनने, विकसित होने और आगे बढ़ने वाले **तड़ितझंझाओं (Thunderstorms)** का अध्ययन करना है।
- **कंट्रोल सेंटर:** यह ओडिशा के भद्रक जिले के चांदबली (भुवनेश्वर के पास) में स्थापित किया जाएगा।
- **शामिल संस्थान:** भारतीय मौसम विभाग (IMD), पुणे में स्थित

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

नार्वेस्टर किसे कहते हैं?

- ये स्थानीय पवनें होती हैं, जो गर्मियों में भारत के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। इसके चलते इन इलाकों में **तड़ितझंझा की घटना घटित होती है।**
  - बंगाल में इसे स्थानीय रूप से "कालबैसाखी" के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ है बैसाख के महीने (बंगाली कैलेंडर का पहला महीना) में आने वाली तबाही। वहीं, **असम** में इन्हें **"बारदोली छीड़ा"** के नाम से जाना जाता है।

भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) और दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केन्द्र (NCMRWF) एक साथ मिलकर इस फैसिलिटी का विकास और उपयोग करेंगे।

- **इसकी विशेषताएं:**
  - इसमें नार्वेस्टर का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करने के लिए **ड्रोन, मोबाइल वैन और मौसम-विज्ञान से संबंधित उच्च तकनीक वाले उपकरणों** का इस्तेमाल किया जाएगा।
  - इसमें 100 मीटर ऊंचा **मौसम-विज्ञान से संबंधित** फ्लक्स टावर भी स्थापित किया जाएगा। यह वायुमंडल और जैवमंडल के बीच कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और ऊर्जा के आदान-प्रदान को मापता है।
- **महत्त्व:**
  - **पूर्वानुमान:** इससे प्राप्त आंकड़ों की मदद से समय पर तड़ितझंझाओं की भविष्यवाणी और जल्द चेतावनी (लगभग तीन घंटे पहले) जारी की जा सकेगी।
  - **आपदा प्रबंधन:** इससे प्रशासन को मदद मिलेगी और स्थानीय लोगों को भी तैयारी करने तथा खुद को बेहतर ढंग से तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा।

- **अन्य स्थानीय पवनें और उनका सामाजिक-आर्थिक प्रभाव**
  - **लू:** ये मई और जून के महीने में उत्तर और पश्चिमी भारत में दिन भर चलने वाली गर्म, शुष्क पवनें हैं। ये उत्तरी भारत में मानसून के निम्न दबाव की गर्त के बनने के कारण विकसित होती हैं। इन पवनों के कारण डिहाइड्रेशन से लोगों और जीवों की मृत्यु भी हो जाती है।
  - **आँधी:** इसे 'काली आंधी' के नाम से भी जाना जाता है। ये मानसून से पहले उत्तर-पश्चिमी और मध्य भारत में आने वाली तेज धूल भरी आंधी हैं। ये जान-माल की हानि के साथ-साथ दिल्ली जैसे शहरों में प्रदूषण को भी बढ़ा सकती हैं।
  - **आम्र वृष्टि:** ये मानसून के पूर्व स्थानीय स्तर पर वर्षा करने वाली पवनें हैं, जिनके चलते तटीय कर्नाटक और केरल में जल्दी वर्षा शुरू हो जाती है। इसके चलते आम जल्दी पक जाते हैं। इसलिए स्थानीय रूप से इन्हें आम्र वृष्टि या मैंगो शॉवर कहा जाता है।
  - **ब्लॉसम शॉवर:** यह केरल और आस-पास के क्षेत्रों में गर्मियों के अंत में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा है। यह कॉफी के फूलों को खिलने में सहायता करती है, जिसका राज्य के लिए उच्च वाणिज्यिक महत्त्व होता है।

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

5.7. सुर्ख़ियों में रही अवधारणाएं (CONCEPT IN NEWS)

5.7.1. प्लैनेटरी बाउंड्रीज़ (ग्रहीय सीमाएं) फ्रेमवर्क (PLANETARY BOUNDARIES FRAMEWORK)

- पर्यावरणीय उपलब्धि के लिए **जोहान रॉकस्ट्रॉम को 2024 का टायलर पुरस्कार** प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें **प्लैनेटरी बाउंड्रीज़ फ्रेमवर्क** पर उनके प्रयासों के लिए दिया जाएगा।
- **प्लैनेटरी बाउंड्रीज़ फ्रेमवर्क के बारे में**
  - पहली बार 2009 में प्रकाशित, **प्लैनेटरी बाउंड्रीज़ नौ प्रणालियों को एकीकृत** करती है। ये प्रणालियां पृथ्वी **की कार्य-प्रणाली और स्थिति** को निर्धारित करती हैं।
  - इन नौ प्लैनेटरी बाउंड्रीज़ में जलवायु परिवर्तन, **जीवमंडल की अखंडता, भूमि-प्रणाली परिवर्तन, ताजे जल में परिवर्तन, जैव-भू-रासायनिक प्रवाह, नवीन घटक, समतापमंडलीय ओज़ोन परत का क्षरण, वायुमंडलीय एयरोसोल लोडिंग और महासागर का अम्लीकरण** शामिल हैं।
  - ये प्लैनेटरी बाउंड्रीज़ मानवों और मानवता को **जीवन-सहायता** प्रदान करती हैं। इनकी सीमा में रहते हुए मानव और उसकी आने वाली पीढ़ियां विकसित हो सकती हैं व फल-फूल सकती हैं। एक हालिया अध्ययन के अनुसार, **9 में से 6 प्लैनेटरी बाउंड्रीज** का मानव-जनित गतिविधियों के कारण उल्लंघन हुआ है।

5.7.2. इकोसाइड (ECOCIDE)

- **बेल्जियम इकोसाइड या 'पारिस्थितिकी तंत्र की हत्या' को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध** के रूप में स्वीकार करने वाला यूरोप का **पहला देश** बन गया है।
- **इकोसाइड:**
  - इसका तात्पर्य उन **गैर-कानूनी व हठी कृत्यों को अंजाम देना है, जिनके बारे में यह ज्ञान होता है कि ऐसे कृत्यों से पर्यावरण को कितना व्यापक व दीर्घकालिक नुकसान** हो सकता है।
  - इस शब्दावली का उपयोग पहली बार **अमेरिकी जीवविज्ञानी 'आर्थर गैल्स्टन' ने 1970** में किया था।
- **भारत** में अभी तक इस कृत्य को आपराधिक **घोषित नहीं** किया गया है।

5.7.3. स्टार ड्यून्स (STAR DUNES)

- वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर मौजूद **विशाल मरुस्थलीय स्टार ड्यून्स का पहला गहन अध्ययन** करके उनकी आंतरिक संरचना का खुलासा किया है।
  - यह अध्ययन **एर्ग चेब्बी (पूर्वी मोरक्को) में लाला ललिया** नामक एक स्टार ड्यून पर केंद्रित है। लाला ललिया का अर्थ **"सर्वोच्च पवित्र बिंदु"** होता है।
- **स्टार ड्यून्स के बारे में:**
  - इनका निर्माण **जटिल पवन तंत्र** वाले क्षेत्रों में होता है। जटिल पवन तंत्र का आशय है कि उस क्षेत्र में पवनों का प्रवाह सभी दिशाओं से होता है।
  - पृथ्वी के मरुस्थलों में बनने वाले **सभी ड्यून्स में स्टार ड्यून्स का हिस्सा केवल 10% है।** सभी ड्यून्स में इनकी ऊंचाई सर्वाधिक होती है।
  - पृथ्वी के सबसे विशाल स्टार ड्यून्स **बदैन जारन मरुस्थल (चीन)** में पाए जाते हैं।
  - इन्हें **मंगल ग्रह पर और शनि के चंद्रमा टाइटन** पर भी देखा गया है।

5.7.4. गैप लिमिटेशन (GAPE LIMITATION)

- गैप लिमिटेशन पारिस्थितिकी संबंधी एक अवधारणा है। यह इस तथ्य पर आधारित है कि **शिकारियों (Predator)** द्वारा एक निश्चित शारीरिक आकार वाले **शिकार (Prey)** का ही शिकार किया जा सकता है। यह शिकारी के जबड़े के खुलने या पंजे की पकड़ के दायरे या "गैप" से तय होता है।
  - इसका मतलब है, **छोटे शिकारी केवल छोटे शिकार को खा सकते हैं, जबकि बड़े शिकारी बड़े शिकार को खा सकते** हैं।
- **पारिस्थितिकी में गैप लिमिटेशन का महत्त्व:**
  - **खाद्य जाल को आकार देना,** ऊर्जा प्रवाह को प्रभावित करना, अनुकूलन को बढ़ावा देना।
  - कुछ जीव अपने जबड़े और पंजों की क्षमता से परे शिकार को मारने के लिए झुण्ड में शिकार करने लगते हैं। अन्य जीव अपने जबड़े और पंजों की क्षमता के भीतर छोटे शिकार का शिकार करने लगते हैं।
    - ◊ मगरमच्छ अपने जबड़े की क्षमता या गैप से परे शिकार को पकड़ने के लिए मिलकर शिकार करते हैं।
  - गैप लिमिटेशन शिकारी और शिकार की आबादी के समीकरण को संतुलित बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाती है।

- **पारिस्थितिकी तंत्र में होने वाले परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगाना:** जैसे आक्रामक प्रजातियों के प्रवेश या शीर्ष शिकारियों के हटने से समग्र पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और कार्यप्रणाली कैसे प्रभावित होती है।

5.7.5. नेगेटिव लीप सेकंड (NEGATIVE LEAP SECOND)

- शोधकर्ताओं के अनुसार **बर्फ के पिघलने में वृद्धि के कारण नेगेटिव लीप सेकंड जोड़ने की आवश्यकता में विलंब** हो सकता है। गौरतलब है कि **अंटार्कटिका व ग्रीनलैंड** में बर्फ के पिघलने के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति में कमी आई है।
- **नेगेटिव लीप सेकंड**
  - वह सेकंड है, जिसे पृथ्वी के घूर्णन के साथ **समायोजित करने के लिए घड़ियों से घटाया** जाता है।
  - ऐसा तब किया जाता है, जब **पृथ्वी अधिक तेजी से घूर्णन कर रही होती है और दिन की अवधि कम** हो रही होती है।
  - दूसरी तरफ, **पॉजिटिव लीप सेकंड के अंदर घड़ियों में एक अतिरिक्त सेकंड जोड़ा** जाता है।
  - ऐसा तब किया जाता है जब **पृथ्वी धीमी गति से घूर्णन कर रही होती है और दिन की अवधि अधिक** हो रही होती है।
  - अब तक एक बार भी **नेगेटिव लीप सेकंड नहीं जोड़ा** गया है। हालांकि, **27 बार पॉजिटिव लीप सेकंड जोड़े** जा चुके हैं।

5.7.6. ब्लू होल (BLUE HOLE)

- शोधकर्ताओं के नए साक्ष्य के अनुसार **ताम जा' (Taam Ja')** ब्लू होल दुनिया में सबसे गहरा ब्लू होल है।
  - यह **युकाटन प्रायद्वीप के पूर्वी हिस्से में मेक्सिको की चेतुमल खाड़ी** में स्थित है।
- **ब्लू होल के बारे में:** ये पानी के भीतर स्थित **गुफाएं** हैं। ये गुफाएं समुद्री नितल के नीचे बनी होती हैं। ऐसी गुफाएं आमतौर पर तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, क्योंकि वहां लहरों के टकराने से चट्टानों का अपक्षय होता रहता है।
- **ब्लू होल के कुछ अन्य उदाहरण हैं: ड्रैगन होल** (दक्षिण चीन सागर), **ग्रेट ब्लू होल** (बेलीज के पास) और **दहाब ब्लू होल** (मिस्र)।

5.7.7. कैटाटुम्बो लाइटनिंग (Catatumbo Lightning)

- कैटाटुम्बो लाइटनिंग **कैटाटुम्बो नदी के मुहाने पर घटित** होने वाली एक प्राकृतिक परिघटना है। कैटाटुम्बो नदी जिस स्थान पर **मैराकाइबो झील** में मिलती है, वहीं पर यह प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलता है।
  - इस स्थान पर **एक वर्ष में लगभग 300 दिनों** तक लगातार बिजली गिरती रहती है।
  - इस क्षेत्र को **दुनिया की आकाशीय-बिजली की राजधानी** (Lightning capital of the world) कहा जाता है।
- **यहां पर आकाशीय बिजली की उच्च आवृत्ति के लिए उत्तरदायी कारक निम्नलिखित हैं:**
  - यहां **एंडीज पर्वतों से आने वाली ठंडी हवा और कैरेबियन से आने वाली आर्द्र वायु मिलती** हैं। इससे **संवहन** का एक निरंतर चक्र उत्पन्न होता है।
  - जैसे ही गर्म हवा ऊपर उठती है, यह **ठंडी और संघनित** हो जाती है। इससे **कपासी वर्षी मेघों** (Cumulonimbus Clouds) का निर्माण होता है।

5.7.8. कीलिंग कर्व (KILLING CURVE)

- मार्च, 2024 में कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) की **वैश्विक औसत सांद्रता** मार्च, 2023 की तुलना में 4.7 पार्ट्स पर मिलियन (PPM) अधिक थी। यह **कीलिंग कर्व में उच्च वृद्धि** को दर्शाती है।
- मार्च, 2024 में **CO_2 की वैश्विक औसत सांद्रता बढ़कर रिकॉर्ड 425.22 PPM** पहुंच गई है। यह अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि है।
- **कीलिंग कर्व के बारे में:**
  - यह **मौना लोआ वेधशाला (MLO)** में वायुमंडल में CO_2 की सांद्रता का रिकॉर्ड है। यह रिकॉर्ड 1958 से दर्ज किया जा रहा है।
  - **मौना लोआ वेधशाला** वायुमंडल में उन तत्वों को मापती है जो जलवायु परिवर्तन में योगदान करते हैं।
- हवाई में यह वेधशाला दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ के पास स्थित है।
  - इस ज्वालामुखी का बड़ा हिस्सा प्रशांत महासागर की गहराई में स्थित है। इसलिए इसके आधार से शीर्ष तक की कुल ऊंचाई 17,000 मीटर (56,000 फीट) से अधिक है।
- इस वेधशाला का नाम **डॉ. चार्ल्स डेविड किलिंग के नाम पर** रखा गया है।

वैमासिक रिवीजन

5.8. सुर्ख़ियों में रहे स्थल (PLACES IN NEWS)

अरल सागर

- इस सागर के **उत्तर में कजाकिस्तान और दक्षिण में उज्बेकिस्तान** स्थित हैं।
- एक हालिया अध्ययन के अनुसार अरल सागर के सूखने से बने रेगिस्तान ने **मध्य एशिया** को अधिक धूल भरी जगह बना दिया है।

ग्रेट लेक्स

- उत्तरी अमेरिका की **ग्रेट लेक्स में लगातार दूसरे वर्ष औसत से काफी कम हिम आवरण** दर्ज किया गया है।
- इनमें **सुपीरियर, मिशीगन, ह्यूरन, एरी और ओंटारियो** झीलें शामिल हैं। ये झीलें मिलकर पृथ्वी पर सबसे बड़ी **ताजा सतही जल प्रणाली** बनाती हैं।
- **मिशिगन झील** को छोड़कर, शेष झीलें **कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण** करती हैं।

बाटागे या बाटागाइका क्रेटर

- इसे **"गेटवे टू अंडरवर्ल्ड" या "डोरवे टू हेल"** के नाम से भी जाना जाता है। यह **दुनिया का सबसे बड़ा पर्माफ्रॉस्ट क्रेटर** है।
- बाटागे क्रेटर के नए हवाई फुटेज जारी किए गए हैं। इनसे पता चला है कि यह क्रेटर **जमीन पर जमी बर्फ के पिघलने के साथ हर साल बढ़** रहा है।

माउंट एटना

- **माउंट एटना ज्वालामुखी में दुर्लभ "वॉल्कैनिक वॉरटेक्स रिंग्स (VVR)" दर्ज किए गए**
- **माउंट एटना** दुनिया का **सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है।**
- यह भूमध्य सागर क्षेत्र के अत्यधिक सक्रिय विवर्तनिकी (Tectonic) जोन में स्थित है।
- ये छल्ले ज्वालामुखी में बने **क्रेटर में सर्कुलर वेंट (छिद्र) के जरिए जलवाष्प जैसी गैसों के बाहर निकलने** के दौरान बनते हैं।

शिंकुन ला दर्रा

- यह हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति को कारगिल की जांस्कर घाटी (लद्दाख) से जोड़ता है।
- **सीमा सड़क संगठन (BRO)** ने कारगिल-लेह राजमार्ग पर दारचा और निम्मू होते हुए **मनाली** (हिमाचल प्रदेश) से **लेह** (लद्दाख) तक सड़क संपर्क स्थापित किया है। यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है।
- इसके परिणामस्वरूप **लद्दाख क्षेत्र के लिए हर मौसम में सड़क संपर्क सुनिश्चित हो गया है।**

वेनेजुएला

- **ऐसा पहला देश हो सकता है जिसके सभी ग्लेशियर ख़त्म हो जाएं**
- **इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव (ICCI)** के अनुसार, **वेनेजुएला के हम्बोल्ट (या ला कोरोना) नामक आखिरी ग्लेशियर का आकार इतना सिकुड़ गया** है कि वह अब ग्लेशियर कहलाने के मानदंडों पर खरा नहीं उतरता है। गौरतलब है कि वेनेजुएला का यह ग्लेशियर **एंडीज पर्वतमाला** में स्थित है।

अफ़ार ट्रायंगल

- भूवैज्ञानिकों ने **हॉर्न ऑफ अफ्रीका** में स्थित अफ़ार ट्रायंगल पर एक **नए महासागर के उभरने** की संभावना व्यक्त की है। **अफ़ार ट्रायंगल** को अफ़ार डिप्रेशन भी कहा जाता है।
- **ग्रेट रिफ्ट वैली** का सबसे उत्तरी भाग अफ़ार ट्रायंगल कहलाता है।
- इसमें **इरिट्रिया, जिबूती और इथियोपिया** के हिस्से शामिल हैं।
- जब नया महासागर बेसिन बन जाएगा तो अफ़ार ट्रायंगल **लाल सागर और अदन की खाड़ी** में जलमग्न हो जाएगा।

5.9. सुर्ख़ियों में रही रिपोर्ट्स (REPORTS IN NEWS)

ग्रीन एंड सोशल बॉण्ड इम्पैक्ट रिपोर्ट, 2023	▸ **अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC)** ने 'ग्रीन एंड सोशल बॉण्ड इम्पैक्ट रिपोर्ट, 2023' जारी की। ▸ **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:** » ग्रीन बॉण्ड के माध्यम से जुटाए गए **2 बिलियन डॉलर से प्रति वर्ष 3.3 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन में कमी** आने की उम्मीद है। » **सोशल बॉण्ड** के माध्यम से जुटाए गए **1.2 बिलियन डॉलर से कृषि-व्यवसाय, महिलाओं का वित्तीय समावेशन, शिक्षा** जैसे क्षेत्रकों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा।
स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023	▸ **यह रिपोर्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO)** ने जारी की है। ▸ **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र** » रिपोर्ट के अनुसार, **2023 अब तक का सबसे गर्म साल** था। 2023 में सतह के नजदीक का वैश्विक औसत तापमान **औद्योगिक क्रांति के पहले की बेसलाइन से 1.45 डिग्री सेल्सियस अधिक** था। » चरम जलवायवीय घटनाओं की वजह से **मानवीय संकट में बढ़ोतरी** हुई है। करोड़ों लोग **गंभीर खाद्य संकट** का सामना कर रहे हैं। इसी तरह करोड़ों लोगों को अपने मूल निवास स्थान से **विस्थापन के लिए मजबूर** होना पड़ा है। » **ग्रीनहाउस गैस का स्तर, सतह का तापमान, महासागरों की उष्णता और अम्लीकरण** आदि अब तक के सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गए हैं।
क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस प्रोग्राम (CETP) वार्षिक रिपोर्ट 2023	▸ अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा **एजेंसी (IEA) ने "क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस प्रोग्राम (CETP) वार्षिक रिपोर्ट 2023"** जारी की है। ▸ **CETP के बारे में** » इसे **अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने 2017** में लॉन्च किया था। इसके उद्देश्य, **पेरिस समझौते (2015) और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप** हैं। » **यह स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में तेजी लाकर** जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है। ◊ CETP के तहत IEA **तकनीकी सहायता, समझ** आदि प्रदान करता है।
क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव, 2025	▸ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने **"क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव 2025"** का अनावरण किया। ▸ **मुख्य बिन्दुओं पर एक नजर** » **क्लाइमेट प्रॉमिस 2025** का लक्ष्य विकासशील देशों के **NDCs** के अगले चरण को **पेरिस जलवायु समझौते (2015) के लक्ष्यों के अनुरूप रखने में मदद** करना है। » यह राष्ट्रीय स्तर पर **निर्धारित योगदानों (Nationally Determined Contributions: NDCs)** के विस्तार और कार्यान्वयन पर विकासशील देशों को समर्थन देने की **दुनिया की सबसे बड़ी पहल** है।
ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट फॉर बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन (बिल्डिंग्स-GSR) 2024	▸ यह रिपोर्ट **UNEP और ग्लोबल एलायंस फॉर बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन (GlobalABC)** ने **संयुक्त रूप** से जारी की है। » **GlobalABC को COP-21 में स्थापित** किया गया था। यह **"शून्य उत्सर्जन, दक्ष और आघात सहनीय भवन एवं निर्माण क्षेत्रक"** के साझा विज़न के प्रति प्रतिबद्ध भवन क्षेत्रक के हितधारकों का अग्रणी **वैश्विक प्लेटफॉर्म** है। ▸ **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:** » भवन और निर्माण क्षेत्रक (BCS) **वैश्विक ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन के लगभग 21% हिस्से** के लिए जिम्मेदार है। » 2022 में भवन क्षेत्रक **वैश्विक ऊर्जा मांग के 34% तथा ऊर्जा और प्रक्रिया से संबंधित 37% कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार** थे। » जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के तहत **ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित** करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए; तथा » **2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य** हासिल करने के लिए।
विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024	▸ **ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC)** ने विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 जारी की। (1997 में ऑस्ट्रिया के विएना में स्थापित)। ▸ **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र** » 2015-2021 के दौरान अवैध व्यापार के मामले में जानवरों या जीवों में **गैंडे** और पादपों में **देवदार** सबसे ज्यादा प्रभावित प्रजातियां थी। » 2015-2021 के दौरान अवैध व्यापार से संबंधित उत्पादों की जब्ती के मामले में सर्वाधिक संख्या **प्रवालों** की थी। इसके बाद **मगरमच्छ** और **हाथी** से संबंधित उत्पादों का स्थान था। » वन्यजीवों के अवैध व्यापार के तहत जीवों की जब्ती में **2015-2019 तक धीरे-धीरे वृद्धि हुई थी** और फिर **2020 एवं 2021 में इसमें गिरावट हुई।** » इस संबंध में पादप प्रजातियों की जब्ती में **2020 और 2021 में तीव्र वृद्धि हुई थी।**

वैमासिक रिवीजन

वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट	▶ यह रिपोर्ट इंडोनेशिया के **बाली** में आयोजित **10वें वर्ल्ड वाटर फोरम** के अवसर पर जारी की गई। ▶ **रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पर एक नज़र:** » **इसमें समृद्धि के चार परस्पर जुड़े मूल आयामों को परिभाषित किया गया है।** ये हैं- स्वास्थ्य एवं शिक्षा (मानव पूंजी); नौकरी एवं आय; शांति एवं सामाजिक एकजुटता (सामाजिक पूंजी); तथा पर्यावरण (प्राकृतिक पूंजी)। » रिपोर्ट के अनुसार, **विश्व में जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के चलते वैश्विक स्तर पर सभी को समान रूप से जल उपलब्ध नहीं हो रहा है।** ◊ 2022 में, 197 मिलियन लोगों को सुरक्षित पेयजल और 211 मिलियन लोगों को बेसिक सैनिटेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी ◊ वैश्विक स्तर पर, **लगभग 450 मिलियन लोग चरम गरीबी से ग्रस्त हैं और जल की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में** रहते हैं। ▶ **शेयर्ड प्रोस्पेरिटी के बारे में:** इससे विशेष रूप से समाज के सबसे गरीब सदस्यों की समृद्धि के साथ-साथ समाज की समग्र समृद्धि को बढ़ावा मिलता है।
रेंजलैंड्स और चरवाहों पर "ग्लोबल लैंड आउटलुक थीमैटिक रिपोर्ट"	▶ यह रिपोर्ट **मरुस्थलीकरण रोकथाम पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCCD)** ने जारी की है। ▶ **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर** » रेंजलैंड्स पृथ्वी की **स्थलीय सतह के 54% से अधिक भाग पर विस्तारित हैं। 78% रेंजलैंड्स** शुष्क भूमि पर अवस्थित हैं। » अनुमान है कि **50% रेंजलैंड्स क्षरित** हो चुकी हैं। इनमें मृदा की उर्वरता और पोषक तत्वों में कमी, अपरदन, लवणता, क्षारीयता और मृदा के संहनन (कम्पेक्शन) से पौधों की वृद्धि के बाधित होने जैसे संकेत दर्ज किए गए हैं। ▶ **रेंजलैंड के बारे में:** रेंजलैंड या प्रक्षेत्र **प्राकृतिक या अर्ध-प्राकृतिक पारिस्थितिकी-तंत्र** हैं। यहां **मवेशी और वन्यजीव या केवल मवेशी या केवल वन्यजीव चराई** करते हैं। इनमें आमतौर पर **कई प्रकार के पारिस्थितिकी-तंत्र शामिल** होते हैं। जैसे- घास के मैदान, सवाना, झाड़ियां, शुष्क भूमि, रेगिस्तान, स्टेपी, पहाड़, खुले वन, कृषि वानिकी प्रणालियां आदि। ▶ **भारत में रेंजलैंड भूमि की स्थिति** » भारत में रेंजलैंड लगभग **121 मिलियन हेक्टेयर** में विस्तारित है। साथ ही, लगभग **100 मिलियन हेक्टेयर** भूमि का पूरी तरह से **उपयोग नहीं किया** जाता है। » भारत में सरकारी नीतियों में चरवाहों को अधिक महत्त्व नहीं दिया गया है। इसकी वजह से उनके **भूस्वामित्व अधिकार सुरक्षित नहीं हैं और वे साझा संसाधनों का लाभ भी नहीं** उठा पा रहे हैं।
ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू (GER), 2024 रिपोर्ट	▶ वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक **एम्बर ने ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू (GER), 2024** रिपोर्ट जारी की है। ▶ **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:** » पहली बार, विश्व में कुल **विद्युत मांग की 30% आपूर्ति नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से** की गई। » 2023 में विद्युत उत्पादन की वृद्धि में **मुख्य योगदान सौर ऊर्जा आपूर्ति** का रहा है। » 2023 में **सौर ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले देशों में भारत चौथे स्थान** पर था। प्रथम तीन स्थान पर **चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील** हैं। ◊ भारत 2023 में जापान को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया। साथ ही, 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन की वैश्विक वृद्धि में **भारत ने 5.9% का योगदान** दिया था। » भारत कोयले से बिजली उत्पादन में दूसरे स्थान पर है।

5.10. प्रश्नोत्तरी

MCQs

Q1. ग्रीन क्रेडिट और कार्बन क्रेडिट के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. दोनों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित किया गया है।
2. ये उद्योगों और समुदायों दोनों पर लागू होते हैं, लेकिन व्यक्तियों पर नहीं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q2. बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधन और संबंधित पारंपरिक ज्ञान पर संधि के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह कानूनी रूप से बाध्यकारी है और भारत द्वारा समर्थित अपनी तरह की पहली संधि है।
2. इसका स्वरूप पूर्वव्यापी है या यह इस संधि के अधिनियमन से पहले दायर किये गये पेटेंटों पर लागू होती है।
3. इसमें कंट्री ऑफ़ ओरिजिन सहित अनिवार्य पेटेंट प्रकटीकरण आवश्यकताओं (PDRs) की आवश्यकता होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं

Q3. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

रिपोर्ट	*किसके द्वारा प्रकाशित*
1. ग्रीन एंड सोशल इम्पैक्ट बॉण्ड	विश्व मौसम विज्ञान संगठन
2. विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट	विश्व वन्यजीव प्रकृति कोष
3. साझा समृद्धि के लिए जल रिपोर्ट	विश्व बैंक

उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं

Q4. बेसफ्लो के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह नदियों से निकलने वाली धारा प्रवाह का वह भाग है जो भूजल के माध्यम से बहता है।
2. बेसफ्लो में कमी होने से जल का तापमान बढ़ जाएगा।
3. यह नदी के पानी के पुनर्भरण को सुनिश्चित करता है और शुष्क मौसम के दौरान जल की मांग को पूरा करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

Q5. ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे UNFCCC (जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन) के CoP 16 के दौरान लॉन्च किया गया था।

2. इसकी FARM पहल में सौर ऊर्जा चालित पंप सेट अपनाने के लिए हाशिए पर रहने वाले किसानों को रियायती ऋण प्रदान किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से गलत है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

प्रश्न

1. हाल ही में हुई आग दुर्घटनाओं के मद्देनजर, भारत में अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा कीजिए। साथ ही, भारत के अग्नि विनियामक ढांचे को प्रभावित करने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। (150 शब्द)

2. भारतीय शहरों में बढ़ते शहरी जल संकट के लिए कौन-से प्रमुख कारक जिम्मेदार हैं? कुछ सर्वोत्तम प्रथाओं का हवाला देते हुए, सुझाव दीजिए कि किस तरह से इसका मुकाबला किया जा सकता है। (250 शब्द)

सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

विषय-सूची

6.1 महिलाएं.......... 172
- 6.1.1. भारत में महिला उद्यमी 172
- 6.1.2. सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) का स्थानीयकरण: भारत में स्थानीय शासन में महिलाएं.......... 173
- 6.1.3. "लैंगिक असमानता सूचकांक (GII) 2022" जारी किया गया 174
- 6.1.4. यूनेस्को की "टेक्नोलॉजी ऑन हर टर्म्स" रिपोर्ट 175

6.2. बच्चे 176
- 6.2.1. ऑनलाइन बाल लैंगिक शोषण और दुर्व्यवहार.......... 176
- 6.2.2. बच्चों में स्क्रीन टाइम में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज 177

6.3. अन्य सुभेद्य वर्ग.......... 178
- 6.3.1. दिव्यांगजन अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 178
- 6.3.2. UNHRC ने इंटरसेक्स अधिकारों के लिए अपनी तरह का पहला संकल्प अपनाया.......... 180

6.4. शिक्षा.......... 181
- 6.4.1. अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 181

6.5. स्वास्थ्य 183
- 6.5.1. भारत में कुल प्रजनन दर में गिरावट 183

6.6. गरीबी और विकास संबंधी मुद्दे.......... 185
- 6.6.1. सामाजिक अवसंरचना 185
- 6.6.2. भारत में शहरी निर्धनता 186
- 6.6.3. विश्व प्रवासन रिपोर्ट, 2024 187
- 6.6.4. IOM ने "ए डिकेड ऑफ डोक्युमेंटिंग माइग्रेंट डेथ्स" रिपोर्ट जारी की 188
- 6.6.5. विश्व जनसंख्या स्थिति, 2024 रिपोर्ट.......... 189

6.7. विविध 190
- 6.7.1. लिव-इन रिलेशनशिप.......... 190
- 6.7.2. खेलों में डोपिंग.......... 191

6.8. प्रश्नोत्तरी 193

6.1 महिलाएं (WOMEN)

6.1.1. भारत में महिला उद्यमी (Women Entrepreneurs in India)

संदर्भ

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (RBIH) ने **'एट द हेल्म: विमेन एंटरप्रेन्योर्स ट्रांसफॉर्मिंग मिडिल इंडिया'** शीर्षक से एक श्वेत पत्र जारी किया।

विश्लेषण

मिडिल इंडिया में महिला उद्यमियों का महत्त्व

- **आर्थिक महत्त्व:**
  - **संधारणीय आर्थिक विकास और रोजगार सृजन:** नीति आयोग के अनुसार, भारत महिला उद्यमिता को बढ़ावा देकर 30 मिलियन से अधिक महिला स्वामित्व वाले उद्यमों का सृजन कर सकता है। इससे संभावित रूप से 150 से 170 मिलियन नौकरियों का सृजन होगा।
  - **गरीबी उन्मूलन:** विश्व बैंक के अनुसार, भारत कार्यबल में 50% महिलाओं को शामिल करके अपनी GDP में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है। इससे पारिवारिक आय में भी स्थायी वृद्धि सुनिश्चित होगी।
- **सामाजिक महत्त्व:**
  - **लैंगिक समानता:** महिला उद्यमी व्यवसाय जगत में जेंडर गैप को कम करने तथा जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देने में सहयोग करती हैं।
    - ◊ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के आंकड़ों के अनुसार, भारत में **केवल 19.2% महिलाएं कार्यबल में भाग लेती हैं,** जबकि पुरुषों की भागीदारी दर 70.1% है। यह 50.9% का जेंडर आधारित रोजगार अंतराल दर्शाता है, जो चिंता का विषय है।
  - **मानव पूंजी का पूर्ण उपयोग:** PLFS (2023) के अनुसार, पुरुषों की 78.8% महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) की तुलना में महिला श्रम बल भागीदारी दर मात्र 41.7% है।
- **स्थानीय बाजारों का विकास:** महिला उद्यमी डिजिटल और सोशल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके वैश्विक बाजार में भी प्रवेश कर रही हैं।
  - उदाहरण के लिए- 'द स्प्लेंडर ऑफ कश्मीर', जिसकी शुरुआत जम्मू की वरुणा आनंद ने की है। इसका उद्देश्य कश्मीरी शॉल कला संबंधी कौशल को संपूर्ण भारत में ऑनलाइन बिक्री और प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रोत्साहित करना है।
- **रोल मॉडल और सामाजिक परिवर्तन की वाहक:** महिला उद्यमी अन्य महिलाओं को स्वयं की उद्यमशीलता की यात्रा प्रारंभ करने के लिए प्रेरित करती हैं।
  - **उदाहरण के लिए- माँ बम्लेश्वरी जनहितकारी समिति:** यह फूलबासन यादव द्वारा प्रारंभ एक स्वयं-सहायता समूह है। यह समूह लगभग 2 लाख निर्धन महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है।
- **महिला सशक्तीकरण: महिला उद्यमशीलता** के चलते महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता और निर्णय लेने का अधिकार मिलता है। उदाहरण के लिए- उषा झा, जिन्हें पटना में लोग प्यार से 'उषा आंटी' के नाम से बुलाते हैं। वह उद्यमी बनने की चाह रखने वाली महिलाओं को सहयोग प्रदान करती हैं।

मिडिल इंडिया में महिला उद्यमियों के समक्ष विद्यमान चुनौतियां

- **पूंजी की कमी:** सर्वेक्षण में शामिल महिला उद्यमियों में से केवल 3%

अन्य संबंधित तथ्य के लिए अवश्य पढ़िए:

नारी शक्ति वंदन: महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण (NCERT - विशेष मॉड्यूल)

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

भारत में महिला उद्यमिता की स्थिति

- **13.76%** उद्यमी महिलाएं हैं (नीति आयोग)।
- मास्टरकार्ड इंडेक्स ऑफ़ वीमेन इंटरप्रेन्योर (MIWE, 2021) में 65 देशों में भारत का **57वां स्थान** है।
- भारत में GDP में महिलाओं का योगदान **17%** है, जो वैश्विक औसत 37% से काफी कम है।

श्वेत पत्र के मुख्य बिंदु

- इस अध्ययन का उद्देश्य **मिडिल इंडिया** कहे जाने वाले **टियर-2 और टियर-3 शहरों** में महिला उद्यमिता को प्रभावित करने वाली जटिल **सामाजिक-आर्थिक** परिस्थितियों को समझना है।
- श्वेत पत्र के अनुसार, महिला शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और विधायी उपायों के जरिए कार्यस्थल की परिस्थितियों में भी सुधार हुआ है। इसके बावजूद टियर-2 और टियर-3 शहरों में **उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम** है। अल्प प्रतिनिधित्व एक ऐसी समस्या है जिस पर **तत्काल ध्यान देने और उचित कार्रवाई की आवश्यकता** है।

महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए की गई प्रमुख पहलें:

- **महिलाओं के लिए मुद्रा योजना/ महिला उद्यमी योजना:** इस योजना के अंतर्गत महिला उद्यमियों को बिना किसी जमानत या गारंटी के कम ब्याज दर पर 10 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
- **प्रधान मंत्री विरासत का संवर्धन (पी.एम. विकास) योजना:** यह योजना अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से संचालित है। इसमें महिलाओं, युवाओं और दिव्यांगजनों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए अल्पसंख्यकों की आजीविका में सुधार लाने पर बल दिया गया है।
- **महिला समृद्धि योजना:** यह महिलाओं के लिए एक सूक्ष्म वित्त (माइक्रो फाइनेंस) योजना है। इसकी शुरुआत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा गई है। इसमें 1,40,000/- रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- **महिला उद्यमिता प्लेटफ़ॉर्म (WEP):** इसे नीति आयोग ने शुरू किया है। यह एक एग्रीगेटर प्लेटफ़ॉर्म के रूप में महिला उद्यमियों से संबंधित जानकारी और आवश्यक सेवाएं प्रदान करता है।
- **व्यापार संबंधी उद्यमिता विकास और सहायता (TREAD):** इसके अंतर्गत ऋण प्रदान करने वाली संस्थाएं/ बैंक गैर-कृषि गतिविधियों के लिए NGOs के माध्यम से महिलाओं को ऋण

ने ही अपना व्यवसाय प्रारंभ करने या व्यवसाय विस्तार के लिए बैंक ऋण या इक्विटी निवेश जैसे बाह्य वित्त-पोषण का लाभ उठाया था।

- **डेटा गैप:** जेंडर-आधारित पृथक आंकड़ों के अभाव में निवेशक या ऋणदाता अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग नहीं कर पाते है।
- **महिला उद्यम को कम महत्त्व:** हमारे समाज का रवैया ऐसा है जहाँ अक्सर महिला के नेतृत्व वाले उद्यमों को कम महत्त्व मिलता है। प्रायः पारंपरिक दृष्टिकोण से परिवार में उनकी भूमिका के आधार पर या उनकी आयु या महत्वाकांक्षा के स्तर के आधार पर उनका आकलन किया जाता है।
- **सुरक्षा संबंधी मुद्दे:** ऐसे शहर जिन्हें महिलाओं के लिए सुरक्षित माना जाता है, वहां सामान्यतः महिला उद्यमियों की संख्या अधिक होती है। महिलाओं की सुरक्षा में वृद्धि एक अधिक जीवंत उद्यमशील तंत्र के निर्माण में प्रत्यक्ष योगदान दे सकती है।

प्रदान करेंगे।

- **महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार हेतु सहायता कार्यक्रम (STEP):** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार/ उद्यमी बनने में सक्षम बनाने के लिए दक्षता और कौशल प्रदान करना है।
- **स्टैंड-अप इंडिया:** इसे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और/या महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है।

- **उद्यमशीलता में बाधा:** विवाह के कारण ससुराल में बस जाने या कहीं और शिफ्ट होने के बाद महिलाओं को अपने पुराने सामाजिक संबंधों को पुन: स्थापित करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस बाधा से प्रायः करियर की प्रगति धीमी हो जाती है, क्योंकि सामाजिक संबंधों को नए सिरे से बनाने में अधिक समय और प्रयास की आवश्यकता होती है।
  - **महिलाओं के प्रवासन का प्राथमिक कारण विवाह है।** विवाह के कारण लगभग 87% महिलाओं का प्रवासन होता है।
- **देखभाल संबंधी जिम्मेदारियां:** महिला उद्यमियों को परिवार की देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों, मातृत्व अवकाश और अन्य पारिवारिक देखभाल की जरूरतों के कारण अपने करियर में रुकावटों का सामना करने की अधिक संभावना होती है।

आगे की राह और श्वेत पत्र में की गई नीतिगत सिफारिशें

- **जेंडर आधारित अलग-अलग डेटा का उपयोग:** रूढ़िवादी दृष्टिकोण से निपटने, महिला उद्यमिता में रुचि उत्पन्न करने और डेटा के आधार पर प्रभावी नीतिगत उपायों के लिए सूक्ष्म स्तर पर जेंडर आधारित डेटा की आवश्यकता है।
- इन उपलब्धियों को हासिल कर चुकी **स्थानीय रोल मॉडल महिला उद्यमियों का उपयोग** एक समर्थकारी माहौल विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के टियर-2 शहरों में नई शहरी अवसंरचना, जैसे कि विमान पत्तनों या कन्वेंशन सेंटर का उपयोग स्थानीय उद्यमियों की सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है।
- **महिला उद्यमियों और महिला केंद्रित उद्यम के लिए पूंजीगत प्रोत्साहन:** वित्त की कमी के कारण महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसायों के बंद होने के दुष्चक्र को तोड़ने की आवश्यकता है।
- **महिला स्वामित्व वाले व्यवसायों** को बाल देखभाल अवकाश और अन्य व्यय के लिए **वित्तीय प्रोत्साहन** देना एक संभावित समाधान है।
- **घरेलू कार्य के साथ-साथ उद्यम और व्यावसायिक भवन उपलब्ध कराना:** कई महिलाएं घर से ही कार्य करने के कारण अपने उद्यमों का विस्तार करने में असमर्थ होती है। प्रायः वह अपनी सुविधा एवं सामर्थ्य के अनुरूप ही उद्यमों का परिचालन करती हैं।

6.1.2. सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) का स्थानीयकरण: भारत में स्थानीय शासन में महिलाएं (Localizing the SDGs: Women in Local Governance in India)

संदर्भ

हाल ही में, पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (EWR) ने "SDG का स्थानीयकरण: भारत में स्थानीय प्रशासन में महिला नेतृत्व" कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में किया गया था।

विश्लेषण

भारत में SDGs के स्थानीयकरण में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का प्रभाव

- **नीतिगत परिणामों में वृद्धि:** उदाहरण के लिए- राजस्थान की **निर्वाचित महिला प्रतिनिधि** अपनी अलग-अलग पहलों के जरिए पर्यावरणीय संधारणीयता को प्रोत्साहन दे रही हैं। इसमें स्वच्छ भारत अभियान और प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने जैसे प्रयास शामिल हैं। इससे स्वच्छ और हरित भविष्य के निर्माण को बढ़ावा मिल रहा है।
- **समावेशी निर्णय लेना:** उदाहरण के लिए- त्रिपुरा में **निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने सरकारी कार्यालयों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय बनवाए।** इसके अलावा, उन्होंने राज्य में **स्वयं-सहायता समूहों (SHG) की संख्या** को 600 से बढ़ाकर **लगभग 6,000** करने में भी सहयोग किया है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

भारत में सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के स्थानीयकरण के बारे में

- उचित सहायता प्रदान कर **स्थानीय सरकारों और समुदायों** को SDGs जैसे वैश्विक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सक्षम बनाना ही SDGs का स्थानीयकरण है। इससे स्थानीय स्तर पर वैश्विक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है।
- स्थानीय स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन लाने में **निर्वाचित महिला प्रतिनिधि** महत्वपूर्ण व अग्रणी भूमिका निभाती हैं। इस वजह से जमीनी स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनका योगदान अत्यंत आवश्यक है।
- इसके अलावा, महिला नेतृत्व **स्थानीय शासन, सतत विकास** और **जेंडर इक्वलिटी** के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है।
  - **73वें संविधान संशोधन अधिनियम** के जरिए **स्थानीय**

- **जेंडर आधारित हिंसा का समाधान:** निर्वाचित महिला प्रतिनिधि प्रायः **जेंडर आधारित हिंसा से निपटने** पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं। उदाहरण के लिए- 2021 में बिहार में किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधि **घरेलू हिंसा और बाल विवाह की समस्या से निपटने** में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
- **महिला विरोधी कुप्रथाओं को चुनौती:** हरियाणा (जिसे अपने निम्न लिंगानुपात के लिए जाना जाता है) में **निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने पर्दा प्रथा के प्रचलन को समाप्त करने,** लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को प्रोत्साहित करने तथा खुले में शौच को समाप्त करने के प्रयास किए हैं।

निकायों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इससे ग्रामीण शासन में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है।

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की वर्तमान स्थिति

- **ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट (2023)** में स्थानीय शासन में महिलाओं के समावेशन को एक नए संकेतक के रूप में शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार-
  - **वैश्विक स्तर पर,** सर्वेक्षण में शामिल 146 देशों में से केवल 18 देशों में स्थानीय शासन में **40 प्रतिशत** से अधिक महिलाओं का प्रतिनिधित्व है।
  - भारत में स्थानीय शासन में **44% से अधिक** निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं। **भारत, स्थानीय शासन में सबसे अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों वाले देशों में से एक** है।

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के समक्ष चुनौतियां

- **उत्तरदायित्वों में संतुलन: प्रचलित लैंगिक मानदंडों** के कारण निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए सार्वजनिक कर्तव्यों और घरेलू उत्तरदायित्वों का प्रबंधन कठिन हो जाता है। उन्हें घरेलू काम-काज के साथ देखभाल संबंधी कार्य को भी संभालना पड़ता है।
- **अनुभव, नेतृत्व कौशल और आत्मविश्वास की कमी:** अनेक निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (विशेषकर वे जो सार्वजनिक जीवन में नए हैं) को शुरुआत में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- **जेंडर आधारित पूर्वधारणा:** अधिकतर महिला प्रतिनिधियों का मानना है कि उन्हें जेंडर आधारित भेदभाव का सामना करना पड़ता है। साथ ही, पंचायत सचिव और अन्य पदों पर अधिकतर पुरुषों के कार्यरत होने से यह समस्या और गहरी हो जाती है।
- **डिजिटल डिवाइड:** अधिकतर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के बीच डिजिटल डिवाइड की समस्या विद्यमान है। इससे गवर्नेंस और सार्वजनिक सेवा वितरण में बढ़ते डिजिटलीकरण के युग में उनकी भूमिका प्रभावित हुई है।
- **छद्म या प्रॉक्सी भागीदारी: महिला प्रतिनिधित्व के समक्ष** एक महत्वपूर्ण चुनौती **आरक्षित सीटों पर 'रबर स्टाम्प उम्मीदवारों' की नियुक्ति** है। इससे स्थानीय शासन में प्रॉक्सी या छद्म भागीदारी (जैसे- पंचायत पति) बढ़ती है।
- **वित्तीय बाधाएं:** सामान्यतः पुरुषों की तुलना में महिला प्रतिनिधि आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होती हैं। उन्हें राजनीतिक उम्मीदवार और प्रतिनिधि, दोनों के रूप में वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
- **आरक्षित सीटों के रोटेशन की नीति:** यह EWRs द्वारा अर्जित अनुभव के विस्तार में बाधा डालती है।

आगे की राह

- **जागरूकता बढ़ाना:** लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए **टार्गेटेड प्रशिक्षण के साथ-साथ सार्वजनिक अभियान** चलाया जाना चाहिए। इससे **गवर्नेंस के स्तर पर और घरों के भीतर जेंडर आधारित पूर्वाग्रहों से निपटने** में मदद मिल सकती है।
- **क्षमता निर्माण: गुणवत्तापूर्ण क्षमता निर्माण कार्यक्रम** महिला प्रतिनिधियों के कौशल और आत्मविश्वास को काफी हद तक बढ़ा सकता है। इससे वे नेतृत्वकर्ता के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम हो सकती हैं। नेतृत्व विकास कार्यक्रम को जिला और पंचायत स्तर पर प्रारंभ करना चाहिए।
- **संस्थागत सुधार:** पितृसत्तात्मक समाज द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। **इसलिए महिलाओं की शिक्षा, कौशल और सुरक्षित कार्य अवसरों तक पहुंच को प्रोत्साहन देना चाहिए।**
- **राज्य की ओर से वित-पोषण:** राज्य की ओर से फंडिंग या राजनीतिक दलों की ओर से महिलाओं को समर्थन मिलने से अधिक महिलाओं को पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी का अवसर मिलेगा। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए अधिक वित्तीय प्रोत्साहन से कई सामाजिक बाधाओं के बावजूद उनकी भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।
- **अन्य कदम:** आवश्यकतानुसार समाधान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और महिलाओं को सशक्त बनाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए- **महिला अनुकूल डिजिटल साक्षरता, समावेशी पहुंच, सुरक्षित डिजिटल इकोसिस्टम** आदि।

6.1.3. "लैंगिक असमानता सूचकांक (GII) 2022" जारी किया गया {Gender Inequality Index (GII) 2022 Released}

संदर्भ

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने "लैंगिक असमानता सूचकांक (GII) 2022" जारी किया। GII 2022 को UNDP की **"मानव विकास रिपोर्ट 2023/2024"** में शामिल किया गया है। मानव विकास रिपोर्ट 2023/2024" को **"ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक री-इमेजनिंग को-ऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड"** शीर्षक से जारी किया गया है।

विश्लेषण

GII 2022 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- सूचकांक में **डेनमार्क को सर्वोच्च रैंकिंग** प्राप्त हुई है। उसके बाद **नॉर्वे** और **स्विट्ज़रलैंड** का स्थान है।
- सूचकांक में शामिल **विश्व के 193 देशों में से भारत 108वें स्थान** पर है। भारत का **GII स्कोर 0.437** है।
  - GII 2021 में भारत **191 देशों में से 122वें** स्थान पर था।
- **भूटान (रैंक-80); श्रीलंका (90); और मालदीव (76)** जैसे भारत के पड़ोसियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है।

लैंगिक असमानता सूचकांक (GII) के बारे में

- **लैंगिक असमानता सूचकांक (GII)** वास्तव में महिलाओं और पुरुषों के बीच उपलब्धियों में असमानता को दर्शाने वाला एक समग्र मापन है। यह असमानता **निम्नलिखित तीन आयामों या मानदंडों पर मापी जाती है:**
  - **प्रजनन स्वास्थ्य (Reproductive Health):** इसके तहत **मातृत्व मृत्यु अनुपात और किशोर प्रजनन दर** जैसे संकेतकों का उपयोग किया जाता है। इसमें **महिला प्रजनन स्वास्थ्य सूचकांक** का भी उपयोग किया जाता है।
  - **सशक्तीकरण (Empowerment):** इसके तहत **संसद में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात तथा कम-से-कम माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाली महिला एवं पुरुष आबादी** संकेतकों का इस्तेमाल किया जाता है। इनके लिए **महिला एवं पुरुष सशक्तीकरण सूचकांक** का भी उपयोग किया जाता है।
  - **श्रम बाजार (Labour market):** इसके तहत महिला एवं पुरुषों की **श्रम बल भागीदारी दर** को मापा जाता है। इसमें **महिला और पुरुष श्रम बाजार सूचकांक** का भी उपयोग किया जाता है।
- GII स्कोर **0 से 1 के बीच** दिया जाता है। **0 स्कोर** से आशय है कि **महिला और पुरुष के बीच समानता** की स्थिति है। वहीं, **1 स्कोर** का अर्थ है कि पुरुष और महिला के बीच सभी आयामों या संकेतकों में **व्यापक असमानता** मौजूद है।

भारत की रैंकिंग में सुधार के लिए उत्तरदायी पहलें

- **मिशन शक्ति:** यह **महिलाओं की सुरक्षा, बचाव और सशक्तीकरण** के लिए एक अम्ब्रेला योजना है।
- **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020** में सवैतनिक मातृत्व अवकाश की अवधि को **12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह** किया गया है, आदि।
- **वेतन संहिता, 2019:** इसके तहत **समान कार्य के लिए** कर्मचारियों की भर्ती करते समय **महिलाओं और पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं** किए जाने का प्रावधान किया गया है।
- **कुछ अन्य पहलें हैं:** मिशन पोषण 2.0, प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) आदि।

6.1.4. यूनेस्को की "टेक्नोलॉजी ऑन हर टर्म्स" रिपोर्ट (UNESCO'S "Technology on her Terms" Report)

संदर्भ

यूनेस्को ने वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट की "जेंडर रिपोर्ट 2024" को "टेक्नोलॉजी ऑन हर टर्म्स" शीर्षक से जारी किया गया है।

- रिपोर्ट में **लड़कियों के लिए शिक्षा के अवसरों और परिणामों पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव तथा भविष्य के तकनीकी विकास में शिक्षा की भूमिका का आकलन** किया गया है।

विश्लेषण

लड़कियों की शिक्षा पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव:

- कोविड महामारी जैसे संकट में भी सूचना व संचार प्रौद्योगिकी (ICT) **लड़कियों की शिक्षा प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को दूर** कर सकती है।
  - उदाहरण के लिए: केन्या में **एम-शुले प्लेटफॉर्म (M-shule platform)** इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता के बिना टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है।
- **डिजिटल विभाजन:** लड़कियां और महिलाएं प्रौद्योगिकी तक पहुंच बनाने में कम सक्षम होती हैं। विश्व स्तर पर **पुरुषों की तुलना में 130 मिलियन कम महिलाओं के पास मोबाइल फोन है। इसी तरह पुरुषों की तुलना में 244 मिलियन कम महिलाओं को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्राप्त है।** तक पहुंच है।
- **सोशल मीडिया कल्याण की भावना को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है** और लैंगिक रूढ़िवादिता को मजबूत करता है। 10 साल की उम्र में सोशल मीडिया पर अधिक सक्रियता **लड़कियों में उम्र के साथ बढ़ती सामाजिक-भावनात्मक कठिनाइयों** से जुड़ी हुई है। उदाहरण: **साइबरबुलिंग।**

तकनीकी विकास को दिशा देने में शिक्षा की भूमिका:

- **STEM क्षेत्रक** में युवा महिला स्नातकों की औसत भागीदारी **15%** और युवा पुरुष स्नातकों की **35%** है।
- **तकनीकी डिजाइन और कार्यान्वयन में कम प्रतिनिधित्व:** 2022 में महिलाओं की विज्ञान, इंजीनियरिंग और ICT क्षेत्रक की नौकरियों में **25% से कम हिस्सेदारी** थी।
- माता-पिता और शिक्षकों की भी STEM क्षेत्रक में लड़कियों द्वारा बेहतर प्रदर्शन की कम उम्मीद होती है। यह निराधार सोच **नकारात्मक लैंगिक रूढ़ियों** को मजबूत करती है। इससे लड़कियों की STEM क्षेत्रक में भागीदारी प्रभावित होती है।

रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें:

- **शिक्षा प्रौद्योगिकी और एल्गोरिदम का मूल्यांकन करने के लिए समर्पित निकायों** का गठन किया जाना चाहिए। इससे यह आकलन किया जा सकेगा कि शिक्षा प्रौद्योगिकी और एल्गोरिदम नकारात्मक लैंगिक रूढ़िवादिता को कहां तक बढ़ा रहे हैं या कल्याण को नकारात्मक रूप से कितना प्रभावित कर रहे हैं।
- **अधिक से अधिक लड़कियों को वैज्ञानिक करियर अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।** साथ ही, AI और प्रौद्योगिकी विकास में महिला नेतृत्व को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- सभी के लिए डिजिटल साक्षरता और कौशल को बढ़ाने के लिए **केवल अवसंरचना में निवेश करने के दृष्टिकोण से बचना** चाहिए। इसके साथ-साथ **लैंगिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों** में भी निवेश किए जाने की जरूरत है।

6.2. बच्चे (CHILDREN)

6.2.1. ऑनलाइन बाल लैंगिक शोषण और दुर्व्यवहार {Online Child Sexual Exploitation And Abuse (OCSEA)}

संदर्भ

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) ने "रोल ऑफ सोशल मीडिया इन फैसिलिटेटिंग ऑनलाइन चाइल्ड एक्सप्लोइटेशन एंड एब्यूज" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।

विश्लेषण

OCSEA के बारे में

- **ऑनलाइन बाल लैंगिक शोषण और दुर्व्यवहार (OCSEA)** से आशय **सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी** माध्यमों के जरिए बच्चों के साथ **लैंगिक दुर्व्यवहार और/या उनका लैंगिक शोषण** करने से है।
    - राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुसार, भारत में अलग-अलग सोशल मीडिया पर **बाल लैंगिक शोषण संबंधी कंटेंट (CSAM) में 250 से 300 प्रतिशत** की वृद्धि दर्ज की गई है।

सोशल मीडिया OCSEA को कैसे बढ़ावा देता है?

- **ऑनलाइन प्रिडेटर्स:** अपराधी प्रवृत्ति के लोग **बच्चों को ग्राफिक कंटेंट पोस्ट करने हेतु लुभाने और मजबूर करने** के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं।
- **अश्लील कंटेंट तक पहुंच:** बच्चे **जानबूझकर या अनजाने में अश्लील कंटेंट** तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कंटेंट **सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आसानी से उपलब्ध** होते हैं।

बाल लैंगिक शोषण वाले कंटेंट का बच्चों पर दुष्प्रभाव:

- ये **मस्तिष्क के विकास को बाधित** करते हैं। साथ ही **एंग्जाइटी, पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) जैसे मनोवैज्ञानिक तनाव** का कारण भी बनते हैं।
- इसकी वजह से बच्चों में **अजीब व्यवहार करने की आदत** विकसित हो सकती है।
- इसकी वजह से बच्चों में **कई तरह के संचारी और गैर-संचारी रोगों का खतरा** बढ़ जाता है। ऐसी बीमारियों में असुरक्षित लैंगिक संबंध की वजह से **HIV का संक्रमण; हृदय रोग; अवांछित गर्भधारण** आदि शामिल हैं।

रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें:

- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को अनिवार्य रूप से एक ऐसा **तंत्र विकसित** करना चाहिए, जहां बच्चे अपनी **परेशानियों और चिंताओं को दर्ज** कर सकें। यह **तंत्र** स्पष्ट, सुलभ व बच्चों के अनुकूल होना चाहिए।
- **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सर्विस प्रोवाइडर्स** को समय-समय पर **पारदर्शिता संबंधी रिपोर्ट प्रकाशित** करनी चाहिए।

OCSEA पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदम

- **सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000:** यदि **बाल लैंगिक शोषण संबंधी कंटेंट** तथा अन्य **अश्लील कंटेंट ऑनलाइन पोस्ट या शेयर** किए जाते हैं, तो IT अधिनियम की विभिन्न **धाराओं (66E, 67, 67A और 67B) के तहत कठोर दंड व जुर्माने का प्रावधान** किया गया है।
- IT नियमावली, 2021 **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाल लैंगिक शोषण संबंधी कंटेंट के प्रसार** पर अंकुश लगाती है।
- CBI ने **"ऑनलाइन बाल लैंगिक शोषण और दुर्व्यवहार रोकथाम/ जांच इकाई"** स्थापित की है।
- बाल लैंगिक शोषण संबंधी कंटेंट को हटाने के लिए **YouTube "चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज इमेजरी मैच"** नामक एक ऑटोमेटिक टूल का उपयोग करता है।

6.2.2. बच्चों में स्क्रीन टाइम में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज (Significant Increase In Screen Time Among Children)

संदर्भ

कई अध्ययनों में यह पाया गया है कि **बच्चों का स्क्रीन टाइम प्रतिदिन 2 घंटे से अधिक** है।

विश्लेषण

बच्चों में स्क्रीन टाइम बढ़ने के कारण:

- **रोल मॉडलिंग:** बच्चे आमतौर पर अपने **माता-पिता या परिवार के अन्य सदस्यों और अपने सहपाठियों की नकल** करते हैं।
- **शैक्षिक या मनोरंजक उद्देश्य:** कोविड-19 महामारी की वजह से मोबाइल फोन के उपयोग को **त्वरित और व्यापक स्वीकृति** मिली है।
- **माता-पिता का कामकाजी होना:** माता-पिता अपनी अनुपस्थिति में आमतौर पर सुरक्षा जैसी चिंताओं और अन्य उद्देश्यों के लिए बच्चों को मोबाइल फोन प्रदान करते हैं।
- **डिजिटल डिवाइस और इंटरनेट की पहुंच में वृद्धि:** हालिया दिनों में **स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर और अन्य डिजिटल डिवाइसेज तथा इंटरनेट सेवाएं देश के हर कोने में पहुंच** चुके हैं।

स्क्रीन टाइम बढ़ने से जुड़ी चिंताएं:

- **मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं:** स्क्रीन पर अधिक समय बिताने से **चिंता, अवसाद, नींद नहीं आना जैसी कई समस्याएं उत्पन्न** हो सकती हैं।
  - बिना शारीरिक गतिविधि वाली जीवनशैली से **मोटापे जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं** भी पैदा हो सकती हैं।
- **सोचने-विचारने की क्षमता और सामाजिक कौशल:** अधिक स्क्रीन टाइम से **सोचने-विचारने (Cognitive), सामाजिक और भावनात्मक कौशल (जैसे-परानुभूति या एम्पैथी) के विकास में बाधा** उत्पन्न हो सकती है।
- **साइबर बुलिंग और बाल दुर्व्यवहार:** अधिक स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों के साथ बुलिंग और दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ रही हैं। विशेष रूप से लड़कियों को इनसे अधिक खतरा है।

स्क्रीन टाइम से जुड़ी चिंताओं से निपटने के लिए शुरू की गई पहलें

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने **पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधि, गतिहीन जीवनशैली और नींद पर दिशा-निर्देश** जारी किए हैं।
- भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने **मनोदर्पण पहल** शुरू की है। इसका उद्देश्य **मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक हित के लिए छात्रों को मनोसामाजिक सहायता** प्रदान करना है।
- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने **"महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम (CCPWC) योजना** शुरू की है। इसका उद्देश्य **बच्चों के लिए सुरक्षित ऑनलाइन परिवेश** सुनिश्चित करना है।

आगे की राह:

शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाना चाहिए। साथ ही, **जागरूकता बढ़ा कर स्क्रीन पर समय देने को सीमित** करना चाहिए आदि।

वैमासिक रिवीजन

6.3. अन्य सुभेद्य वर्ग (OTHER VULNERABLE SECTIONS)

6.3.1. दिव्यांगजन अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 {Rights of Persons With Disabilities (RPWD) Act, 2016}

संदर्भ

हाल ही में, **सीमा गिरिजा लाल एवं एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य वाद** में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों द्वारा दिव्यांगजन अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 को पूरी तरह से लागू नहीं करने पर निराशा व्यक्त की है।

विश्लेषण

PwDs के समक्ष आने वाली चुनौतियां

- **कलंक, भेदभाव और उपेक्षा:** सभी नागरिकों की समानता की संवैधानिक गारंटी के बावजूद, पूर्वाग्रह, सामाजिक-मनोविज्ञान और सांस्कृतिक कारणों से कलंक, भेदभाव और उपेक्षा का सामना करना पड़ता है।
- **अधूरेपन का दुष्चक्र:** उनकी क्षमताओं को अक्सर कम करके आंका जाता है, जिससे उनके विकास में बाधा आती है।
- **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सीमित** है, क्योंकि स्कूलों में सुलभ अवसंरचना, प्रशिक्षित शिक्षकों, शिक्षण साम्रियों और अन्य सहायक संसाधनों की कमी देखने को मिलती है।
- दिव्यांगजनों को **उचित और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं** तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही, उनके लिए पुनर्वास, सहायक उपकरण और विशेष देखभाल सेवाओं का भी अभाव है।
- रोजगार के सीमित अवसरों, सहायक उपकरणों के लिए अतिरिक्त व्यय आदि के कारण दिव्यांगजनों और उनके परिवारों को **गरीबी तथा आर्थिक रूप से हाशिए पर बने रहने का अधिक जोखिम होता** है।
- स्क्रीन रीडर, स्पीच रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, विशेष हार्डवेयर जैसी किफायती सहायक प्रौद्योगिकियों की व्यापक कमी है। इससे डिजिटल विभाजन को बढ़ावा मिल सकता है।

RPwD अधिनियम के अपर्याप्त कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार कारण

- **संसाधनों का अपर्याप्त आवंटन:** 2022-23 में संसदीय स्थायी समिति ने दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए शुरू किए गए अलग-अलग कार्यक्रमों हेतु बजट के अपर्याप्त आवंटन पर प्रकाश डाला था। **उदाहरण के लिए,**
  - 2016-17 और 2020-21 के बीच, **निःशक्तजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना (SIPDA)** के तहत घटकों की संख्या 6 से बढ़कर 13 हो गई थी, जबकि बजटीय आवंटन में 9 प्रतिशत से भी कम की वृद्धि हुई थी।
  - **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना के तहत 300 रुपये या 500 रुपये प्रतिमाह की निःशक्तता पेंशन** प्रदान की जाती है। यह राशि महंगाई की वर्तमान स्थिति को देखते हुए बहुत कम है।
- **समन्वय संबंधी समस्याएं:** दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों व जिलों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। साथ ही, अलग-अलग विभागों और एजेंसियों के बीच भी प्रभावी समन्वय की आवश्यकता है।
  - उदाहरण के लिए, राज्य सरकारों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होने की समस्या लगातार बनी हुई है। इससे केंद्र सरकार

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

PwDs के बारे में

- **दिव्यांगजन की परिभाषा:** दिव्यांगता किसी व्यक्ति की **दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदनशील कमजोरी** को दर्शाती है। इस कमजोरी के कारण दिव्यांगजनों को अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो समाज में दूसरे व्यक्तियों के समान उनकी **पूर्ण और प्रभावी भागीदारी को बाधित** करती है।
- **2011 की जनगणना के अनुसार, कुल आबादी का 2.21%** हिस्सा PwD का है।
- **69%** दिव्यांगजन ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। **56%** PwD **पुरुष** हैं। कुल दिव्यांगजनों में से **21% बुजुर्ग** (60+ वर्ष) हैं।

दिव्यांगजन अधिकार (RPwD), अधिनियम 2016 के बारे में

- इस अधिनियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि **सभी दिव्यांगजन गरिमा के साथ, बिना किसी भेदभाव के और समान अवसरों के साथ अपना जीवन व्यतीत करें।**
- इस अधिनियम को **दिव्यांगजन अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCRPD), 2007** को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था। **भारत इस अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता देश है।**

अधिनियम के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र

- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में **21 प्रकार** की निःशक्तताओं या दिव्यांगताओं की पहचान की गई है। इनमें **एसिड हमले से पीड़ित, बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक बीमारी** आदि को भी शामिल किया गया है।
- **दिव्यांगजनों के अधिकारों की सूची:**
  - यह सरकार की जिम्मेदारी है कि दिव्यांगजनों को **समानता, गरिमा और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार** प्राप्त हो।
  - उन्हें **उत्पीड़न, क्रूरता, अमानवीय व्यवहार, हिंसा, शोषण आदि से सुरक्षा** प्राप्त करने का अधिकार है।
  - **अन्य अधिकारों में निम्नलिखित शामिल हैं:**
    - घर और परिवार का अधिकार, प्रजनन का अधिकार, मतदान का अधिकार, संपत्ति के स्वामित्व या विरासत का अधिकार आदि।
- **बेंचमार्क (संदर्भित) दिव्यांगजन:** इसका अर्थ उस व्यक्ति से है, जिसमें **कम-से-कम 40 प्रतिशत निर्दिष्ट दिव्यांगता है,** जैसा कि प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाता है। ऐसी दिव्यांगता विशिष्ट शब्दों (Measurable terms) में

द्वारा दिव्यांगजनों हेतु शुरू की गई विविध पहलों के कार्यान्वयन के लिए धन आवंटित नहीं किया जा रहा है।

- **पुनर्वास सेवाएं: 69 प्रतिशत दिव्यांगजन ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं।** ग्रामीण क्षेत्रों में पुनर्वास संबंधी सेवाओं की पहुंच, उपलब्धता और उपयोगिता का अभाव पाया जाता है।
  - **दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना** के तहत **पुनर्वास पेशेवरों की सेवा प्राप्त करने के लिए वर्तमान लागत मानक पर्याप्त नहीं हैं।** इसके अलावा, **दूरस्थ क्षेत्रों में पेशेवरों की विशेष कमी है।**
- **शैक्षिक सशक्तीकरण में बाधा:** दिव्यांगजनों को शैक्षिक रूप से सशक्त बनाने के लिए निर्दिष्ट योजनाओं हेतु बजटीय आवंटन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
  - इसके अलावा, **राष्ट्रीय फेलोशिप योजना को छोड़कर,** कोई अन्य निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है।
- **डेटा और अनुसंधान का अभाव: अपडेटेड, विश्वसनीय और अलग-अलग तरह की दिव्यांगता से संबंधित वर्गीकृत डेटा का अभाव** है। इससे साक्ष्य-आधारित नीति निर्धारण एवं लक्षित हस्तक्षेपों में बाधा उत्पन्न होती है।

आगे की राह

- **राज्यों को सहायता प्रदान करना:** केंद्र को राज्य एजेंसियों को विशेषज्ञ सलाह, लक्ष्यों और संसाधनों के साथ मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। इससे अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा।
- **सहयोग को बढ़ावा देना:** सरकारी निकायों, नागरिक समाज, दिव्यांगता अधिकार समूहों तथा निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की जरूरत है, ताकि दिव्यांगजनों के अधिकारों एवं समावेशन को बढ़ावा मिल सके।
- **पहुंच में सुधार:** भौतिक, डिजिटल और परिवहन संबंधी अवसंरचना की सार्वजनिक खरीद करते समय सभी केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय खरीद संबंधी कानूनों व नीतियों में सुगम्यता संबंधी मानदंडों को शामिल करना चाहिए।
- **प्रभाव मूल्यांकन को बढ़ावा देना:** दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी और उसके प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए बेहतर डेटा सिस्टम को स्थापित करने की आवश्यकता है। साथ ही, दिव्यांगजनों द्वारा सामना किए जाने वाली क्षेत्रीय चुनौतियों को समझने के लिए इससे जुड़े हुए अनुसंधान को बढ़ावा देने की जरूरत है।
- **सोशल ऑडिट:** दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 48 के अनुसार, दिव्यांगजनों को शामिल करने वाली सभी सामान्य योजनाओं और कार्यक्रमों का उपयुक्त सरकार द्वारा सोशल ऑडिट करना आवश्यक है। इस प्रावधान को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने की जरूरत है।

इसे प्रभावी तरीके से लागू करने हेतु अधिनियम के कुछ अन्य प्रावधान

- **वित्तीय सहायता:** दिव्यांगजनों को आर्थिक मदद देने के लिए **राष्ट्रीय और राज्य कोष** गठित करना।
- **मुख्य आयुक्त एवं अन्य आयुक्त:** इनकी नियुक्ति **केंद्र एवं राज्य सरकार के स्तर पर** की जाएगी। इन्हें दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाने (स्वतः संज्ञान सहित) का दायित्व सौंपा गया है।
- **सलाहकार बोर्ड:** दिव्यांगता पर नीति-निर्धारक निकायों के रूप में **केंद्रीय और राज्य सलाहकारी बोर्डों का गठन** किया गया है।
- **नियामकीय निकाय: निगरानी और शिकायत निवारण हेतु** नियामकीय निकायों को मजबूत बनाने हेतु।
- **विशेष अदालतें:** इस अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए राज्य सरकारों द्वारा **विशेष अदालतों के गठन** और **विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति** की अधिसूचना जारी की गई है।
- **जुर्माना:** इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन की स्थिति में जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

परिभाषित हो भी सकती है और नहीं भी।

- **गार्जियनशिप/ संरक्षकता (Guardianship):** यदि कोई दिव्यांग समर्थन प्राप्त होने के बावजूद भी स्वयं के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्णय नहीं ले सकता है, तो सीमित तौर पर एक गार्जियन की व्यवस्था की जा सकती है।
  - **सीमित तौर पर गार्जियन की व्यवस्था (Limited guardianship) करने के लिए प्राधिकरण का गठन नहीं** किया गया है। यह संरक्षक और दिव्यांगजन के बीच आपसी समझ एवं विश्वास पर आधारित संयुक्त निर्णय लेने वाली व्यवस्था है। यह व्यवस्था **दिव्यांगजनों की इच्छा** का पालन करती है और **विशिष्ट अवधियों, निर्णयों और स्थितियों तक सीमित** होती है।
- **सामाजिक सुरक्षा:** यह अधिनियम सरकार को दिव्यांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्यक्रम तैयार करने का आदेश देता है। इन कार्यक्रमों का लक्ष्य उन्हें स्वतंत्र रूप से या समुदाय में रहने में सक्षम बनाने के लिए **एक उचित जीवन स्तर** प्रदान करना होना चाहिए।

बेंचमार्क दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान

- **शिक्षा: 6-18 वर्ष की आयु वर्ग** के लोगों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। साथ ही, **सरकारी अथवा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त उच्चतर शिक्षण संस्थानों** में कम-से-कम **5% आरक्षण** प्रदान किया गया है।
- **रोजगार: सरकारी नौकरियों में कम-से-कम 4% आरक्षण** प्रदान किया गया है। इसके अलावा उन्हें **आयु में भी छूट** दी जा सकती है। हालांकि, **सरकार किसी भी सरकारी प्रतिष्ठान को इस प्रावधान से छूट** दे सकती है।
- **निजी क्षेत्रक को प्रोत्साहन:** सरकार **निजी क्षेत्रक के नियोक्ताओं** को यह सुनिश्चित करने के लिए **प्रोत्साहित करती है** कि उनके कार्यबल में कम-से-कम 5% दिव्यांग व्यक्ति शामिल हों।

दिव्यांगजनों के लिए की गई पहलें

- UNCRPD, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा (2021);
- **राष्ट्रीय कानून**
  - भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992
  - ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-दिव्यांगता कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, 1999;
  - दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016;
  - मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017;
- **दिव्यांगजनों के लिए कुछ प्रमुख योजनाएं**
  - **दिव्यांगजन अधिनियम, 1995 के क्रियान्वयन हेतु योजना (SIPDA)**
  - **सुगम्य भारत अभियान (2015)**
  - सहायता/ सहायक उपकरणों की खरीद/ फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (ADIP)
  - दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना
  - दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (DDRS)
- **भारत निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय पहलों का भी हस्ताक्षरकर्ता है**
  - एशिया और प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांगजनों के लिए "अधिकार को वास्तविक बनाने हेतु" **इंचियोन स्ट्रेटजी** को अपनाना।
  - एशिया-प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांगजनों की **"पूर्ण भागीदारी और समानता पर घोषणा"** दिसंबर, 1992 में बीजिंग में अपनाई गई थी।
  - **बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क:** यह फ्रेमवर्क एक **समावेशी, बाधा मुक्त और अधिकार-आधारित समाज** की दिशा में काम कर रहा है।

6.3.2. UNHRC ने इंटरसेक्स अधिकारों के लिए अपनी तरह का पहला संकल्प अपनाया (UNHRC Adopted First Resolution of Its Kind For Intersex Rights)

संदर्भ

यह संकल्प **संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के 55वें सत्र** में अपनाया गया।

विश्लेषण

यह संकल्प देशों से आह्वान करता है कि:

- **जन्मजात रूप से भिन्न लैंगिक विशेषताओं** वाले व्यक्तियों के खिलाफ किए जा रहे **भेदभाव, हिंसा और हानिकारक प्रथाओं** से निपटने में सहयोग करना;
- इंटरसेक्स लोगों की मूल समस्याओं का समाधान करने के साथ-साथ उनकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य मानक का लाभ उठाने में मदद करना।

इंटरसेक्स लोगों के बारे में

इंटरसेक्स लोग विशिष्ट लैंगिक विशेषताओं के साथ पैदा होते हैं, जैसे- शरीर की लैंगिक रचना, प्रजनन अंग, हार्मोनल पैटर्न और/ या क्रोमोसोमल पैटर्न संबंधी विशेषता। ये विशेषताएं **पुरुष या महिला के रूप में जन्म लेने वाले सामान्य व्यक्ति की शारीरिक विशेषताओं से मेल नहीं खाती हैं।**

- उनकी कोई भी **लैंगिक पहचान या यौन आकर्षण** हो सकता है।
- विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार **1.7% आबादी इंटरसेक्स लक्षणों के साथ पैदा** होती है।
- **इंटरसेक्स लोग ट्रांसजेंडर लोगों से भिन्न** होते हैं।
  - ट्रांसजेंडर लोग स्पष्ट लैंगिक विशेषताओं वाले होते हैं। वे या तो पुरुष या महिला की विशेषताओं से युक्त होते हैं। हालांकि, ये विशेषताएं **व्यक्ति की लैंगिक पहचान (हाव-भाव) से मेल नहीं खाती** हैं।

इंटरसेक्स लोगों से जुड़े मुख्य मुद्दे:

- अपनी शारीरिक (लैंगिक) विशेषताओं के कारण उन्हें **मानवाधिकारों के उल्लंघन का शिकार** होना पड़ता है।
- समाज ने उनके प्रति गलत रुढ़ियां और समझ पैदा कर दी है। समाज इंटरसेक्स व्यक्तियों को बिल्कुल बीमार या विकृत मानता है।
- कभी-कभी ऐसे बच्चों को बचपन में ही मार दिया जाता है; इच्छा के विरुद्ध और बलपूर्वक चिकित्सकीय सर्जरी कराने के लिए मजबूर किया जाता है; शिक्षा आदि में भेदभाव किया जाता है; उन्हें कानूनी मान्यता मिलने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

6.4. शिक्षा (EDUCATION)

6.4.1. अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (Early Childhood Care and Education: ECCE)

संदर्भ

हाल ही में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) ने 3 से 6 साल के बच्चों के **'अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन' (ECCE) के लिए 'आधारशिला'** शीर्षक से एक **नेशनल करिकुलम (2024)** जारी किया है।

विश्लेषण

इस नीति के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- ECCE **पंचकोश की अवधारणा पर आधारित है।** यह भारत के प्राचीन ज्ञान और आधारित है और यह समग्र शिक्षा की दिशा की स्पष्ट रूपरेखा प्रदान करता है। साथ ही, यह बच्चे के शारीरिक, मानसिक और अंतर्मन के बेहतर विकास के लिए एक व्यापक तथा संतुलित दृष्टिकोण भी प्रदान करता है।
- **प्रारंभिक वर्षों में भाषा और पढ़ना-लिखना सीखना:** बच्चों में पढ़ने लिखने से जुड़े उभरते कौशल, जैसे- प्रिंट अवेयरनेस (चित्र के विभिन्न हिस्सों को जोड़ना), ड्राइंग, स्क्रिबलिंग आदि को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- **लर्निंग का सकारात्मक माहौल (दैनिक कार्य और आत्म-नियंत्रण संबंधी कौशल):** इसके तहत बच्चों में दिनचर्या का पालन करने, उनको सकारात्मक माहौल प्रदान करने, बच्चों में नेतृत्व के कौशल को बढ़ावा देने और निष्पक्ष रूप से विकल्प चुनने के लिए सक्षम बनाने पर ध्यान देना चाहिए।
- **खेल-खेल में सीखना:** कुछ खेल-आधारित गतिविधियां हैं- पहेलियां, रोल प्ले करना, किताबें पढ़ना, कहानियां बनाना, भाषा और गणित से जुड़े खेल, गाइडेड वाक।
- **अन्य**
  - आंगनवाड़ी केंद्रों में **सीखने या लर्निंग की विविधतापूर्ण पद्धतियों को अपनाना** आंगनवाड़ी शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है।
  - **कम आयु से ही लैंगिक समानता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है,** क्योंकि लैंगिक भेद-भाव की शुरुआत और उसे आत्मसात करने की प्रक्रिया बच्चों में कम आयु से ही शुरू हो जाती है। यह बच्चों की आत्म-अवधारणा, आकांक्षाओं और व्यवहार को प्रभावित करता है।
  - **दिव्यांगों का समावेशन:** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2023 में दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल (Anganwadi Protocol for Divyang Children) जारी किया था। इसमें दिव्यांग बच्चों की स्क्रीनिंग, इन्क्लूशन और रेफरल की सुविधा प्रदान की गई है।

ECCE को साकार करने से जुड़ी चुनौतियां

- **अपर्याप्त वित्त-पोषण:** 2020-21 में, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.1 प्रतिशत था।
- **अवसंरचना, पाठ्य-सामग्री और कक्षा का माहौल:** ECCE केंद्रों में बच्चों की आयु और उनके विकास की दृष्टि से उपयुक्त टूल एवं खेल से संबंधित सामग्री का अभाव है।
- **शिक्षक:** शिक्षकों से जुड़े मुद्दे, जैसे- उनकी योग्यता, नियुक्ति, वेतन और प्रशिक्षण/ क्षमता निर्माण आदि भी मौजूद हैं।
- **एडमिशन की अनिश्चित प्रक्रिया:** ECCE केंद्रों में बच्चों के एडमिशन

अन्य संबंधित तथ्य के लिए अवश्य पढ़िए:

अध्याय 6: प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान, कक्षा XII। NCERT

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ECCE) के बारे में

- भारतीय संदर्भ में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ECCE) को आम तौर पर जन्म से लेकर आठ वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा के रूप में परिभाषित किया जाता है। मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष की आयु से पहले होता है।
- इसमें शामिल है:
  - **0-3 वर्ष के बच्चों के लिए क्रेच/ होम स्टिम्युलेशन** के जरिए अर्ली स्टिम्युलेशन प्रोग्राम।
    - **नवचेतना - प्रारंभिक बाल्यावस्था प्रोत्साहन (ECS) के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क**
      - **यह सेवा और प्रतिदान के सिद्धांतों, देखभाल करने वाले के तीन कार्यों: प्रेम, वार्ता, खेल और सकारात्मक मार्गदर्शन पर केंद्रित है।**
  - **3-6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन (ECE) कार्यक्रम**
    - **आधारशिला, 3-6 वर्ष के बच्चों के लिए ECCE 2024 हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम।**
      - **आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार** लाना, योग्यता-आधारित पाठ योजनाओं और गतिविधियों को प्राथमिकता देना।
- **6-8 वर्ष के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा** के भाग के रूप में प्रारंभिक प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम।

अन्य नीतिगत पहलें

- **नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ECCE), 2013**
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020**
- **नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज (NCF-FS) 2022**
  - NCF-FS के संस्थागत दिशा-निर्देश विशेष रूप से **3-6 साल** और **0-3 साल के आयु समूह** के बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले ECCE को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए हैं।

की प्रक्रिया में एडमिशन की तारीख, एडमिशन हेतु बच्चे की आयु आदि के संदर्भ में स्पष्टता एवं पारदर्शिता नहीं है।

- **निगरानी और पर्यवेक्षण:** मैक्रो और माइक्रो स्तर पर ECCE केंद्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए **कोई स्पष्ट निगरानी एवं पर्यवेक्षण तंत्र मौजूद नहीं** है।
- **भारत में बाल्यावस्था देखभाल सहायता प्रणाली पर अत्यधिक बोझ:** सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 पहल के तहत प्रत्येक 22 बच्चों पर एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही मौजूद है। मिशन वात्सल्य के तहत प्रत्येक 69 बच्चों पर एक जिला बाल संरक्षण अधिकारी ही मौजूद है।
- **अभिसरण/ समन्वय:** बच्चों की शिक्षा, देखभाल, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित विभिन्न आवश्यकताओं का समाधान अलग-अलग मंत्रालय और संस्थान द्वारा किया जाता हैं।

आगे की राह

- **ECCE सुविधाओं का विस्तार और उन्हें मजबूत बनाना:** विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित जिलों और स्थानों को फोकस करते हुए, देश में चरणबद्ध तरीके से उच्च गुणवत्ता वाले ECCE की सार्वभौमिक उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- **विनियामक फ्रेमवर्क:** राज्यों को गुणवत्तापूर्ण परिणाम सुनिश्चित करने के लिए ECCE केंद्रों के पंजीकरण और मान्यता सहित प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक विनियामक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए।
- **अनुसंधान, मूल्यांकन और दस्तावेज़ीकरण:** नवीन और सफल मॉडल तैयार करने के लिए अनुसंधान करने और उनके प्रभाव का अध्ययन भी किया जाना चाहिए।
- **ECCE को MoWCD के वैधानिक दायित्व के रूप में मान्यता देना:** ECCE के संपूर्ण आयाम ('देखभाल' घटकों सहित) का समग्र प्रभार MoWCD के पास होना चाहिए। **प्रारंभिक-स्कूली शिक्षा** (ECE या प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा) प्रदान करने की जिम्मेदारी **शिक्षा मंत्रालय** द्वारा निभाई जा सकती है।
- **अन्य**
  - शिक्षाशास्त्र (Pedagogy) को **शिक्षक-केंद्रित बनाने के बजाय बाल-केंद्रित बनाना चाहिए।**
  - ECCE को बढ़ावा देने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि सरकारी धन का निवेश बेहतर समाधानों में हो।
  - आंगनवाड़ी शिक्षकों (AWTs) की उपलब्धता और समयबद्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।
  - CSR फंड बच्चों की देखभाल की गुणवत्ता और कवरेज को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

भारत में ECCE के लिए की गई पहलें

- **वर्ष 1975 में शुरू की गई एकीकृत बाल विकास सेवा** का उद्देश्य छोटे बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के कुपोषण, स्वास्थ्य और विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना था।
- **सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0:** यह एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है, जो बच्चों, किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण की समस्या का समाधान करने पर केंद्रित है।
- मिशन शक्ति के तहत **पालना (आंगनवाड़ी सह क्रेच का प्रावधान) और प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)** शुरू की गई है।
- **वर्ष 2023 में 'पोषण भी पढ़ाई भी' पहल लॉन्च की गई।**

वैश्विक पहलें:

- यूनेस्को ने **प्रारंभिक बाल्यावस्था के लिए वैश्विक भागीदारी रणनीति (Global Partnership Strategy for Early Childhood) की स्थापना की है।**
- **बाल अधिकारों पर कन्वेंशन (CRC) 1989** और **सभी के लिए शिक्षा (EFA) 1990,** का लक्ष्य सभी बच्चों के लिए शिक्षा को सुगम बनाना है, क्योंकि **"सीखने की शुरुआत जन्म से ही हो जाती है"।**
  - भारत इन दोनों कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता है।
- **"SDG4 - शिक्षा 2030"** एजेंडा में शिक्षा समुदाय से परे ECCE के लिए पहली वैश्विक प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया है।

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

6.5. स्वास्थ्य (HEALTH)

6.5.1. भारत में कुल प्रजनन दर में गिरावट (Declining Total Fertility Rate in India)

संदर्भ

हाल ही में, लैंसेट में प्रकाशित ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2021 में इस बात को रेखांकित किया गया है, कि **भारत में कुल प्रजनन दर (TFR) घट कर 2050 तक 1.29 और 2100 तक 1.04 हो जाने की संभावना** है।

विश्लेषण

कुल प्रजनन दर में गिरावट के कारण

- **शैक्षिक अवसर:** पहले की अपेक्षा **महिलाओं में शिक्षा का स्तर बढ़ा** है। इससे अवांछित प्रसव को रोकने हेतु गर्भनिरोधक दवाओं के उपयोग में बढ़ोतरी, बच्चों के स्वास्थ्य और महिलाओं की कार्यबल भागीदारी में सुधार हुआ है। इनके परिणामस्वरूप प्रजनन दर में कमी आ रही है।
- **परिवार नियोजन:** सरकार ने **परिवार नियोजन हेतु कई पहलें शुरू की** है। इससे किसी **दंपत्ति को बच्चों की संख्या निर्धारित करने** और बच्चों के जन्म के बीच अंतर रखने का निर्णय लेने में मदद मिली है। इस कारण TFR में गिरावट दर्ज की गई है।
- **विवाह में विलम्ब:** विवाह देरी से करने के कारण **गर्भधारण की औसत आयु 20-30 वर्ष से बढ़कर 30-40 वर्ष** हो गई है।
- **बंध्यता:** बदलती **जीवनशैली** के कारण मोटापा, तनाव, धूम्रपान और प्रदूषण का बढ़ना **चिंता का विषय** है। इसके कारण TFR की दर में काफी गिरावट देखी गई है, परिणामस्वरूप **दंपत्तियों में बंध्यता की समस्या** बढ़ रही है।
  - पिछले 10 वर्षों में भारत की सामान्य प्रजनन दर में 20 प्रतिशत तक की गिरावट आई है और लगभग 30 मिलियन लोग बंध्यता से ग्रसित हैं।
- **बाल मृत्यु दर:** बाल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होने तथा टीकाकरण कार्यक्रमों के कारण बाल मृत्यु दर में भी गिरावट आई है, जिससे TFR में और अधिक गिरावट को बढ़ावा मिल रहा है।

> **संक्षिप्त पृष्ठभूमि**
>
> **कुल प्रजनन दर (TFR) क्या है?**
>
> - कुल प्रजनन दर को एक महिला द्वारा **15-49 वर्ष के पूरे प्रजनन काल के दौरान पैदा होने वाले बच्चों की औसत संख्या के रूप में परिभाषित** किया जा सकता है, यदि उसके पूरे प्रजनन काल में एक समान जनन-क्षमता और पैटर्न बना रहता है।
>   - **2.1 की कुल प्रजनन दर** यानी **प्रत्येक महिला द्वारा दो बच्चों को जन्म देने** की स्थिति को **जनसंख्या प्रतिस्थापन दर (Replacement rate)** माना जाता है। यह जनसंख्या में सापेक्षिक स्थिरता को दर्शाता है।
> - वर्ष 2050 और 2100 में **वैश्विक TFR क्रमशः 1.83 और 1.59 होगी।**
> - **2021 में भारत की TFR 1.91 थी, जो 2.1 की प्रतिस्थापन दर से काफी कम है।**

कुल प्रजनन दर में गिरावट का प्रभाव

नकारात्मक प्रभाव:

- **आश्रित आबादी के अनुपात (Dependency Ratio) में वृद्धि:** प्रजनन दर में लगातार गिरावट दर्ज होने के कारण **वृद्ध लोगों की तुलना में युवा आबादी कम हो जाएगी।** इससे, जनसंख्या में **आश्रित आबादी अनुपात में वृद्धि** होगी। जैसा कि चीन, जापान जैसे देशों में देखा जा रहा है।
- **राजकोषीय बोझ बढ़ना:** प्रजनन दर में कमी आने के कारण कामकाजी आबादी कम हो जाएगी वहीं बढ़ती आश्रित आबादी के लिए सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, वृद्धावस्था देखभाल आदि पर व्यय में वृद्धि होगी। इससे देश के राजकोषीय संसाधनों पर बोझ बढ़ेगा।
- **श्रम बल:** TFR में कमी आने से कुशल श्रमिकों की संख्या में भी कमी आएगी। इससे **अर्थव्यवस्था की उत्पादकता और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव** पड़ सकता है। इसके परिणामस्वरूप **श्रम बाजार में असंतुलन और आर्थिक संवृद्धि में ठहराव** आ सकता है।
- **प्रवासन:** प्रजनन दर के घटने से प्रवास पैटर्न भी प्रभावित हो सकता है। ऐसे देश, जहां वृद्ध लोगों की आबादी अधिक है, वे कार्यबल की कमी को दूर करने के लिए अपने यहां प्रवासियों को आकर्षित कर सकते हैं। इससे जनसांख्यिकीय विविधता को बढ़ावा मिलेगा लेकिन इससे जनसंख्या समूहों के बीच तनाव भी बढ़ेगा और प्रवासन नीति को लेकर भी संघर्ष पैदा होगा।
- **पारिवारिक व्यवस्था में बदलाव:** परिवार का आकार घटने से दादा-दादी द्वारा बच्चों की देखभाल जैसी पारंपरिक सहायता प्रणाली बाधित हो सकती है। इसके अलावा, एकल परिवारों में वृद्धि के कारण बुजुर्गों में अकेलापन, मानसिक विकार जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं।

सकारात्मक प्रभाव:

- **संसाधनों का बेहतर उपयोग:** प्रजनन दर में कमी आने से **भूमि, जल और अन्य संसाधनों पर दबाव कम होगा** और इससे पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।
- **शैक्षिक दक्षता:** TFR में गिरावट आने से स्कूलों में बच्चों की संख्या भी कमी होगी। इससे बच्चों पर बेहतर ध्यान दिया जा सकता है और इसके अच्छे शैक्षिक परिणाम प्राप्त होंगे। इसके लिए सरकार को प्रति व्यक्ति अतिरिक्त संसाधन भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

आगे की राह:

- **सहायता में वृद्धि:** सरकारों और व्यवसाय जगत को बच्चों की देखभाल में सहायता करनी चाहिए, कर सब्सिडी प्रदान की जानी चाहिए, बच्चों के देखभाल हेतु अवकाश संबंधी पात्रता मानदंडों में सुधार करने ध्यान देना चाहिए। इससे कामकाजी माता-पिता के लिए बच्चों का पालन-पोषण वहनीय बनाया जा सकता है।
- **लैंगिक-समता को लेकर जागरूकता:** महिलाओं को मातृत्व की जवाबदेही के साथ-साथ अपना करियर भी जारी रखने में मदद करने के लिए पुरुषों को भी घर और देखभाल संबंधी कार्यों की अधिक जिम्मेदारी उठानी चाहिए।

- **आर्थिक नीतियों का निर्माण करना:** सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी संभावित खतरों से निपटने के लिए, **सामाजिक सुरक्षा और पेंशन सुधारों के साथ-साथ विकास और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने वाली आर्थिक नीतियां बनानी चाहिए।** इससे, घटती प्रजनन दर के प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी।
- **कौशल विकास सुनिश्चित करना:** कार्यशील जनसंख्या को, चाहे उनकी संख्या और आयु कुछ भी हो, की आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान किया जाना चाहिए। इससे देश की वृद्ध होती आबादी को "आर्थिक आपदा" बनने से रोका जा सके।

6.6. गरीबी और विकास संबंधी मुद्दे (POVERTY AND DEVELOPMENTAL ISSUES)

6.6.1. सामाजिक अवसंरचना (Social Infrastructure)

संदर्भ

हाल ही में, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय **सामाजिक सुरक्षा कवरेज में विद्यमान कमियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने** के लिए **पी.एम. गति शक्ति पोर्टल** से जुड़ गया।

विश्लेषण

भारत में सामाजिक अवसंरचना का महत्त्व

- यह गरीबी तथा असमानता में कमी कर **समावेशी विकास को बढ़ावा** देती है।
- यह शिक्षा और कौशल के स्तर में सुधार कर **मानव संसाधन संबंधी उत्पादकता को बढ़ाती है।** इससे भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करने की संभावनाएं अधिकतम हो जाती हैं।
  - सामाजिक सुरक्षा और श्रम कल्याण से श्रमिकों की उत्पादकता और दक्षता में सुधार होता है।
- **यह सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देती है और सामाजिक कल्याण में वृद्धि करती है।**
- यह आय और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करते हुए **व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती है।**
  - स्वच्छ जल और सैनिटेशन तक पहुंच से मृत्यु दर में कमी आती है तथा लोग स्वस्थ रहते हैं। इससे लोगों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है, जिससे गरीबों की उत्पादक क्षमता में वृद्धि होती है।
- यह पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को अपनाकर **सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। उदाहरण:** SDG 3,4,7,10 आदि।
- **यह आवासीय और समावेशी बस्तियों का निर्माण करते हुए** नागरिकों के बीच अलगाव की भावना को कम करती है। इससे उपेक्षित वर्गों, जैसे- गरीब, महिलाएं, बच्चे, दिव्यांगजन आदि को सामाजिक और आर्थिक लाभ भी प्राप्त होते हैं।

भारत में सामाजिक अवसंरचना के विकास से संबंधित चुनौतियां

- **अपर्याप्त सार्वजनिक वित्त-पोषण:** शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे प्रमुख सामाजिक क्षेत्रकों के लिए सार्वजनिक वित्त-पोषण पर्याप्त नहीं है। इसके कारण लर्निंग आउटकम बेहतर नहीं हो पाया है।
  - इन क्षेत्रकों में निवेश पर कम रिटर्न मिलने के कारण इसमें निजी क्षेत्रक की भागीदारी कम है। इससे यह समस्या और भी अधिक जटिल हो जाती है।
- **मानव संसाधनों का अभाव:** उदाहरण के लिए- प्रशिक्षित शिक्षकों की अनुपस्थिति, उच्च कुशल स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी, उपयुक्त योजना निर्माण में कमी, आदि।
- **पहुंच में असमानता:** उपेक्षित समुदायों, विशेष रूप से निम्न आय वर्ग में सामर्थ्य संबंधी मुद्दों के कारण पहुंच में असमानता व्याप्त है।
- **सामाजिक अवसंरचना के महत्त्व के बारे में नागरिकों में जागरूकता का अभाव:** उदाहरण के लिए- घरों में शौचालय के निर्माण की उच्च लागत तथा खुले में शौच की सुविधा संबंधी धारणा के कारण स्वच्छता का अभाव देखा जाता है।

आगे की राह

- सामाजिक अवसंरचना में मौजूद वित्तीय कमी को दूर करने के लिए **सार्वजनिक संसाधनों के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)**

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

सामाजिक अवसंरचना से क्या अभिप्राय है?

शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ-सफाई, सैनिटेशन संबंधी सुविधाएं, आवासन आदि जैसी **सामाजिक सेवाएं प्रदान करने वाली परिसंपत्तियों को सामाजिक अवसंरचना** में शामिल किया जाता है।

- 2022 में **मानव विकास सूचकांक (HDI)** में भारत की रैंक **134वीं** थी। 2021 में भारत की रैंक 135वीं थी।
- NEP, 2020 के अनुसार, 19-24 आयु वर्ग के **5% से कम कार्यबल** औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करते हैं।
  - यह संयुक्त राज्य अमेरिका (52%) और दक्षिण कोरिया (96%) की तुलना में बहुत कम है।

भारत में सामाजिक अवसंरचना के लिए संवैधानिक प्रावधान

- **राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांतों (DPSP)** के तहत, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह नागरिकों के कल्याण हेतु कार्य करे-
  - **अनुच्छेद 42: काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता** का उपबंध।
  - **अनुच्छेद 47:** पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य।
  - **अनुच्छेद 45:** राज्य सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा।
  - **अनुच्छेद 39(b):** समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित को लाभ पहुंचे।
  - **अनुच्छेद 39(c):** आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के साधनों का अहितकारी संक्रेद्रण न हो।
- **सातवीं अनुसूची** के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य और सैनिटेशन को राज्य सूची में शामिल किया गया है, जबकि शिक्षा, काम की स्थिति सहित श्रमिकों के कल्याण को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है।

भारत सरकार द्वारा सामाजिक अवसंरचना का विकास

शिक्षा

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
- समग्र शिक्षा स्कीम
- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

स्वास्थ्य

- आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री-जन आरोग्य योजना
- प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

आवास

- प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी)
- धान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

वैमासिक रिविजन

को अपनाया जाना चाहिए। इससे निजी क्षेत्रक की तकनीकी विशेषज्ञता, अनुभव और दक्षता का लाभ उठाया जा सकता है।
- निजी निवेशकों को आकर्षित करके विकास कार्यक्रमों को वित्त-पोषित करने के लिए **डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉण्ड** जैसी नवीन पहलों का उपयोग किया जाना चाहिए।
- जीवन, दुर्घटना और पेंशन बीमा के सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इससे **सामाजिक सुरक्षा कवरेज** को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2017 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020** के अनुरूप स्वास्थ्य सेवा और **शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को GDP के क्रमशः 2.5% और 6% तक बढ़ाया जाना चाहिए।**
- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण** का उपयोग जीवन स्तर से संबंधित वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में किया जा सकता है।

6.6.2. भारत में शहरी निर्धनता (Urban Poverty in India)

संदर्भ

हाल ही में, भारत रोजगार रिपोर्ट (IER), 2024 जारी की गई, जिसमें **शहरी क्षेत्रों में उच्च बेरोजगारी और उच्च मजदूरी के सह-अस्तित्व पर प्रकाश डाला** गया है। साथ ही, इस रिपोर्ट में शहरी गरीबों के लिए इसके निहितार्थ को समझने के लिए आगे की जांच का आह्वान किया गया है।

विश्लेषण

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों पर एक नज़र

- **शहरी क्षेत्रों में उच्च बेरोजगारी:** ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं में बेरोजगारी दर अधिक है। साथ ही, यदि युवा आबादी की बात करें तो 20-29 आयु वर्ग के युवाओं की तुलना में 15-19 आयु वर्ग के युवाओं में बेरोजगारी दर अधिक है।
- **लैंगिक अंतराल का जारी रहना:** वर्ष 2022 में ग्रामीण और शहरी दोनों, क्षेत्रों में युवकों की श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) (61.2%) युवतियों (21.7%) की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक थी।
- **शहरी गरीबी में कमी:** शहरी क्षेत्रों में गरीब व्यक्तियों का अनुपात अखिल भारतीय स्तर पर वर्ष 2012 के 13.7% से घटकर वर्ष 2022 में 12.55% हो गया।

शहरी गरीबी की व्यापकता के कारण

- **गरीबी का शहरीकरण: ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों का बेहतर रोजगार की तलाश में** गांव से शहरों की ओर पलायन करना, शहरी गरीबी का एक मुख्य कारण माना जाता है।
- **शहरीकरण में कई चीजें शामिल नहीं:** शहरी नियोजन की प्रक्रिया में अक्सर झुग्गी-झोपड़ियों जैसे अनौपचारिक बस्तियों में रहने वालों को नजरअंदाज कर दिया जाता है।
  - इन इलाकों में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी गरीबी के चक्र को बनाए रखती है।
- **शहरीकरण में क्षेत्रीय असमानता:** टियर II और टियर III शहरों के अपर्याप्त विकास ने दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों पर अत्यधिक जनसंख्या दबाव पैदा कर दिया है। इससे महानगरों में मलिन बस्तियों के विकास जैसी समस्याएँ बढ़ रही हैं।
  - **छोटे शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास में प्रति व्यक्ति लागत ज्यादा होने के कारण** भी असंतुलित शहरीकरण होता है। (उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की बुनियादी ढांचे पर रिपोर्ट, 2011)।
- **सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच की कमी:** कई गरीब प्रवासी शहरों में रहने का प्रमाण या पहचान पत्र नहीं दे पाते। इससे वे सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ नहीं उठा पाते और गरीबी के जाल में फंसे रहते हैं।
- **वित्तीय असुरक्षा:** अनौपचारिक **रोज़गार की उच्च व्यापकता, अल्प रोजगार जैसी समस्याएँ भी उत्पन्न हुई हैं,** क्योंकि तीव्र शहरीकरण के अनुरूप रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा नहीं हुए हैं। साथ ही, कम कौशल वाले लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा नहीं हुए हैं।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

IER, 2024

- IER, 2024 को **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)** और **मानव विकास संस्थान (IHD)** द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया है।
- 2015-16 से 2022-23 के दौरान वास्तविक आर्थिक संवृद्धि 5.4% के औसत से हुई। रिपोर्ट में इस तथ्य के मद्देनज़र **श्रमिक वर्ग पर लाभ के ट्रिकल-डाउन प्रभाव के संबंध में सवाल उठाए गए** हैं।

शहरी गरीबी के बारे में

- शहरी गरीबी **ग्रामीण इलाकों की तरह ही रोजगार, भोजन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा** तक सीमित पहुंच से जुड़ी है। साथ ही, जिस इलाके में वो रहते हैं, वहां अपनी बात रखने का भी उनका अधिकार नहीं होता है।

शहरी और ग्रामीण गरीबी के बीच अंतर

- **शहरी क्षेत्रों में आवास अपर्याप्त हैं और कानूनी अधिकारों की कमी** भी है, क्योंकि उनके आवास आमतौर पर अनधिकृत क्षेत्रों में होते हैं।
- **बुनियादी सेवाओं की कमी:** शौचालय सुविधाओं की कमी (विशेष रूप से महिलाओं के लिए); पेयजल, स्वच्छ हवा और वेंटिलेशन की कमी; और बीमारी के प्रति अधिक जोखिम।
- **परिवहन की चुनौतियां,** जबरन वसूली के खतरे और अपराध के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता।
- **शहरी गरीबों का सामाजिक नेटवर्क ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कमजोर होता है।** ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक संबंध और पारंपरिक समर्थन संरचनाएँ मजबूत होती हैं।
- **शहरी क्षेत्रों में गरीबी अधिक दिखाई देती है,** जिससे शहरी गरीबों में अधिक वंचित होने और सामाजिक बहिष्कार की भावना पैदा होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में, गरीबी अधिक व्यापक और एक जैसी होती है।
  - उदाहरण के लिए- मुंबई में गगनचुंबी इमारतों, लक्जरी होटलों, आदि का एशिया की सबसे बड़ी झुग्गियों में शामिल धारावी के साथ सह-अस्तित्व देखने को मिलता है।

शहरी गरीबी से निपटने के लिए शुरू की गई पहलें

- **आवास:** प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) के तहत सभी के लिए आवास।
- **स्वच्छता:** कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0 (अमृत 2.0)।
- **रोजगार एवं कौशल:** दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय

आगे की राह

- **समावेशी शहरीकरण:** शहरी विकास की योजना बनाने में स्थानीय समुदायों को शामिल करना और विकेंद्रीकृत निर्णय लेने की प्रक्रिया अपनाना जरूरी है।
  - शहरी क्षेत्रों में झुग्गी-झोंपड़ियों और गरीब बस्तियों में **स्वयं-सहायता समूहों को बढ़ावा देना और समुदाय की अगुवाई वाली पहलों का समर्थन** करना चाहिए।
  - घेट्टो (पृथक्कृत वर्ग विशेष के लोगों की बस्ती) के निर्माण को रोकने और रोजगार के अवसरों तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए **समावेशी ज़ोनिंग नीतियों** को बढ़ावा देना चाहिए।
- **क्षेत्रीय विकास:** छोटे शहरों और कस्बों में आर्थिक गतिविधियों, उद्यमशीलता और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करके **संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि महानगरों पर दबाव कम हो सके।**
  - शहरी केंद्रों की ओर अत्यधिक प्रवासन को कम करने के लिए **ग्रामीण बुनियादी ढांचे, रोजगार के अवसरों और कृषि-उद्योग संबंधों में सुधार** करना चाहिए।
- **सतत आजीविका और कौशल विकास:** बेहतर ऋण सुविधा, व्यवसाय विकास सेवाओं और बाजार से जुड़ाव के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में श्रम प्रधान उद्योगों एवं लघु उद्यमों के विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए। उदाहरण: **कुडुम्बश्री (महिलाओं का एक सामुदायिक नेटवर्क):** केरल ने इसे राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के कार्यान्वयन में शामिल किया है।
- **सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की पोर्टेबिलिटी:** यह शहरी गरीबों के लिए बैंकिंग, ऋण और बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षाओं तथा वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करने की सुविधा प्रदान करेगा।

शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM), पी.एम. स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पी.एम. स्वनिधि/ PM SVANidhi)।

- **खाद्य सुरक्षा:** वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राशन कार्ड की अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी शुरू की गई है।
- **स्वास्थ्य:** आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पोर्टेबिलिटी लाभ, पी.एम. उज्ज्वला योजना के तहत लाभ के लिए स्व-प्रमाणन।

6.6.3. विश्व प्रवासन रिपोर्ट, 2024 (World Migration Report 2024)

संदर्भ

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) ने विश्व प्रवासन रिपोर्ट, 2024 जारी की।

विश्लेषण

अन्य संबंधित तथ्य

रिपोर्ट में विश्व की स्थिति

- **विश्व भर में विस्थापन के लिए मुख्य उत्तरदायी कारण हैं:** संघर्ष और जलवायु परिवर्तन।
- **कुल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या लगभग 281 मिलियन** है। इनमें **117 मिलियन विस्थापित** हैं, जो अब तक का उच्चतर रिकॉर्ड है।

रिपोर्ट में भारत की स्थिति

- भारत में **राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश** जैसे राज्यों में **आंतरिक प्रवासन में जलवायु स्थितियों की प्रमुख** भूमिका रही है।
- विश्व में सबसे अधिक **अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी आबादी भारतीयों (18 मिलियन)** की है। भारतीय प्रवासी मुख्य रूप से **संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब में** रहते हैं।
- 2022 में भारत को **विश्व में सर्वाधिक 111 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का विप्रेषण (Remittance)** प्राप्त हुआ था। **भारत पहला देश है,** जिसने 100 अरब अमेरिकी डॉलर की विप्रेषण प्राप्ति के आंकड़े को पार किया है।

प्रवासियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं

- अल्प विकसित देशों के व्यक्तियों हेतु प्रवासन के साधन और मार्ग कम उपलब्ध हैं। इस वजह से अधिक लोग **गैर-कानूनी प्रवासन मार्ग अपनाने के लिए मजबूर** हो रहे हैं।
- प्रवासियों को नए देश में **नस्लवाद, नफरत या द्वेष (जेनोफोबिया), अपराधीकरण, लैंगिक हिंसा** और कई अन्य मानवाधिकारों के उल्लंघन का सामना करना पड़ता है।

6.6.4. IOM ने "ए डिकेड ऑफ डोक्युमेंटिंग माइग्रेंट डेथ्स" रिपोर्ट जारी की (IOM Released "A Decade Of Documenting Migrant Deaths" Report)

संदर्भ

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) ने **"ए डिकेड ऑफ डोक्युमेंटिंग माइग्रेंट डेथ्स"** शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट IOM की **मिसिंग माइग्रेंट्स प्रोजेक्ट (MMP) के दस साल पूरे होने** के अवसर पर जारी की गई है।

- गौरतलब है कि **MMP को 2014 में लॉन्च** किया गया था। इसका उद्देश्य **अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के दौरान होने वाली प्रवासियों की मृत्यु और उनके लापता होने** की घटनाओं को दर्ज करना है।

विश्लेषण

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **प्रत्येक तीन प्रवासियों** (जिनके मूल देश की पहचान हो चुकी होती है) में से **एक से अधिक प्रवासी** संघर्ष से गुजर रहे देश के होते हैं।
- जिन प्रवासियों की मृत्यु को IOM के **मिसिंग माइग्रेंट्स प्रोजेक्ट** के तहत दर्ज किया गया है, उनमें से **दो-तिहाई की पहचान नहीं** हो पाई है।
- **प्रवासन के दौरान मृत्यु के कारण हैं:** किसी जल निकाय में डूबने से मृत्यु; वाहन दुर्घटनाएं; श्वसन के दौरान ईंधन की जहरीली गैस या धुएं से दम घुटना; अपर्याप्त आश्रय; स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध नहीं होना आदि।

प्रवासन के बारे में

- **प्रवासन क्या है:** जब व्यक्ति किन्हीं वजहों से अपने पारंपरिक निवास से किसी अन्य देश में या अपने ही देश में किसी अन्य जगह रहने के लिए चला जाता है, तो उसे प्रवासन या माइग्रेशन कहते हैं।
- **प्रवासन की वजहें:** शहरीकरण, विवाह, आर्थिक असमानताएं, राजनीतिक अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव आदि।
- **प्रवासन के प्रभाव**
  - अलग-अलग संस्कृतियों के लोग एक ही जगह बस जाते हैं। इससे **सामासिक संस्कृति** (Composite culture) का विकास होता है।
  - शहरों में अत्यधिक भीड़-भाड़ बढ़ जाती है। इससे शहरों का अनियमित विकास होता है और **मलिन बस्तियां** बसने लगती हैं।
  - **प्रति व्यक्ति संसाधन अनुपात** कम हो जाता है।
  - **प्रतिभा का पलायन (Brain drain)** होता है। कुशल लोग बेहतर आर्थिक अवसरों की खोज में गरीब देशों से विकसित देशों की ओर पलायन कर जाते हैं।

प्रवासन से संबंधित मुख्य पहलें

वैश्विक स्तर पर की गई पहलें

- **सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन के लिए ग्लोबल कॉम्पैक्ट (GCM):** यह प्रवासन के मामले में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत तैयार किया गया **पहला अंतर-सरकारी समझौता** है। इस समझौते में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के सभी पहलुओं को समग्र रूप से शामिल किया गया है।

भारत में की गई पहलें

- जिन देशों में प्रवासी भारतीय रह रहे हैं, उनके लिए **प्रवासी भारतीय बीमा योजना जैसे कई कल्याणकारी उपाय** शुरू किए गए हैं।
- प्रवासियों को **प्रस्थान-पूर्व ओरिएंटेशन प्रशिक्षण** प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य विदेशों में प्रवासी भारतीयों को बेहतर जीवन यापन में मदद करना तथा उनके अधिकारों, कर्तव्यों आदि के बारे में जागरूक करना है।

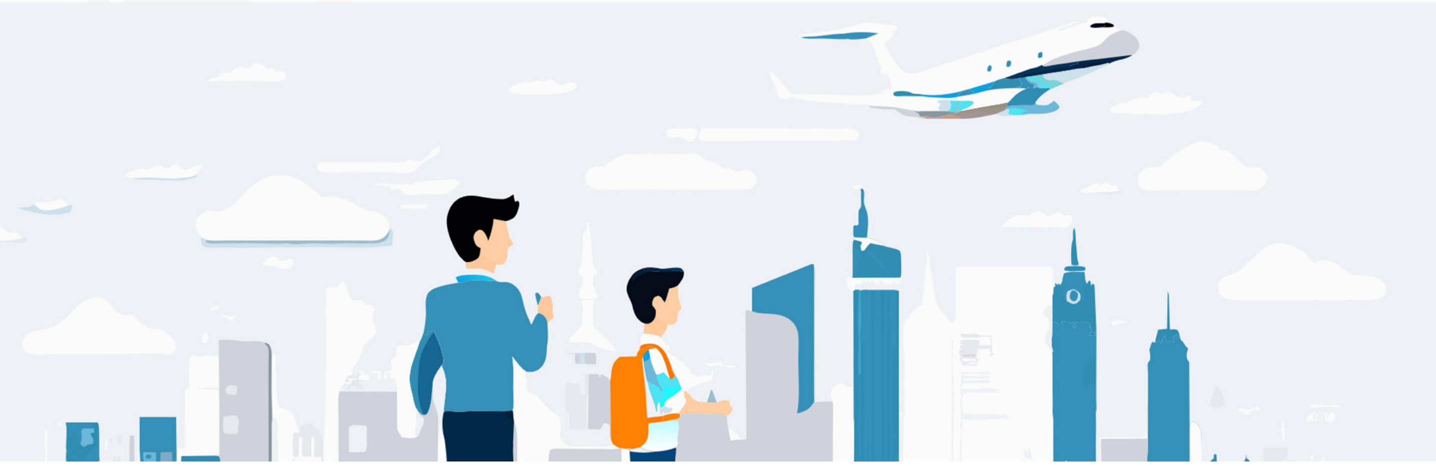

6.6.5. विश्व जनसंख्या स्थिति, 2024 रिपोर्ट (State of World Population - 2024 Report)

संदर्भ

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) ने 'विश्व जनसंख्या स्थिति, 2024 रिपोर्ट' जारी की। यह रिपोर्ट **"इंटरवोवन लाइव्स, थ्रेड्स ऑफ होप: एंडिंग इनइक्वलिटीज़ इन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ (SRH) एंड राइट्स"** शीर्षक से जारी की गई है।

- महिलाओं के **लैंगिक और जनन स्वास्थ्य अधिकार (Sexual and Reproductive Health Rights: SRHR)** में शामिल हैं:
  - यातना से मुक्ति का अधिकार;
  - स्वास्थ्य, निजता, शिक्षा व जीवन का अधिकार तथा
  - भेदभाव की रोकथाम का अधिकार।

विश्लेषण

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **भारत की जनसंख्या** लगभग **144.17 करोड़** है। इस तरह **भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है।** इसके बाद **142.5 करोड़ की आबादी वाला चीन** दूसरे स्थान पर है।
- **भारत की जनसंख्या 77 वर्षों में दोगुनी होने का अनुमान है।**
- **भारत की 68% जनसंख्या 15-64 वर्ष आयु वर्ग** की है। इसके बाद **10-24 वर्ष आयु वर्ग (26%) की हिस्सेदारी** है।
- भारत की **कुल प्रजनन दर 2.0 अनुमानित** है।
  - **कुल प्रजनन दर (TFR):** यह महिला के प्रजनन काल की पूरी अवधि के दौरान उससे जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या है।
- भारत में, **पुरुषों और महिलाओं** के लिए जन्म के समय **जीवन प्रत्याशा (Life expectancy)** क्रमशः **71 वर्ष और 74** वर्ष अनुमानित है।
- **2006-2023** के बीच **भारत में बाल विवाह की दर 23%** थी।
- दिव्यांग महिलाओं को **सामान्य महिलाओं की तुलना में 10 गुना अधिक जेंडर-आधारित हिंसा** का सामना करना पड़ता है।
- 30 वर्षों (1994-2024) के दौरान **लैंगिक और जनन स्वास्थ्य (SRH) में हुई प्रगति में सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले समुदायों की अनदेखी** की गई है।

लैंगिक और जनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की पहलें

- **भारत में: जननी सुरक्षा योजना** चलाई जा रही है, **सरोगेसी (विनियमन) संशोधन नियम, 2024** लागू किए गए हैं आदि।
- **विश्व में:** 1994 में काहिरा (मिस्र) में **अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या और विकास कार्यक्रम सम्मेलन** आयोजित किया गया था। **बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, 1995** लॉन्च किया गया है आदि।

6.7. विविध (MISCELLANEOUS)

6.7.1. लिव-इन रिलेशनशिप (Live-in Relationships)

संदर्भ

उत्तराखंड विधान सभा में पारित **समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक** को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने से यह कानून बन गया है। इस कानून में यह प्रावधान किया गया है, कि **राज्य में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले सभी व्यक्तियों को (उत्तराखंड के निवासी या किसी अन्य राज्य के निवासी), रजिस्ट्रार के समक्ष पंजीकरण कराना होगा।** साथ ही, किसी **अन्य राज्य में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले उत्तराखंड के निवासियों** को भी **रजिस्ट्रार के समक्ष** पंजीकरण कराना होगा।

विश्लेषण

लिव-इन रिलेशनशिप, विवाह संस्था को कैसे प्रभावित कर रहा है?

सामाजिक परिवर्तन, वैश्विक प्रभाव, शहरीकरण और महानगरीय रहन-सहन ने विशेष रूप से युवा पीढ़ी के बीच **विवाह-पूर्व सहवास (Cohabitation) और लिव-इन रिलेशनशिप व्यवस्था की स्वीकार्यता को बढ़ावा** दिया है।

- **व्यक्तिगत स्वायत्तता:** लिव-इन रिलेशनशिप की अवधारणा वास्तव में **व्यक्तिगत स्वायत्तता और खुद की पसंद की स्वतंत्रता** में निहित है। विशेषकर, अरेंज मैरिज की ऐतिहासिक प्रथा और सामाजिक अपेक्षाओं की वजह से इस अवधारणा को और बढ़ावा मिला है।
- **वचनबद्धता/ निष्ठा के बारे में बदलती सोच:** बदलते समय के साथ **वचनबद्धता (कमिटमेंट) की अवधारणा भी बदल रही है।** अब **भावनात्मक लगाव, आपसी बातचीत तथा एक-दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाने पर अधिक जोर** दिया जाने लगा है। इससे विवाह बंधन को **वचनबद्धता या निष्ठा** के सर्वोच्च और पवित्र मानक के रूप में मानने की सोच में भी कमी आई है।
- **एक-दूसरे को समझने और जानने का विवाह-पूर्व अवसर:** लिव-इन रिलेशनशिप वास्तव में दो लोगों (लड़का और लड़की) को एक-दूसरे को समझने और एक साथ वे जीवन व्यतीत कर सकते हैं या नहीं, इसे जानने का अवसर प्रदान करती है। यह दैनिक जीवन प्रतिबंधात्मक या बोझिल वैवाहिक प्रक्रियाओं को निभाने से जुड़ी चिंताओं के समाधान भी प्रदान करता है।
- **कानूनी और सामाजिक व्यवहार:** कानूनी स्वीकृति के बावजूद, लिव-इन रिलेशनशिप की सामाजिक स्वीकृति वास्तव में पारंपरिक पारिवारिक संरचनाओं के लिए चुनौती है। इसने आवश्यक कानूनी सुधारों को लेकर बहस को भी बढ़ावा दिया है।
- **परिवार पर प्रभाव:** लिव-इन रिलेशनशिप परंपरागत पारिवारिक संरचनाओं को चुनौती देता है। इससे विशेष रूप से रुढ़िवादी समुदायों में दो पीढ़ियों के बीच संघर्ष और सामाजिक तनाव को बढ़ावा मिला है।
- **आर्थिक कारक:** वित्तीय सुरक्षा, तलाक की स्थिति में संपत्तियों के विभाजन और विवाह पूर्व समझौतों से जुड़े मुद्दे युवाओं को लिव-इन-रिलेशनशिप की तरफ बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।

निष्कर्ष:

लिव-इन रिलेशनशिप के मामले में स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण विरोधाभासी विचारों और न्यायिक निर्णयों को बढ़ावा मिलता है। इसलिए इस मामले में अस्पष्टता की स्थिति को दूर करने के लिए एक अलग कानून बनाने की आवश्यकता है। लिव-इन-रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों की कानूनी स्थिति और उसके अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए मौजूदा कानूनों के अस्पष्ट प्रावधानों को संशोधित किया जाना चाहिए।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

उत्तराखंड-समान नागरिक संहिता (UCC) के बारे में

- उत्तराखंड-समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत **राज्य में विषमलैंगिक** (Heterosexual) जोड़ों को लिव-इन रिलेशनशिप की शुरुआत या उसकी समाप्ति पर **पंजीकरण कराना अनिवार्य** किया गया है।
- इसमें यह भी **प्रावधान** है कि यदि किसी महिला को उसके **लिव इन पार्टनर द्वारा 'छोड़" दिया जाता है** तो पार्टनर द्वारा उस **महिला को भरण-पोषण भत्ता प्रदान** किया जाएगा।
- इसमें **लिव इन रिलेशनशिप शुरू करने के एक महीना से अधिक हो जाने पर पंजीकरण नहीं कराने पर तीन महीने तक की सजा का प्रावधान है। वहीं, नोटिस जारी करने के बाद भी लिव इन रिलेशनशिप का 'स्टेटमेंट' प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अधिकतम छह महीने तक की जेल की सजा** का भी प्रावधान किया गया है।
- यह कानून वयस्कों के बीच **आपसी सहमति से बनाए जाने वाले संबंधों पर कठोर शर्तें थोपता है।** साथ ही, यह व्यक्ति के **निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ी चिंताओं** को भी बढ़ाता है।

भारत में "लिव-इन रिलेशनशिप" की कानूनी स्थिति

- भारत में, लिव-इन रिलेशनशिप संबंधों को **स्पष्ट रूप से किसी कानून या रीति-रिवाज** के तहत शासित नहीं किया जाता हैं।
- हालांकि, न्यायिक निर्णयों के जरिए **सुप्रीम कोर्ट ने लिव-इन पार्टनरशिप की कानूनी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है** और कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- **लिव-इन रिलेशनशिप से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के निर्णय:**
  - **बद्री प्रसाद बनाम उप-निदेशक चकबंदी (1978) वाद:** इस मामले ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि, यदि लिव-इन रिलेशनशिप, **विवाह की अनिवार्य शर्तों को पूरा** करते हैं, तो इसे **कानूनी मान्यता** दी जा सकती है। इन शर्तों में **विवाह की न्यूनतम आयु सीमा, आपसी सहमति** और **मानसिक क्षमता** आदि शामिल हैं।
  - **ललिता टोप्पो बनाम झारखंड राज्य (2018) वाद:** इस मामले में सुप्रीम कोर्ट निर्णय दिया था कि, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत लिव-इन-पार्टनर को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत प्रदान की गई राहत से अधिक राहत प्रदान की जाएगी।
  - **भरत मठ बनाम आर. विजया रेंगनाथन और अन्य (2010) वाद:** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे को वैध माना जाएगा यानी शादी के बाद पैदा हुए बच्चे की तरह ही जैविक पिता को उसका भरण-पोषण करना होगा। साथ ही ऐसे बच्चों को अविभाजित पैतृक

संपत्ति में हिस्सेदारी प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- **इंद्रा सरमा बनाम वी.के.वी. सरमा वाद (2013):** इस मामले में न्यायालय ने कहा कि, यदि **दो अविवाहित पार्टनर्स आपसी सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो यह न ही अवैध है** और न ही इसे अपराध माना जाएगा।

6.7.2. खेलों में डोपिंग (Doping in Sports)

संदर्भ

वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी (WADA) द्वारा जारी किए गए 2022 के टेस्टिंग आंकड़ों में भारत में **डोपिंग करने वाले खिलाड़ियों का उच्चतम प्रतिशत (3.26%)** दर्ज किया गया।

विश्लेषण

भारतीय खेलों में डोपिंग की बढ़ती घटनाओं के कारण

- **प्रतिष्ठा और पुरस्कार:** विजेताओं को शीघ्र प्रतिष्ठा, वित्तीय पुरस्कार और सरकारी नौकरियां प्राप्त होती हैं।
- **आसान पहुंच और उपलब्धता:** ये पदार्थ प्रतिबंधित पदार्थों के वितरण पर अंकुश लगाने के लिए बनाए गए नियमों और प्रयासों के बावजूद विभिन्न रूपों में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं।
- **व्यापक शिक्षा और जागरूकता का अभाव:** खासकर शुरुआती स्तर पर, खिलाड़ियों को डोपिंग के खतरों और खेल भावना (Sportsmanship) को नुकसान पहुँचाने के बारे में उचित जानकारी नहीं होती है।
- **खेलों के लिए अवसंरचना और समर्थन की कमी:** बेहतर सुविधाओं वाले देशों के खिलाड़ियों से आगे निकलने के लिए खिलाड़ी मजबूरन डोपिंग का सहारा ले लेते हैं।
- **सामाजिक दबाव:** भारत में करियर के रूप में खेल को अक्सर हेय दृष्टि से देखा जाता है, जिससे एथलीटों पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कोच, परिवार और समाज का अत्यधिक दबाव होता है।
- **अप्रभावी परीक्षण और निगरानी:** देश के कई हिस्सों में छोटी खेल प्रतिस्पर्धाओं के लिए कोई डोपिंग रोधी संस्था मौजूद नहीं है।

खेलों में डोपिंग क्यों एक समस्या है?

- **नैतिक निहितार्थ:** यह खेल की सत्यनिष्ठा के विरुद्ध है एवं कड़ी मेहनत, समर्पण और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के मूल्यों का उल्लंघन करता है।
- **स्वास्थ्य पर प्रभाव:** इससे दीर्घकालिक और अल्पकालिक प्रभाव पड़ते हैं। इनमें शामिल हैं- शरीर के अंगों का ख़राब हो जाना, हार्मोनल असंतुलन आदि।
- **एथलीटों पर प्रभाव:** यह व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सामाजिक संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है तथा अन्य एथलीटों के लिए खराब उदाहरण प्रस्तुत करता है।
- **गवर्नेंस संबंधी मुद्दे:** इससे प्रतियोगिताओं में सत्यानिष्ठा को बनाए रखने एवं नियमों और विनियमों को लागू करने में कठिनाई आती है।
- **सामाजिक प्रभाव:** इससे खेलों और खिलाड़ियों पर लोगों का भरोसा कम होता है; और खेलों में धोखाधड़ी जैसा व्यवहार आम होने लगता है।

भारत में डोपिंग पर अंकुश लगाने हेतु आगे की राह

- **शिक्षा:** सभी आयु के एथलीटों को प्रतिबंधित पदार्थों के खतरों के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है।
- **सप्लीमेंट्स को विनियमित करना:** भारतीय खाद्य सुरक्षा और

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

डोपिंग के बारे में

- खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त हासिल करने के लिए प्रतिबंधित, कृत्रिम और प्रायः अवैध पदार्थों का सेवन करना डोपिंग कहलाता है।
- डोपिंग में रक्त आधान (Blood Transfusions) के जरिए **रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने** जैसे अन्य तरीके भी शामिल हो सकते हैं।

एथलीटों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के डोपिंग

- कठिन प्रशिक्षण और मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए **एंड्रोजेनिक एजेंट** (जैसे- एनाबॉलिक स्टेरॉयड) का प्रयोग।
- सतर्कता को बढ़ाने और थकान को दूर करने के लिए एथलीटों द्वारा उत्तेजक पदार्थ का सेवन किया जाता है।
- शरीर से तरल पदार्थ को निकालने के लिए **मूत्रवर्धक (Diuretic)** और डोपिंग नियंत्रण के परिणामों को गलत साबित करने के लिए मास्किंग एजेंट उपयोग किए जाते हैं।
- एरिथ्रोपोइटिन जैसे **पेप्टाइड हार्मोन** का उपयोग शारीरिक आकार को बढ़ाने, ताकत और लाल रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने के लिए किया जाता है।
- **ग्लूकोकौरटिकोइडस** शरीर में सूजन को कम करते हैं, इसलिए एथलीट गंभीर चोट को छुपाने हेतु इसका प्रयोग करते हैं।
- हृदय गति को कम रखने और हाथों में कंपन को कम करने के लिए **बीटा ब्लॉकर्स** का प्रयोग किया जाता है।

भारत में डोपिंग के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए किए गए प्रयास

- **राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी अधिनियम, 2022:** इसका उद्देश्य डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम के संचालन के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना और तंत्र को मजबूत करना था।
  - इसके तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के गठन का प्रावधान किया गया था।
- **राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA):** यह युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत गठित एक स्वायत्त निकाय है। इसका उद्देश्य विश्व डोपिंग रोधी संहिता, 2021 के अनुरूप भारत में डोपिंग रोधी कार्यक्रम को संचालित करना है।
  - इसे 2005 में **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860** के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में गठित किया गया था।

मानक प्राधिकरण (FSSAI) सप्लीमेंट्स को प्रमाणित कर सकता है कि उनमें प्रतिबंधित पदार्थ मौजूद नहीं हैं।

- **परीक्षण और निगरानी बढ़ाना:** एक निवारक उपाय के रूप में कार्य करने के लिए NADA प्रतियोगिता के दौरान और उसके बाहर दोनों तरह से डोपिंग परीक्षणों की आवृत्ति और उसकी गुणवत्ता बढ़ा सकता है।
- **खेल अवसंरचना को मजबूत करना:** उन्नत उपकरणों के साथ-साथ एथलीट्स के सहायक कर्मियों की उपलब्धता को बढ़ाना चाहिए।
- **समाज में खेल के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना:** एथलीटों पर दबाव कम करने के लिए सामाजिक बाधाओं और पूर्वाग्रहों को दूर करने की आवश्यकता है।

- **NADA द्वारा की गई की प्रमुख पहलें:**
  - डोपिंग के संबंध में शिक्षा और जागरूकता का प्रसार करने के लिए **खेलों में डोपिंग रोधी शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम (PEADS)** शुरू किया गया है।
  - एथलीटों और उनके सहायक कर्मियों के लिए एंटी-डोपिंग नियमों और दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए **एंटी-डोपिंग हेल्पलाइन नंबर** जारी किया गया है।
  - खेल में डोपिंग रोधी क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए **दक्षिण एशिया क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन (SARADO)** के साथ **समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर** किए गए हैं।
- **नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस अधिनियम, 1985:** यह किसी भी व्यक्ति को किसी भी मादक पदार्थ या मन:प्रभावी पदार्थ के उत्पादन, खेती, बिक्री, खरीद, परिवहन, उपभोग जैसी किसी भी गतिविधि में शामिल होने से रोकता है।
- भारत ने **डोपिंग के खिलाफ 'संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन' पर हस्ताक्षर और उसकी पुष्टि** की है।

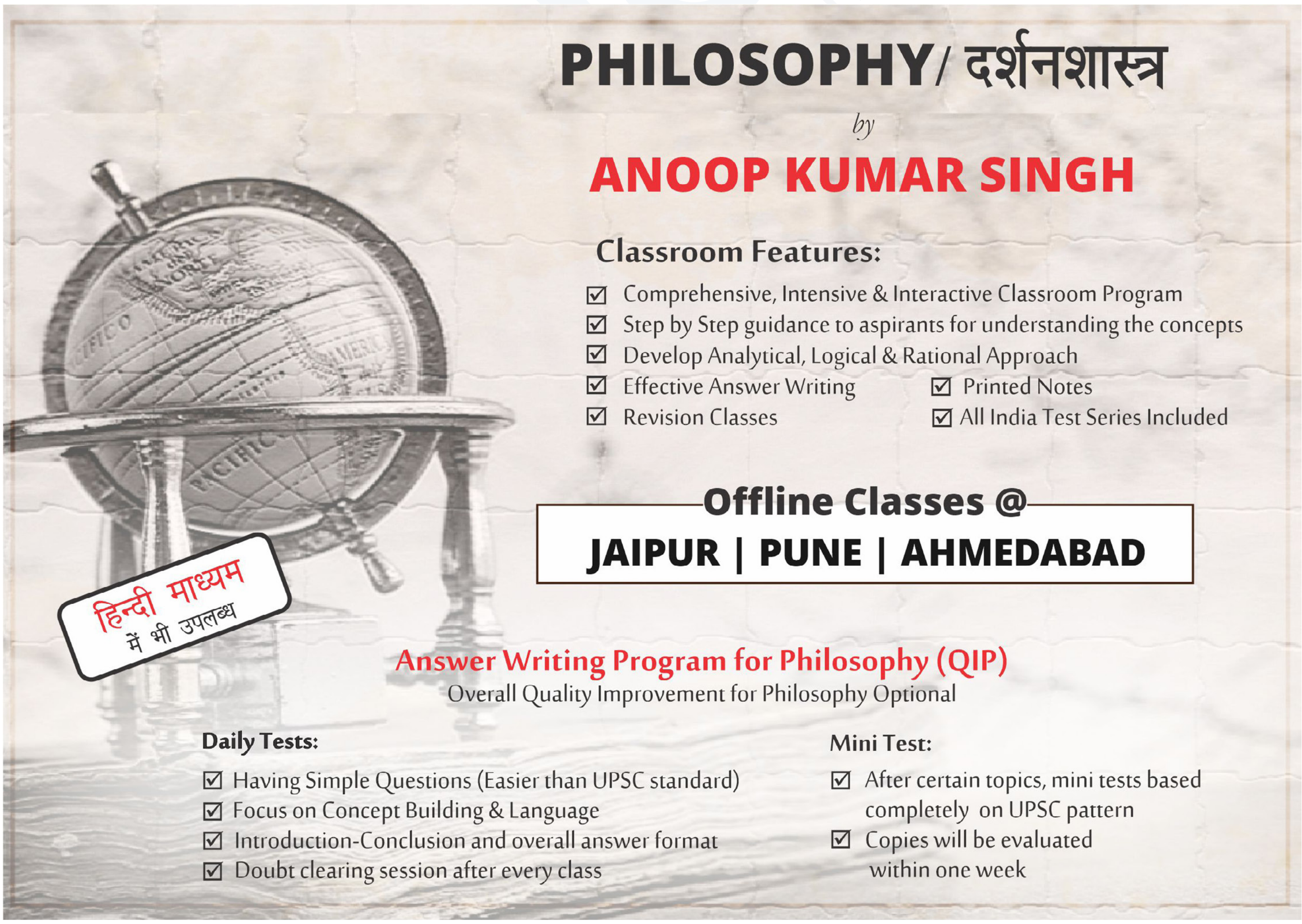

6.8. प्रश्नोत्तरी

MCQs

Q1. लैंगिक असमानता सूचकांक, 2022 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा मानव विकास रिपोर्ट 2023/2024 में जारी किया गया है; इसे 'ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक री-इमेजनिंग को-ऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड' शीर्षक से जारी किया गया है।।

2. भारत को 193 देशों में 108वीं रैंकिंग मिली है।

3. लैंगिक असमानता सूचकांक स्कोर 1 (जब महिला और पुरुष समान रूप से प्रदर्शन करते हैं) और 0 (जब पुरुष या महिला सभी आयामों में दूसरे की तुलना में खराब प्रदर्शन करते हैं) के बीच रहता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

a) केवल एक

b) केवल दो

c) सभी तीन

d) कोई नहीं

Q2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE) को जन्म से आठ वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा के रूप में परिभाषित किया गया है।

2. इसमें 3-6 वर्ष के बच्चों के लिए ECCE 2024 हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 'नवचेतना' और 0-3 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था प्रोत्साहन (ECS) के लिए राष्ट्रीय रुपरेखा 'आधारशिला' शामिल हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों

d) कोई नहीं

Q3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. TFR को उन बच्चों की औसत संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिन्हें एक महिला जन्म देगी यदि वह अपने प्रजनन काल (15-49 वर्ष) के दौरान वर्तमान प्रजनन पैटर्न को जारी रखती है।

2. 2021 में भारत का TFR 1.91 है जो प्रतिस्थापन दर 2.1 से बहुत कम है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से गलत है/हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों

d) कोई नहीं

Q4. खेलों में डोपिंग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है जिसका गठन राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम, 2022 के तहत किया गया है।

2. इसे 2005 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापित किया गया था।

3. भारत ने डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए हैं और इसकी अभिपुष्टि की है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

a) केवल 1 और 2

b) केवल 2 और 3

c) 1, 2 और 3

d) कोई नहीं

Q5. विश्व जनसंख्या स्थिति, 2024 रिपोर्ट के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) द्वारा जारी किया गया है।

2. यह रिपोर्ट महिलाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य (SRH) और अधिकारों पर केंद्रित है।

3. इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत की 68% आबादी 15-64 वर्ष की आयु वर्ग की है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1

b) केवल 1 और 3

c) केवल 2 और 3

d) 1, 2 और 3

प्रश्न

1. दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 का अपर्याप्त कार्यान्वयन उनकी प्रगति में बाधा डालता है तथा उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। इस संदर्भ में, इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों तथा इसके कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डालिए। इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के कुछ उपाय सुझाएं? (250 शब्द)

2. प्रजनन दर में गिरावट महिलाओं तथा समाज के लिए वरदान तथा अभिशाप दोनों है। वैश्विक स्तर पर प्रजनन दर में गिरावट के निहितार्थों पर चर्चा कीजिए तथा संधारणीय हस्तक्षेपों का सुझाव दीजिए। (250 शब्द)

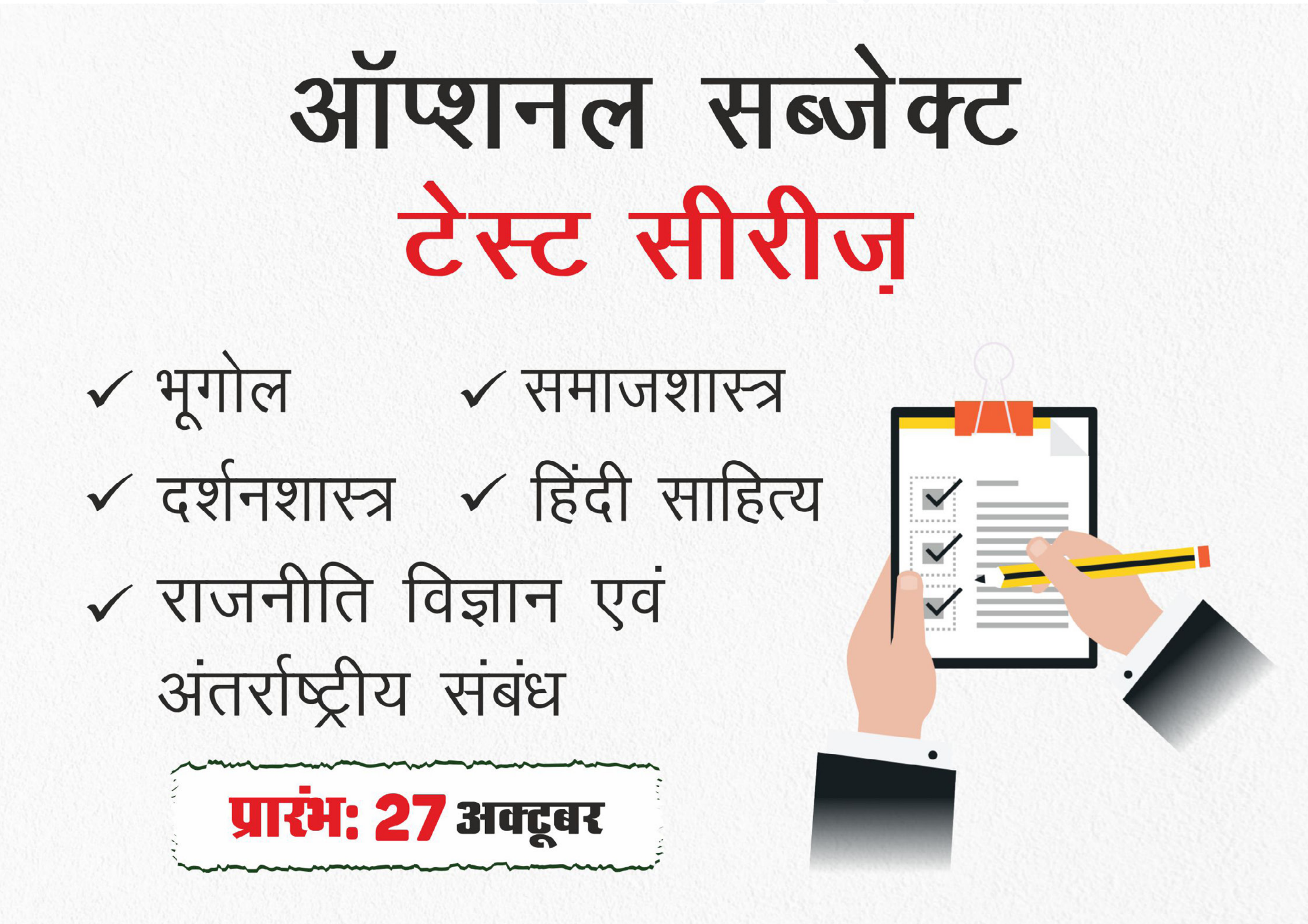

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (SCIENCE AND TECHNOLOGY)

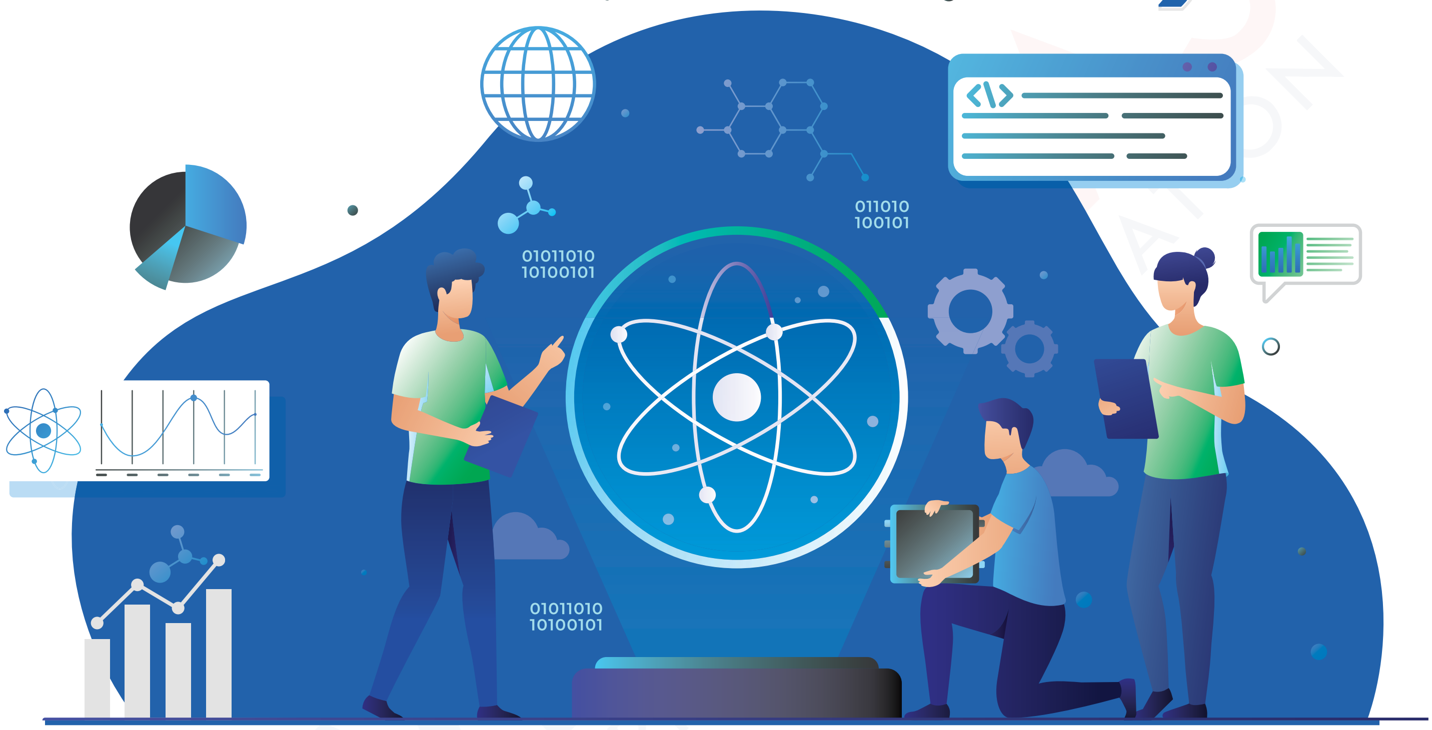

विषय-सूची

7.1. जैव-प्रौद्योगिकी 196
- 7.1.1. मानव जीनोम अनुक्रमण 196
- 7.1.2. जीन थेरेपी 197

7.2. IT और कंप्यूटर 199
- 7.2.1. इंडिया AI मिशन 199
  - 7.2.1.1. स्वास्थ्य देखभाल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता 200
- 7.2.2. 3D प्रिंटिंग 201
- 7.2.3. सबमरीन केबल सिस्टम 202

7.3. अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी 203
- 7.3.1. हिग्स बोसॉन 203
- 7.3.2. घोस्ट पार्टिकल्स. 204
- 7.3.3. अंतरिक्ष मलबे 205
- 7.3.4. सौर तूफान (भू-चुंबकीय तूफान) 206
- 7.3.5. अंतरिक्ष पर्यटन 208

7.4. स्वास्थ्य 209
- 7.4.1. ट्यूबरक्लोसिस (TB) 209
- 7.4.2. सर्वाइकल कैंसर 210
- 7.4.3. ग्लाइसेमिक इंडेक्स. 211
- 7.4.4. मैग्नेटिक रेज़ोनेंस इमेजिंग (MRI) प्रौद्योगिकी. 212

7.5. विविध 213
- 7.5.1. फास्ट ब्रीडर रिएक्टर. 213
- 7.5.2. एग्रीटेक 214
  - 7.5.2.1. कृषि क्षेत्रक में नैनोटेक्नोलॉजी 215
- 7.5.3. मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल (MIRV) तकनीक. 216
- 7.5.4. सैटेलाइट-आधारित टोल संग्रहण प्रणाली 217

7.6. प्रश्नोत्तरी 219

7.1. जैव-प्रौद्योगिकी (BIOTECHNOLOGY)

7.1.1. मानव जीनोम अनुक्रमण (Human Genome Sequencing)

संदर्भ

हाल ही में, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) ने जीनोम इंडिया परियोजना के पूरा होने की घोषणा की है।

विश्लेषण

जीनोम इंडिया परियोजना के बारे में

- **परियोजना की शुरुआत: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय** के तहत आने वाले जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 2020 में इसकी शुरुआत की थी।
  - भारत ने **2009 में** अपने **पहले पूर्ण मानव जीनोम** की घोषणा की थी।
- **उद्देश्य:** इस परियोजना का उद्देश्य पूरे भारत में अलग-अलग क्षेत्रों के नागरिकों से **10,000** आनुवंशिक नमूने एकत्र करना तथा भारतीय नागरिकों के लिए एक **रेफरेंस जीनोम** तैयार करना था।
  - **मानव जीनोम रेफरेंस अनुक्रम** मानव जीनोम अनुक्रम का एक स्वीकृत डेटाबेस होता है। इसे कई लोगों के DNA के संयोजन (Combination) से तैयार किया जाता है।
- **परियोजना/ मिशन के बारे में:**
  - इस मिशन में **बेंगलुरु के सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च** के नेतृत्व में 20 राष्ट्रीय संस्थानों के शोधकर्ता ने भाग लिया था।
  - तैयार किए गए इस डेटासेट को **फरीदाबाद** में स्थित **इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर** में भंडारित किया जाएगा।
  - यह मानव जीनोम परियोजना (HGP) से प्रेरित थी। यह शोध का ऐसा पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास था, जिसे पूरे मानव जीनोम के DNA अनुक्रम को निर्धारित करने के लिए किया गया था।
    - ◊ **मानव जीनोम प्रोजेक्ट** को **1990 में शुरू** किया गया था, जो **2003 में पूर्ण** हुआ था। इसमें **कुल मानव जीनोम अनुक्रम का 92% हिस्सा** कवर किया गया था।

जीनोम और जीनोम अनुक्रमण क्या होता है?

- **किसी जीव में उपस्थित जीन के संपूर्ण डेटा सेट** अथवा विवरण को जीनोम कहा जाता है। इसमें उस जीव के सभी गुणसूत्र शामिल होते हैं, जिनमें DNA और जीन पाए जाते हैं।
  - **जीन** वंशानुक्रम की मूल इकाई होता है, जो DNA या RNA में न्यूक्लियोटाइड्स के अनुक्रम से बना होता है।
- किसी व्यक्ति के DNA के एक स्ट्रैंड में क्षार के सटीक क्रम का पता लगाने की प्रक्रिया **जीनोम अनुक्रमण** कहलाती है।

जीनोम अनुक्रमण का महत्त्व

- **आनुवंशिक रोगों का उपचार खोजने के लिए:** जीनोम अनुक्रमण उपयोगी है-
  - इससे भ्रूण में आनुवंशिक विकारों की पहचान करने के लिए **प्रसव पूर्व जांच** में मदद मिलती है।
  - इससे आरंभिक अवस्था में ही कैंसर का पता लगाने के लिए **तरल बायोप्सी परीक्षण** का विकास करने में मदद मिलेगी।
  - **फार्माकोजिनेटिक्स (Pharmacogenetics):** इसके तहत यह अध्ययन किया जाता है कि जीन किसी व्यक्ति की दवाओं के प्रति प्रतिक्रिया (Drug Reaction) को कैसे प्रभावित करते हैं, ताकि दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों को रोका जा सके।
- **यह पूर्वानुमानित निदान और व्यक्तिगत स्वास्थ्य देखभाल के विकास के लिए महत्वपूर्ण है:** इसे जीनोम अनुक्रमण के आधार पर दवाओं में संशोधन करके तथा जीन थेरेपी के जरिए प्राप्त किया जा सकता है।
- **यह उन्नत एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एकीकरण को सुविधाजनक बना सकता है:** इससे आनुवंशिक कारकों को बेहतर तरीके से समझने और बीमारियों का इलाज विकसित करने में मदद मिलेगी।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

DNA के बारे में

- DNA के अणु न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखला के पॉलिमर्स होते हैं। ये शर्करायुक्त अणु, **फॉस्फेट समूह और नाइट्रोजन युक्त क्षार से सम्बद्ध** होते हैं।
- **DNA में मौजूद क्षार हैं-** एडानिन (A), साइटोसिन (C), गुआनिन (G), और थाइमिन (T)

DNA की संरचना

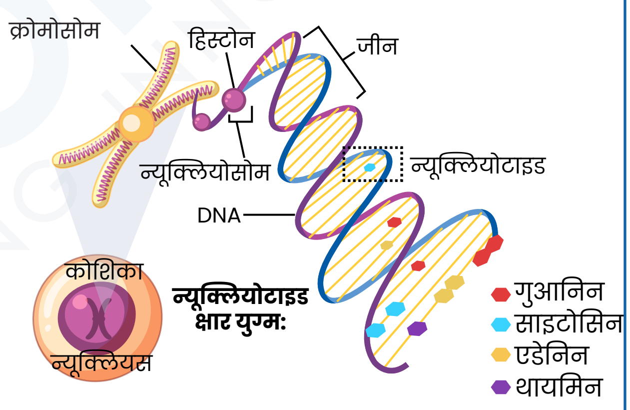

जीनोम अनुक्रमण के लिए की गई अन्य पहलें

- **इंडिजेन (IndiGen) कार्यक्रम:** इसमें भारत के विभिन्न नृजातीय समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले हजारों व्यक्तियों के संपूर्ण जीनोम अनुक्रम को शामिल किया गया है।
  - वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) ने इसका वित्त पोषण किया था।
- **ग्लोबल अलायंस फॉर जीनोमिक्स एंड हेल्थ (GA4GH):** इसे **2013** में गठित किया गया था। यह एक **गैर-लाभकारी गठबंधन** है। यह मानवाधिकार फ्रेमवर्क के दायरे में रहकर जीनोमिक डेटा के उपयोग का विस्तार करने के लिए मानक निर्धारित करता है।

जीनोम अनुक्रमण से संबंधित चुनौतियां

- **विनियामक फ्रेमवर्क का अभाव:** उदाहरण के लिए- भारत के सैंपल विदेशों में अनुक्रमण और विश्लेषण के लिए भेजे जा रहे हैं, क्योंकि भारत में विनियमन का अभाव है।
- **निजता और डेटा से संबंधित मुद्दे:** जीनोम सीक्वेंसिंग में व्यक्तिगत जानकारी, मेडिकल हिस्ट्री और परिवार की बीमारी संबंधी हिस्ट्री जैसी संवेदनशील जानकारी शामिल होती है। ऐसे में निजता और डेटा की सुरक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है।
- **आनुवंशिक डेटा का अलग-अलग जगह होना (Fragmentation):** वर्तमान में इस डेटा का इस्तेमाल लोगों के स्वास्थ्य संबंधी फैसलों में नहीं हो पाता है, क्योंकि यह डेटा अलग-अलग जगहों पर भंडारित किया जाता है।
- **नैतिक मुद्दे:**
  - **असमानता और कम विविधतापूर्ण:** गैर-विनियमित बाजार के हितधारक विशेष रूप से निर्धन वर्गों और जातीय अल्पसंख्यकों के मामले में बेहतर स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में बाधाएं पैदा कर सकते हैं।
- **तकनीकी चुनौतियां:** साइबर हमले, सैंपल दूषित होने की समस्याएं और वांछित परिणाम ना मिलना आदि।
- **अन्य मुद्दे:**
  - अनुक्रमण सुविधाओं की स्थापना करने और उनका रख-रखाव करने में **वित्तीय बाधाएं हैं।**
  - अनुक्रमण सुविधाओं के लिए **कुशल कार्यबल की उपलब्धता सीमित है।**

आगे की राह

- **निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने और हितधारकों का विश्वास बनाए रखने के लिए स्पष्ट नियम निर्धारित किए जाने चाहिए।**
- **जीनोमिक रिसर्च के वित्त पोषण** को **प्राथमिकता** देने के साथ-साथ केंद्रीकृत अनुक्रमण सुविधाएं स्थापित की जानी चाहिए।
- शोधकर्ताओं के लिए प्रयोगात्मक और कम्प्यूटेशनल दोनों स्तरों पर **उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए।**
- विज्ञान से जुड़े प्रकाशकों तथा **ओपन एक्सेस प्रकाशन मॉडल** की मदद से नवीनीकृत जीनोमिक डेटा तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- डेटा के दुरुपयोग को रोकने और प्रौद्योगिकियों का नैतिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए **सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करना चाहिए,** जैसे- संयुक्त राज्य अमेरिका का जेनेटिक इंफॉर्मेशन नॉन-डिस्क्रिमिनेशन एक्ट।

7.1.2. जीन थेरेपी (GENE THERAPY)

संदर्भ

हाल ही में, भारत में हीमोफिलिया- A (FVIII की कमी) के उपचार हेतु जीन थेरेपी का पहला ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल किया गया। यह ट्रायल तमिलनाडु (वेल्लोर) के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज (CMC) में किया गया।

विश्लेषण

जीन थेरेपी के बारे में

- **परिभाषा:** यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें **बीमारी या विकार का इलाज, बचाव या इन्हें ठीक करने के लिए जीन (एक या कई) का इस्तेमाल** किया जाता है।
  - ज्यादातर जीन थेरेपी में, **बीमारी पैदा करने वाले असामान्य जीन के प्रभाव को कम** करने के लिए एक सामान्य जीन को शरीर के DNA में डाला जाता है। इससे लक्षित कोशिका को दोबारा स्वस्थ बनाया जा सकता है।
    - **वेक्टर:** मरीज की कोशिकाओं तक इलाज करने वाले जीन (Therapeutic gene) को पहुंचाने वाले वाहक को वेक्टर कहा जाता है।

जीन थेरेपी के प्रकार

- **जर्मलाइन जीन थेरेपी:** जर्मलाइन जीन थेरेपी के तहत **जर्मलाइन सेल या प्रजनन कोशिकाओं** (अंडाणु या शुक्राणु) में **कार्यात्मक जीन** इंजेक्ट करके इन्हें संशोधित किया जाता है। ये बाद में **जीनोम में एकीकृत हो जाते** हैं।
- **सोमेटिक सेल जीन थेरेपी:** इसमें चिकित्सीय रूप से संशोधित जीन को **रोगी की सोमैटिक सेल या कायिक कोशिकाओं** (जर्मलाइन कोशिकाओं के अलावा अन्य कोशिकाओं) **में स्थानांतरित किया जाता है।** किसी भी प्रकार का संशोधन और उसका कोई भी प्रभाव **केवल उस रोगी तक ही सीमित** रहता है। यह संशोधित जीन भावी पीढ़ी में **स्थानांतरित नहीं होता** है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

हीमोफीलिया के बारे में

- **परिभाषा:** हीमोफीलिया आमतौर पर **पुरुषों में होने वाला** एक **वंशानुगत रक्तस्राव संबंधी विकार** है। यह बीमारी रोगी में **जीवन भर** रहती है।
- **लक्षण:** हीमोफीलिया से पीड़ित लोगों में **रक्तस्राव लंबे समय तक हो सकता है** जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। हालांकि, उनका खून सामान्य व्यक्ति से ज्यादा तेजी से नहीं बहता।
- **कारण:** यह उन **जींस** में से किसी एक में उत्परिवर्तन के कारण होता है, जो रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन बनाने हेतु निर्देश देता है।
  - रक्त में प्रोटीन **फैक्टर VIII (8) या फैक्टर IX (9)** होता है जो थक्के जमने के लिए आवश्यक होता है। इससे **रक्तस्राव रोकने में मदद मिलती** है।
- **वंशानुक्रम:**
  - हीमोफीलिया **X गुणसूत्र के जरिए भावी पीढ़ियों** में पहुंचता है।
  - **पुरुष हीमोफिलिया के प्रति अधिक संवेदनशील** होते हैं, क्योंकि पुरुषों में **X गुणसूत्र (XY) की केवल एक प्रति पाई जाती** है।
  - महिलाएं **दुर्लभ मामलों में ही हीमोफिलिक होती** हैं क्योंकि उनके पास **एक्स क्रोमोसोम (XX) की दो प्रतियां** होती हैं।

- **उपयोग:** विरासत में मिली **आनुवांशिक बीमारियों** (जैसे- हीमोफिलिया और सिकल सेल रोग) एवं जन्म के बाद होने वाले **असाध्य रोगों** (जैसे- ल्यूकेमिया) का इलाज जीन थेरेपी से किया जा सकता है।

वैमासिक रिविजन

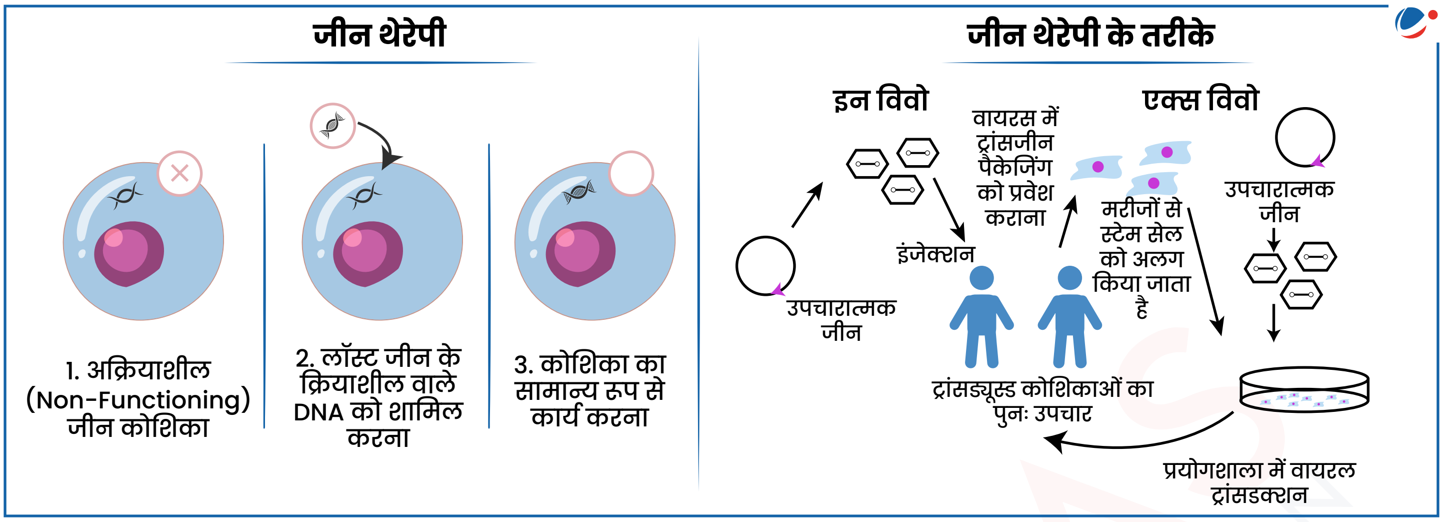

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
PARIKSHAN VisionIAS Simulating the UPSC Experience
केवल ऑफ़लाइन मोड में
हिंदी और अंग्रेजी, दोनों माध्यम में उपलब्ध
परीक्षण: Vision IAS की एक पहल 'परीक्षण' के जरिए UPSC 2024 मेन्स सिमुलेशन का अनुभव
UPSC मेन्स के समान माहौल में UPSC मेन्स 2024 में पूछे गए क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस कर CSE 2025 की तैयारी कीजिए।
OPTIONAL SUBJECTS
Anthropology, Geography, Hindi, History, Philosophy, Physics, Political Science, Sociology, Maths & Public Administration
परीक्षा तिथियां 19 और 20 अक्टूबर, 9 और 10 नवंबर
अभी रजिस्ट्रेशन कीजिए!

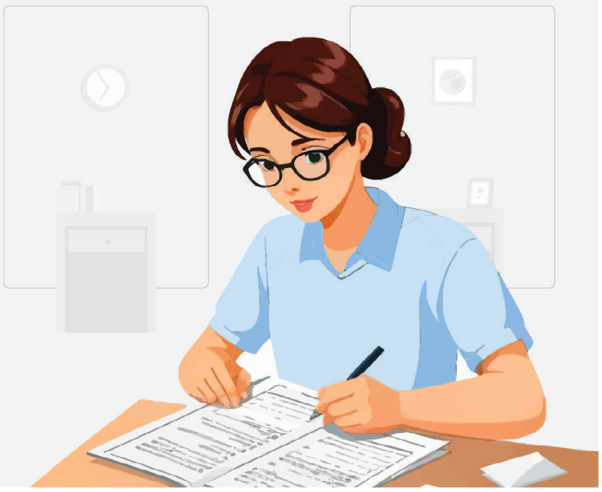

7.2. IT और कंप्यूटर (IT AND COMPUTER)

7.2.1. इंडिया AI मिशन (India AI Mission)

संदर्भ

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **कृत्रिम बुद्धिमत्ता इनोवेशन इकोसिस्टम** को मजबूत करने हेतु **इंडिया AI मिशन** के लिए 10,300 करोड़ रुपये से अधिक के वित्त को मंजूरी दी है।

विश्लेषण

इंडिया AI मिशन के बारे में

- **उद्देश्य:**
  - इसका उद्देश्य AI नवाचार के लिए **सार्वजनिक-निजी भागीदारी** के जरिए इकोसिस्टम तैयार करना है।
  - इसके तहत एडवांस AI कंप्यूटिंग अवसंरचना तैयार करने के लिए **10,000 से अधिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (GPUs)** की स्थापना की जाएगी।
- **मंत्रालय:** यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत शुरू किया गया एक अंब्रेला कार्यक्रम है।
- **वित्त-पोषण:** इस योजना के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के जरिए 5 वर्षों की अवधि में वित्त उपलब्ध कराया जाएगा।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** इस योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी **'इंडिया AI'** एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग है, जिसे डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत गठित किया गया है।

इंडिया AI और संबंधित योजनाओं के स्तंभ

प्रशासन में AI	AI कम्प्यूट एवं सिस्टम	AI के लिए डेटा
• **भाषिणी (BHASHa INterface for India/ भारत के लिए भाषा इंटरफ़ेस):** यह भारतीय भाषाओं के अनुवाद हेतु AI आधारित एक लैंग्वेज टूल है। • **इंडिया स्टैक और AI**	• **ऐरावत:** भारत का AI सुपर कंप्यूटर C-DAC, पुणे में स्थापित किया गया है। • **राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन** • **MeitY क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब**	• **डेटा प्रबंधन कार्यालय:** यह डेटा प्रबंधन के मानकीकरण में मदद करता है। • **भारत डेटासेट प्रोग्राम और भारत डेटा प्लेटफ़ॉर्म।** • **इंडिया AI पोर्टल**
AI, बौद्धिक संपदा (IP) और इनोवेशन	**AI में कौशल उन्नयन**	**AI नैतिकता और शासन**
• **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र** • **MeitY स्टार्ट-अप हब**	• **फ्यूचर स्किल्स प्राइम:** AI प्रमाणन कार्यक्रमों के लिए नैसकॉम और MeitY की संयुक्त पहल।	• **RAISE:** सामाजिक सशक्तीकरण के लिए उत्तरदायी AI

भारत में AI को अपनाने में मौजूद चुनौतियां

- **प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी:** NASSCOM के अनुसार, वर्तमान में भारत में लगभग 629 हजार प्रशिक्षित AI पेशेवरों की मांग है, जबकि केवल 416 हजार AI पेशेवर मौजूद हैं। यह आंकड़ा 2026 तक 1 मिलियन तक पहुंच सकता है।
- **नौकरियों पर प्रभाव: विश्व आर्थिक मंच** का अनुमान है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस **2025 तक दुनिया भर में लगभग 85 मिलियन नौकरियों को खत्म** कर देगा।
- **अवसंरचनात्मक चुनौतियां- भौतिक और डिजिटल:** AI आधारित अवसंरचना की कमी है, जैसे- क्लाउड कंप्यूटिंग और **ओपन-सोर्स डेटा की निम्न गुणवत्ता तथा सीमित उपलब्धता।**
- **नैतिकता और सत्यनिष्ठा संबंधी चिंताएं:**
  - AI-आधारित निर्णय **अशुद्धियों, भेदभावपूर्ण परिणामों** तथा **पूर्वाग्रह** से प्रभावित हो सकते हैं।
- **नियामक चुनौतियां: सार्वभौमिक परिभाषा का अभाव, दायित्व संबंधी चिंताएं।**
- **दुरुपयोग के बढ़ते मामले: गलत सूचना फैलाने के लिए डीप फेक तैयार करने** जैसे **दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य** से AI का दुरुपयोग किया जा रहा है।

आगे की राह

- **AI को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।** साथ ही, शिक्षण और लर्निंग को बढ़ावा देना चाहिए तथा AI उद्यमों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **कंपनियों को कर्मचारियों की कुशलता बढ़ाने का काम करना चाहिए।**
    - लिंक्डइन की एक रिपोर्ट के अनुसार, **भारत में लगभग 94% कंपनियां** AI के उन्नत होने के कारण **कर्मचारियों का कौशल बढ़ा रही हैं।**
- घरेलू स्तर पर AI एप्लीकेशन को विकसित करने के लिए भारतीय स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए।
- **AI शासन से जुड़े कानूनों को तैयार करने** के लिए उपयुक्त नीति निर्माताओं और नियामक संस्थानों को चिन्हित किया जाना चाहिए।
- मौजूदा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के आधार पर **उपयुक्त AI कानून तैयार किए जाने चाहिए।**

7.2.1.1. स्वास्थ्य देखभाल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता {ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) IN HEALTH CARE}

संदर्भ

हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने **जन स्वास्थ्य के लिए जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करने वाले एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर प्रोटोटाइप** S.A.R.A.H. का अनावरण किया है।

विश्लेषण

स्वास्थ्य देखभाल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की क्षमता

- **निदान और इलाज की योजना:** एक्स-रे जैसी जांचों का विश्लेषण करने, बीमारियों की पहचान करने और चिकित्सकों द्वारा इलाज की बेहतर योजना बनाने में AI का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- **भविष्यवाणी संबंधी विश्लेषण (Predictive Analytics):** मरीजों के इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड और अन्य डेटा का विश्लेषण करके **AI यह अनुमान लगा सकता है कि किन मरीजों को भविष्य में कुछ बीमारियां होने का खतरा** है।
- **नैदानिक अनुसंधान और खोज:** उदाहरण के लिए- टोरंटो विश्वविद्यालय का प्रोटीनएसजीएम (ProteinSGM) मॉडल दवाइयों को डिजाइन करने में इस्तेमाल किया जाता है।
- **अन्य:** AI-सक्षम रोबोट सर्जरी में ऑपरेशन के दौरान होने वाली समस्याओं को कम किया जा सकता है, **स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती** (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल डेटा के आधार पर भविष्यवाणी कर सकते हैं कि दवाओं और उपकरणों की कमी या अधिकता कब होगी।)

स्वास्थ्य देखभाल में AI से जुड़ी चिंताएं

- **डाटा की निजता और सुरक्षा:** AI का इस्तेमाल मरीजों के बहुत सारे डाटा पर निर्भर करता है। इससे डाटा की निजता और सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं।
- **पक्षपात:** अगर AI मॉडल्स को समाज के हर वर्ग के डाटा पर ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, तो वे गलत या पक्षपाती नतीजे दे सकते हैं। इससे खासकर वंचित समुदायों को दिक्कत हो सकती है।
- **कम पारदर्शिता:** AI मॉडल कैसे काम करते हैं, यह इस्तेमाल करने वाले को नहीं पता होता है। इस वजह से इन्हें **"ब्लैक बॉक्स"** कहा जाता है और इन पर **भरोसा करना मुश्किल** हो जाता है।
- **विनियम और गवर्नेंस:** स्वास्थ्य देखभाल में AI के इस्तेमाल को लेकर अभी स्पष्ट नियम और दिशा-निर्देश नहीं हैं।
    - इससे ये सवाल उठते हैं कि AI पर आधारित किसी सिस्टम (जैसे- AI रोबोट सर्जन) की गलती की जिम्मेदारी कौन लेगा।

निष्कर्ष

AI में बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन इसके साथ ही उचित विनियम और गवर्नेंस तंत्र भी जरूरी है। इसलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने AI के इस्तेमाल के नैतिकता और नियमों के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

S.A.R.A.H. के बारे में

- यह **स्वास्थ्य के लिए एक स्मार्ट AI रिसोर्स** असिस्टेंट है, जो नए भाषा मॉडल और अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करता है।
- यह स्वस्थ आदतों और मानसिक स्वास्थ्य सहित **प्रमुख स्वास्थ्य विषयों पर जानकारी** प्रदान कर सकता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मौजूदा स्वास्थ्य सेवा में शामिल करने में मददगार पहलें

- **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM):** हर नागरिक को एक यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी प्रदान करना।
- **हेल्थलॉकर/ पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स (PHR):** यह क्लाउड स्टोरेज पर आधारित एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य डेटाबेस है, जो पूरे देश के लिए स्वास्थ्य डेटा के एकल स्रोत के रूप में कार्य करता है।
- **नेशनल हेल्थ स्टैक (NHS):** इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य विश्लेषण मंच आदि शामिल हैं।

स्वास्थ्य देखभाल में AI के उपयोग के लिए निर्देशक सिद्धांत (विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रस्तावित)

- **मानव द्वारा निर्णय लेने की स्वायत्तता** को बनाए रखना
- **पारदर्शिता, बोधगम्यता और सुगमता** को सुनिश्चित करना
- **जिम्मेदारी और जवाबदेही** को बढ़ावा देना
- **समावेशन और समानता** को सुनिश्चित करना
- **मानव कल्याण को बढ़ावा देना, मानव की सुरक्षा और सार्वजनिक हित** सुनिश्चित करना
- **बेहतर रूप से काम करने वाले और संधारणीय AI को बढ़ावा देना**

7.2.2. 3D प्रिंटिंग (3D Printing)

संदर्भ

अग्निकुल कॉसमॉस ने **दुनिया का पहला सिंगल-पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन** सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस इंजन को **अग्निबाण SOrTeD नामक रॉकेट** में लगाया गया है। **अग्निकुल कॉसमॉस** अंतरिक्ष क्षेत्रक का IIT मद्रास की ओर से इनक्यूबेटेड एक स्पेस स्टार्ट-अप है। अग्निकुल कॉसमॉस ने दुनिया का पहला सिंगल-पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस इंजन को अग्निबाण SOrTeD नामक रॉकेट में लगाया गया है। अग्निकुल कॉसमॉस अंतरिक्ष क्षेत्रक का IIT मद्रास की ओर से इनक्यूबेटेड एक स्पेस स्टार्ट-अप है।

विश्लेषण

एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग (AM) या 3D प्रिंटिंग के बारे में

- इस तकनीक में डिजिटल 3D मॉडल के आधार पर **निर्माण सामग्री को परत-दर-परत जोड़कर त्रि-आयामी या 3D संरचना** का निर्माण किया जाता है।
- यह **सबट्रैक्टिव (पारंपरिक) विनिर्माण पद्धति के विपरीत** है, जिसमें निर्माण सामग्री के ठोस ब्लॉक को काटकर संरचना बनाई जाती है।
- AM की निर्माण सामग्रियों में **थर्मोप्लास्टिक, धातु, मिश्र धातु, सिरेमिक और बायोमैटेरियल जैसे बायो इंक** शामिल हैं।

3D प्रिंटिंग के लाभ

- **रैपिड प्रोटोटाइपिंग:** 3D प्रिंटिंग ने प्रोटोटाइपिंग या प्रायोगिक मॉडल्स बनाने की गति को काफी हद तक तेज बना दिया है। इसके चलते फाइनल प्रोडक्ट तैयार करने में काफी सहूलियत और तेजी आयी है। यह विचारों को शीघ्रता के साथ मूर्त रूप देने में मदद करेगा।
- **डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी:** यह जटिल से जटिल डिजाइनों को भी बनाने में सक्षम है, जिसे पारंपरिक विनिर्माण विधियों से बनाना लगभग असंभव है और इसे बनाना अत्यधिक खर्चीला भी होता है।
- **संधारणीयता:** इसमें **प्रिंटिंग** करने और संरचनाओं को मजबूती प्रदान करने वाली **सामग्री का ही उपयोग किया जाता है,** जिससे निर्माण सामग्री की बर्बादी को काफी कम किया जा सकता है।
- **ऑन-डिमांड उत्पादन:** इससे कंपनियां एक समान वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के बजाए अलग-अलग विशेषताओं वाली वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकती हैं। इससे अलग-अलग मांग के आधार पर वस्तुओं या उसके किसी भाग को शीघ्रता से तैयार किया जा सकता है।
- **अन्य: गुणवत्ता की निश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में सुधार।**

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

अग्निबाण SOrTeD के बारे में

- **रॉकेट अग्निबाण SOrTeD (सबऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोंस्ट्रेटर)** भारत का पहला **सेमी-क्रायोजेनिक इंजन-संचालित रॉकेट प्रक्षेपण** है।
  - **प्रक्षेपण:** इसका प्रक्षेपण **अग्निकुल द्वारा निजी तौर पर विकसित भारत के पहले लॉन्च पैड 'धनुष'** से किया गया है। यह आंध्र प्रदेश के **श्रीहरिकोटा** में स्थित है।

सेमी-क्रायोजेनिक इंजन (SCE) के बारे में

- यह रॉकेट **"अग्निलेट"** नामक **सेमी-क्रायोजेनिक इंजन** (SCE) से संचालित है। यह इंजन **तरल ऑक्सीजन** (LOX) और **केरोसिन प्रणोदकों** का उपयोग करता है।
- जहां **क्रायोजेनिक** इंजन में ईंधन को **अति-निम्न** तापमान पर भंडारित करना पड़ता है, वहीं **सेमी-क्रायोजेनिक** इंजन में तुलनात्मक रूप से **उच्च तापमान** पर ईंधन भंडारित किया जा सकता है।
  - **सेमी-क्रायोजेनिक इंजन** की हैंडलिंग और स्टोरेज आसान है तथा यह उच्च प्रदर्शन भी करता है।

3D प्रिंटिंग की प्रमुख चुनौतियां

- **महंगा होना:** 3D प्रिंटिंग से जुड़े उपकरणों में अधिक निवेश की जरूरत पड़ती है।
- **सामग्री की सीमित उपलब्धता: 3D प्रिंटिंग में उपयोग की जाने वाली** प्लास्टिक और धात्विक **सामग्री की उपलब्धता सीमित** है।
- **छोटे आकार के ऑब्जेक्ट की ही प्रिंटिंग:** प्रिंट चैम्बर्स का आकार छोटा होता है, इसलिए छोटे-छोटे खण्डों को प्रिंट कर उन्हें आपस में जोड़ा जाता है।
- **पार्ट स्ट्रक्चर:** 3D प्रिंटिंग में परत-दर-परत प्रिंटिंग होती है, जिससे निर्मित ऑब्जेक्ट दबाव पड़ने पर टूट भी सकते हैं।

3D प्रिंटिंग को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कुछ प्रमुख कदम

- **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** (MeitY) ने 2022 में **"एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग (AM) के लिए राष्ट्रीय रणनीति"** जारी की थी।
- **राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान** ने औरंगाबाद में **3D प्रिंटिंग लैब** की स्थापना की है।
- वर्ष 2023 में, तेलंगाना सरकार के सहयोग से MeitY द्वारा **नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सेंटर** की स्थापना की गई।

निष्कर्ष

3D प्रिंटिंग तकनीक ने विनिर्माण प्रक्रिया में क्रांति ला दी है। हालांकि भारत में, यह अभी शुरुआती चरण में ही है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए राष्ट्रीय रणनीति का अक्षरशः क्रियान्वयन ही इसका भविष्य तय करेगा। निजी क्षेत्रक को इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है क्योंकि पारंपरिक तरीकों की तुलना में इसके कई लाभ हैं।

7.2.3. सबमरीन केबल सिस्टम (SUBMARINE CABLE SYSTEM: SMC)

संदर्भ

हाल ही में, लाल सागर में घटित एक घटना के परिणामस्वरूप **तीन पनडुब्बी केबल्स- 'एशिया-अफ्रीका-यूरोप-1', 'यूरोप इंडिया गेटवे'** और **'टाटा ग्लोबल नेटवर्क' को नुकसान** हुआ है।

विश्लेषण

SMC के बारे में

- SMCs समुद्र के तल पर बिछाई गई फाइबर ऑप्टिक केबल हैं जो दुनिया भर के देशों को इंटरनेट और दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए जोड़ती हैं।
- **महत्त्व:**
  - दुनिया के लगभग 99% इंटरनेट ट्रैफिक अंतर्राष्ट्रीय केबल्स से गुजरते हैं।
  - संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 2010 में SMCs को "महत्वपूर्ण संचार बुनियादी ढांचा" बताया था।
- **SMC के लिए अन्य खतरे:** मछली पकड़ना और लंगर डालना; पर्यावरणीय कारक जैसे कि भूकंप, समुद्री जानवरों द्वारा क्षति आदि।

भारत में SMCs कनेक्टिविटी

- भारत में **17 अंतर्राष्ट्रीय SMCs** हैं, जो समुद्र तट के पास 5 शहरों में 14 **केबल लैंडिंग स्टेशनों** (CLS) तक पहुंचती हैं।
- **मुंबई और चेन्नई में SMCs की अधिकतम संख्या है।**
- **भारत में घरेलू सबमरीन केबल भी हैं, जैसे:**
  - **चेन्नई-अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केबल (CANI)** पोर्ट ब्लेयर को अंडमान और निकोबार के सात अन्य द्वीपों के साथ जोड़ता है।
  - **कोच्चि-लक्षद्वीप द्वीप (KLI) केबल प्रणाली:** यह कोच्चि और लक्षद्वीप के 11 द्वीपों के बीच सीधे संचार लिंक स्थापित करता है।
- **विनियमन:** दूरसंचार विभाग (DoT) इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस (ILD) लाइसेंस जारी करता है।
  - DoT की पूर्व स्वीकृति से ILD लाइसेंसधारियों को अपना CLS स्थापित करने और भारत में सबमरीन केबल बिछाने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।
  - यूनिफाइड लाइसेंस के तहत लाइसेंस प्राप्त कर चुके इंटरनेट सेवा प्रदाता को भी पनडुब्बी केबल के जरिए इंटरनेशनल इंटरनेट गेटवे स्थापित करने, संचालित करने और चालू करने की अनुमति होती है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

ऑप्टिकल फाइबर के बारे में

- ऑप्टिकल फाइबर कांच या प्लास्टिक से बने तार होते हैं। इनका उपयोग **सूचना को प्रकाश की तरंगों के रूप में** भेजने के लिए किया जाता है।
- यह 'पूर्ण आंतरिक परावर्तन' के सिद्धांत पर कार्य करता है।
  - इस सिद्धांत के तहत प्रकाश फाइबर-ऑप्टिक केबल में क्लैडिंग (Mirror-lined walls) से परावर्तित होते हुए कोर (Hallway) से होकर आगे बढ़ता है।
- ये केबल **डाटा की भारी मात्रा को तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने में सक्षम बनाती हैं।** इसमें ऑप्टिकल पॉवर का मामूली ह्रास होता है।
- यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिक **डॉ. नरिंदर सिंह** कपानी (भारत में जन्म) को प्रकाशिकी (Optics) के जनक के रूप में जाना जाता है।

सबमरीन कम्यूनिकेशन केबल प्रणाली और उसके घटक

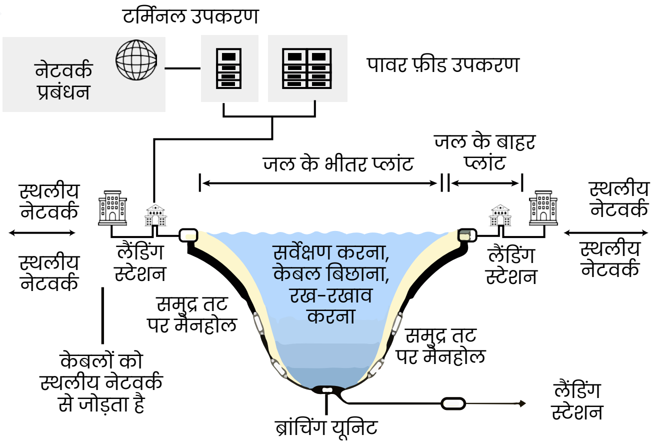

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

7.3. अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी (SPACE TECHNOLOGY)

7.3.1. हिग्स बोसॉन (HIGGS BOSON)

संदर्भ

हाल ही में, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स का निधन हो गया।

विश्लेषण

पीटर हिग्स के बारे में

- पीटर हिग्स ने **1964 में ब्रह्माण्ड में एक नए फील्ड के रूप में हिग्स फील्ड का सिद्धांत प्रस्तावित किया था। उनके अनुसार यह संपूर्ण ब्रह्माण्ड में मौजूद है और सभी मौलिक कणों को द्रव्यमान प्रदान करता है।**
  - इसके अलावा, उन्होंने **एक नया मौलिक कण (Fundamental particle) "हिग्स बोसॉन"** का विचार भी प्रस्तुत किया था।
- उनके इस विचार की पुष्टि 2012 में **यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन (CERN)** के **लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में टोरॉइडल LHC एपरेटस (एटलस)** और **कॉम्पैक्ट म्यूऑन सोलेनोइड (CMS)** में किए गए एक्सपेरिमेंट्स से हुई।
- इस खोज के बाद उन्हें **2013 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया।**

हिग्स फील्ड और मौलिक कणों के द्रव्यमान के बीच संबंध

- **अंतःक्रिया से द्रव्यमान:** हिग्स फील्ड का सिद्धांत इस बात को उजागर करता है कि कणों का अपना कोई द्रव्यमान नहीं होता है और वे अपना द्रव्यमान हिग्स फील्ड के साथ अंतःक्रिया या परस्पर क्रिया करके हासिल करते हैं।
  - कणों का **द्रव्यमान हासिल करने के लिए हिग्स फील्ड के साथ परस्पर क्रिया को ब्राउट-एंगलर्ट-हिग्स मेकेनिजम** के रूप में जाना जाता है। इसे रॉबर्ट ब्राउट, फ्रांकोइस एंगलर्ट और पीटर हिग्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
- **द्रव्यमान का स्तर:** हिग्स फील्ड और कण के बीच **परस्पर क्रिया** की **तीव्रता** कण के द्रव्यमान के स्तर को निर्धारित करती है। इसका मतलब है कि हिग्स फील्ड के साथ कण की परस्पर क्रिया जितनी प्रबल होगी, कण उतना ही भारी या उतना ही अधिक द्रव्यमान वाला होगा।
  - उदाहरण के लिए- **फोटॉन** हिग्स फील्ड के साथ परस्पर क्रिया नहीं करते, इसलिए उनका **द्रव्यमान नहीं** होता है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

प्राथमिक कणों (मौलिक कणों) के बारे में

- ये ब्रह्माण्ड का निर्माण करने वाले अब तक ज्ञात **सबसे छोटे कण** हैं।
- ये कण आपस में मिलकर **न्यूट्रॉन और प्रोटॉन** जैसे कणों का निर्माण करते हैं।
  - उदाहरण: प्रोटॉन **दो अप क्वार्क** और **एक डाउन क्वार्क** से बने होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन **दो डाउन क्वार्क** और **एक अप क्वार्क** से बने होते हैं।

लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC)

- यह **विश्व का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली कण त्वरक या पार्टिकल एक्सेलरेटर** है। इसे 2008 में जिनेवा के निकट सर्न (CERN) में स्थापित किया गया है।
- LHC परियोजना का प्राथमिक **लक्ष्य** बिग-बैंग मॉडल के अनुसार ब्रह्मांड के प्रारंभिक क्षणों में उत्पन्न हुई चरम स्थितियों को पुनः निर्मित करके **पदार्थ की मौलिक संरचना को समझना है।**

यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन (European Organization for Nuclear Research: CERN), 1954

- **CERN के बारे में:** 1954 में स्थापित, CERN के शोधकर्ताओं द्वारा **ब्रह्मांड की आधारभूत संरचना** को समझने और पदार्थ के मूल घटकों व मूलभूत कणों का अध्ययन किया जाता है।
- **सदस्य:** 23 सदस्य (भारत इसका एसोसिएट सदस्य है)
- हाल ही में, **व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी (WRC)** लॉन्च की है।
  - **व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी के बारे में:** इसे CERN में विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य **लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC) एक्सेलरेटर चेन के लिए सब-नैनोसेकंड सटीकता और सिंक्रनाइज़ेशन की पिकोसेकंड परिशुद्धता** प्रदान करना है।
- **प्रमुख उपलब्धियां:** हिग्स बोसोन, W बोसोन, Z बोसोन, आदि।

हिग्स बोसॉन के बारे में

- यह एक **प्राथमिक या मौलिक कण** है और इसे लोकप्रिय रूप से **ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल** के रूप में भी जाना जाता है।
- यह **बोसॉन** का एक प्रकार है, जो बल को वहन करने वाला एक उप-परमाण्विक (Subatomic) कण है।
  - अन्य **बोसॉन** में शामिल हैं- **फोटॉन या प्रकाश कण** (ये विद्युत चुम्बकीय बल का वहन करते हैं) और **ग्लूऑन** (ये कण नाभिक में बल का वहन करते हैं), आदि।
- यह भी अन्य कणों के समान **हिग्स फील्ड के साथ परस्पर क्रिया करके द्रव्यमान हासिल करता है।**
- **हिग्स बोसॉन के गुण:**
  - **द्रव्यमान:** इसका **द्रव्यमान 125 eV/c2** (उप-परमाण्विक कणों के लिए प्रयुक्त द्रव्यमान की इकाई) होता है, जो प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 130 गुना है।
    - हिग्स बोसॉन, **दूसरे बोसॉन के साथ भी परस्पर क्रिया कर सकता है।** इस गुण से यह जानने में मदद मिली कि हिग्स बोसॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से अधिक होता है।
  - **स्पिन:** यह एक **स्केलर कण (Scalar particle)** है और इसका **स्पिन '0'** है। इसीलिए इसमें कोई एंगुलर मोमेंटम (Angular momentum)

नहीं होता है।
- यह बिना किसी स्पिन वाला एकमात्र प्राथमिक कण है।
- **जीवन काल:** यह **बहुत ही कम समय के लिए अस्तित्व** में रहता है। यह हाई-एनर्जी कोएलिशन से उत्पन्न होने के बाद **तेजी से अन्य कणों में विघटित या क्षय हो जाता है।**
- **डिटेक्शन:** इसका पता **अप्रत्यक्ष** रूप से उन कणों को देखकर लगाया जाता है **जिनमें इसका क्षय होता है।**
  - इसका क्षय सामान्यतः **फोटॉन के युग्मों या W या Z बोसॉन के युग्मों** में होता है। हाल ही में, हुई खोज में पाया गया है कि हिग्स बोसॉन का क्षय फोटॉन और Z बोसॉन के रूप में हो रहा है, जो कि एक असामान्य बात है।
- **हिग्स बोसॉन का महत्त्व/ प्रासंगिकता:**
  - हिग्स बोसोन ने **कण भौतिकी (Particle physics) के स्टैंडर्ड मॉडल के पूर्वानुमानों की पुष्टि की है।**
    - **हिग्स बोसोन के क्षय से जुड़े हालिया साक्ष्य स्टैंडर्ड मॉडल द्वारा बताए गए कणों के अलावा अन्य कणों के अस्तित्व का अप्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान कर सकते हैं।**
  - इसकी विशिष्ट विशेषताओं और गुणों के कारण यह **डार्क मैटर** को समझने में काफी सहयोग कर सकता है।

7.3.2. घोस्ट पार्टिकल्स (Ghost Particles)

संदर्भ

अंटार्कटिका में आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला के वैज्ञानिकों ने सात **टाऊ (Tau) न्यूट्रिनो** को डिटेक्ट किया है, जो पृथ्वी से होकर गुजरे थे। इन्हें **घोस्ट पार्टिकल्स** कहा जाता है।

विश्लेषण

न्यूट्रिनो/ घोस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं?

- **घोस्ट पार्टिकल्स के बारे में: ये विद्युत आवेश रहित लगभग नगण्य** द्रव्यमान वाले उप-परमाण्विक (Subatomic) कण या पार्टिकल होते हैं।
  - **मिल्की वे आकाशगंगा से परे खगोलीय परिघटनाओं** से निकलने वाले उच्च-ऊर्जा युक्त न्यूट्रिनो को **"एस्ट्रोफिजिकल न्यूट्रिनो"** के रूप में जाना जाता है।
  - इन्हें घोस्ट पार्टिकल्स भी कहा जाता है, क्योंकि लगभग 100 ट्रिलियन न्यूट्रिनो प्रति सेकेंड हमारी जानकारी के बिना मानव शरीर से होकर गुजरते हैं।
- **वर्गीकरण:** स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स के तहत, इन्हें **'लेप्टान (Lepton)'** के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- **प्रकार: इसके 3 प्रकार, यथा- इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो,** म्यूऑन न्यूट्रिनो और **टाऊ न्यूट्रिनो** होते हैं। न्यूट्रिनो ब्रह्माण्ड में गमन करने के दौरान एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदल जाते हैं। इसे **न्यूट्रिनो ऑक्सीलेशन** कहते हैं।
- **उच्च-ऊर्जा से युक्त न्यूट्रिनो के संभावित स्रोत:** सुपरनोवा जैसी घटनाएं और एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई तथा ब्लैक होल जैसे खगोलीय पिंड इनके संभावित स्रोत हैं।
  - **सूर्य की नाभिकीय अभिक्रियाएं, पृथ्वी में कणों का क्षय, बीटा क्षय पार्टिकल एक्सीलेटर और परमाणु ऊर्जा संयंत्र** सभी न्यूट्रिनो का उत्सर्जन करते हैं।
- **न्यूट्रिनो के गुण:**
  - ये **लगभग प्रकाश की गति** से गमन करते हैं।
  - ये न तो चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होते हैं और न ही ये प्रकीर्णित होते हैं। साथ ही, ये आसानी से अवशोषित भी नहीं होते हैं। इस प्रकार, इनका पता लगाना बहुत कठिन हो जाता है।
  - ये अपने स्रोत से उत्सर्जित होने के बाद सीधी रेखा में गमन करते हैं।
  - न्यूट्रिनो ब्रह्मांड में द्रव्यमान वाले सबसे प्रचुर कण हैं।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

आइस क्यूब वेधशाला के बारे में

- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य पृथ्वी के वायुमंडल के साथ संपर्क में आने वाली कॉस्मिक किरणों का निरीक्षण करना और डार्क मैटर की प्रकृति एवं न्यूट्रिनो के गुणों का अध्ययन करना है।
- **अवस्थिति:** यह अंटार्कटिका में **अमुंडसेन-स्कॉट साउथ पोल स्टेशन** के पास स्थित है।
- **अन्य न्यूट्रिनो वेधशालाएं**
  - **भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला (INO):** इसका उद्देश्य न्यूट्रिनो के अध्ययन के लिए भूमिगत प्रयोगशाला का निर्माण करना है।
    - इसे **परमाणु ऊर्जा विभाग** और **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग** द्वारा संयुक्त रूप से वित्त-पोषित किया जा रहा है।
    - **अवस्थिति:** यह **तमिलनाडु के थेनी जिले** की बोडी वेस्ट हिल्स में स्थित है।
  - **चीन का ट्राइडेंट (ट्रॉपिकल डीप-सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप):** यह भूमध्य रेखा के पास दक्षिण चीन सागर में बनाया जा रहा नया न्यूट्रिनो डिटेक्टर है।

स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स

- **यह ब्रह्मांड के निर्माण में भूमिका निभाने वाले मौलिक कारकों (Basic Building Blocks) का वर्णन करता है।**
  - यह बताता है कि कैसे **क्वार्क** और **लेप्टॉन** नामक कण/ पार्टिकल्स सभी ज्ञात पदार्थों का निर्माण करते हैं। क्वार्क, **प्रोटॉन और न्यूट्रॉन** का निर्माण करते हैं जबकि लेप्टॉन, **इलेक्ट्रॉन** का निर्माण करते हैं।
  - साथ ही, यह बताता है कि **बल को वहन करने वाले बोसॉन कण** क्वार्क और लेप्टॉन को कैसे प्रभावित करते हैं।
- इसके अलावा, यह **ब्रह्मांड को संचालित करने वाले चार फंडामेंटल फोर्स में से तीन के बारे में भी बताता** है, ये हैं: इलेक्ट्रोमैगनेटिज्म, स्ट्रांग फोर्स और वीक फोर्स।

- ये अपने विशिष्ट गुणों के कारण, उन पिंडों या परिघटनाओं के बारे में **जानकारी प्रदान करने के अच्छे स्रोत** होते हैं, जिनसे वे उत्पन्न होते हैं।
  - गामा किरणें और कॉस्मिक किरणें अपने स्रोतों के बारे में जानकारी के अन्य प्रमुख स्रोत हैं।

नोट: ये 'गॉड पार्टिकल' या हिग्स बोसॉन से अलग होते हैं।

न्यूट्रिनो के अध्ययन का महत्त्व

- **ब्रह्मांड के विकास को समझना:** इससे हमें बिग-बैंग के तुरंत बाद, **ब्रह्मांड के शुरुआती चरणों** के बारे में समझने में मदद मिल सकती हैं।
- **डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की बेहतर समझ:** हमारे ब्रह्मांड का 95% हिस्सा डार्क मैटर (27%) और डार्क एनर्जी (68%) से बना हुआ है।
- **न्यूक्लिऑन की संरचना का अध्ययन करने में मदद:** परमाणुओं के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रिनो का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो सकता है कि पदार्थ सरल कणों से अधिक जटिल कणों में कैसे विकसित हुआ।
- **तारों से उत्सर्जित न्यूट्रिनो:** खगोलविद तारों से उत्सर्जित न्यूट्रिनो का अध्ययन सूर्य सहित अन्य तारों के आंतरिक भाग के बारे में समझ को बेहतर करने और नए ग्रहों की खोज करने के लिए कर सकते हैं।
- **परमाणु प्रसार की निगरानी:** परमाणु रिएक्टर के अंदर या परमाणु विस्फोटों से विखंडन की प्रक्रिया से बीटा क्षय के जरिए न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है।
  - उदाहरण के लिए, **USA-UK के संयुक्त प्रयास "वॉचमैन"** का लक्ष्य न्यूट्रिनो की मदद से परमाणु रिएक्टरों की दूर से ही निगरानी करना है।

7.3.3. अंतरिक्ष मलबे (Space debris)

संदर्भ

हाल ही में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 2023 के लिए भारतीय **अंतरिक्ष स्थितिजन्य आकलन रिपोर्ट (ISSAR)** जारी की है। इसमें अंतरिक्ष मलबे के मुद्दे को रेखांकित किया गया है।

विश्लेषण

अंतरिक्ष मलबे के बारे में

- **परिभाषा: अंतरिक्ष मलबे (Space debris) को अंतरिक्ष कबाड़/कचरा** भी कहा जाता है। इसमें **इस्तेमाल हो चुके रॉकेट के अलग-अलग चरण, अनुपयोगी उपग्रह, अंतरिक्ष से जुड़े ऑब्जेक्ट्स के टुकड़े तथा एंटी-सैटेलाइट वेपन्स (ASAT) से उत्पन्न मलबे** शामिल होते हैं। इनके पृथ्वी की कक्षा में या पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने की संभावना होती है।
- **उत्पत्ति:** मलबे में शामिल अधिकांश ऑब्जेक्ट्स, **ऑन-ऑर्बिट ब्रेक अप** तथा पृथ्वी की कक्षा में स्थित ऑब्जेक्ट्स के आपस में टकराने से उत्पन्न होते हैं।
  - **निष्क्रिय उपग्रहों, संपर्क खो चुके उपकरणों, रॉकेट के उपयोग किए जा चुके चरणों और अंतरिक्ष-आधारित हथियारों का उपयोग करने** से भी अंतरिक्ष मलबा उत्पन्न होता है।
- **केसलर सिंड्रोम:** अंतरिक्ष मलबे के आपस में टकराने से विनाशकारी **'केसलर सिंड्रोम'** की घटना देखने को मिल सकती है। गौरतलब है कि मलबे के निम्न- भू कक्षा में आपसी टकराव के कारण एक विनाशकारी चक्र आरंभ हो जाता है। प्रत्येक टकराव से उत्पन्न अंतरिक्ष मलबे की वजह से अगले टकराव की संभावना को **'केसलर सिंड्रोम'** कहा जाता है।

> **संक्षिप्त पृष्ठभूमि**
>
> **स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस (SSA) के बारे में**
>
> - SSA अंतरिक्ष ऑब्जेक्ट्स और उनके परिचालन परिवेश (मुख्य रूप से कक्षाओं) को ट्रैक करने का ज्ञान, पहचान और कार्य है।
>   - टकराव से बचने के अभ्यास (CAM) के लिए, अंतरिक्ष ऑपरेटर SSA डेटा का उपयोग कर सकते हैं।
>   - यह "सुरक्षित और सतत अंतरिक्ष संचालन प्रबंधन के लिए इसरो सिस्टम (IS4OM)' की पहल है।

अंतरिक्ष मलबे से जुड़ी चिंताएं/ जोखिम

- **परिचालन संबंधी जोखिम:** इसके चलते अंतरिक्ष यान या उपग्रह पूरी तरह से नष्ट हो सकते हैं और मलबे के हजारों टुकड़े भी उत्पन्न हो सकते हैं।
- **अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन के समक्ष खतरा:** पृथ्वी की निम्न-भू कक्षा में मलबे की तीव्र गति और अधिक मात्रा के कारण, मौजूदा एवं भावी अंतरिक्ष-आधारित अन्वेषण तथा संचालन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सुरक्षा संबंधी जोखिम पैदा करता है।
- **पृथ्वी पर रहने वाली आबादी के लिए जोखिम:** जब अंतरिक्ष मलबे के बड़े आकार के टुकड़े वायुमंडल में पुनः प्रवेश के दौरान नष्ट नहीं हो पाते हैं तो वे जहाँ गिरते हैं वहां के जन जीवन के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं।
- **सीमित प्राकृतिक संसाधन:** पृथ्वी की कक्षाओं में सीमित प्राकृतिक संसाधन हैं। अंतरिक्ष मलबे से भविष्य में इन कक्षाओं का लाभकारी उपयोग सीमित हो सकता है।

अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए शुरू की गई पहलें

- **वैश्विक पहलें और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी:**
  - **इंटर-एजेंसी डेब्रिज कोर्डिनेशन कमिटी (IADC):** इसकी स्थापना वर्ष 1993 में की गई थी।
  - संयुक्त राष्ट्र का अंतरिक्ष मलबा शमन दिशा-निर्देश: इसे बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र समिति (UN-COPUOS) ने तैयार किया था।
  - **जीरो डेब्रिज चार्टर:** इस पर **12 देशों** ने हस्ताक्षर किए हैं। ये देश हैं- ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, एस्टोनिया, जर्मनी, लिथुआनिया, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम।
- **भारत द्वारा शुरू की गई पहलें:**
  - **मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन (DFSM) 2030**
  - **इसरो सुरक्षित एवं दीर्घकालीन अंतरिक्ष प्रचालन प्रबंधन प्रणाली (IS4OM):** यह प्रणाली 2022 से परिचालन में है। इसका उद्देश्य इसरो की

अंतरिक्ष में स्थापित परिसंपत्तियों की सुरक्षा करना है।
- **अन्य: अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता नियंत्रण केंद्र (SSACC), प्रोजेक्ट नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस (नेत्र/ NETRA)।**

आगे की राह

- **मलबे की मात्रा को कम करना:** विनियामकीय कार्रवाई या अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के जरिए उपग्रहों एवं प्रक्षेपण व्हीकल्स की परिचालन अवधि के दौरान निर्मित होने वाली मलबे की मात्रा को कम-से-कम करना चाहिए।
- **सफलतापूर्वक निपटान की गारंटी:** वायुमंडल में पुनः प्रवेश या एक निर्धारित ऊंचाई वाली कक्षा में स्पेस ऑब्जेक्ट्स को पंहुचा कर उसका सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करना चाहिए।
- **आंतरिक ब्रेक अप से बचाना:** उपग्रहों की स्थिति और गति को अधिक सटीक रूप से ट्रैक करने के लिए बेहतर सेंसर और डेटा विश्लेषण तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा, उपग्रहों के निर्माण में ऐसी सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए जो उन्हें विखंडन यानी अंदर से टूटने से रोके। यह उपग्रहों के विखंडन और मलबे के टुकड़ों के निर्माण को कम करने में मदद करेगा।
- **सक्रिय मलबे को हटाना:** अंतरिक्ष मलबे को एकत्र करने और उन्हें LEO में लाने के संभावित तरीकों के रूप में हार्पून, मैग्नेट, लेजर और स्लिंगशॉट्स की क्षमता का पता लगाया जा रहा है।

7.3.4. सौर तूफान (भू-चुंबकीय तूफान) {Solar Storm (Geomagnetic Storm)}

संदर्भ

हाल ही में, पृथ्वी पर **G5 स्तर के सौर तूफान** का अनुभव किया गया। यह पिछले दो दशकों में आया सबसे प्रचंड सौर तूफ़ान था। इस दौरान संभवतः पिछले 500 वर्षों में सबसे अधिक प्रकाशवान ध्रुवीय ज्योति (ऑरोरा) में से एक की झलक देखने को मिली।

विश्लेषण

सौर तूफान या सोलर स्टॉर्म क्या होते हैं?

- सूर्य से विस्फोट के रूप में उत्सर्जित होने वाले आवेशित कणों के ऊर्जावान विशाल प्रवाह को **सौर तूफ़ान** कहते हैं।
  - इनकी उत्पति अक्सर सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन (CMEs) के समय होती है। इसके चलते आवेशित कण अत्यधिक तीव्र गति से अंतरिक्ष में आगे बढ़ने लगते हैं।
    - ◊ **सोलर फ्लेयर सूर्य से निकलने वाले विकिरण का एक तीव्र विस्फोट** होता है, जबकि **कोरोनल मास इजेक्शन सौर कलंक (Sunspot) के पास सूर्य से निकलने वाले प्लाज्मा (गर्म, आयनित गैस) और चुंबकीय क्षेत्रों के विशाल बादल** होते हैं।
  - सौर तूफान को उनकी **तीव्रता और प्रचंडता** के आधार पर **G1 (माइनर यानी साधारण) से G5 (एक्सट्रीम यानी चरम)** तक वर्गीकृत किया जाता है।
  - **उच्च गति वाली सौर पवनों से भू-चुंबकीय तूफान या जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न होते हैं।**
  - यह सूर्य के सोलर मैक्सिमम नामक चरम अवस्था में प्रवेश करने का परिणाम होता है।

सौर तूफानों के प्रभाव

- **अंतरिक्ष अवसंरचना को नुकसान:** अत्यधिक ऊर्जावान कण अंतरिक्ष यान के घटकों में प्रवेश कर सकते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं।
- **स्थलीय परिसंपत्तियों को नुकसान:** इससे विद्युत ग्रिड और रेडियो संचार में भी बाधा उत्पन्न होती है।
- **उपग्रहों के लिए खतरा:** इसके प्रचंड रूप के चलते पृथ्वी के वायुमंडल में परिवर्तन आ सकता है और उपग्रहों का अपने मार्ग पर बने रहना मुश्किल भी हो जाता है।
- **ऑरोरा:** ऑरोरा (उत्तरी या दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति) की घटना तब घटित होती है जब सूर्य से निकलने वाले आवेशित कण, मुख्य रूप से **इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन** पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल से टकराते हैं।
- **अन्य:** अंतरिक्ष यात्रियों पर नकारात्मक प्रभाव, आदि।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

सौर गतिविधियों का चक्र (The Sun's Activity Cycle)

- सूर्य पर निरंतर गतिविधियों का एक चक्र चलता है, जिसमें सूर्य की सतह पर होने वाली गतिविधियों की तीव्रता एक निश्चित अवधि के लिए कम और अधिक होती रहती है।
- **ये चक्र लगभग 11 वर्षों की अवधि तक चलते हैं।** इन चक्रों की **चरम अवधि को सोलर मैक्सिमम** कहा जाता है। इस अवधि के दौरान **सौर तूफान** अधिक आते हैं और **सनस्पॉट** (सूर्य की सतह पर ठंडे क्षेत्र) की घटनाएं बढ़ जाती हैं।
  - ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस चरण के दौरान सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र अधिक जटिल और घुमावदार होते हैं। इसके चलते सूर्य से और अधिक आवेशित कणों का तीव्र उत्सर्जन होता है।

सौर गतिविधि का अध्ययन करने के लिए मिशन

- **आदित्य L-1 (भारत):** इसे वर्ष 2023 में लॉन्च किया गया था। यह सूर्य का अवलोकन करने के लिए समर्पित भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है।
- पार्कर सोलर प्रोब (NASA): इसे वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। यह अंतरिक्ष यान सूर्य के बाह्य वायुमंडल अर्थात् कोरोना से होकर उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है।
- **सोलर ऑर्बिटर (NASA/ESA):** इसे वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया था।
- **सोलर एंड हेलिओस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी (NASA/ESA/JAXA):** इसे 1995 में लॉन्च किया गया था।

सोलर स्टॉर्म के प्रभाव

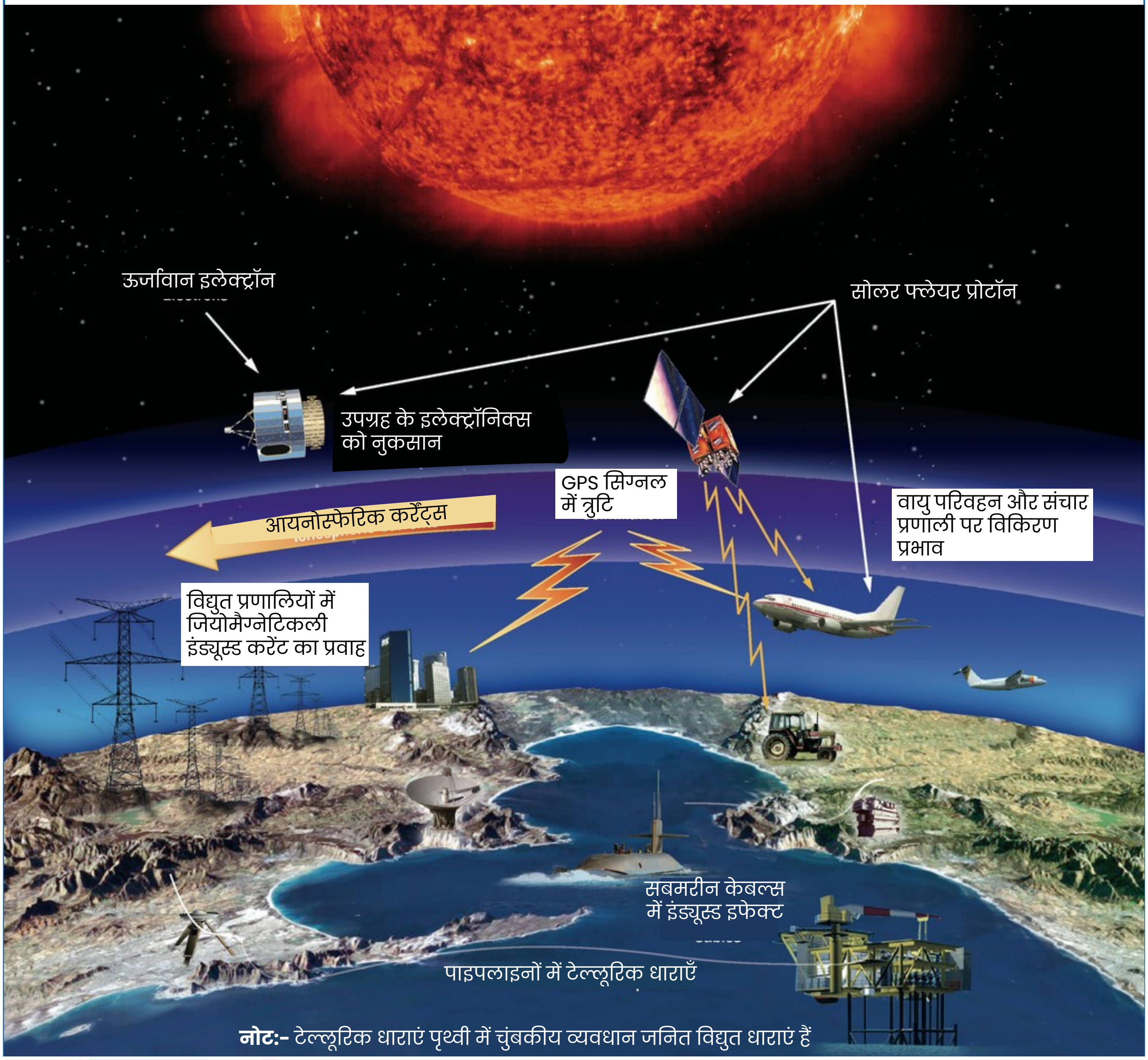

7.3.5. अंतरिक्ष पर्यटन (Space Tourism)

संदर्भ

ब्लू ऑरिजिन नामक स्पेस स्टार्ट-अप ने घोषणा की है कि गोपी थोटाकुरा उनके न्यू शेपर्ड के 25वें मिशन (NS-25 मिशन) का हिस्सा होंगे।

विश्लेषण

अंतरिक्ष पर्यटन क्या है?

- अंतरिक्ष पर्यटन संबंधी गतिविधियां **व्यक्तियों को मनोरंजन, रोमांच या छुट्टी बिताने जैसे उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष में भेजने हेतु** आयोजित की जाती हैं।
  - अभी यह **शुरुआती दौर** में है। वर्जिन गेलेक्टिक, स्पेसएक्स जैसी कंपनियां अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही हैं।
- **अंतरिक्ष पर्यटन के प्रकार:**
  - **उप-कक्षीय (Suborbital):** इसमें यात्रियों को कारमन रेखा (पृथ्वी से 50 से 70 मील ऊपर) के ऊपर ले जाकर वापस लाया जाता है।
  - **कक्षीय (Orbital):** इसमें यात्रियों को कारमन रेखा से काफी ऊपर ले जाया जाता है। इसमें यात्री अंतरिक्ष में कई दिन या सप्ताह बिता सकते हैं।
  - **अन्य:** अंतरिक्ष पर्यटन के रूप में चंद्रमा की यात्रा, अंतर-ग्रहीय पर्यटन आदि।
- **भारत में अंतरिक्ष पर्यटन:** फिलहाल, भारत में अंतरिक्ष पर्यटन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

अंतरिक्ष पर्यटन के लाभ

अंतरिक्ष अवसंरचनाओं के विकास को बढ़ावा मिलता है	**तकनीकी उन्नति** (अंतरिक्ष यान और रॉकेटरी में सुधार) होती है	**अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलता है** (अंतरिक्ष में बसावट एवं अंतरिक्ष संसाधनों का दोहन करने में)

अंतरिक्ष पर्यटन से जुड़ी चुनौतियां

- **अधिक लागत:** अभी अंतरिक्ष यात्राओं का खर्च बहुत ज्यादा है। यात्रियों के लिए **खास ट्रेनिंग** और **मेडिकल जांच** की ज़रूरत होती है, जिससे लागत और बढ़ जाती है।
  - यात्रियों को खाना, दवाईयां जैसी सुविधाएं देने के लिए **खास अंतरिक्ष यान** बनाने पड़ते हैं।
- **सीमित मांग:** अभी सिर्फ ऐसे अमीर लोग ही अंतरिक्ष यात्रा का खर्च उठा सकते हैं, जो सिर्फ एक बार के अनुभव के लिए इतना अधिक खर्च करने को तैयार हों।
- **सुरक्षा संबंधी चिंताएं (Safety Concern):** अंतरिक्ष यात्रा में जटिल तकनीक इस्तेमाल होती है, जिससे लॉन्च और वापसी के समय दुर्घटना का खतरा रहता है।
- **कानूनों का अभाव (Lack of Regulation):** अभी तक अंतरिक्ष पर्यटन से जुड़े मुद्दों के लिए **कोई खास अंतर्राष्ट्रीय संधि नहीं** है।
- **अंतरिक्ष कचरा (Space Debris):** डर है कि रॉकेट और सैटेलाइट के आपस में टकराने से अंतरिक्ष कचरा बढ़ जाएगा। इससे **केसलर सिंड्रोम** की समस्या और गंभीर हो सकती है।

आगे की राह

भारत में अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाने होंगे। अंतरिक्ष यात्रियों/ पर्यटकों की सुरक्षा और अधिकारों जैसे मुद्दों पर बाह्य अंतरिक्ष संधि (1967) जैसे वैश्विक मानकों के अनुरूप मानक तैयार करना होगा। साथ ही, अंतरिक्ष पर्यटन के पर्यावरण पर असर को कम करने और अंतरिक्ष कचरे की समस्या से निपटने के लिए संधारणीय तकनीक पर शोध को बढ़ावा देना जरूरी है।

7.4. स्वास्थ्य (HEALTH)

7.4.1. ट्यूबरक्लोसिस (TB) {TUBERCULOSIS (TB)}

संदर्भ

हाल ही में, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने **इंडिया टीबी (TB) रिपोर्ट 2024** जारी की।

विश्लेषण

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पर एक नज़र

- **नोटिफाइड टीबी रोगी:** 2023 में 25.52 लाख टीबी के मामले (2022 में 24.22 लाख मामले) दर्ज किए गए।
- **उपलब्धियां**
  - 2023 में **संक्रमण से ग्रस्त 95% रोगियों में उपचार शुरू करने का लक्ष्य** हासिल कर लिया गया।
  - **मृत्यु दर में कमी:** 2015 की तुलना में 18%

टीबी के बारे में

- यह **बैसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया** के कारण होने वाली एक संक्रामक बीमारी है जो आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करती है। इसे **पल्मोनरी टीबी** के रूप में जाना जाता है।
  - **एक्स्ट्रापल्मोनरी टीबी** शरीर के अन्य हिस्सों को प्रभावित करती है। (**उदाहरण के लिए**- गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टीबी, स्केलेटल टीबी, लीवर टीबी)
- **संक्रमण:** यह हवा के माध्यम से फैलता है, जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है, बोलता है, हंसता है, गाता है या छींकता है।
- **सामान्य लक्षण:** लंबे समय तक खांसी (कभी-कभी खून के साथ), सीने में दर्द, कमजोरी, थकान, वजन घटना, बुखार, रात को पसीना आना, आदि।
- **पहचान के लिए परीक्षण:** एक्सपर्ट MTB, RIF अल्ट्रा और ट्रूनेट असेस।
- **उपचार:** ट्यूबरकुलोसिस को रोका जा सकता है और इसका इलाज भी किया जा सकता है।
  - सबसे आम दवाओं में **आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, एथंबूटोल, पिराजीनामइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन** आदि शामिल हैं।
  - बचाव के लिए **बैसिल कैलमेट-गुएरिन (BCG)** का टीका भी उपलब्ध है।
- **ड्रग-रेजिस्टेंट टीबी** में मानक दवाओं का असर नहीं होता है।

> **संक्षिप्त पृष्ठभूमि**
>
> **दवा-प्रतिरोधी टी.बी. के प्रकार**
>
> - **मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस (MDR) टी.बी.:** इसमें टी.बी. बैक्टीरिया कम-से-कम **आइसोनियाज़िड** और **रिफैम्पिसिन** दवाओं को सहने की क्षमता विकसित कर लेता है।
> - **एक्सटेंसिवली ड्रग-रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस (XDR-TB):** इसमें टी.बी. बैक्टीरिया **आइसोनियाज़िड और रिफैम्पिसिन** दवाओं के साथ-साथ कोई भी फ्लोरोक्विनोलोन दवा और कम-से-कम तीन इंजेक्शन वाली सेकंड लाइन दवाओं (अमीकासिन, कैनामाइसिन या कैप्रियोमाइसिन) में से किसी एक को सहने की क्षमता विकसित कर लेता है।
> - **टोटली ड्रग-रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस (TDR-TB):** इसमें टी.बी. बैक्टीरिया पहले एवं दूसरे चरण में दी जाने वाली सभी दवाओं को सहने की क्षमता विकसित कर लेता है।

भारत में टी.बी. के उन्मूलन के समक्ष मौजूद चुनौतियां

- **सामाजिक बुराई और अस्वीकार्यता:** इस धारणा के चलते टी.बी. के रोगियों के निदान में देरी होती है और उन्हें सामाजिक अलगाव भी झेलना पड़ता है।
- **स्वास्थ्य देखभाल संबंधी निम्नस्तरीय अवसंरचना:** जैसे, ग्रामीण क्षेत्रों में नैदानिक सुविधाओं का काफी अभाव है।
- **गरीबी और कुपोषण:** इसके कारण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है एवं व्यक्ति में टी.बी. के संक्रमण का जोखिम भी बढ़ जाता है।
- **अन्य रोगों का जोखिम (मधुमेह):** टी.बी. से ग्रसित मरीजों का अन्य रोगों से ग्रस्त होने का जोखिम बढ़ जाता है।
- **उपचार की उच्च लागत:** ड्रग रेजिस्टेंस टी.बी. का निजी अस्पतालों में इलाज काफी महंगा है।
- **बीच में इलाज छोड़ने वाले मरीजों की उच्च दर:** इसके लिए प्रवास, नियमित फॉलो-अप पर नहीं जाना आदि कारक जिम्मेदार हैं।

आगे की राह

- **सीने के एक्स-रे का ज्यादा इस्तेमाल करके शुरुआती पहचान को सक्षम बनाना** और मरीजों की बेहतर जांच के लिए **रेफरल नेटवर्क को मजबूत करना।**
- **दीर्घकालिक और निरंतर इलाज:** यह नियमित रूप से फॉलो-अप करके और इलाज की पोर्टेबिलिटी (दूसरी जगह भी इलाज जारी रखने की सुविधा) पर विचार करके सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- **रोगियों को पोषण सहायता:** उदाहरण के लिए- 2023 के लैंसेट अध्ययन में पाया गया है कि झारखंड में 'RATIONS' परीक्षण के तहत दी गई पोषण सहायता की वजह से फेफड़ों की टीबी के रोगियों में मृत्यु का जोखिम कम हो गया था।
- **टीबी सेवा वितरण** को "आयुष्मान आरोग्य मंदिर" के स्तर पर विकेंद्रीकृत करना चाहिए।
  - उदाहरण के लिए- BCG टीकाकरण के वयस्क लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए भारत में टीबी-विन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था।
- **निवेश को बढ़ाने से बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।**

- WHO के एक अध्ययन के अनुसार, टीबी की जांच पर खर्च किए गए प्रत्येक डॉलर से 39 डॉलर का लाभ प्राप्त हो सकता है।

टीबी को रोकने हेतु भारत की पहलें

भारत की पहल

- **नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम (NTEP):** इसके तहत 2030 के वैश्विक लक्ष्य से पांच साल पहले ही 2025 तक टीबी के बोझ को कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
- **प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान:** यह मरीजों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने, समुदाय की भागीदारी बढ़ाने और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) गतिविधियों का लाभ उठाने के लिए शुरू किया गया था।
- **निक्षय पोषण योजना:** इस योजना के तहत निक्षय पोर्टल पर पंजीकृत टीबी मरीजों को 500 रुपये की आर्थिक प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
- **मिशन इंद्रधनुष:** इस मिशन के तहत BCG का टीका लगाया जाता है।
- **अन्य: नेशनल टीबी कॉल सेंटर - नि-क्षय संपर्क, टीबी मुक्त पंचायत पहल, जनजातीय टीबी पहल।**

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की पहल

- **#ENDTB रणनीति:** इसके लक्ष्य हैं-
  - 2015 की तुलना में 2035 तक टीबी से होने वाली मौतों की संख्या में 95% की कमी करना।
  - 2015 की तुलना में 2035 तक टीबी के मामलों में 90% की कमी करना।
  - 2035 तक टीबी के कारण किसी भी परिवार को आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े।
- **टीबी वैक्सीन एक्सेलरेटर काउंसिल:** यह परिषद टीबी के नए टीकों के विकास, परीक्षण, प्रमाणन और उपयोग को गति प्रदान करने के लिए बनाई गई है।

7.4.2. सर्वाइकल कैंसर (CERVICAL CANCER)

संदर्भ

हाल ही में, पहले **वैश्विक सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन फोरम** का कोलंबिया में आयोजन किया गया।

विश्लेषण

सर्वाइकल कैंसर के बारे में

- कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें **शरीर में कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने** लगती हैं। जब कैंसर का विकास ग्रीवा/ सर्विक्स (Cervix) में शुरू होता है, तो इसे सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है।
  - सर्विक्स **योनि (Birth canal) को गर्भाशय के ऊपरी हिस्से या गर्भ** (जहां गर्भावस्था के दौरान बच्चे का विकास होता है) से जोड़ती है।
- **यह अक्सर 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं** में होता है और **वैश्विक स्तर पर महिलाओं में चौथा सबसे आम कैंसर** है।
  - यह **भारत में महिलाओं में दूसरा सबसे आम** कैंसर है।
- सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण **ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV)** से बार-बार होने वाला संक्रमण है।

HPV के बारे में

- HPV एक सामान्य **यौन संचारित संक्रमण** है, जो त्वचा, जननांग और गले को प्रभावित कर सकता है।
- ज्यादातर मामलों में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता HPV को शरीर से बाहर निकाल देती है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

HPV के प्रकार

- HPV **200 से अधिक विषाणुओं (Viruses) का समूह** है, जिन्हें दो समूहों में बांटा गया है:
  - **कम जोखिम वाले**, और
  - **उच्च जोखिम वाले**
- कम जोखिम वाले HPV शायद ही कभी कैंसर का कारण बनते हैं।
- **उच्च जोखिम वाले HPV** अनल, सर्वाइकल, ऑरोफैरेंजियल, लिंग, योनि और वल्वर कैंसर सहित कई प्रकार के कैंसर पैदा कर सकते हैं।
- उच्च जोखिम वाले **HPV के 12 प्रकार** हैं। इनमें से दो (HPV 16 और HPV 18) के कारण अधिकांश HPV कैंसर उत्पन्न होते हैं।

सर्वैक (Cervavac) के बारे में

- सर्वैक, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए भारत में विकसित किया गया **पहला स्वदेशी टीका है।** इसे **सीरम** इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने विकसित और विनिर्मित किया है।

- **उच्च जोखिम वाले HPV से बार-बार संक्रमण** की स्थिति में असामान्य कोशिकाएं विकसित हो सकती हैं, जो बाद में कैंसर में बदल सकती है।

- वर्तमान में **HPV से होने वाले संक्रमण का कोई इलाज नहीं** है।

HPV टीकाकरण और बचाव के अन्य उपाय

- **दुनिया भर में HPV के 6 टीके उपलब्ध** हैं। सभी टीके उच्च जोखिम वाले HPV 16 और HPV 18 से सुरक्षा प्रदान करते हैं। गौरतलब है कि HPV 16 और HPV 18 के कारण ही अधिकांश सर्वाइकल कैंसर उत्पन्न होते हैं।
- सभी लड़कियों को 9-14 साल की उम्र में HPV का टीका (1 या 2 खुराक) लगवाना चाहिए।
  - 30 साल की उम्र (HIV से पीड़ित महिलाओं में 25 साल) के बाद हर 5-10 साल में **स्क्रीनिंग** की जानी चाहिए। इससे सर्वाइकल रोग का पता लगाया जा सकता है। इसके इलाज से सर्वाइकल कैंसर भी रोका जा सकता है।
  - **जल्द पता लगाना और उसके बाद उचित इलाज जरूरी:** HPV वायरस का कोई इलाज नहीं है। हालांकि, इसके कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं, जैसे- सर्वाइकल कैंसर के उपचार मौजूद हैं।

रोकथाम के लिए पहलें

- **सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन पहल (विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा): WHO ने 2030 तक प्रत्येक देश के लिए "90-70-90" लक्ष्य निर्धारित किए हैं:**
  - **टीकाकरण:** 15 साल की उम्र तक 90% लड़कियों को HPV वैक्सीन की पूरी खुराक दी जाए।
  - **स्क्रीनिंग:** 35 साल की उम्र तक 70% महिलाओं की जांच हो और फिर 45 साल की उम्र तक दोबारा जांच हो।
  - **उपचार:** कैंसर की संभावना वाली 90% महिलाओं का इलाज हो और इनवैसिव कैंसर से ग्रस्त 90% महिलाओं के लिए इलाज का प्रबंध किया जाए।
- **भारत में लड़कियों के लिए HPV टीकाकरण:** भारत सरकार ने 2024-25 के अंतरिम बजट में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल की उम्र की लड़कियों को HPV का टीका लगाने का प्रस्ताव दिया है।

7.4.3. ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GLYCEMIC INDEX: GI)

संदर्भ

हाल ही में किए गए एक वैज्ञानिक अध्ययन से भोजन में मौजूद ग्लाइसेमिक इंडेक्स तथा टाइप II डायबिटीज और हृदय रोगों के खतरे के बीच संबंध का पता चला है।

विश्लेषण

ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) के बारे में

- **परिभाषा:** GI इस बात का पैमाना है कि **कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन करने के बाद यह कितनी जल्दी आपके रक्त में शुगर का लेवल बढ़ाता** है।
  - यह इंडेक्स शुद्ध ग्लूकोज (जिसका GI 100 है) की तुलना में कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों को रक्त में शुगर बढ़ाने की उनकी क्षमता के आधार पर 0 से 100 के पैमाने पर रैंक करती है।
- **किसने प्रस्तावित किया:** इसे टोरंटो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डेविड जेनकिन्स ने 1981 में प्रस्तावित किया था।
- **GI निर्धारित करने वाले कारक:**
  - **आंतरिक कारक:** जैसे- अमाइलोज, वसा, प्रोटीन, फाइटिक एसिड, फाइबर, रेसिस्टेंट स्टार्च आदि तथा
  - **बाह्य कारक:** जैसे- पकाने के तरीके, प्रसंस्करण, रेट्रो-ग्रेडेशन, भिगोने और अंकुरित करने से निर्धारित होता है।

GI सूचकांक	उदाहरण
उच्च (>70)	गेहूं, सफेद चावल, आलू, वाइट ब्रेड आदि।
मध्यम (56 - 69)	संतरे का रस, शहद, और होलमील ब्रेड आदि।
कम (<55)	फल, बिना स्टार्च वाली सब्जियां (गाजर, पालक, टमाटर आदि), साबुत अनाज, फलियां आदि।

ग्लाइसेमिक लोड (GL) के बारे में

- **ग्लाइसेमिक लोड (GL):** GL यह मापने का एक तरीका है कि कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ खाने के बाद आपके रक्त शर्करा (Blood Sugar) में कितनी मात्रा और कितनी तेजी से वृद्धि हो सकती है।
- **GL की गणना:** किसी भोजन का ग्लाइसेमिक लोड ज्ञात करने के लिए, भोजन के ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) को उस भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट की मात्रा से गुणा करना होगा।

GI और स्वास्थ्य के बीच संबंध

- **डायबिटीज से ग्रस्त लोगों के लिए जटिलताएं:** उच्च GI वाले खाद्य पदार्थ रक्त में शुगर के स्तर में तेज उतार-चढ़ाव का कारण बनते हैं, जो शरीर की इंसुलिन बनाने या उसका प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता को कमजोर कर सकता है।
  - कम GI वाले खाद्य पदार्थों पर ध्यान देने से रक्त में शुगर के नियंत्रण और कुल मिलाकर डायबिटीज के प्रबंधन में सुधार हो सकता है।
- **हृदय स्वास्थ्य के लिए समस्याएं:** उच्च GI वाले आहार से वजन बढ़ता है, शरीर में ट्राइग्लिसराइड का स्तर और रक्तचाप बढ़ता है, जिससे व्यक्ति लंबे समय में हृदय संबंधी जटिलताओं का शिकार हो सकता है।

7.4.4. मैग्नेटिक रेज़ोनेंस इमेजिंग (MRI) प्रौद्योगिकी {MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI) TECHNOLOGY}

संदर्भ

दुनिया के सबसे शक्तिशाली MRI स्कैनर 'इज़ोल्ट' (Iseult) ने मानव मस्तिष्क की पहली तस्वीर ली है।

विश्लेषण

मैग्नेटिक रेज़ोनेंस इमेजिंग (MRI) प्रौद्योगिकी के बारे में

- MRI एक **नॉन-इनवेसिव मेडिकल इमेजिंग टेस्ट** मशीन है। यह मशीन मानव शरीर के भीतर की प्रत्येक संरचना की विस्तृत तस्वीर ले सकती है।
- क्रॉस-सेक्शनल तस्वीरें प्राप्त करने के लिए यह **शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, रेडियो तरंगों और हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ अंतर्क्रिया** करता है।
- **MRI के उपयोग**
  - MRI द्वारा स्कैन की गई तस्वीरों में शरीर के **अंगों, हड्डियों, मांसपेशियों और रक्त वाहिकाओं** को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
    - **मस्तिष्क के विकारों, हृदय रोगों, कैंसर** जैसी बीमारियों के चिकित्सा निदान और उपचार में MRI का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
  - **फंक्शनल MRI (fMRI)**, एक विशेष प्रकार की MRI मशीन है। यह मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में रक्त प्रवाह की तस्वीरें लेती है। इससे मस्तिष्क की सर्जरी में मदद मिलती है।
- **अन्य तकनीक की तुलना में लाभ:**
  - MRI इमेज किसी भी अन्य इमेजिंग तकनीक की तुलना में बेहतर विवरण प्रदान करती हैं। चूंकि ये अध्ययन किए जा रहे क्षेत्र की 3D इमेज बनाते हैं, इसलिए वे एक्स-रे या अल्ट्रासाउंड की तुलना में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं।
  - MRI मशीन चुंबक और रेडियो तरंगों का उपयोग करती है, जबकि एक्स-रे, सीटी स्कैन या PET स्कैन विकिरण का उपयोग करते हैं।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

इज़ोल्ट के बारे में

- 'इज़ोल्ट' स्कैनर **मानव मस्तिष्क की संरचना** के बारे में हमारी समझ को और अधिक बढ़ाने में मदद कर सकता है।
  - इस स्कैनर से **अल्जाइमर** जैसी बीमारियों या **अवसाद** अथवा **सिज़ोफ्रेनिया** जैसे मनोवैज्ञानिक विकारों के बारे में विस्तृत समझ प्राप्त हो सकेगी।
- **इज़ोल्ट** में 11.7 टेस्ला की शक्ति है। इससे यह आम उपयोग वाले MRI स्कैनर की तुलना में **10 गुना अधिक सटीकता के साथ मस्तिष्क की छवियों को स्कैन** कर सकता है।

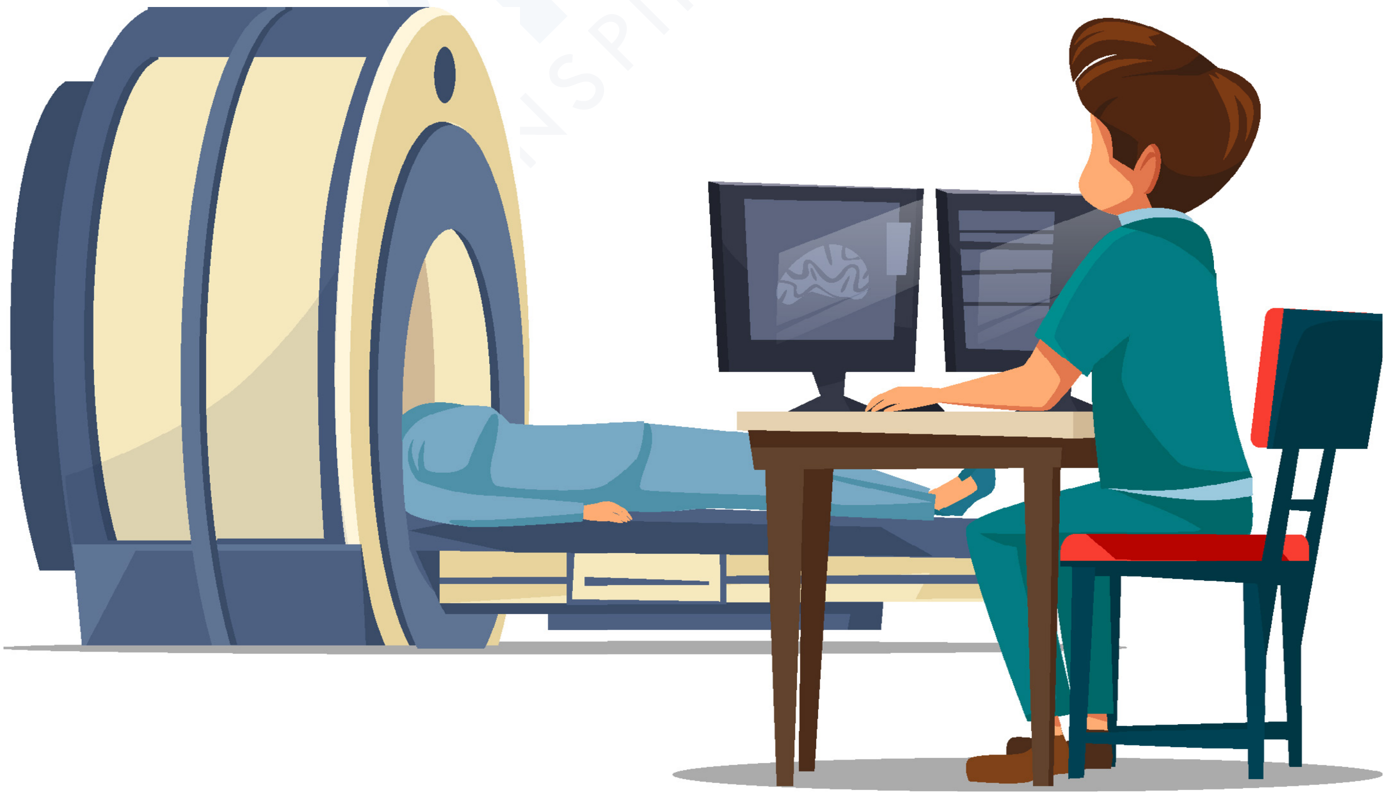

7.5. विविध (MISCELLANEOUS)

7.5.1. फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (Fast Breeder Reactor)

संदर्भ

परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) ने तमिलनाडु के कलपक्कम में 500 मेगावाट क्षमता के स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (**PFBR**) के "फर्स्ट अप्रोच टू क्रिटीकेलिटी" के लिए अनुमति दी है।

विश्लेषण

फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है?

- फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स (FBR) एक प्रकार के परमाणु रिएक्टर ही होते हैं। इन रिएक्टर्स में बिजली पैदा करने के दौरान अत्यंत तीव्र गति वाले न्यूट्रॉन की मदद से खपत की तुलना में अधिक परमाणु ईंधन का उत्पादन किया जाता है।
- FBR में ईंधन के रूप में **यूरेनियम-प्लूटोनियम मिश्रित ऑक्साइड (MOX)** का उपयोग किया जाएगा।
- इस रिएक्टर में फ्यूल कोर के आस-पास का **यूरेनियम-238 'ब्लैंकेट' न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन की प्रक्रिया से गुजरने पर अतिरिक्त ईंधन का उत्पादन करता** है। यही कारण है कि इसे **"ब्रीडर"** कहा जाता है।

FBR का महत्त्व

- **परमाणु कार्यक्रम के चरण 2 की शुरुआत:** PFBR का परिचालन भारत के तीन-चरणों वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के चरण 2 की शुरुआत का प्रतीक होगा।
- **तीसरे चरण के लिए मार्ग प्रशस्त:** FBR में, **थोरियम-232 (Th-232)** का उपयोग ब्लैंकेट के रूप में किया जाएगा।
  - ट्रांसम्यूटेशन (एक तत्व का दूसरे तत्व में रूपांतरण) द्वारा थोरियम-232 को **विखंडनीय U-233** में बदल दिया जाता है, **जिसका उपयोग तीसरे चरण में ईंधन के रूप में किया जाता है।**

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) के बारे में

- PFBR को **भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड** या भाविनी (BHAVINI) द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसमें 200 से अधिक भारतीय उद्योगों की सहायता ली गई थी।
- परमाणु रिएक्टर के **कोर में परमाणु ईंधन डालने** को ही **कोर लोडिंग** कहा जाता है।
- कोर लोडिंग प्रक्रिया का पूरा होना **'क्रिटिकलिटी (Criticality)' हासिल करने की दिशा में पहला चरण** होता है।
  - परमाणु रिएक्टर में **स्वचालित एवं संतुलित रूप से चलने वाली परमाणु विखंडन अभिक्रिया** हासिल होने को ही क्रिटिकलिटी कहते हैं।

भारत में थोरियम भंडार

परमाणु ऊर्जा विभाग ने अब तक 11 मिलियन टन से अधिक इन-सीटू संसाधन मोनाजाइट (थोरियम युक्त खनिज) की पुष्टि की है। ये केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड आदि में समुद्र तट और नदी की रेत में पाए जाते हैं।

- **तकनीकी उन्नति:** एक बार इस संयंत्र के चालू होने के बाद, **रूस के बाद** FBR का वाणिज्यिक परिचालन करने वाला **भारत दूसरा देश होगा।**
- **अपशिष्ट में कमी:** FBR में **पहले चरण में उपयोग किए गए ईंधन का ही उपयोग किया जाता है।** इससे परमाणु अपशिष्ट की मात्रा में भी काफी कमी आएगी। साथ ही, इससे ऐसे अपशिष्ट के निवारण के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को झेलना नहीं पड़ेगा।

भारत के 3 चरण वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्र

- भारत के पास **दुनिया के यूरेनियम भंडार का केवल 2-3% हिस्सा** मौजूद है। हालांकि, भारत वैश्विक थोरियम भंडार वाले शीर्ष देशों में से एक है।
- **भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉ. होमी जे. भाभा ने 1950 के दशक में तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम** तैयार किया था। इसका उद्देश्य भारत के सीमित यूरेनियम भंडार और प्रचुर थोरियम भंडार का अधिकतम लाभ उठाना था।
- **परमाणु ऊर्जा के तीन चरण हैं:**
  - प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन वाले दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर (PHWRs),
  - प्लूटोनियम आधारित ईंधन का उपयोग करने वाले फ़ास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBR),
  - थोरियम के उपयोग के लिए उन्नत परमाणु ऊर्जा प्रणाली।

7.5.2. एग्रीटेक (AGRITECH)

संदर्भ

विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने **PwC इंडिया** के साथ साझेदारी में "एग्रीटेक: शेपिंग एग्रीकल्चर इन इमर्जिंग इकोनॉमीज, टुडे एंड टुमॉरो" शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है।

विश्लेषण

एग्रीटेक क्या है?

- एग्रीटेक **कृषि प्रौद्योगिकी (Agriculture technology)** का संक्षिप्त रूप है। एग्रीटेक का तात्पर्य **कृषि में तकनीकी नवाचारों के उपयोग** से है। यह किसानों को उनकी **उपज बढ़ाने, दक्षता में सुधार करने** और **लाभप्रदता बढ़ाने** में मदद करता है।
- एग्रीटेक में **एडवांस टेक्नोलॉजी,** जैसे- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), जैव प्रौद्योगिकी आदि का उपयोग किया जाता है।

कृषि में एग्रीटेक की भूमिका

- **स्मार्ट फार्मिंग:** इसे परिशुद्ध कृषि या प्रिसिजन फ़ार्मिंग के रूप में भी जाना जाता है। इसके तहत **कृषि कार्यों में दक्षता में सुधार करने के लिए** प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता है।
  - उदाहरण के लिए- फसल योजना बनाने, हाइपरलोकल (स्थान विशेष के लिए) मौसम पूर्वानुमान व उपज पूर्वानुमान आदि के लिए AI एवं ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) का उपयोग करना।

> **संक्षिप्त पृष्ठभूमि**
>
> **एग्रीटेक के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें**
>
> - **कृषि स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा:**
>   - **नवाचार और कृषि-उद्यमिता विकास कार्यक्रम:** यह कार्यक्रम वर्ष 2018-19 से **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)** के तहत संचालित किया जा रहा है।
>   - **एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड:** सरकार ने 2023-24 से शुरू होने वाले पांच वर्षों के लिए 500 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी है।
> - **एग्री स्टैक:** सरकार, एग्रीटेक स्टार्ट-अप्स, निजी क्षेत्रक या अन्य संस्थानों द्वारा **किसानों को एग्रीटेक एवं अन्य डिजिटल सेवाओं** की सुविधा प्रदान करने के लिए इसे डिजाइन किया है।
> - **अन्य:** एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज (ADeX), डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, 2021, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (Agricultural Technology Management Agency: ATMA) योजना।

- **उत्पादन से उपभोग तक अर्थात् खेत से थाली तक (Farmgate-to-fork):** कृषि में एग्रीटेक के इस्तेमाल से **गुणवत्ता मानकों से संबंधित कमियों, खेत से बाजार के बीच होने वाली फसल की हानि,** भंडारण सुविधाओं तक बेहतर पहुंच का अभाव जैसी समस्याओं का समाधान होता है।
  - उदाहरण के लिए- ब्लॉकचेन का उपयोग करके ट्रेसेबिलिटी को बेहतर बनाना, स्मार्ट लॉजिस्टिक्स और भी बहुत कुछ।
- **डेटा गवर्नेंस:** उदाहरण के लिए- उभरती अर्थव्यवस्थाओं में कृषि क्षेत्रक में **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI)** महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

एग्रीटेक को अपनाने में चुनौतियां

- **अवसंरचना संबंधी बाधाएं:** ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्यतः नेटवर्क कवरेज अच्छा नहीं होता है और इंटरनेट की स्पीड काफी कम होती है। इससे **एग्रीटेक** को अपनाने में बाधा आती है।
- **संसाधनों का अभाव:** ग्रामीण भारत में बड़ी संख्या में किसान **छोटे-छोटे खेतों पर काम करते हैं** एवं उनके पास सीमित वित्तीय संसाधन हैं।
- **अन्य: परिवर्तन को अपनाने में असहजता, रोजगार समाप्त होने का खतरा (कृषि क्षेत्रक में ऑटोमेशन को अपनाने** से स्थानीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है)।

एग्रीटेक का पर्यावरण पर संभावित प्रभाव

सकारात्मक	नकारात्मक
परिशुद्ध कृषि या प्रिसिजन फार्मिंग: अपशिष्ट में कमी और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन। पशुओं को उचित आहार, आनुवंशिक चयन एवं पशु अपशिष्ट प्रबंधन आदि के जरिए **पशुपालन के कारण** होने वाले **उत्सर्जन को कम** किया जा सकता है। **जैव प्रौद्योगिकी** का उपयोग फसल की ऐसी किस्मों को विकसित करने के लिए किया जा सकता है जो कीटों और बीमारियों के प्रति अधिक प्रतिरोधी हों।	**आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों** के उपयोग से आनुवंशिक विविधता में कमी तथा मानव और परागणकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव जैसे खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। एग्रीटेक सिस्टम से वृहद स्तर पर **एकल-कृषि पद्धतियों** को बढ़ावा मिलता है। इसके परिणामस्वरूप फसलों की विविधता में कमी आती है, जल संसाधनों का अत्यधिक उपयोग होता है, आदि।

आगे की राह

- **डिजिटल और भौतिक चैनलों को आपस में कनेक्ट करना:** उदाहरण के लिए- **संगठित चैनलों** जैसे कि **किसान समूहों, सहकारी समितियों या ई-गवर्नेंस एजेंटों** का उपयोग करना इस रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है।
- **ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना के प्रसार के लिए डिजिटल अवसंरचना का निर्माण:** मृदा या भूमि से संबंधित भौगोलिक सूचना, फसल उत्पादन, बाजार लेन-देन की जानकारी आदि से जुड़े डेटा को सार्वजनिक डोमेन में रखा जाना चाहिए।
- **सार्वजनिक-निजी सहयोग पर बल:** वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने से निजी क्षेत्रक मूल्य श्रृंखलाओं या अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में एग्रीटेक के विस्तार हेतु निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

7.5.2.1. कृषि क्षेत्रक में नैनोटेक्नोलॉजी (NANOTECHNOLOGY IN AGRICULTURE)

संदर्भ

इफको (IFFCO) द्वारा नैनो टेक्नोलॉजी से तैयार **नैनो जिंक (तरल)** और **नैनो कॉपर (तरल)** उर्वरक को केंद्र सरकार ने **फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर (FCO), 1985** के तहत मंजूरी दे दी है।

विश्लेषण

नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में

- नैनो टेक्नोलॉजी उन सामग्रियों का अध्ययन है, **जिनका आकार नैनोस्केल रेंज में अर्थात् 1 से 100 नैनोमीटर** होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमे **1-100 नैनोमीटर** स्केल पर पदार्थ के अद्वितीय गुणों का उपयोग करके नई सामग्रियों और उपकरणों का विकास किया जाता है।
- **भारतीय कृषि क्षेत्रक में नैनो टेक्नोलॉजी की आवश्यकता क्यों है?**
  - **हरित क्रांति के बाद से भारतीय कृषि में विकास रुका हुआ है:** पोषक तत्वों के दक्षतापूर्ण उपयोग में गिरावट आई है।
  - **पर्यावरणीय क्षति:** उदाहरण के लिए- सब्सिडी वाले यूरिया का अत्यधिक उपयोग भू-जल को दूषित करता है, यूट्रोफिकेशन का कारण बनता है एवं मृदा के स्वास्थ्य को खराब करता है।
  - **भारतीय कृषि क्षेत्रक में मौजूद अन्य समस्याओं पर काबू पाना:** जैसे कि कीटों और बीमारियों के कारण फसल को भारी नुकसान होना, पानी की कमी और फसल कटाई के बाद फसल का खराब होना, आदि।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

कृषि में जिंक और कॉपर जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्त्व:

- **जिंक:** यह पौधों में एंजाइम की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने, पौधों की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण है।
- **कॉपर:** यह पौधों में कई एंजाइमेटिक गतिविधियों और क्लोरोफिल एवं बीज उत्पादन के लिए आवश्यक है।

कृषि क्षेत्रक में नैनो टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलें

- **नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर मिशन- नैनो मिशन:** इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के तहत 2007 में शुरू किया गया था।
- **नैनो एग्री-इनपुट्स के मूल्यांकन के दिशा-निर्देश:** ये दिशा-निर्देश जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार किए गए हैं।
- **अन्य: राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना (NAIP),** नैनो उर्वरक संयंत्र (NFP): इसे इफको द्वारा प्रयागराज के **फूलपुर** में स्थापित किया गया है।

कृषि में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग

- **नैनो उर्वरक:** नैनो उर्वरक ऐसे पोषक तत्व हैं जिन्हें नैनो सामग्री के भीतर समाहित किया जाता है ताकि उचित मात्रा में उनका उत्सर्जन हो सके तथा उसके बाद मृदा में धीरे-धीरे जारी हो सके।
  - ये पौधों द्वारा पोषक **तत्वों के अवशोषण को 90-100%** तक बढ़ा सकते हैं, जिससे फसलों की पैदावार में सुधार होता है।
- **नैनो कीटनाशक:** ये लक्षित तरीके से कीटों तक सक्रिय तत्व पहुंचा सकते हैं, आवश्यक रसायनों की मात्रा को कम कर सकते हैं और गैर-लक्षित जीवों को होने वाली क्षति को कम कर सकते हैं।
  - उदाहरण के लिए- नैनो सिल्वर अपनी मजबूत जीवाणुनाशक और रोगाणुरोधी गतिविधियों के लिए जाना जाता है।
- **नैनो बायोसेंसर:** वे उच्च परिशुद्धता के साथ मिट्टी की स्थिति, फसल स्वास्थ्य और पर्यावरणीय कारकों की निगरानी कर सकते हैं।
- **मृदा सुधार के लिए नैनो मटेरियल:**
  - **मृदा के नैनोकण:** मृदा की संरचना, जल धारण क्षमता और पोषक तत्व धारण क्षमता में सुधार करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
  - **उपचार:** उदाहरण के लिए, UV-सक्रिय नैनो पार्टिकल की मदद से **फोटोकैटेलिसिस** प्रदूषकों को कुशलतापूर्वक नष्ट किया जा सकता है।
- **फसल सुरक्षा:** पौधों की पत्तियों पर **सिलिका के नैनो पार्टिकल** का उपयोग करने से, पौधे उच्च तापमान एवं तीव्र UV विकिरण से सुरक्षित रहते हैं।
- **फसलों की नए किस्मों के विकास में नैनो टेक्नोलॉजी:** यह तकनीक **नैनोस्केल पर पौधों के जीन में लक्षित बदलाव को सक्षम करके** आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के विकास में सहायता कर सकती है।
- **खाद्य प्रसंस्करण में नैनो टेक्नोलॉजी:**
  - **खाद्य पैकेजिंग और संरक्षण:** नैनोकंपोजिट जैसे नैनो मटेरियल का उपयोग रोगाणुरोधी और ऑक्सीजन-रोधी लेप बनाने के लिए किया जा सकता है। इससे खाद्य पदार्थों की खराबी और बर्बादी को कम किया जा सकता है।

नैनोपार्टिकल्स के संभावित हानिकारक प्रभाव

- **नैनोफाइटोटॉक्सिसिटी:** पौधों में एक सीमा से अधिक नैनोपार्टिकल्स का संचय उनकी वृद्धि और विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।
- मानव के लिए खतरनाक: नैनो आधारित भोजन के सेवन से शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में नैनोपार्टिकल्स का जमाव हो सकता है।
- **मृदा सूक्ष्म जीवों के लिए हानिकारक:** नैनोपार्टिकल्स के संपर्क में आने से संभवतः मृदा माइक्रोफ्लोरा के चयापचय और सामान्य गतिविधियों में भी बाधा उत्पन्न होती है।
- **भूमिगत जल पर प्रभाव:** मृदा में जमा नैनोपार्टिकल्स भूजल के साथ मिश्रित होकर उसे अनुपयोगी बना देते हैं।
- **मधुमक्खी के छत्ते पर हानिकारक प्रभाव:** नैनोपार्टिकल्स के संचय वाले पौधों के लगातार संपर्क में आने से मधुमखियों और उसके छत्ते पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।

निष्कर्ष

नैनो टेक्नोलॉजी कृषि क्षेत्रक में प्रगति के लिए एक आशाजनक उपकरण के रूप में उभर रही है, संभावित रूप से यह फसल उत्पादन और प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। हालांकि, इससे जुड़ी हुई कई चुनौतियां भी विद्यमान हैं, जिनमें नैनो पार्टिकल से जुड़े संभावित पर्यावरणीय और स्वास्थ्य जोखिम शामिल हैं। इसलिए, हमें कृषि में नैनो मटेरियल के सुरक्षित तथा जिम्मेदार विकास और उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए विनियामक ढांचे को विकसित करने की आवश्यकता है।

7.5.3. मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल (MIRV) तकनीक {MULTIPLE INDEPENDENTLY TARGETABLE RE-ENTRY VEHICLE (MIRV) TECHNOLOGY}

संदर्भ

हाल ही में, DRDO ने मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल (MIRV) तकनीक से लैस अग्नि-5 मिसाइल का सफलतापूर्वक फ्लाइट टेस्ट किया है। इस संपूर्ण टेस्ट ऑपरेशन को **'मिशन दिव्यास्त्र'** (Mission Divyastra) नाम दिया गया है।

विश्लेषण

MIRV तकनीक के बारे में

- **उत्पत्ति:** यह तकनीक मूल रूप से 1960 के दशक की शुरुआत में विकसित हुई थी। इस तकनीक के जरिए एक ही मिसाइल **कई परमाणु हथियारों** को ले जा सकती थी। इन परमाणु हथियार को अलग-अलग लक्ष्यों पर दागा जा सकता था।
  - इस तकनीक के जरिए मिसाइल से अलग-अलग गति के साथ अलग-अलग दिशाओं में हथियार दागे जा सकते हैं।
- **पहला देश: संयुक्त राज्य अमेरिका** MIRV तकनीक विकसित करने वाला पहला देश था।
  - यह तकनीक रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन के पास भी है।
  - पाकिस्तान ने 2017 में कथित तौर पर MIRV तकनीक से लैस अबाबील नामक एक मिसाइल का परीक्षण किया था।
- **MIRVs** को जमीन से या पनडुब्बी के जरिए समुद्र से भी लॉन्च किया जा सकता है।
  - दुश्मन की नजर में आने से बचने के लिए इन मिसाइलों को स्थल की बजाए पनडुब्बियों से दागना बेहतर विकल्प होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसी मिसाइलों को दागने वाली परमाणु पनडुब्बियों का पता लगा पाना काफी मुश्किल होता है।
- हालांकि, MIRVs का उद्देश्य शुरू में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) प्रणाली को मात देना नहीं था। फिर भी, पारंपरिक मिसाइलों की तुलना में MIRVs से लैस मिसाइल से अपना बचाव करना कहीं अधिक कठिन होता है। इसलिए, इन्हें BMD को निष्प्रभावी करने वाले कारगर जवाबी उपायों के रूप में देखा जाता है।

भारत के लिए MIRV का महत्त्व

- **निवारक/ प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि:** यह भारत के परमाणु सिद्धांत के अनुरूप है, जिसमें यह कहा गया है कि किसी दुश्मन द्वारा पहले परमाणु हमला करने पर व्यापक जवाबी कार्रवाई की जाएगी।
- **सटीकता:** यह किसी भी मौजूदा और भावी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) सिस्टम से बचने की भारत की क्षमता को मजबूत करेगा।
- **सैन्य बलों का आधुनिकीकरण:** भविष्य में भारत की अन्य बैलिस्टिक मिसाइलों पर भी MIRV को लगाया जा सकता है।
- **क्षेत्रीय शक्ति संतुलन:** यह भारत की स्थिति को इसके पड़ोसी देशों (चीन और पाकिस्तान) की तुलना में मजबूत बनाता है और भारत को एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करता है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

अग्नि-5 मिसाइल

- **इसके बारे में:** यह DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित **सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल** है।
  - बैलिस्टिक मिसाइल, प्रोजेक्टाइल मोशन के जरिए हथियार को लक्ष्य तक पहुंचाती है।
- **रेंज:** अत्यधिक सटीकता के साथ 5,000 कि.मी. से अधिक दूरी तक मारक क्षमता।
- इसे **एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP)** के तहत विकसित किया गया है।
- डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में IGMDP को 1983 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य भारत को मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था।
  - **IGMDP के तहत विकसित की गई मिसाइलें:**
    - **पृथ्वी:** यह कम दूरी की **सतह-से-सतह** पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है।
    - **अग्नि:** यह मध्यम दूरी की **सतह-से-सतह** पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है।
    - **त्रिशूल:** यह कम दूरी की **सतह से हवा** में मार करने वाली मिसाइल है। इसे कम ऊंचाई के लक्ष्यों पर वार करने हेतु उपयोग में लाया जाता है।
    - **आकाश:** यह मध्यम दूरी की **सतह-से-हवा** में मार करने वाली मिसाइल है।
    - **नाग:** यह तीसरी पीढ़ी की **एंटी टैंक** मिसाइल है।

मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल (MIRV)

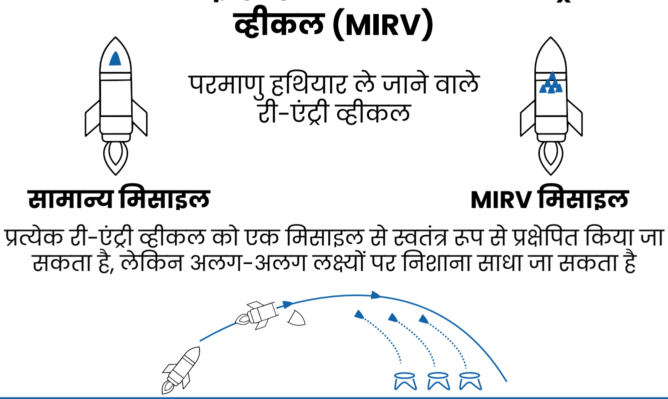

MIRV तकनीक से जुड़ी चुनौतियां

- **कमजोर पक्ष:** खास तौर से जमीन पर तैनात की गई MIRV मिसाइलें **सुभेद्य** हो सकती हैं, क्योंकि मिसाइलों पर लगे कई वारहेड दुश्मन द्वारा हमले की स्थिति में असुरक्षित होते हैं। साथ ही, ये संकट के समय किसी दुश्मन देश को पहले हमला करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।
- **हथियार बनाने की होड़:** MIRV मिसाइलों की मौजूदगी ने संकट के समय पहले हमला करके नुकसान पहुंचाने की संभावना को जन्म दिया है। इससे **हथियारों की होड़ और अस्थिरता,** दोनों बढ़ सकती है।
- **अन्य चुनौतियां:** इसके विकास ने और भी कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, जिनमें शामिल हैं:
  - छोटे आकार के हथियारों का विकास,
  - उन्नत मार्गदर्शन प्रणालियों का विकास,
  - अतिरिक्त विखंडनीय पदार्थ (जैसे- प्लूटोनियम) की आवश्यकता आदि।

7.5.4. सेटेलाइट-आधारित टोल संग्रहण प्रणाली (Satellite-Based Toll Collection System)

संदर्भ

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह से संबंधित प्रावधानों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 में संशोधन किया है।

विश्लेषण

GNSS-आधारित टोल संग्रहण के बारे में

- **कार्यप्रणाली:** यह किसी वाहन की स्थिति को ट्रैक करने और तय की गई दूरी के आधार पर टोल एकत्र करने के लिए उपग्रह-आधारित इमेजिंग का उपयोग करता है।
- **मुख्य घटक:**
  - **ऑनलाइन बोर्ड यूनिट (OBU):** वाहनों द्वारा राजमार्गों पर तय की गई दूरी को मापने के लिए एवं टोल की गणना करने के लिए वाहन में GNSS-आधारित डिवाइस लगाया जाता है।
  - **ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर (ANPR) कैमरे:** इन कैमरों को वाहनों की नंबर प्लेट को पहचानने और टोल के पैसे काटने के लिए राजमार्गों पर लगाया जाएगा।
    - ANPR एक ऐसी तकनीक है, जो वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर को पहचानने के लिए रजिस्ट्रेशन प्लेट की इमेज पर **ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन** का उपयोग करती है। इससे वाहन की लोकेशन का भी पता चल जाता है।
- **लाभ:**
  - यह राजमार्ग पर **टोल बूथ/ प्लाजा** बनाने की जरूरत को कम करता है।
  - इससे ट्रैफिक जाम कम होता है।
  - यह टोल वसूली की प्रभावशीलता को बढ़ाता है।
- **चुनौतियां:**
  - सिग्नल में व्यवधान या गलत रीडिंग;
  - गोपनीयता संबंधी चिंताएं;
  - पुराने वाहनों को GNSS तकनीक से लैस करने की जरूरत होगी; आदि।
- **जर्मनी और सिंगापुर** जैसे देशों में पहले ही GNSS-आधारित टोल सिस्टम लागू किया जा चुका है।
- भारत के पास अपना स्वयं का **सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम** है:
  - **GAGAN** (GPS-एडेड GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन), और
  - **NavIC** (नेविगेशन विद इंडियन कांस्टेलेशन)।

GPS आधारित टोल संग्रह प्रणाली

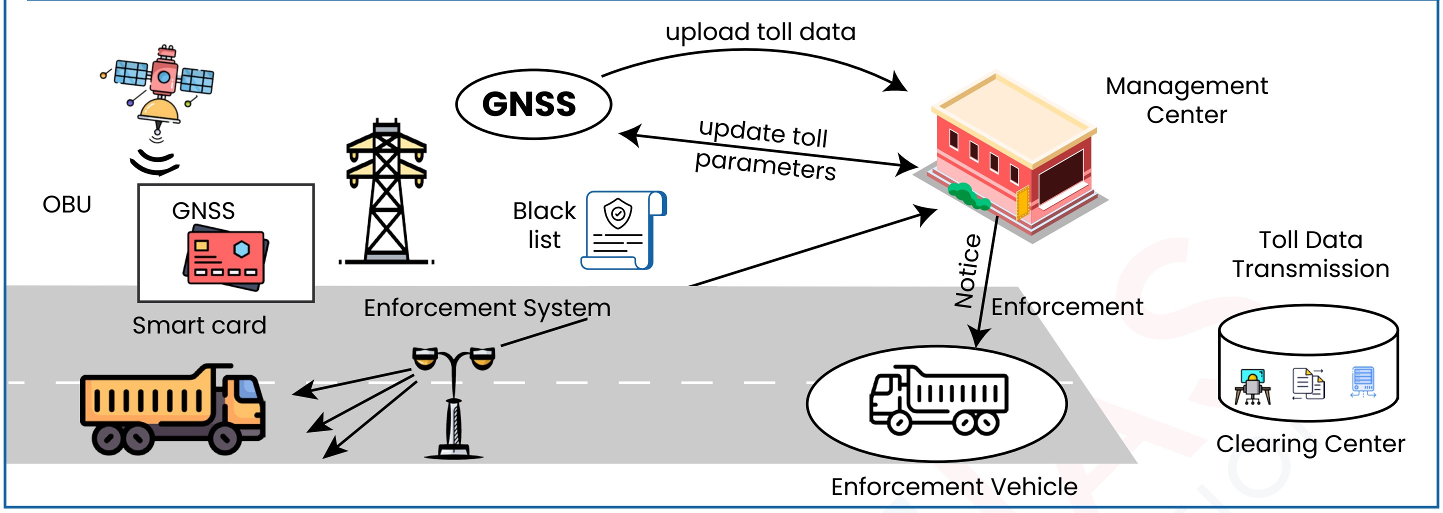

फास्टैग (FASTags) और सैटेलाइट-आधारित टोल संग्रहण के बीच अंतर

मापदंड	FASTags	सैटेलाइट-आधारित टोल संग्रहण
तकनीक	'रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन' (RFID)	सैटेलाइट-बेस्ड इमेजिंग और **ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर (ANPR) कैमरे**
वाहनों के लिए आवश्यक आवश्यक उपकरण	फास्टैग (RFID टैग) विंडस्क्रीन पर चिपकाया जाता है	GNSS कनेक्टिविटी के साथ OBU
टोल टैक्स की गणना	टोल की दरें पहले से ही निर्धारित होती हैं	राजमार्ग पर तय की गई वास्तविक दूरी के हिसाब से टोल का भुगतान होगा
टोल प्लाजा की आवश्यकता	**FASTag** को स्कैन करने के लिए राजमार्ग पर टोल प्लाजा का होना आवश्यक है	इसकी जरूरत नहीं होती है

7.6. प्रश्नोत्तरी

MCQs

Q1. यदि कोई बड़ा सौर तूफान (सौर ज्वाला) पृथ्वी पर पहुंचता है, तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन-से संभावित प्रभाव होंगे? (यूपीएससी, 2022)

1. जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम विफल हो सकते हैं।
2. भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में सुनामी आ सकती है।
3. पावर ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं।
4. पृथ्वी के अधिकांश भाग पर तीव्र ध्रुवीय ज्योति की परिघटना हो सकती है।
5. ग्रह के अधिकांश भाग पर जंगल में आग लग सकती है।
6. उपग्रहों की कक्षाएं बाधित हो सकती हैं।
7. ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर उड़ने वाले विमानों का शॉर्टवेव रेडियो संचार बाधित हो सकता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) केवल 1, 2, 4 और 5
(b) केवल 2, 3, 5, 6 और 7
(c) केवल 1, 3, 4, 6 और 7
(d) 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7

Q2. निम्नलिखित में से किसे घोस्ट पार्टिकल कहा जाता है?

(a) ग्राफीन
(b) न्यूट्रॉन
(c) हिग्स बोसोन
(d) यूरेनियम

Q3. जीनोम अनुक्रमण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका अर्थ है किसी व्यक्ति के डीएनए के स्ट्रैंड में बेस पेयर के सटीक क्रम का निर्धारण करना।
2. यह भ्रूण में आनुवंशिक विकारों की पहचान करने में मदद करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q4. "3D प्रिंटिंग" का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है?

1. कन्फेक्शनरी आइटम तैयार करना
2. बायोनिक कान का निर्माण
3. ऑटोमोटिव उद्योग
4. पुनर्निर्माण सर्जरी
5. डेटा प्रोसेसिंग तकनीक

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) केवल 1, 3 और 4
(b) केवल 2, 3 और 5
(c) केवल 1 और 4
(d) 1, 2, 3, 4 और 5

Q5. कोर लोडिंग और क्रिटिकलिटी के बारे में कभी-कभार निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में चर्चा की जाती है?

(a) फास्ट ब्रीडर रिएक्टर

(b) ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन

(c) आदित्य L1

(d) कोई नहीं

प्रश्न

1. फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्रक में क्रांति लाएगा। स्पष्ट कीजिए। (150 शब्द)
2. नैनो टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं और यह कृषि क्षेत्रक में किस प्रकार सहायक है? (250 शब्द)

संस्कृति (Culture)

विषय-सूची

8.1. स्थापत्य कला 222
- 8.1.1. स्मारकों को संरक्षित सूची से हटाना 222

8.2. व्यक्तित्व 224
- 8.2.1. भगवान महावीर जैन 224
- 8.2.2. लचित बोरफुकन 225
- 8.2.3. नाना जगन्नाथ शंकरसेठ 227
- 8.2.4. अय्या वैकुंड स्वामीकल 228

8.3. भारत में जनजातियां 229
- 8.3.1. सोलिगा जनजाति 229
- 8.3.2. शोम्पेन जनजाति 229
- 8.3.3. लुशाई जनजाति 229
- 8.3.4. डेडा विधि 230

8.4. ऐतिहासिक घटनाएं 231
- 8.4.1. वायकोम सत्याग्रह 231
- 8.4.2. रंगभेद व्यवस्था 232

8.5. विविध 234
- 8.5.1. जियो-हेरिटेज साइट्स 234
- 8.5.2. मध्य प्रदेश के छह सांस्कृतिक धरोहर स्थल यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किए गए 236
- 8.5.3. यूनेस्को के "मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड (MOW)-एशिया-पैसिफिक रीजनल रजिस्टर" 236
- 8.5.4. 10 नए उत्पादों को GI टैग मिला 237
- 8.5.5. भारत में बुनाई की शैलियां 238
- 8.5.6. वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी 240
- 8.5.7. पड़ता बेट 240
- 8.5.8. तेलंगाना में नए पुरातत्व स्थल 240
- 8.5.9. कला के विभिन्न रूप और डिजिटल प्रौद्योगिकियां 240
- 8.5.10. अवार 241

8.6. प्रश्नोत्तरी 242

8.1. स्थापत्य कला (ARCHITECTURE)

8.1.1. स्मारकों को संरक्षित सूची से हटाना (DELISTING OF MONUMENTS)

संदर्भ

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने **24** "लुप्त" (Untraceable) स्मारकों में से **18** स्मारकों को **"स्मारकों की केंद्रीय संरक्षित सूची"** से हटाने की घोषणा की है।

विश्लेषण

- ASI का मानना है कि इन **स्मारकों का अब राष्ट्रीय महत्त्व नहीं** रह गया है। इन्हीं स्मारकों में से 18 स्मारकों को संरक्षित सूची से हटाने का निर्णय लिया गया है।
- **लुप्त हो गए स्मारक** ASI द्वारा संरक्षित स्मारक थे। कई वजहों से **इन स्मारकों की सटीक अवस्थिति और दशा** का निर्धारण करना संभव नहीं हो पा रहा था। इन वजहों में तीव्र शहरीकरण, दूरदराज की जगह पर स्थित होने के कारण पता लगाने में कठिनाइयां, घने वनों में गुम होना आदि शामिल हैं।
- **जिन स्मारकों को केंद्रीय संरक्षित सूची से हटाया जाना:** उनमें शामिल हैं- **हरियाणा के मुजेसर गांव में स्थित कोस मीनार नंबर 13 (कोस मी)**, झांसी जिले में **गनर बुर्किल के मकबरे,** वाराणसी में **तेलिया नाला बौद्ध खंडहर,** आदि।
- **मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल के दौरान बनी** कोस-मीनारें भारतीय इतिहास में **'सड़क पर मील के पत्थर' के आरंभिक उदाहरणों में शामिल हैं।**
- ASI ने यह निर्णय केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा **"भारत में लुप्त स्मारक और स्मारकों के संरक्षण से संबंधित मुद्दे"** शीर्षक से संसद में प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया है।

स्मारकों की सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां

- **एक जैसा प्रतिबंध:** AMASR अधिनियम सभी स्मारकों के आसपास **एक ही जैसा निषिद्ध (100 मीटर) और विनियमित क्षेत्र (200 मीटर)** का प्रावधान करता है, भले ही स्मारक विशिष्ट या महत्वपूर्ण ही क्यों न हो। इस प्रावधान के कारण पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित नहीं हो पाते हैं, विशेष रूप से महत्वपूर्ण स्मारकों के मामले में।
- **लघु स्मारकों की उपेक्षा:** राष्ट्रीय या राज्य सूची में शामिल नहीं होने वाले **लघु स्मारकों के लिए कानूनी सुरक्षा का अभाव है।** इस कारण **इस तरह के स्मारक विकास के दबाव का सामना करते हैं और उपेक्षा के शिकार** हो जाते हैं।
- **ASI की सीमित शक्तियां: अतिक्रमण हटाने के लिए स्थानीय प्रशासन पर निर्भरता और स्मारक को राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित करने संबंधी अधिसूचनाओं के प्रकाशन में देरी** की वजह से ASI स्मारकों का प्रभावी तरीके से संरक्षण नहीं कर पाता है।
- **संरक्षण के लिए मानव संसाधन की कमी:** ASI के पास अधिक संख्या में **कर्मचारी नहीं है, और उसका बजट भी काफी कम** है। इसके चलते स्मारकों का सही से संरक्षण नहीं हो पाता है। इन वजहों से स्मारक के भीतर मौजूद दुर्लभ वस्तुएं चोरी हो जाती हैं या स्मारकों को क्षति भी पहुंचाई जाती है।
  - केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, **3693 संरक्षित स्मारकों में से केवल 248 पर गार्ड तैनात हैं।**

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष, (AMASR) अधिनियम, 1958

- यह कानून **राष्ट्रीय महत्त्व के प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों एवं अवशेषों के संरक्षण** का प्रावधान करता है।
- यह **पुरातात्विक उत्खनन का विनियमन तथा मूर्तियों, नक्काशी और अन्य वस्तुओं की सुरक्षा का भी प्रावधान** करता है।
- इस अधिनियम की धारा 4 केंद्र सरकार को प्राचीन स्मारकों आदि को **राष्ट्रीय महत्त्व का स्थल** घोषित करने का अधिकार देती है।
- **AMASR (संशोधन और मान्यता) अधिनियम, 2010** के तहत **राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (NAM) की स्थापना** की गई है।
- **NMA के कार्य:**
  - यह प्राधिकरण **केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के आसपास निषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के प्रबंधन करके स्मारकों और स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित** करता है।
  - यह **निषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में निर्माण संबंधी गतिविधि** के लिए **आवेदकों को भी** अनुमति भी देता है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India: ASI)

- **उत्पत्ति:** इसकी स्थापना **1861** में **अलेक्जेंडर कनिंघम** ने की थी। कनिंघम को "भारतीय पुरातत्व का जनक" माना जाता है।
- **संबंधित मंत्रालय:** संस्कृति मंत्रालय
- **ASI के बारे में:** यह **सांस्कृतिक विरासत से संबंधित प्राचीन स्मारकों के पुरातात्विक अनुसंधान, संरक्षण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार** प्रमुख संगठन है।
- **सौंपे गए कार्य:**
  - यह **प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष (AMASR) अधिनियम, 1958** तथा **पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972** के प्रावधानों के अनुसार देश में सभी पुरातात्विक गतिविधियों को नियंत्रित करता है।
  - यह विश्व धरोहर संपत्ति आदि सहित **केंद्र स्तर पर संरक्षित स्मारकों (CPMs)/ राष्ट्रीय महत्त्व के स्थलों की सुरक्षा और रखरखाव के प्रभारी** की भूमिका निभाता है।

सिफारिशें:

- **अलग-अलग स्मारकों के लिए संरक्षण हेतु अलग-अलग उपाय:** सभी संरक्षित स्मारकों के लिए अलग-अलग आकार के निषिद्ध और विनियमित क्षेत्र का प्रावधान करने हेतु एक फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है। इससे स्मारकों की उनकी विशिष्ट जरूरत के अनुसार संरक्षण सुनिश्चित हो सकेगा।
- **संरक्षण एजेंसियों में नियुक्ति मानदंड में लचीलापन: राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (NMA)** में पदों पर नियुक्तियों से जुड़े मानदंड में संशोधन की जरूरत है ताकि ASI या संस्कृति मंत्रालय के अनुभवी पेशेवरों को भी इनमें नियुक्त किया जा सके।
- **वैधानिक कवरेज:** "राष्ट्रीय महत्व के घोषित स्मारकों के अलावा अन्य प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों" को **समवर्ती सूची में शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन किया** जाना चाहिए।
  - इससे केंद्र सरकार को संघ सूची या राज्य सूची में शामिल नहीं होने वाले स्मारकों और स्थलों के संरक्षण हेतु प्रावधान करने के लिए सक्षम बनाएगा।
- **ASI को सशक्त बनाना:** संसदीय स्थायी समिति ने संस्कृति मंत्रालय को राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारक की अंतिम **अधिसूचना प्रकाशित करने के लिए ASI के लिए समय-सीमा निर्धारित करने की सिफारिश** की है।
  - स्मारकों के नजदीक **अतिक्रमण की समस्या से निपटने के लिए भारतीय वन अधिनियम, 1927** के तहत अतिक्रमण के प्रावधानों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।

केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची से स्मारकों को हटाने के बारे में

- केंद्रीय सूची से हटाने का कार्य **प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष, (AMASR) अधिनियम, 1958** की धारा 35 के अनुसार किया जाता है।
- एक बार जब किसी स्मारक को इस सूची से हटा दिया जाता है, तो स्मारक के आसपास के क्षेत्र में नियमित निर्माण कार्य और शहरीकरण संबंधी गतिविधियां फिर से आरंभ की जा सकती हैं।
- यह धारा **केंद्र सरकार को यह घोषित** करने का अधिकार देती है कि कोई **प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक या पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष राष्ट्रीय महत्त्व** का नहीं रह गया है।
- गौरतलब है कि **AMASR अधिनियम में "लुप्त स्मारक"** नामक किसी शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। स्मारकों के लिए इस शब्दावली का पहली बार इस्तेमाल नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (CAG) की ऑडिट टीम ने अपनी रिपोर्ट में किया था।
- भारत के संविधान का अनुच्छेद 49 राज्य को **देश भर में राष्ट्रीय महत्त्व वाले कलात्मक या ऐतिहासिक स्मारक या स्थान या वस्तु का संरक्षण करने का निर्देश** देता है।

राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारक

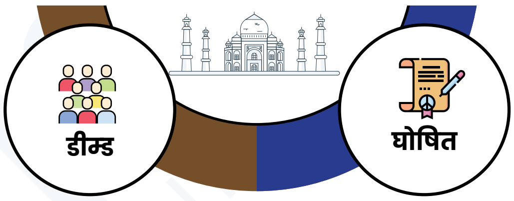

AMASR अधिनियम की धारा 3 के तहत, इसमें ऐसे **सभी प्राचीन** और **ऐतिहासिक स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल और अवशेष** शामिल हैं जिन्हें निम्नलिखित द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व का स्मारक घोषित किया गया है:

- **प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल और अवशेष (राष्ट्रीय महत्त्व की घोषणा) अधिनियम, 1951**, या
- **राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956** की **धारा 126** के तहत **राष्ट्रीय महत्त्व** का हो।

AMASR अधिनियम की **धारा 4** के तहत, इसमें **कोई भी प्राचीन स्मारक** या **पुरातात्विक स्थल** और **अवशेष** शामिल हैं।

- इन्हें केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के जरिए राष्ट्रीय महत्त्व का स्मारक घोषित किया जाता है। ये धारा 3 के तहत शामिल स्मारक नहीं होते हैं।

8.2. व्यक्तित्व (PERSONALITIES)

8.2.1. भगवान महावीर जैन (MAHAVIR JAIN)

संदर्भ

हाल ही में **प्रधान मंत्री** ने महावीर जयंती के अवसर पर **भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव** का उद्घाटन किया।

विश्लेषण

भगवान महावीर की शिक्षाओं की समसामयिक प्रासंगिकता

- **संघर्षों के समाधान में:** महावीर स्वामी की शिक्षाओं को अपनाकर मौजूदा संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सकता है तथा हिंसा, सशस्त्र संघर्ष एवं युद्ध को टाला जा सकता है।
- **"अहिंसा" सिद्धांत** सभी प्रकार की हिंसा से दूर रहने; **अस्तेय** (चोरी नहीं करना) सिद्धांत दूसरों की संपत्ति और विचारों का सम्मान करने वाले अधिकारों का समर्थन करता है।
- **उपभोक्तावाद पर अंकुश लगाने में:** भगवान महावीर की शिक्षाएं सरल और सादगी भरा जीवन व्यतीत करने का संदेश देते हुए अनावश्यक विलासिता की वस्तुओं के प्रति आसक्त होने से बचाती है।
  - **अपरिग्रह (धन का संग्रह नहीं करना)" सिद्धांत:** आधुनिक समय में भौतिकवाद, लालच जैसी समसामयिक बुराइयों को दूर कर सकता है।
- **माइंडफुलनेस या सचेतनता को बढ़ावा देने में:** महावीर स्वामी ने आत्म-अनुशासन, आत्म-सजगता और आंतरिक शांति पर बल दिया है। ये सब शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देंगे।
  - **ब्रह्मचर्य** (इन्द्रियों को वश में करना) सिद्धांत आत्म-संयम पर बल देता है। इसके पालन से तनाव संबंधी विकार कम होते हैं।
- **व्यवसाय में नैतिकता का पालन: महावीर स्वामी ने लोगों को अपने सभी कार्यों और व्यवहार में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता का पालन करने की शिक्षा** दी है। यदि इन्हें अपना लिया जाता है तो यह व्यवसाय में नैतिकता का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना।
  - **"सत्य"** सिद्धांत संवाद और कार्यों में **ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता को प्रोत्साहित** करता है तथा विश्वास निर्माण और स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
- **सामाजिक सहिष्णुता:** वर्तमान में, अलग-अलग धर्मों के बीच विचारधाराओं में अंतर समाज में मौजूदा कई अपराधों जैसे ईशनिंदा, मॉब लिंचिंग, धार्मिक दंगे आदि का कारण बन रहे हैं।
  - **जैन दर्शन का अनेकांतवाद (वस्तु के अनेक गुणधर्म) सिद्धांत:** सत्य को अनेक या विविध कोणों या विचारों से परखने पर बल देता है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

महावीर स्वामी के बारे में

- महावीर स्वामी जैन धर्म के **24वें तीर्थंकर** थे। उन्हें जैन धर्म को मौजूदा स्वरूप देने का श्रेय दिया जाता है। **उनका जन्म छठी शताब्दी** ई.पू. में हुआ था।
  - वे महात्मा बुद्ध के समकालीन थे।
- **जन्म: महावीर स्वामी** का **जन्म कुंडग्राम** (आधुनिक बिहार में वैशाली के करीब) में **इक्ष्वाकु वंश के राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के शाही क्षत्रिय परिवार** में हुआ था। उनके बचपन का नाम वर्धमान था।
- **गृह त्याग:** उन्होंने **30 वर्ष की आयु में** अपना राजसी जीवन, परिवार और सांसारिक संपत्ति का त्याग करके **संन्यास का रूप धारण** कर लिया था।
- **कैवल्य (ज्ञान की प्राप्ति):** कई वर्षों के गहन ध्यान, तपस्या और आत्म-संयम के बाद, **महावीर स्वामी को 42 वर्ष की आयु में कैवल्य ज्ञान (पूर्ण ज्ञान)** की प्राप्ति हुई। कैवल्य की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी **'जिन'** कहलाए।

भगवान महावीर के उपदेश

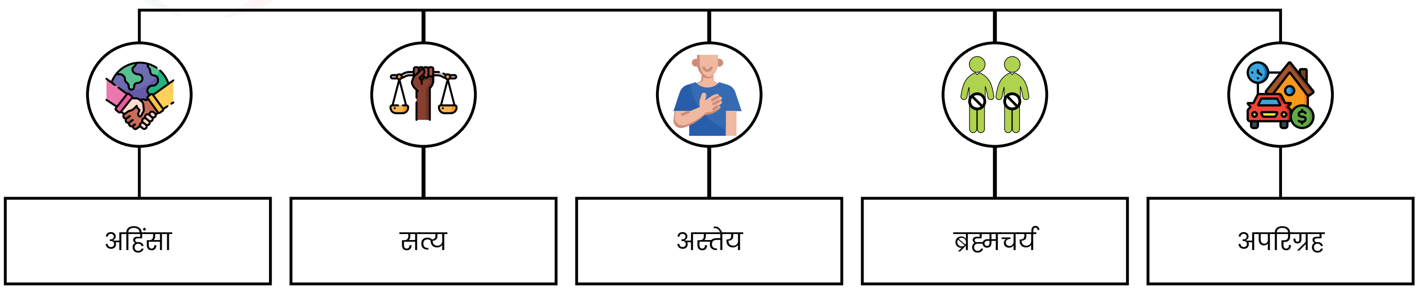

8.2.2. लचित बोरफुकन (LACHIT BORPHUKAN)

संदर्भ

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने **असम के जोरहाट में लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा "स्टैच्यू ऑफ वेलर" (वीरता की प्रतिमा)** का अनावरण किया। लचित बोरफुकन, **अहोम साम्राज्य की शाही सेना के प्रसिद्ध सेनापति** थे।

विश्लेषण

लचित बोरफुकन (1622-1672) के बारे में

- **जन्म स्थान:** उनका **जन्म असम के चराइदेव जिले** में हुआ था।
- **माता:** उनकी माता का नाम **कुंती मोरन** था।
- **पिता:** उनके पिता का नाम **मोमाई तमुली बोरबरुआ** था।
    - उनके पिता अहोम साम्राज्य के **प्रथम बोरबरुआ** (सैन्य और न्यायिक प्रमुख) थे।
    - उन्होंने अहोम सेना के **बरफुकन** (सेनापति) के रूप में, मुगल बादशाह **जहांगीर और शाहजहां** की **सेनाओं के खिलाफ अदम्य साहस के साथ लड़ाई लड़ी।**
    - वे **पाइक प्रथा के संस्थापक** भी थे। पाइक प्रथा अहोम साम्राज्य में **जबरन श्रम यानी बेगार** की एक प्रथा थी।
- **कबीला:** अहोम समुदाय में कई कबीले/ कुल थे। लचित बोरफुकन **लुखुराखुन कबीले** से थे।
- **सेनापति के रूप में भूमिका:** राजा स्वर्गदेव चक्रध्वज सिंह ने **लचित बोरफुकन** को सेनापति नियुक्त किया था।
    - सेनापति के रूप में लचित बोरफुकन ने **सराईघाट के युद्ध** में अहोम सेना का नेतृत्व किया था और इस युद्ध में **विजय प्राप्त की।**

लचति बोरफुकन

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

सराईघाट का युद्ध (1671)

- **पृष्ठभूमि:**
    - **1662 में, मीर जुमला** के नेतृत्व में मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना ने अहोम साम्राज्य को पराजित किया और **इसे कर-आधारित सूबा में शामिल कर लिया।**
    - **1669 में, राम सिंह** के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने **अलाबोई के युद्ध** में **गुवाहाटी पर अधिकार** कर लिया था।
- **युद्ध मैदान:** यह युद्ध वर्तमान भारतीय राज्य असम के गुवाहाटी शहर के निकट सराईघाट में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर लड़ा गया था।
- **युद्ध में शामिल पक्ष:** यह युद्ध काफी हद तक एक **नौसैनिक युद्ध** था। **अहोम सेना** का नेतृत्व **लचित बोरफुकन** ने किया था, जबकि **मुगल सेना** की कमान **सेनापति राम सिंह** ने संभाली थी।
- **युद्ध का परिणाम:** लचित बोरफुकन के नेतृत्व में **अहोम सेना** ने अपने से बड़ी **मुगल सेना** को **निर्णायक रूप से पराजित** किया। इस तरह उन्होंने अहोम साम्राज्य पर कब्ज़ा करने के मुगलों के मंसूबे पर पानी फेर दिया।
- **युद्ध का महत्त्व:** इस युद्ध ने **मुगलों को असम** और **मौजूदा पूर्वोत्तर भारत के शेष क्षेत्रों की ओर बढ़ने से रोक दिया।**

भारत के अन्य महत्वपूर्ण स्टैच्यू

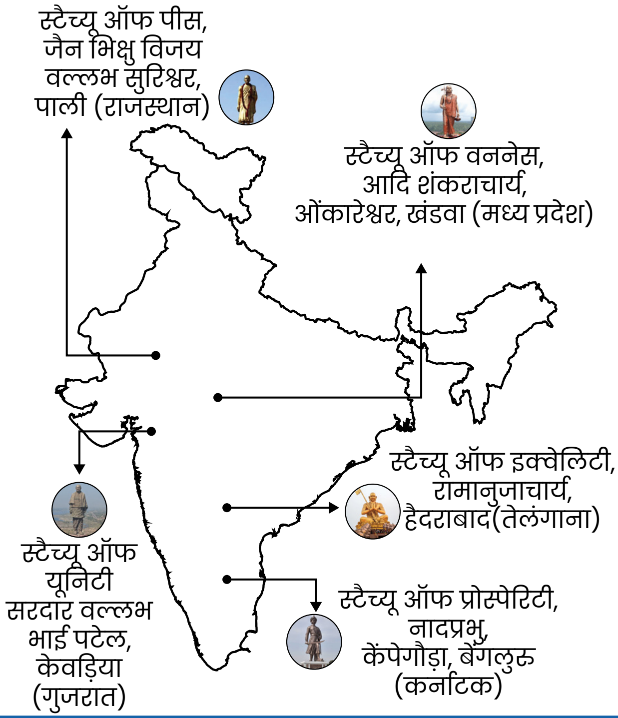

अहोम साम्राज्य (1228 से 1826) के बारे में

साम्राज्य	▸ **संस्थापक:** इस साम्राज्य का संस्थापक **मोंग माओ** का एक **शान राजकुमार, सुकाफा** था। वह **पटकाई पर्वत श्रेणी** को पार करके असम आया था। ▸ **स्थापना:** अहोम लोग **मौजूदा म्यांमार से 13वीं शताब्दी में** ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। ▸ **क्षेत्र का विस्तार: 16वीं शताब्दी में, सुहंगमुंग** के शासनकाल में अहोम ने **चुटियों** और **कोच-हाजो** के शासन वाले क्षेत्रों को अपने राज्य में मिला लिया था। ▸ **राजधानी: चराइदेव** अहोम राजवंश की पहली राजधानी थी। यह मौजूदा गुवाहाटी के पूर्व में स्थित था। 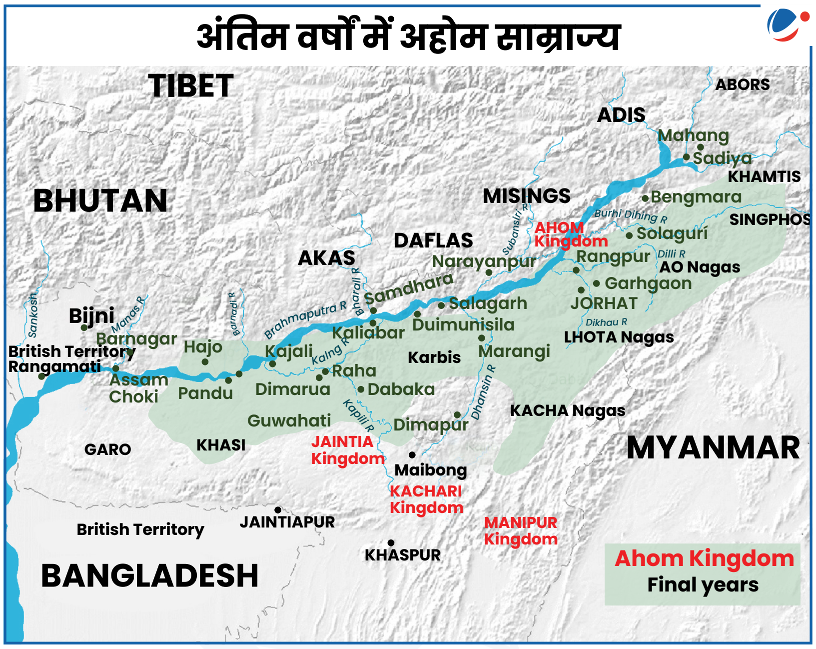
समाज	▸ **कबीला:** अहोम समाज, **कुलों/ कबीलों** में विभाजित था, जिन्हें **"खेल"** कहा जाता था। एक **खेल** के **नियंत्रण में प्रायः कई गांव** होते थे। » **किसान को अपने ग्राम समुदाय द्वारा जमीन दी जाती थी।** समुदाय की सहमति के बगैर राजा इसे वापस नहीं ले सकता था। ◊ अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रकार **अहोम कुल** टूट गए।
राजनीतिक विशेषताएं	▸ **पुरानी राजनीतिक-व्यवस्था की समाप्ति:** अहोम ने **भुइयां (भू-स्वामी) लोगों की** पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को समाप्त करके नए राज्य की स्थापना की। ▸ **जबरन श्रम प्रणाली- पाइक:** अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था, वे **पाइक** कहलाते थे। » अहोम साम्राज्य में एक **जनगणना** की गई। इसके अनुसार, प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे।
प्रशासन	▸ **केंद्रीकृत प्रशासन:** सत्रहवीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध के पूरा होते-होते अधिकांश प्रशासन केंद्रीकृत हो चुका था। ▸ **मंत्रिपरिषद:** » **राजा** की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद थी। इसे **पात्र मंत्री** के नाम से जाना जाता था। » **सबसे प्रमुख पात्र मंत्री महान गोहेन** (बुरागोहेन, बोरगोहेन और बरपात्रागोहेन) थे। ▸ **महत्वपूर्ण पदाधिकारी:** बोरबरुआ (सैन्य और न्यायिक प्रमुख) और बोरफुकन (सेनापति और नागरिक प्रमुख) » **बोरफुकन का पद वायसराय** के समान था।
अर्थव्यवस्था	▸ **कारीगर:** अहोम साम्राज्य में **कारीगरों की बहुत कम जातियां** थी। इसलिए, अहोम क्षेत्र में कारीगर निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। ▸ **नई कृषि पद्धतियां:** अहोम लोगों ने **धान की खेती की नई विधि** भी शुरू की।
सैन्य रणनीति	▸ **अनिवार्य सैन्य सेवा:** लगभग **सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में शामिल** होते थे। ▸ **सैन्य रणनीति:** » शत्रुओं की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए **जासूसों की नियुक्ति की जाती थी। इसके अलावा, गुरिल्ला युद्ध रणनीति भी अपनाई जाती थी।** » **कटकी** नामक अधिकारी शत्रुओं के शिविर में **संदेशवाहक** के रूप में कार्य करते थे। ▸ **नौसेना शक्ति:** अहोम सैन्य प्रणाली में नौसेना सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली बल था। ▸ **सैन्य प्रभाग:** सैन्य प्रभाग में एक **हस्ती (हाथी) सेना** भी शामिल थी। **हतिबरुआ** नामक अधिकारी हस्ती सेना का सेनापति था।
धर्म	▸ शुरुआत में अहोम लोग, अपने **जनजातीय देवताओं** की उपासना करते थे। हालांकि, **सिब सिंह (1714-1744) के शासनकाल में हिंदू धर्म** वहां का प्रमुख धर्म बन गया था।

शवाधान की पद्धति (चराइदेव मैदाम या मोइदम्स)	◗ **शवाधान पद्धति के बारे में:** चराइदेव मैदाम या मोइदम्स **टीलेनुमा संरचनाएं** होती थीं। इनमें **अहोम राजपरिवार के सदस्यों को दफनाया** जाता था। ये टीले **पटकाई पर्वत श्रृंखला की तलहटी में पाए गए हैं।** ◗ **लचित मैदाम:** इसमें **लचित बोरफुकन** को दफनाया गया था। इस **मैदाम** का निर्माण 1772 में **स्वर्गदेव उदयादित्य सिंह ने जोरहाट के पास हुलुंगापारा में करवाया था।** ◗ **वैश्विक मान्यता:** » चराइदेव मैदाम या मोइदम्स को आमतौर पर **असम के पिरामिड** के नाम से जाना जाता है। » ये **यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची** में शामिल हैं।
कला और संस्कृति	◗ **कारीगर: कवियों और विद्वानों** को **अनुदान के रूप में भूमि** दी जाती थी। ◗ **बुरंजी:** यह **असमिया भाषा** में लिखी हुई **ऐतिहासिक कृतियाँ** हैं। अहोम राज्य सभा के पुरातत्व लेखों का संकलन बुरंजी में हुआ है। » इनकी रचना **शुरुआत में ताई-अहोम भाषा में की गई थी,** लेकिन बाद में अहोम लोगों के हिंदू धर्म में धर्मान्तिरित होने के बाद इन्हें **असमिया भाषा** में लिखा गया। ◗ **संस्कृत की पुस्तकों का अनुवाद:** संस्कृत की कई महत्वपूर्ण रचनाओं का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया।
शासन का अंत	◗ अहोम राजवंश का शासन **असम पर बर्मी आक्रमण** और फिर **याण्डबू की संधि (1826)** के बाद **ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिकार कर लेने** के साथ ही समाप्त हो गया।

8.2.3. नाना जगन्नाथ शंकरसेठ (NANA JAGANNATH SHANKARSETH)

संदर्भ

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय से **मुंबई सेंट्रल स्टेशन** का नाम बदलकर **नाना जगन्नाथ शंकरसेठ** करने का आग्रह करने का फैसला किया है।

विश्लेषण

- **प्रमुख योगदान**
  - **मुंबई के वास्तुकार:** उन्होंने बॉम्बे में इमारतों, सड़कों और मार्गों की योजना बनाने के लिए प्रमुख परियोजनाओं का नेतृत्व किया। उनके कार्यों की वजह से उन्हें **मुंबई (तब बॉम्बे) का वास्तुकार** कहा जाता है।
  - **शिक्षा संरक्षण:** वह शिक्षा के संरक्षक थे और उन्होंने स्कूल स्थापित करने के लिए **परिवार के स्वामित्व वाली भूमि दान की** थी। उन्होंने विशेष रूप से **बालिकाओं की शिक्षा** के लिए काम किया था।
    - ◊ उन्होंने **बॉम्बे नेटिव स्कूल** की स्थापना की थी। कालांतर में यही स्कूल **एलफिंस्टन कॉलेज** के रूप में विकसित हुआ।
  - **सांस्कृतिक और विरासत:** उन्होंने भायखला **में डॉ. भाऊ दाजी लाड संग्रहालय** को बढ़ावा देने के साथ-साथ भवानी शंकर मंदिर और राम मंदिर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - रेलवे परियोजना: वे उस समिति का हिस्सा थे, जो **1853** में बोरीबंदर और ठाणे के बीच चली भारत की पहली ट्रेन परियोजना के विकास से संबंधित थी।
  - **राजनीतिक योगदान:**
    - ◊ वे **बॉम्बे विधान परिषद में मनोनीत होने वाले पहले भारतीय** थे, और
    - ◊ उन्होंने बॉम्बे **एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।**
    - ◊ **वह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई के एक भारतीय सदस्य** भी थे।
- **विरासत और प्रभाव:**
  - अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान **गंगाधर गाडगिल** ने उन्हें **"आधुनिक भारत का वास्तुकार"** कहा था।
  - आर्थिक राष्ट्रवाद के उनके दृष्टिकोण ने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में **दादाभाई** नौरोजी और **जस्टिस रानाडे** जैसे **स्वतंत्रता सेनानियों को प्रभावित किया।**

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

- **नाना जगन्नाथ शंकरसेठ (1803-1865) का प्रारंभिक जीवन:**
  - **जन्म:** नाना जगन्नाथ शंकरसेठ का जन्म महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मुरबाड में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था।
  - **पिता-माता:** उनके पिता का नाम शंकर मुरकुटे और माता का नाम भवानीबाई मुरकुटे था।
  - **आदर्श और प्रभाव:** वह व्यापारी और परोपकारी **सर जमशेदजी जीजीभॉय** से बहुत प्रेरित थे।

नाना जगन्नाथ शंकर सेठ

- **बॉम्बे एसोसिएशन के बारे में:** बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में नौरोजी फरदुनजी, नारायण दीनानाथजी, डॉ. भाऊ दाजी और दादाभाई नौरोजी जैसी प्रसिद्ध हस्तियों द्वारा की गई थी।
- **एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई के बारे में: एशियाटिक सोसायटी की स्थापना 1804 में सर जेम्स मैकिन्टोश ने की थी।** इसका मुख्य उद्देश्य **ओरिएंटल कला, विज्ञान और साहित्य की जांच और प्रोत्साहन को बढ़ावा देना है।**

8.2.4. अय्या वैकुंड स्वामीकल (AYYA VAIKUNDA SWAMIKAL)

संदर्भ

हाल ही में, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री अय्या वैकुंड स्वामीकल को उनकी जयंती पर याद किया।

विश्लेषण

- **अय्या वैकुंड स्वामीकल का प्रमुख योगदान:**
  - अय्या वैकुंड स्वामीकल **भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूतों में से एक** थे। उनका प्रसिद्ध नारा: **"एक जाति, एक धर्म, एक कुल, एक विश्व, एक ईश्वर"** था। इससे सभी जाति के लोगों के बीच समानता को बढ़ावा मिलता है।
  - उन्होंने **अय्यावाज़ी संप्रदाय की स्थापना** की और लोगों को अहिंसा, दान, सहिष्णुता और प्रेम के मार्ग पर चलना सिखाया।
  - **मंदिर सुधार:**
    - उन व्यक्तियों के लिए **नए मंदिर (पाथिस और निज़ल थैंकल्स) बनाए गए** थे, जिन्हें पहले मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी।
    - **थोट्टु नामम की शुरूआत** की गई। इसमें पुजारियों को जाति की परवाह किए बिना भक्तों के माथे पर पवित्र लेप लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
  - **सामाजिक पहल:**
    - शाकाहार को बढ़ावा देने के लिए **थुवायल पंथी कार्यक्रम** की शुरूआत की थी।
    - **सामपंथी-भोजन** (सामुदायिक भोजनालय) का आयोजन किया गया।
    - सामान्य कुओं की खुदाई का कार्य किया गया, जिसे **'मुथिरिकिनारस'** के नाम से जाना जाता है। इनका निर्माण निचली जातियों तक जल की पहुंच प्रदान करने के लिए किया गया था, जिन्हें पहले उच्च जाति के कुओं का उपयोग करने से रोक दिया गया था।
  - **पुस्तकें:** उन्होंने अकिला थिरुट्टू; अरुलनूल; अम्मानई जैसी पुस्तकों की रचना की।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

- **अय्या वैकुंड स्वामीकल के बारे में:**
  - **जन्म:** इनका जन्म **19वीं सदी** की शुरूआत में **तमिलनाडु में कन्याकुमारी के पास** पूवंदन थोप्पू गांव में एक गरीब नादर परिवार में हुआ था।
  - **माता-पिता:** उनके पिता का नाम पोन्नू नादर और उनकी माता का नाम वेयिलाल अम्मैयार था।

अय्या वैकुंड स्वामीकल

8.3. भारत में जनजातियां (TRIBES IN INDIA)

8.3.1. सोलिगा जनजाति (SOLIGAS TRIBE)

- सोलिगा जनजाति **एक अलग-थलग रहने वाला जनजातीय समुदाय** है। यह जनजाति केवल **कर्नाटक और तमिलनाडु** विशेष रूप से बिलिगिरी रंगना पहाड़ियों और माले महादेश्वर पहाड़ियों में निवास करती है।
  - यह समुदाय **सोलिगा/ शोलिगा/ सोलिगारू** के नाम से भी लोकप्रिय है।
  - इन्हें **'बांस के बच्चे" भी कहा जाता** है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस शब्द का अर्थ है कि इनकी उत्पत्ति बांस से हुई है।
  - इनकी बस्तियों को **'हाड़ी'** और **'पूड़'** के नाम से जाना जाता है।
  - ये लोग **"सोलिगा"** बोलते हैं जो कि एक **द्रविड़ भाषा** है।
- **अनुष्ठान और त्यौहार:** वे **सूखे के दौरान वर्षा के देवता का आह्वान** करने के लिए अनुष्ठान करते हैं एवं भोग के रूप में ताजा शहद चढ़ाते हैं।
  - उनके पारंपरिक त्यौहार **रोट्टी हब्बा, होसा रागी हब्बा, मारी हब्बा** एवं **गौरी हब्बा** आदि हैं।
  - वे **प्रकृति के प्रति अटूट श्रद्धा के साथ हिंदू धर्म का पालन** करते हैं।
- **व्यवसाय और जीवनशैली:**
  - वे जंगल के मौसमी चक्र के अनुरूप **खेती और शिकार करते** हैं।
  - सोलिगा का मुख्य **व्यवसाय लघु वन उत्पादों जैसे गोंद, शहद, साबुन नट, जड़ और कंद, इमली आदि को इकट्ठा करना** है।
  - सोलिगा **विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए 300 से अधिक जड़ी-बूटियों का उपयोग** करते हैं।
- **अन्य जानकारी:**
  - **जैव विविधता एवं संरक्षण प्रयासों में सोलिगा समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका** को मान्यता देने के लिए, ततैया की एक नई प्रजाति, **'सोलिगा एकरिनाटा'** का नाम सोलिगा समुदाय के नाम पर रखा गया है।
  - **सोलिगा वस्तुतः** टाइगर रिजर्व के अंदर रहने वाला **पहला ऐसा आदिवासी समुदाय** हैं जिसे 2011 में वन पर कानूनी अधिकार प्रदान किया गया।

8.3.2. शोम्पेन जनजाति (SHOMPEN TRIBE)

- शोम्पेन जनजाति ने पहली बार लोक सभा चुनाव में वोट डाला है।
- **शोम्पेन जनजाति के बारे में**
  - यह **विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह** (Particularly Vulnerable Tribal Group: PVTG) है।
  - यह जनजाति **ग्रेट निकोबार द्वीप** के सघन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में निवास करती है।
  - यह जनजाति **मंगोलॉइड नृजातीय समूह** से संबंधित है।
  - 2011 की जनगणना के अनुसार शोम्पेन जनजाति की **अनुमानित जनसंख्या 229** है।
  - वे **शिकारी और खाद्य संग्राहक** हैं। वे जंगली सूअर, अजगर, मॉनिटर छिपकली, मगरमच्छ आदि का शिकार करते हैं।

8.3.3. लुशाई जनजाति (Lushai Tribe)

- मिजोरम के फौंगपुई राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ अर्ध-परजीवी स्थलीय पौधा **(फेथिरोस्पर्मम लुशाइओरम/ Phtheirospermum lushaiorum)** पाया गया है।
- लुशाइओरम का नाम मिजोरम की "लुशाई" जनजाति के नाम पर रखा गया है।
- **लुशाई जनजाति के बारे में:**
  - यह **कुकी-चिन जनजाति समूह** के अंतर्गत आने वाली एक जनजाति है।
  - इन्हें आमतौर पर **मिज़ो** के रूप में जाना जाता है और नस्लीय रूप से इन्हें **मंगोलॉयड मूल** के अंतर्गत माना जाता है।
  - इनका मुख्य व्यवसाय **झूम और संतरे की खेती** है।
  - लुशाई को **हेड हंटर समुदाय** के नाम से जाना जाता है।
  - **बांस नृत्य (चेरौ-नृत्य)** इनका लोकप्रिय नृत्य है।
  - लुशाई या मिज़ो समाज पितृवंशीय (और संयुक्त परिवार) होता है जिसमें **पितृवंशीय उत्तराधिकार और विरासत के नियम विद्यमान** हैं।

8.3.4. डेडा विधि (Deda Method)

- **आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिला में मुरिया जनजाति बीजों को संरक्षित** करने की पारंपरिक विधि डेडा का इस्तेमाल कर रही है।
- **डेडा पद्धति के बारे में**
  - इस विधि में **बीजों को पत्तियों** में लपेटा जाता है। इसके बाद **गोलाकार बंडल के रूप में कसकर बांधा** जाता है और **सियाली पत्तियों के साथ बुना** जाता है।
  - ***लाभ: यह विधि बीजों को कीटों और कीड़ों से बचाती*** है। इसके अंतर्गत **बीजों को 5 साल तक संग्रहीत और उपयोग** किया जा सकता है।
- **मुरिया जनजातियों के बारे में**
  - यह **छत्तीसगढ़ के गोंड जनजाति** का उप-समूह है। यह समुदाय **छत्तीसगढ़** राज्य में रहता है।
  - इनका संबंध **बस्तर के मुरिया विद्रोह (1876)** से है। यह विद्रोह **बस्तर के दीवान गोपीनाथ कपरदास** के ख़िलाफ किया गया था।
  - **रीति-रिवाज**
    - ◊ **मृत स्तंभ (गुड़ी)**: इसके तहत मृतकों को दफनाने के बाद 6 से 7 फीट ऊंची शिला रखी/ बनाई जाती है।
    - ◊ **घोटुल:** यह एक प्रकार की कुटीर है, जहां आदिवासी युवक और युवतियां अपना जीवनसाथी चुनते हैं।

8.4. ऐतिहासिक घटनाएं (HISTORICAL EVENTS)

8.4.1. वायकोम सत्याग्रह (Vaikom Satyagraha)

संदर्भ

हाल ही में, भारत में **वायकोम सत्याग्रह की 100वीं वर्षगांठ** मनाई गई।

विश्लेषण

वायकोम सत्याग्रह के बारे में

- यह **मंदिर में प्रवेश** के लिए शुरू किया गया एक **ऐतिहासिक अहिंसक सत्याग्रह** था। यह सत्याग्रह **30 मार्च, 1924 को त्रावणकोर** रियासत (वर्तमान **केरल**) के एक शहर वायकोम में शुरू हुआ था।
  - यह सत्याग्रह हिंदू धर्म में **"निम्न समझे जाने वाली जातियों" को वायकोम के भगवान महादेव मंदिर में** प्रवेश नहीं देने के खिलाफ शुरू हुआ था।
  - शैक्षिक स्थिति और आर्थिक दर्जे में सुधार के बावजूद निम्न समझे जाने वाली जातियों, विशेषकर एझावा को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। इसी वजह से यह सत्याग्रह आरंभ हुआ था।
- सत्याग्रहियों ने **तीन समूह बनाकर मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास** किया, परंतु पुलिस ने उन्हें रोक दिया और गिरफ्तार कर लिया।
  - खादी वस्त्र और खादी टोपी पहनकर **गोविंद पणिक्कर (नायर), बहुलेयन (एझावा) और कुंजप्पु (पुलाया) ने** मंदिर में प्रवेश के **निषेधाज्ञा का उल्लंघन** किया।
  - मंदिर प्रवेश का यह आंदोलन पूरे भारत में लोकप्रिय हो गया और इसे देश के अलग-अलग हिस्सों से समर्थन प्राप्त हुआ।
    - **पंजाब के अकालियों ने सत्याग्रहियों को भोजन उपलब्ध** कराया।
    - **ईसाई और मुस्लिम नेताओं ने भी सत्याग्रह का समर्थन** किया
- **604 दिनों तक चला: गांधी और त्रावणकोर** के तत्कालीन **पुलिस आयुक्त डब्ल्यू.एच पिट के** बीच विचार-विमर्श के बाद **30 नवंबर, 1925 को वायकोम सत्याग्रह** आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया गया।

वायकोम सत्याग्रह के परिणाम

- **कानूनी सुधार और पहलें:**
  - **सत्याग्रह से बने दबाव के बाद** निम्न समझे जाने वाली जातियों के लिए **मंदिर प्रवेश उद्घोषणा 1936** जारी की गई। यह निम्न समझे जाने वाली जातियों के मंदिरों में प्रवेश देने के इतिहास में एक ऐतिहासिक कानूनी जीत थी।
  - **त्रावणकोर लोक सेवा आयोग** की स्थापना भी की गई, ताकि सरकारी रोजगारों (भूमिकाओं) में निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।
- **राजनीतिक जागृति:** इसने हाशिए पर स्थित समुदायों में **राजनीतिक जागरूकता और सक्रियता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।**
- **राष्ट्रीय प्रभाव:** इस सत्याग्रह का प्रभाव केरल से बाहर अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई दिया। इससे जाति-आधारित भेदभाव के खिलाफ पूरे भारत में इसी तरह के विरोध और अभियानों को गति मिली।
- **महात्मा गांधी और पेरियार के बीच मतभेद:** वायकोम सत्याग्रह ने **गांधीजी और पेरियार के बीच मतभेद को भी उजागर** किया।
  - जहां **गांधीजी ने वायकोम सत्याग्रह को हिंदू सुधारवादी आंदोलन** के रूप में देखा, वहीं पेरियार ने इसे "जाति-आधारित अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई" के रूप में देखा।
- दरअसल **पेरियार इस सत्याग्रह से मिली आंशिक सफलता** से खुश नहीं थे, क्योंकि मंदिर तक जाने वाली चार सड़कों में से केवल 3 सड़कें सभी जातियों के लिए खोली गई थीं। कुछ महीनों बाद पेरियार ने **कांग्रेस की सदस्यता भी त्याग दी।**

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

संबंधित नेतृत्व और समर्थन

- **वायकोम सत्याग्रह का नेतृत्व टी.के. माधवन, के.पी. केशव मेनन और के. केलप्पन** जैसे अग्रणी एवं अनुभवी नेताओं ने किया था। के. केलप्पन को **केरल के गांधी** के नाम से भी जाता है।
  - मंदिर प्रवेश का मुद्दा सबसे पहले एझावा नेता टी.के. माधवन ने 1917 में अपने अखबार **'देशाभिमानी'** के संपादकीय में उठाया था।
  - 1921 में, **टी.के. माधवन के नेतृत्व में त्रावणकोर कांग्रेस कमेटी ने मंदिर में प्रवेश पर लगे प्रतिबंध** को हटाने के लिए एक अभियान चलाया।
  - **1923 में कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन में,** केरल प्रांतीय कांग्रेस समिति ने **अस्पृश्यता-विरोध को एक प्रमुख मुद्दे के रूप में अपनाने के लिए एक संकल्प अपनाया** था।
- केरल के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी **जॉर्ज जोसेफ** ने केशव मेनन की अनुपस्थिति में मंदिर प्रवेश सत्याग्रह का नेतृत्व किया था।
- **ई. वी. रामास्वामी नायकर (पेरियार) वायकोम सत्याग्रह के प्रमुख नेताओं में शामिल** थे। इन्हें **'वायकोम वीरार'** भी कहा जाता है। नायकर ने स्वयंसेवकों को संगठित किया और अपने भाषणों के जरिए जनता का समर्थन प्राप्त किया। गौरतलब है कि वायकोम सत्याग्रह में गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों में से **केवल पेरियार को ही कठोर कारावास की सजा दी गई थी।**
- इस सत्याग्रह में **महात्मा गांधी ने 1921 में भाग** लिया। इस दौरान गांधीजी ने मंदिर में प्रवेश के लिए माधवन के नेतृत्व में एक जन आंदोलन का समर्थन किया था।
- **श्री नारायण गुरु, मन्नातु पद्मनाभन, ई. वी. रामास्वामी नायकर** आदि ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया।
- **नागम्मई (पेरियार की पत्नी), कन्नम्मल जैसी महिला आंदोलनकारियों ने महिलाओं को सशक्त बनाने** और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उठाने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं थीं।

भारत में अन्य जातीय-आंदोलन

वर्ष	आंदोलन	नेतृत्वकर्ता	विवरण
1873	सत्यशोधक आंदोलन	ज्योतिबा फुले	ब्राह्मणवादी प्रभुत्व के विरुद्ध निम्न जातियों, अछूतों और विधवाओं की मुक्ति का आंदोलन
1916	जस्टिस पार्टी आंदोलन	टी.एम. नायर, पी. त्यागराज चेट्टी, सी.एन मुदलियार	सरकारी नौकरी, शिक्षा और राजनीति में ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ आंदोलन
1924	डिप्रेस्ड क्लासेज मूवमेंट	बी. आर. अम्बेडकर	दलित वर्गों का उत्थान, अस्पृश्यता के विरुद्ध आवाज, 'बहिष्कृत भारत' नामक मराठी समाचार पत्र का प्रकाशन (1927)
1925	आत्म-सम्मान आंदोलन (सेल्फ-रिस्पेक्ट मूवमेंट)	ई. वी. रामास्वामी नायकर (पेरियार)	जाति व्यवस्था और ब्राह्मण वर्चस्व के खिलाफ आंदोलन, 'कुडी अरासु' पत्रिका का प्रकाशन (1910)

8.4.2. रंगभेद व्यवस्था (APARTHEID SYSTEM)

संदर्भ

हाल ही में, दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव वाली "रंगभेद (Apartheid)" नीति की समाप्ति की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई।

विश्लेषण

रंगभेद विरोधी आंदोलन (Anti-Apartheid Movement: AAM)

- यह 20वीं सदी का **पहला सफल अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन** था।
- **रंगभेद विरोधी आंदोलन के उद्देश्य:**
  - दक्षिण अफ्रीका में **नस्लीय रंगभेद आधारित शासन को अस्थिर करने के लिए आंतरिक अभियान** चलाना; और
  - रंगभेद समर्थक शासन पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतिबंध लगाने के लिए अन्य देशों में अभियान चलाना।
- **रंगभेद विरोधी आंदोलन के निम्नलिखित तीन चरण थे:**
  - **पहला चरण:** इसमें अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस (ANC), दक्षिण अफ्रीकी कम्युनिस्ट पार्टी (SACP) जैसे संगठनों के नेतृत्व में **अहिंसक प्रत्यक्ष-कार्रवाई की रणनीति का इस्तेमाल किया गया।**
  - **दूसरा चरण (1960 के दशक के बाद):** यह चरण संघर्ष के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए उल्लेखनीय है। इसमें अफ्रीकी संघ, संयुक्त राष्ट्र और भारत का समर्थन शामिल था।
  - **तीसरा चरण: व्यापक प्रतिरोध (1980 के दशक के बाद):** इस चरण में आंदोलनकारियों ने हड़तालों, बहिष्कारों, प्रदर्शनों और तोड़फोड़ की कार्रवाई से देश की शासन व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने का प्रयास किया।
  - **रंगभेद विरोधी आंदोलन का प्रभाव:** 1990 तक दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने राजनीतिक दलों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। नेल्सन मंडेला को 1991 में जेल से रिहा कर दिया गया। चार साल बाद 10 मई, 1994 को मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

रंगभेद व्यवस्था के बारे में

- यह **दक्षिण अफ्रीका में लागू की गई विशिष्ट नस्लीय भेदभाव वाली कानूनी व्यवस्था** थी। यह नीति श्वेत यूरोपीय लोगों ने **अश्वेत (काले अफ्रीकी, मिश्रित नस्ल और भारतीय)** लोगों को अपने से हीन मानकर उन पर लागू की थी।
- दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति को 1948 में औपचारिक रूप दिया गया था। हालांकि, रंगभेद की नीति की नींव वहां की पिछली औपनिवेशिक सरकारों ने 19वीं और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में अलग-अलग कानून पारित करके रख दी थी।
  - पारित किए गए कानूनों के माध्यम से काले लोगों को **श्वेत लोगों और मिश्रित लोगों (कलर्ड)** के क्षेत्रों में जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया।
- **रंगभेद व्यवस्था का वैधानिक आधार:**
  - **जनसंख्या पंजीकरण अधिनियम, 1950:** इसने रंगभेद की व्यवस्था को मूल फ्रेमवर्क प्रदान किया। इस फ्रेमवर्क द्वारा बंटू (काले अफ्रीकी), मिश्रित नस्ल, श्वेत और एशियाई (भारतीय और पाकिस्तानी) सहित सभी दक्षिण अफ्रीकी नागरिकों को नस्ल के आधार पर बांट दिया गया।
  - **ग्रुप एरिया एक्ट, 1950:** इसके माध्यम से प्रत्येक नस्ल के लोगों को उनका क्षेत्र आवंटित किया गया। कालांतर में इस कानून का इस्तेमाल लोगों को जबरन निष्कासित करने के लिए किया गया।
  - रंगभेद से जुड़े अन्य कानूनों में शामिल थे; **मिश्रित विवाह निषेध अधिनियम 1949, समूह क्षेत्र अधिनियम 1950 (पृथक निवास क्षेत्र), बंटू शिक्षा अधिनियम 1953 (शिक्षा के लिए अलग-अलग व्यवस्था)** आदि।

नेल्सन मंडेला (1918 -2013)

- **प्रारंभिक जीवन:**
  - उनका जन्म 1918 में **दक्षिण अफ्रीका के ईस्टर्न केप** में हुआ था।
  - वे **थेम्बू प्रमुख (पारंपरिक नेता) के पुत्र** थे।
- **राजनीतिक जीवन और संघर्ष:**

दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी संघर्ष में भारत का योगदान

- **महात्मा गांधी:**
  - दक्षिण अफ्रीका में **रंगभेद विरोधी आंदोलन** की आधारशिला महात्मा गांधी ने रखी थी। गांधीजी ने यह कदम श्वेत लोगों द्वारा एशियाई लोगों का अपमान और तिरस्कार करने के कारण उठाया था।
  - गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका में **पहला उपनिवेशवाद विरोधी और नस्लीय भेदभाव विरोधी आंदोलन** शुरू किया था। इसके अलावा, उन्होंने **1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस** की स्थापना की और **1903 में समाचार-पत्र 'इंडियन ओपिनियन'** प्रकाशित किया।
  - 1906 में गांधी के नेतृत्व में हजारों सत्याग्रहियों ने **पंजीकरण प्रमाण-पत्र (भारतीयों के लिए सदैव इसे अपने साथ फिंगरप्रिंट सहित रखना अनिवार्य था) रखने की अनिवार्यता का प्रावधान करने वाले 1906 के कानून का बहिष्कार** किया।
  - गांधीजी ने डरबन (दक्षिण अफ्रीका) में **फीनिक्स आश्रम** की स्थापना की थी। 1915 में गांधीजी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए।
- **यूसुफ मोहम्मद दादू:**
  - वह **दक्षिण अफ्रीकी संघर्ष में भारतीय समुदाय** के प्रमुख नेता थे।
  - वह **गैर-यूरोपीय संयुक्त मोर्चा और कम्युनिस्ट पार्टी** के संस्थापक लीडर थे। उन्होंने तत्कालीन समय में इस संगठन को एक गुप्त संगठन के रूप में पुनर्जीवित किया। 1960 में उन्हें जबरन निर्वासित कर दिया गया। हालांकि, इसके बाद भी उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में **भूमिगत और सशस्त्र संघर्ष को बढ़ावा देने** तथा एक विश्वव्यापी रंगभेद विरोधी आंदोलन में **महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।**
- **भारत सरकार की भूमिका:**
  - भारत दुनिया का ऐसा **पहला देश था जिसने 1946 में दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद सरकार के साथ व्यापारिक संबंध समाप्त कर लिए** और इसके बाद दक्षिण अफ्रीकी सरकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया।
  - इसके अलावा, भारत दुनिया का ऐसा पहला देश था जिसने **1946 में दक्षिण अफ्रीका में चल रही रंगभेद की समस्या को संयुक्त राष्ट्र** में उठाया। भारत के इस कदम से **नस्लवाद के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में मदद** मिली।
  - अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 1960 के दशक से **नई दिल्ली में एक प्रतिनिधि कार्यालय** स्थापित कर रखा था। भारत ने भी रंगभेद विरोधी आंदोलन का समर्थन जारी रखने के लिए अफ्रीका/ AFRICA फंड में सक्रिय रूप से सहयोग किया।

दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी संघर्ष में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका:

- 1946 में **एशियाई भूमि स्वामित्व अधिनियम** बनाया गया था। इसमे **भारतीयों के भूमि स्वामित्व को प्रतिबंधित कर दिया और भारतीयों को अलग-थलग क्षेत्र में कर दिया गया। इसके खिलाफ शिकायत मिलने के बाद दक्षिण अफ्रीका के आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की भागीदारी** को बढ़ावा मिला।
- **संयुक्त राष्ट्र द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में शामिल हैं:**
  - **निंदा और प्रतिबंध:** संयुक्त राष्ट्र ने दक्षिण अफ्रीका पर राजनयिक और आर्थिक प्रतिबंध लगाए। 1971 के संकल्प में रंगभेद को "मानवता के खिलाफ अपराध" घोषित किया।
    - ◊ **1977 में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक संकल्प अपनाकर दक्षिण अफ्रीका पर अनिवार्य हथियार प्रतिबंध लगा** दिया। इसके अलावा, महासभा ने दक्षिण अफ्रीका से **तेल आयात पर स्वैच्छिक प्रतिबंध** लगा दिया।
  - **रंगभेद के खिलाफ प्रतिरोध को वैध बनाना:**
    - ◊ संयुक्त राष्ट्र ने **1963 में रंगभेद के खिलाफ एक विशेष समिति** और **1976 में रंगभेद के खिलाफ एक केंद्र** की स्थापना की।
    - ◊ 1973 में, **संयुक्त राष्ट्र महासभा** ने "रंगभेद के अपराध की रोकथाम और दंड पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन" को मंजूरी प्रदान की।
  - संयुक्त राष्ट्र से निलंबन: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने **1974 में दक्षिण अफ्रीका की सदस्यता निलंबित** कर दी। बाद में लोकतांत्रिक सरकार गठन के बाद 1994 में उसकी सदस्यता बहाल कर दी गई।

- मंडेला **"रंगभेद विरोधी आंदोलन" के प्रतीक** थे। वे 1994 में दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पहले राष्ट्रपति बने थे।
- वे 1944 में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस (ANC) में शामिल हुए थे और ANC यूथ लीग के गठन में मदद की। मंडेला ने **रंगभेद कानून के खिलाफ ANC के अहिंसक विरोध का नेतृत्व किया।**
- उन्हें 1964 (रिवोनिया ट्रायल) में **आजीवन कारावास की सजा** सुनाई गई। उन्हें 27 साल बाद 1990 में जेल से रिहा किया गया।

- **मंडेला का दर्शन:**
  - उन्हें 'दक्षिण अफ्रीका का गांधी' भी कहा जाता है। वे गांधी जी की शिक्षाओं के प्रबल अनुयायी थे। वे शांति, करुणा और सामाजिक न्याय में विश्वास करते थे।
  - मंडेला और गांधी, दोनों को सत्य और निष्पक्षता में उनके दृढ़ विश्वास के लिए याद किया जाता है।
- **पुरस्कार और विरासत:**
  - उन्हें **1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित** किया गया।
  - जेल से रिहा होने के बाद भारत ने उन्हें शांति प्रयासों के लिए 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया। इसके अलावा, उन्हें **अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार** 2000 से भी सम्मानित किया गया।
  - संयुक्त राष्ट्र हर साल **18 जुलाई को 'अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस'** मनाता है।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों को तीन समूहों में विभाजित किया गया था:

- **गिरमिटिया भारतीय मजदूर:** ये लोग उत्तर प्रदेश, बिहार और दक्षिण भारत से थे। ये लोग 1890 के बाद गन्ने के बागानों में काम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका आये थे।
- **व्यापारी-** इनमें से अधिकांश मेमन मुसलमान थे, जो मजदूरों के साथ चले आए थे।
- **पहले गिरमिटिया रहे मजदूर:** ये अपना अनुबंध समाप्त होने के बाद अपने बच्चों के साथ दक्षिण अफ्रीका में ही बस गए थे।

शब्दावली को जानें

- **गिरमिटिया मजदूर:** यह शब्द भारतीय मजदूरों को संदर्भित करता है जिन्हें ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान अनुबंध पर काम करने के लिए विभिन्न विदेशी राष्ट्रों में भेजा गया था। "गिरमिटिया" शब्द "एग्रीमेंट (अनुबंध)" से निकला है, जो उस अनुबंध को दर्शाता है जिसके तहत इन मजदूरों को काम पर रखा गया था।

नेटाल इंडियन कांग्रेस (NIC)

- यह 20वीं सदी में **दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों का एक प्रमुख राजनीतिक संगठन** था।
- 1894 में **NIC ने** नस्लीय रूप से अलग-थलग रहने की परंपरा को तोड़ते हुए **अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस (ANC) के साथ गठबंधन किया।**
- **1945 में डॉ. जी. एम. नायकर** को संगठन के नेतृत्व के लिए चुना गया। उन्होंने **1946 में डरबन में भारतीय निष्क्रिय प्रतिरोध अभियान में नेटाल इंडियन कांग्रेस** का नेतृत्व किया।
- 1980 के दशक में नेटाल इंडियन कांग्रेस ने सबसे प्रमुख अभियान शुरू किया, यानी **1981 का दक्षिण अफ्रीकी भारतीय परिषद विरोधी अभियान।**

8.5. विविध (MISCELLANEOUS)

8.5.1. जियो-हेरिटेज साइट्स (GEO-HERITAGE SITES)

संदर्भ

पांडवुला गुट्टा और **रामगढ़ क्रेटर** को जियो-हेरिटेज साइट्स के रूप में मान्यता दी गई है।

ANALYSIS

जियो-हेरिटेज साइट्स के बारे में

- **जियो-हेरिटेज** साइट्स वास्तव में **भूवैज्ञानिक, भू-आकृतिक विज्ञान (Geomorphological), जीवाश्म विज्ञान (Paleontological)** और **स्तरित शैल-विज्ञान (Stratigraphic)** की महत्ता वाले **दुर्लभ तथा विशिष्ट स्थल** होते हैं।
  - इनमें गुफाएं, प्राकृतिक शैल-आकृतियां, तलछट, चट्टानें, खनिज, उल्का-पिंड, जीवाश्म आदि शामिल होते हैं।
- **भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI)**, भारत में **जियो-हेरिटेज साइट्स** को मान्यता प्रदान करता है, दर्जा प्रदान करता है तथा उनका रख-रखाव करता है (मानचित्र देखें)।

पांडवुला गुट्टा के बारे में

- यह **तेलंगाना के जयशंकर भूपालपल्ली जिले** में स्थित है। यह स्थल **हिमालय पर्वत श्रेणियों** से भी पुराना है।
- इसकी खोज वर्ष 1990 में हुई थी।
- इसमें **पुरापाषाण कालीन चित्रकला के साक्ष्य** पाए गए हैं। इन चित्रों के विषय-वस्तु में शामिल हैं-
  - **वन्य-जीव** (बाइसन, मृग, बाघ, तेंदुआ, आदि),
  - **ज्यामितीय** आकृतियां (स्वस्तिक चिन्ह, वृत्त और वर्ग), तथा
  - **अस्त्र-शस्त्र** (धनुष, तीर, तलवार, भाला इत्यादि)।
- ये गुफा चित्र **प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा बनाई गई चित्रकला** की एक दुर्लभ झलक प्रस्तुत करते हैं। इन्हें **गुफाओं की दीवारों और छतों**, शैल आश्रयों और पृथक शैलखंडों पर देखा जा सकता है।

रामगढ़ क्रेटर (रामगढ़ एस्ट्रोब्लेम) के बारे में

- **'एस्ट्रोब्लेम'** शब्दावली का प्रयोग **उल्कापिंडों के पृथ्वी पर गिरने से निर्मित भू-वैज्ञानिक संरचनाओं** का वर्णन करने के लिए किया जाता है।
- यह **राजस्थान** के बारां जिले में **पार्बती नदी के पुराने अपवाह मार्ग** पर अवस्थित है।

पांडवुला गुट्टा

रामगढ़ क्रेटर

- **पहली बार 1869 में GSI ने इसकी खोज की थी। इसे लंदन के भूवैज्ञानिक सोसायटी** ने 'क्रेटर' के रूप में मान्यता दी थी।
- विंध्य सुपरग्रुप की अवसादी चट्टानों में वर्तमान में अपक्षयित हो चुके इस क्रेटर को **मेसोप्रोटेरोजोइक एज (Mesoproterozoic age)** (लगभग 1600 से 1000 मिलियन वर्ष पहले) का बताया गया है।
- **रामगढ़ क्रेटर, भारत में उल्कापिंडों के गिरने से बने तीन इम्पैक्ट क्रेटर्स में से एक है।**
  - अन्य दो क्रेटर्स हैं: **लोनार (महाराष्ट्र)** और **ढाला (मध्य प्रदेश)।**
  - इस क्रेटर में **कोसाइट (Coesite)** की मौजूदगी दर्शाती है कि यह एक **इम्पैक्ट क्रेटर** है और यहाँ **उल्कापिंड के गिरने** की पुष्टि होती है।
    - कोसाइट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड (SiO_2) का उच्च दाब वाला **पोलीमोर्फ है। पोलीमोर्फ एक प्रकार का खनिज है जिसकी रासायनिक संरचना समान होती है लेकिन आंतरिक संरचना भिन्न होती है।** जैसे अर्गोनाइट और कैल्साइट पोलीमोर्फ हैं - दोनों में कैल्शियम कार्बोनेट ($CaCO_3$) प्राप्त होते हैं लेकिन उनकी आंतरिक संरचना अलग-अलग होती है।
  - इस क्रेटर का **व्यास लगभग 3.2 किलोमीटर है** और **यह 200 मीटर गहरा** है।
  - इस क्रेटर के मध्य में भगवान शिव का **'भांड देवरा मंदिर'** अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण **10वीं शताब्दी** में खजुराहो शैली में करवाया गया था।
  - क्रेटर हिल में **स्थानीय देवी किसनाई और अन्नपूर्णा को समर्पित गुफा मंदिर** भी हैं।

- यह क्रेटर वर्तमान में **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972** के तहत संरक्षित है। इसकी **क्रेटर झील (पुष्कर तालाब)** को **आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017** के तहत 'वेटलैंड' के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- कनाडा के **प्लैनेटरी एंड स्पेस साइंस सेंटर (PASSC)** ने इस क्रेटर को **मान्यता** प्रदान की है और इसे **"अर्थ इम्पैक्ट डेटाबेस"** में शामिल किया है।
  - **PASSC की स्थापना कनाडा (2001)** में की गई थी। **अर्थ इम्पैक्ट डेटाबेस** विश्व भर में उल्कापिंडों के गिरने से से बनी सत्यापित इम्पैक्ट संरचनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (Geological Survey of India: GSI)

- **उत्पत्ति:** इसे **1851 में थॉमस ओल्डहम** ने स्थापित किया था। प्राथमिक रूप में इसका कार्य **रेलवे के लिए कोयला निक्षेपों की खोज** करना था।
- **मंत्रालय:** खान मंत्रालय
- **संगठनात्मक संरचना:** इसका अध्यक्ष एक महानिदेशक होता है। **महानिदेशक** की सहायता के लिए **6 क्षेत्रीय कार्यालयों में अतिरिक्त निदेशक और उप-निदेशक** होते हैं। ये 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं: **लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलॉन्ग** और कोलकाता।
- **कार्य:**
  - राष्ट्रीय भू-वैज्ञानिक सूचनाओं का सृजन व अपडेशन करना तथा खनिज संसाधनों का आकलन करना।
  - यह भारत में गिरने वाले सभी **उल्का पिंडों का प्राधिकृत क्यूरेटर (संग्रहाध्यक्ष) और रिपॉजिटरी** है। साथ ही, वर्तमान में इसके पास **700 अलग-अलग प्रकार के उल्कापिंडों का संग्रह** भी है।

भारत के भूवैज्ञानिक-विरासत स्थल

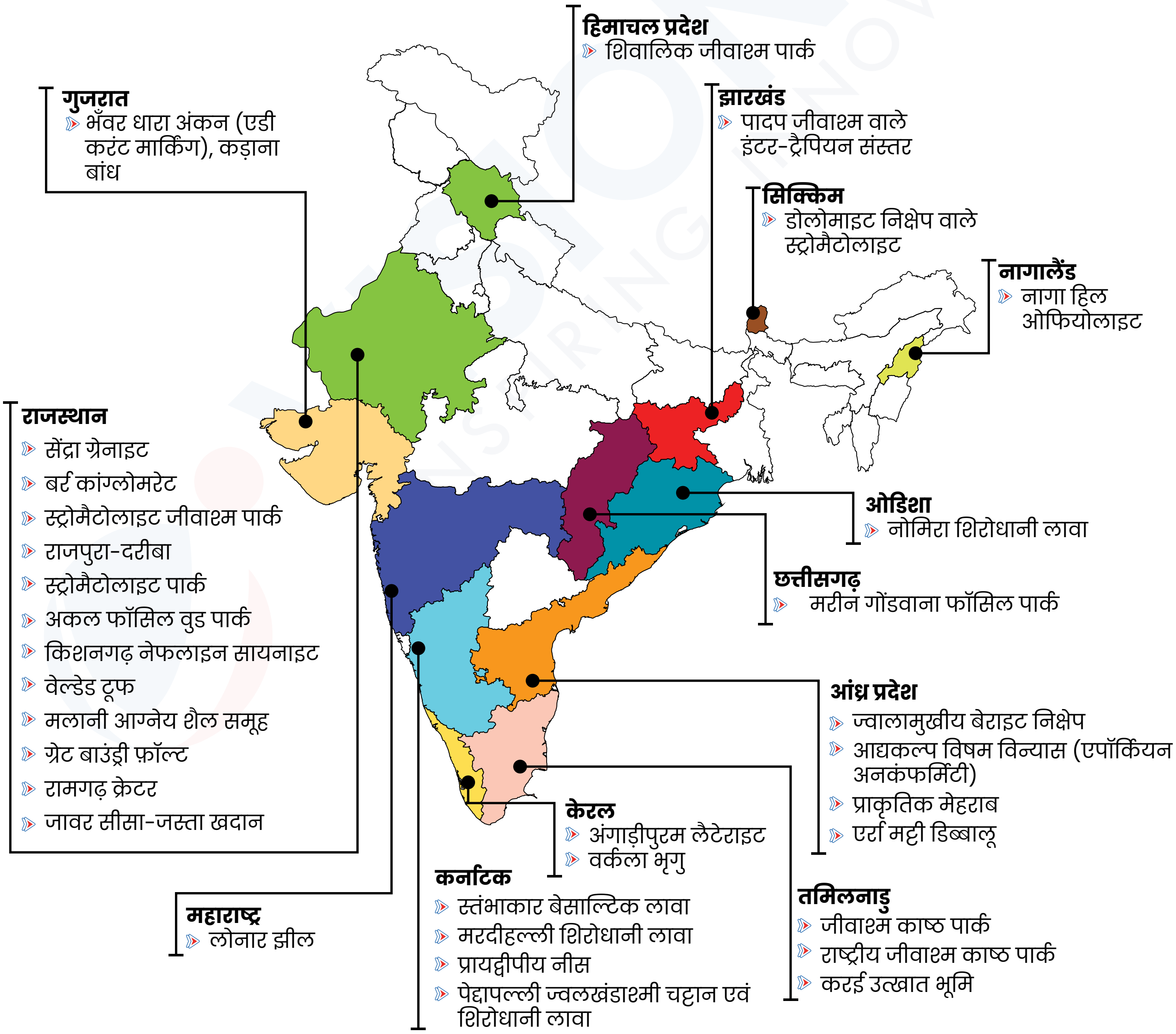

8.5.2. मध्य प्रदेश के छह सांस्कृतिक धरोहर स्थल यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किए गए (SIX HERITAGE SITES OF MADHYA PRADESH INCLUDED IN UNESCO'S TENTATIVE LIST)

मध्य प्रदेश के छह सांस्कृतिक धरोहर स्थल यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किए गए

यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किए गए स्थल	विवरण
ग्वालियर का किला	इस किले का निर्माण कार्य **राजा सूर्य सेन ने 8वीं शताब्दी ईस्वी में पूरा** कराया था। किले के अंदर निर्मित संरचनाओं में **मान मंदिर महल, गुजरी महल, सास बहू मंदिर** आदि शामिल हैं।
खूनी भंडारा, बुरहानपुर	यह **भूमिगत जल प्रबंधन प्रणाली** है। इसका निर्माण जहांगीर के शासनकाल में अब्दुर्रहीम खान-ए-खाना ने कराया था। » यह **फारसी कनात प्रणाली** पर आधारित है।
चंबल घाटी का शैल-चित्रकला स्थल	यह **विंध्य, सतपुड़ा और कैमूर पर्वतमाला** के पहाड़ी क्षेत्रों में उत्कीर्ण शैल-चित्रकला है।
भोजेश्वर महादेव मंदिर, भोजपुर	यह **भगवान शिव का मंदिर** है। इसका निर्माण **11वीं शताब्दी में राजा भोज के शासनकाल** में कराया गया था। » यह मंदिर **भूमिजा शैली में निर्मित** है। » भूमिजा शैली **नागर शैली का एक विकसित** रूप है। इस शैली का विकास **परमार वंश** के दौरान हुआ था।
रामनगर के गोंड स्मारक, मंडला	इन स्मारकों का निर्माण **गोंड शासकों** ने कराया था। यहां निर्मित स्मारकों में **मोती महल, रायभगत की कोठी, बेगम महल** आदि शामिल हैं।
धमनार का ऐतिहासिक स्थापत्य कला समूह	यह एक रॉक-कट स्थल है। यहां **51 एकाश्म बौद्ध गुफाएं (5वीं-7वीं शताब्दी ईस्वी) और हिंदू मंदिर परिसर (धर्मराजेश्वर मंदिर)** शामिल हैं।

- किसी धरोहर को यूनेस्को की **विश्व धरोहर सूची में औपचारिक रूप से शामिल किए जाने से पहले "अस्थायी सूची में शामिल किया जाना" पहला कदम** है।
  - **मानवता के लिए उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य वाले स्थलों को विश्व धरोहर सूची** में शामिल किया जाता है।
  - वर्तमान में भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त **कुल 42 विश्व धरोहर स्थल** हैं। इनमें से 34 स्थल सांस्कृतिक, 7 स्थल प्राकृतिक और 1 स्थल मिश्रित श्रेणी का है।

8.5.3. यूनेस्को के "मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड (MOW)-एशिया-पैसिफिक रीजनल रजिस्टर" (UNESCO's MOW Asia-Pacific Regional Register)

- यूनेस्को के "मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड (MOW)-एशिया-पैसिफिक रीजनल रजिस्टर" में **भारत की तीन साहित्यिक कृतियों को शामिल** किया गया
- **"यूनेस्को-मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड-एशिया-पैसिफिक रीजनल रजिस्टर" में 20 साहित्यिक कृतियां** शामिल की गई हैं। इनमें तीन भारतीय साहित्यिक कृतियों (पांडुलिपियां) को भी शामिल किया गया है, ये हैं- **रामचरितमानस, पंचतंत्र** और **सहृदयालोक-लोकन।**
  - इन कृतियों को सूची में शामिल करने का निर्णय **मंगोलिया** के **उलानबाटर** में आयोजित **मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक (MOWCAP)** की 10वीं बैठक में लिया गया।
- **सूची में शामिल तीन भारतीय साहित्यिक कृतियों के बारे में:**
  - **रामचरितमानस:**
    - इसकी रचना **16वीं शताब्दी** में **गोस्वामी तुलसीदास** ने की थी।
    - यह **अवधी भाषा** में लिखा गया एक महाकाव्य है, जिसमें **सात कांड** हैं।
    - इसमें **रामायण** से जुड़ी हुई घटनाओं का **काव्यात्मक रूप से वर्णन** किया गया है।

MoW प्रोग्राम के बारे में

- इसे **यूनेस्को द्वारा 1992 में शुरू** किया गया था।
- इसमें **तीन तरह के रजिस्टर** शामिल हैं- अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय रजिस्टर।
  - **अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर** में भारत की कई कृतियां या पांडुलिपियां शामिल हैं, जैसे- तमिल मेडिकल मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन, शैव पांडुलिपियां, ऋग्वेद आदि।
- **इस प्रोग्राम के मुख्य लक्ष्य हैं:**
  - विश्व भर की **दस्तावेजी विरासत को सुरक्षित रखना,**
  - इन दस्तावेजी विरासत तक **सभी की पहुंच सुनिश्चित करना,** और
  - दस्तावेजी विरासतों के बारे में **जन जागरूकता** बढ़ाना।

- सरकार ने निम्नलिखित ने निम्नलिखित दस उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेतक (GI) टैग की घोषणा की:
- टैग का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों पर किया जाता है, जिनकी एक **विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती** है। इसी उत्पत्ति के कारण इन उत्पादों में **विशिष्ट गुण या ख्याति** होती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता:**
  - **'औद्योगिक संपदा की सुरक्षा के लिए पेरिस कन्वेंशन'** के तहत GI को **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)** के एक तत्व के रूप में शामिल किया गया है।
  - इसे **विश्व व्यापार संगठन (WTO) के 'बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू (ट्रिप्स/ TRIPS) समझौते'** के तहत भी कवर किया गया है।

8.5.4. 10 नए उत्पादों को GI टैग मिला (GI TAG FOR 10 NEW PRODUCTS)

सरकार ने निम्नलिखित दस उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेतक (GI) टैग की घोषणा की:

राज्य	उत्पाद और उनका विवरण
ओडिशा	**कटक रूपा तारकशी (सिल्वर फिलीग्री)** » इसका उपयोग लगभग **3500 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया (वर्तमान इराक) में आभूषण निर्माण** में किया जाता था। आज भी यह इराक, मिस्र में **तेलकारी काम** के रूप में प्रचलित है। » यह कलाकारी **फारस से इंडोनेशिया होते हुए कटक** पहुंची थी।
पश्चिम बंगाल	**बांग्लार मलमल** » यह कपास से बना एक **पारंपरिक हथकरघा शिल्प** है।
आंध्र प्रदेश	**नरसापुर क्रोशे लेस उत्पाद** » इन्हें **नरसापुर में धर्म-प्रचारकों** द्वारा लाया गया था।
मध्य प्रदेश	**रतलाम रियावन लहसुन**
असम	**माजुली मास्क और माजुली पांडुलिपि चित्रकला**
त्रिपुरा	**रिसा वस्त्र**
तेलंगाना	**हैदराबाद की लाख चूड़ियां**
गुजरात	**कच्छ रोगन शिल्प** अम्बाजी सफेद संगमरमर » इसका निर्माण तब होता है, जब चूना पत्थर पृथ्वी के क्रस्ट (भूपर्पटी) के नीचे **पुनः क्रिस्टलीकृत** हो जाता है।

- **पंचतंत्र:**
  - ◊ यह **आचार्य विष्णु शर्मा** द्वारा **संस्कृत** में रचित एक विख्यात ग्रंथ है।
  - ◊ यह **जीवंत भारतीय दंतकथाओं के सबसे पुराने संग्रहों में से एक** है।
  - ◊ यह **पांच भागों** से मिलकर बना है। इस ग्रंथ की सबसे अनोखी विशेषता **"कहानी के भीतर कहानी"** की प्रस्तुति है।
- **सहृदयालोक-लोकन:**
  - ◊ यह **आचार्य आनंदवर्धन** द्वारा **संस्कृत** में लिखित और भारतीय काव्यशास्त्र की एक कालजयी रचना है।
  - ◊ दार्शनिक **अभिनव गुप्त** ने इस पर **एक भाष्य लिखा** है।

8.5.5. भारत में बुनाई की शैलियां (WEAVING IN INDIA)

संदर्भ

राष्ट्रीय वस्त्र दिवस (3 मई) पर भारतीय बुनकरों के योगदान को याद किया गया।

भारत में बुनाई की प्रचलित शैलियां

प्राचीन भारत	मध्यकालीन भारत	आधुनिक भारत और यूरोपीय प्रभाव
सिंधु घाटी सभ्यता (3300 - 1300 ईसा पूर्व): • सिंधु घाटी सभ्यता में **कपास की खेती और वस्त्र निर्माण** के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा, **सिंधु घाटी सभ्यता से मिली टेराकोटा की मूर्तियों में** आमतौर पर बुने हुए वस्त्रों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। • **मोहनजोदड़ो (लगभग 2500 से 1500 ईसा पूर्व) की खुदाई** से प्राप्त चांदी के मृदभांड के चारों ओर लपेटे गए बुने हुए सूती वस्त्र के टुकड़ों पर डाई (वस्त्र रंगाई का साक्ष्य) के साक्ष्य मिले हैं। **वैदिक काल: ऋग्वेद (1500- 500 ईसा पूर्व)** में भी बुनाई कला के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्त्व का उल्लेख मिलता है। • ऋग्वेद में बुनकर के लिए **'वसोवय'** शब्द का इस्तेमाल किया गया है। • पुरुष बुनकर को **'वय'** कहा जाता था जबकि महिला बुनकर को **'वयित्री'** कहा जाता था। **उत्तर वैदिक काल:** महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में रेशम के वस्त्र और ऊनी वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। • बौद्ध साहित्य में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। जैसे- **लिनन (खोमन), कपास (कप्पासिकम), रेशम (कोस्सेयम),** आदि। • अन्य अलग-अलग ग्रंथों में बुनाई से संबंधित कई शब्द पाए गए हैं, जैसे **बुनकर (तंतुवय)**; बुनाई का स्थान **(तंत्ववितथनम)**; **बुनाई के उपकरण (तंतभांड)**'और **करघा (तंतक)** आदि। • अर्थशास्त्र में **सूत अधीक्षक (सूत्राध्यक्ष)** के पद का उल्लेख मिलता है। इसका काम सूत की कताई को विनियमित करना था। • कालांतर में, उत्तर-पश्चिमी भारत में **हखामनी साम्राज्य** ने भारत में **फारसी रूपांकनों और बुनाई की तकनीकों की शुरुआत** की।	**मुगल साम्राज्य (1526-1857):** मुगल बादशाह कला के संरक्षक थे। उन्होंने कारखाने खोले जहां वस्त्रों का भी उत्पादन होता था। • **इस काल में** ब्रोकेड्स, मलमल, **मलमल खास,** मखमल जैसे उत्कृष्ट वस्त्रों का विकास हुआ। › **मलमल खास, मुगलों द्वारा पहना जाने वाला मलमल है।** **पश्चिमी भारत में,** रेशम को ज्यादातर कपास के साथ मिलाया जाता था। • इसका एक उदाहरण **अलाचा वस्त्र** है, जिसका उत्पादन **गुजरात के कैम्बे** में किया जाता था। **मिर्ज़ा दुगलत बेग** द्वारा लिखित मध्यकालीन ग्रंथ **तारीख-ए-रशीदी** में कश्मीर में रेशम उत्पादन की पद्धति का उल्लेख मिलता है। **मध्य काल में वस्त्र उद्योग का अधिक विकास** हुआ और यह मुगलों के अधीन सबसे बड़ा उद्योग बन गया। इसका यूरोपीय बाजार में बहुत मांग थी।	**इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति के बाद** भारतीय वस्त्र उद्योग को मशीन से बनाए गए वस्त्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो गया। • **जब** मशीनों द्वारा तैयार **ब्रिटिश वस्त्र भारत में आने लगे,** तो भारतीय वस्त्र व्यापारियों और बुनकरों की स्थिति दयनीय हो गई क्योंकि ब्रिटिश वस्त्र भारतीय वस्त्रों की तुलना में सस्ते थे। इसके परिणामस्वरूप भारत के **समृद्ध हस्तशिल्प वस्त्र का पतन हो गया** और भारत **इंग्लैंड के लिए केवल कच्चे कपास का आपूर्तिकर्ता** बन कर रह गया। इस अवधि को भारत से इंग्लैंड में **'धन के निकास'** के रूप में जाना जाता है।

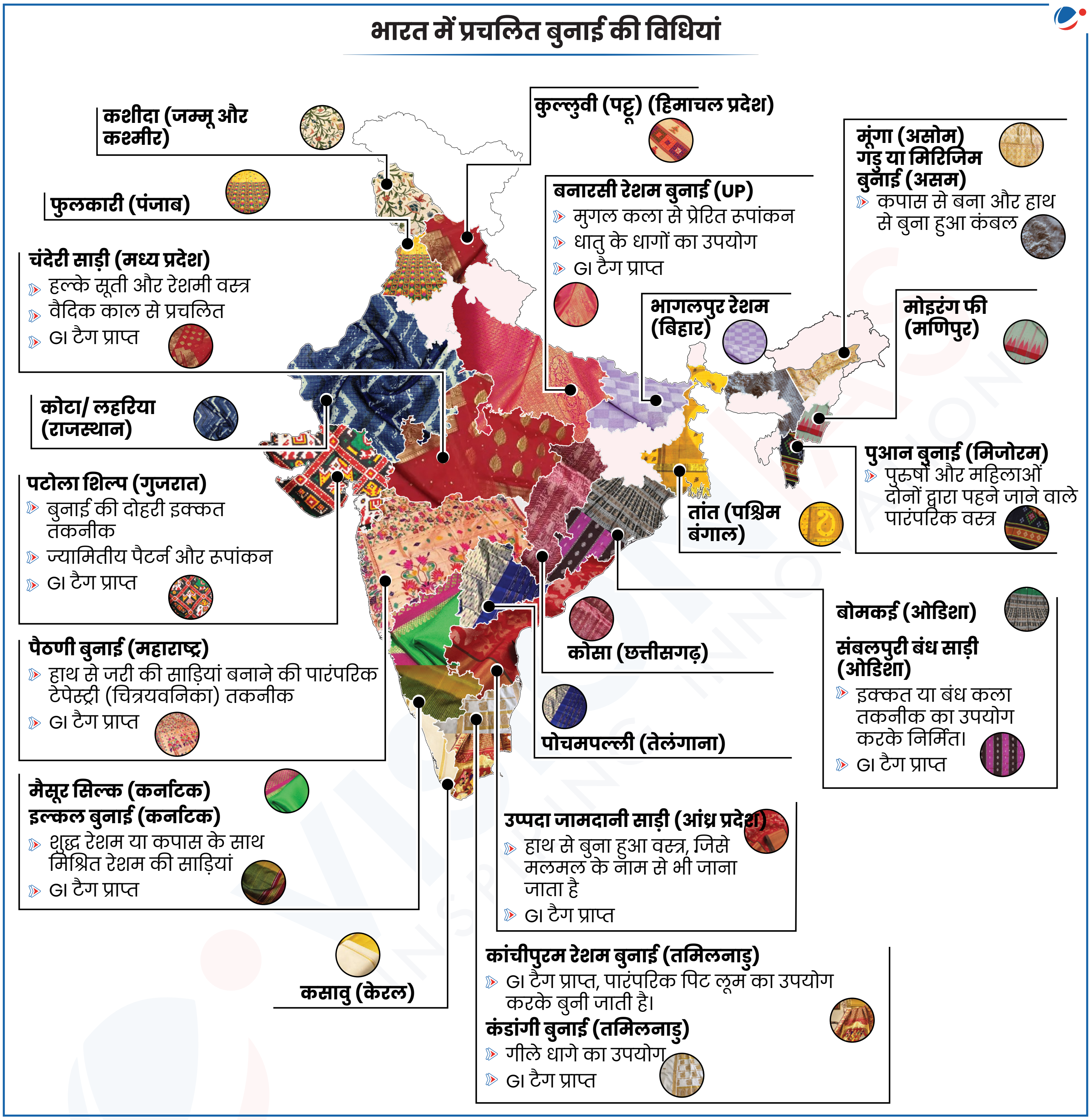

बुनकरों/ हथकरघा क्षेत्रक की स्थिति को सुधारने के लिए उठाए गए कदम:

- **राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (NHDP):** इस योजना को केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने शुरू किया है। यह वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की योजना है।
  - यह योजना **हथकरघा के एकीकृत और समग्र विकास** तथा हथकरघा बुनकरों के कल्याण **के लिए आवश्यकता-आधारित अप्रोच** पर आधारित है।
  - योजना के मुख्य घटक हैं: **क्लस्टर विकास कार्यक्रम, हथकरघा विपणन सहायता, बुनकरों का कल्याण और मेगा हथकरघा क्लस्टर।**
- **व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना (CHCDS):** यह योजना कम-से-कम 15000 हथकरघा उद्यमों को कवर करने वाले स्पष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य भौगोलिक स्थानों पर मेगा हथकरघा क्लस्टरों के विकास के लिए चलाई गई है।
- **हथकरघा बुनकरों के लिए व्यापक कल्याण योजना (HWCWS):** इस योजना के तहत प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और एकीकृत महात्मा गांधी बुनकर बीमा यो जना (MGBBY) के घटकों के तहत जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और दिव्यांगता बीमा कवरेज प्रदान किया जा रहा है।

- **कच्चा माल आपूर्ति योजना (RMSS)**: यह योजना वस्त्र मंत्रालय द्वारा देश भर में लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य हथकरघा बुनकरों को सभी प्रकार का धागा उपलब्ध कराना है।
- **हैंडलूम मार्क योजना:** इस योजना का उद्देश्य हथकरघा उत्पादों की प्रामाणिकता के बारे में उपभोक्ताओं को आश्वासन प्रदान करना है।

8.5.6. वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी (WORLDCRAFT CITY: WCC)

- क्राफ्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल (WCCI) ने **श्रीनगर** को **वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में शामिल होने हेतु** अंतिम रूप से नामांकन दाखिल करने से पहले उसके क्राफ्ट क्लस्टर्स का मानचित्रण करने के लिए चुना है।
  - श्रीनगर के स्थानीय शिल्प में **पश्मीना शॉल, अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी, हाथ से बुने हुए कालीन, कानी शॉल, खतमबंद (छतों की डिजाइन), सोजनी शिल्प (सुई से की गई कढ़ाई), जलकडोजी (कढ़ाई किए हुए गलीचे), नमदा (हस्तनिर्मित गलीचा), बसोहली चित्रकला (वैष्णव धर्म से संबंधित), पेपर मेशी आदि** शामिल हैं।
- **क्राफ्ट सिटी (WCC) के बारे में**
  - इस कार्यक्रम को **WCCI ने 2014** में शुरू किया था।
  - यह दुनिया भर में सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में **स्थानीय प्राधिकारियों, शिल्पकारों और समुदायों की भूमिका को मान्यता** प्रदान करता है।
  - यह **रचनात्मक अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के अनुरूप, दुनिया भर में शिल्प (क्राफ्ट) शहरों का एक परिवर्तनशील नेटवर्क** तैयार करता है।
- 2021-24 के कार्यकाल के लिए WCCI का मुख्यालय कुवैत में स्थापित किया गया है।
- WCCI का मुख्यालय अलग-अलग कार्यकालों के अनुसार बदलता रहता है। यह **दुनिया भर में पारंपरिक शिल्प को मान्यता प्रदान करने** और उनका **संरक्षण** करने का कार्य कर रहा है।

8.5.7. पड़ता बेट (Padta Bet)

- उत्खनन से **गुजरात के कच्छ के पड़ता बेट में 5,200 साल पुरानी हड़प्पा युगीन बस्ती का पता** चला है।
  - यह बस्ती एक **प्राक्-हड़प्पा कब्रिस्तान जूना खटिया** के नजदीक स्थित है। जूना खटिया दरअसल एक सामूहिक शवाधान स्थल था।
- **प्राक्-हड़प्पा से लेकर उत्तर-हड़प्पा काल तक के पुरातात्विक साक्ष्य:**
  - **मृदभांड** में नए प्रकार की **सिरेमिक कलाकृतियां** शामिल हैं। उदाहरण के लिए- जार, छोटी कटोरिया, खाना परोसने की प्लेट्स आदि।
  - **कार्नीलियन और गोमेद से बने कम कीमती मनके, टेराकोटा से बनी तकलियां (Spindle whorls), तांबा, पत्थर से बने उपकरण** आदि कलाकृतियां शामिल हैं।
  - उत्खनन में **मवेशी व भेड़ या बकरी की हड्डियों और खाने योग्य शंख के अवशेष** मिले हैं। इनकी प्राप्ति से जानवरों को पालतू बनाने का संकेत मिलता है।

8.5.8. तेलंगाना में नए पुरातत्व स्थल (NEW ARCHAEOLOGICAL SITES IN TELANGANA)

- पुरातत्वविदों ने **तेलंगाना में तीन नए पुरातात्विक स्थलों** की खोज की है।
- **नये पुरातत्व स्थलों में शामिल हैं:**
  - **ओरागुट्टा:** यह लौह युग का एक **महापाषाण** स्थल है।
  - भद्राद्री कोठागुडम जिले के गुंडाला मंडल के **दमराटोगु में दो नए शैल-कला स्थल।**
    - **देवरलबंद मुला:** यहां से केवल जानवरों के चित्र मिले हैं। मनुष्य या हथियार का कोई चित्र नहीं मिला है।
- आमतौर पर इस क्षेत्र में विशेष प्रकार के महापाषाण स्मारक पाए जाते हैं, जिन्हें **'डोलमेनॉइड सिस्ट्स'** के नाम से जाना जाता है।
  - **डोलमेनॉइड सिस्ट्स कक्ष युक्त शवाधान संरचनाएं** हैं, जो अर्ध-भूमिगत हैं।
- महापाषाण (मेगालिथ) के तीन मूल प्रकार हैं: कक्ष युक्त कब्रें, बिना कक्ष वाली कब्रें, तथा ऐसे महापाषाण जो शवाधान से संबंधित नहीं हैं।

8.5.9. कला के विभिन्न रूप और डिजिटल प्रौद्योगिकियां (DIGITAL TECHNOLOGY ON ART FORMS)

संदर्भ

हाल के वर्षों में, तेजी से बदलते डिजिटल युग में कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी नाटकीय बदलाव दिखाई दे रहे हैं।

विभिन्न कला-रूपों में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका

- **रचनात्मकता का लोकतंत्रीकरण:** इंटरनेट ने रचनात्मकता का लोकतंत्रीकरण करके कलात्मक अभिव्यक्ति को अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोगों के लिए आसान बना दिया है।

- महत्वाकांक्षी कलाकार **आसानी से उपलब्ध सॉफ्टवेयर, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गैलरी का उपयोग** करके अपनी कला को दुनिया भर के लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने **अलग-अलग संस्कृतियों के बीच संपर्क** को काफी आसान बना दिया है। इसके परिणामस्वरूप यूजर्स अब **अन्य संस्कृतियों के लोगों** से आसानी से संवाद स्थापित कर सकते है और एक-दूसरे के बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं।

- **कला का वर्चुअल प्रदर्शन (Virtual Projection of Art):** गैलरीज एवं म्यूजियम्स ने वर्चुअल प्रदर्शनियों और वर्चुअल पर्यटन की सुविधा प्रदान करना शुरू कर दिया है।
    - **इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया टूल्स; 2D, 3D या 4D प्रोजेक्शन; वर्चुअल रियलिटी (VR) या ऑगमेंटेड रियलिटी (AR)** एवं अन्य आधुनिक तकनीकों ने कला की उत्कृष्ट कृतियां बनाने और उन्हें लोकप्रिय बनाने की अपार संभावनाएं उत्पन्न की हैं।
    - **भारतीय डिजिटल विरासत (The Indian Digital Heritage: IDH) परियोजना,** भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) की एक अनूठी पहल है। यह हमारी मूर्त और अमूर्त विरासत के डिजिटल दस्तावेजीकरण और उनकी व्याख्या करने के लिए प्रौद्योगिकी तथा मानविकी विषयों के क्षेत्र में शोधकर्ताओं के बीच सहयोगी परियोजनाओं का समर्थन करती है।
- **मूल्य सृजन: नॉन-फंजिबल टोकन (NFTs)** ने कला के क्षेत्र को नया रूप दिया है। NFTs ने कलाकारों को उनकी डिजिटल कृतियों को **वास्तविक दुनिया के अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए** विशिष्ट परिसंपत्ति के रूप में बेचने या किराये पर देने की सुविधा प्रदान की है।
    - **NFT के जरिए** कलाकार अपनी कलात्मक कृतियों को भौतिक दुनिया के अलावा वर्चुअल वर्ल्ड में भी बेच सकते हैं या किराया पर दे सकते हैं।
- **लाभ (अवार्ड) में बढ़ोतरी:** डिजिटल प्रौद्योगिकी ने कई तरीकों से कलाकारों की आय या रिवार्ड्स को बढ़ाया है, जैसे- डिजाइन के क्षेत्र में नवाचार, अधिक लोगों तक पहुंच, कार्य को सहज बनाना, अपनी कृतियों को कम समय में ही दुनिया भर में साझा करना, कार्य क्षमता में वृद्धि, व्यापक पहुंच आदि।
- **पारंपरिक कलाओं का संरक्षण:** डिजिटलीकरण, मेटाडेटा मैनेजमेंट एवं डिजिटल आर्काइव जैसी डिजिटल संरक्षण तकनीकें पारंपरिक कलाओं का लंबे समय तक संरक्षण कर सकती हैं।
    - प्रौद्योगिकी ने **मधुबनी पेंटिंग, छऊ नृत्य एवं कला के ऐसे ही कई अन्य रूपों को** फिर से लोकप्रिय बनाने में काफी मदद की है।

विभिन्न कला रूपों के संबंध में डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़ी चिंताएं

- **मूल कृतियों और नकली कृतियों में अंतर करना:** जिस तरह से मौजूदा दौर में डिजिटल मैनिपुलेशन तकनीकें तेजी से उन्नत होती जा रही हैं, उसके चलते मूल कलाकृतियों तथा डिजिटल जालसाजी या प्रतिकृतियों के बीच अंतर करना काफी कठिन होता जा रहा है।
    - डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके बनाई गई कलाकृतियों के ऑनलाइन प्रसार से इनकी गुणवत्ता और प्रामाणिकता की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। इससे **भरोसे एवं विश्वसनीयता** से जुड़ी कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
- केवल कुछ कलाकारों को लाभ मिलना: डिजिटल टूल्स की मदद से कलाकृतियां तैयार करने के लिए डिजिटल टूल्स एवं सॉफ्टवेयर में दक्षता की आवश्यकता होती है। ऐसे में जिन कलाकारों के पास **समुचित प्रशिक्षण या संसाधन नहीं है,** वे इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं।
- **डेटा की गोपनीयता से जुड़े मुद्दे:** व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करने और संग्रहीत करने, वित्तीय लेन-देन करने, तथा रचनात्मक सामग्री को ऑनलाइन साझा करने से साइबर क्राइम का शिकार होने का खतरा बढ़ जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए **मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों और डेटा संरक्षण प्रोटोकॉल की आवश्यकता** है।
- **नैतिक मुद्दे:** जिस तरह से प्रौद्योगिकियां कला के क्षेत्र को बदलती जा रही है, उसी तरह इनसे जुड़े नैतिक मुद्दे भी प्रासंगिक होते जा रहे हैं। इसके अलावा, **स्वामित्व, कॉपीराइट और डिजिटल आर्ट के मूल्य** से संबंधित नैतिक प्रश्न भी सामने आ रहे हैं।

निष्कर्ष

डिजिटल तकनीक ने कला के निर्माण, वितरण और संरक्षण के तरीके को बदल दिया है। इस क्रम में मनोरंजन उद्योग में डिजिटल युग की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए अनुकूलन एवं नवाचार को अपनाना महत्वपूर्ण है।

8.5.10. अवार (Avars)

- प्राचीन कब्रों के DNA विश्लेषण से **अवारों** के सामाजिक जीवन के बारे में पता चला है
- **अवारों के बारे में**
    - वे **घुमंतू लोग** थे, जो 6ठी-9वीं शताब्दी के बीच **पूर्वी मध्य एशिया** में रहते थे।
    - उनके जीवन जीने और युद्ध करने के तरीकों के आधार पर उन्हें **हूणों का वंशज माना** जाता है।
    - वे अपनी **पितृवंशीय वंश परंपरा (पिता की वंशावली)** का पालन कड़ाई से करते थे।
    - अन्य कबीलों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से **बाइजेंटाइन साम्राज्य ने अवारों को अपनी सेना** में शामिल किया था।
    - उन्होंने **अंतर्प्रजनन (पूर्वज संबंधियों से प्रजनन) से परहेज** किया और **गैर-अवारों के साथ सीमित संख्या में अंतर्विवाह** संबंध स्थापित किए।
    - वे अपने **विशिष्ट बेल्ट अलंकरणों के लिए पुरातत्वविदों** के बीच प्रसिद्ध हैं।

8.6. प्रश्नोत्तरी

MCQs

Q1. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

कथन (A): 1936 में मंदिर प्रवेश उद्घोषणा, एक ऐतिहासिक कानूनी जीत थी, जिसने निचली जाति के व्यक्तियों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति प्रदान की।

कारण (R): पेरियार ने 1924 में केरल में वाइकोम सत्याग्रह आंदोलन चलाया।

(a) (A) और (R) दोनों सही हैं, तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है

(b) (A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है

(c) (A) सही है, लेकिन (R) सही नहीं है

(d) (A) और (R) दोनों सही नहीं हैं

Q2. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण
2. पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र
3. आचार्य आनंदवर्धन द्वारा रचित सहृदयलोक-लोकन

उपर्युक्त में से कितनों को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड (MOW) एशिया-पैसिफिक क्षेत्रीय रजिस्टर में शामिल किया गया है?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) केवल 3

(d) कोई नहीं

Q3. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

प्रतिमा	***व्यक्ति को समर्पित***
1. स्टैच्यू ऑफ वेलर	लचित बोरफुकन
2. स्टैच्यू ऑफ वननेस	सरदार पटेल
3. स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी	आदि शंकराचार्य

उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) सभी तीन

(d) कोई नहीं

Q4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) भारत में जियो-हेरिटेज साइट्स को मान्यता देता है, उनकी घोषणा करता है और उनका रखरखाव करता है।
2. हाल ही में आंध्र प्रदेश में पांडवुला गुट्टा और राजस्थान में रामगढ़ क्रेटर को जियो-हेरिटेज साइट्स के रूप में मान्यता दी गई है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

Q5. निम्नलिखित में से कौन-सी जनजाति बीजों को संरक्षित करने की पारंपरिक विधि डेडा का पालन करती है?

(a) लुशाई

(b) सोलिगा

(c) मुरिया

(d) संथाल

प्रश्न

1. 'राष्ट्रीय महत्व के स्मारक' क्या हैं? ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा में चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। उन्हें विनाश से बचाने के उपाय सुझाएं। (150 शब्द)

2. आधुनिक समाज के लिए महावीर जैन की शिक्षाओं की समकालीन प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। (150 शब्द)

नीतिशास्त्र (ETHICS)

विषय-सूची

9.1. खुशहाली 245

9.2. बुनियादी जरूरतें और दुर्लभ संसाधन 247

9.3. धार्मिक विश्वास और वैज्ञानिक प्रगति 248

9.4. खाद्य सेवा और सुरक्षा की नैतिकता 249

9.5. राजनीतिक नैतिकता और हितों का टकराव 250

9.6. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नैतिक उपयोग 252

9.7. नैतिकता और उद्यमिता 254

9.8. कम्पैशनेट कैपिटलिज्म या परोपकारी पूंजीवाद 255

9.9. दंड की नैतिकता 256

9.10. प्रश्नोत्तरी 257

9.1. खुशहाली (HAPPINESS)

संदर्भ

हाल ही में, **यू.एन. सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क (SDSN)** ने गैलप (Gallup) और ऑक्सफोर्ड वेलबीइंग रिसर्च सेंटर के साथ साझेदारी में **वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट (WHR) 2024** जारी की। **फिनलैंड** लगातार सातवें वर्ष रैंकिंग में शीर्ष पर रहा, जबकि **भारत 143 देशों में से 126वें स्थान पर** था।

विश्लेषण

खुशहाली: दूरगामी प्रभावों के साथ एक बहुआयामी खोज

खुशहाली मानव द्वारा की जाने वाली एक मूलभूत खोज है। यह मानव अस्तित्व के विभिन्न स्तरों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- **व्यक्तिगत स्तर पर खुशहाली के लाभ:** खुशी बेहतर मानसिक स्वास्थ्य, अधिक उत्पादकता और मजबूत एवं अधिक संतोषजनक संबंधों से निकटता से जुड़ी हुई है।
- **सामाजिक-स्तर पर प्रभाव:** सामाजिक स्तर पर, **खुशहाली अपनेपन और सामाजिक एकजुटता की भावना को बढ़ावा** देती है। खुशहाल समुदाय राजनीतिक संस्थानों में भी उच्च स्तर की नागरिक सहभागिता और विश्वास प्रदर्शित करते हैं।
- **राष्ट्रीय स्तर के निहितार्थ:** खुशहाली राजनीतिक स्थिरता, टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने और आर्थिक विकास से जुड़ी है। जिन देशों ने **"सकल राष्ट्रीय खुशहाली (Gross National Happiness)"** से जुड़ी योजनाओं को अपनी विकास योजनाओं में एकीकृत किया है।
- **वैश्विक स्तर पर व्यापक प्रभाव:** अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो, खुशहाली दुनियाभर में शांति और सहयोग बढ़ाने के साथ-साथ संसाधनों के न्यायसंगत वितरण और गरीबी को कम करने से भी जुड़ी है।

नैतिक मूल्य खुशहाली कैसे पैदा करते हैं?

- **परोपकारिता और करुणा:** दूसरों की परवाह करने हेतु प्रेरित करने वाले नैतिक मूल्य (जैसे- परोपकारिता एवं करुणा) जीवन में **सार्थकता, लक्ष्य और कुल मिलाकर खुशहाली की भावना को बढ़ाने में मददगार** साबित हुए हैं।
- **ईमानदारी एवं प्रामाणिकता:** ईमानदारी के साथ जीवन जीने और हमारे कार्यों को हमारे मूल्यों के साथ जोड़कर देखने से **आत्म-सम्मान, आत्मविश्वास और प्रामाणिकता की भावना बढ़ती** है। इससे **जीवन में खुशहाली और संतुष्टि को बढ़ावा** मिलता है।
- **निष्पक्षता और न्याय:** निष्पक्षता, न्याय और समानता के नैतिक सिद्धांतों को कायम रखने तथा **संघर्ष, रोष और नाखुशी की संभावनाओं को कम करने से** अधिक **सामंजस्यपूर्ण और स्थिर समाज** बनाने में मदद मिलती है।
- **स्व-नियमन और अनुशासन:** आत्म-अनुशासन, आवेग नियंत्रण और भावनात्मक मूल्यों को प्रोत्साहित करने वाले नैतिक मूल्य लोगों को **उचित विकल्प चुनने एवं तनाव को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने** में मदद कर सकते हैं।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

खुशहाली की परिभाषा क्या है?

खुशहाली की कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है। हालांकि, **आनंद या परम आनंद,** भारतीय संस्कृति में गहराई से निहित एक विचार है। यह खुशहाली और कल्याण की एक गहन और बेहतर स्थिति को दर्शाता है जो क्षणिक सुखों से परे होता है। इसे ही **मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य** माना जाता है।

पैसा (Money) खुशहाली को कैसे प्रभावित करता है?

- **वित्तीय सुरक्षा बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करती है, लेकिन धन या पैसे से खुशी की पूर्ण प्राप्ति हो, यह निश्चित नहीं है।** भौतिक वस्तुओं का **वास्तविक संतुष्टि** से बहुत कमजोर संबंध है।

खुशहाली या खुशी की व्याख्या करने वाले विभिन्न दार्शनिक सिद्धांत

- **उपनिषद परंपरा: सत् (अस्तित्व) और चित (चेतना)** के साथ-साथ **आनंद, ब्रह्म के तीन आवश्यक पहलुओं में से एक** है। ये तीन पहलू **ब्रह्म** की प्रकृति का मूल भाग निर्मित करते हैं। इन्हें अक्सर **"सत्-चित-आनंद"** के रूप में व्यक्त किया जाता है (तैत्तिरीय उपनिषद)।
- **एपिक्यूरियनवाद (एपिकुरस):** खुशहाली वस्तुतः **शारीरिक और विशेष रूप से मानसिक पीड़ा (अटारैक्सिया) का पूर्ण अभाव** है। इस स्थिति में न तो देवताओं का भय रहता है और न ही जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के अलावा, किसी अन्य चीज की इच्छा।
- **बौद्ध धर्म:** इच्छाओं की समाप्ति और **सचेतनता (माइंडफुलनेस) एवं करुणा के अभ्यास से खुशी** प्राप्त होती है।
- **युडेमोनिज्म (अरस्तू):** वास्तविक खुशहाली एक सदाचारी और परिपूर्ण जीवन जीने तथा अपनी क्षमता को पहचानने से आती है।
- **उपयोगितावाद (जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल):** खुशहाली सर्वोच्च कल्याण का प्रतीक है। इसमें **अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख** पर बल दिया गया है।

- **सकारात्मक संबंध:** नैतिक मूल्य जो **हमारे संबंधों में ईमानदारी, विश्वास और सम्मान को प्राथमिकता** देते हैं, वे अधिक **सार्थक, सहायक एवं पारस्परिक रूप से पूर्ण संबंधों को बढ़ावा** देते हैं। **हमारे संबंधों में ईमानदारी, विश्वास और सम्मान को प्राथमिकता** देने वाले नैतिक मूल्य अधिक **सार्थक, सहायक एवं पारस्परिक रूप से पूर्ण संबंधों को बढ़ावा** देते हैं।

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

खुशहाली को प्रभावित करने वाले कारक

- **जैविक कारक**: **न्यूरोट्रांसमीटर** (जैसे- डोपामाइन, सेरोटोनिन), जेनेटिक्स (आनुवंशिक प्रवृत्ति)
- **मनोवैज्ञानिक कारक**: मानसिकता और नज़रिया, **आत्मसम्मान और आत्म-मूल्य**
- **सामाजिक और संबंधपरक कारक**: सामाजिक समर्थन, रिश्तों की प्रगाढ़ता, **सामाजिक जुड़ाव**
- **पर्यावरणीय कारक**: रहने की स्थितियां, **नौकरी से संतुष्टि,** वित्तीय स्थिरता, जीवन की घटनाएं
- **व्यवहार संबंधी कारक**: शारीरिक स्वास्थ्य, **सचेतन और ध्यान करना**
- **संज्ञानात्मक कारक**: **आभार और प्रशंसा,** लक्ष्य निर्धारण और उपलब्धि
- **सांस्कृतिक और सामाजिक कारक**: सांस्कृतिक मूल्य और विश्वास

ऑल इंडिया मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज़

देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं

- ✓ सामान्य अध्ययन
- ✓ निबंध
- ✓ दर्शनशास्त्र

ENGLISH MEDIUM 2025: 3 NOVEMBER
हिन्दी माध्यम 2025: 3 नवंबर

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

9.2. बुनियादी जरूरतें और दुर्लभ संसाधन (BARE NECESSITIES AND SCARCE RESOURCES)

संदर्भ

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत 80 मिलियन प्रवासियों और असंगठित श्रमिकों को राशन कार्ड जारी करने का आदेश दिया। हालांकि, कभी-कभी सरकारें संसाधनों की कमी के समय में बुनियादी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाती हैं, जो मानवता की सबसे बुनियादी नैतिक दुविधाओं में से एक है।

विश्लेषण

बुनियादी जरूरतें क्या हैं?

- बुनियादी जरूरतें वे **मूलभूत आवश्यकताएं** हैं जो **मानव अस्तित्व और कल्याण** के लिए आवश्यक होती हैं।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में **बेयर नेसेसिटीज़ इंडेक्स (BNI)** प्रस्तुत किया था। इसमें पांच आयामों- **जल, स्वच्छता, आवास, सूक्ष्म परिवेश और अन्य सुविधाओं** के आधार पर **26 संकेतकों का उपयोग** किया गया।

बुनियादी जरूरतों को उपलब्ध कराने के लिए सरकार जिम्मेदार क्यों है?

- **सामाजिक अनुबंध** का सिद्धांत यह बताता है कि सरकार का अपने नागरिकों के साथ किस प्रकार का संबंध होना चाहिए। उदाहरण के लिए- **नागरिक लोक सेवाओं और सुरक्षा के बदले में कुछ स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित** करते हैं।
- **संवैधानिक आदेश:** भारत के संविधान में सरकार को अपने **नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने** का कार्य सौंपा गया है।
  - उदाहरण के लिए- **अनुच्छेद 39(a)** राज्य को अपने नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुरक्षित करने की आवश्यकता पर बल देता है, जबकि **अनुच्छेद 47 पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने** की परिकल्पना करता है।
- **अधिकारों की विस्तारित प्रकृति:** बुनियादी जरूरतों की सीमा को बढ़ाने के लिए कई कानून जनसंख्या की जरूरतों के साथ विकसित हुए हैं, उदाहरण के लिए- शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, आदि।
- **पब्लिक गुड्स:** सरकार बुनियादी ज़रूरतें प्रदान करने में सक्षम है जिससे पूरे समाज को लाभ होता है, जैसे- **स्वच्छ जल और स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढाँचा।**

बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति में शामिल विभिन्न हितधारक

हितधारक	भूमिका/ हित	नैतिक मुद्दे
व्यक्ति और समुदाय	**अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण** के साथ जीवन की रक्षा।	**संसाधनों की उपलब्धता में असमानता** और अन्यायपूर्ण वितरण।
सरकार	बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति हेतु नीति निर्माण। **संसाधन आवंटन** को विनियमित करना।	निर्णय लेने में **पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव।**
नागरिक समाज	**सहायता और प्रत्यक्ष राहत** प्रदाता। **सरकार और कॉर्पोरेट जगत के कार्यों** की निगरानी।	बाहरी फंडिंग पर निर्भरता। **तत्काल जरूरतों को प्राथमिकता।**
निगम	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति करना।	संसाधनों का अत्यधिक संकेंद्रण और अत्यधिक दोहन।
अंतर्राष्ट्रीय संगठन	सार्वभौमिक मानवाधिकारों को बढ़ावा देना।	राष्ट्रों के बीच असमान **शक्ति संतुलन।**

सरकार द्वारा बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के लिए नैतिक दृष्टिकोण कौन-से हैं?

- **न्याय-आधारित दृष्टिकोण:** दुर्लभ संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित करना जो यथासंभव न्यायसंगत हो और शोषण को कम करे।
- **उपयोगितावाद:** सीमित संसाधनों से प्राप्त लाभों को अधिकतम करने का लक्ष्य रखते हुए, आवश्यकता और संभावित प्रभाव के आधार पर संसाधन आवंटन को प्राथमिकता दी जाए।
- **क्षमता दृष्टिकोण:** शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने के लिए व्यक्तियों की क्षमताओं में वृद्धि को प्राथमिकता देना चाहिए तथा उन्हें गरीबी और अभाव से उबरने के लिए सशक्त बनाना चाहिए।
- **अधिकार-आधारित दृष्टिकोण:** यह बुनियादी आवश्यकताओं को मौलिक मानवाधिकारों के रूप में मान्यता देता है।

बुनियादी जरूरतों और दुर्लभ संसाधनों के बीच संतुलन बनाने के तरीके

- **वैश्विक सार्वजनिक वस्तुएं:** कोविड-19 महामारी, शरणार्थी संकट, जलवायु परिवर्तन आदि वैश्विक समस्याओं ने **वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक वस्तुओं की आवश्यकता** को दर्शाया है।
- **प्राथमिकता और कुशल आवंटन:** उन प्रथाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जो संसाधनों की बर्बादी को कम करती हैं, संधारणीय होती हैं। गौरतलब है कि **गांधीजी के सर्वोदय की परिकल्पना** में भी यह विचार शामिल है।
- **बुनियादी जरूरतों को परिभाषित करने के सिद्धांत:** बुनियादी जरूरतों को परिभाषित करने के लिए, बुनियादी आवश्यकताओं के मूल समूह की पहचान करने हेतु सार्वजनिक वस्तुओं के प्रावधान के सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए- नीदरलैंड।
- **तकनीकी नवाचार:** संसाधन प्रबंधन में एडवांस प्रौद्योगिकी को अपनाने से सीमित संसाधनों के कुशल और प्रभावी उपयोग में मदद मिल सकती है।
- **संसाधनों का कन्वर्जेंस:** संसाधनों के प्रभावी तरीके से प्रबंधन के लिए सरकार के विभिन्न स्तरों, नागरिक समाजों, उद्योगों के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कोष और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के बीच सहयोग की आवश्यकता है।

9.3. धार्मिक विश्वास और वैज्ञानिक प्रगति (RELIGIOUS BELIEFS AND EVOLVING SCIENTIFIC ADVANCEMENTS)

संदर्भ

धार्मिक विचारों को अक्सर ज्ञान के नए क्षेत्रों और वैज्ञानिक प्रगति से चुनौती मिलती है। इन चुनौतियों के बावजूद, धर्म लोगों के जीवन में एक अभिन्न और रचनात्मक भूमिका निभाता है। इस द्वंद्व से एक प्रश्न उठता है कि क्या धार्मिक मान्यताएं वैज्ञानिक प्रगति के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से सह-अस्तित्व में रह सकती हैं?

विश्लेषण

वैज्ञानिक प्रगति ने धार्मिक विश्वास को कैसे चुनौती दी है?

वैज्ञानिक विचारों का लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं पर बड़ा और परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ता है। इसे जीवन के कई क्षेत्रों में देखा जा सकता है-

- **जीवन और मृत्यु:** कभी अनियंत्रित मानी जाने वाली जीवन और मृत्यु की प्रक्रिया को अब जैव प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण चुनौती मिल रही है। उदाहरण के लिए, **जीनोम एडिटिंग, थ्री-पैरेंट बेबी।**
- **विकास: चार्ल्स डार्विन** का **थ्योरी ऑफ इवॉल्यूशन** (प्राकृतिक चयन के विचार को बढ़ावा देने वाला सिद्धांत) पृथ्वी पर मानव जीवन की **उत्पत्ति** और विकास **के बारे में कई धार्मिक मान्यताओं** को खारिज करता है।
- **अंतरिक्ष: बिग बैंग सिद्धांत** से पता चलता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.7 अरब साल पहले एक विलक्षण घटना से हुई थी।
    - यह उस धार्मिक मान्यता के विपरीत है जो ब्रह्मांड, विशेषकर पृथ्वी के निर्माण के संबंध में विभिन्न सिद्धांतों का प्रचार करती है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

धार्मिक विश्वास क्या है?

- **आस्था पर आधारित:** धार्मिक विश्वास व्यक्ति की आस्था से आकार ग्रहण करता है। **अदृश्य, पारलौकिक या परमात्मा** में **गहन व व्यक्तिगत विश्वास** ही आस्था है।
    - यह एक मूलभूत तत्व है जो **अर्थ, उद्देश्य और पवित्रता से जुड़ाव** की भावना प्रदान करता है।
- **सामूहिक ज्ञान द्वारा व्यवहार में शामिल:** ये मान्यताएं अक्सर **प्राचीन ग्रंथों, मौखिक परंपराओं और आध्यात्मिक अनुभवों** से उत्पन्न होती हैं जिन्होंने सभ्यताओं की सामूहिक चेतना को आकार दिया है।

वैज्ञानिक समीक्षा/ विश्लेषण: सीमाएं और हद

- **अनुभवजन्य साक्ष्य की सीमाएं:** अनुभवजन्य साक्ष्य **विज्ञान की मूल आधारशिला** है। इसने कई नई खोजों और आविष्कारों को जन्म दिया है। हालांकि, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं।
    - उदाहरण के लिए- **चेतना, आध्यात्मिकता** जैसे विभिन्न मानव-विशिष्ट तत्वों को **वैज्ञानिक समीक्षा के द्वारा अनुभवजन्य रूप से मापा या तौला नहीं जा** सकता है।
        - इन तत्वों में **व्यक्तिगत अनुभव और व्यक्तिपरक व्याख्या** शामिल है।
- **नैतिकता और आचरण का विषय:** वैज्ञानिक घटनाक्रम कुछ कार्यों या व्यवहारों के कारण या परिणामों के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वे उनसे जुड़े नैतिक मूल्यों या नैतिक सिद्धांतों की व्याख्या नहीं कर सकते हैं।
    - जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति ने **जेनेटिक इंजीनियरिंग की सीमाओं** तथा मानव विकास और **प्राकृतिक व्यवस्था पर इसके संभावित प्रभावों** के बारे में जटिल नैतिक प्रश्न भी उठाए हैं।

आगे की राह: आस्था और तर्क में सामंजस्य

- **बौद्धिक विनम्रता को अपनाना:** इसमें यह पहचानना शामिल है कि **किसी व्यक्ति के ज्ञान की एक सीमा** है और उसकी वर्तमान मान्यताएं गलत भी हो सकती हैं।
- **संवाद और सहयोग:** इसे **समावेशिता, विविधता के प्रति सम्मान और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण** जैसे मानवतावादी सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।
    - वैज्ञानिक समुदाय को धार्मिक मान्यताओं को **सांस्कृतिक संवेदनशीलता** के साथ देखना चाहिए और व्यक्तियों एवं समाजों पर उनके गहरे प्रभाव की सराहना करनी चाहिए।
        - उदाहरण के लिए- प्राचीन यूनानी दार्शनिक **अरस्तू**, वैज्ञानिक विचारों में उनके योगदान के लिए सम्मानित थे, लेकिन वे एक "अनमूव्ड मूवर" के अस्तित्व में भी विश्वास करते थे। यह एक ऐसी अवधारणा थी, जो एक **दिव्य निर्माता की धारणा से जुड़ी हुई** थी।
    - धार्मिक संस्थानों द्वारा वैज्ञानिक निष्कर्ष सिरे से खारिज नहीं किए जाने चाहिए। उन्हें नए साक्ष्यों के आलोक में धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं की पुनर्व्याख्या करने के अवसर तलाशने चाहिए।
- **आलोचनात्मक बुद्धि का विकास:** पाठ्यक्रम में धार्मिक मान्यताओं और वैज्ञानिक प्रगति के एक संतुलित और सूक्ष्म विश्लेषण को शामिल करते हुए शिक्षक छात्रों को ज्ञान और समानुभूति के साथ इस टकराव से निपटने हेतु आवश्यक महत्वपूर्ण वैचारिक कौशल प्रदान कर सकते हैं।

9.4. खाद्य सेवा और सुरक्षा की नैतिकता (ETHICS OF FOOD SERVICE AND SAFETY)

संदर्भ

हाल ही में, हांगकांग, सिंगापुर और मालदीव में MDH और एवरेस्ट के कई मसालों में **कार्सिनोजेनिक अर्थात् कैंसरकारी कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड** पाए गए। ये उदाहरण खाद्य उद्योग में अपर्याप्त मानकीकरण और कंपनियों की ओर से नैतिक पहलुओं की अनदेखी जैसे मुद्दों को उजागर करते हैं।

विश्लेषण

खाद्य सेवा नैतिकता के प्रमुख सिद्धांत

- **न्याय: सामाजिक न्याय** के दृष्टिकोण से, खाद्य सुरक्षा की नैतिकता में खाद्य प्रदाताओं के साथ-साथ उपभोक्ताओं के लिए भी न्याय शामिल है।
  - **खाद्य प्रदाताओं के लिए न्याय:** खाद्य सेवा कर्मियों को अक्सर कम वेतन, खाद्य असुरक्षा, निम्न जीवन स्तर जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ता है।
  - **उपभोक्ताओं के लिए न्याय:** उपभोक्ता के दृष्टिकोण से सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक पहुंच, सुरक्षा और वहनीयता ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।
- **स्वायत्तता (Autonomy):** इसे निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है:
  - खाद्य उत्पादन और वितरण के तरीके को चुनने की स्वतंत्रता (आपूर्ति श्रृंखलाओं में स्वायत्तता) रखना,
  - साथ ही, उपभोक्ताओं को अपने निर्णय लेने की क्षमता (लेबल के माध्यम से पारदर्शिता) का सम्मान करना।
- **गैर-दुर्भावना (Non-maleficence):** खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में, गैर-दुर्भावना में शामिल हैं-
  - संदूषण और खाद्य जनित बीमारियों को रोकने के लिए कदम उठाना,
  - खाद्य सुरक्षा के बारे में पारदर्शी होना।
- **जवाबदेही और पारदर्शिता:** इसमें खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी लेना, ग्राहकों से मिले फीडबैक का समाधान करना और हितधारकों के साथ संचार करना शामिल हैं।

खाद्य उत्पादन और उपभोग में शामिल विभिन्न हितधारक

हितधारक	भूमिका/ हित
उपभोक्ता	• स्वास्थ्य और कल्याण (अधिक वजन, मोटापा और NCDs) • खाद्य सेवाओं में समानता, सामाजिक न्याय और निष्पक्षता
कंपनियां/ व्यवसाय	• ग्राहकों की संतुष्टि, विश्वास और निष्ठा • सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक सहभागिता • प्रतिष्ठा
सरकार	• सार्वजनिक नीति एवं विनियमन • यह सुनिश्चित करना कि परोसा गया भोजन उच्च गुणवत्ता वाला तथा पौष्टिक हो और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा में योगदान दे।
सोसायटी	• खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में नैतिक प्रथाओं का पालन किया जाता हो • भोजन की वहनीयता और पहुंच सुनिश्चित करना
अंतर्राष्ट्रीय संगठन	• पशु कल्याण और मानवाधिकार • वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण

खाद्य सेवा और सुरक्षा में शामिल नैतिक दुविधाएं

- **सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपना:** खाद्य जनित रोगों और प्रकोप को रोकने तथा नियंत्रित करने की जिम्मेदारी किसे लेनी चाहिए?
  - WHO के अनुसार, असुरक्षित खाद्य पदार्थों से हर साल 600 मिलियन लोग बीमार पड़ते हैं और 4,20,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है।
- **वित्तीय बाधाएं बनाम खाद्य सुरक्षा:** विशेष रूप से छोटे पैमाने के उत्पादकों और प्रसंस्करणकर्ताओं के समक्ष यह सवाल उठता है कि **खाद्य सुरक्षा उपायों की लागत तथा लाभों को कैसे संतुलित किया जाए** और साथ ही खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन कैसे किया जाए।
- **वास्तविक हितधारकों की रक्षा करना:** सार्वजनिक हित या जवाबदेही से समझौता किए बिना, खाद्य जनित घटनाओं में शामिल **व्यक्तियों या व्यवसायों की निजता और गोपनीयता की रक्षा करना।**
- **सुरक्षा मानकों को सार्वभौमिक रूप से लागू करना:** यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि **खाद्य सेवाएं और सुरक्षा उपाय निष्पक्ष तथा न्यायसंगत हों** एवं सामाजिक आर्थिक स्थिति, संस्कृति या भौगोलिक स्थिति के आधार पर कुछ समूहों के खिलाफ भेदभाव न किया जाए। यह भी एक अन्य महत्वपूर्ण नैतिक मुद्दा है।

आगे की राह

- **उपभोक्ताओं को प्रेरित करना:** इसके तहत निर्णय या "चॉइस आर्किटेक्चर" वाले परिवेश (**उदाहरण के लिए- कैफेटेरिया \ में विकल्पों को दर्शाना**) में छोटे बदलाव किए जा सकते हैं। ये बदलाव व्यक्तियों को ऐसे विकल्प चुनने में मदद करते हैं, जिन्हें लाभकारी माना जाता है, जैसे- **ईट राइट इंडिया** अभियान।
- **हितधारकों का दृष्टिकोण:** पर्यावरणविदों, उपभोक्ताओं और पशु उद्योगों सहित अन्य हितधारकों के दृष्टिकोण नैतिक निर्णय में महत्वपूर्ण होते हैं।
- **लेबलिंग:** बेहतर संचार के लिए लेबल पर सूचना के कंटेंट और फ्रेमिंग में सुधार की आवश्यकता है, जैसे- लेबल-पढ़ेगा इंडिया अभियान।
- **खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और शिक्षा:** खाद्य संदूषण और खाद्य जनित बीमारियों के प्रकोप को रोकने के लिए खाद्य सेवा से जुड़े प्रतिष्ठानों हेतु खाद्य सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण तथा शिक्षा महत्वपूर्ण है।

- **ट्रिपल बॉटम लाइन (TBL) ढांचा:** यह संधारणीयता को मापने के लिए एक फ्रेमवर्क है, जिसमें प्रदर्शन के तीन आयामों- सामाजिक, पर्यावरणीय और वित्तीय पर विचार किया जाता है।

खाद्य सेवा और सुरक्षा में नैतिक मानकों को सुनिश्चित करना **उपभोक्ताओं के कल्याण, व्यवसायों की संधारणीयता और हमारे समाज के स्वास्थ्य** के लिए सर्वोपरि है। **पारदर्शिता, जवाबदेही और हितधारक से जुड़ाव** को अपनाकर, सभी के लिए एक स्वस्थ और अधिक न्यायसंगत खाद्य प्रणाली को बढ़ावा देते हुए खाद्य उद्योग की नैतिक जटिलताओं का समाधान किया जा सकता है।

9.5. राजनीतिक नैतिकता और हितों का टकराव (POLITICAL ETHICS AND CONFLICT OF INTEREST)

संदर्भ

हाल ही में, कलकत्ता हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश और पश्चिम बंगाल के एक वरिष्ठ आई.पी.एस. अधिकारी ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया और वे राजनीतिक दलों में शामिल हो गए। इससे एक बार फिर संवैधानिक प्राधिकारियों और नौकरशाही के स्वतंत्र काम-काज तथा उनके कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान हितों के टकराव को लेकर कुछ प्रश्न उठाए गए हैं।

विश्लेषण

न्यायाधीशों और नौकरशाहों के राजनीति में शामिल होने के नैतिक निहितार्थ

हालांकि, राजनेताओं और नौकरशाहों के राजनीति में शामिल होने पर कोई संवैधानिक प्रतिबंध नहीं है। इसमें आलोचकों का तर्क है कि ऐसे मामले न्यायिक स्वतंत्रता व नौकरशाही की तटस्थता के आवश्यक सिद्धांतों और इन संस्थाओं में जनता के विश्वास को खतरे में डालते हैं।

- **शक्तियों का पृथक्करण:** शक्तियों का पृथक्करण लोकतांत्रिक शासन में एक मौलिक सिद्धांत है। इसमें सत्ता के संकेन्द्रण को रोकने और संतुलन बनाए रखने के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखा जाता है।
- **हितों का टकराव:** राजनीतिक आकांक्षाओं वाले न्यायाधीश या नौकरशाह अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते समय राजनीतिक विचारों से प्रभावित हो सकते हैं।
- **न्यायिक निष्पक्षता:** न्यायपालिका की विश्वसनीयता जनता के समक्ष पारदर्शिता और निष्पक्षता की धारणा पर ही निर्भर करती है। ऐसे में **सेवानिवृत्ति के बाद किसी राजनीतिक दल से संबद्धता न्यायाधीश द्वारा पक्षपात की धारणा को प्रबल बनाती** है, भले ही पूर्व में न्यायाधीश के **वास्तविक इरादे कुछ भी रहे हों।**
- **नौकरशाही तटस्थता:** लोक सेवकों की राजनीतिक संबद्धता लोक सेवाओं के राजनीतिकरण और नीतियों के कार्यान्वयन में विकृतियों को जन्म दे सकती है। इससे नीतियों के उद्देश्य और परिणाम कमज़ोर हो सकते हैं।
- **जनता के विश्वास का क्षरण:** तटस्थता एवं निष्पक्षता से समझौते की धारणा के कारण।

आगे की राह

- **कूलिंग-ऑफ अवधि:** यह सुझाव दिया जाता है कि सेवानिवृत्ति और राजनीतिक/ अन्य नियुक्तियों में शामिल होने के बीच **कम-से-कम दो साल की कूलिंग-ऑफ अवधि** होनी चाहिए।
- **नौकरशाहों के लिए आचार संहिता:** द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सिफ़ारिश की गई आचार संहिता निर्धारित की जानी चाहिए। इसमें लोक प्राधिकारियों के लिए अच्छे व्यवहार और शासन के व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत शामिल होने चाहिए।

विभिन्न हितधारक और संबंधित नैतिक चिंताएं

हितधारक	भूमिका/ हित	नैतिक चिंताएं
न्यायाधीश/ नौकरशाह	व्यक्तिगत अधिकारों का प्रयोग, राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति, लोक सेवा की इच्छा, आदि।	निष्पक्षता बनाए रखना, हितों के टकराव से बचना, अपने पदों की शुचिता को बनाए रखना।
राजनीतिक दल	शासन संबंधी ज्ञान के साथ अनुभवी व्यक्तियों को शामिल करना, न्यायाधीशों/ नौकरशाहों की सार्वजनिक छवि का लाभ उठाकर विश्वसनीयता बढ़ाना, आदि।	यह ध्यान रखना कि कोई अनुचित प्रभाव या पक्षपात न हो, सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास बढ़ाना, लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखना, आदि।
नागरिक	उचित और निष्पक्ष न्याय प्रणाली, कुशल और राजनीतिक रूप से तटस्थ नौकरशाही, उनके अधिकारों की सुरक्षा, आदि।	विधि के शासन को लागू करने में पक्षपात या तरफदारी की धारणा, संस्थानों में विश्वास का क्षरण, आदि।
सरकार	अपनी नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन, संस्थानों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना, स्वतंत्र नीति निर्माण की क्षमता रखना, आदि।	हितों के संभावित/ वास्तविक टकराव को रोकना, उचित और निष्पक्ष न्याय निर्णयन/ प्रशासन सुनिश्चित करना, शक्तियों का पृथक्करण सुनिश्चित करना, आदि।
नागरिक समाज	सार्वजनिक हित की रक्षा करना, शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, आदि।	लोक अधिकारियों के बीच नैतिक आचरण सुनिश्चित करना, हितों के संभावित टकराव के बारे में जागरूकता बढ़ाना, आदि।

- **हितों के टकराव का समाधान:** लोक प्राधिकारियों और न्यायाधीशों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान उत्पन्न होने वाले हितों के टकराव का समाधान सुनिश्चित करना चाहिए। इसे त्याग, पारदर्शिता और प्रकटीकरण (Recusal, divestiture, and disclosure) के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए- जब भी किसी मामले में हितों के टकराव की संभावना हो, तो न्यायाधीश उस मामले से हट सकते हैं।
  - यह प्रथा विधि की सम्यक प्रक्रिया के प्रमुख सिद्धांत- **नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ** (nemo judex in causa sua) से उपजी है, यानी कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता।
    - ◊ न्यायिक सुनवाई से खुद को अलग करने के सिद्धांत से यह सुनिश्चित होता है कि- **"न्याय न केवल होना चाहिए, बल्कि न्याय होते हुए भी दिखना चाहिए"।**
- **नीदरलैंड** आचार संहिता या मानकों के कोड के ज़रिए हितों के टकराव को नियंत्रित करता है, जबकि फ्रांस **कानूनों और संहिताओं के मिश्रण** के ज़रिए इसे नियंत्रित करता है।

कूलिंग-ऑफ अवधि के पक्ष में तर्क	कूलिंग-ऑफ अवधि के खिलाफ तर्क
सार्वजनिक विश्वास को बढ़ावा देना, स्थागत शुचिता की रक्षा करना, निष्पक्षता के नैतिक मानकों को बनाए रखना।	**कोई संवैधानिक प्रतिबंध नहीं,** प्रत्येक नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार के लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ, "भय या पक्षपात" का सिद्धांत।

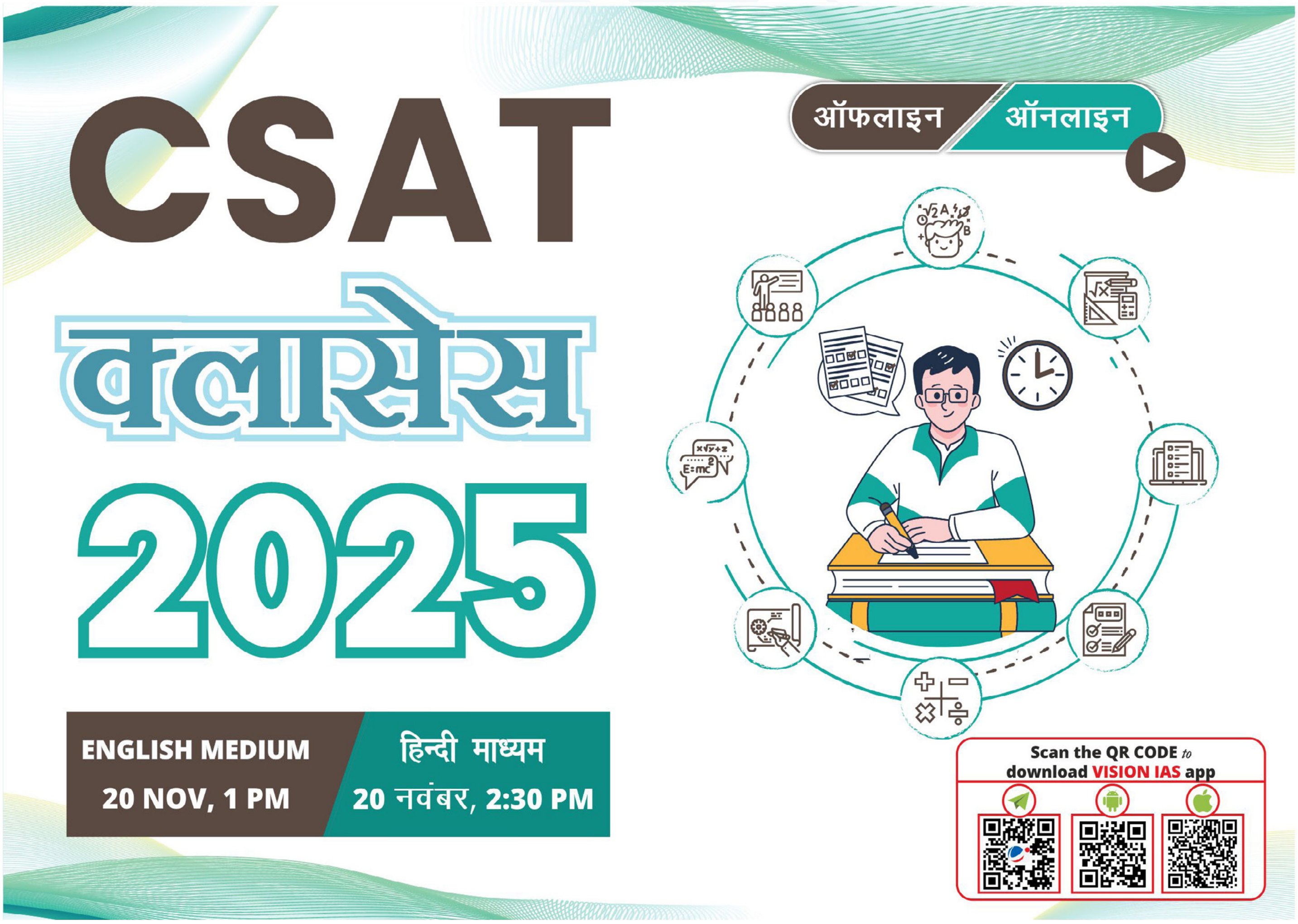

त्रैमासिक रिविजन

9.6. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नैतिक उपयोग (ETHICAL USE OF SOCIAL MEDIA PLATFORMS)

संदर्भ

हाल ही में, भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान सोशल मीडिया के उपयोग के संबंध में आदर्श आचार संहिता और अन्य कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों का संज्ञान लिया है। इससे सोशल मीडिया के तेजी से बदलते स्वरूप के संदर्भ में 'सोशल मीडिया की सुपरिभाषित नैतिकता' के अभाव के बारे में प्रश्न उठते हैं।

विश्लेषण

सोशल मीडिया से संबंधित नैतिक बहस

- **व्यक्तिगत बनाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म:**
  - **निजता:** इससे उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा के उपयोग, भंडारण और साझाकरण के लिए सहमति के अभाव के कारण **गोपनीयता के उल्लंघन** संबंधी नैतिक मुद्दे सामने आते हैं।
    - उदाहरण के लिए- सर्च हिस्ट्री और पत्रकारों के **डॉक्सिंग** पर आधारित **लक्षित विज्ञापन।**
  - **भेदभाव:** इनमें ऐसी संस्थागत व्यवस्था का अभाव होता है जो यह सुनिश्चित करे कि वंचित तबके के विचारों तक समान और उचित रूप से पहुंचा जा सके।
    - उदाहरण के लिए- **पश्चिमी देशों में आप्रवासन विरोधी भावना** पर आधारित सोशल मीडिया अभियान।
  - **फर्जी खबरें (Fake News):** अनामिता या पहचान छुपाने (Anonymity) की सुविधा के कारण **उचित सत्यापन प्रक्रिया और जवाबदेही का अभाव** है। इससे जानबूझकर और अनजाने में **गलत सूचना** फैलती है, जिससे प्रभावी निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न होती है।

सोशल मीडिया के उपयोग में शामिल विभिन्न हितधारक	
हितधारक	**भूमिका/ हित**
उपयोगकर्ता/ ग्राहक/ नागरिक	• गुणवत्तापूर्ण डिजिटल सेवाओं तक पहुंच
सोशल मीडिया मध्यवर्ती संस्था/ प्लेटफ़ॉर्म	• गुणवत्तापूर्ण सेवा वितरण • लाभप्रदता और वित्तीय संवृद्धि
राजनीतिक दल	• लक्षित मतदाताओं तक पहुंच बढ़ाना • चुनाव प्रचार हेतु एक साधन के रूप में सोशल मीडिया
सरकार/ विनियामक इकोसिस्टम	• निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना • अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना
अंतर्राष्ट्रीय संगठन	• सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नैतिक उपयोग पर वैश्विक सहमति

- **समाज बनाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म:**
  - **ध्रुवीकरण:** सोशल मीडिया समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के लिए इन्फ़ॉर्मेशनल साइलो बनाता है।
  - **सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक के बीच अस्पष्टता:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के कारण **आभासी दुनिया ने वास्तविक सामाजिक जीवन को प्रभावित** किया है।
    - उदाहरण के लिए- **डिनर के दौरान मोबाइल फोन** का उपयोग करना, परिवार से **बच्चों का अलगाव** आदि।
- **नियामक इकोसिस्टम बनाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म:**
  - **राष्ट्रहित बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता:** विनियामक पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे- सरकारें **राष्ट्रीय सुरक्षा और गरिमा को बनाए रखने** के लिए कंटेंट मॉडरेशन का समर्थन करती है। वहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस तरह की कार्रवाई का **विरोध** करते हैं, क्योंकि यह उपयोगकर्ताओं की **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** को अवरुद्ध करता है।
  - **पारदर्शिता और जवाबदेही:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट के लिए **जवाबदेही तय करना या कंटेंट के स्रोत का पता लगाना मुश्किल** होता है।
    - उदाहरण के लिए- **व्हाट्सएप** प्लेटफॉर्म पर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का फीचर, उस पर आपराधिक गतिविधियों का पता लगाना मुश्किल बना देता है।

नैतिक सोशल मीडिया के सिद्धांत क्या हैं?

- **यथोचित परिश्रम:** सोशल मीडिया पर **सही और सटीक जानकारी सुनिश्चित करने के लिए सभी लोगों को मिलकर सूचनाओं की गहन जांच-पड़ताल (Due diligence)** करनी चाहिए।
  - उदाहरण के लिए- **PIB फैक्ट-चेक** जैसा **फैक्ट-चेक तंत्र।**
- **सहानुभूति और सहिष्णुता और जिम्मेदारी:** सोशल मीडिया पर जिम्मेदार आचरण के लिए खुद को जवाबदेह ठहराना ज़रूरी है। इसमें **निष्पक्षता, समानता, न्याय और तटस्थ रहने जैसे मूल्यों को बनाए रखना शामिल है।**
- **क्रिटिकल सोच:** प्रत्येक व्यक्ति को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग के दौरान **अपनी क्रिटिकल सोच का उपयोग** करना चाहिए। यह **'स्पाइरल ऑफ साइलेंस' की घटना** को नकारने में सहायता करता है जिसके परिणामस्वरूप राजनीतिक या नागरिक मामलों के चिंताजनक पहलुओं पर **विभिन्न विचारों का निष्क्रिय रूप से दमन** होता है।

आगे की राह: हितधारकों का आदर्श आचरण

- **कानूनी/ नियामक पारिस्थितिकी तंत्र:** प्लेटफॉर्म्स के **प्रत्यक्ष विनियमन के बिना** सोशल मीडिया की नैतिकता को बनाए रखने के लिए एक **सहायक पद्धति** की आवश्यकता है।
- **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स:**
    - उपयोगकर्ताओं के विश्वास और निष्ठा को बनाए रखने के लिए उनकी **वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करना आवश्यक** है। हालांकि, **उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और सामुदायिक मानकों (सार्वजनिक हित)** को बनाए रखने की आवश्यकता को संतुलित करने की जरूरत है।
    - भारत की संप्रभुता और अखंडता जैसे पहलुओं में **डेटा भंडारण और साझाकरण हेतु सरकारी दिशा-निर्देशों** का पालन करना चाहिए।
- **राजनीतिक दल:** चुनाव के दौरान सोशल मीडिया के उपयोग से संबंधित **दिशा-निर्देशों और कानूनों का निष्ठापूर्वक पालन** करने की आवश्यकता है। प्रत्येक राजनीतिक दल के पास जिम्मेदार आचरण सुनिश्चित करने के लिए एक **आंतरिक आचार संहिता और एक स्व-विनियमन तंत्र** होना चाहिए।
- **समाज:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप **जवाबदेह** बनाना **सामूहिक जिम्मेदारी** है।
- **व्यक्तिगत:** उपर्युक्त बातों के अलावा, सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्वक इस्तेमाल करना और इससे जुड़े खतरों और नैतिक पहलुओं को समझना हर व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है।

निष्कर्ष

एप्पल ने अपने iOS 14.5 अपडेट के साथ विज्ञापन ट्रैकिंग के लिए यूजर्स को ज्यादा नियंत्रण देने की शुरुआत की है। इसी तरह, **एक्स (ट्विटर) की सिविक इंटीग्रिटी पॉलिसी** भी सही दिशा में एक कदम है। सोशल मीडिया का सोच-समझकर और जिम्मेदारी से उपयोग कर, हम सभी एक सुरक्षित और अधिक सकारात्मक ऑनलाइन परिवेश बनाने में मदद कर सकते हैं।

VISION IAS INSPIRING INNOVATION
A.I.T.S
GS PRELIMS TEST SERIES 2025

ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ एवं मेंटरिंग प्रोग्राम

कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, अभ्यास और मेंटरिंग के साथ बेहतर प्रदर्शन के लिए एक इनोवेटिव मूल्यांकन प्रणाली

30 टेस्ट
5 फंडामेंटल टेस्ट | 15 एप्लाइड टेस्ट
10 फुल लेंथ टेस्ट

ENGLISH MEDIUM 2025: 3 NOVEMBER
हिन्दी माध्यम 2025: 3 नवंबर

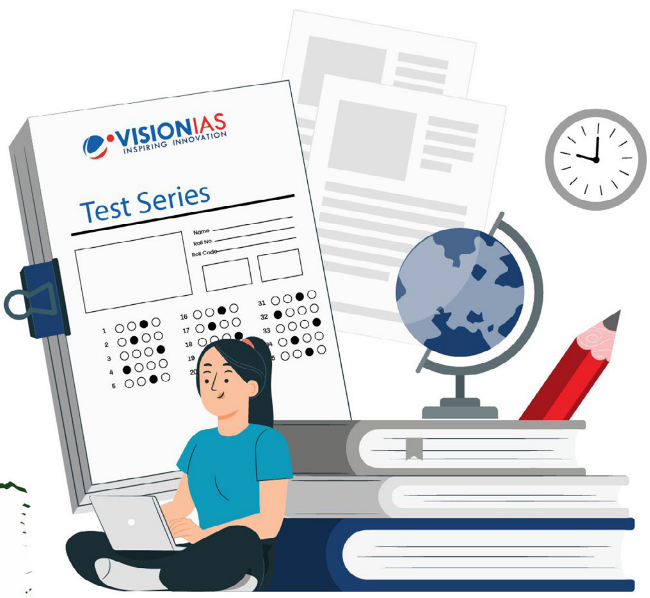

9.7. नैतिकता और उद्यमिता (ETHICS AND ENTREPRENEURSHIP)

संदर्भ

हाल ही में, एक ज्यूरी ने **'40 अंडर फोर्टी'** के 10वें संस्करण के प्रकाशन के लिए कॉर्पोरेट इंडिया के सबसे प्रतिभाशाली युवा लीडर्स को सम्मानित करने हेतु एक बैठक का आयोजन किया। ज्यूरी के एक सदस्य ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कुछ युवा उद्यमियों ने न केवल पेशेवर और व्यावसायिक कौशल का प्रदर्शन किया है, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी कुछ कदम उठाए हैं।

विश्लेषण

उद्यमियों के सामने आने वाले नैतिक मुद्दे

- **हितों का टकराव:** उद्यमियों को अक्सर कंपनी की लाभप्रदता बनाए रखने और सामाजिक प्रभाव के बीच टकराव का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए- खराब वित्तीय निर्णयों के कारण **बायजूज़ का पतन** हुआ।
- **पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी:** उद्यमियों द्वारा पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी को अभी भी प्राथमिकता में नहीं रखा जाता है। उदाहरण के लिए- 2019 में, **रिलायंस इंडस्ट्रीज** पर पारिस्थितिक-तंत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए जुर्माना लगाया गया था।
- **गलत कार्य पद्धतियां अपनाना:** उदाहरण के लिए- **सत्यम घोटाला 2009** (ऑडिट धोखाधड़ी)।
- **कार्य संस्कृति/ कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार:** समय पर कार्य पूरा करने के लिए कई बार मैनेजर्स कर्मचारियों से अतिरिक्त काम करवाते हैं। इससे कर्मचारियों में असंतोष उत्पन्न होता है।

उद्यमशीलता में नैतिक सिद्धांतों को समायोजित करने के तरीके

- **लाभ और उद्देश्य में संतुलन: सामाजिक उद्यमिता** इस दृष्टिकोण का एक अच्छा उदाहरण है। इसमें उचित वित्तीय लाभ अर्जित करते हुए सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण के लिए- **ई-हेल्थपॉइंट उद्यम,** ग्रामीण या सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों को प्राथमिक स्वास्थ्य परामर्श प्रदान करता है।
- **हितधारकों की सहभागिता/ मुक्त संचार को बढ़ावा देना:** उद्यमियों को अपने कर्मचारियों, ग्राहकों आदि को किसी भी **नैतिक चिंता** या **उल्लंघन** के मुद्दे पर आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। **उदाहरण के लिए- टाटा स्टील** ने एक प्रभावी हितधारक सहभागिता प्रक्रिया विकसित की है।
- **माल की नैतिक सोर्सिंग:** इससे इनपुट के स्तर पर शोषणकारी और अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए- प्रसिद्ध आइसक्रीम निर्माता **बेन एंड जेरी की निर्माण सामग्री के नैतिक स्रोत के प्रति लंबे समय से प्रतिबद्धता है।**
- **आचार संहिता/ नैतिक संहिता तैयार करना:** नैतिक संहिता ऐसे सिद्धांतों और मानकों का एक समूह होता है, जो किसी संगठन के भीतर नैतिक व्यवहार का मार्गदर्शन करता है। उदाहरण के लिए- रेमंड कंपनी ने आचार संहिता और नैतिकता को अपनाया है।

हितधारक और उनके हित

हितधारक	भूमिका/ हित
उद्यमी	• एक सफल **व्यवसायिक मॉडल स्थापित करना।** • कर्मचारियों से **सहयोग की अपेक्षा** करता है।
ग्राहक	• उत्पाद और सेवाएं उचित कीमत पर उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही, ये पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए।
सरकार/ नियामक प्राधिकरण	• उद्यमियों के लिए अनुकूल माहौल बनाना ताकि वे **सफल व्यवसाय मॉडल को अपना सकें।** • उद्यमियों को देश के कानून का **पालन** करना चाहिए।
कर्मचारी	• कार्यस्थल पर सम्मान और प्रतिष्ठा पाने की अपेक्षा करते हैं।
बिजनेस पार्टनर/ डीलर	• उद्यमियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए सौदों या समझौतों का उनके द्वारा **अक्षरशः लागू** किया जाना चाहिए। • कंपनी के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में **पारदर्शिता** और **जवाबदेही** सुनिश्चित की जानी चाहिए।
निवेशक	• वे अपने निवेश से उच्च रिटर्न प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं।
समुदाय/ गैर-सरकारी संगठन (NGO)	• उद्यमियों को लाभप्रदता के साथ-साथ अपनी सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को भी प्राथमिकता देनी चाहिए।

निष्कर्ष

हाल के दिनों में, भारत में उद्यमशीलता का चलन तेजी से बढ़ा है। इस दृष्टिकोण से, उद्यमी अपने लाभ और सामाजिक प्रभाव के बीच संतुलन बनाए रखने में सक्षम होंगे। शुरुआती दौर में, इससे अनुपालन लागत, व्यापार प्रक्रियाओं को इस सामाजिक प्रभाव के साथ जोड़ने की लागत आदि में वृद्धि होगी, लेकिन लंबे समय में यह सतत विकास सुनिश्चित करेगा।

नैतिक उद्यमिता के लिए प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत

सिद्धांत	विवरण
उपयोगितावादी नैतिकता	ऐसे कार्यों का समर्थन करना, जो खुशी या आनंद को बढ़ावा दें और ऐसे कार्यों का विरोध करना, जो दुख या हानि का कारण बनें।
कर्तव्यशास्त्र की नैतिकता	इमैनुअल कांट की नैतिकता के सिद्धांत के अनुसार, तर्कसंगत मनुष्यों को परिणाम की परवाह किए बिना अपने **नैतिक दायित्वों का पूरी निष्ठा से पालन करना चाहिए।**
पुण्य नैतिकता	इस बात पर जोर दिया गया है कि ईमानदारी, साहस, न्याय, दान आदि गुणों का पालन करने से व्यक्ति एक **स्वीकार्य** और **धार्मिक** जीवन जीता है।
हितधारक सिद्धांत	इस सिद्धांत के तहत यह तर्क दिया जाता है कि किसी फर्म को केवल शेयरधारकों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी हितधारकों के लिए मूल्य सृजित करना चाहिए।

9.8. कम्पैशनेट कैपिटलिज्म या परोपकारी पूंजीवाद (COMPASSIONATE CAPITALISM)

संदर्भ

हाल ही में, इंफोसिस कंपनी के संस्थापक नारायण मूर्ति ने भारतीय कंपनियों में शीर्ष अधिकारियों और निचले स्तर के कर्मचारियों के बीच मौजूद आय के स्तर में असमानता को लेकर चिंता जताई है। साथ ही, उन्होंने इस समस्या का समाधान करने के लिए कम्पैशनेट कैपिटलिज्म को अपनाने का आह्वान किया है। वेल्थ इनईक्वैलिटी लैब की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में, शीर्ष 1% आय अर्जित करने वाले लोगों को 2022-23 में सकल राष्ट्रीय आय का 22.6% हिस्सा प्राप्त हुआ था।

विश्लेषण

कम्पैशनेट कैपिटलिज्म या परोपकारी पूंजीवाद के बारे में

- कम्पैशनेट कैपिटलिज्म का उद्देश्य **पूंजीवादी मॉडल में समाजवादी विचारों का समावेश करते हुए धन का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना** है।
- कम्पैशनेट कैपिटलिज्म **एडम स्मिथ के आर्थिक व्यक्तिवाद को कार्ल मार्क्स के समाजवादी प्रतिमानों के साथ एकीकृत** करता है।

कम्पैशनेट कैपिटलिज्म के दर्शन में नीतिशास्त्र के विचारकों का योगदान

- **बौद्ध धर्म का प्रतीत्यसमुत्पाद:** यह आश्रित उत्पत्ति (प्रतीत्यसमुत्पाद) की अवधारणा पर आधारित है। इस दृष्टिकोण के तहत यह माना जाता है कि **व्यक्ति** एक-दूसरे पर तथा पृथ्वी पर **अन्योन्याश्रित** है।
- **इमैनुअल कांट का निरपेक्ष आदेश (Categorical Imperative) का सिद्धांत:** कांट ने प्रत्येक व्यक्ति को केवल साधन के रूप में नहीं, बल्कि अपने आप में एक साध्य के रूप में मानने पर जोर दिया है।
- **गांधीवादी विचार:** गांधीजी के सत्य, अहिंसा और सामाजिक-आर्थिक आदर्शों में सादा जीवन, सर्वोदय और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत शामिल था।
- **अमर्त्य सेन की क्षमता दृष्टिकोण (Capability Approach):** क्षमता दृष्टिकोण लोगों की क्षमताओं और स्वतंत्रता के आधार पर व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक नीतियों का मूल्यांकन करता है, न कि केवल मौद्रिक संवृद्धि के आधार पर।

कम्पैशनेट कैपिटलिज्म से जुड़ी नैतिक दुविधाएं

- **कर्मचारियों का कल्याण बनाम लाभ को अधिकतम करना:** उचित वेतन, कार्य के उचित घंटे तथा अच्छी कार्य दशाएं उपलब्ध कराने से परिचालन लागत बढ़ सकती है, जिससे संभावित रूप से लाभ कम हो सकता है।
- **उपभोक्ताओं का हित बनाम लाभ-संचालित उत्पाद:** उच्च गुणवत्ता वाले, सुरक्षित उत्पादों का उत्पादन करने से लागत बढ़ सकती है, जिससे लाभ मार्जिन कम हो सकता है।
- **पर्यावरणीय जिम्मेदारी बनाम लागत दक्षता:** व्यवसायों को प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण और लाभप्रदता बनाए रखने के साथ-साथ पर्यावरण के अनुकूल प्रणालियों को अपनाने के बीच संघर्ष करना पड़ सकता है।
- **सामुदायिक जुड़ाव बनाम शेयरधारक रिटर्न:** सामुदायिक परियोजनाओं तथा सामाजिक विषयों में निवेश करने से कंपनी की आमजन के मन में सामाजिक रूप से एक जिम्मेदार कंपनी की छवि बन सकती है। यद्यपि, इससे शेयरधारकों को त्वरित वित्तीय लाभ नहीं पाता है।

सिद्धांत	पूंजीवाद	परोपकारी पूंजीवाद
संपत्ति	धन का संकेन्द्रण (चुनिंदा लोगों के पास धन बनाए रखना रखना)	धन का पुनर्वितरण
लाभ	व्यवसाय को लाभ	सभी हितधारकों को लाभ
संसाधन	संसाधनों का दोहन	संसाधनों का संधारणीय उपयोग
सामाजिक दायित्व	समाज के प्रति कोई जवाबदेही नहीं	अपने निर्णयों और कार्यों को लेकर समाज के प्रति जवाबदेही

वे प्रथाएं जो पूंजीवाद को विभिन्न हितधारकों के प्रति उदार बनाती हैं

हितधारक	प्रथाएं
कर्मचारी	**खुली और लचीली कार्य संस्कृतियां:** ऐसी कार्य संस्कृति अपनानी चाहिए, जो सहयोग, नवाचार और रचनात्मकता को महत्त्व देती हो। **संवृद्धि के लिए समान अवसर:** उदाहरण के लिए- इंफोसिस की **कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना (ESOP)** में कर्मचारियों को कंपनी के शेयर देकर धन का लोकतंत्रीकरण किया गया है।
पर्यावरण	**पर्यावरण लेखांकन:** व्यवसाय के संचालन की लागत के अंतर्गत पर्यावरणीय और पारिस्थितिक क्षति का लेखा-जोखा रखना चाहिए। प्रदूषण कम करना, चक्रीय आर्थिक मॉडल को अपनाना और उपभोक्तावाद को कम करना।
समाज	**कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR):** भारत में, **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत CSR एक विधिक दायित्व है। **विकास से उत्पन्न धन का पुनर्वितरण:** उदाहरण के लिए- **प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)** में यह प्रावधान किया गया है कि खनन क्षेत्रक के विकास का लाभ खनन के कारण प्रभावित हुए लोगों और क्षेत्रों तक पहुंचना चाहिए।

आगे की राह

व्यवसाय का असली उद्देश्य मौजूदा अनुभवों को उन्नत बनाना है। चूंकि पारंपरिक पूंजीवाद इस घोषित उद्देश्य को पूरा करने में सहायक नहीं दिखता है, इसलिए कम्पैशनेट कैपिटलिज्म की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। इस विषय पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है और इसके बीज हमारे संविधान में भी मौजूद हैं। संविधान का अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 39 (c) राज्य को आय की असमानता और धन के संकेंद्रण को कम करने का निर्देश देते हैं।

9.9. दंड की नैतिकता (ETHICS OF PUNISHMENT)

संदर्भ

हाल ही में, पुणे में एक भयानक दुर्घटना घटित हुई, जिसमें एक किशोर ने लग्जरी कार से दो व्यक्तियों को कुचलकर उनकी जान ले ली। वह किशोर एक प्रभावशाली परिवार से संबंधित था। इस मामले में किशोर न्याय बोर्ड ने किशोर को बेहद मामूली शर्तों पर जमानत दे दी। इससे दंड में असमानता से जुड़ी नैतिक चिंताओं पर फिर से बहस शुरू हो गई।

विश्लेषण

दंड से जुड़े विभिन्न दर्शन और संबंधित नैतिक दुविधाएं

- **निवारण (Deterrence):** यह सिद्धांत बताता है कि सजा मिलने का भय अपराधियों को अपराध करने से हतोत्साहित करता है।
  - **इससे संबंधित नैतिक दुविधा:** निवारण पर जोर देने से **कठोर दंड दिए जाने** की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, जो संभावित रूप से पुनर्वास और पुनर्स्थापनात्मक न्याय को प्रभावित कर सकता है।
- **अक्षम करना (Incapacitation):** यह भविष्य में अपराध करने से रोकने के लिए **अपराधी को समाज से अलग करने और उसकी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने** पर केंद्रित है।
  - आधुनिक जेल, मृत्यु दंड।
  - **इससे संबंधित नैतिक दुविधा:** यह दृष्टिकोण **मानव अधिकारों के दुरुपयोग की संभावना** के बारे में चिंताएं पैदा करता है।
- **प्रतिशोधात्मक (Retribution) न्याय:** इसमें कहा गया है कि दंड का उद्देश्य अपराध को नियंत्रित करने या रोकने के बजाय गलती को सुधारना होता है तथा दंड की प्रकृति अपराध की गंभीरता पर आधारित होती है, जैसा कि भारतीय दंड संहिता में भी प्रावधान किया गया है।
  - **इससे संबंधित नैतिक दुविधा:** एक प्रभावी दंड के रूप में, प्रतिशोध की आलोचना इसके **अत्यधिक कठोर होने, आनुपातिक रूप से असंगत होने तथा सामाजिक व्यवहार को बदलने की सीमित क्षमता** के कारण की जाती है।

दंड और नैतिक चिंताओं में शामिल विभिन्न हितधारक	
हितधारक	**भूमिका/ हित**
पीड़ित	मुकदमे की सुनवाई में निष्पक्षता की अपेक्षा करता है, न्याय प्राप्त करना चाहता है, सुरक्षा का आश्वासन चाहता है तथा अपराधी के लिए कठोर दण्ड चाहता है।
अपराधी	निष्पक्ष व्यवहार को लेकर चिंतित रहता है, अपराध के समकक्ष दंड पाने की अपेक्षा करता है, अपने आचरण में सुधार करने का हवाला देता है तथा मुख्यधारा के समाज में फिर से जुड़ना चाहता है।
समाज	अपराध में कमी लाना, सार्वजनिक सुरक्षा, समाज में नैतिक मूल्यों को बनाए रखना तथा गरिमापूर्ण जीवन जीना।
सरकार	अपराध को रोकने के लिए अपराधी को दंडित करके उदाहरण प्रस्तुत करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, कानूनी प्रक्रियाओं और दण्ड में निष्पक्षता सुनिश्चित करना।
न्यायपालिका	युक्तियुक्त और निष्पक्ष निर्णय देना, किए गए अपराध के समकक्ष में दंड देना, समाज में संतुलन स्थापित करना और नैतिक गुणों को बढ़ावा देना।

- **पुनर्स्थापन (Restoration):** पुनर्स्थापनात्मक न्याय का के अनुसार, दंड का उद्देश्य अपराधी द्वारा पीड़ित और समुदाय को पहुंचाए गए नुकसान की भरपाई करना होता है।
  - **इससे संबंधित नैतिक दुविधा:** पुनर्स्थापन न्याय सभी अपराधों या अपराधियों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है और इसे अक्सर पीड़ितों द्वारा अपेक्षित न्याय की धारणा के विपरीत माना जाता है।
- **पुनर्वास (Rehabilitation):** पुनर्वास में उपचार, चिकित्सा, शिक्षा और प्रशिक्षण के जरिए अपराध करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार में बदलाव करने में मदद की जाती है, ताकि उन्हें समाज के मुख्य धारा में फिर से शामिल करने में मदद मिल सके।
  - **इससे संबंधित नैतिक दुविधा:** सरकार के पास धन की कमी, लोगों की ओर से कठोर सजा की मांग और दमन पर केंद्रित अपराध नियंत्रण नीतियां, जो अपराधियों को सजा देने एवं अपराध को रोकने पर ध्यान केंद्रित करती हैं, उपचार और पुनर्वास की अवधारणाओं से विपरीत हैं।

भारतीय दंड प्रणाली से संबंधित नैतिक मुद्दे

- **पूर्वाग्रह:** वर्तमान कानूनी प्रणाली के बारे में उठाई गई एक प्रमुख चिंता यह है कि यह गरीबों और हाशिए पर मौजूद समूहों के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रसित होती है, जो अक्सर कानूनी प्रक्रियाओं का खर्च उठाने में असमर्थ होते हैं।
  - ***भारत में जेल सांख्यिकी*, 2022** पर NCRB के आंकड़ों से पता चलता है कि SC और ST समुदायों के विचाराधीन कैदियों की कुल संख्या अपेक्षाकृत अधिक है।
- **भ्रष्टाचार:** इसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां न्याय में अक्सर देरी होती है या पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता है।
- **गैर-जवाबदेही:** भारत में सुलह की संस्कृति के कारण कभी-कभी अपराधियों को दंडित करने को लेकर अनिच्छा देखने को मिलती है, जहां अपराधियों को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता है और इससे सामाजिक व्यवस्था में गिरावट आ सकती है।
- **सजा में असमानता:** भारतीय कानूनी प्रणाली में सजा के लिए कोई स्पष्ट नीति या कानून नहीं है और सजा न्यायाधीश के विवेकाधिकार पर निर्भर हो गई है। इसके परिणामस्वरूप एक ही अपराध के लिए सजा में असमानता देखने को मिलती है।
- **मृत्युदंड:** मृत्युदंड से जुड़ी नैतिक दुविधाएं जीवन के अधिकार, सहानुभूति, विवेक, नैतिक मूल्यों आदि के इर्द-गिर्द घूमती हैं।
- **हिरासत में यातना:** हिरासत में यातना के मामले **"दोषी साबित होने तक आरोपी को निर्दोष मानने"** के सिद्धांत के विपरीत हैं और अभियुक्त के सम्मान और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।

आगे की राह

- **सजा के लिए स्पष्ट नीति:** सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, सजा देने से जुड़े दिशा-निर्देश के अभाव में किसी समाज के बारे में जज अपनी व्यक्तिगत समझ के आधार पर कभी भी अनियंत्रित और निरंकुश विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता है।
- **न्यायोचित सजा:** न्यायोचित सजा या दंड एक ऐसी अवधारणा है जिसमें अपराध के लिए उचित और आवश्यक सजा का निर्धारण करना शामिल होता है।
- **दंड को तर्कसंगत बनाना:** कानूनों में संशोधन, दंड को तर्कसंगत बनाने का अवसर प्रदान करता है। साथ ही, इससे किए गए अपराध और उसके अनुपात सजा सुनिश्चित होती है।
- **पुनर्वास:** अपराधियों से प्रतिशोध लेने और उनकी पुनर्स्थापना के बीच संतुलन स्थापित करने में पुनर्वास उपयोगी हो सकता है।

9.10. प्रश्नोत्तरी

प्रश्न

1. सभी मनुष्य सुख की आकांक्षा रखते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? आपके लिए सुख का क्या अर्थ है? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। (150 शब्द) (2014, GS IV)
2. धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। यह किस हद तक सत्य है? इस संदर्भ में धर्म और विज्ञान के बीच संबंधों का समाआलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (150 शब्द)

उत्तर

राजव्यवस्था

1	2	3	4	5
उत्तर: C	उत्तर: B	उत्तर: C	उत्तर: B	उत्तर: C

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

1	2	3	4	5
उत्तर: D	उत्तर: D	उत्तर: A	उत्तर: C	उत्तर: A

अर्थव्यवस्था

1	2	3	4	5
उत्तर: B	उत्तर: D	उत्तर: C	उत्तर: A	उत्तर: D

सुरक्षा

1	2	3	4	5
उत्तर: C	उत्तर: C	उत्तर: A	उत्तर: D	उत्तर: A

पर्यावरण

1	2	3	4	5
उत्तर: D	उत्तर: A	उत्तर: A	उत्तर: B	उत्तर: D

सामाजिक मुद्दे

1	2	3	4	5
उत्तर: B	उत्तर: A	उत्तर: D	उत्तर: C	उत्तर: D

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

1	2	3	4	5
उत्तर: C	उत्तर: B	उत्तर: C	उत्तर: D	उत्तर: A

संस्कृति

1	2	3	4	5
उत्तर: C	उत्तर: B	उत्तर: A	उत्तर: A	उत्तर: C

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

OUR ACHIEVEMENTS

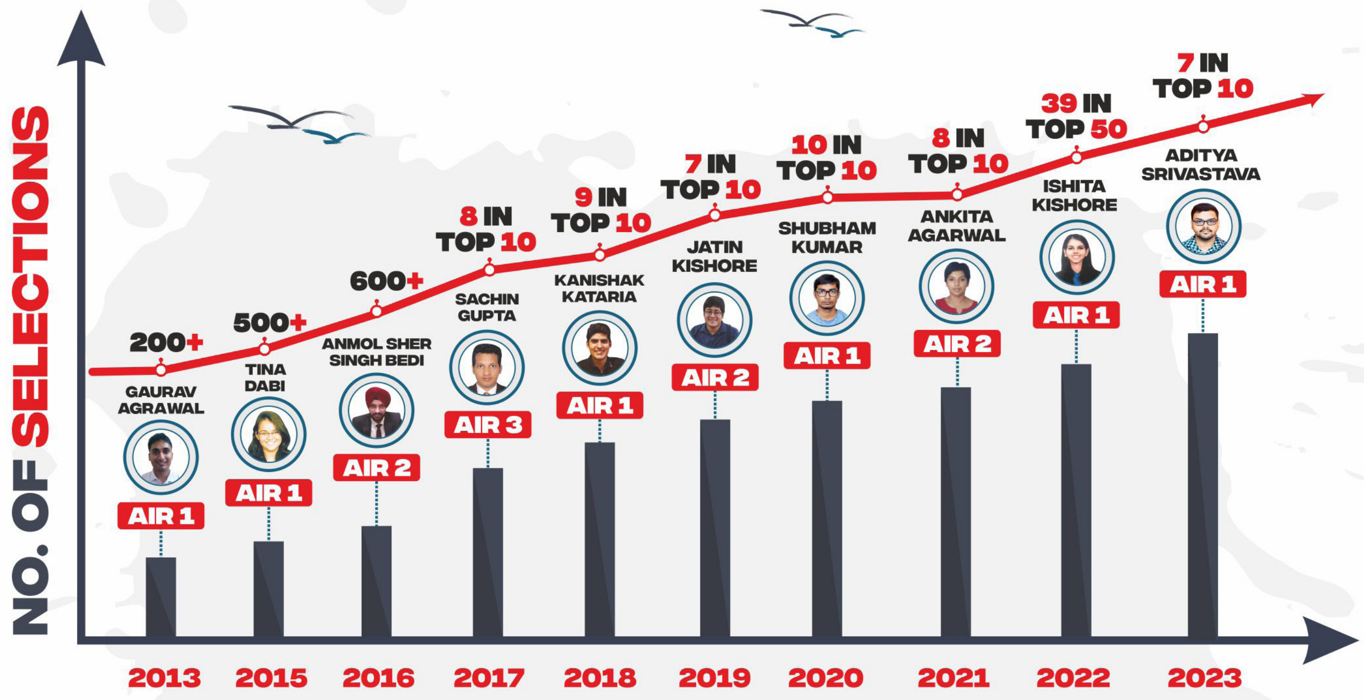

LIVE/ONLINE Classes Available

www.visionias.in

Foundation Course
GENERAL STUDIES
PRELIMS cum MAINS 2026, 2027 & 2028

DELHI: 18 OCT, 5 PM | 19 NOV, 9 AM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 12 NOV, 6 PM

BENGALURU: 5 DEC | JAIPUR: 16 DEC | HYDERABAD: 11 NOV | JODHPUR: 3 OCT

LUCKNOW: 5 DEC | BHOPAL: 5 DEC | ADMISSION OPEN AHMEDABAD | CHANDIGARH | PUNE

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2026

▸ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI: 20 नवंबर, 8 AM | JAIPUR: 16 दिसंबर | JODHPUR: 3 अक्टूबर | प्रवेश प्रारम्भ BHOPAL | LUCKNOW

Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

/visionias.upsc | /c/VisionIASdelhi | /c/VisionIASdelhi | /t.me/s/VisionIAS_UPSC

DELHI: HEAD OFFICE: 1st floor, Apsara Arcade, Near Gate-7 Karol Bagh Metro Station, 1/8 b, Pusa Road, Karol Bagh, Delhi – 110005 | CONTACT: 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

ऑफलाइन क्लासरूम, मेंटरिंग

SUPPORT SYSTEM & FACILITIES

VISIONIAS MUKHERJEE NAGAR (GTB NAGAR CENTRE)

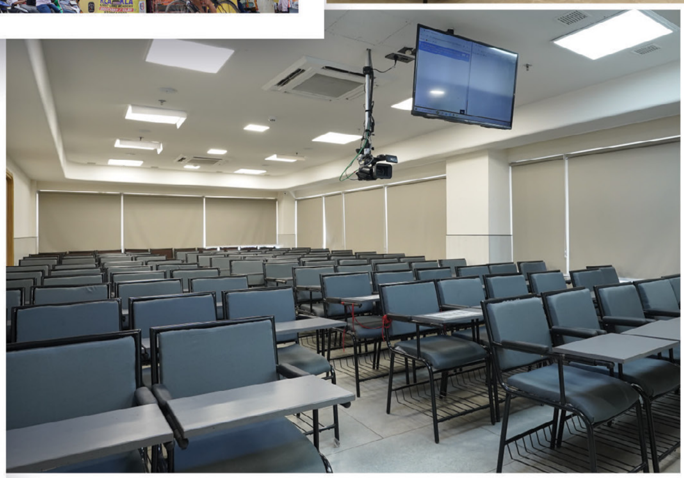

MAIN BUILDING WITH ENTRY/EXIT MARK

RECEPTION AREA

COUNSELING/MENTORING

FIRE EXIT PLAN

CLASSROOMS (CHAIRS/ENTRY/EXIT)

क्लासरूम प्रोग्राम : Vision IAS तैयारी के विभिन्न चरणों में सहायता और मार्गदर्शन के लिए अभ्यर्थियों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है :

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स (प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा): लगभग 12–14 महीने में सम्पूर्ण सिलेबस कवरेज
- CSAT क्लासेज
- करेंट अफेयर्स क्लासेज– मासिक करेंट अफेयर्स रिवीजन, PT365, Mains365
- निबंध लेखन
- एथिक्स (Ethics)– एथिक्स क्रैश कोर्स, एथिक्स केस स्टडीज
- GS मेंस एडवांस कोर्स

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज (All India Test Series) : इस परीक्षा में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने हेतु हर तीन में से दो चयनित अभ्यर्थियों द्वारा इसे चुना जाता रहा है। **VisionIAS** पोस्ट टेस्ट एनालिसिस ठोस सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराता है एवं प्रदर्शन में निरंतर सुधार सुनिश्चित करता है। उत्तर लेखन में सुधार एवं मार्गदर्शन के लिए **Vision IAS** के **Innovative Assessment System™** द्वारा अभ्यर्थी को फीडबैक दिया जाता है।

- ऑल इंडिया सामान्य अध्ययन (**GS Mains**) टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
- ऑल इंडिया **GS** प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
- **CSAT** टेस्ट सीरीज
- वैकल्पिक विषय टेस्ट सीरीज– दर्शनशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, समाजशास्त्र
- संधान टेस्ट सीरीज
- ओपन टेस्ट (**Open Test**)
- **Abhyaas– Abhyaas Prelims & Mains**

मेंटरिंग कार्यक्रम – **UPSC** सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान किसी भी प्रकार की एकेडेमिक या गैर–एकेडे. मिक समस्या के समाधान एवं मार्गदर्शन के लिए मेंटर की भूमिका बढ़ गई है। इसलिए **Vision IAS** प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों के लिए मेंटरिंग प्रोग्राम लेकर आया है।

- दक्ष (**Daksha**): आगामी वर्षों में मुख्य परीक्षा देने वाले
- लक्ष्य (**Lakshya**): मुख्य परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए।
- लक्ष्य प्रीलिम्स एवं मेंस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम।

करेंट अफेयर्स (Current Affairs)– सिविल सेवा परीक्षा में प्रायः प्रश्नों को करेंट अफेयर्स से जोड़कर पूछा जाता है। इसलिए **Vision IAS** द्वारा प्रतिदिन, साप्ताहिक और मासिक आधार पर करेंट अफेयर्स के अलग–अलग स्रोत अभ्यर्थियों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। जिनमें टॉपिक के स्टैटिक के साथ करेंट अफेयर्स के टॉपिक में महत्वपूर्ण समाचार पत्रों, सरकारी प्रकाशनों एवं वेब साइट का विश्लेषण सम्मिलित होता है।

- मासिक मैगजीन
- वीकली फोकस
- न्यूज टुडे
- **PT** 365
- **Mains** 365

स्टडी मैटेरियल– सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में अभ्यर्थियों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए **Vision IAS** द्वारा विभिन्न मैटेरियल उपलब्ध कराए जाते हैं।

- क्लासरूम स्टडी मैटेरियल
- वैल्यू एडेड मैटेरियल
- मासिक मैगजीन, वीकली फोकस, न्यूज टुडे
- **PT** 365 एवं **Mains** 365
- केन्द्रीय बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण सारांश
- विगत वर्षों के प्रश्नों (**PYQs**) का विस्तृत विश्लेषण
- टॉपर्स कॉपी

Student Wellness Cell – देश की प्रतिष्ठित सेवा एवं उसकी भर्ती प्रक्रिया कई बार बोझिल हो जाती है, जिससे अभ्यर्थी चिंता, तनाव, अवसाद जैसी मानसिक समस्याओं का सामना करते हैं। जिसे ध्यान में रखकर **Vision IAS** द्वारा स्टूडेंट वेलनेस सेल की स्थापना की गई है। इसमें अभ्यर्थी प्रशिक्षित काउंसलर और प्रोफेशनल मनोविशेषज्ञ से मिलकर अपनी समस्या साझा करते हुए समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

अनुभवी फैकल्टी का मार्गदर्शन
ASHOK DUBEY SIR
MRITYUNJAY SIR
RAJEEV RANJAN SIR
SUNIL KUMAR SINGH SIR
हिंदी माध्यम टॉपर
1 AIR
Aditya Srivastava
53 AIR
मोहन लाल
136 AIR
अर्पित कुमार
1 AIR
Shubham Kumar
UPSC CSE 2020
454 AIR
Bajarang Prasad
UPSC CSE 2022
468 AIR
Vikas Gupta
UPSC CSE 2022
605 AIR
Jatin Parashar
UPSC CSE 2022
DELHI
HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station
MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar
GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009
FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call: +91 8468022022, +91 9019066066
ENQUIRY@VISIONIAS.IN
/VISION_IAS
/C/VISIONIASDELHI
VISION_IAS
/VISIONIAS_UPSC
AHMEDABAD BENGALURU BHOPAL CHANDIGARH DELHI JAIPUR JODHPUR GUWAHATI HYDERABAD LUCKNOW PRAYAGRAJ PUNE RANCHI

Heartiest

Congratulations

to all Successful Candidates

79 in **TOP 100** Selections in **CSE 2023** from various programs of **Vision IAS**

1 AIR

Aditya Srivastava

2 AIR **Animesh Pradhan**

5 AIR **Ruhani**

6 AIR **Srishti Dabas**

7 AIR **Anmol Rathore**

9 AIR **Nausheen**

10 AIR **Aishwaryam Prajapati**

हिंदी माध्यम में 35+ चयन CSE 2023 में

हिंदी माध्यम टॉपर

53 AIR मोहन लाल

136 AIR अर्पित कुमार

238 AIR विपिन दुबे

257 AIR मनीषा धार्वे

313 AIR मयंक दुबे

517 AIR देवेश पाराशर

UPSC TOPPERS/OPEN SESSION: QR स्कैन करें

53 AIR मोहन लाल

TOPPERS' TALK

AIR 136 अर्पित कुमार

TOPPERS' TALK

विगत वर्षों में UPSC मेन्स में पूछे गए प्रश्न

मुखर्जी नगर ऑफलाइन सेंटर

HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station
DELHI

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

enquiry@visionias.in | /@visionias hindi | /visionias.upsc | /vision_ias_hindi/ | /hindi_visionias

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची